त्रयोदश माला, खंड 28, अंक 1

सोमवार, 18 नवम्बर, 2002
27 कार्तिक, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 13/6/2003

(खण्ड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 18 नवम्बर, 2002/27 कार्तिक, 1924 (शक)

विषय			कॉलम
तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची			1-22
लोक सभा के पदाधिकारी			23-24
मंत्रिपरिषद			25-28
राष्ट्रगान			29
मंत्रियों का परिचय			29
निधन संबंधी उल्लेख			29-35
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
*तारांकित प्रश्न संख्या	1 और 2		40-55
प्रश्नों के लिखित उत्तर			
तारांकित प्रश्न संख्या	3 से 20		55-102
अतारांकित प्रश्न संख्या	1 से 230		102-433
स्थगन प्रस्ताव के बारे में			433
सभा पटल पर रखे गए पत्र			434
अध्यक्ष द्वारा घोषणा			
(एक)	नारायण दत्त तिवारी, संसद सदस्य का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र		436
(दो)	संसद अधिकारी और संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक का पुर:स्थापन स्थगित करना		436
नियम 377 के अधीन मामले			
(एक)	राजस्थान में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य के लोगों को अत्यधिक रियायती दर पर गेंहू की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता		
	श्री राम सिंह कस्वां		437
(दो)	मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता		
	श्रीमती जयश्री बैनर्जी		437
(तीन)	महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आष्टी तहसील में सेना द्वारा ग्रामीणों की भूमि के अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता		
	श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील		438

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
(चार)	मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर रानी अवंती बाई सागर बांध में जमा मिट्टी को निकाले जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल	438
(पांच)	पूर्वी मुम्बई के मुलुन्द में कम्पोजिट सिमेंट्री तक सम्पर्क सड़क के निर्माण को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री किरीट सोमैया	439
(छह)	कर्नाटक में मैसूर-मंगलौर और मैसूर-तेलीचेरी रेल लाइनों के निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार	439
(सात)	मध्य प्रदेश में रीवा में बाईपास का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुन्दर लाल तिवारी.	439
(आठ)	पश्चिमी बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले में करनदिघी में नया सब डिवीजन बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रियरंजन दासमुंशी . .	440
(नौ)	बिहार में भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का समुचित रख-रखाव किए जाने का आवश्यकता	
	श्री सुबोध राय .	440
(दस)	तम्बाकू उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री वाई०वी० राव	440
(ग्यारह)	इटावा और बेवर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 और गाजियाबाद और कानपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का विशेष रूप से बिल्हौर कस्बे में समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्र भूषण सिंह	441
(बारह)	पूर्वोत्तर रेलवे की इन्दारा दोहरीघाट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता	
	श्री बालकृष्ण चौहान	441
(तेरह)	उड़ीसा में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भर्तृहरि महताब	442

विषय कॉलम

(चौदह) देश के विभिन्न राज्यों में विशेष रूप से बिहार में गावों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाली परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय 442

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारत सरकार मुद्रणालय बंद करने के सरकार के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य 443

स्थगन प्रस्ताव

देश में, विशेष रूप से गुजरात में साम्प्रदायिक तत्वों को रोकने में सरकार की विफलता

श्री सुबोध राय 443

डा० विजय कुमार मल्होत्रा 448

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल . . . 458

श्री चन्द्रकांत खैरे 469

श्री रूपचन्द पाल 473

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया 478

श्री रामजीलाल सुमन . . . 482

डा० बी०बी० रमैया . 485

श्री प्रियरंजन दासमुंशी . 486

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन . . 498

श्री पूर्णो ए० संगमा 509

श्रीमती रेनु कुमारी . 511

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 514

श्री नवल किशोर राय . 517

श्री ई० अहमद 521

डा० वल्लभभाई कथीरिया 523

श्री मधुसूदन मिस्त्री 528

डा० सुशील कुमार इन्दौरा 532

श्री जोवाकिम बखला 535

श्री हरिन पाठक 537

श्री अजय चक्रवर्ती 546

विषय कॉलम

श्री बीर सिंह महतो 548

श्री हरीभाऊ शंकर महाले 549

श्री लाल कृष्ण आडवाणी 549

पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन विधेयक—पारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव 556

खंड 2 और 1 557

पारित करने के लिए प्रस्ताव 558

तेरहवीं लोक सभा के सदस्यों की अद्यतन वर्णानुक्रम सूची

अ

अजय कुमार, श्री एस. (ओट्टापलम)

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा (बुलढाना)

अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी. (कन्नानौर)

अमीर आलम, श्री (कैराना)

अम्बरीश, श्री (माण्डया)

अम्बेडकर, श्री प्रकाश यशवंत (अकोला)

अय्यर, श्री मणि शंकर (मयिलादुतुरई)

अर्गल, श्री अशोक (मुरैना)

अलवी, श्री राशिद (अमरोहा)

अहमद, श्री ई. (मंजेरी)

अहमद, श्री दाऊद (शाहाबाद)

आ

आंग्ले, श्री रमाकांत (मारमागाओ)

आचार्य, श्री प्रसन्न (सम्बलपुर)

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

आजाद, श्री कीर्ति झा (दरभंगा)

आठवले, श्री रामदास (पंढरपुर)

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधी नगर)

आदि शंकर, श्री (कुड्डालोर)

आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता (करोलबाग)

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट (कनारा)

इ

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ई

ईडन, श्री जार्ज (एर्णाकुलम)

उ

उमा भारती, कुमारी (भोपाल)

उराम, श्री जुएल (सुन्दरगढ़)

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम (बारपेटा)

ए

ए. नरेन्द्र, श्री (मेडक)

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी. (नामनिर्दिष्ट)

एम. मास्टर मथान, श्री (नीलगिरि)

एलानगोवन, श्री पी.डी. (धर्मपुरी)

ओ

ओला, श्री शीश राम (झुंझुनूं)

ओवेसी, श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारा, श्री बाबूभाई के. (दोहद)

कटारिया, श्री रतन लाल (अम्बाला)

कटियार, श्री विनय (फैजाबाद)

कथीरिया, डा. वल्लभभाई (राजकोट)

कन्नप्पन, श्री एम. (तिरूचेन्गोड़े)

कमलनाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)

करुणाकरन, श्री के. (मुकुन्दपुरम)

कलिअप्पन, श्री के.के. (गोबिचेट्टिपालयम)

कश्यप, श्री बली राम (बस्तर)

कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)

कानूनगो, श्री त्रिलोचन (जगतसिंहपुर)

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव (उस्मानाबाद)

किंन्डिया, श्री पी.आर. (शिलांग)

कुप्पुसामी, श्री सी. (मद्रास उत्तर)

कुमार, श्री अरुण (जहानाबाद)

कुमार, श्री वी. धनंजय (मंगलौर)

कुमारासामी, श्री पी. (पलानी)

कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह (मण्डला)

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण (दमोह)

कृपलानी, श्री श्रीचन्द (चित्तौड़गढ़)

कृष्णदास, श्री एन.एन. (पालघाट)

कृष्णन, डा. सी. (पोल्लाची)

कृष्णमराजू, श्री (नरसापुर)

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम (ओंगोले)

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई. (कुरनूल)

कृष्णास्वामी, श्री ए. (श्रीपेरुमबुदुर)

कौर, श्रीमती प्रेनीत (पटियाला)

कौशल, श्री रघुवीर सिंह (कोटा)

ख

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार (बेतूल)

खंडूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र (गढ़वाल)

खन्ना, श्री विनोद (गुरदासपुर)

खां, श्री अबुल हसनत (जंगीपुर)

खां, श्री मनसूर अली (सहारनपुर)

खां, श्री सुनील (दुर्गापुर)

खांदोकर, श्री अकबर अली (सेरमपुर)

खान, श्री हसन (लद्दाख)

खाबरी, श्री बृजलाल (जालौन)

खुराना, श्री मदन लाल (दिल्ली सदर)

खूंटे, श्री पी.आर. (सारंगढ़)

खैरे, श्री चन्द्रकांत (औरंगाबाद, महाराष्ट्र)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)

गढ़वी, श्री पी.एस. (कच्छ)

गमांग, श्रीमती हेमा (कोरापुट)

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव (वाशिम)

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)

गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)

गांधी, श्रीमती सोनिया (अमेठी)

गाड्डे, श्री राम मोहन (विजयवाड़ा)

गामलिन, श्री जारबोम (अरुणाचल पश्चिम)

गालिब, श्री जी.एस. (लुधियाना)

गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)

गावीत, श्री रामदास रुपला (धुले)

गिलुवा, श्री लक्ष्मण (सिंहभूम)

गीते, श्री अनंत गंगाराम (रत्नागिरी)

गुढ़े, श्री अनंत (अमरावती)

गुप्त, प्रो. चमन लाल (उधमपुर)

गेहलोत, श्री थावरचन्द (शाजापुर)

गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)

गोयल, श्री विजय (चांदनी चौक)

गोविन्दन, श्री टी. (कासरगौड़)

गोहेन, श्री राजेन (मौगांव)

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी (हसन)

गौतम, श्रीमती शीला (अलीगढ़)

घ

घाटोवार, श्री पवन सिंह (डिब्रुगढ़)

च

चक्रवर्ती, श्री अजय (बसीरहाट)

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश (हावड़ा)

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत (खजुराहो)

चन्देल, श्री अशोक कुमार सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश)

चन्देल, श्री सुरेश (हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश)

चन्द्रशेखर, श्री (बलिया, उत्तर प्रदेश)

चिन्नासामी, श्री एम. (करूर)

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई (जूनागढ़)

चेन्नितला, श्री रमेश (मवेलीकारा)

चौटाला, श्री अजय सिंह (भिवानी)

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम (बाड़मेर)

चौधरी, श्री अधीर (बरहामपुर, पश्चिमी बंगाल)

चौधरी, श्री ए.बी.ए. गनी खां (मालदा)

चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)

चौधरी, श्री पदमसेन (बहराइच)

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई (बलसाड़)

चौधरी, श्री राम टहल (रांची)

चौधरी, श्री राम रघुनाथ (नागौर)

चौधरी, श्री विकास (आसनसोल)

चौधरी, श्री हरिभाई (बनासकांठा)

चौधरी, श्रीमती रीना (मोहनलालगंज)

चौधरी, श्रीमती रेणूका (खम्माम)

चौधरी, श्रीमती सन्तोष (फिल्लौर)

चौबे, श्री लाल मुनी (बक्सर)

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह (खंडवा)

चौहान, श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर)

चौहान, श्री बालकृष्ण (घोसी)

चौहान, श्री शिवराजसिंह (विदिशा)

चौहान, श्री श्रीराम (बस्ती)

ज

जगतरक्षकन, डा. एस. (अर्कोनम)

जगन्नाथ, डा. मन्दा (नगर कुरनूल)

जगमोहन, श्री (नई दिल्ली)

जटिया, डा. सत्यनारायण (उज्जैन)

जय प्रकाश, श्री (हरदोई)

जयशीलन, डा. ए.डी.के. (तिरूचेंदूर)

जाधव, श्री सुरेश रामराव (परभनी)

जाफर शरीफ, श्री सी.के. (बंगलौर उत्तर)

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद (बेतिया)

जायसवाल, श्री जवाहर लाल (चन्दौली)

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद (वाराणसी)

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस (इडुक्की)

जालप्पा, श्री आर.एल. (चिकबलपुर)

जावमा, श्री वनलाल (मिजोरम)

जावीया, श्री जी.जे. (पोरबंदर)

जाहेदी, श्री महबूब (कटवा)

जीगाजीनागी, श्री रमेश सी. (चिक्कोडी)

जैन, श्री पुष्प (पाली)

जोशी, डा. मुरली मनोहर (इलाहाबाद)

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

जोस, श्री ए.सी. (त्रिचूर)

झ

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठ

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी. (वडोदरा)

ठाकुर, डा. सी.पी. (पटना)

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई (भंडारा)

ठाकुर, श्री रामशेठ (कुलाबा)

ड

डिसूजा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

डूडी, श्री रामेश्वर (बीकानेर)

डोम, डा. राम चन्द्र (बीरभूम)

ढ

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

त

तिरुनावुकरसर, श्री सु (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तिवारी, श्री सुन्दर लाल (रीवा)

तुड्, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

थ

थामस, श्री पी.सी. (मुवत्तुपुजा)

द

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्त, श्री त्रिभुवन (अकबरपुर)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दलित इजिलमलाई, श्री (तिरुचिरापल्ली)

दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)

दास, श्री नेपाल चन्द्र (करीमगंज)

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन (रायगंज)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिनाकरन, श्री टी.टी.वी. (पेरियाकुलम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दीपक कुमार, श्री (उन्नाव)

दुराई, श्री एम. (वन्डावासी)

दूलो, श्री शमशेर सिंह (रोपड़)

देलकर, श्री मोहन एस. (दादरा और नागर हवेली)

देव, श्री विक्रम केशरी (कालाहांडी)

देव, श्री संतोष मोहन (सिल्चर)

देवगौडा, श्री एच.डी. (कनकपुरा)

देवी, श्रीमती कैलाशो (कुरूक्षेत्र)

न

नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)

नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)

नाईक, श्री श्रीपाद येसो (पणजी)

नागमणि, श्री (चतरा)

नायक, श्री अनन्त (क्योंझर)

नायक, श्री अली मोहम्मद (अनंतनाग)

नायक, श्री ए. वेंकटेश (रायचूर)

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)

नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)

प

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी (आस्का)

पटवा, श्री सुन्दर लाल (होशंगाबाद)

पटेल, डा. अशोक (फतेहपुर)

पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी (खरगौन)

पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई (दमन और दीव)

पटेल, श्री दिन्शा (कैरा)

पटेल, श्री दीपक (आनंद)

पटेल, श्री धर्म राज सिंह (फूलपुर)

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (बालाघाट)

पटेल, श्री मानसिंह (मांडवी)

पण्डा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा (काकीनाड़ा)

परस्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)

परांजपे, श्री प्रकाश (ठाणे)

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस. (तंजावूर)

पवार, श्री शरद (बारामती)

पवैया, श्री जयभान सिंह (ग्वालियर)

पांजा, डा. रंजीत कुमार (बारासाट)

पांजा, श्री अजित कुमार (कलकत्ता उत्तर पूर्व)

पांडियन, श्री पी.एच. (तिरुनेलवेली)

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)

पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव (बेलगाम)

पाटिल, श्री आर.एस. (बागलकोट)

पाटिल (यत्नाल), श्री बसन्गौडा रामनगौड (बीजापुर)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के. (इरन्दोल)

पाटील, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड (बीड)

पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)

पाटील, श्री प्रकाश वी. (सांगली)

पाटील, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटील, श्री भास्करराव (नांदेड़)

पाटील, श्री लक्ष्मणराव (सतारा)

पाटील, श्री शिवराज वि. (लातूर)

पाटील, श्री श्रीनिवास (कराड़)

पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण (मंदसौर)

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)

पायलट, श्रीमती रमा (दौसा)

पार्थसारथी, श्री बी.के. (हिन्दुपुर)

पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, डा. संजय (नवादा)

पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)

पासवान, श्री रामचन्द्र (रोसेड़ा)

पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)

पासी, श्री राजनारायण (बांसगांव)

पासी, श्री सुरेश (चायल)

पुगलिया, श्री नरेश (चन्द्रपुर)

पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)

पोन्नुस्वामी, श्री ई. (चिदंबरम)

प्रधान, डा. देवेन्द्र (देवगढ़)

प्रधान, श्री अशोक (खुर्जा)

प्रभु, श्री सुरेश (राजापुर)

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर. (मथुरापुर)

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास (चामराजनगर)

प्रेमाजम, प्रो. ए.के. (बडागरा)

फ

फर्नान्डीज, श्री जार्ज (नालन्दा)

फारूक, श्री एम.ओ.एच. (पांडिचेरी)

ब

बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

बंसल, श्री पवन कुमार (चंडीगढ़)

बखला, श्री जोवाकिम (अलीपुरद्वारस)

बघेल, प्रो. एस.पी. सिंह (जलेसर)

"बचदा", श्री बची सिंह रावत (अल्मोड़ा)

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा)

बनर्जी, कुमारी ममता (कलकत्ता दक्षिण)

बनातवाला, श्री जी.एम. (पोन्नानी)

बब्बन राजभर, श्री (सलेमपुर)

बब्बर, श्री राज (आगरा)

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह (हिसार)

बराड़, श्री जे.एस. (फरीदकोट)

बर्मन, श्री रनेन (बलूरघाट)

बलिराम, डा. (लालगंज)

बसवनागौड, श्री कोलुर (बेल्लारी)

बसवराज, श्री जी.एस. (तुमकुर)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बालू, श्री टी.आर. (मद्रास दक्षिण)

बिन्द, श्री रामरती (मिर्जापुर)

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह (जोधपुर)

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन (नवद्वीप)

बुन्देला, श्री सुजानसिंह (झांसी)

बेगम नूर बानो (रामपुर)

बेहरा, श्री पद्मनाव (फूलबनी)

बैंदा, श्री रामचन्द्र (फरीदाबाद)

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री (जबलपुर)

बैस, श्री रमेश (रायपुर)

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)

बोचा, श्री सत्यनारायण (बोब्बिली)

बोस, श्रीमती कृष्णा (जादवपुर)

बौरी, श्रीमती संध्या (विष्णुपुर)

ब्रह्मनैया, श्री ए. (मछलीपटनम)

भ

भगत, प्रो. दुखा (लोहरदगा)

भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसवाड़ा)

भडाना, श्री अवतार सिंह (मेरठ)

भाटिया, श्री आर.एल. (अमृतसर)

भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)

भूरिया, श्री कांतिलाल (झाबुआ)

भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द (मुंगेर)

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)

मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)

मकवाना, श्री सवशीभाई (सुरेन्द्रनगर)

मलयसामी, श्री के. (रामनाथपुरम)

मलिक, श्री जगन्नाथ (जाजपुर)

मल्याला, श्री राजैया (सिद्दीपेट)

मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी. (दावणगेरे)

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार (दक्षिण दिल्ली)

महंत, डा. चरणदास (जांजगीर)

महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)

महतो, श्री बीर सिंह (पुरुलिया)

महतो, श्रीमती आभा (जमशेदपुर)

महरिया, श्री सुभाष (सीकर)

महाजन, श्री वाई.जी. (जलगांव)

महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर (मालेगांव)

मांझी, श्री रामजी (गया)

माझी, श्री परसुराम (नवरंगपुर)

मान, श्री जोरा सिंह (फिरोजपुर)

मान, सरदार सिमरनजीत सिंह (संगरूर)

माने, श्री शिवाजी (हिंगोली)

माने, श्रीमती निवेदिता (इचलकरांजी)

मारन, श्री मुरासोली (मद्रास मध्य)

मिश्र, श्री राम नगीना (पडरौना)

मिश्र, श्री श्याम बिहारी (बिल्हौर)

मिस्त्री, श्री मधुसूदन (साबरकांठा)

मीणा, श्री भेरूलाल (सलूम्बर)

मीणा, श्रीमती जस कौर (सवाई माधोपुर)

मुखर्जी, श्री सत्यव्रत (कृष्णनगर)

मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)

मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)

मुनि लाल, श्री (सासाराम)

मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)

मुरलीधरन, श्री के. (कालीकट)

मुरुगेसन, श्री एस. (तेनकासी)

मुर्मू, श्री रूपचन्द (झाड़ग्राम)

मुर्मू, श्री सालखन (मयूरभंज)

मूर्ति, श्री ए.के. (चेंगलपट्टू)

मूर्ति, डा. एम.वी.वी.एस. (विशाखापत्तनम)

मेघवाल, श्री कैलाश (टॉक)

मेहता, श्रीमती जयवंती (मुम्बई दक्षिण)

मोल्लाह, श्री हन्नान (उलूबेरिया)

मोहन, श्री पी. (मदुरै)

मोहले, श्री पुन्नू लाल (बिलासपुर)

मोहिते, श्री सुबोध (रामटेक)

मोहोल, श्री अशोक ना. (खेड़)

य

यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा (महेन्द्रगढ़)

यादव, डा. जसवंतसिंह (अलवर)

यादव, श्री दिनेश चन्द्र (सहरसा)

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)

यादव, श्री देवेन्द्र सिंह (एटा)

यादव, श्री बलराम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री भालचन्द्र (खलीलाबाद)

यादव, श्री मुलायम सिंह (सम्भल)

यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)

यादव, श्री शरद (मधेपुरा)

यादव, श्री हुकमदेव नारायण (मधुबनी)

येरननायडू, श्री के. (श्रीकाकुलम)

र

रंगपी, डा. जयन्त (स्वशासी जिला असम)

रमैया, डा. बी.बी. (एलूरू)

रवि, श्री शीशराम सिंह (बिजनौर)

राजवंशी, श्री माधव (मंगलदोई)

राजा, श्री ए. (पैरम्बलूर)

राजूखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)

राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, श्री (पूर्णिया)

राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)

राणा, श्री काशीराम (सूरत)

राणा, श्री राजू (भावनगर)

राधाकृष्णन, श्री वरकला (चिरायिंकिल)

राधाकृष्णन, श्री सी.पी. (कोयम्बटूर)

राधाकृष्णन, श्री पोन (नागरकोइल)

राम सजीवन, श्री (बांदा)

राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)

रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन. (टिंडिवनाम)

रामशकल, श्री (राबर्टसगंज)

रामुलू, श्री एच.जी. (कोप्पल)

रामैया, श्री गुनीपाटी (राजमपेट)

राय, श्री नवल किशोर (सीतामढ़ी)

राय, श्री विष्णु पद (अंदमान और निकोबार द्वीप)

राय, श्री सुबोध (भागलपुर)

राय प्रधान, श्री अमर (कूचबिहार)

राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण (राजामुन्दरी)

राव, श्री गंता श्रीनिवास (अनकापल्ली)

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर (पार्वतीपुरम)

राव, श्री वाई.वी. (गुंटूर)

राव, श्री सीएच. विद्यासागर (करीमनगर)

राव, श्रीमती प्रभा (वर्धा)

रावत, प्रो. रासासिंह (अजमेर)

रावत, श्री प्रदीप (पुणे)

रावत, श्री रामसागर (बाराबंकी)

रावले, श्री मोहन (मुम्बई दक्षिण मध्य)

राष्ट्रपाल, श्री प्रवीण (पाटन)

रिजवान जहीर, श्री (बलरामपुर)

रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)

रूडी, श्री राजीव प्रताप (छपरा)

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन (नरसारावपेट)

रेड्डी, श्री एन.आर.के. (चित्तूर)

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर (नालगोंडा)

रेड्डी, श्री चाडा सुरेश (हनमकोण्डा)

रेड्डी, श्री जी. गंगा (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री बी.वी.एन. (नांदयाल)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द (कुडप्पा)

रेनु कुमारी, श्रीमती (खगड़िया)

ल

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस.पी. (दार्जिलिंग)

व

वंग्चा, श्री राजकुमार (अरुणाचल पूर्व)

वनगा, श्री चिंतामन (दहानू)

वर्मा, डा. साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली)

वर्मा, प्रो. रीता (धनबाद)

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (कैसरगंज)

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राममूर्ती सिंह (शाहजहांपुर)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)

वाघेला, श्री शंकर सिंह (कपड़वंज)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (लखनऊ)

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)

विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)

विजया कुमारी, श्रीमती जी. (अमालापुरम)

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम. (भद्राचलम)

वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)

वीरेन्द्र कुमार, श्री (सागर)

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा (नेल्लौर)

वेंकटस्वामी, डा. एन. (तिरुपति)

वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी (तेनाली)

वेंकटेस्वरलु, श्री बी. (वारंगल)

वेणुगोपाल, डा. एस. (आदिलाबाद)

वेणुगोपाल, श्री डी. (तिरुपत्तूर)

वेत्रिसेलवन, श्री वी. (कृष्णागिरि)

वैको, श्री (शिवकाशी)

व्यास, डा. गिरिजा (उदयपुर)

श

शर्मा, कैप्टन सतीश (रायबरेली)

शशि कुमार, श्री (चित्रदुर्ग)

शहाबुद्दीन, मोहम्मद (सिवान)

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम (शिमला)

शाक्य, श्री रघुराज सिंह (इटावा)

शान्ता कुमार, श्री (कांगड़ा)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद (बारामूला)

शिंदे, श्री सुशील कुमार (शोलापुर)

शिवकुमार, श्री वी.एस. (तिरुअनन्तपुरम)

शुक्ल, श्री श्यामाचरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई. (बदायूं)

श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी. (चिकमंगलूर)

श्रीनिवासन, श्री सी. (डिंडीगुल)

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा (अनन्तपुर)

ष

षणमुगम, श्री एन.टी. (वेल्लौर)

स

संकेश्वर, श्री विजय (धारवाड़ उत्तर)

संखवार, श्री प्यारे लाल (घाटमपुर)

संगमा, श्री पूर्णो ए. (तुरा)

संघाणी, श्री दिलीप (अमरेली)

सईद, श्री पी.एम. (लक्षद्वीप)

सईदुज्जमा, श्री (मुजफ्फरनगर)

सनदी, प्रो. आई.जी. (धारवाड़ दक्षिण)

सर, श्री निखिलानन्द (बर्दवान)

सरकार, डा. बिक्रम (पंसकुरा)

सरडगी, श्री इकबाल अहमद (गुलबर्गा)

सरोज, श्री तूफानी (सैदपुर)

सरोज, श्रीमती सुशीला (मिसरिख)

सरोजा, डा. वी. (रासीपुरम)

सांगतम, श्री के.ए. (नागालैंड)

सांगवान, श्री किशन सिंह (सोनीपत)

साथी, श्री हरपाल सिंह (हरिद्वार)

सामन्तराय, श्री प्रभात (केन्द्रपाड़ा)

साय, श्री विष्णुदेव (रायगढ़)

साहू, श्री अनादि (बरहामपुर, उड़ीसा)

साहू, श्री ताराचन्द (दुर्ग)

सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य मा. (गुना)

सिंह, कुंवर अखिलेश (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश)

सिंह, कुंवर सर्वराज (आंवला)

सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र (रोहतक)

सिंह, चौधरी तेजवीर (मथुरा)

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)

सिंह, डा. रमण (राजनांदगांव)

सिंह, डा. रामलखन (भिण्ड)

सिंह, श्री अजित (बागपत)

सिंह, श्री खेलसाय (सरगुजा)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप (सिधी)

सिंह, श्री चन्द्र भूषण (फरूखाबाद)

सिंह, श्री चन्द्र विजय (मुरादाबाद)

सिंह, श्री चन्द्रनाथ (मछलीशहर)

सिंह, श्री चरनजीत (होशियारपुर)

सिंह, श्री छत्रपाल (बुलन्दशहर)

सिंह, श्री जयभद्र (सुल्तानपुर)

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद (कोडरमा)

सिंह, श्री टीएच. चाओबा (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री दिग्विजय (बांका)

सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज, बिहार)

सिंह, श्री बलबीर (जालन्धर)

सिंह, श्री बहादुर (बयाना)

सिंह, श्री बृज भूषण शरण (गोंडा)

सिंह, श्री महेश्वर (मंडी)

सिंह, श्री राजो (बेगुसराय)

सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)

सिंह, श्री राम प्रसाद (आरा)

सिंह, श्री रामजीवन (बलिया, बिहार)

सिंह, श्री रामपाल (डुमरियागंज)

सिंह, श्री रामानन्द (सतना)

सिंह, श्री लक्ष्मण (राजगढ़)

सिंह, श्री विश्वेन्द्र (भरतपुर)

सिंह, श्रीमती कान्ति (बिक्रमगंज)

सिंह, श्रीमती राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)

सिंह, श्रीमती श्यामा (औरंगाबाद, बिहार)

सिंह, सरदार बूटा (जालौर)

सिंह देव, श्री के.पी. (ढेंकानाल)

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी (बोलनगीर)

सिकदर, श्री तपन (दमदम)

सिन्हा, श्री मनोज (गाजीपुर)

सिन्हा, श्री यशवन्त (हजारीबाग)

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती) (पेद्दापल्ली)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम. (शिवगंगा)

सुधीरन, श्री वी.एम. (अलेप्पी)

सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)

सुब्बा, श्री एम.के. (तेजपुर)

सुमन, श्री रामजीलाल (फिरोजाबाद)

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण (तामलुक)

सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)

सेन, श्रीमती मिनाती (जलपाईगुड़ी)

सेनगुप्ता, डा. नीतिश (कोन्टाई)

सेल्वागनपति, श्री टी.एम. (सेलम)

सोमैया, श्री किरीट (मुम्बई उत्तर पूर्व)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

सोरेन, श्री शिबु (दुमका)

सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह (गोधरा)

स्वाइं, श्री खारबेल (बालासोर)

स्वामी, श्री ईश्वर दयाल (करनाल)

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द (जौनपुर)

ह

हंसदा, श्री थामस (राजमहल)

हक, मोहम्मद अनवारूल (शिवहर)

हमीद, श्री अब्दुल (धूबरी)

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

हुसैन, चौ. तालिब (जम्मू)

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (किशनगंज)

हौकिप, श्री होलखोमांग (बाह्य मणिपुर)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री मनोहर जोशी

उपाध्यक्ष

श्री पी०एम० सईद

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री पी०एच० पांडियन

श्री श्रीनिवास पाटील

डा० रघुंवश प्रसाद सिंह

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

श्री के० येरननायडू

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

भारत सरकार

मंत्रिपरिषद

मंत्रिमंडल के सदस्य

श्री अटल बिहारी वाजपेयी	प्रधानमंत्री तथा ऐसे मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी जिनका प्रभार विशिष्ट तौर पर किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किया गया है अर्थात्: (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (2) योजना मंत्रालय (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (4) परमाणु ऊर्जा विभाग (5) अंतरिक्ष विभाग
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी
श्री अनन्त कुमार	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री
श्री टी०आर० बालू	पर्यावरण और वन मंत्री
श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा	रसायन और उर्वरक मंत्री
श्री जार्ज फर्नान्डीज	रक्षा मंत्री
श्री अनन्त गंगाराम गीते	विद्युत मंत्री
श्री वेद प्रकाश गोयल	पोत परिवहन मंत्री
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	नागर विमानन मंत्री
श्री जगमोहन	पर्यटन और संस्कृति मंत्री
डा० सत्यनारायण जटिया	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
डा० मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री
श्री के० जना कृष्णामूर्ति	विधि और न्याय मंत्री
श्री प्रमोद महाजन	संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
श्री मुरासोली मारन	निर्विभाग मंत्री
श्री कड़िया मुण्डा	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
श्री राम नाईक	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
श्री नीतिश कुमार	रेल मंत्री
श्री जुएल उराम	जनजातीय कार्य मंत्री
श्री बालासाहिब विखे पाटील	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
श्री काशीराम राणा	वस्त्र मंत्री
श्री अर्जुनचरण सेठी	जल संसाधन मंत्री
श्री शांता कुमार	ग्रामीण विकास मंत्री
श्री अरुण शौरी	विनिवेश मंत्री, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री
श्री अजित सिंह	कृषि मंत्री
श्री जसवंत सिंह	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्री
श्री शत्रुघ्न सिन्हा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
श्री यशवंत सिन्हा	विदेश मंत्री
श्रीमती सुषमा स्वराज	सूचना और प्रसारण मंत्री
कुमारी उमा भारती	कोयला और खान मंत्री
डा० साहिब सिंह वर्मा	श्रम मंत्री
श्री विक्रम वर्मा	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री
श्री शरद यादव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री एम० कन्नप्पन	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्रीमती वसुन्धरा राजे	लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री

श्री एन०टी० षणमुगम	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी	इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रमेश बैस	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री निखिल कुमार चौधरी	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बंडारू दत्तात्रेय	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री संतोष कुमार गंगवार	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विजय गोयल	प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो० चमन लाल गुप्त	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० वल्लभ भाई कथीरिया	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री विनोद खन्ना	पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री कृष्णमराजू	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती सुमित्रा महाजन	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुभाष महरिया	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती जयवंती मेहता	विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सत्यव्रत मुखर्जी	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए०के० मूर्ति	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री श्रीपाद येसो नाईक	नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री उमर अब्दुल्ला	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० संजय पासवान	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरिन पाठक	रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल)	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अशोक प्रधान	श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री रवि शंकर प्रसाद	कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पोन राधाकृष्णन	युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए० राजा	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ओ० राजगोपाल	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री
डा० रमण सिंह	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जिन्जी एन० रामचन्द्रन	वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सीएच० विद्यासागर राव	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री
श्री राजीव प्रताप रूडी	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री तपन सिकदर	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिग्विजय सिंह	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सु० तिरूनावुकरसर	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो० रीता वर्मा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हुक्मदेव नारायण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

सोमवार, 18 नवम्बर, 2002/27 कार्तिक, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ जाइये। अभी नये मंत्रियों का परिचय कराया जाएगा। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से विनती करता हूं कि वे परिचय कराएं।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[हिन्दी]

मंत्रियों का परिचय

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन से मंत्रिपरिषद में शामिल किए गये अपने सहयोगियों का परिचय कराता हूं :-

श्री अनन्त गंगाराम गीते–विद्युत मंत्री

श्री विक्रम वर्मा–युवक मामले और खेल मंत्री

राज्य मंत्री

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल–वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, हम आज लगभग तीन माह के अंतराल के बाद मिले हैं। मुझे सभा को अपने पांच पूर्व सहयोगियों यथा श्री समर गुहा, श्री चितुरी सुब्बाराव चौधरी, प्रो० सुशांत चक्रवर्ती, श्री नन्दकिशोर शर्मा और श्री के० रामामूर्ति के दु:खद निधन की सूचना देती है।

श्री समर गुहा पश्चिमी बंगाल के कोंटई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 से 1979 तक चौथी से छठी लोक सभा के सदस्य थे।

श्री गुहा वर्ष 1967-1968 तथा 1977-1978 तक कार्य मंत्रणा समिति, 1971 से 1974 तक अधीनस्थ विज्ञान संबंधी समिति, वर्ष 1977 से 1979 तक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य तथा वर्ष 1977 से 1979 तक विशेषाधिकार समिति के सभापति रहे।

वह वर्ष 1967 से 1969 तक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, वर्ष 1970 से 1972 तक पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 के तहत गठित परामर्शदात्री समिति, वर्ष 1973-74 के दौरान उड़ीसा राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1973 के तहत गठित परामर्शदात्री समिति और वर्ष 1977 से 1979 तक विश्व भारती संसद (कोर्ट) के भी सदस्य थे।

श्री गुहा एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निकट सहयोगी थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण उन्हें कई अवसरों पर अनेक वर्षों के लिए जेल जाना पड़ा। श्री गुहा हमारे देश के एक अग्रणी समाजवादी थे और उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विचारों से प्रेरणा प्राप्त की।

श्री गुहा ने बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री गुहा ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को उचित सम्मान दिलाने तथा उन्हें पेंशन एवं अन्य सुविधायें दिलवाने के लिए अत्यधिक संघर्ष किया। वह अनेक सामाजिक संगठनों, शरणार्थी राहत संगठनों और सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा युवा संगठनों से भी सक्रिय रूप से सम्बद्ध थे।

श्री गुहा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे और उन्होंने विजयगढ़ ज्योतिष कालेज और जादवपुर विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया। उन्होंने कोयला डिस्टीलेशन पर भी अनुसंधान किया।

श्री गुहा का अणु विज्ञान, भारतीय दर्शन शास्त्र, धर्म और संस्कृति, सामाजिक सिद्धान्तों, भारत की रक्षा संबंधी समस्याओं और बांग्लादेश की समस्याओं के प्रति भी विशेष रूझान था।

उन्होंने बंगला और अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने स्कूल और कालेजों के लिए सामान्य रसायन शास्त्र की पुस्तकें भी लिखीं।

श्री समर गुहा का निधन 17 जून, 2002 को कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में लम्बी बीमारी के बाद 85 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री चित्तुरी सुब्बाराव चौधरी 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के एलुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वह वर्ष 1960 से 1972 तक आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। वह वर्ष 1970 से 1972 तक लोक लेखा समिति, हिन्दू धर्म और धर्मार्थ विन्यास विधेयक संबंधी प्रवर समिति तथा आन्ध्र प्रदेश जिला परिषद एवं पंचायत समिति विधेयक के सदस्य रहे।

उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में छात्र नेता के रूप में सक्रिय भाग लिया।

श्री चौधरी ने आन्ध्र प्रदेश के तानुकू में विकास संबंधी विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी की।

श्री चौधरी कृषक परिवार से थे और साथ ही एक खेल प्रेमी भी थे। वह आन्ध्र प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे।

वे वर्ष 1962 में मास्को में आयोजित प्रथम विश्व शांति सम्मलेन में गए शिष्टमंडल के सदस्य थे। वर्ष 1962 में अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंधी समिति के सदस्य के रूप में उनका चयन किया गया।

श्री चित्तुरी सुब्बाराव चौधरी का निधन 7 अगस्त, 2002 को हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में 81 वर्ष की आयु में हुआ।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती वर्ष 1989 से 1996 तक नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

उन्होंने पश्चिमी बंगाल के हावड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह वर्ष 1990 के दौरान उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, वर्ष 1991 से 1996 तक लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति, 1993 से 1996 तक वित्त संबंधी समिति तथा वर्ष 1995 से 1996 के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

प्रो० चक्रवर्ती व्यवसाय से अध्यापक और शिक्षाविद थे। उन्होंने अशिक्षित किसानों के लिए रात्रि स्कूलों को चलाने, विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल और कालेजों को खोलने में अहम भूमिका निभाई। वह कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य थे। उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न पदों पर भी कार्य किया।

एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता, प्रो० चक्रवर्ती ने ग्राम पुनर्निर्माण आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1978 में पश्चिमी बंगाल में बाढ़ राहत कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई।

खेलों में भी प्रो० चक्रवर्ती जी की विशेष रुचि थी। वह अनेक स्पोर्ट्स क्लबों के सदस्य भी थे।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती का निधन 9 सितम्बर, 2002 को हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की रफीगंज, बिहार में हुई दुर्घटना में 62 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे।

उन्होंने मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

वह वर्ष 1984-85 के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति तथा सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति और वर्ष 1987-88 तथा 1989-90 के दौरान कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य रहे।

इससे पहले श्री शर्मा वर्ष 1956 से 1980 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे। वर्ष 1969-70 के दौरान उन्होंने राज्य सरकार में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में सक्षम रूप से कार्य किया।

श्री शर्मा एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन गांधीवादी आदर्शों के संवर्धन के प्रति समर्पित किया।

श्री शर्मा खेल प्रेमी भी थे और वह मध्य प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन तथा मध्य प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के प्रेजीडेंट भी रहे।

श्री नन्द किशोर शर्मा का निधन 21 सितम्बर, 2002 को जबलपुर, मध्य प्रदेश में 78 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के० रामामूर्ति 1977 से 1996 तक छठी लोक सभा से दसवीं लोक सभा तक और 1998-99 के दौरान बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने तमिलनाडु के धर्मपुरी, कृष्णागिरी और सेलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री के० रामामूर्ति केन्द्रीय मंत्रिमंडल में 1991 के दौरान श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 1998-99 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे।

वह 1985 से 1987 के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति थे।

वह 1977 से 1979 के दौरान सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, 1977 से 1979 तक कार्य मंत्रणा समिति, 1980-81 के दौरान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, 1985-86 के दौरान सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, 1987-88 के दौरान लोक लेखा समिति, 1990-92 के दौरान विशेषाधिकार समिति, 1990 से 1994 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम और 1995-96 के दौरान उद्योग संबंधी समिति के सदस्य थे।

वह 1977 से 79, 1980-81, 1984 से 1986 के दौरान श्रम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, 1988-89 के दौरान तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत गठित परामर्शदात्री समिति, 1990-91 के दौरान श्रम और कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे।

श्री रामामूर्ति एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह विभिन्न मजदूर संघों और कामगार संगठनों से सम्बद्ध थे। वह ''इंटक'', तमिलनाडु के मानद अध्यक्ष थे। वह 1983 से 1988 तक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और 1978 से 1982 तक तथा पुन: 1988 से 1999 तक दिल्ली तमिल शिक्षा संघ के अध्यक्ष रहे। 1974 से उन्होंने इंटक तमिलनाडु के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह 1987 से 1994 तक बागान, कृषि और सम्बद्ध श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय संघ, जेनेवा तथा खाद्य और कृषि संबंधी अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ के कृषि श्रमिक मजदूर ग्रुप से जुड़े हुए थे। वह न्यूजप्रिंट परामर्शदात्री निगम के भी सदस्य थे।

श्री राममूर्ति ने ''इंदिरा गांधी और नैम'' और ''इन्डो सोवियत फिनोमिनन: कंट्रीब्यूशन ऑफ राजीव गांधी'' नामक दो पुस्तकें लिखीं।

श्री रामामूर्ति ने कई देशों का भ्रमण किया। वह 1974 में एडिनबर्ग में आयोजित सम्मेलन में गए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (इंटक) के शिष्टमंडल के सदस्य थे। उन्होंने 1980, 1981 और 1987 में जेनेवा में आयोजित आई.एल.ओ. सम्मेलन में भी ''इंटक'' के सदस्य के रूप में भाग लिया। वह 1982 में जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित आई. एल.ओ. क्षेत्रीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्ष अध्ययन संस्थान की ओर से इंडोनेशिया में जकार्ता और कोलम्बिया में कर्थाकिना में आयोजित गुटनिरपेक्ष सम्मेलनों में भाग लिया। उन्हें न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वर्ण जयन्ती समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित भी किया गया था।

श्री रामामूर्ति ने दलितों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत बनाने के लिए कार्य किया। उन्होंने गरीबों के उत्थान, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों और समाज के दलित वर्गों तथा औद्योगिक कामगारों के उत्थान के लिए अथक कार्य किए।

श्री के० रामामूर्ति का निधन 27 अक्तूबर, 2002 को कुछ समय बीमार रहने के पश्चात् चेन्नई तमिलनाडु में 62 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि 9 सितम्बर, 2002 को बिहार में रफीगंज में धावा पुल पर हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 107 व्यक्ति मारे गये और अनेक व्यक्ति घायल हुए।

एक दूसरी घटना में 24 सितम्बर, 2002 को गांधीनगर, गुजरात में अक्षरधाम मन्दिर परिसर में आतंकवादियों द्वारा चलाई गई अंधाधुंध गोलियों से 28 निर्दोष भक्तगण मारे गए और अनेक घायल हो गए।

माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि पिछले महीने 23 अक्तूबर, 2002 को आतंकवाद की एक और कायरतापूर्ण और बर्बर घटना घटी, जिसमें सशस्त्र आतंकवादियों ने मास्को में एक थियेटर में सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया। भारत सरकार रूस की सरकार और जनता के प्रति सहानुभूति और एकजुटता प्रकट करती है क्योंकि रूस के साथ हमारे निकट, मधुर और दीर्घकालिक संबंध हैं। हमारी सरकार इस आतंकवादी घटना की कड़ी निन्दा करती है। हमने इस बात पर राहत महसूस की कि सैकड़ों व्यक्तियों की जान बच गई। भारत की जनता, जिनका यह सभा प्रतिनिधित्व करती है, की ओर से हम इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करते हैं। हम अपने रूसी भाइयों और बहनों तथा रूसी संघ के सहयोगी सांसदों को यह सन्देश देना चाहते हैं कि यह सभा, जिसे पिछले वर्ष दिसम्बर में आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा था, इस दुख की घड़ी में आतंकवाद को समाप्त करने संबंधी उनके संकल्प में भी उनके साथ है।

भारत आतंकवाद के सभी कृत्यों, चाहे वह कहीं भी हों और उनका उद्देश्य कोई भी हो, की घोर निन्दा करता है। आतंकवाद को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है और जिस भी रूप में यह जहां भी है, निश्चित रूप से उसकी निन्दा की जानी चाहिए। हम उनकी भी घोर निन्दा करते हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं अथवा आतंकवादियों को पैसा, प्रशिक्षण और पनाह देते हैं अथवा उनकी सहायता करते हैं। भारत और रूस, दोनों विश्वव्यापी आतंकवादी के शिकार रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री और रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा गत वर्ष मास्को में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी मास्को घोषणा पर

हस्ताक्षर, किसी भी रूप में प्रचलित आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करता है। मास्को में आतंकवाद की इस भयावह घटना से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सन्देश जाता है कि विश्वव्यापी स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला केवल विश्वव्यापी स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला केवल विश्वव्यापी एकजुटता, व्यापक, दृढ़संकल्प, सतत् तथा दीर्घावधिक प्रयासों द्वारा ही किया जा सकता है।

हम इन दुर्घटनाओं में निर्दोष व्यक्तियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और हिंसा और आतंकवाद के इन जघन्य कृत्यों की भी निन्दा करते हैं।

सभा इन दुर्घटनाओं पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो दुर्दान्त अपराधी थे, जिन लोगों को बच्चों के अपहरण के मामले में बर्खास्त किया गया था, गिरफ्तार किया गया था. . .*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये आप लोगों में से कोई भी एक आदमी खड़ा रहेगा, एक माननीय सदस्य खड़े रहेंगे तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। मुलायम सिंह जी आप बोलिये। बाकी लोग बैठ जाएं। प्लीज आप बैठिये।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर) : झज्जर में जो दलितों की हत्याएं हुई, आपने उनका जिक्र नहीं किया। आपने रशिया का जिक्र कर दिया। झज्जर का कांड आपको याद नहीं आया। यह बड़े अफसोस की बात है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, झज्जर में दलितों की जो हत्याएं हुई हैं उन पर भी चर्चा कराई जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठिये, अभी श्री मुलायम सिंह जी खड़े हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हमें आपसे निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया है, वह गंभीर और संवैधानिक संकट का सवाल है। वहां राज्यपाल जी का आचरण पूर्णतः संविधान विरोधी हो गया है। उसका कारण यह है कि राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के मतदाता और उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं तथा उत्तर प्रदेश से ही राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और उत्तर प्रदेश में ही उनकी राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की गई है। सारी की सारी परम्पराएं तोड़कर, संविधान को अंगूठा दिखाकर, यह सारा काम केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है और उसी का नतीजा है कि संविधान के अंतर्गत जो हमारी परम्पराएं और नैतिकताएं हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, राज्यपाल जी का एक ऐसा पद संवैधानिक है कि उन्हें दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जी, एक दल विशेष और भाजपा और बी०एस०पी० गठबन्धन की जो सरकार वहां चल रही हैं, पूरी तरह से उसके प्रवक्ता हैं। एक तरफ तो गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी हैं...*(व्यवधान)*

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, क्या हम सभा में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कर सकते हैं?...*(व्यवधान)* हम इस सभा में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कैसे कर सकते है? ...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : हम माननीय उपप्रधान मंत्री जी का आदर करते हैं कि उन्होंने एक सच्चाई देश के सामने रखी है। उन्होंने जरूर कहा कि हमारी पार्टी पर संकट है। इनको भी बुरे दिन देखने पड़ेंगे। जो हालत उ०प्र० में आज है, उससे हम चिन्तित हैं। दूसरी तरफ एक भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने नहीं कहा कि सरकार खतरे में नहीं है, और न ही यह कहा कि अल्पमत में है, जबकि राज्यपाल जी कहते हैं कि बहुमत में वहां की सरकार है— सरकार के साथ 210 सदस्य हैं। आज वहां संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। उनमें से 12 विधायकों ने फिर समर्थन वापस ले लिया और अब 198 रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अल्पमत में है। जो वहां सरकार का विरोध कर रहे हैं, उन विधायकों को गुण्डे व माफिया कह कर जेल भेज रहे हैं। सरकार का समर्थन करने के लिए अधिकारियों को जेलों में भेजकर समर्थन प्राप्त करवा रहे हैं। आज यह स्थिति है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एडजर्नमेंट मोशन आपकी पार्टी की तरफ से आया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : वहां पर अलोकतांत्रिक सरकार है, अल्पमत में सरकार है। राज्यपाल जी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। इसलिए राज्यपाल को वहां से हटाया जाना चाहिए, वापस बुलाया जाना चाहिए और संविधान के अनुसार काम होना चाहिए। हम नहीं कहते कि सरकार बर्खास्त कर दो।...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि राज्यपाल जी जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, वह असंवैधानिक

और अलोकतांत्रिक है और इसलिए उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए तथा विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, आज इस सत्र का पहला दिन है। अन्य विपक्षी दलों सहित हमने राष्ट्रीय हित के जिन मुद्दों के संबंध में सूचना दी हैं उनके अलावा हमारी प्रतिष्ठित नेता और विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने भंयकर सूखे के कारण देश में उत्पन्न गंभीर स्थिति के मद्देनजर आज स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। हमारी पार्टी की ओर से हमारा यह विचार है कि पीड़ित मानवता को राष्ट्र और सरकार, विशेषकर केन्द्र सरकार के समर्थन की आवश्यकता है।

अत: अध्यक्ष महोदय, इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए परंतु यह आपके निर्णय और राय पर ही निर्भर है।

हम आपके माध्यम से पूरे सदन से यह भी कहना चाहेंगे कि इस सत्र में हमारे सामने आर्थिक मोर्चे, राजनैतिक मोर्चे और उच्चतम प्राधिकारियों द्वारा संविधान के उल्लंघन, चाहे यह संविधानेतर हो या अन्यथा हों, जैसे कई मामले भी हैं। लेकिन हमारे विचार से हमें पहले भयंकर सूखे के कारण देश के विभिन्न भागों के पीड़ित लोगों की ओर ध्यान देना चाहिए। तदनुसार हमारी प्रतिष्ठित नेता ने स्थगन प्रस्ताव हेतु यह सूचना दी है जो कि अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय पर निर्भर है।

मुझे आशा है कि आप हमारी सूचना पर समुचित रूप से ध्यान देंगे।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, जब हम मेरे आदरणीय साथी द्वारा उठाए गए मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मैंने गुजरात में न केवल कल की घटनाओं को देखते हुए अपितु संवैधानिक प्राधिकारियों पर हो रहे लगातार हमले और विपक्ष की नेता तथा अन्य विभिन्न लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर हुए आक्रमण को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है और मुझे विश्वास है कि गुजरात के घटनाक्रम से संबंधित गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने हेतु आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मित्रो, आज मुझे स्थगन प्रस्ताव की चार सूचनाएं मिली हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। वे देश में वर्तमान घटनाओं के चलते बहुत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित हैं। मेरा आज उनमें से एक को स्वीकार करने का विचार है।

अन्य स्थगन प्रस्तावों के संबंध में मैंने संज्ञान लिया है और मैं आवश्यकता पड़ने पर अपना निर्णय दूंगा।

मुझे स्थगन प्रस्ताव मिली की चार सूचनाएं मिली हैं। एक विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा देश में सूखे की स्थिति के संबंध में दी गई है।

दूसरी सूचना मुझे गुजरात के मुद्दे पर मिली है और यह श्री रामजीलाल सुमन, श्री प्रबोध पण्डा, श्री अजय चक्रवर्ती, श्री रूपचन्द पाल और श्री सुबोध राय ने दी है।

तीसरी सूचना डा० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा गुजरात में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में दी गई है।

चौथी सूचना उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन न करने और विधानसभा का सत्र न बुलाने के संबंध में है। यह सूचना श्री रामजीलाल सुमन और कुंवर अखिलेश सिंह द्वारा दी गई है।

मैं इन सभी मुद्दों पर किसी न किसी रूप में चर्चा करने की अनुमति देने पर विचार कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हं कि ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और उनपर इस प्रतिष्ठित सदन में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

अत:, आज मैं गुजरात के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकृति दे रहा हूं जो कि अन्य मुद्दों के समान ही महत्वपूर्ण है। सरकार को भी इस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से इस पर चर्चा करने के बाद इसे करूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर-प्रदेश की स्थिति से संबंधित एक मुद्दा उठाया है। मैं इस समय इस मुद्दे के गुणावगुण पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उनसे पूर्णतया असहमत हूं। विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया जी ने सूखे की स्थिति पर चर्चा करने की सूचना दी है। श्री रूपचन्द पाल और अन्य माननीय संसद सदस्यों ने गुजरात मुद्दे पर चर्चा करने की सूचनाएं दी हैं।

जहां तक सरकार का संबंध है, हम इन तीनों ही मुद्दों पर किसी भी नियम के अधीन जैसा भी आप निर्णय करें, किसी भी समय चर्चा करने हेतु तैयार हैं, हम इन तीनों मुद्दों का उत्तर देने की अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं। मेरे सामने केवल यह समस्या है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत हम इस सदन में इन तीनों ही मुद्दों पर एक के बाद एक चर्चा कर सकें। अत: मैं यह विपक्ष पर छोड़ता हूं कि वे इन तीनों मुद्दों में से चर्चा हेतु किसी को भी चुन सकते हैं और वे जो कहेंगे मैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद उसपर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : अत: मैं आज प्रश्न-काल के तुरंत बाद गुजरात के मुद्दे पर कार्य-स्थगन के मामले को स्वीकार कर रहा हूं। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह कह सकता है; अन्यथा इसे स्वीकार दी जाती है और प्रश्न-काल के तुरंत बाद हम गुजरात के मुद्दे पर चर्चा आरंभ कर सकते हैं।

जहां तक अन्य तीन मुद्दों का प्रश्न है हम उन्हें कार्य-मंत्रणा समिति में ले सकते हैं। और उन पर चर्चा हेतु तिथि और समय निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी।

अत: अब मैं प्रश्न-काल आरंभ करता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम तुरंत मिल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के दौरान हम मिलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश जल रहा है।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आप कौन सा इश्यू ले रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 12 बजे के बाद बताऊंगा कि क्या विषय है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नकाल ले रहे हैं। प्रथम प्रश्न श्री जावीया का है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कौन सा विषय है, यह बताइये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब चर्चा की शुरूआत होगी तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। थोड़े टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, पांच दलितों की जिस तरह हत्या हुई है।...*(व्यवधान)* इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानते हैं कि आपने जो फार्म दिया है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। यह स्पीकर का अधिकार है। वह सब चेंजेज करके मैं आपको दस-पन्द्रह मिनट में बताऊंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्नकाल समाप्त होने से पूर्व ही बता दूंगा।

अब, प्रश्नकाल शुरू करते है।

पूर्वाह्न 11.28 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरदार सरोवर परियोजना

***1. श्री जी०जे० जावीया : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्य सरकारों न सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण हेतु अपने हिस्से का भुगतान गुजरात सरकार को नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा अलग-अगल कुल कितनी धनराधि का भुगतान किया जाना बाकी है;

(ग) इस धनराशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से गुजरात सरकार को अपने-अपने हिस्से की धनराशि का भुगतान करने के लिए कहने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एन डब्ल्यू डी टी) पंचाट में दिये गए प्रावधानों के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा वास्तविक व्यय के आधार पर वर्ष के अंत में समायोजित की जाने वाली वर्ष की बजटीय राशि के आधार पर अपने लागत हिस्से का भुगतान अग्रिम

रूप में वार्षिक रूप से किया जाना अपेक्षित है। इसके पश्चात, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति (एस एस सी ए सी) में सभी पक्षकार राज्यों की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि राज्य बजटीय प्रावधानों के आधार पर वार्षिक आधार के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर अग्रिम रूप से भुगतान जारी करेंगे।

अगस्त, 2002 की समाप्ति पर 9735.25 करोड़ रुपए के कुल गैरविवादित योजना व्यय में से पक्षकार राज्य–मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र प्रत्येक का हिस्सा क्रमश: 1284.04 करोड़, 445.55 करोड़ और 608.24 करोड़ रुपए है। तीन पक्षकार राज्य - मध्य प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र ने क्रमश: 781.53 करोड़, 125.95 करोड़ और 478.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया है तथा सरदार सरोवर परियोजना की गैरविवादित लागत हिस्से से संबंधित इन राज्यों का बकाया हिस्सा निम्नानुसार है :-

मध्य प्रदेश	–	502.51 करोड़ रुपए
राजस्थान	–	319.60 करोड़ रुपए
महाराष्ट्र	–	129.80 करोड़ रुपए
कुल	–	951.91 करोड़ रुपए

राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना व्यय के गैरविवादित लागत हिस्से का भुगतान न करने का मुख्य कारण वित्तीय बाधा है। केन्द्र सरकार इस संबंध में उल्लेखनीय प्रयास कर रही है और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति (आर सी एन सी ए), मंत्रिमंडल सचिव की राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एन सी ए) आर सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति जैसे मंचों से पक्षकार राज्यों से गुजरात राज्य को हिस्सा लागत का भुगतान कर उनकी वित्तीय देयताओं को पूरा करने के लिए लगातार आग्रह कर रही है। इस मुद्दे पर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की 18.8.2001 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई पिछली बैठक और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति की 27.6.02 को हुई बैठक में भी विचार किया गया।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान गुजरात सरकार को 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

श्री जी०जे० जावीया : अध्यक्ष, महोदय, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों के सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण हेतु अपने हिस्से का भुगतान गुजरात सरकार को नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सरकारों ने यदि भुगतान किया है तो वह कितना किया है और यदि नहीं किया तो वह अभी तक क्यों बाकी है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैं अपने मुख्य उत्तर में पहले ही सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण हेतु अपने हिस्से का पैसा न देने वाले राज्यों से संबंधित स्थिति बता चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री जी०जे० जावीया : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकारों के जो फिगर्स मेरे पास हैं और वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमैंट के जो फिगर्स हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इनके मुताबिक तीनों राज्यों को 951 करोड़ रुपये देने थे, जबकि स्टेट गवर्नमैंट के मुताबिक 1999 करोड़ रुपये देना बाकी है। इसके बारे में मुझे आपसे जानकारी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, मैं माननीय संसद सदस्यों और सदन के सूचनार्थ एक बार पुन: विभिन्न राज्यों पर बकाया राशि पढ़कर सुना सकता हूं। मध्य प्रदेश पर 502.51 करोड़ रुपये; राजस्थान पर 319.60 करोड़ रुपये; महाराष्ट्र पर 129.80 करोड़ रुपये बकाया हैं। अत: इन तीनों राज्यों पर कुल 951.91 करोड़ रुपये बकाया हैं। माननीय संसद सदस्य द्वारा दिए गए आंकड़ों के संबंध में मैं उन्हें बता दूं कि यह सही और अविवादित आंकड़ा है।

जहां तक सरकार द्वारा इस बकाया राशि का इन राज्यों से गुजरात को भुगतान कराने का संबंध है, जिससे कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके, हम विभिन्न स्तरों पर इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हम विभिन्न मुख्यमंत्रियों से भी सम्पर्क में हैं जिससे कि वे आवश्यक धनराशि का भुगतान कर सकें। लेकिन हमारे प्रयास लगातार जारी हैं और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गुजरात राज्य के पक्ष में बकाया राशि का भुगतान समय पर हो।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, गुजरात के लोग वास्तव में परेशान हैं। यह परियोजना केन्द्र सरकार के रवैये और उदासीनता के कारण वर्षों से लटकी पड़ी है। यहां तक कि नहरों का निर्माण भी नहीं किया जा रहा है और पानी माही नदी से बह रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह नर्मदा का पानी है।

महोदय, मैं केवल यह स्मरण कराने हेतु खड़ा हुआ हूं कि गत चुनाव में उप-प्रधानमंत्री गांधी नगर से चुनाव लड़ रहे थे। उस समय गुजरात विश्वविद्यालय के मैदान में एक विशेष जनसभा में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि यदि हम सत्ता में आए तो हम सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। यह अभिलेख में है।

अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय को गुजरात के गांधी नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य होने के नाते उप-प्रधानमंत्री महोदय से सरदार सरोवर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है। यदि नहीं तो क्या सरकार सरदार सरोवर परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की इच्छुक है जिससे कि श्री जावीया द्वारा उठाए गए मुद्दे को हल किया जा सके।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, यह पूरे राष्ट्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। केन्द्र सरकार इसके लिए ए०आई०बी०पी० वित्त पोषण के तहत 2000 करोड़ रुपये पहले ही दे चुकी है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, हम पहले ही केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 2093.25 करोड़ रुपये दे चुके हैं। हम इसे एक बहुत महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व की परियोजना मानकर चल रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस संबंध में उप-प्रधानमंत्री से प्रस्ताव मिला है। मैं केवल इसका उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है और मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, यह सत्य है कि यह राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और हम इस परियोजना को इसी रूप में ले रहे हैं। हम केन्द्र सरकार की ओर से अत्यंत प्राथमिकता के आधार निधियां भी उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है, हम 2000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान पहले ही कर चुके हैं। मैं उनके प्रश्न के संबंध पर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जहां तक उप प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री का सवाल है, वे हमेशा इसकी समीक्षा करते रहे हैं तथा हमेशा हमें निदेश देते रहे हैं ताकि यह परियोजना समय पर पूरी हो सके।

यह परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो आप यह जानकार प्रसन्न होंगे कि इससे लगभग 18.65 लाख हेक्टेयर जमीन लाभान्वित होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन्होंने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है अथवा नहीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं माननीय मंत्री से यह बताने के लिए कहूंगा कि क्या यह परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गयी है। यह प्रश्न उनके सामने है। यदि वर्तमान में उनके पास कोई सूचना नहीं है तो वे संबंधित सूचना बाद में दे सकते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है। मैं निश्चित रूप से यह सूचना एकत्रित करूंगा और इसे माननीय सदस्य के पास भेज दूंगा। इस समय, निश्चित तौर पर मैं यह कह सकता हूं कि इसे देश की राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक के रूप में लिया जा रहा है। तदनुसार, हम प्राथमिकता के आधार पर निधियां प्रदान कर रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : प्रधान मंत्री ने गुजरात विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित एक आम सभा में कहा था कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए उप प्रधान मंत्री की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अथवा नहीं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : हम सभी और माननीय सदस्य भी इस बात से अवगत हैं कि उच्चतम न्यायालय के मामलों की वजह से इस परियोजना को समय पर नहीं लिया जा सका था।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : उन्होंने कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है अथवा नहीं – मैं 'हां' अथवा 'नहीं' में उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : हां, हमें ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हम इस परियोजना को इसी रूप में ले रहे हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं चाहता हूं कि इसे रिकार्ड में रखा जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय विशिष्ट प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। मंत्री महोदय को उनका उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल अभी उन्होंने कहा है कि इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जा रहा है। यदि ऐसा है तो उन्हें हमें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किस तिथि को यह घोषणा की गयी और ऐसा निर्णय लिया गया। मंत्री महोदय इस संप्रभु सदन को अपना उत्तर दे रहे हैं। वे गोल मोल दुयर्थक उत्तर नहीं दे सकते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैंने कोई गोल मोल उत्तर नहीं दिया है। मैंने वही बात कही है जो स्थिति वर्त्तमान में हमारे सामने है। जैसा कि मैंने बताया है यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है तथा इसने काफी महत्व पाया है। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप लिया जा रहा है; मेरा कहना है--हाँ, इसे देश की राष्ट्रीय परियोजनाओं में से एक के रूप में लिया गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न यह है कि क्या इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है।

श्री अर्जुन चरण सेठी : राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने और उसे ऐसा मानने में क्या अंतर है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने विधेषाधिकार का जो हनन किया उसके लिए आपको उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको यह बताऊं कि मंत्री महोदय का कहने का क्या अभिप्राय है? मंत्री महोदय का कहना है कि वे इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में ले रहे हैं। फिर भी इस परियोजना को अंतिम रूप से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित नहीं किया गया है। उनके कहने का अभिप्राय यही रहा है चाहे आप इसे पसंद करें अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत स्पष्ट था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कर्नल सोना राम जी को बुलाया है। उन्हें प्रश्न पूछने दें।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लगातार अकाल पड़ता है। उससे निपटने के लिए कुछ परियोजनाएं बनाई गईं, जिसमें एक सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है और दूसरा इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट। राजस्थान और खासकर पश्चिमी राजस्थान में लगातार अकाल पड़ता है। पिछले 50 वर्षों में 40 अकाल पड़े हैं और पिछले पांच साल से लगातार वहां अकाल है। जहां सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, वहां 1975 गांवों में अकाल है। उस इलाके में न तो पानी है, न चारा है और न ही रोजगार हे। लोग भूखे मरने की स्थिति में आ गए हैं। जैसा मेरे साथी ने बताया कि उसके लिए नेशनल प्रोजेक्ट होने चाहिए। राज्यों के पास लगातार अकाल पड़ने से उतने संसाधन नहीं है कि अकाल से निपटा जा सके इसलिए वे समुचित कदम नहीं उठा सकते। इसके लिए सरकार को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा करनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने अकाल पीड़ितों के लिए काफी मदद दी है, लेकिन लगातार अकाल पड़ने से वह पूरी मदद नहीं कर सकती।

ऐसी स्थिति में प्रधान मंत्री साहब यहां बैठे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि स्थायी तौर पर आप जहां हर साल पैसे देते हैं, कुछ प्रोजेक्ट जो बड़े-बड़े हैं, उनको नेशनल लैवल के प्रोजैक्ट्स मानकर आपको ट्रीट करना चाहिए, जैसे इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। यहां मंत्री जी के साथ-साथ माननीय प्रधान मंत्री महोदय भी विराजमान हैं। पश्चिमी राजस्थान में, जहां पर लगातार अकाल पड़ रहा है, और चूंकि राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट और इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट के लिए अलग से अलॉटमेंट करके अलग से रिलीफ देकर, लोगों को स्थायी तौर पर वहां रोजगार देने के लिए क्या आप अलग से पैसे देंगे, व्यवस्था करेंगे? चूंकि वहां पानी की स्कीमें फेल हो गई हैं क्योंकि पानी का स्तर नीचे चला गया है और एक वक्त ऐसा आएगा जब कि पश्चिमी राजस्थान पूरा खाली हो जाएगा – क्या आप उनको नेशनल प्रोजेक्ट मानकर उसके लिए अलग से पैसे देंगे?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : यह प्रश्न विशेष रूप से सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। उन्होंने राजस्थान के बारे में प्रश्न पूछा है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ...*(व्यवधान)* राजस्थान के मेरे जिले में ही वह प्रोजेक्ट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : जब इस खास परियोजना का चरण-II, जो 144 कि०मी० से 485 कि०मी० तक की मुख्य नहर है, पूरा हो जाता है तब राजस्थान पानी प्राप्त करेगा। ठीक इसी प्रकार, इस परियोजना के चरण-II के पूरा होने पर कुछ क्षेत्र सिंचित होंगे।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : वहां पीने का पानी नही है। लोग वहां से खाली कर जाएंगे।...*(व्यवधान)* कुछ तो इस बारे में बता दें। प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। प्रधान मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। किसने उत्तर देना है, इसे वह तय करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब अकाल पर चर्चा होगी, उस समय आप पूछिएगा।

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले : सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा है लेकिन यह प्रोजेक्ट नेशनल है या नहीं है, इस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए नहीं है कि माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा नेशनल प्रोजेक्ट एनाउंस करने के बाद आपके विभाग द्वारा उसे नेशनल प्रोजेक्ट की लिस्ट में लगाने की आवश्यकता थी, लेकिन वह आपके रिकॉर्ड में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने अनाउंस कर दिया था तो आपके विभाग में इसे नेशनल प्रोजेक्ट के रूप से रिकॉर्ड में आना चाहिए। मेरा सवाल है कि हमारे देश में पानी की समस्या बहुत ज्यादा है और उसका हल करने के

लिए इस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए लेकिन विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वसन के बारे में मेधा पाटेकर जी द्वारा आंदोलन कई सालों से चलाया जा रहा था और वहां के ट्राईबल्स तथा दूसरे लोग हैं, उनका पुनर्वास करने के बारे में आपके पास क्या योजना है? उनके पुनर्वास के बारे आपका विभाग क्या कर रहा है और उनको पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो यह बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होगा। कुछ लोगों के साथ न्याय करने के लिए बहुत सारे लोगों पर अन्याय करना ठीक नहीं है। इसलिए सब लोगों के साथ न्याय करना चाहिए और यह प्रोजेक्ट जल्दी-जल्दी पूरा होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 129 करोड़ रुपये बाकी हैं। सरकार के पास पैसे नहीं है तो केन्द्र सरकार द्वारा उस पैसे को भरने के बारे में हम माननीय प्रधान मंत्री जी से एश्योरेंस चाहते हैं। महाराष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देने की आवश्यकता है, इसलिए महाराष्ट्र को 129 करोड़ रुपये देने के बारे में हमें एश्योरेंस चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी इसका उत्तर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : इस परियोजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन में हो रहे विलम्ब का एक कारण विस्थापितों का पुनर्वास है। इस विशेष परियोजना के निर्माण की वजह से प्रभावित व विस्थापित लोगों के संबंध में काफी ख्याल रखा गया है। ऐसे लोगों का ध्यान रखा गया है।

जहां तक विलम्ब के कारणों का सवाल है, स्वयं वह पहले कह चुके हैं कि ऐसा नर्मदा बचाओ आंदोलन और सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एक रिट याचिका की वजह से हुआ है। इसी वजह से विलम्ब हुआ है। इस मामले के निपटारे के पश्चात् इस परियोजना पर बहुत ही सहज रूप से कार्य चल रहा है। हम सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी समान रूप से सहायता-प्रदान कर रही हैं। उनकी अपनी बन्दिशें हैं। हम राज्य सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं। हम सहायता दे रहे हैं। हम निश्चित तौर पर यह कोशिश करेंगे कि यह परियोजना तय समयावधि के भीतर पूरी हो जाए ताकि इस विशाल परियोजना के पूरा हो जाने पर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी विशाल क्षेत्र लाभान्वित हो सके।

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि पिछले 40 वर्षों से साइंटिफिक गेजिंग हुई है, उसके अनुसार नर्मदा नदी में जो पानी उपलब्ध है, वह 23.4 मिलियन एकड़ फीट है। जिस वक्त यह एवार्ड दिया गया था, उस वक्त यह माना गया था कि उसमें 28 मिलियन एकड़ फीट पानी उपलब्ध है। इस वक्त जिस ऊंचाई पर यह बांध बनाया जा रहा है, उसके बजाए पानी केवल 396 फीट पर उपलब्ध हो सकता है और वे पूरा पानी ले सकते हैं। एवार्ड में लिखा हुआ है कि अगर पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, पानी उसमें नहीं रहेगा, तो उसका प्रपोर्शन फिक्स किया गया है और उसके अनुसार गुजरात का शेयर कम हो जाएगा। चालीस साल के साइंटिफिक गेजिंग से पता चलता है कि नर्मदा में 23.4 मिलियन एकड़ फीट पानी है, इसलिए 456 फीट से ऊंचाई घटा कर 390 फीट कर दी जाती है, तो विस्थापितों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पानी के भरने से डूब कम हो जाएगी तथा जो समस्यायें खड़ी हो रही है, वे नहीं रहेंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कि केन्द्रीय सरकार क्या इस स्थिति पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी : महोदय, वर्तमान में ऊंचाई कम करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। कारण कि इस प्रश्न पर हर दृष्टि से विचार किया गया है ऊंचाई का प्रश्न पहले ही सुलझाया जा चुका है। यदि हम इसकी पुन: जांच करते हैं तो इससे परियोजना के निष्पादन में और विलम्ब होगा। इससे किसी को फायदा नहीं होगा। इसके बजाय, इससे हमारे लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित : अध्यक्ष महोदय, यह काम जल्दी होना चाहिए, इसमें हमारा विरोध नहीं है। जैसा उत्तर में दिया गया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा भुगतान न करने का मुख्य कारण वित्तीय बाधा है। मैं भारत सरकार से विनती करना चाहता हूं, चूंकि यह नेशनल प्रोजैक्ट है, इसलिए भारत सरकार को पूरा पैसा देना चाहिए और सरदार सरोवर डैम के कारण जो लोग मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्थापित हुए हैं, उनके पुनर्वास की भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे लोगों को पुन:स्थापित करने के लिए ही मेधा पाटकर ने आन्दोलन छेड़ा है। सरदार सरोवर एवार्ड में लिखा है कि लोग विस्थापित होंगे, उनको जमीन दी जाएगी और उस जमीन पर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका काफी हिस्सा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में जवाब दें और मैं विनती करता हूं कि इस परियोजना से संबंधित सारा पैसा केन्द्रीय सरकार दे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यह कोई प्रश्न नहीं है बल्कि अनुरोध है। आप उनके इस अनुरोध पर गौर कर सकते हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी : जहां तक इस परियोजना से प्रभावित हुए लोगों का सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता

में एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। पुनर्वास से संबंधित प्रत्येक पहलू पर विचार किया जा रहा है। इस प्रकार, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसी सभी बैठकों में इसकी समीक्षा की जा रही है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सरकार क्या कर रही है, वह आपका प्रश्न हो सकता था।

(व्यवधान)

श्री माणिकराव होडल्या गावित : इसी विषय से संबंधित एक और प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि उसे इसके साथ क्लब करके मंत्री जी से उत्तर दिलाया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस अवस्था में इसे प्रश्न के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। आपको इसी समय अनुरोध करना चाहिए था जब प्रश्न शुरू हुआ था।

[हिन्दी]

आप इस समय विनती करते तो मैं जरूर आपकी बात सुनता।

[अनुवाद]

खुरपका और मुंहपका रोग

*2. **श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मवेशियों और अन्य पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग फैलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग पर नियंत्रण पाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस रोग पर नियंत्रण पाने हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए वर्ष 2002-2003 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) खुरपका और मुंहपका रोग भारत में वर्षभर होता रहता है। इस रोग को नियंत्रण करने में राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार विदेशी, वर्ण-संकर तथा समान के कमजोर वर्गों के उच्च उत्पादक स्वदेशी गोपशुओं के टीकाकरण के लिए टीकों की लागत के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। टीके की लागत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा लाभार्थी के बीच 25:25:50 के अनुपात में वहन की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में यह लागत केन्द्र सरकार तथा लाभार्थी के बीच 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान क्रमशः 293.50 लाख रुपए, 270.33 लाख रुपए तथा 410.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की गई है।

(ग) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 2002-2003 के दौरान खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए 90.00 लाख रुपए की अनुदान सहायता का अनुरोध किया था जिसमें से 80.00 लाख रुपए पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान इस रोग के नियंत्रण के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को अब तक 466.25 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

वर्ष 2002-2003 के दौरान (31.10.2002 तक) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए प्रदान की गई राज्यवार अनुदान-सहायता को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदान की गई अनुदान सहायता (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4.56
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.40
3.	असम	0.00
4.	बिहार	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00
6.	गोवा	0.00
7.	गुजरात	12.00
8.	हरियाणा	0.00

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	9.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00
11.	झारखंड	2.00
12.	कर्नाटक	80.00
13.	केरल	80.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00
15.	महाराष्ट्र	19.78
16.	मणिपुर	5.00
17.	मेघालय	4.00
18.	मिजोरम	0.00
19.	नागालैंड	0.00
20.	उड़ीसा	0.00
21.	पंजाब	32.00
22.	राजस्थान	10.00
23.	सिक्किम	0.00
24.	तमिलनाडु	60.00
25.	त्रिपुरा	35.00
26.	उत्तरांचल	2.51
27.	उत्तर प्रदेश	50.00
28.	पश्चिमी बंगाल	40.00
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप	5.00
30.	चण्डीगढ़	1.00
31.	दादरा और नागर हवेली	0.00
32.	दमण और दीव	0.00
33.	लक्षद्वीप	0.00
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10.00
35.	पांडिचेरी	0.00
	कुल	466.25

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, कुछ वर्षों से अब खुरपका और मुंहपका रोग चर्चा का विषय रहा है जो पूरे विश्व में पशुधन को प्रभावित करता रहा है। वस्तुतः, विश्व के कुछ हिस्सों में ऐसे प्रदूषित मांस-उत्पादों की वजह से व्यापारिक झगड़े हुए हैं। भारत में, देश के अनेक भागों में व्यापक रूप से फैले इस रोग के बारे में काफी कम चिन्ता दिखायी देती है। अनेक देशों में पशुओं के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आपदा संगठनों को इस कार्य में लगाया गया। एक हमारा देश है जहां हम बूढ़ी गायों के संरक्षण के लिए गोशालाओं की बात कर रहे हैं। यह ऐसा देश है जहां हम गावों में गायों के संरक्षण के बहाने मनुष्यों का वध कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि सरकार के रूप में उन्होंने इस रोग के प्रसार के बारे में क्या ध्यान दिया है। इस रोग की वजह से पशुधन की काफी हानि हो रही है और दुग्ध-उत्पादन में कमी आयी है। अनेक देश खासकर इंडोनेशिया ने पिछले साल कर्नाटक सहित इन क्षेत्रों से मक्का और सोयाबीन जैसे उत्पादों के आयात पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फैले इस रोग के कारण ये उत्पादन प्रदूषित हो गए हैं।

माननीय मंत्री ने मेरे विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में बताया है कि उनके पास टीकाकरण के लिए अनुदान सहायता देने की एक योजना है। वह 25:25:50 के अनुपात की बात कर रहे हैं। वस्तुतः, वास्तविक लाभार्थियों को 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना पड़ता है। 25 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार वहन करती है और 25 प्रतिशत राज्य सरकार। क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत है कि अधिकांश पशु-मालिक टीकाकरण के लिए पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं अथवा वे गरीब किसान हैं? मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जो 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार से सिर्फ आंकड़े देने से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। आपको इस स्कीम को रिओरिएंट करना पड़ेगा ताकि हमारे गरीब किसानों को भी इससे कुछ मदद मिले। मैं इस संबंध में आपका उत्तर जानना चाहूंगी।

दिए गए आंकड़े के अनुसार कर्नाटक को 80 लाख रुपये दिए गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है। 31 अक्तूबर तक कर्नाटक सरकार को

मात्र 40 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। मंत्री महोदय, आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया है। आपने इसकी स्वीकृति दी होगी। हालांकि हमने 90 लाख रुपये की मांग की है फिर भी कर्नाटक को 40 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी नहीं की गयी है।

कर्नाटक में इस रोग के 732 हमले दर्ज किए गए हैं और 16,000 पशु पहले ही प्रभावित हो चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : लेकिन यह प्रश्न सभी प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। यह सही है कि इस देश में जो पशुपालन का काम करने वाले किसान हैं, वे सबसे ज्यादा स्माल एवं मार्जिनल फार्मर्स ही हैं। वही इस पर सबसे अधिक निर्भर हैं। हमारे यहां स्माल एवं मार्जिनल फार्मर्स ही सबसे ज्यादा पशुपालन का काम करते हैं, वही इस पर आश्रित हैं। यह बीमारी गाय और भैंस में ज्यादातर फैलती है और इन्हें पालने वाले स्माल एवं मार्जिनल फार्मर्स हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि यह बीमारी फैलती है और इसे रोकने के लिए दुनियाभर में शोध किए गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थाई टीका रोकथाम के लिए दुनिया में कोई नहीं निकला है।

तात्कालिक तौर पर इस बीमारी के लिए एक टीका निकला है जो तीन महीने, छह महीने या एक साल तक असर करता है लेकिन एक साल से अधिक असरकारी टीका अभी तक अनुसंधान होकर नहीं आया है। हमारे और विश्व के वैज्ञानिक जो पशु-पालन के क्षेत्र में लगे हुए हैं वे सभी मिलकर इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि जैसे मनुष्य की अन्य बीमारियों के निदान के टीके निकले हैं वैसे ही इसका भी टीका निकालने का प्रयत्न किया जाए। जो छह महीने या एक साल का टीका है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से लगाया जाता है। राज्य सरकार की समस्या यह है कि यह बीमारी किसी एक क्षेत्र में, एक घेरे में निश्चित तौर पर नहीं रहती है। किसी एक साल इधर तो दूसरे साल उधर होती है। अगर बीमारी का एक एरिया निश्चित हो तो उसे घेरकर दूर किया जाए। राज्य सरकार भी प्रयत्न करती है और राज्य सरकारों से जो केन्द्र को मांग आती है वह केन्द्र सरकार भेजती है। इस प्रक्रिया में जटिलता है और इस जटिल प्रक्रिया को सुलझाने में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहमति से और योजना आयोग से चर्चा करके इसका हल निकालने का प्रयत्न किया जा सकता है। केन्द्र सरकार प्रयत्नशील है कि 25-25 या 50 प्रतिशत, जो अभी व्यवस्था है, कम से कम बोझ इसका किसानों पर आये।

श्री राजो सिंह : जो प्रश्न पूछा गया है जो पशुओं में बीमारी होती है उसके बारे में आप बताएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, क्या मंत्री महोदय इस बात से अवगत हैं कि देश में आई.बी.आर.आई. टीका नाम से एक नया टीका विकसित किया गया है जो पशु को स्पर्श किए बगैर उसके अगल-बगल की हवा की जांच करके ही रोग की पहचान करने में मदद करता है क्योंकि यह रोग संक्रामक है। दुर्भाग्यवश, इस टीका को प्रयोग में लाए जाने हेतु कोई सहायता मुहैय्या नहीं करायी-जा रही है। यह टीका उत्तर प्रदेश में विकसित किया गया है। एन.डी.डी.बी. के पास भी एक परियोजना है। मैं माननीय मंत्री को इस रोग से होने वाले संदूषण के बारे में सूचित करना चाहती हूं। गोबर और अन्य उत्पादों के प्रयोग की वजह से यह रोग मनुष्यों में फैल रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विशेषकर गांवों में जानवरों से मनुष्यों में इस रोग के प्रसार एवं संक्रमण को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है तथा उन्हें इस रोग के प्रसार से बचाने हेतु सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : पशुओं में यह बीमारी फुट एंड मॉउथ में है लेकिन जब यह राजनेताओं में आती है तो फुट इन मॉउथ हो जाती है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : जो प्रश्न है, जो समस्या है, वह अपनी जगह है और इस समस्या का निदान ढूंढने के लिए जैसा माननीय सदस्या कह रही थीं, भारत सरकार के पशु-पालन के क्षेत्र में और पशु रोग निरोधक उपाय करने के क्षेत्र में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो संस्थान हैं, चाहे वह बंगलौर में हो, इज्जत नगर में हो, मुक्तसर में हो या करनाल में हो, ये सभी आईसीएआर के तहत अनुसंधान करने वाले हैं और वे उसके विभिन्न आयामों पर अनुसंधान करके बीमारियों को रोकने के प्रति गंभीर हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा सीधा प्रश्न किया गया है, किन्तु मंत्री महोदय साधारण रूप से जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : इस बीमारी के फैलाव को रोकने का जो प्रयत्न किया जा रहा है...*(व्यवधान)* प्रश्न पशु की बीमारी का है फिर आपकी बीमारी का जवाब कैसे देंगे।...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, आपने अपने उत्तर में जो बातें कही हैं उनके संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिस दवा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसके बारे में आप उत्तर दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पशुओं की बीमारी से संबंधित है तो जो मैं उत्तर दूंगा, वह भी पशुओं की बीमारी से संबंधित ही दूंगा।

मध्याह्न 12.00 बजे

उत्तर इसलिए भी दूंगा क्योंकि मैं स्वयं पशुपालक हूं। इन बीमारियों से पशुपालकों को जो कठिनाई होती है, नुकसान होता है, परेशानी होती है, मैं उससे अवगत हूं। बिहार के जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां इस बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। आपने कहा कि इसके व्यापक पैमाने पर प्रसार और रोकथाम का इलाज किया जाए। एक पशु से दूसरे पशु में यह बीमारी चली जाती है और एक गांव से दूसरे गांव में यह बीमारी फैलती है। यदि एक रोग का पशु दूसरे गांव की सीमा में चला जाएगा तो वहां वह रोग फैलेगा। हम इसे रोकने के लिए प्रबंध कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रबंध करने का रास्ता निकाला जाए। जहां तक आपने यह कहा कि आज की तारीख में 31.10.2002 तक कर्नाटक सरकार को 80 लाख रुपए देने थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह राशि हमने कर्नाटक सरकार को दे दी है। अब उनके खजाने में कितना धन पहुंचा है, यह मालूम नहीं लेकिन इतना धन भारत सरकार ने दे दिया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सूखा प्रभावित राज्य

*3. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रों सहित उन राज्यों के नाम क्या हैं जो हाल ही में आए सूखे से प्रभावित हुए हैं;

(ख) चावल, मोटे अनाजों और दलहनों के इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में इनके उत्पादन में आई कमी के बाद तैयार किए गए प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय दल द्वारा इस प्रयोजनार्थ किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया गया है;

(घ) क्या उक्त दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(च) प्रत्येक राज्य द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता मांगी गई है;

(छ) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को वास्तव में कितनी धनराशि जारी की गई है और कितना खाद्यान्न प्रदान किया गया है;

(ज) क्या सरकार को कृषि लागत और मूल्यां संबंधी आयोग की अनुपूरक रिपोर्ट में सूखे पर आधारित राहत देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (झ) निम्नलिखित राज्यों ने सूखा घोषित किया है :-

राज्य का नाम	क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	22 जिलों के 1126 मण्डलों में से 925 मण्डल
छत्तीसगढ़	सभी 16 जिले
हरियाणा	सभी 19 जिले
हिमाचल प्रदेश	सभी 12 जिले
झारखण्ड	सभी 22 जिले
कर्नाटक	24 जिलों के 154 तालुक्के
मध्य प्रदेश	32 जिलों की 181 तहसीलें
महाराष्ट्र	35 जिलों में से 33 जिले
उड़ीसा	30 जिलों के 285 प्रखण्ड
पंजाब	सभी 17 जिले
राजस्थान	सभी 32 जिले
तमिलनाडु	19 जिले (औपचारिक घोषणा नहीं की गई है)

राज्य का नाम	क्षेत्र
उत्तर प्रदेश	सभी 70 जिले
उत्तरांचल	सभी 13 जिले
पश्चिमी बंगाल	3 जिले

इनके अलावा हाल में गुजरात ने भी 13 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। जम्मू-कश्मीर ने सूखे की घोषणा किए बिना ही सहायता हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है जबकि पश्चिमी बंगाल ने कोई सहायता नहीं मांगी है।

व्यापक सूखे से कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान 111.51 मी० टन खाद्यान्न की तुलना में चावल, मोटा अनाज, अनाज तथा दलहन सहित खरीफ खाद्यान्न 90.64 मी० टन रह जाने की सम्भावना है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन आंकड़ों के मुकाबले 18.72% की गिरावट दर्शाता है।

केन्द्रीय दलों ने आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों का दौरा किया है और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से निम्नवत विवरण के अनुसार सहायता राशि हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं :-

(करोड़ रुपये)

राज्य	मांगी गई सहायता
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1210.90
छत्तीसगढ़	880.66
हरियाणा	1895.98
हिमाचल प्रदेश	155.86
झारखण्ड	1467.25
कर्नाटक	1562.85
मध्य प्रदेश	790.38
महाराष्ट्र	1730.61
उड़ीसा	871.40
पंजाब	3529.44
राजस्थान	7519.76
तमिलनाडु	1545.76
उत्तरांचल	401.81
उत्तर प्रदेश	7539.79

जम्मू-कश्मीर संबंधी केन्द्रीय दल राज्य सरकार से मांगी गयी कुछ विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने पर अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देगा।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष स्कीम में निहित प्रक्रियाओं के अनुसार दलों की रिपोर्टों पर कार्रवाई की गई है।

तथापि, तत्काल सहायता प्रदान करने की दृष्टि से राज्यों को आपदा राहत कोष से केन्द्रीय अंश जो नवम्बर में देय था, अगस्त में ही निर्गत कर दिया गया है।

रोजगार में बढ़ोत्तरी के राज्यों ने खाद्यान्न का निःशुल्क आबंटन करने की मांग की है। शुरूआत के तौर पर, निम्नलिखित विवरण के अनुसार आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश की राशि अग्रिम रूप से जारी करने के अतिरिक्त 13.25 लाख मी० टन खाद्यान्न का आबंटन किया गया है :-

राज्य	खाद्यान्न (लाख मी० टन)	आपदा राहत कोष के केन्द्रीय अंश का अग्रिम निर्गमन (करोड़ रुपये)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	3.00	81.885
छत्तीसगढ़	0.50	11.36
हरियाणा	0.25	33.615
हिमाचल प्रदेश	0.10	17.98
झारखण्ड	0.40	—
कर्नाटक	2.00	30.83
मध्य प्रदेश	1.00	25.89
महाराष्ट्र	—	64.995
उड़ीसा	1.00	45.26
पंजाब	—	50.735

1	2	3
राजस्थान	2.00	85.58
तमिलनाडु	0.50	42.435
उत्तरांचल	0.50	—
उत्तर प्रदेश	2.00	60.475

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने खरीफ फसलों की मूल्य नीति से संबंधित अपनी पूरक रिपोर्ट में धान, मूंगफली तथा कपास के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर मोटे अनाज (बाजरे को छोड़कर) के लिए 5 रुपये प्रति क्विंटल के एक मुश्त बोनस (विशेष सूखा राहत मूल्य) की सिफारिश की है। आयोग ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छोटे तथा सीमान्त किसानों को इस समय अनुमत्य कृषि आदान सब्सिडी की सुविधा किसी भी आकार की जोत के लिए 2 हेक्टेयर की सीमा की शर्त पर अन्य किसानों को भी देने, किसानों द्वारा 2002 के दौरान लिए गए ऋण पर ब्याज माफ करने, उर्वरक सब्सिडी, 2002-03 के बजट से पूर्व के स्तर पर बहाल करने तथा गरीबी की रेखा से ऊपर और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का भेद समाप्त करने का भी सुझाव दिया है। विशेष सूखा राहत मूल्य से संबंधित सिफारिश जहां पहले से ही अनुमोदित तथा घोषित कर दी गई है, अन्य सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

चावल निर्यात नीति में संशोधन

*4. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चावल निर्यात नीति में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और निर्यात हेतु चावल में कितने प्रतिशत टूटे चावल की अनुमति दी गई है; और

(ग) भारतीय चावल को निर्यात हेतु प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) इस वर्ष वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित निर्यात-आयात नीति के अनुसार, बासमती चावल का निर्यात मुक्त है बशर्ते संविदा का पंजीकरण अपेडा द्वारा किया गया है। गैर-बासमती चावल का निर्यात पूर्णतया मुक्त है। धान का निर्यात प्रतिबंधित है तथा केवल अनुज्ञप्ति के तहत निर्यात की अनुमति है।

भारतीय खाद्य निगम के गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार, कच्चा चावल अधिकतम 25 प्रतिशत तक टूटा हुआ हो सकता है तथा, सेल्हा चावल 16% तक टूटा हुआ हो सकता है। इसके अलावा बिल ऑफ लैडिंग अथवा "एच" फार्म के अनुसार 2% के मार्जिन के साथ टूटे हुए चावल में कमी के समतुल्य प्रतिशत की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

(ग) केन्द्रीय पुल से खाद्यान्न के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) निर्यातकों को अपनी पसंद के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से स्टॉक उठाने की अनुमति दी गई है।

(ii) गेहूं, गेहूं से बने पदार्थों और गैर-बासमती चावल के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) में पंजीरण जैसे कोई प्रक्रियात्मक प्रतिबंध नहीं है।

(iii) खाद्यान्नों के निर्यात से संबंधित मामलों पर नियमित रूप से त्वरित निर्णय लेने हेतु निर्यात संबंधी एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(iv) स्थाई मूल्य व्यवस्था प्रदान करने के लिए सरकार ने स्टॉक को उठाने के लिए दिए गए अतिरिक्त महीने के साथ तीन महीनों की अवधि के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात के लिए दिए जाने वाले मूल्य (ऑफर प्राईस) निर्धारित करने तथा संबंधित तिमाही के शुरू होने के 45 दिन पहले मूल्यों की घोषणा अग्रिम रूप से करने का निर्णय लिया है।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर

*5. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** :
डा० राम चन्द्र डोम :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा तैयार किए गए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर बढ़ाने के लिए व्यावहारिक विकास माडल की विशेषाताएं क्या हैं जिनका विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट-2003 में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों को पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करने का सुझाव देने का है ताकि खाद्यान्न क्षेत्र में बढ़ी हुई वृद्धि दर प्राप्त की जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) सतत विकास मॉडल, जिसके बारे में विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2003 में प्रकाश

डाला गया है, की प्रमुख विशेषता बटाई पर खेती करने वालों की भूमिका को मान्यता देना और उनके कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान करके उनके लाभ में वृद्धि करना तथा उन्हें बैंक ऋण और ऐसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता दिलाना है। इससे और इसके साथ-साथ किए गए अन्य विकासात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि दर बढ़ गई है।

(ख) और (ग) सतत् विकास और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि अनेक कारकों पर निर्भर होती है जैसे ऋण सहायता, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में, आदानों का युक्तियुक्त उपयोग, जल प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय, बेहतर कृषि शस्य प्रथाएं, उन्नत कृषि उपस्कर एवं कृषि यंत्रीकरण, विस्तार सेवाएं आदि। भूमि कार्यकाल प्रणाली के साथ समुचित फसल चक्रण एवं बेहतर प्रबंध प्रथाएं भी सतत विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भूमि सुधार तथा भूमि कार्यकाल राज्य के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार सतत विकास तथा खाद्यान्न उत्पादन में इष्टतम वृद्धि हासिल करने हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श देती रही है। सतत विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

*6. **श्री पदमसेन चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश में कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (घ) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, 1993-94 में कृषि क्षेत्र में अनुमानित रोजगार जो 24.2 करोड़ के लगभग था वह 1999-2000 में आंशिक रूप से घटकर लगभग 23.8 करोड़ रह गया। कृषि क्रियाओं का यंत्रीकरण, अल्प रोजगारप्राप्त श्रम का कृषि से गैर कृषीय ग्रामीण गतिविधियों में अंतरण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रवास इस आंशिक गिरावट के कुछ प्रमुख कारण हैं।

10वीं योजना में कार्यनीतियों एवं कार्यक्रमों को सुझाने हेतु योजना आयोग के सदस्य डा० एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समूह ने विभिन्न पहलुओं की जांच की तथा कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :-

(i) अतिरिक्त क्षेत्र में तिलहन एवं दालों की खेती।

(ii) वर्षा पोषित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम।

(iii) उद्यानकृषि।

(iv) कृषि के दौरान प्रबंधन।

(v) एग्रीक्लीनिक एवं बीज उत्पादन।

सरकार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारों को लाभप्रद गतिविधियां उपलब्ध कराने के लिए अनेक वेतन एवं स्व-रोजगार योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण रोजगार सृजन योजनाएं निम्न प्रकार है:—

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दो अंग अर्थात् जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना हैं।

2. स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना।

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

4. काम के बदले अनाज।

नदियों को जोड़ना

*7. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में नदियों को जोड़ने के संबंध में एक कार्य दल गठित करने हेतु केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा नदियों के जोड़ने के बारे में राज्यों के बीच सहमति बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) बड़ी नदियों को जोड़ने पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ङ) किन-किन स्रोतों से धनराशि उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : (क) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने 30 सितम्बर, 2002 को रिट याचिका सं० 512 वर्ष 2002 में केन्द्र सरकार को 28 अक्तूबर, 2002 तक शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया था। केन्द्र सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष दायर अपने शपथ पत्र में यह उल्लेख किया है कि जल संसाधन मंत्रालय ने अधिक जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों को जल हस्तांतरण करने हेतु देश की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है और 5 अक्तूबर, 2002 को नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में माननीय प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था। शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किय गया था कि दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद यह सुझाव दिया गया था कि एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया जा सकता है। यह कार्यबल राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीके तय करेगा।

अभिशेष जल की भागीदारी एवं एन डब्ल्यू डी ए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में आम सहमति कायम करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में पहले ही एक दल का गठन किया गया है। संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिव इस दल के सदस्य हैं। वर्ष 2002 के मूल्य स्तर पर बड़ी नदियों को जोड़ने पर 5,60,000 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। एक उच्च स्तरीय कार्य बल गठित किए जाने का प्रस्ताव है जो इस पहलू के साथ-साथ अन्य पहलुओं को ध्यान में रखेगा तथा परियोजना के वित्त-पोषण हेतु अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों का सुझाव देगा।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का विस्तार

*8. **श्री रमेश चेन्नितला :***
श्री पी०सी० थामस :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर केरल में विमानपत्तनों के नवीकरण और विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस पर यदि अब तक कोई धनराशि, खर्च की गई है तो वह कितनी है और प्रत्येक कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश में नए विमानपत्तनों की स्थापना करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण तथा विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य जब और जहां जरूरत हो, आधार पर संबंधित हवाई अड्डे की प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। जहां तक केरल के हवाई अड्डों का संबंध है, कालीकट हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के 6000 फुट से 9377 फुट तक सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार का काम 99.53 करोड़ रुपए की लागत से पूरा कर लिया गया है और लगभग 4.16 करोड़ रुपए की लागत से नए फायर स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और जून 2003 तक इसके पूरा होने की सम्भावना है। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल के सुधार के कार्य की योजना बनाई जा रही है।

(ग) भारत सरकार ने बैंगलौर के निकट देवनहाली, हैदराबाद के निकट शमशाबाद तथा गोवा (डबोलिम) के निकट मोपा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए क्रमशः कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा गोवा की राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है। संबंधित राज्य सरकारें इन परियोजनाओं को निजी सेक्टर की भागीदारी से उन्नयन एवं कार्यान्वित करेंगी। बैंगलौर के निकट देवनहाली तथा हैदराबाद के निकट शमशाबाद पर हवाई अड्डों का निर्माण 74% निजी सेक्टर इक्विटी, भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम से किया जाएगा तथा शेष 26% इक्विटी हिस्सेदारी का वहन संबंधित राज्य सरकार तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। इन राज्य सरकारों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं तथा विश्वव्यापी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी सेक्टर भागीदार की पहचान की गई है।

पशुओं और पक्षियों का अवैध शिकार

*9. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :***
श्री प्रहलाद सिंह पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आरक्षित वनों/राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में बाघों, हाथियों और अन्य लुप्तप्रायः पशुओं और पक्षियों के अवैध शिकार की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद राज्यवार ऐसी कितनी घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बालाघाट और उत्तर प्रदेश में हरिद्वार वन जीवों की तस्करी के अड्डे बन गए हैं और अवैध शिकार करने वालों के लिए स्वर्ग सिद्ध हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वन्यजीवों को अवैध शिकार करने वालों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार को बाघों, हाथियों तथा पशुओं और पक्षियों की अन्य

महत्वपूर्ण प्रजातियों के अवैध शिकार की घटनाओं की जानकारी है लेकिन इन घटनाओं में बढ़ोतरी संबंधी कोई विशिष्ट रूझान दृष्टिगोचर नहीं होता। इस मामले में और अधिक सतर्कता रखी गई है जिसके परिणामस्वरूप वन्यजीव अपराधों का पता लगाने में बढ़ोतरी हुई है। बाघ, हाथी, शेर, तेंदुआ, गैंडा और मोर के मामले में पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् सूचित किए गए अवैध शिकार संबंधी मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, इन दो स्थानों पर वन्यजीव उत्पादों की कुछ जब्तियां हुई हैं तथा ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) वन्यजीवों को अवैध शिकारियों से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) राज्य स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) वन्यजीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए अनेक राज्यों में राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर समन्वय समितियां गठित की गई हैं।

(ii) राज्य वन्यजीव प्राधिकारी पशु उत्पादों और पक्षियों के व्यापारियों के स्टॉक की नियमित जांच करते हैं।

(2) राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार ने वन्यजीवों और उनके उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात और व्यापार केन्द्रों में वन्यजीव परिरक्षण हेतु क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

(ii) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकद्दमा चलाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। इंटरपोल की मदद से अवैध शिकार विरोधी प्रयासों का समन्वय किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, अर्थात् बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए राज्यों की क्षमता और ढांचागत सुविधाओं में वृद्धि के प्रयोजन से संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास आदि स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है, विशेषकर संगठित अवैध शिकारियों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक फोर्स तैयार करने और सुरक्षा कर्मियों को हथियार आदि मुहैया कराने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अवैध शिकारियों और तस्करों के बारे में सूचना देने वाले व्यक्तियों को ईनाम देने के लिए भी सहायता दी जाती है।

(iv) अवैध शिकार और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सचिव, पर्यावरण एवं वन, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय और प्रवर्तन समिति गठित की गई है।

(v) निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के निर्यात पर प्रतिबंध है।

(vi) गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए फील्ड फारमेशन्स की मदद करें।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदम :

(i) भारत सरकार वन्यजीवों से बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए "कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेंजर्ड स्पीसिज़ आफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना" (साइट्स) की पक्षकार है।

(ii) वन्यजीवों के सीमापारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल तथा चीन गणतंत्र के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(iii) बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार करने के लिए टाइगर रेंज देशों का एक विश्व स्तरीय मंच तैयार किया गया है।

विवरण-I

अवैध शिकार के बारे में रिपोर्ट किए गए मामले

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष	बाघ	शेर	हाथी	तेंदुआ	गैंडा	मोर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1999	2	–	–	1	–	–
		2000	4	–	–	5	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	1	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	1	—	—
		कुल	7	—	—	7	—	—
2.	असम	1999	—	—	2	—	19	—
		2000	4	—	3	2	17	—
		2001	—	—	9	—	10	—
		2002	—	—	—	—	2	—
		कुल	4	—	14	2	48	—
3.	बिहार	1999	—	—	1	—	—	—
		2000	—	—	—	—	—	—
		2001	—	—	—	—	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	—	—	1	—	—	—
4.	दिल्ली	1999	1	—	—	—	—	—
		2000	2	—	—	2	—	—
		2001	—	—	—	6	—	—
		2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	3	—	—	8	—	—
5.	छत्तीसगढ़	1999	—	—	—	—	—	—
		2000	—	—	—	—	—	—
		2001	—	—	—	—	—	1
		2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	—	—	—	—	—	1
6.	गोवा	1999	—	—	—	—	—	—
		2000	—	—	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	–	–	–	–	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	1	–	–
7.	गुजरात	1999	–	2	–	1	–	1
		2000	–	1	–	–	–	6
		2001	–	–	–	–	–	6
		2002	–	–	–	–	–	5
		कुल	–	3	–	1	–	18
8.	हिमाचल प्रदेश	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	–	1	–	–
		2001	–	–	–	1	–	–
		2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	2	–	–
9.	झारखंड	1999	–	–	–	–	–	–
		2000	–	–	–	–	–	–
		2001	–	–	–	–	–	–
		#2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	1999	–	–	16	–	–	–
		2000	–	–	19	–	–	–
		2001	–	–	–	–	–	–
		#2002	–	–	–	–	–	–
		कुल	–	–	35	–	–	–
11.	केरल	1999	–	–	1	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2000	—	—	1	—	—	—
		2001	3	—	—	—	—	—
		#2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	3	—	2	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	1999	9	—	—	15	—	3
		2000	4	—	—	9	—	9
		2001	4	—	—	2	—	6
		#2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	17	—	—	26	—	18
13.	महाराष्ट्र	1999	3	—	—	2	—	—
		2000	4	—	—	5	—	1
		2001	17	—	—	6	—	3
		#2002	3	—	—	1	—	—
		कुल	27	—	—	14	—	4
14.	उड़ीसा	1999	1	—	4	—	—	—
		2000	—	—	3	—	—	—
		2001	—	—	—	—	—	—
		#2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	1	—	7	—	—	—
15.	पंजाब	1999	—	—	—	—	—	—
		2000	—	—	—	8	—	—
		2001	—	—	—	—	—	—
		#2002	—	—	—	—	—	—
		कुल	—	—	—	8	—	—
16.	राजस्थान	1999	—	—	—	4	—	—
		2000	2	—	—	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2001	—	—	—	2	—	—
		#2002	1	—	—	2	—	—
		कुल	3	—	—	9	—	—
17.	तमिलनाडु	1999	2	—	5	1	—	—
		2000	—	—	7	—	—	—
		2001	—	—	—	26	—	3
		#2002	—	—	—	1	—	—
		कुल	2	—	12	28	—	3
18.	उत्तर प्रदेश	1999	14	—	—	56	—	—
		2000	12	—	—	166	—	—
		2001	20	—	—	28	—	2
		#2002	1	—	—	—	—	1
		कुल	47	—	—	250	—	3
19.	उत्तरांचल	1999	—	—	—	—	—	—
		2000	—	—	—	—	—	—
		2001	—	—	—	—	—	—
		#2002	1	—	—	3	—	—
		कुल	1	—	—	3	—	—
20.	पश्चिमी बंगाल	1999	6	—	9	—	1	—
		2000	7	—	3	—	1	—
		2001	2	—	5	3	1	—
		#2002	—	—	—	1	—	—
		कुल	15	—	17	4	3	—
	कुल योग		130	3	88	363	48	50

वर्ष 2002 की सूचना 31.10.2002 तक है।

* वित्तीय वर्ष संबंधी आंकड़े।

विवरण-II

बालाघाट, मध्य प्रदेश में वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों की जब्तियों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	जब्तियों की संख्या
1.	2000	2
2.	2001	3
3.	2002	शून्य

हरिद्वार उत्तरांचल में वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों की जब्तियों की संख्या

क्रमांक	वर्ष	जब्तियों की संख्या
1.	2000	9
2.	2001	2
3.	2002	5

कपास के नकली बीजों का विपणन

*10. **श्री अनंत गुडे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि समुदाय को कपास के घटिया/नकली बीजों के विपणन करने हेतु उत्तरदायी कपास के बीजों के उत्पादकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कपास बीजों सहित निकृष्ट/मिलावटी/घटिया बीजों के उत्पादकों/व्यापारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बीज कानून के प्रवर्तन संबंधी विवरण

(क) बीज अधिनियम, 1966 के तहत लिए गए नमूने

क्रम सं०	विवरण	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	54421	63747	85221
2.	घटिया पाए गए नमूनों की संख्या	4525	4893	6641
3.	घटिया बीज बेचने वाले व्यापारियों की संख्या	2988	3155	3283
4.	मामलों की संख्या, जिनमें चेतावनी दी गई	2055	2774	2561
5.	मामलों की संख्या, जिनमें बिक्री रोकने के आदेश जारी किए गए	1707	2420	2549
6.	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	1276	1107	545
7.	न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या जिनमें सजा/कारावास दिया गया	63	79	172
8.	मामलों की संख्या, जिनमें बीज जब्त किए गए	15	48	शून्य

(ख) बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के अन्तर्गत लिए गए नमूने

क्रम सं०	विवरण	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	लिए गए नमूनों की कुल संख्या	40056	87407	61076
2.	मामलों की संख्या, जिनमें दस्तावेज जब्त किए गए	818	26	25
3.	मामलों की संख्या, जिनमें बीज जब्त किए गए	74	47	43
4.	मामलों की संख्या, जिनमें अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया	24	75	4

स्रोत : राज्य सरकारें।

[हिन्दी]

दक्षता विकास कोष

*11. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की दक्षता में सुधार करने के लिए एक दक्षता विकास कोष (एस डी एफ) की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षता विकास कोष की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपबन्धों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) और (ख) रोजगार अवसरों पर डा० एम०एस० अहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित कार्यबल, डा० एस०पी० गुप्ता की अध्यक्षता में दसवीं योजनावधि में प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार अवसरों के लक्ष्य वाले विशेष समूह, द्वितीय श्रमयोग तथा अनेक दूसरी समितियों/समूहों ने कामगारों के कौशल स्तर में सुधार तथा श्रम बल में नए प्रवेशार्थियों के कौशल विकास हेतु कौशल विकास निधि की स्थापना की सिफारिश की।

कार्यबल ने जहां यह सुझाव दिया है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उपयोग हेतु कम्पनियों पर लगाए जाने वाले लघु कर का अंशदान कौशल विकास निधि में किया जाए, तो वहीं विशेष समूह ने उद्योग तथा सरकार के मध्य साझेदारी आधार पर ऐसी कौशल विकास निधि की स्थापना की सिफारिश की जिसमें स्वैच्छिक अंशदान का बहुत बड़ा भाग उद्योग से प्राप्त हो सके। द्वितीय श्रमायोग ने कामबंदी, छंटनी तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना / कार्य से जल्दी ही विमुक्त करने वाली योजनाओं के कारण अधिशेष / बेकार हुए कामगारों को पुन:प्रशिक्षित तथा असंगठित क्षेत्र में श्रम को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास निधि की स्थापना की सिफारिश की है। इन सभी समितियों ने सरकार से उपयुक्त अंशदान के साथ नियोक्ता से निधियां एकत्र करने की सिफारिश की है। द्वितीय श्रमायोग ने सरकार एवं नियोक्ता के अंशदान के अलावा कर्मचारी के अंशदान की भी सिफारिश की है। पहले से विद्यमान कर छूट के अलावा उपयुक्त कर छूट का भी सुझाव दिया गया है।

7 से 8 नवम्बर, 2002 के दौरान असंगठित क्षेत्र के श्रम पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें कौशल विकास एवं अनौपचारिक क्षेत्र में प्रशिक्षण चर्चा के मुद्दों में से एक था। कर्मचारी एवं नियोक्ता संगठनों के अनेक विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, सरकारी अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया। संगोष्ठी की सिफारिशों में से एक सिफारिश कौशल विकास निधि की स्थापना करना था।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी शिखर बैठक

*12. **श्री राम मोहन गाद्दे** :
श्री पी०आर० किन्दिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन संबंधी शिखर बैठक हाल ही में राजधानी में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन्हें बैठक में उठाया गया और जिन पर चर्चा की गई और सहभागियों द्वारा क्या सुझाव दिए गए थे; और

(ग) बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय क्या हैं और इन पर अमेरिका और केन्द्र सरकार की अलग-अलग क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) "युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज" के पक्षकारों का आठवां सम्मेलन हाल ही में नई दिल्ली में 23 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2002 तक आयोजित किया गया।

सम्मेलन की समाप्ति के बाद जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के संबंध में जारी की गई देहली मिनिस्ट्रियल डिक्लेयरेशन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के बीच संबंध है तथ इसमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति अनुकूलन के मामले पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उक्त कान्फ्रेंस में विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष जलवायु परिवर्तन कोष तथा अत्यल्प विकसित देश कोष का प्रचालन करने का सुझाव दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत रिपोर्टिंग और समीक्षा और स्वच्छ विकास तंत्र के एक्सीक्यूटिव बोर्ड के क्रियाविधि नियमों के साथ-साथ लघु स्तर की स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं के लिए सरलीकृत पद्धतियों और क्रियाविधियों से संबंधित मामलों पर तीन वर्षों से हो रहा विचार-विमर्श भी इस कांफ्रेंस मे सम्पन्न हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों के बारे में शिक्षा, प्रशिक्षण और जन-जागरुकता के संबंध में नई दिल्ली कार्य योजना भी अंगीकार की गई।

विकसित देशों का एक समूह वर्ष 2012 से आगे की अवधि के लिए ग्रीन हाऊस गैस न्यूनीकरण वचनबद्धताओं के बारे में देशों की व्यापक भागीदारी पर बातचीत शुरू करने की प्रक्रिया आरम्भ कराना चाहता था। इस विषय पर भारत सहित कई विकासशील देशों द्वारा इस आधार पर सफल प्रतिरोध किया गया कि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन की मात्रा सामान्यतया विकसित देशों की तुलना में कम है और विकासशील देशों की उच्च प्राथमिकता गरीबी को दूर करने की है जिसके लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है। युनाइटेड स्टेट्स द्वारा कांफ्रेंस के दौरान इस तरह की प्रक्रिया की शुरूआत पर जोर नहीं दिया गया।

एलायंस एयरलाइंस

*13. **श्री किरीट सोमैया** :
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एलायंस एयरलाइंस' नामक अलग एअरवेज की स्थापना करने के पीछे क्या प्रयोजन है;

(ख) क्या इन प्रयोजनों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या हाल में एलायंस एयरलाइंस के विमानों में हुई दुर्घटनाओं मे वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यात्रियों और विमानों की सुरक्षा हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(च) क्या सरकार का विचार संविदा के आधार पर रखे गए एलायंस एयरलाइंस के कर्मचारियों की सेवा शर्तों की संवीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह संवीक्षा कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) एलाएंस एयर, एयरलाइन एलाएड सर्विसेज लिमिटैड (एएएसएल) द्वारा परिचालित एयरलाइन है, यह इंडियन एयरलाइंस के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एयरलाइन एलाएड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल) को इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्ष 1983 में आरंभ किया गया था, परंतु तब तक यह निष्क्रिय रही जब तक दिसंबर 1995 में इसे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोबारा से सक्रिय करने का फैसला किया गया :-

- एलाएंस एयर में, खुले बाज़ार (ओपन मार्केट) से लेकर शामिल किए गए कमांडरों के माध्यम से बोइंग-737 विमान के उपयोग को बढ़ाया जाना।
- इस प्रकार के विमानों पर अपग्रेडेशन/कनवर्सन ट्रेनिंग के लिए बोइंग पायलटों की उपलब्धता के कारण ए-320 और ए-300 विमानों का उपयोग बढ़ाया जाना।
- क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे विमानों को लेने/लीज़ पर लेकर चलाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि इंडियन एयरलाइंस, लंबी दूरी के प्रचालनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके।

कंपनी ने अप्रैल, 1996 में अपना कार्य करना आरंभ किया।

(ख) जी, हां। विवरण निम्नानुसार है :-

विमानों का उपयोग बढ़ना :

इंडियन एयरलाइंस/एलाएंस एयर के बेड़े के विमानों का, वर्ष 1995-96 में बढ़ा हुआ औसत वार्षिक उपयोग निम्नानुसार था :-

विमान का प्रकार	प्रति विमान, प्रति वर्ष औसत उपयोग (घंटों में)
बी - 737	1629
ए - 300	2182
ए - 320	2148

एलाएंस एयर को आरंभ करने के बाद इन विमानों का औसत उपयोग बढ़ा है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में भी दिखाया गया है :-

विमान का प्रकार	प्रति विमान, प्रति वर्ष औसत उपयोग (घंटों में)		
	1999-2000	2000-01	2001-02
बी - 737	2849	2728	2745
ए - 300	2274	2400	2491
ए - 320	2954	3048	3178

छोटे विमानों का उपयोग :

एलाएंस एयर, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगाने के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए 4एटीआर 42-320 विमानों को लीज़ पर ले रही है। इन विमानों को दिसंबर, 2002 से चरणबद्ध तरीके से लगाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) एलाएंस एयर में, इंडियन एयरलाइंस से लिए गए कर्मचारियों को छोड़कर, बाकी सभी कर्मचारी लघु-अवधि के लिए पुनर्नवीनीकरण ठेके पर हैं। ये सभी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, वार्षिक वेतन वृद्धि, छुट्टी, एयन पैसेजेज़, कैंटीन सुविधा, स्टॉफ ट्रांसपोर्ट वगैरह जैसी सुविधाओं के लिए पात्र हैं। एलाएंस एयर के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है।

व्यावहारिक विकास संबंधी पृथ्वी सम्मेलन

*14. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत द्वारा जोहान्सबर्ग में हाल ही में हुए व्यावहारिक विकास संबंधी पृथ्वी सम्मेलन में विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए रियायतें, सहायता और सलाह प्राप्त करने के लिए किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्रस्तावों के बारे में सम्मेलन में कोई सहमति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये, घोषणाओं और प्रस्तावों में किस प्रकार परिलक्षित हुए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में साझा किन्तु अलग-अलग दायित्वों के यथा सहमत सिद्धान्त को क्षीण करने के लिए विकसित देशों द्वारा किए गए प्रयासों की पृष्ठ भूमि में प्रारंभ हुआ। भारत को समान विचारों वाले देशों की मदद से औद्योगिक देशों की ओर से इन सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अभिपुष्टि कराने में सफलता मिली। विकासशील देशों द्वारा लोगों को स्वच्छ जल व सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना, जैव-विविधता के नुकसान को रोकना और निवारण करना तथा उनका सतत उपयोग, खपत और उत्पादन की मौजूदा असतत पद्धतियों को बदलना तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रियान्वयन साधनों को सुनिश्चित करना जैसे समान महत्व के मुद्दे उठाए गए। इकोलेबलिंग जीवन चक्र विश्लेषण पद्धति तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख श्रम मानकों को शामिल करना आदि जैसी प्रकृति के कृत्रिम व्यापार अवरोधों का विकासशील देशों द्वारा सफलतापूर्वक सामना किया गया।

(ख) सम्मेलन के बाद जारी क्रियान्वयन योजना और राजनीतिक घोषणा में विकासशील देशों के सरोकारों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है तथा डब्ल्यू एस एस डी के बाद सभी देशों के बीच आम सहमति को प्रतिबिंबित किया गया है। क्रियान्वयन योजना में इन मामलों से निपटने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग की गई है।

(ग) सरकार द्वारा वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं, जिनमें सतत विकास संबंधी सभी तत्व निहित हैं, के बैंचमार्क पर अपने कार्यनिष्पादन की नियमित रूप से मानीटरी की जाती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने विश्व शिखर सम्मेलन में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक कार्यतंत्र स्थापित किया है।

पर्यटन उद्योग का पुनरूद्धार

*15. **प्रो० दुखा भगत :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि हाल में पर्यटन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन उद्योग के पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित उपचारात्मक उपाय क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। 11 सितमबर, 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयार्क में घटी घटना एवं भारत एवं इसके आसपास घटी अन्य सुरक्षा संबंधी घटनाओं से पर्यटन पर पूरे विश्व में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सितम्बर, 2001 से अक्तूबर, 2002 तक की अवधि के दौरान भारत में विदेशी पर्यटक आगमन में 14.6 प्रतिशत एवं पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में 9.9 प्रतिशत की कमी आई।

(ख) केन्द्र सरकार ने पर्यटन उद्योग के पुनरूद्धार के लिए 2002-03 के बजट प्रस्तावों में निम्नलिखित कर रियायतों की घोषणा की है :-

- पूर्वोत्तर से और वापिसी पर हवाई यात्रा पर हवाई यात्रा कर में छूट।
- पहले से दी गई सेवा कर छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ाना : कार्यक्रमों तथा बैंक्वटों, जहां समस्त बिल केटरिंग सेवाओं के लिए हों, ऐसे मामलों में कोई सेवा कर प्रभारित नहीं होगा।
- होटलों पर व्यय कर आगे से केवल कमरा प्रभारों पर लागू होगा।
- व्यय कर लगाने के लिए न्यूनतम सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करना।
- आयकर अधिनियम की धारा 80 एच एच सी तथा 80 एच एच डी के बीच असमानताओं को हटा दिया गया है।
- आयकर अधिनियम की धारा 80 1 बी के अधीन समागम केन्द्र स्थापित करने वाली ईकाइओं द्वारा अर्जित लाभों के 50% की कटौती की 5 वर्षों के लिए अनुमति होगी।
- आयातित मदिरा पर सीमाशुल्क 210% से घटाकर 182% कर दिया गया है।
- आयकर अधिनियम की धारा 194 एच के अंतर्गत स्रोत पर कर 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, पर्यटन विभाग की, पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, निम्नलिखित लघु अवधि और दीर्घावधि योजनाएं हैं, जिससे भारतीय पर्यटन उद्योग लाभप्रद बन सकें :-

1. पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।

2. एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।

3. नए पर्यटन बाजार की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत के वर्तमान उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना।

4. विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।

5. सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

6. ग्रामीण और लघु पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना।

7. सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना; और

8. पर्यटन परिपथों का विकास और मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार करना ताकि स्वेदशी पर्यटन में आसानी से वृद्धि की जा सके।

(ग) वर्ष 2002-2003 में योजना स्कीम के लिए 225 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के आबंटन से 50% अधिक है। योजना आयोग ने नौवीं योजना के दौरान वास्तविक रूप से मुहैया कराए गए 595 करोड़ रुपए की तुलना में दसवीं योजना के लिए 2900 करोड़ रुपए का आबंटन दर्शाया है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत संगठनों को विदेशी सहायता

*16. **श्री मनसुखभाई डी० वसावा :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण विकास में लगे किन-किन संगठनों को विदेशी सहायता मिल रही है;

(ख) क्या सरकार को इन संगठनों के कार्यकलापों के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम
1	2
1.	मै० ए ए अत्तरवाला एण्ड कं०, मुम्बई, महाराष्ट्र
2.	अकरा पैक इंडिया प्रा० लि० वापी, गुजरात, मैसर्स
3.	भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद
4.	मै० एरो इण्डस्ट्रीज ऐरोसोल, वापी, गुजरात
5.	मै० एरो पैक प्रोडक्ट्स, मुम्बई, महाराष्ट्र
6.	मै० एरो फार्मा, मुम्बई, महाराष्ट्र
7.	मै० एरोल फारम्यूकलेशन, नई दिल्ली
8.	मै० एरोप्रेस, वापी, गुजरात
9.	मै० ऐरोसौल्स डी एशिया प्राईवेट लि०, गुजरात
10.	मै० आगा खान फाउन्डेशन
11.	अगरकर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पुणे
12.	अहमदाबाद टैक्सटाईल इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन (एटीआईआरए) अहमदाबाद
13.	अजय कौरयूगेटिंग एण्ड प्लास्टिक प्रा० लि० गुजरात, मै०
14.	अलस्का इन्डस्ट्रीज, दमन, मै०
15.	अल्फा फोम्स, महाराष्ट्र, मै०
16.	अलका इण्टरनेशनल लि०, अलीगढ़, उ०प्र०, मै०

1	2
17.	ऑल इण्डिया इंस्टीच्यूट ऑफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ
18.	अल्फा ड्रग्स लि०, पटियाला, पंजाब, मै०
19.	अमर इन्टरप्राईजेज, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
20.	अमित पोलीसीट्स लि० उत्तर प्रदेश, मै०
21.	आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
22.	अपोलो स्टीलक्राफ्ट्स, वजीरपुर, दिल्ली, मै०
23.	आरकेय इन्डस्ट्रीज, गोवा, मै०
24.	आशा हैंडीक्राफ्ट्स, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
25.	अशोक मेटल्स, दिल्ली, मै०
26.	अशोक इंजीनियरिंग कं०, नई दिल्ली, मै०
27.	एशियन एरोसौल्स प्रा०लि०, गुजरात, मै०
28.	एशियन सेंटर फॉर ऑर्गेनाईजेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली
29.	एटकिन्स, नई दिल्ली, मै०
30.	बाबा इन्स्यूलेटरस, दिल्ली, मै०
31.	बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउण्डेशन
32.	बेकलाईट हाईलेम लि०, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश, मै०
33.	बंसल प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, दिल्ली, मै०
34.	बीयर्डशैल लि० चैन्नई, तमिलनाडु
35.	बेनजोन केमीकल्स इण्डस्ट्रीज मै०
36.	वेस्ट प्लास्ट्रोनिक्स प्रा०लि०, नई दिल्ली, मै०
37.	भारत कॉटेज इन्डस्ट्रीज, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
38.	भारत इंजीनियरिंग वर्क्स, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
39.	भारत प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, दमन, मै०
40.	भारत सीट्स लि०, हरियाणा, मै०
41.	भाटिया प्लास्टिक्स, नई दिल्ली, मै०
42.	ब्लॉकिंग्सण्, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
43.	ब्लू स्टोर लि०, थाणे, महाराष्ट्र, मै०
44.	ब्लप्लास्ट कॉरपोरेशन, महाराष्ट्र, मै०
45.	बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी
46.	बीपीएल रेफ्रीजरेशन लि०, बंगलौर, कर्नाटक, मै०
47.	कैम्फर एण्ड अलाईड प्रोडक्ट्स लि०, बड़ौदा, गुजरात, मै०
48.	कैरीआईर इक्यूपमेंट, इंडिया प्रा०लि०, नोएडा, उत्तर प्रदेश, मै०
49.	कैस्केड काउन्सेल लि०, नई दिल्ली, मै०
50.	सेलो प्लास्ट, दमन, मै०
51.	सेलो थर्मोवेयर लि०, दमन, मै०
52.	सेन्टर ऑफ माईनिंग एनवायरमेंट, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद
53.	सेन्ट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इन्स्टीच्यूट, मैसूर
54.	सेन्ट्रल लैदर रिसर्च इंस्टीच्यूट, अडयर, तमिलनाडु
55.	सेन्ट्रल माइनिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, धनबाद
56.	सेन्ट्रल पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड, (सीपीसीबी) दिल्ली
57.	सेंटर फॉर इनवायरन्मेंटल एजुकेशन (सीईई), अहमदाबाद
58.	सेंटर फॉर साईंस एण्ड इनवायरनमेंट (सीएसई) नई दिल्ली
59.	चन्द्रा फ्रिग. कं०प्रा०लि०, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, मै०
60.	केम वर्स कन्सलटेन्ट्स, महाराष्ट्र, मै०
61.	चिपलून फाइन केमिकल्स लि०, रतनागिरी, महाराष्ट्र, मै०
62.	कूबेल्स आटोमोबाईल इंजीनियर्स, हरियाणा, मै०
63.	क्राउन इन्डस्ट्रीज, गुजरात, मै०
64.	क्रिस्टल इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड प्लास्टिक
65.	डक्कन इंजीनियरिंग इन्टरप्राइजेज, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मै०
66.	डेल्टा फोम्स इंजीनियरिंग कं०, पुणे, महाराष्ट्र, मै०

1	2
67.	डेवीसन्स प्रा०लि०, इन्टरप्राईजेज, दिल्ली, मै०
68.	दुआब इण्टरनेशनल, हरियाणा, मै०
69.	ड्यूरोफ्लेक्स, होसुर, हरियाणा, मै०
70.	ईगल फ्लास्क्स इण्डस्ट्रीज लि०, महाराष्ट्र, मै०
71.	इको मेन कन्सलटेन्ट्स (पी) लि०, लखनऊ
72.	इलैक्ट्रोलक्स केल्वीनेटर लि०, अलवर, राजस्थान, मै०
73.	इनरटेक इंजीनियरिंग प्रा०लि०, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
74.	इंजीनियरिंग इन्ड्रस्ट्रीज, मजगांव, (इआईएम), महाराष्ट्र, मै०
75.	इन्कै फोम प्रा०लि०, बागपत, उत्तर प्रदेश
76.	इन्वायरो इन्फरास्टक्चर क०लि०, वडोदरा, गुजरात, मै०
77.	इन्वायरो टैक्नोलॉजी लि०, अंकलेश्वर (गुजरात) मै०
78.	इन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (इपीटीआरआई), हैदराबाद
79.	ईआरएल-बंगलौर, कर्नाटक, मै०
80.	ईआरएम इंडिया प्रा०लि०, नई दिल्ली, मै०
81.	एस्सा एयरकोन्स लि०, दमन, मै०
82.	इवरशाइन प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०, डिस्ट्रीक गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश मै०
83.	एक्सेल इण्डस्ट्रीज लि०, गुजरात, मै०
84.	एक्सपेन्डेड कॉरपोरेशन, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
85.	एफडीसी लिमिटेड, रोहा, महाराष्ट्र, मै०
86.	फेड्डरस लॉयड कॉरपोरेशन लि०, नोएडा, उत्तर प्रदेश मै०
87.	फलेक्सो फोम प्रा०लि०, गुड़गांव, हरियाणा, मै०
88.	फोम एण्ड पोलीमर्स, हरियाणा, मै०
89.	फाउण्डेशन फॉर रेवीटेलाइजेशन ऑफ लोकल हेल्थ ट्रेडिशन (एफआरएलएचटी), बंगलौर
90.	फ्रीजकिंग इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली, मै०
91.	फ्रिज-टेक, प्रा०लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
92.	ग्लेक्सी एफआरपी प्रा०लि०, हरियाणा, मै०
93.	गंगा थर्मोवेयर, उत्तर प्रदेश, मै०
94.	जीजीईएल (फेज-II), महाराष्ट्र, मै०
95.	जीएचके इन्टरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली, मै०
96.	गोदरेज जी ई एपलिएन्स लि०, फेज-I, फोम पार्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
97.	जीआरडी केमिकल्स लि०, इन्दौर, मध्य प्रदेश, मै०
98.	गुजरात इकोलॉजी कमीशन, वड़ोदरा
99.	गुजरात पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड
100.	हरबंश लाल मल्होत्रा एण्ड सन्स लि०, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, मै०
101.	हरिता ग्रामर लि०, होसूर, तमिलनाडु, मै०
102.	हरजस प्लास्टिक एण्ड मेटल काम्पोनेंट प्रा०लि०, महाराष्ट्र, मै०
103.	हिन्दुस्तान रेफ्रिजरेशन इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली, मै०
104.	हिन्दुस्तान सिरिन्जिस एण्ड मेडीकल डेविस प्रा०लि०, बल्लभगढ़, हरियाणा, मै०
105.	आईआईटी, खड़गपुर
106.	आईआईटी, मंकापुर, उत्तर प्रदेश
107.	इनाल्सा लि०, नई दिल्ली, मै०
108.	इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम)
109.	इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कापरेटिव
110.	इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, दिल्ली
111.	इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, मुम्बई
112.	इंडियन पोटाश लिमिटेड

1	2
113.	इंडियन टौस्कीकोलोजिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ
114.	इन्डस्ट्रीयल फोम्स, नई दिल्ली, मै०
115.	इन्स्टीच्यूट ऑफ माइक्रोबियल टैक्नोलॉजी, चण्डीगढ़
116.	इन्टीग्रेटेड कोस्टल एण्ड मैरिन एरिया मैनेजमेंट–प्रोजेक्ट डाइरेक्टोरेट, (आईसीएनएएम-पीडी), चेन्नई
117.	इन्टरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेन्टर
118.	ईश्वर आर्टस, हलोल, गुजरात, मै०
119.	ईश्वर आशिष प्लास्टिक प्रा०लि०, हलोल, गुजरात, मै०
120.	आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर, कर्नाटक
121.	आईटीआई, पालाक्कड़, केरल
122.	जय रिसर्च फाउण्डेशन, वलवाडा, गुजरात
123.	जायसवाल इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली, मै०
124.	जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
125.	जेपी टैक्नौप्लास्ट प्रा०लि०, जम्मू, मै०
126.	जयसन इंडस्ट्रीज, दिल्ली, मै०
127.	जोती फोम्स प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, महाराष्ट्र, मै०
128.	के०बी० पोली इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०, उड़ीसा, मै०
129.	के०जे० पोलीमेयर प्रा०लि०, दिल्ली, मै०
130.	कर्नाटक कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स, कुरलोन, बंगलौर, मै०
131.	कनार्टक स्टेट कॉन्सिल फॉर साईंस एण्ड टैक्नोलॉजी
132.	कर्नाटक स्टेट पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड
133.	केगी फोम्स प्रा०लि०, पुणा, महाराष्ट्र, मै०
134.	किर्लोस्कर कोपलैण्ड लि०, कराड, महाराष्ट्र, मै०
135.	कूवरेजी देवशी एण्ड कं० प्रा०लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
136.	कृष्णा फ्रैब्रिकेशन्स लि०, बंगलौर, कर्नाटक, मै०
137.	लियर इन्सुलेशन इंजीनियरिंग प्रा०लि०, दादर, मुम्बई, मै०
138.	लेजेण्ड अंटीरियरस, दिल्ली, मै०
139.	ल्लोयड इन्स्यूलेशन्स लि०, इन्दौर, मध्य प्रदेश, मै०
140.	लोकतक डेवलपमेंट ऑथरिटी, मणिपुर
141.	लॉस ऑफ इकोलॉजी एण्ड पेमेन्ट ऑफ कम्पेन्सेशन ऑथरिटी, चेन्नई
142.	मध्य प्रदेश पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड
143.	मद्रास पोलीमाऊण्ड, चेन्नई
144.	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई
145.	महावीर इन्टरप्राइजेज, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
146.	माजा कॉमेटिक्स प्रा०लि०, दिल्ली, मै०
147.	मालानाडू डेवलपमेंट सोसायटी
148.	मलानपुर एनटेक प्रा०लि० (एमपी), मै०
149.	मल्होत्रा शेविंग प्रोडक्ट्स लि०, आन्ध्र प्रदेश, मै०
150.	मालविका पोलीमियरस, गुड़गांव, हरियाणा, मै०
151.	मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन्स्टीच्यूट, गुड़गांव, हरियाणा
152.	मनाली पेट्रो-केमिकल्स, चेन्नई, तमिलनाडू, मै०
153.	मणिपुर त्रिबल डेवलपमेंट कॉपरेशन, इम्फाल, मणिपुर
154.	मयुर जग्स प्रा०लि०, दिल्ली, मै०
155.	मीनाक्षी पोलीमियर प्रा०लि०, दिल्ली, मै०
156.	मेघदूत रेफ्रिजेरेशन इन्डस्ट्रीज, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
157.	माइक्रोराज इलेक्ट्रोनिक्स प्रा०लि० एण्ड आर सी(सेल) प्रा०लि०, हैदराबाद (एमआरए) आन्ध्र प्रदेश, मै०
158.	मिदास केयर फामोस्यूटिक्लस, महाराष्ट्र, मै०
159.	मिल्टन प्लास्टिक, महाराष्ट्र, मै०
160.	मिल्टन पोलीप्लास, महाराष्ट्र, मै०

1	2
161.	मोदी जिरोक्स, रामपुर, उत्तर प्रदेश
162.	एम-प्लास्ट, दिल्ली, मै०
163.	एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउण्डेशन, चेन्नई
164.	मुरली रेफ्रिजरेशन एण्ड इंजीनियरिंग कं० कोचीन, केरल, मै०
165.	माई फेयर लेडी, नई दिल्ली, मै०
166.	एमवाईआरएडीए, कद्री, अनन्तपुर, आन्ध्र प्रदेश
167.	एन.डी. प्लास्टिक्स, दिल्ली, मै०
168.	नन्दा दीप फ्राब्रोटेक प्रा०लि०, डोविबिवि(ई), महाराष्ट्र, मै०
169.	नौरंग प्लास्ट, दिल्ली, मै०
170.	नैशनल इनवायरन्मेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट (नीरी), नागपुर
171.	नैशनल प्लास्ट इन्डस्ट्रीज लि०, गुजरात, मै०
172.	नैशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फाईनेंमियल मैनेंजमेंट, फरीदाबाद
173.	नैशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्डस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुम्बई
174.	नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बंगलौर
175.	नैशनल प्लास्टिक, दमन, मै०
176.	नैशनल प्रोडक्टीविटी कॉन्सिल (एनपीसी), नई दिल्ली
177.	नैशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, हैदराबाद
178.	नव टैक्सफैब प्रा०लि०, उत्तर प्रदेश, मै०
179.	नेटप्लास्ट लि० कानपुर, उत्तर प्रदेश, मै०
180.	न्यू एज इन्डस्ट्रीज, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
181.	न्यू फायर इंजीनियर्स प्रा०लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०
182.	एनएफआई, सूरत, गुजरात, मै०
183.	निन्दरा फोम्स, दिल्ली, मै०
184.	निशान थर्मोवेयर प्रा०लि०, दमन, मै०
165.	नितीन फायर प्रोटैक्शन इन्डस्ट्रीज लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र, मै०

1	2
186.	एनयू–फोम रबर इन्डस्ट्रीज प्रा०लि०, गुड़गांव, हरियाणा, मै०
187.	ओ०के० इन्डस्ट्रीज, दिल्ली, मै०
188.	ऑकार पीयूएफ इन्सूलेशन, मुम्बई महाराष्ट्र, मै०
189.	ऑरगेनिक केमीकल्स लि०, टनुकू, आंध्र प्रदेश, मै०
190.	ओटो इंडस्ट्रीज, प्रा०लि०, बल्लभगढ़, हरियाणा मैसर्स
191.	पी०के० कंस्ट्रक्शन कम्पनी, दिल्ली मैसर्स
192.	पी एल एल वाय आर ए, सेंटर फार इकोलॉजिकल लैंड यूज एंड रूरल डेवलपमेंट पांडिचेरी
193.	पन्ना इंटरनेशनल, गुजरात मैसर्स
194.	पेनोराम प्लास्टिक्स, हलोल, गुजरात मैसर्स
195.	पेट्रो फोम्स, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश मैसर्स
196.	पफेडा सिंथेटिक प्रा०लि०, नई दिल्ली मैसर्स
197.	पिन्नेकल इंडस्ट्रीज लि० पिथानपुर, मध्य प्रदेश मैसर्स
198.	पोलर एंटर प्राइजेज मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
199.	पोली ग्लास फाइबर उद्योग प्रा०लि०, नई दिल्ली मैसर्स
200.	पोली फ्लैक्स लि०, बंगलौर मैसर्स
201.	पोलीमर मैन (एशिया) प्रा०लि०, नासिक, महाराष्ट्र मैसर्स
202.	पोलीनेट फोम्स प्रा०लि०, बंगलौर मैसर्स
203.	पोली प्रोड्क्टस, बड़ौदा, गुजरात मैसर्स
204.	पोलीरब इंडस्ट्रीज, बड़ौदा, गजरात मैसर्स
205.	प्रदीप शेट्टी लि०, अलीबाग, महाराष्ट्र मैसर्स
206.	प्रणव विकास इंडिया लि०, हरियाणा मैसर्स
207.	प्रीमियम मोल्डिंगस एंड प्रेसिंग प्रा०लि०, हरियाणा मैसर्स
208.	प्रिमरॉस मल्टीप्लास प्रा०लि०, दिल्ली मैसर्स
209.	प्रिंस प्लास्टोवेयर लि०, नानी, दमन मैसर्स

1	2
210.	पफ इंसुलेटर्स, दिल्ली मैसर्स
211.	पंजाब दरी विवर्स, मुम्बई
212.	पंजाब स्कूटर्स लि०, नाभा, पंजाब मैसर्स
213.	पी यू आर, पोली यूरेथिन प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, नई दिल्ली मैसर्स
214.	प्यारेलाल कॉयर प्रोड्क्टस लि०, मेरठ, उत्तर प्रदेश मैसर्स
215.	आर एच इंडस्ट्रीज, पंजाब मैसर्स
216.	आर एस इंसुलेटर्स, दिल्ली मैसर्स
217.	राबी एन रेफ्रीजेरेशन प्रा०लि०, बंगलौर, कर्नाटक मैसर्स
218.	रायपुर एजेंसी, रायपुर, छत्तीसगढ़ मैसर्स
219.	राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
220.	रामकृष्ण मोल्डर्स, दिल्ली मैसर्स
221.	रणथम्भौर फाउंडेशन राजस्थान
222.	रस पोलीबिल्ड प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, आंध्र प्रदेश मैसर्स
223.	राष्ट्रीय कैमिकल्स लि०, मुम्बई मैसर्स
224.	रियेक्टिव पोल्लीमर्स लि०, गुजरात मैसर्स
225.	रोयल पोलीमर्स, नई दिल्ली मैसर्स
226.	रोयल वैल्यू एप्लाईनसिज़ लि०, पुणे, महाराष्ट्र मैसर्स
227.	रेफ्रिजेरेशन कम्पोनेंट्स एंड एक्सेसरिज, नई दिल्ली मैसर्स
228.	रेफ्रिजेरेटर्स एंड होम एप्लाईनसिज़ प्रा०लि० नई दिल्ली मैसर्स
229.	रिलायबल प्रोटोमोल्डर्स प्रा०लि०, पश्चिम बंगाल मैसर्स
230.	रेनपाप
231.	ऋषिरूप आर्गेनिक्स प्रा०लि० एंड ऋषि रूप पोलीमर्स प्रा०लि० वापी, गुजरात मैसर्स
232.	आर आई पी ई एस, नई दिल्ली
233.	रॉपवैल डिवाईसिज़ प्रा०लि०, सिकन्दराबाद, आंध्र प्रदेश मैसर्स
234.	रूबी एरोसॉल, दिल्ली मैसर्स
235.	एस आर पॉली स्टील प्रा०लि०, बहादुरगढ़, हरियाणा मैसर्स
236.	सचिन इन्फ्रा एनवायरनमेंट लि०, सूरत, गुजरात मैसर्स
237.	सैडी पोली प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, आंध्र प्रदेश मैसर्स
238.	साई कृपा इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र मैसर्स
239.	सलीम अली सेंटर फार ऑरनिथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर
240.	संदीप रेफ्रिजेरेशन, महाराष्ट्र मैसर्स
241.	संदेन विकास इंडिया लि०, हरियाणा मैसर्स
242.	संदलाल एयर-कॉन सिस्टम्स प्रा०लि०, जालंधर, पंजाब मैसर्स
243.	संजय इंडस्ट्रीज, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल मैसर्स
244.	सनटेक इंडस्ट्रीज पंजाब मैसर्स
245.	सपना कॉयल्स प्रा०लि०, पलगार, थाणे, महाराष्ट्र मैसर्स
246.	सपना इंजीनियरिंग, मंझगांव (एस ई एम) महाराष्ट्र मैसर्स
247.	सारा-केम प्रा०लि०, महाराष्ट्र मैसर्स
248.	सरकार रेफ्रिजेरेशन इंडस्ट्रीज, महाराष्ट्र मैसर्स
249.	सत्या दीपथा फार्मास्युटीकल्स लि० हुमनाबाद, कर्नाटक मैसर्स
250.	साहनी सीटिंग्स सिस्टम्स, सोनीपत, हरियाणा मैसर्स
251.	एस डी सी पोलीयूरेथेन प्रोडक्ट्स लि०, अहमदाबाद मैसर्स
252.	सीप्रा रेफ्रिजेरेशन प्रा०लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
253.	सेथिया एप्लाईनसिज़ प्रा०लि० हैदराबाद, आंध्र प्रदेश मैसर्स
254.	शक्ति फैब्रिकेटर्स, पंजाब मैसर्स
255.	शांति आश्रम, कोयम्बटूर
256.	शीतल इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा०लि०, अहमदाबाद, गुजरात मैसर्स
257.	शिवानाथेन लिनोपैक, हिमाचल प्रदेश मैसर्स
258.	श्री नाथ प्लास्टिक, दिल्ली मैसर्स

1	2
259.	श्री कृष्णा पोलीयूरेथेन इंडस्ट्रीज़ प्रा०लि०, दिल्ली मैसर्स
260.	श्री राम इंडस्ट्रीयल एंटरप्राइसिज़ लि०, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश मैसर्स
261.	श्रॉफ टैक्सटाइल्स लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
262.	सिधी पोलीमर प्रा०लि०, मैसर्स
263.	सिदवल रेफ्रिजेरेशन, दिल्ली मैसर्स
264.	सोल्वे मोल्डिंग प्रा०लि०, सिलवासा, दादरा और नगर हवेली, यू०टी० मैसर्स
265.	स्प्रे प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र मैसर्स
266.	एस आर पोलीमर्स एंड प्रिंटर्स, नारायणा, नई दिल्ली मैसर्स
267.	एस आर एफ, अलवर, राजस्थान मैसर्स
268.	स्टैंडर्ड कास्टिंग प्रा०लि०, दिल्ली मैसर्स
269.	स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक एप्लाईंसर्स, तमिलनाडु मैसर्स
270.	स्टैंडर्ड रेफ्रिजेरेशन एप्लाईनसिज़, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
271.	स्टीलेज इंडस्ट्रीज लि०, मीनीमेक्स डिवीजन, चेन्नई, तमिलनाडु मैसर्स
272.	स्टेला इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली मैसर्स
273.	सुब्रोस लि०, नई दिल्ली मैसर्स
274.	सन स्टीयरिंग व्हील्स लि०, गुड़गांव हरियाणा मैसर्स
275.	सुन्दर कैमिकल्स, दिल्ली मैसर्स
276.	सुन्ग्रा लि०, पुणे, महाराष्ट्र मैसर्स
277.	सुपर यूरेथेन प्रोडक्ट्स प्रा०लि० मैसर्स
278.	सुपर गोल्ड रेफ्रिजेरेशन सिस्टम्स, केरल मैसर्स
279.	सुपर टेक इंटरनेशनल, दिल्ली मैसर्स
280.	सतलुज कोच प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, जालंधर, पंजाब मैसर्स
281.	स्विस लैब लि०, रानीपेट, तमिलनाडु मैसर्स
282.	सिन्कैप्स, महाराष्ट्र मैसर्स
283.	सिंटैक्स इंडस्ट्रीज लि० मैसर्स
284.	टाटा एनर्जी रिसर्च इंसटीटयूट, नई दिल्ली
285.	टैक्नॉलॉजी इनफारमेटिक्स डिजाइन इंडावर
286.	टैक्मॉस एंटरप्राईसिज़, नई दिल्ली मैसर्स
287.	टाईगर ट्रस्ट
288.	टोक्यो प्लास्ट इंटरनेशनल लि०, दमन मैसर्स
289.	ट्रैंक्विल रबर्स, चेन्नई मैसर्स
290.	टी यू वी संदूशलैंड प्राइवेट लि०, नई दिल्ली मैसर्स
291.	यू बी पेट्रोप्रोडक्ट्स चेन्नई, तमिलनाडु मैसर्स
292.	यू फोम प्राइवेट लि०, हैदराबाद, ए पी मैसर्स
293.	अल्ट्रा टेक स्पेशलिटी केमिकल्स प्रा०लि०, न्यू मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
294.	यू एन सी प्लास्ट इंडस्ट्रीज, नवीं मुम्बई मैसर्स
295.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
296.	वी कृष्णा एंड कम्पनी, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
297.	वी कृष्णा प्रा०लि०, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
298.	वारीवार प्लास्ट प्रोडक्ट्स प्रा०लि०, उत्तर प्रदेश मैसर्स
299.	वीनस ऑटो प्रा०लि०, उत्तर प्रदेश मैसर्स
300.	वीडियोकॉन एप्लाईसेस लि०, औरंगाबाद, महाराष्ट्र मैसर्स
301.	वीडियोकॉन ग्रुप (वी सी डी) गुजरात मैसर्स
302.	विद्युत मैटेलिक्स लि० (वी एम एल) महाराष्ट्र मैसर्स
303.	विजय फायर प्रोडक्शन सिस्टम्स लि०, गुजरात मैसर्स
304.	विजय जोत सीट्स होलोल, गुजरात मैसर्स
305.	वाइकिन इंजीनियर्स प्रा०लि०, फरीदाबाद मैसर्स
306.	विक्रम प्लास्टिक्स हालोल, गुजरात मैसर्स

1	2
307.	विमल इंडस्ट्रीयल सेफ्टी इक्विमेंट कार्पोरेशन, बड़ौदा, गुजरात मैसर्स
308.	विमसंस गुजरात मैसर्स
309.	वायरल कार्पोरेशन गुजरात मैसर्स
310.	वोल्टास लि०, आंध्र प्रदेश मैसर्स
311.	वोग्रा कोर इंडस्ट्रीज, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
312.	वाटर एंड पावर कंसलटैंसी सर्विस (इंडिया) लि०, नई दिल्ली/ गुड़गांव
313.	पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
314.	पश्चिमी बंगाल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
315.	वेस्टर्न एंटरप्राइजिज, देरमोकिंग, गौरव कंट्रोल्स, दिल्ली मैसर्स
316.	वर्लपूल ऑफ इंडिया लि०, हरियाणा मैसर्स
317.	वन्यजीव संरक्षण सोसायटी
318.	वन्यजीव प्रथम बंगलौर
319.	भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून
320.	भारतीय वन्यजीव सुरक्षा सोसायटी
321.	भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट
322.	विम्को पेन कम्पनी, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स
323.	वर्ल्ड वाईल्ड फंड (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ) नई दिल्ली
324.	विश्व वन्यजीव निधि
325.	जैवियर प्रबंधन संस्थान और सेंट्री इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर
326.	ज़ीनिथ फायर सर्विसेज, मुम्बई, महाराष्ट्र मैसर्स

अधूरी सिंचाई परियोजनाएं

*17. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक सिंचाई परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त परियोजनाओं को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी भागदारी को आमंत्रित करने पर विचार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुनचरण सेठी) : (क) से (घ) ऐसी बहुत सी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनका कार्य अपने निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो रहा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के अनुसार यह देखने में आया है कि 159 वृहद, 242 मध्यम तथा 89 विस्तार, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण (ई आर एम) परियोजनाएं अपूर्ण हैं। उनमें से अधिकांश परियोजनाओं का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है। निर्माणाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन, प्रचालन एवं उनके रखरखाव का कार्य राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार स्वयं किया जाता है। किसी भी राज्य सरकार से ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या		
	वृहद	मध्यम	ई आर एम
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	14	12	8
असम	4	5	1
बिहार	8	7	4
झारखंड	7	22	—
गोवा	1	—	—
गुजरात	3	18	27
हरियाणा	5	—	1
हिमाचल प्रदेश	1	2	—

1	2	3	4
जम्मू-व कश्मीर	—	7	5
कर्नाटक	15	17	5
केरल	4	4	2
मध्य प्रदेश	16	10	3
छत्तीसगढ़	3	7	—
महाराष्ट्र	45	94	6
मणिपुर	2	2	4
मेघालय	—	1	—
नागालैंड	—	1	—
उड़ीसा	10	4	5
पंजाब	—	2	5
राजस्थान	5	4	2
तमिलनाडु	1	2	—
त्रिपुरा	—	3	—
उत्तर प्रदेश	9	1	5
उत्तरांचल	3	—	—
पश्चिम बंगाल	3	17	6
कुल	159	242	89

[अनुवाद]

एअर इंडिया का बाजार में हिस्सा

*18. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की बाजार हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(ग) एअर इंडिया की छवि को सुधारने तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या एअर इंडिया अधिक लाभ प्रदान करने वाले प्रथम श्रेणी और बिजनेस श्रेणी के मुकाबले छूट वाली इकानॉमी श्रेणी की सीटें अधिक रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो एअर इंडिया की लाभप्रदता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) और (ख) एअर इंडिया का मार्केट शेयर 1991 में 22.5% से गिरकर 2001 में 20.4% रह गया है। मार्केट शेयर में गिरावट का मुख्य कारण एअर इंडिया की क्षमता शेयर में गिरावट का आना है। भारत के लिए/से एअर इंडिया की क्षमता की तुलना में विदेशी एयरलाइनों की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी है।

(ग) समग्र ठहराव तथा विश्वभर में आर्थिक मंदी के दौर के बावजूद एअर इंडिया 69% की एक अच्छी सीट फैक्टर बनाए रखने में सक्षम रही है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से एअर इंडिया ने अपनी छवि सुधारने की लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

(1) मार्केट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानकबेकृत प्रस्थान समय के साथ मुम्बई/दुबई/मुम्बई के बीच प्रति सप्ताह 4 सीधी उड़ाने आरंभ करना (2) पहली श्रेणी तथा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में स्लीपरेटस को बदलकर प्रथम तथा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में सुविधाओं का दर्जा बढ़ाना, साथ ही उड़ानगत सेवा का दर्जा बढ़ाना (3) चालू वर्ष के दौरान विश्वभर में फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रम चलाना। जुलाई 2002 से ई-मार्केटिंग सुविधा को भी विश्वभर में विस्तार किया गया है। (4) विदेशी स्टेशनों तथा आंतरिक अंतर्देशीय स्थानों के बीच यात्रियों को सीमलैस सम्पर्क प्रदान करने के लिए इंडियन एयरलाइंस के साथ हब एण्ड स्पोक करार। (5) "वी केयर" कार्यक्रम आरंभ करना जहां फ्रंट लाइन स्टाफ को बुकिंग आफिस तथा हवाई अड्डों पर प्रशिक्षित किया जाता है जिससे यात्रियों को दी गई सेवा को अपग्रेड तथा सुधारा जा सके।

(घ) और (ङ) जी, हां। एअर इंडिया विभिन्न मार्गों पर मार्केट रुख को ध्यान में रखकर प्रथम तथा एग्जीक्यूटिव श्रेणी की तुलना में इकॉनामी श्रेणी में अधिक क्षमता की पेशकश करती है।

असुरक्षित विमानपत्तन

*19. **श्री रामजीवन सिंह :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ विमानपत्तनों को जिनमें जय प्रकाश नारायण विमानपत्तन, पटना भी शामिल है, असुरक्षित घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन विमानपत्तनों के रख-रखाव में सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को विमानपत्तनों पर सुरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : (क) से (ङ) पटना के जय प्रकाश नारायण हवाई अड्डे समेत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का ऐसा कोई भी प्रचालनात्मक हवाई अड्डा नहीं है जो असुरक्षित घोषित किया गया हो। हवाई पट्टी तक पहुंचने और टेक-ऑफ पाथ तक वृक्षों को काटने और बाधाओं आदि को दूर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से सुरक्षा मानकों को बनाए रखती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों को पेड़ों के काटने, मुआवजा आदि देने के लिए धनराशि मुहैया कराती है। सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और यदि कोई कमियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हवाई अड्डों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं हेतु आवास योजना

*20. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :**
श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के लिए आवास योजना की व्यावहारिकता की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या योजना के कार्यान्वयन से पूर्व मजदूर संघ के नेताओं से परामर्श करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० साहिब सिंह वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, ने 22.10.2002 को आयोजित अपनी 158वीं बैठक में, सिद्धांत रूप में, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के लिए एक आवास योजना शुरू करने को अनुमोदन कर दिया है। पूर्व केन्द्रीय श्रम सचिव, श्री एस० गोपालन की अध्यक्षता में नियोजकों, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करके एक समिति गठित की गई है। समिति इस स्कीम के क्रियान्वयन हेतु संभाव्यता पहलुओं का अध्ययन कर रही है। चूंकि यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अनिवार्य कार्य नहीं है, अत: अन्तर-मंत्रालयी परामर्श और सामाजिक भागीदारों के साथ परामर्श आवश्यक है। इन परिस्थितियों में, योजना के क्रियान्वयन के बारे में कोई निर्धारित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है, हालांकि इस योजना की शीघ्र शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

असम में बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

1. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और असम सरकार दोनों द्वारा अपने वायदे के मुताबिक बराबर अपेक्षित धनराशि न दिये जाने के कारण असम में 96 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं अधर में लटकी पड़ी हुई हैं और अधूरी पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण संबंधी स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण एवं निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों से तथा उनकी अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी, प्रेरणात्मक एवं संवर्द्धनात्मक स्वरूप की है।

भारत सरकार, असम सरकार को वर्ष 1974-75 से वर्ष 1999-2000 तक मार्च, 2000 तक ऋण एवं अनुदान के रूप में केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान करती रही है और कुल 401.03 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर दी गई है। साथ ही, वर्ष 2001-2002 के दौरान योजना आयोग द्वारा असम सरकार को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1998-99 से वर्ष 2001-2002 तक संसाधनों के नाम लैप्सेबल केन्द्रीय पूल के तहत 49 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है जिसमें से 30 करोड़ रुपये की राशि के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार ने इस्तेमाल कर लिया

है और राज्य सरकार द्वारा इन स्कीमों के क्रियान्वयन पर उपयोग प्रमाण-पत्र तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् निधियों की अगली किस्त जारी करने पर विचार किया जाएगा।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ के नियंत्रण करने संबंधी स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम भी तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

फ्रैंकफर्ट के लिए विमान सेवा

2. **श्री सुबोध राय** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार फ्रैंकफर्ट के लिए विमान सेवा शुरू करने और अपनी उड़ानों को लंदन की बजाय पेरिस होते हुए शिकागो ले जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) एअर इंडिया का फ्रैंकफर्ट तक सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। तथापि, शिकागो के लिए उड़ानों का प्रचालन वाया लंदन किया जाएगा और इसे वाया पेरिस मार्ग नहीं बदला जाएगा।

एअर इंडिया द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2002 से सप्ताह में तीन दिन मंगलवार/शुक्रवार/रविवार को मुम्बई/दिल्ली/फ्रैंकफर्ट/दिल्ली/मुम्बई मार्गों पर प्रचालन किया जाएगा।

एअर इंडिया दिनांक 3 दिसम्बर, 2002 से सप्ताह में तीन दिन पेरिस के लिए टर्मिनेटर उड़ानों को मुम्बई/पेरिस/न्यूयार्क/पेरिस/मुम्बई तक के प्रचालन का विस्तार किया जाएगा।

[अनुवाद]

एफ.एस.आई. द्वारा सर्वेक्षण वाहनों की खरीद

3. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफ.एस.आई.) ने वर्ष 2001 के दौरान निविदाएं आमंत्रित किए बिना 48.84 करोड़ रुपए के दो सर्वेक्षण वाहन खरीदे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सर्वेक्षण उद्देश्य के लिए दो मोनोफिलामेंट लांग लाइनर खरीदने के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इन यानों को वर्ष 2004-05 के दौरान खरीद लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

इमारती लकड़ी की तस्करी

4. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद देश में विशेष रूप से झारखंड में इमारती लकड़ी की तस्करी के कोई मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान इमारती लकड़ी की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा झारखंड और अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी की तस्करी संबंधी विशिष्ट मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में नहीं आए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में केन्द्र सरकार को रेलवे के माध्यम से अवैध इमारती लकड़ी की बड़े पैमाने पर आवाजाही संबंधी सूचना मिली थी। केन्द्र सरकार द्वारा 200 वैगनों की वास्तविक जांच की गई थी जिसके दौरान सभी वैगनों में काफी बड़ी मात्रा में अवैध इमारती लकड़ी पायी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 202/95 में दिनांक 13.11.2000 को दिए गए आदेश के माध्यम से केन्द्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मामले में जांच करने और इसके बाद अनुवर्ती कार्यवाही के लिए एक विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया गया है। जांच के पश्चात् इन वैगनों में रखी अवैध इमारती लकड़ी को जब्त कर लिया गया है। संबंधित काष्ठ आधारित उद्योगों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

लंबित पर्यटन योजनाएं

5. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित राज्यों में पर्यटन से संबंधित योजनाएं अपनी समय सीमा से पीछे चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाएं अनुमोदित की गईं और वे कहां-कहां हैं;

(ग) उनमें से कितनी योजनाएं अपनी समय-सीमा से पीछे चल रही है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है ओर सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भागीरथी-हुगली नदी का कटाव

6. **श्री मोइनुल हसन** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल हुगली जिले में गुप्तीपारा से उत्तरपारा तक भागीरथी-हुगली नदी के कटाव की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कटाव को रोकने के लिए कौन-कौन से दीर्घकालिक/अल्पकालिक कदम उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) सिंचाई एवं जलमार्ग निदेशालय, पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जब कभी आवश्यकता होती है तो आवश्यक अल्पकालिक उपाय पहले ही किए गए हैं और किए जा रहे हैं। दीर्घकालिक उपाय के संबंध में पश्चिमी बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी समिति के विचारार्थ 800.27 लाख रुपए की लागत से इस क्षेत्र के लिए गम्भीर कटाव रोधी स्कीमें तैयार की गई हैं।

कर्नाटक को विश्व बैंक की सहायता

7. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक कर्नाटक के 58 तालुकाओं में कृत्रिम रिचार्ज ढांचे के निर्माण करके भू-जल संसाधनों में वृद्धि के लिए 471 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह 12000 करोड़ रुपये की कर्नाटक जल संसाधन समेकन परियोजना का एक हिस्सा है जिसके लिए विश्व बैंक ने 5000 करोड़ रुपये जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना का दूसरा चरण शीघ्र शुरू किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या भू-जल रिचार्ज कार्यक्रम के अंतर्गत 50,221 स्थानों की पहचान की गई है जहां भू-जल संसाधनों को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रिचार्ज ढांचों का निर्माण किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) विश्व बैंक सहायता के लिए कर्नाटक सरकार से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

8. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गोदावरी संबंधी मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित न करने के कारण गोदावरी का जल व्यर्थ में समुद्र में बह जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा गोदावरी के जल के उपयोग को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच विवादों के कारण हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्यों के सदस्यों के साथ केन्द्रीय जल आयोग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या समिति द्वारा कोई स्वीकार्य फार्मूला तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा गोदावरी नदी के जल का लाभपूर्वक उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग के सदस्य, जल आयोजना और परियोजना की अध्यक्षता में गोदावरी बेसिन में इंचमपल्ली और पोलावरम परियोजनाओं की आयोजना में सम्मिलित अंतर्राज्यीय मुद्दों

का समाधान करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था इसमें संबंधित राज्यों के सदस्य शामिल थे।

(घ) इस समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें ये हैं :-

1. इंचमपल्ली अधिक उपयुक्त परियोजना है।

2. जल संसाधन मंत्रालय, इंचमपल्ली परियोजना के वास्ते संयुक्त नियंत्रण बोर्ड के गठन पर विचार कर सकती है।

3. राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) +95 मीटर पर अपने निर्णय से सूचित करें।

4. पोलावरम परियोजना के संबंध में, उड़ीसा सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से ब्यौरे प्राप्त करने के बाद अपनी सहमति/उत्तर भेजने आवश्यक हैं।

(ङ) उच्च स्तरीय समिति और इसके कार्यबल को संबंधित राज्यों और केन्द्रीय अधिकरणों के बीच विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच मुहैया कराया गया है ताकि इससे सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंचने के लिए मतभेदों को कम करने में मदद मिल सके।

(च) इंचमपल्ली और पोलावरम परियोजनाओं से संबंधित यह मामला इस सरकार द्वारा संबंधित राज्यों के समक्ष उठाया गया है। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा इंचमपल्ली परियोजना पर संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक 16 नवम्बर, 2002 को बुलाई गई थी। तथापि, छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री की पूर्व व्यस्तता के कारण यह बैठक नहीं हो सकी। इस बैठक के लिए नई तिथि निर्धारित की जानी है।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

9. **श्री राजो सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी हेतु राज्यवार कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं;

(ख) परियोजनाओं के लंबित रहने के कारण परियोजनावार कारण क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक लंबित परियोजना को कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित सात सिंचाई परियोजनाओं की सूची और उनके लंबित होने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) परियोजना पर सामान्यतया पूरी सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित होने के कारण
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा महबूब नगर, जिले में भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना	25.06.2002	विशेषज्ञ समिति की 10.7.02 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, केन्द्रीय जल आयोग से मंजूरी, जलगुणता में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय आदि पर अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। सूचना प्राप्त हो गई है और 29.11.02 को होनेवाली विशेषज्ञ समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।
2.	सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा निजामाबाद जिले में श्री राम सागर से फ्लड फ्लो कनाल परियोजना	08.11.2002	प्रस्ताव पर 29.11.02 को होनेवाली विशेषज्ञ समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।

1	2	3	4
3.	सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास विभाग द्वारा प्रकासम जिला में गुण्डलकाम्मा जलाशय परियोजना	08.11.2002	प्रस्ताव पर 29.11.02 को होनेवाली विशेषज्ञ समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।
	महाराष्ट्र		
4.	सिंचाई विभाग द्वारा पुणे जिले में नीरा देवघर सिंचाई परियोजना	30.09.2002	प्रस्ताव पर 29.11.02 को होनेवाली विशेषज्ञ समिति की बैठक में विचार किया जाएगा।
5.	महाराष्ट्र सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिला चन्द्रपुर में ह्यूमन नदी परियोजना	15.02.2002	विशेषज्ञ समिति द्वारा 5.3.02 को प्रस्ताव पर विचार किया गया था। समिति की अपेक्षा वन मंजूरी, विस्तृत भूजल प्रबंधन योजना, विस्तृत सतह जल निकासी योजना और पर्यावरण प्रबंध सैल है। प्राप्त उत्तर पर विशेषज्ञ समिति की 10.07.2002 को हुई बैठक में विचार किया गया था और कतिपय शर्तों के साथ पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की। पूरी सूचना की प्रतीक्षा है।
6.	महाराष्ट्र कृष्ण घाटी विकास निगम द्वारा पुणे जिले में भामा अस्कहेड सिंचाई परियोजना	15.07.2002	विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 28.8.2002 को प्रस्ताव पर विचार किया था और कतिपय शर्तों के साथ पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की थी। जबाव की प्रतीक्षा है।
	राजस्थान		
7.	सिंचाई विभाग द्वारा भरतपुर जिले में यमुना जल सिंचाई परियोजना	16.08.2002	विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 28.8.2002 को प्रस्ताव पर विचार किया था और कतिपय शर्तों के साथ पर्यावरणीय मंजूरी की सिफारिश की थी। जबाव की प्रतीक्षा है।

हर्बल औषधियों की खेती के लिए 'सी.एफ.आर.आई.' की योजना

10. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान 'सी.एफ. आर.आई.' से हर्बल औषधियों की खेती और नागपुर के निकट संबंधित उद्योगों को स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टाफ कार का दुरुपयोग

11. **श्री रघुनाथ झा** : क्या कृषि मंत्री स्टाफ कार के दुरुपयोग के बारे में 29.7.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक इस मामले की जांच की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भण्डार के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रह्मा

द्वारा सरकार कार का दुरुपयोग के आरोप की जांच करने के लिए केन्द्रीय पंजीकार, सहकारी समितियों द्वारा कृषि एवं सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिससे पता चलता है कि केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष द्वारा सरकारी कार के प्रयोग को शासित करने से संबंधित कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए हैं। कुछ बैठकों में हिस्सा लेने अथवा अचानक दौरा करने अथवा केन्द्रीय भण्डार की व्यापार संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर अक्सर जाना पड़ता है। पहले भी सभी अध्यक्ष सरकारी कार्य के लिए कार का प्रयोग करते रहे हैं। यदि कार का प्रयोग निजी प्रयोजनार्थ किया जाता है तो वसूली की जाती है। केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रह्मा से निजी यात्राओं के लिए 800/- रुपये की राशि वसूल की गई थी। यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी०ओ०पी०टी०) ने केन्द्रीय भण्डार के अध्यक्ष के रूप में सरकार के अपर सचिव स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में कोई शर्तें निर्धारित नहीं की हैं।

कालीकट से जंबो जेट उड़ान

12. **श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कालीकट, के विमानपत्तन से जंबो जेट उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक शुरू की गई कार्रवाई क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) इस बारे में संसद सदस्य श्री वी०एस० शिवकुमार से प्राप्त अनुरोध की जांच की गई है। भारी प्रचालन लागत व्यय के कारण जिसमें तेल की कीमत में हाल में आए उछाल के कारण और अधिक वृद्धि हुई है, एअर इंडिया ने अपने 747-200 जम्बो विमान के प्रचालन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। वस्तुत: मार्च, 2003 तक हज चार्टर प्रचालन को पूरा करने के तुरन्त बाद 747-200 द्वारा प्रचालित प्राय: मौजूदा सभी उड़ानों को एबी 310 को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ताकि ईंधन की लागत में बचत हो सके।

नए इस्पात संयंत्रों की स्थापना

13. **श्री मोहन रावले : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) इस्पात मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन का नागरनार, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ में 298.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक वाणिज्यिक कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

नैफेड

14. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या कृषि मंत्री** नैफेड के बारे में 22-7-2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महासंघ द्वारा नैफेड को बिना आपूर्ति के नैफेड से धोखाधड़ी पूर्वक 5.50 करोड़ रुपये हड़पने के संबंध में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली परिसंघ के विरुद्ध एफ. आई.आर. दाखिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) नैफेड द्वारा बिना कोई आपूर्ति के दिल्ली महासंघ को इतनी अधिक धनराशि के भुगतान के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) वित्तीय अनियमितताओं संबंधी मामले ध्यान में लाए जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में मामला दर्ज कराया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भी तहकीकात करके अभियोजन के लिए मामला दाखिल किया। इसके अलावा धनराशि की वसूली के लिए नैफेड ने भी बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्रीय पंजीयक, सहकारी समिति के समक्ष विवाद मामला दर्ज किया।

(ख) नैफेड द्वारा ए.पी.ओ. को साबुत चने, जौ तथा सूखी मटर की आपूर्ति के लिए दिल्ली परिसंघ को आपूर्तिकर्त्ता नियुक्त किया था। दिल्ली परिसंघ को तत्संबंधी करार की शर्तों के अनुसार सभी भुगतान किए गए थे।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची से गायब स्मारक

15. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 2002 के 'द हिन्दू' में "अंडर ए एस आई रेजिम मोन्यूमेंट्स गो मिसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में ऐसे स्मारकों की संख्या कितनी

है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में हैं लेकिन जिनका पता नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा सूचीबद्ध गायब स्मारकों का पता लगाने और उनके उचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) जी, हां। संलग्न विवरण में सूची दी गई है।

(ग) अज्ञात कोटि में आने वाले स्मारकों का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक व्यवस्थित पुरातत्वीय सर्वेक्षण के जरिए गंभीर प्रयास कर रहा है।

विवरण

ऐसे स्मारकों की सूची, जिनका पता नहीं लगाया जा सका

क्रमांक	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान/राज्य
1	2	3
1.	कैप्टन मैक बार्नेट अन्य की कब्र जो किशन गंज पर हमले में धराशायी हो गई थी	दिल्ली
2.	रेलवे स्टेशन के निकट मकबरा तथा उसके तीन गुम्बद	दिल्ली
3.	शेर शाह का मोती गेट	दिल्ली
4.	पुल चदर	दिल्ली
5.	अलीपुर कब्रिस्तान	दिल्ली
6.	सीज बैटरी का स्थल तथा उस पर निम्नलिखित लेख "नं. 11 बैटरी—दाएं, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए., कमांडिंग आर्मामेंट दो 18—पौंडर्स, सात 8—इंच होबिट्जर्स, टुब्रीच कश्मीर बुर्ज	दिल्ली
7.	निकल्सन की प्रतिमा, उसका चबूतरा, आस-पास बगीचा तथा अहाता दीवार	दिल्ली
8.	सीज बैटरी का स्थल, जिस पर यह लिखा है—राइट अटैक लेफ्टिनेंट एफ. आर. मानसेल, आर.ई. डाइरेक्टिंग इंजीनियर नं. 1, बैटरी राइट, मैजर जैस ब्रिंड आर.ए. कमांडिंग आर्मामेंट पांच 18 पौंडर्स; एक 18 इंच का होबिट्जर अधिक बुर्ज को शान्त करने के लिए	दिल्ली
9.	इंचला वाली गुमटी	दिल्ली
10.	जोगा बाई नामक टीला	दिल्ली
11.	सम्सी तालाब तथा चबूतरा और प्रवेश द्वार	दिल्ली
12.	बारा खंभा कब्रिस्तान	दिल्ली
13.	कोस मीनार, मुंजेसर, जिला फरीदाबाद	हरियाणा
14.	प्रागैतिहासिक स्थल, इक्षातहल्ली तालुक, अफजलपुर जिला गुलबर्गा	कर्नाटक
15.	ताम्र मन्दिर (ताम्रेश्वरी), पाया, जिला लोहित	अरुणाचल प्रदेश
16.	सम्राट शेर शाह तोप, सदिया, जिला तिनसुखिया	असम
17.	चार एकाश्म समूह, खरतोंग, देरेबर्गा, कोबाक और बोलोसन, एन.सी. हिल्स जिला	असम

[हिन्दी]

राजस्थान को नदियों से पानी की आपूर्ति

16. प्रो० रासासिंह रावत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को किन-किन समझौतों के तहत गंगा, यमुना, सतलुज नदियों और भाखड़ा बांध से सिंचाई के लिए कितने पानी की आपूर्ति की जा रही है; और

(ख) इस राज्य को इसके पूरे हिस्से के पानी की आपूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) राजस्थान को निम्नलिखित समझौतों के अनुरूप यमुना, सतलुज, रावी एवं व्यास नदियों से पानी की आपूर्ति की जा रही है :-

– यमुना नदी के सतही-प्रवाह के आबंटन के संबंध में दिनांक 12.5.1994 के समझौता ज्ञापन के अनुसार।

– पंजाब और राजस्थान के मध्य सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना के निर्माण पर जनवरी, 1959 का समझौता।

– पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी-व्यास के अधिशेष जल के आबंटन और सतलुज-यमुना संपर्क नहर परियोजना के क्रियान्वयन पर 31.12.1981 का समझौता।

गंगा नदी से राजस्थान को जलापूर्ति करने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ है।

राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2001-02 के दौरान उन्हें यमुना नदी से 0.052 बिलियन घन मीटर, रावी और व्यास नदियों से 8.63 बिलियन घन मीटर तथा सतलुज नदी से 1.09 बिलियन घन मीटर जल की आपूर्ति की गई है।

(ख) राजस्थान को जल वहन प्रणाली की क्षमता में बाधाओं, हरियाणा और राजस्थान में नई नहर प्रणालियों के पूरा न होने तथा वर्तमान नहर प्रणालियों के पुनर्निर्माण के कारण युमना जल का आबंटित शेयर नहीं दिया जा रहा है। रावी-व्यास और सतलुज नदियों से इस राज्य को जल की आपूर्ति करने में कमी, नदियों में जल का कम अन्तर्वाह, बीकानेर नहर की कम जल वहन क्षमता तथा जलाशयों में जल का उपलब्ध भण्डारण कम होना है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना

17. **श्री अनन्त नायक :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं योजना के अंतर्गत उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में कोई सिंचाई परियोजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप राज्य में कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्रम सं.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	
		वृहद	मध्यम
	जनजातीय क्षेत्र		
1.	बालासोर	रेंगाली, स्वर्णरेखा	–
2.	गंजाम	–	हरभांगी, भगुआ चरण-II, बर्गोलती
3.	क्योंझर	कानपुर, रेंगाली	–
4.	कोरापुट	पोटेरू, अपर कोलाब	बदनाला, तेलंगिरी
5.	मयूरभंज	स्वर्णरेखा	देव
6.	संबलपुर	–	–
7.	सुन्दरगढ़	–	रूकुरा
	कुल	संख्या 5	संख्या 7
	सूखा प्रवण जनजातीय क्षेत्र		
1.	फुलबनी	–	बाघ बैराज
2.	कालाहांडी	अपर इंदरावती लोअर इंदरावती	अपर जोंक
	कुल	संख्या 2	संख्या 2

(ग) इन परियोजनाओं से 226.69 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होनी है।

महाराष्ट्र में जल स्तर को उठाना

18. **श्री शिवाजी माने :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सी.जी.डब्ल्यू.बी.) ने उनके मंत्रालय के साथ मिलकर महाराष्ट्र के हिंगोली और नान्देड़ जिलों में जल स्तर को उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस समय तक उक्त योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने की संभावना है तथा इस उद्देश्य के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित जारी की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपनियमों में संशोधन

19. **श्री रामजी मांझी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. जैसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के प्रभावी होने के बावजूद भी अभी तक अपने उपनियमों में संशोधन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या एम.एस.सी. अधिनियम, 2002 के अनुरूप केन्द्रीय भंडार और एन.सी.सी.एफ. के संशोधित उपनियम उपलब्ध कराये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के तहत पंजीकृत बहु-राज्यीय सहकारी समितियों से समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कर्नाटक को सहायता

20. **श्री सी०के० जाफर शरीफ :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कर्नाटक के उन ऐतिहासिक स्थलों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक आधार पर देश में 6 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए जाएंगे और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। इन परिपथों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के साथ गहन समन्वय और भागीदारी से अन्तिम रूप दिया जाएगा और विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक वर्ष समग्र विकास के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक मुख्य गंतव्य स्थल अभिनिर्धारित किया जाय।

कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसरण में वर्ष 2002-2003 के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित स्थलों का विकास करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) पश्चिमी समुद्रतट परिपथ के एक भाग के रूप में समुद्रतट कर्नाटक

(2) मुख्य गंतव्य स्थल के रूप में हम्पी।

(3) ग्रामीण पर्यटन परियोजना के रूप में कोक्कारे बैल्लूर

(4) ब्यूगल रॉक गार्डन बंगलौर

पिछले तीन वर्षों के दौरान, कर्नाटक राज्य में ऐतिहासिक स्थलों के लिए परियोजनाओं सहित 65 पर्यटन परियोजनाएं, स्वीकृत की गई।

बागवानी के लिए धनराशि

21. **श्री अम्बरीश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए और धनराशि आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी उत्पादों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान बागवानी मदों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने बागवानी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। दसवीं योजना के दौरान बागवानी विकास

कार्यक्रमों हेतु परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है। वृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन समाहित स्कीमों सहित नौवीं योजना के दौरान बागवानी क्षेत्र हेतु परिव्यय 1453.06 करोड़ रुपये था। वृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन दसवीं योजना के दौरान बागवानी क्षेत्र हेतु प्रस्तावित परिव्यय बागवानी हेतु 30 प्रतिशत निधियों सहित 3245.00 करोड़ रुपये है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी मदों के उत्पादन का उपलब्ध विवरण निम्नवत है :-

(मि०मी० टन)

मदें	1998-99	1999-2000	2000-01
फल	44.0	45.50	45.37
सब्जियां	87.53	90.82	93.92
मसाले	2.87	2.91	3.02
नारियल	8.61	8.42	8.67
काजू	0.46	0.52	0.45
अन्य	1.65	1.75	1.07
जोड़	145.16	149.92	152.50

(घ) बागवानी मदों के वार्षिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ङ) और (च) कृषि में वृहत प्रबंधन कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों को सहायता/सहयोग नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन राज्य सरकारों जिसमें कर्नाटक भी शमिल है, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकारों को अपनी अनुभूत जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुसार अपनी गतिविधियों को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता है। वर्ष 2001-02 के दौरान कर्नाटक सरकार को 58.50 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गये तथा वर्ष 2002-03 हेतु परिव्यय 58.00 करोड़ रुपये है जिसमें से 20.00 करोड़ रुपये की राशि बागवानी क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा नारियल विकास बोर्ड के कार्यक्रम भी पर्याप्त निवेश के साथ कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खनिज भंडारों और वनों का दोहन और पर्यावरण संरक्षण

22. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज भंडारों और वनों के दोहन और पर्यावरण संरक्षण के बीच समन्वय और संतुलन को बनाए रखने के मानदण्डों को निर्धारित/व्यास्थापित किया गया है;

(ख) क्या खनिज भण्डारों और वनों के दोहन और जनजातीय सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन स्तर संरक्षण और संतुलन के मानदण्ड भी तय किये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन मानदण्डों के अभाव में मध्य प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार की विद्यमान नीतियों और कानूनों में पर्यावरण संरक्षण और वनों तथा खनिज रिजर्वों के दोहन के बीच सन्तुलन बनाए रखना है। इनमें राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति और पर्यावरण और विकास पर नीति विवरण, 1992, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 शामिल है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 1994 भी जारी की है जिसमें इसमें विनिर्दिष्ट विकासात्मक परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेना अपेक्षित है। इन कानूनों/विनियमों के अन्तर्गत पर्यावरण और/अथवा वानिकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है और मंजूरी प्रदान करते समय, पर्यावरण और आदिवासियों सहित स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत जन सुनवाई अनिवार्य है और उन मामलों में जहां केवल वानिकी मंजूरी शामिल है, प्रस्ताव का पृष्ठांकन ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना अनिवार्य है यदि परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है उनकी निर्धारित मंजूरी शर्तों के अनुपालन की मानीटरिंग की जाती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

23. **श्री ए० ब्रह्मनैया** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) में लम्बे समय से कोई अध्यक्ष नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम (आई०टी०डी०सी०) के संभावित अध्यक्ष की सूची तैयार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण पद को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां। तथापि, पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को, पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम के पद के चयन हेतु मंत्रिमण्डलीय सचिव की अध्यक्षता में एक अन्वेषण समिति गठित की थी। अन्वेषण समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं, जो सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

खादी और ग्रामोद्योग द्वारा निर्यात

24. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित सामान का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित सामान और उस देश का नाम जिन्हें ये निर्यात किए गए और उनसे प्राप्त आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खादी और ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित सामान की घरेलू मांग और उससे घरेलू बाजार से प्राप्त आय कितनी है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग (के०वी०आई०) सैक्टर के तहत विदेशों को निर्यात की गई मदें का ब्यौरा निम्नांक्त है:-

निर्यातित मदों का नाम	देशों के नाम
हस्तनिर्मित कागज की वस्तुएं, चमड़ा उत्पाद, फाइबर वस्तुएं, मोटे अनाज और दाल उत्पाद, पामगुड़, तैयार पोशाकें, काटन खादी तथा सिल्क खादी क्लाथ और गारमेंटस।	जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटिड किंगडम, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लेटिन अमेरिका के देश।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) प्रत्यक्ष तौर पर कोई निर्यात नहीं करती है, अत: के०वी०आई०सी० निर्यातकों द्वारा यूनिट-वार अर्जित की गई आय के संबंध में अनुरक्षण नहीं करती है।

(ग) घरेलू बाजार में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों की अच्छी खासी मांग है। विगत तीन वर्षों में घरेलू बाजार में की गई के०वी०आई० उत्पादों की बिक्री का अनुमानित मूल्य निम्नोक्त है :-

वर्ष	वस्तुओं का मूल्य (करोड़ रुपये में)
1999-2000	6769.20
2000-2001	7955.10
2001-2002	8785.78

[अनुवाद]

मदर डेयरी के फलों और सब्जियों के बिक्री केन्द्र

25. **श्री सईदुज्जमा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में मदर डेयरी के फल व सब्जी बिक्री केन्द्र सहकारी समितियों या किसानों से सीधी खरीद की बजाय स्थानीय सब्जी मण्डियों से घटिया उत्पाद खरीद कर उसकी बिक्री करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन बिक्री केन्द्रों से संबद्ध शीतागारों को पिछले एक या दो वर्षों से खर्च बचाने हेतु बंद कर दिया गया है और इससे फल व सब्जियां खराब हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में रियायत के कारण कई बिक्री केन्द्र घाटे में चल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक प्राप्त हुए घाटे का बिक्री केन्द्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) मदर डेयरी खाद्य प्रसंस्करण लिमिटेड अपनी दुकानों पर द्वयम

दर्जे के कोई उत्पाद नहीं बेच रही है। अधिकांश फल और सब्जियां किसानों/किसान संगठनों से सीधे ही खरीदी जाती हैं। तर्कसंगत कारण की वजह से कुछ मात्रा में फल और सब्जियां दिल्ली की थोक मंडी से भी खरीदी जाती हैं। फल और सब्जी की दुकानों पर आपूर्ति की जाने वाली फल और सब्जियां मदर डेरी द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार होती हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फल और सब्जी की दुकानें अप्रैल, 2002 में प्रयोग करने के बाद से प्रचालित नहीं की जा रही हैं। फल और सब्जी की दुकानों पर डेजर्ट कूलर प्रदान किए गए हैं। इस परिवर्तन से फल और सब्जियां आसानी से खराब नहीं होती हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की सूचना नहीं मिली है।

(च) उपरोक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

नदी तट का कटाव

26. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मुख्य नदियों के तट तेज कटाव से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग ने पिछले तीन वर्षों में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी राज्य ने 2002-03 के दौरान नदी तटों के संरक्षण के लिए धनराशि देने का अभ्यावेदन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कब तक धन जारी करने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नदियों के तटों का कटाव एक प्राकृतिक घटना है। कटाव का विस्तार स्थान के अनुसार वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है।

(ख) से (च) केन्द्रीय जल आयोग ने देश में मुख्य नदियों के नदी तटों के कटाव संबंधी कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण, नदी कटाव सहित बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण, क्रियान्वयन और प्रचालन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकी प्रेरणात्मक और संवर्द्धनात्मक स्वरूप की सहायता दी जाती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वयनाधीन केन्द्र प्रायोजित स्कीम अर्थात "गंगा बेसिन राज्यों में महत्वपूर्ण कटावरोधी कार्य" के लिए नदी तटों की सुरक्षा के वास्ते बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकार ने वर्ष 2002-2003 में 17.73 करोड़ रु० की निधियां दिए जाने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त में से 5.26 करोड़ रुपये की राशि बिहार को पहले ही जारी की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों के लिए निधियां जारी किया जाना, राज्य सरकारों द्वारा प्रगति रिपोर्टें और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने, संबंधित राज्य सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करने और जहां पर आवश्यक हो, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा इस स्कीम के तहत किए गए कार्यों के सत्यापन के अधीन होता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

27. श्रीमती रीना चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने उत्तर प्रदेश में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार ने अब तक कितने ऋण की मांग की है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए 117 एस०डी०आर० मिलियन (149.2 मिलियन अमेरिकन डालर के बराबर) ऋण के लिए 8 मार्च, 2002 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) इस परियोजना को 31.10.2007 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी को जोड़ना

28. **श्री बी० वेंकटेस्वरलु :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी के पानी के उपयोग के लिए आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी को जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में रोबिंग प्लांट का उत्पादन

29. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 में बिहार में खादी ग्रामोद्योग के विकेन्द्रीकरण के बाद से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खादी की कोई विशिष्ट परियोजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान निर्मित रोबिंग प्लांट सुचारू रूप से कार्य कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सहरसा में इस रोबिंग प्लांट में उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस प्लांट को चलाने के लिए कौन-कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) सहरसा में कोई सिल्वर प्लांट (रोबिंग के उत्पादन हेतु) की स्थापना नहीं की गई है। तथापि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के०वी०आई०सी०) ने मई, 2002 में हाजीपुर, वैशाली जिला बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में एक सैन्ट्रल सिल्वर प्लांट चालू कर दिया है।

[अनुवाद]

कावेरी नदी जल-विवाद पर बैठक

30. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी नदी जल के मुद्दे पर अभी हाल में दिल्ली में कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कावेरी नदी प्राधिकरण की पांचवीं आपात बैठक 8 सितम्बर, 2002 को हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि कर्नाटक के 4 जलाशयों और मेत्तूर में जल अंतर्वाहों तथा भंडारणों के साथ-साथ दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक को अपने जलाशयों से जल छोड़ना चाहिए ताकि सितम्बर और अक्तूबर, 2002 के महीनों के लिए साप्ताहिक औसत आधार पर की गई गणना के अनुसार लगभग 0.8 टी एम सी प्रतिदिन के अनुसार मेत्तूर में 9000 क्यूसेक का अन्तर्वाह सुनिश्चित हो सके। इसके बदले में तमिलनाडु समानुपातिक रूप में पांडिचेरी को जल छोड़ना सुनिश्चित करेगा।

कृषि विपणन क्षेत्र में कृतक बल का गठन

31. **श्री सुनील खां :**
श्री एन०एन० कृष्णदास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार को बढ़ावा देने के क्रम में कृषि राज्य मंत्री की अध्यक्षता में कृतक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में राज्यों के बीच एक राय थी कि मौजूदा विपणन प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है क्योंकि यह किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्रदान करने में असफल रही थी; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छुम्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) जी, हां। कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार से संबंधित मामलों पर 27.9.2002 को नई दिल्ली में आयोजित राज्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया। सभी राज्य सरकारों का विचार था कि नियंत्रण के युग को छोड़कर विनियमन एवं प्रतियोगिता के युग में लाने हेतु कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। बाजार तंत्र की विद्यमान संरचना किसानों को अपने उत्पाद का प्रतिस्पर्द्धात्मक मूलय दिलाने में असफल रही है। अपेक्षित सुविधाओं के विकास के बजाय विनियमन एवं राजस्व के संग्रहण पर अधिक ज्यादा जोर दिया गया। व्यापार के उदारीकरण तथा विश्व बाजार के उदय के मद्देनजर यह आवश्यक है कि देश में प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार संरचना के विकास का प्रवर्धन किया जाए तथा विद्यमान बाजार तंत्र तथा बाजार शुल्क संरचना के प्रबंध में व्यावसायीकरण लाया जाय। बहरहाल, वैकल्पिक बाजार संरचना का प्रवर्धन करते समय सरकार के लिए यह जरूरी है कि निजी व्यापारियों और उद्योगों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपाय करें।

बाजार क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन हेतु एक कार्रवाई कार्यक्रम (एक्शन प्रोग्राम) तैयार करने के उद्देश्य से माननीय कृषि राज्य मंत्री, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 13.11.2002 को राज्य के मंत्रियों की एक स्थायी समिति का गठन किया गया। अन्य के साथ-साथ, समिति निम्नलिखित मुद्दों पर सिफारिशें देगी :-

(क) निजी तथा सहकारी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मक कृषि बाजार/बाजार अवसंरचना तथा सीधे विपणन के संवर्धन तथा ठेका कृषि कार्यक्रम तथा आदर्श विधायन की जरूरत को पूरा करने हेतु ए०पी०एम०सी० अधिनियम में संशोधन;

(ख) सेवा प्रभार की प्रकृति के अनुरूप प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर बाजार लेवी लगाये जाने का युक्तिकरण तथा विभिन्न स्लैबों में इनका लगाया जाना बाजार का उपयोग करने वालों को प्रदत सेवाओं/सुविधाओं के प्रकार/पैमाने के अनुरूप हो;

(ग) थोक, ग्रामीण आवधिक तथा जनजातीय क्षेत्रों में विद्यमान बाजारों का आधुनिकीकरण/विकास तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से उनका व्यावसायिक प्रबंधन;

(घ) ग्रेडिंग, मानकीकरण, पैकेजिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, साथ एवं खुले विपणन सहित किसानों को एक ही जगह व्यापक भंडारण तथा विपणन सुविधाएं प्रदान करने हेतु ''ग्रामीण गोदामों''/''शीतागारों'' का विकास;

(ङ) सरलीकृत प्रक्रिया तथा बैंकों के साथ कानूनी करार द्वारा ग्रामीण गोदाम के तंत्र के माध्यम से वायदा वित्त पोषण तथा विपणन का संवर्धन ताकि विपणन ऋण प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र के भंडारण/भंडार की रसीद बैंकों द्वारा स्वीकार्य हो;

(च) ''इलेक्ट्रानिक'' व्यापार की सुविधा सहित किसानों को बाजार आधारित विस्तार सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का संवर्धन ताकि उत्पादक दूरस्थ क्रेताओं के साथ सीधे अपना व्यवसाय कर सकें; और

(छ) कृषि विपणन में आसन्न चुनौतियों का सामना करने तथा देश में अच्छी विपणन सुविधाओं के सृजन में कृषक समुदाय को सहायता देने हेतु प्रशिक्षण एवं विस्तार सेवाओं का पुन: अभिस्थापन।

[हिन्दी]

बाणसागर अंतर्राज्यीय पन-बिजली परियोजना

32. **श्री भेरूलाल मीणा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली बाणसागर अंतर्राज्यीय पनबिजली परियोजना, अनियमितताओं और वित्तीय संकट के कारण पिछले 14 वर्षों से अधर में लटकी पड़ी है और इसे पूरा होने में अभी दो वर्ष और लगेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना के बढ़ी हुई अवधि के अनुसार पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) शीर्ष कार्यों, नहरों एवं विद्युत गृहों के निर्माण सहित बाणसागर बहुउद्देश्यीय परियोजना की अनुमानित लागत वर्ष 1998 के मूल्य स्तर पर 2621 करोड़ रुपये है। वर्ष 1978-79 में यूनिट 1 पर शीर्ष कार्य प्रारंभ किया गया था।

पिछले कई वर्षों से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी कार्यों की धीमी प्रगति के कारण सिविल कार्यों में विलम्ब हुआ था। वर्ष 1988-89 से 1995-96 के दौरान निधियों की कमी के कारण भी परियोजना का कार्य रुका पड़ा था क्योंकि सह बेसिन राज्य अपने हिस्से की लागत नहीं दे रहे थे। इसके बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चालू होने के साथ वर्ष 1996-97 में निर्माण कार्य पुन: प्रारंभ किया गया था और तब से यूनिट 1 का कार्य धीमी गति से चल रहा है और जून, 2000 में बांध के शीर्ष स्तर को ऊपर उठाया गया था तथा

वर्ष 2000-2001 के मानसून के दौरान जलाशय को आंशिक रूप से शीर्ष स्तर तक भरा गया था। भण्डारण के बाद इस परियोजना से विद्युत सृजन (सितम्बर, 2002 तक 240 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 1200 मिलियन यूनिट) और पेय जल आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। आज की तारीख तक परियोजना के बचे हुए सभी प्रमुख कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा शेष अन्य कार्यों को जून, 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

यूनिट-II के अंतर्गत मध्य प्रदेश में नहर प्रणाली का निर्माण शामिल है (वार्षिक सिंचाई = 2.49 लाख हेक्टे.)। इस नहर प्रणाली में सात नहरें शामिल हैं जिसमें से सिहावल नहर, कियोती नहर और पुर्वा नहर का जल सामान्य जल संवाहक से, गुढ़ एवं मौगंजी लिफ्ट नहर का जल कियोती नहरक के 4.00 कि०मी० के भाग से ले जाया जाता है। ट्योन्थर लिफ्ट नहर का जल विद्युत गृह सं० I के नीचे चकराघाट के पास टोंस नदी के दायें तट से ले जाया जाता है। सितम्बर, 2003 तक इस घटक की कुल मिलाकर लगभग 20% प्रगति हुई है। इस नहर प्रणाली को चरणबद्ध रूप से पूरा करने का लक्ष्य है। फेज-I के तहत, जून, 2004 तक 22,070 हेक्टे. क्षेत्र में सिंचाई मुहैया कराने का प्रस्ताव है। फेज-II के तहत, जून, 2006 तक 78000 हेक्टे. अतिरिक्त क्षेत्र शामिल कर लिया जाएगा तथा फेज-III के तहत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष 54687 हेक्टे. का क्षेत्र शामिल कर लिया जाएगा।

यूनिट III के अंतर्गत 4 विद्युत गृह अर्थात् पीएच-I (3x105 मै० वाट), बीएच-II (2x15 मै०वा०), पीएच-III (3x20 मै० वा.) और पीएच-IV (2x10 मै. वा.) शामिल हैं। पीएच-I, पीएच-II और पीएच-III की सभी यूनिटों से कुल मिलाकर 405 मै. वा. विद्युत सृजित की जा रही है। पीएच-IV के जून, 2004 तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

कपास का उत्पादन

33. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित कपास का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कपास उत्पादन में गिरावट आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में सरकार द्वारा कपास का कितना समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अखिल भारत स्तर पर देश में कपास के उत्पादन में गिरावट आई है।

(ग) वर्ष 1998-99 से वर्ष 2000-01 के दौरान कपास के उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण कपास के अधीन क्षेत्र में गिरावट है, जो 9.34 मि० हेक्टेयर से 8.58 मिलीयन हेक्टेयर रह गया। वर्ष 2000-01 के दौरान क्षेत्र एवं उत्पादकता दोनों में गिरावट दर्ज की गई।

(घ) वर्ष 2002-03 के दौरान एफ-414/एच-777/जे 34 किस्म हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 1675 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि एच-4 किस्म हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अतिरिक्त दोनों किस्मों के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल का विशेष सूखा राहत मूल्य दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के उत्पादन का अंतिम अनुमान

(170 कि०ग्रा० प्रत्येक की ""000 गांठें)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1522.0	1595.0	1663.0
असम	0.8	1.0	0.8
बिहार	0.1	0.0	0.0
गुजरात	3903.0	2085.6	1161.4
हरियाणा	873.0	1304.0	1383.0
हिमाचल प्रदेश	0.0	0.1	0.1
जम्मू-कश्मीर	0.0	0.0	0.2
कर्नाटक	976.9	664.5	980.0
केरल	24.2	7.7	8.2
मध्य प्रदेश	429.5	417.2	237.7
छत्तीसगढ़		0.0	0.1
महाराष्ट्र	2618.9	3099.0	1802.6
मणिपुर	0.0	0.1	0.1

1	2	3	4
मेघालय	5.6	5.5	7.7
मिजोरम	2.5	2.0	1.2
नागालैण्ड	0.4	0.4	0.4
उड़ीसा	53.0	61.0	65.3
पंजाब	595.0	952.0	1199.0
राजस्थान	872.0	984.2	805.4
तमिलनाडु	406.3	339.5	325.1
त्रिपुरा	0.9	1.0	1.3
उत्तर प्रदेश	0.8	6.0	4.9
पश्चिमी बंगाल	0.1	2.0	2.7
पांडिचेरी	2.1	1.8	2.1
अखिल भारत	12287.1	11529.6	9652.3

[अनुवाद]

चेतावनी प्रणाली का विफल हो जाना

34. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रव्यापी केन्द्रों से सूखा प्रभावित फसलों और उपज संभावनाओं के संबंध में साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करने हेतु वर्ष 1999 में स्थापित पूर्व चेतावनी प्रणाली शुरू होने के बाद छः महीनों के भीतर ही विफल हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रणाली की स्थापना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इस प्रणाली की विफलता के क्या कारण बताये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) भारतीय कृषि के मानीटरन हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली (ई० डब्ल्यू० एस०) से संबंधित एक परियोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के आधार पर सितम्बर, 1999 में मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड को दी गई थी। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य गेहूं, धान, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन, मूंगफली, गन्ना तथा कपास जैसी प्रमुख फसलों को कवर करते हुए कृषि क्षेत्र का बारीकी से नियमित मानीटरन करना था। परियोजना की कुल लागत 16,63,25,000/- रुपये थी। मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली से अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की गई थी :-

(i) प्रमुख फसलों के बारे में निचले स्तर पर जानकारी एकत्र करना।

(ii) गुणवत्तात्मक जानकारी से विश्वसनीय मात्रात्मक निष्कर्ष निकालना।

(iii) वास्तविक समय के आधार पर प्रमुख फसलों की स्थिति की नियमित एवं बारीकी से मानीटरन।

(iv) समुचित हस्तक्षेप/नीतिगत निर्णय लेने के लिए जिलावार राज्यवार तथा राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील स्थिति के बारे में साप्ताहिक जानकारी प्रदान करना।

(v) इसके अलावा मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) लि०, नई दिल्ली से अपेक्षा की गई थी कि वे किसी भी प्रभावित क्षेत्र के लिए किसी भी असामान्य स्थिति जैसे बाढ़, सूखा तथा कृमि संक्रमण के बारे में अधिक नियमित रूप से अथवा दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि तुरन्त हस्तक्षेप किया जा सके।

(vi) ऐतिहासिक डाटाबेस/वेयर हाऊस निर्मित करके उसे अद्यतन करना।

उक्त परियोजना अक्तूबर, 1999 में शुरू हुई। इस विभाग द्वारा मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार परियोजना के उद्देश्यों के सन्दर्भ में रिपोर्टों की नियमित जांच करने और परियोजना से संबंधित संशोधनों के बारे में सुझाव देने के लिए एक मानीटरन दल का गठन किया गया। मानीटरन दल की बैठकें समय-समय पर आयोजित की गई जिनमें मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग (इण्डिया) लिमिटेड की सेवाओं में पाई गई कमियों पर विचार करके उन्हें तदनुसार अवगत कराया गया। यह पाया गया कि मानीटरन दल द्वारा बैठकों एवं पत्रों के माध्यम से दिए गए परामर्श एवं सुझावों के बावजूद मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग (इण्डिया) लिमिटेड ने साप्ताहिक रिपोर्टों की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया। मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग (इण्डिया) लिमिटेड के कार्य-निष्पादन से पूर्णतः असन्तुष्ट रहने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस देने के बाद दिनांक 12.2.2001 को (अनुबंध

की धारा 3.0 के साथ पठित धारा 7.4 के अन्तर्गत) अनुबंध समाप्त कर दिया।

मेसर्स कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, नई दिल्ली ने उक्त समाप्ति के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में याचिका प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.12.2001 को एकतरफा आदेश पारित करके इस विभाग द्वारा अपने दिनांक 12.2.2001 के आदेश/पत्र के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। विभाग ने माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 17.10.2001 को उनके एकतरफा निर्णय को खारिज करा लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए सम्बद्ध पक्षों को अनुबंध की शर्तों के अनुसरण में इस मामले में एक तीन सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण से निर्णयादेश लेने की अनुमति दे दी। अब यह मामला निर्णयादेश हेतु न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह मामला अभी न्यायालय के अधीन है।

उड़ानों में बम के बारे में झूठी सूचना

35. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम के बारे में झूठी सूचना के कारण हाल ही में कई उड़ानों में विलंब करना पड़ा है;

(ख) क्या फोन करने वाले की पहचान करने वाले उपकरणों के अभाव के कारण इन उपद्रवी तत्वों का पता नहीं लगाया जा सका है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी टेलीफोन लाइनों पर इन उपकरणों को लगाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इस समस्या को रोकने हेतु क्या अन्य कदम उठए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) सितम्बर एवं अक्तूबर, 2002 के दौरान 7 झूठी कॉल प्राप्त हुई जिससे कुछ उड़ानों में विलम्ब हुआ हवाई अड्डों पर प्रमुख टेलीफोनों पर कालर लाइन आईडैंटीफिकेशन सुविधा (सी एल आई एफ) को पहले ही लगाया जा चुका है।

इस प्रकार की कॉलों से निपटने के लिए स्टाफ को उपयुक्त प्रशिक्षण देने तथा इस सुविधा की कार्यात्मकता की नियमित जांच के लिए एक तंत्र सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

चावल और गेहूं की मांग

36. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 2020 तक गेहूं और चावल की मांग 26 करोड़ टन तक हो जाने की संभावना है जो कि वर्ष 2000 की मांग की तुलना में दुगुनी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनके कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान कराना सुनिश्चित करने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) किसी भी निश्चित समय किसी भी जिन्स की मांग विभिन्न कारकों जैसे मूल्यों, आमदनी, जनसंख्या, उपभोग के तरीके, उपलब्ध विकल्पों आदि पर निर्भर होती है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के लिए गठित खेतीबाड़ी, मांग एवं आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि आदानों संबंधी कार्यदल ने नियामक दृष्टिकोण के आधार पर दसवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए चावल तथा गेहू सहित अनाज की मांग 203.709 मिलियन मी० टन, दलहन की मांग 17.714 मिलियन मी० टन और इस प्रकार कुल खाद्यान्न की मांग 221.423 मिलियन मी० टन आंकी है।

सरकार ने कृषि क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए पनधारा विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, नई प्रौद्योगिकी के विकास तथा प्रोत्साहन पर बल, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी उपाय, भण्डारण/शीत भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण युक्त राजसहायता, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, मण्डी आसूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना आदि जैसे विभिन्न नए उपाय किए हैं। सरकार ने राज्यों को सहायता देने के लिए नवम्बर, 2000 से परम्परागत स्कीम आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर वृहत् प्रबंध पद्धति अपनाई है। कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद एवं सहायता करने के लिए 27 स्कीमों का विलय वृहत् प्रबंध स्कीम में कर दिया गया है। इससे राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अपने सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने, विभिन्न स्कीमों की विषय-वस्तु में दोहराव से बचने तथा कृषि के चतुर्दिक विकास का लक्ष्य हासिल करने में सुविधा मिलती है।

सरकार मूल्य नीति के माध्यम से भी किसानों को उत्पाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा मण्डी हस्तक्षेप स्कीम शामिल है। सरकार ने असिंचित क्षेत्र में किसानों को हुए नुकसान तथा सिंचित क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 2002-03 मौसम की खरीफ फसलों के लिए 5 रुपये से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक विशेष सूखा राहत मूल्य घोषित किया है।

[अनुवाद]

वर्षा

37. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में सामान्य से कम वर्षा हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां पिछले एक वर्ष और अगस्त, 2002 तक औसत से कम वर्षा हुई है;

(ग) क्या केन्द्रीय भूजल बोर्ड के सर्वेक्षण में भी इन क्षेत्रों में जल स्तर में गिरावट दर्शायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) दक्षिण-पश्चिम मानसून 2001 के पश्चात, शीत मौसम 2002, के पूर्व मानसून 2002 और जून से अगस्त, 2002 मौसमों के लिए सामान्य से कम वर्षा जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न भागों में भूजल में गिरावट का पता चला है। वर्ष 1982-2001 के बीच राज्यों/जिलों के उन स्थानों के नाम, जहां पर जल का स्तर गिरा है, संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन के संवर्द्धन से संबंधित स्कीमों की आयोजना, वित्त-पोषण और निष्पादन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों की है। भारत सरकार भी भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण, छत पर गिरने वाले वर्षा जल संचयन और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे वर्षा जल संचयन को विभिन्न स्कीमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित कर रही है। भूजल में गिरावट को नियंत्रित करने और इसे उपयोग में लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य उपाय इस प्रकार हैं :-

1. भूमि जल प्रबंधन एवं विकास के नियमन एव नियंत्रण हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण का गठन।

2. जिस माडल बिल को वर्ष 1970 में परिचालित किया गया था उसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1992 और वर्ष 1996 में पुन: परिचालित किया गया ताकि वे भूमि जल विकास के नियमन और नियंत्रण हेतु उपयुक्त कानून बना सकें।

3. भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मैनुअल परिचालित कर दिया गया था ताकि वे भूजल स्तर में गिरावट की प्रवृति को रोकने संबंधी क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें बना सकें।

4. 23.48 करोड़ रुपये की लागत से IXवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भूमि जल के पुनर्भरण का अध्ययन करने हेतु एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन।

विवरण-I

सामान्य से कम वर्षा जिलों की राज्यवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले	1.6.01 से 30.9.01 तक		1.10.01 से 31.12.01 तक		1.1.02 से 28.2.02 तक	
1	2	3	4	5	6	7	8
अंदमान और निकोबार द्वीप	अंदमान और निकोबार द्वीप	-25%	डी			-82%	एस
अरुणाचल प्रदेश	कमेंग					-69%	एस

1	2	3	4	5	6	7	8
	लोहित	-22%	डी				
	सियांग	-37%	डी				
	सुबनसिरो	-23%	डी			-64%	एस
	तीरप	-45%	डी				
असम	बारपेटा	-31%	डी			-29%	डी
	कचेर					-81%	एस
	दारंग	-26%	डी			-75%	एस
	धुबरी	-46%	डी				
	गारोहिल्स			-29%	डी		
	गोलपाड़ा	-53%	डी				
	जोरहाट	-36%	डी	-32%	डी	-58%	डी
	खासी एवं जे हिल्स					-31%	डी
	करबी-आलोग					-25%	डी
	करीमगंज					-76%	एस
	कोकराझार					-89%	एस
	लखीमपुर					-68%	एस
	एन सी हिल्स	-44%	डी	-57%	डी	-100%	एन आर
	नगाव	-27%	डी			-43%	डी
	सिबसागर					-74%	एस
	सोनितपुर	-56%	डी			-73%	एस
	मनीपुर					-51%	डी
	मिजोरम					-92%	एस
	नागालैंड	-33%	डी				
	त्रिपुरा					-82%	एस
पश्चिमी बंगाल	कूच बिहर	-32%	डी				

1	2	3	4	5	6	7	8
	दार्जिलिंग					-57%	डी
	मालदा					-64%	एस
	एन एण्ड एस दिनाजपुर					-100%	एन अर
	सिक्किम	-34%	डी			-46%	डी
	बांकुरा					-27%	डी
	हुगली					-45%	डी
	हावड़ा	-20%	डी			-30%	डी
	मुर्शिदाबाद					-24%	डी
	उत्तर 24 परगना एन					-46%	डी
	पुरूलिया			-21%	डी	-35%	डी
उड़ीसा	बालासौर			-60%	एस	-33%	डी
	बोलंगगिर					-75%	एस
	कटक					-47%	डी
	धेनकनाल					-62%	एस
	गंजम					-20%	डी
	कालाहांडी			-50%	डी	-97%	एस
	क्योझरगढ़					-58%	डी
	कोरापुट			-43%	डी		
	मयूरभंज					-35%	डी
	फुलबनी			-55%	डी	-67%	एस
	पुरी					-33%	डी
	सम्बलपुर					-37%	डी
	सुन्दरगढ़			-37%	डी	-44%	डी
झारखंड	धनबाद	-26%	डी			-92%	एस
	गिरीडीह					-100%	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8
	हजारीबाग					-38%	डी
	पलामू					-82%	एस
	रांची					-31%	डी
	संथाल परगना					-100%	एन आर
	सिंगभूम			-44%	डी		
	गुमला			-24%	डी	-100%	एन आर
	साहिबगंज					-100%	एन आर
	लोहार डागा			-25%	डी	-75%	एस
बिहार	भोजपुर	-30%	डी			-100%	एन आर
	दरभंगा					-100%	एन आर
	गया	-23%	डी			-24%	एस
	गोपालगंज					-100%	एन आर
	कटिहार					-100%	एन आर
	मधुबनी					-71%	एस
	मुंगेर					-100%	एन आर
	मुजफ्फरपुर					-41%	डी
	नालंदा						
	पटना					-33%	डी
	सारन					-68%	एस
	सीतामढी					-48%	डी
	औरंगाबाद			-43%	डी	-100%	एन आर
उत्तर प्रदेश	बहराईच						
	बस्ती					-43%	डी
	देवरिया	-20%	डी				
	फर्रूखाबाद			-34%	डी		

1	2	3	4	5	6	7	8
	फतेहपुर	-29%	डी	-66%	एस	-20%	डी
	गाजीपुर					-29%	डी
	हरदोई	-41%	डी	-86%	एस		
	खीरी			-86%	एस		
	लखनऊ						
	रायबरेली	-45%	डी				
	सीतापुर			-54%	डी		
	बांदा			-31%	डी		
	आगरा	-40%	डी				
	अलीगढ़	-32%	डी				
	बदायूं	-24%	डी	-57%	डी		
	बरेली	-28%	डी	-75%	एस		
	बिजनौर			-95%	एस		
	बुलंदशहर			-69%	एस		
	एटा	-26%	डी	-61%	एस		
	इटावा	-29%	डी	-44%	डी		
	हमीरपुर			-30%	डी	-26%	डी
	झांसी			-22%	डी		
	मैनपुरी			-27%	डी		
	मथुरा	-27%	डी	-89%	एस		
	मेरठ	-33%	डी	-82%	एस		
	मुजफ्फरनगर	-22%	डी	-45%	डी	-28%	डी
	मुरादाबाद	-32%	डी	-69%	एस		
	पीलीभीत	-26%	डी	-92%	एस	-24%	डी
	रामपुर	-56%	डी	-95%	एस		

1	2	3	4	5	6	7	8
	सहारनपुर			-68%	एस		
	शाहजहांपुर	-33%	डी	-97%	एस		
	ललितपुर			-86%	एस		
उत्तरांचल	अल्मोड़ा	-23%	डी	-81%	एस		
	चमोली			-95%	एस	-53%	डी
	देहरादून			-84%	एस		
	टेहरी गढ़वाल	-54%	डी	-97%	एस	-31%	डी
	पौड़ी गढ़वाल			-77%	एस		
	नैनीताल	-48%	डी	-83%	एस	-20%	डी
	पिथौरागढ़			-75%	एस		
	उत्तरकाशी	-23%	डी	-56%	डी		
हरियाणा	अम्बाला			-55%	डी		
	भिवानी			-20%	डी		
	चंडीगढ़			-72%	एस		
	दिल्ली	-28%	डी	-61%	एस		
	फरीदाबाद			-93%	एस		
	गुडगांव			-34%	डी		
	हिसार			-56%	डी		
	जीन्द			-55%	डी		
	कैथल			-80%	एस		
	करनाल	-20%	डी	-64%	एस		
	कुरूक्षेत्र			-67%	एस		
	महेंद्रगढ़	-34%	डी	-57%	डी		
	पानीपत	-24%	डी	-93%	एस		
	रिवाड़ी			-72%	एस		

1	2	3	4	5	6	7	8
	सिरसा			-100%	एन आर	-42%	डी
	सोनीपत	-23%	डी				
	यमुनानगर	-28%	डी	-88%	एस		
पंजाब	अमृतसर			-83%	एस	-98%	एस
	भटिंडा	-31%	डी			-68%	एस
	फरीदकोट	-35%	डी	-46%	डी	-95%	एस
	फिरोजपुर					-98%	एस
	गुरदासपुर			-41%	डी	-74%	एस
	होशियारपुर			-79%	एस	-67%	एस
	जालन्धर			-75%	एस	-59%	डी
	लुधियाना			-67%	एस	-81%	एस
	पटियाला			-83%	एस	-20%	डी
	रोपड़			-80%	एस		
	संगरूर	-47%	डी	-96%	एस	-70%	एस
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर			-46%	डी		
	चम्बा	-43%	डी	-22%	डी		
	हमीरपुर			-35%	डी	-20%	डी
	कांगड़ा			-63%	एस	-52%	डी
	किंन्नौर	-48%	डी	-65%	एस		
	लाहोल एवं स्पीति	-40%	डी	-28%	डी	-48%	डी
	मंडी			-60%	एस		
	शिमला	-28%	डी	-51%	डी		
	सिरमुर	-28%	डी	-86%	एस		
	सोलन	-42%	डी	-86%	एस	-26%	डी
	उना			-48%	डी	-22%	डी

1	2	3	4	5	6	7	8
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर			-40%	डी		
	बडगाम	-38%	डी	-56%	डी		
	बारामुला			-40%	डी		
	डोडा			-50%	डी	-21%	डी
	जम्मू			-96%	एस	-83%	एस
	ऊधमपुर			-64%	एस	-76%	एस
	कठुवा			-26%	डी	-66%	एस
	लद्दाख	-83%	एस	-94%	एस	-98%	एस
राजस्थान	बाडमेर					-91%	एस
	बीकानेर			-80%	एस	-65%	एस
	चुरू	-20%	डी	-65%	एस	-56%	डी
	श्री गंगानगर			-93%	एस	-96%	एस
	हनुमानगढ़	-72%	एस	-100%	एन आर		
	जैसलमेर			-100%	एन आर	-100%	एन आर
	जालोर	-29%	डी	-100%	एन आर	-100%	एन आर
	जोधपुर			-73%	एस	-55%	डी
	नागौर	-35%	डी	-40%	डी		
	पाली			-100%	एन आर		
	अलवर	-38%	डी	-52%	डी		
	बांसवाड़ा	-27%	डी	-99%	एस	-100%	एन आर
	बरन	-21%	डी	-45%	डी		
	भरतपुर	-26%	डी	-66%	एस		
	भीलवाड़ा			-26%	डी		
	बूंदी	-34%	डी	-99%	एस		
	चित्तौड़गढ़	-39%	डी	-89%	एस		

1	2	3	4	5	6	7	8
	दौसा	-24%	डी	-46%	डी		
	डूंगरपुर			-100%	एन आर	-100%	एन आर
	जयपुर	-29%	डी	-30%	डी		
	झालावाड़	-28%	डी	-35%	डी	-71%	एस
	झुन्झुनू			-84%	एस		
	करोली	-33%	डी	-93%	एस		
	कोटा			-68%	एस		
	सवाई माधोपुर	-29%	डी	-34%	डी		
	सीकर			-63%	एस		
	सिरोही	-28%	डी			-48%	डी
	टोंक	-31%	डी	-100%	एन आर		
	उदयपुर			-69%	एस	-78%	एस
मध्य प्रदेश	भिंड			-66%	एस		
	भिलसा (विदिसा)			-51%	डी		
	भोपाल	-29%	डी				
	छतरपुर			-74%	एस		
	छिंदवाड़ा	-41%	डी			-28%	डी
	दमोह	-25%	डी			-50%	डी
	दतिया			-28%	डी		
	देवास	-28%	डी			-44%	डी
	धार	-39%	डी			-82%	एस
	होशंगाबाद	-41%	डी			-35%	डी
	इंदौर	-39%	डी				
	झाबुआ	-37%	डी				
	खंडवा	-36%	डी			-66%	एस

1	2	3	4	5	6	7	8
	खरगोन	-25%	डी			-63%	एस
	मंदसौर			-79%	एस		
	मुरेना			-57%	डी		
	नरसिंहपुर	-23%	डी			-47%	डी
	रायसेन	-27%	डी	-31%	डी	-93%	एस
	राजगढ़	-23%	डी	-34%	डी	-100%	एन आर
	रतलाम	-32%	डी	-23%	डी	-56%	डी
	सागर	-20%	डी				
	सीहोर	-21%	डी			-24%	डी
	सिवनी	-35%	डी			-95%	एस
	शाजापुर	-25%	डी	-59%	डी	-24%	डी
	शिवपुरी			-73%	एस		
	टीकमगढ़			-100%	एन आर		
	उज्जैन	-44%	डी				
	बालाघाट					-46%	डी
	मांडला	-25%	डी			-66%	एस
	पन्ना			-42%	डी		
	रीवा					-100%	एन आर
	शहडोल					-98%	एस
	सिधी			-100%	एन आर		
छत्तीसगढ़	बिलासपुर					-50%	डी
	दुर्ग			-25%	डी	-78%	एस
	रायपुर					-71%	एस
	सरगुजा					-30%	डी

1	2	3	4	5	6	7	8
गुजरात	अहमदाबाद					-100%	एन आर
	बनासकांठा					-94%	एस
	बड़ोदा					-100%	एन आर
	भरूच	-32%	डी			-100%	एन आर
	भलसाड			-44%	डी	-100%	एन आर
	डांगस					-100%	एन आर
	गांधीनगर	-20%	डी	-100%	एन आर	-100%	एन आर
	कैरा	-29%	डी	-62%	एस	-100%	एन आर
	मेहसाना					-100%	एन आर
	पंचमहल	-50%	डी	-44%	डी	-100%	एन आर
	साबरकांठा	-28%	डी			-100%	एन आर
	सूरत			-32%	डी	-100%	एन आर
	डी एन एच एवं दमन					-100%	एन आर
	अमरेली					-100%	एन आर
	भावनगर					-100%	एन आर
	जामनगर			-97%	एस	-100%	एन आर
	जूनागढ़			-58%	डी	-100%	एन आर
	कच्छ			-90%	एस	-100%	एन आर
	राजकोट			-100%	एन आर	-100%	एन आर
	सुरेन्द्रनगर			-77%	एस	-100%	एन आर
महाराष्ट्र	मुम्बई					-100%	एन आर
	गोवा	-25%	डी	-53%	डी	-100%	एन आर
	रायगढ़	-26%	डी	-43%	डी	-100%	एन आर
	रतनागीरी	-22%	डी	-46%	डी	-100%	एन आर

1	2	3	4	5	6	7	8
	थाने			-38%	डी	-100%	एन आर
	सिन्धुदुर्ग	-24%	डी	-22%	डी	-100%	एन आर
	हमदनगर					-75%	एस
	धुले					-89%	एस
	जलगांव	-23%	डी				
	कोल्हापुर			-20%	डी	-100%	एन आर
	नासिक					-65%	एस
	पुणे					-97%	एस
	सांग्ली					-100%	एन आर
	सतारा					-100%	एन आर
	शोलापुर					-84%	एस
	औरंगाबाद					-89%	एस
	बीड					-58%	डी
	ओसमानाबाद	-25%	डी				
	परभनी					-80%	एस
	लातूर						
	जालना					-83%	एस
	अमरावती	-25%	डी				
	भंडारा					-22%	डी
	चंद्रपुर					-63%	एस
	नागपुर					-45%	डी
	बुलदाना	-25%	डी				
	वर्धा					-57%	डी
	यवतमल					-26%	डी
	गढ़चिरोली					-59%	डी

1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी					-27%	डी
	गुंटूर			-20%	डी		
	विशाखापटनम					-28%	डी
	पश्चिम गोदावरी	-24%	डी				
	मेडक	-23%	डी			-42%	डी
	निजामाबाद	-20%	डी				
	वारंगल					-69%	एस
	हैदराबाद					-23%	डी
	महबूबनगर					-100%	एन आर
	चित्तूर					-46%	डी
	कडप्पा					-48%	डी
	कुरनूल					-62%	एस
तमिलनाडु	चेंगलपट्टु एम जी आर	-25%	डी				
	कोयम्बटूर					-86%	एस
	धर्मपुरी					-87%	एस
	कन्याकुमारी	-37%	डी	-52%	डी	-45%	डी
	मदुरई	-23%	डी			-31%	डी
	नीलगिरी			-58%	डी	-85%	एस
	वेल्लोर			-33%	डी	-91%	एस
	पुदुकोट्टई			-35%	डी		
	सलेम			-44%	डी	-87%	एस
	दक्षिण अर्कट	-29%	डी	-33%	डी		
	थंजावूर						
	तिरूचिरापल्ली	-50%	डी	-32%	डी		
	एरोड			-21%	डी	-94%	एस

1	2	3	4	5	6	7	8
	तिरूनेलवेली	-46%	डी				
	विरूदुनगर	-26%	डी	-34%	डी	-42%	डी
	शिवगंगा	-23%	डी				
	डिन्डीगुल	-27%	डी	-31%	डी		
	तुतीकोरीन			-34%	डी		
	तिरूवनामलाई					-87%	एस
	नागपटीनम क्यू ई एम			-20%	डी		
	पांडीचेरी			-47%	डी		
कर्नाटक	उडुपी					-45%	डी
	उत्तर कन्नड	-22%	डी	-35%	डी		
	बेलगाम			-56%	डी		
	बीदर	-34%	डी				
	बीजापुर	-24%	डी				
	धारवाड़	-20%	डी	-57%	डी		
	गुलबर्गा	-20%	डी				
	हवेरी			-64%	एस		
	रायचूर	-25%	डी				
	बंगलौर ग्रामीण					-97%	एस
	बंगलौर शहरी			-24%	डी	-97%	एस
	चमराजनगर					-45%	डी
	चिकमगलूर			-42%	डी		
	चित्रदुर्ग			-43%	डी		
	देवनगिरी			-67%	एस		
	हसन			-40%	डी		
	कोदागु	-26%	डी	-22%	डी		

1	2	3	4	5	6	7	8
	सिमोगा	-25%	डी	-55%	डी		
	कोजीकोड	-36%	डी				
केरल	कन्नूर	-21%	डी			-82%	एस
	एर्नाकुलम					-64%	एस
	इडुक्की					-92%	एस
	मलपुरम					-100%	एन आर
	पलक्काड	-24%	डी			-96%	एस
	कोल्लम					-62%	एस
	त्रिस्सूर					-98%	एस
	तिरूवनंतपुरम			-24%	डी	-57%	डी
	कसरगोड					-100%	एन आर
	वायनाड	-52%	डी	-23%	डी		
	पथनमथिट्टा					-60%	एस
	लक्षद्वीप			-33%	डी	-20%	डी

सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों की राज्यवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले	1.3.02 से 31.5.02 तक		1.6.02 से 31.8.02 तक	
1	2	3	4	5	6
अंदमान और निकोबार द्वीप	अंदमान			-22%	डी
	निकोबार			-31%	डी
अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	-31%	डी	-63%	एस
	दिबांगघाटी			-34%	डी
	लोहित			-22%	डी
	लोअर सुवनसिरी	-40%	डी	-37%	डी
	पापुमपारा			-45%	डी

1	2	3	4	5	6
	अपरसियांग			-100%	एनआर
	वैस्ट सियांग	-29%	डी	-45%	डी
असम	काछेर			-25%	डी
	गोलपाड़ा	-37%	डी		
	हैलाकण्डी			-32%	डी
	जोरहट	-33%	डी	-24%	डी
	लखीमपुर	-35	डी		
	मोरीगांव			-31%	डी
	एनसी हिल्स	-27%	डी	-75%	एस
	नौगांव			-39%	डी
	सिवसागर	-26%	डी		
	सोनितपुर			-23%	डी
नागालैंड	मोन			-39%	डी
	फेक			-24%	डी
	टवेनसांग			-52%	डी
मणिपुर	चुराचन्द्रपुर			-100%	एन आर
	सोनापती			-87%	एस
मेघालय	जातिया हिल्स	-52%	डी	-71%	एस
पश्चिमी बंगाल	कूच बिहार			-20%	डी
	साऊथ दिनाजपुर	-62%	एस	-32%	डी
	हावड़ा	-25%	डी		
उड़ीसा	अंगुल			-28%	डी
	बालासोर			-23%	डी
	बारागढ़	-30%	डी	-25%	डी
	भदरक	-40%	डी	-25%	डी

1	2	3	4	5	6
	बौधगढ़	-47%	डी		
	बौलनगीर			-21%	डी
	कटक			-31%	डी
	देवगढ़			-43%	डी
	धेनकैनाल			-23%	डी
	जगतसिंह पुर	-55%	डी		
	झारसूगुडा			-33%	डी
	कालाहांडी			-40%	डी
	मलकागिरी	-31%	डी	-52%	डी
	मयूरभंज			-29%	डी
	नावापाड़ा			-25%	डी
	रायगाड़ा			-28%	डी
	सम्बलपुर			-30%	डी
	सोनपुर	-34%	डी	-29%	डी
	सुन्दरगढ़			-30%	डी
झारखण्ड	धनबाद	-60%	एस	-27%	डी
	गुमला	-44%	डी	-44%	डी
	कोडर्मा	-21%	डी		
	पालामऊ	-55%	डी	-24%	डी
	वैस्ट सिंघभूम	-65%	एस	-42%	डी
बिहार	औरंगाबाद	-28%	डी		
	बेगुसराय			36%	डी
	झबुआ			-23%	डी
	भोजपुर	-50%	डी	-28%	डी
	बक्सर			-29%	डी

1	2	3	4	5	6
	पूर्वी चम्पारन	-44%	डी		
	गोपालगंज	-100%	एन आर	-65%	डी
	मधेपूरा			-25%	डी
	मुंगेर			-27%	डी
	नालन्दा			-22%	डी
	सिवान			-24%	डी
	सुपौल	-57%	डी	-78%	एस
	किशनगंज			-100%	एन आर
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद			-33%	डी
	अम्बेडकर नगर			-46%	डी
	आजमगढ़	-89%	एस		
	बलरामपुर	-56%	डी	-59%	डी
	बांदा			-20%	डी
	बाराबंकी			-56%	डी
	बस्ती			-50%	डी
	देवरिया			-48%	डी
	फैजाबाद			-58%	डी
	फरूखाबाद			-51%	डी
	फतेहपुर			-48%	डी
	गाजीपुर			-31%	डी
	गोन्डा			-58%	डी
	गोरखपुर			56%	डी
	हरदोई	-21%	डी	-57%	डी
	जौनपुर			-51%	डी
	कानपुर शहर			-60%	डी

1	2	3	4	5	6
	कानपुर देहात			-52%	डी
	खेड़ी	-68%	एस	-44%	डी
	कुशीनगर			-93%	एस
	लखनऊ	-41%	डी	-57%	डी
	महाराजगंज			-20%	डी
	मऊ			-29%	डी
	मिर्जापुर			-29%	डी
	प्रतापगढ़			-46%	डी
	रायबरेली			-69%	एस
	साहूजी महाराज नगर			-20%	डी
	संत रविदास नगर			-20%	डी
	सरस्वती नगर	-20%	डी	-36%	डी
	सिद्धर्थ नगर	-100%	एन आर	-52%	डी
	सीतापुर			-32%	डी
	सोनभद्र	-65%	एस	-20%	डी
	सुलतानपुर			-60%	एस
	उन्नाव			-56%	डी
	वाराणसी			-21%	डी
	आगरा			-52%	डी
	अलीगढ़			-59%	डी
	औरैया			-71%	डी
	बदायूं			-46%	डी
	बागपत			-57%	डी
	बरेली			-33%	डी
	बिजनौर	-75%	एस	-37%	डी

1	2	3	4	5	6
	बुलन्दशहर			-60%	एस
	एटा			-59%	डी
	इटावा			-59%	डी
	फिरोजाबाद			-50%	डी
	गाजियाबाद	-42%	डी		
	हमीरपुर			-63%	एस
	जालौन			-33%	डी
	झांसी			-26%	डी
	ललितपुर	-75%	एस	-22%	डी
	महामाया नगर			-53%	डी
	मैनपुरी	-36%	डी	-61%	एस
	मथुरा			-53%	डी
	मेरठ			-36%	डी
	मुरादाबाद			-37%	डी
	मुजफ्फरनगर			-54%	डी
	पीलीभीत	-100%	एन आर	-65%	एस
	रामपुर			-61%	एस
	सहारनपुर			-40%	डी
	शाहजहांपुर			-53%	डी
उत्तरांचल	चमोली			-28%	डी
	देहरादून			-34%	डी
	टेहरी गढ़वाल			-71%	एस
	नैनीताल			-48%	डी
	रूद्र प्रयाग	-44%	डी	-48%	डी
	ऊधमसिंह नगर			-66%	एस

1	2	3	4	5	6
हरियाणा	अम्बाला			-29%	डी
	भिवानी			-63%	एस
	फरीदाबाद			-58%	डी
	फतेहाबाद			-89%	एस
	गुड़गांव			-72%	एस
	हिसार			-82%	एस
	झज्जर			-66%	एस
	जींद			-76%	एस
	कैथल			-67%	एस
	करनाल			-58%	डी
	कुरूक्षेत्र			-51%	डी
	महेंद्रगढ़			-91%	एस
	पंचकुला	-67%	एस	-70%	एस
	पानीपत			-82%	एस
	रेवाड़ी			-57%	डी
	रोहतक			-42%	डी
	सिरसा			-73%	एस
	सोनीपत			-70%	एस
	यमुना नगर			-20%	डी
चण्डीगढ़	चण्डीगढ़			-24%	डी
दिल्ली	दिल्ली			-61%	एस
पंजाब	अमृतसर	-34%	डी	-40%	डी
	भटिण्डा			-86%	एस
	फरीदकोट			-99%	एस
	फतेहगढ़ साहिब			-66%	एस

1	2	3	4	5	6
	फिरोजपुर			-53%	डी
	गुरूदासपुर	-61%	एस		
	होशियारपुर	-72%	एस	-70%	एस
	जालन्धर	-24%	डी	-80%	एस
	कपूरथला			-100%	एन आर
	लुधियाना			-69%	एस
	मोगा	-56%	डी	-72%	एस
	मुक्तसर			-56%	डी
	नवां शहर			-50%	डी
	पटियाला			-40%	डी
	रोपड़			-20%	डी
	संगरूर	-79%	एस	-79%	एस
हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर			-26%	डी
	चम्बा			-35%	डी
	हमीरपुर			-33%	डी
	कांगड़ा	-36%	डी	-42%	डी
	किन्नौर			-47%	डी
	कुल्लू			-43%	डी
	लाहौल और सपीति	-46%	डी	-94%	डी
	मंडी			-25%	डी
	शिमला			-48%	डी
	सिरमूर			-50%	डी
	सोलन			-50%	डी
जम्मू-कश्मीर	बड़गांव	-26%	डी		
	डोडा	-27%	डी		

1	2	3	4	5	6
	जम्मू	-52%	डी		
	कठुआ			-23%	डी
	कुपवाड़ा	-23%	डी		
	लेह	-98%	एस	-100%	एन आर
	पुलवामा	-37%	डी	-23%	डी
	ऊधमपुर			-25%	डी
राजस्थान	बाड़मेर	-64%	एस	-67%	एस
	बीकानेर			-93%	एस
	चुरू			-70%	एस
	हनुमानगढ़			-75%	एस
	जैसलमेर			-95%	एस
	जालौर	-100%	एन आर	-72%	एस
	जोधपुर	-65%	एस	-80%	एस
	नागौर	-29%	डी	-67%	एस
	पाली	-71%	एस	-69%	एस
	श्री गंगानगर			-75%	एस
	अजमेर			-58%	डी
	अलवर	-30%	डी	-69%	एस
	बांसवाड़ा	-70%	एस	-59%	डी
	बरन	-70%	एस	-63%	एस
	भरतपुर			-52%	डी
	भीलवाड़ा	-57%	डी	-51%	डी
	बूंदी	-36%	डी	-57%	डी
	चित्तौड़ गढ़	-55%	डी	-42%	डी
	दौसा	-39%	डी	-59%	डी

1	2	3	4	5	6
	धौलपुर			-50%	डी
	डूंगरपुर	-100%	एन आर	-55%	डी
	जयपुर	-34%	डी	-76%	एस
	झालावाड़	-42%	डी	-58%	डी
	झुनझुनु			-74%	एस
	करौली			-72%	एस
	कोटा	-100%	एन आर	-51%	डी
	राजसमंड	-76%	एस	-53%	डी
	सवाई माधोपुर	-55%	डी	-77%	एस
	सीकर	-23%	डी	-69%	एस
	सिरोही	-100%	एन आर	-67%	एस
	टौंक			-78%	एस
	उदयपुर	-88%	एस	-37%	डी
मध्य प्रदेश	बरौनी	-100%	एन आर		
	बेतूल	-24%	डी		
	भिण्ड			-53%	डी
	दतिया	-100%	एन आर	-27%	डी
	देवास			-38%	डी
	गुना	-80%	एस	-48%	डी
	ग्वालियर			-54%	डी
	हरदा			-50%	डी
	हौसंगाबाद	-29%	डी		
	इन्दौर			-29%	डी
	झबुआ	-99%	एस	-21%	डी
	खण्डवा	-83%	एस	-77%	एस

1	2	3	4	5	6
	खरगोन			-37%	डी
	मंदसौर	-69%	एस	-29%	डी
	मोरेना			-46%	डी
	नीमच	-100%	एन आर	-66%	एस
	रायसेन	-100%	एन आर		
	राजगढ़	-48%	डी	-40%	डी
	रतलाम			-32%	डी
	सिहोर			25%	डी
	शाजापुर	-40%	डी	-30%	डी
	शिवपुर			-74%	एस
	शिवपुरी	-62%	एस	-57%	डी
	उज्जैन	-44%	डी	-39%	डी
	विदिशा	-46%	डी	-20%	डी
	छतरपुर			-29%	डी
	छिंदवाड़ा	-70%	एस	-28%	डी
	दमोह	-42%	डी	-36%	डी
	दिंदौरी			-56%	डी
	कटनी			-28%	डी
	मण्डला	-84%	एस	-35%	डी
	नरसिंग पुर			-28%	डी
	पन्ना	-49%	डी	-29%	डी
	रीवा	-100%	एन आर	-26%	डी
	सागर			-36%	डी
	सिवनी	-42%	डी		
	सतना	-59%	डी		

1	2	3	4	5	6
	शाहडोल			-50%	डी
	सिधी	-100%	एन आर	-53%	डी
	टीकमगढ़	-100%	एन आर	-24%	डी
	उमारिया	-81%	एस		
गुजरात	अहमदाबाद	-100%	एन आर	-51%	डी
	आनन्द	-100%	एन आर	-43%	डी
	बनासकांठा	-100%	एन आर	-67%	एस
	बड़ौदा	-97%	एस	-22%	डी
	बरूच	-99%	एस		
	दाहोद	-100%	एन आर	-36%	डी
	डांग्स	-100%	एन आर		
	गांधी नगर	-100%	एन आर	-53%	डी
	खेड़ा	-100%	एन आर	-47%	डी
	मेहसाना	-100%	एन आर	-52%	डी
	नर्मदा	-100%	एन आर	-37%	डी
	नौसारी	-100%	एन आर		
	पंचमहल	-100%	एन आर	-39%	डी
	पटन	-100%	एन आर	-51%	डी
	साबरकांठा	-100%	एन आर	-57%	डी
	सूरत	-89%	एस		
	वलसाड	-87%	एस		
	अमरेली	-100%	एन आर		
	भावनगर	-94%	एस		
	जामनगर	-100%	एन आर	-29%	डी
	जूनागढ़	-88%	एस	-43%	डी

1	2	3	4	5	6
	कच्छ	-100%	एन आर	-55%	डी
	पोरबन्दर	-100%	एन आर	-53%	डी
	राजकोट	-51%	डी	-29%	डी
	सुरेन्द्र नगर	-100%	एन आर	-28%	डी
गोवा	गोवा	-80%	एस		
महाराष्ट्र	मुम्बई			-35%	डी
	रायगढ़	-96%	एस	-24%	डी
	रत्नागिरी	-97%	एस		
	सिधुदुर्ग	-91%	एस	-31%	डी
	थाने	-96%	एस		
	अहमदनगर	-61%	एस		
	धुले	-100%	एन आर		
	जलगांव	-94%	एस		
	कोल्हापुर	-80%	एस		
	नंदुरबर	-78%	एस		
	नासिक	-84%	एस		
	पुणे	-89%	एस	-40%	डी
	सांगली	-80%	एस		
	सतारा	-79%	एस	-62%	एस
	शोलापुर	-59%	डी		
	औरंगाबाद	-76%	एस		
	बीड	-76%	एस		
	जालना	-22%	डी		
	लातुर	-46%	डी		
	नांदेड	-76%	एस		

1	2	3	4	5	6
	ओसमानाबाद	-24%	डी		
	परभनी	-72%	एस		
	अकोला	-62%	एस		
	अमरावती			-26%	डी
	बुलदाना	-23%	डी		
	गढ़चिरोली	-60%	एस		
	यवतमल	-88%	एस		
छत्तीसगढ़	बस्तर			-25%	डी
	बिलासपुर			-26%	डी
	धमतारी			-36%	डी
	दुर्ग			-54%	डी
	जंजगिर			-27%	डी
	जसपुर			-55%	डी
	कानकर	-69%	एस	-58%	डी
	कोरबा			-39%	डी
	कोरिया			-95%	एस
	कोवरदा			-100%	एन आर
	महासमंद			-38%	डी
	रायगढ़	-33%	डी	-47%	डी
	रायपुर	-27%	डी	-33%	डी
	राजनंदगांव	-81%	एस		
	सरगुजा			-28%	डी
आंध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	-53%	डी	-38%	डी
	गुंटुर	-57%	डी	-20%	डी
	कृष्णा	-44%	डी	-26%	डी

1	2	3	4	5	6
	नेल्लोर	-78%	एस	-31%	डी
	प्रकाशम	-65%	एस	-25%	डी
	श्री काकुलम	-31%	डी		
	विजयानगरम	-38%	डी		
	पश्चिम गोदावरी			-42%	डी
	अदिलाबाद	-71%	एस		
	करीम नगर	-28%	डी		
	खम्मम	-72%	एस		
	महबूबनगर	-26%	डी	-23%	डी
	मेडक	-87%	एस	-32%	डी
	निजामाबाद	-38%	डी	-34%	डी
	अनंतपुर			-34%	डी
	चितूर	-37%	डी	-20%	डी
	कडप्पा			-42%	डी
तमिलनाडु	चेन्नई	-60%	एस	-28%	डी
	कोयम्बटूर	-61%	एस	-38%	डी
	कडालोर	-73%	एस	-49%	डी
	धर्मपुरी	-24%	डी	-42%	डी
	डिंडीगुल	-59%	डी	-29%	डी
	एरोड	-50%	डी	-56%	डी
	कांचीपुरम	-56%	डी	-62%	एस
	कन्याकुमारी	-38%	डी	-80%	एस
	करूर	-49%	डी	-62%	एस
	मदुरई	-49%	डी	-28%	डी

1	2	3	4	5	6
	नागापटीनम	-65%	एस	-44%	डी
	नमक्कल	-59%	डी	-59%	डी
	नीलगिरी	-32%	डी	-20%	डी
	पेरमबुलुर	-51%	डी	-36%	डी
	पुदुकोट्टई	-51%	डी	-48%	डी
	रामनाथपुरम	40%	डी	-70%	एस
	सलेम	-44%	डी	-59%	डी
	थंजावूर	-38%	डी	-30%	डी
	थेनी			-36%	डी
	तिरूनावेली			-39%	डी
	तिरूवल्लूर	-58%	डी	-45%	डी
	तिरूवन्नामलाई			-43%	डी
	तिरूवरूर	-60%	एस	-58%	डी
	त्रिची	-38%	डी		
	तूतीकोरीन			-73%	एस
	वेलोर	-25%	डी	-46%	डी
	विलुपुरम	-24%	डी	-47%	डी
	विरुदुनगर	-52%	डी	-56%	डी
पांडिचेरी	पांडिचेरी			-29%	डी
कर्नाटक	दक्षिण कन्नड	-71%	एस	-32%	डी
	उडुपी			-29%	डी
	उत्तर कन्नड			-21%	डी
	बगलकोट	-35%	डी		
	बेलगाम	-33%	डी		

1	2	3	4	5	6
	बीजापुर			-29%	डी
	गदग			-30%	डी
	गुलबर्गा	-57%	डी	-32%	डी
	हवेरी			-26%	डी
	कोप्पल	-25%	डी	-24%	डी
	रायचुर			-46%	डी
	बंगलौर ग्रामीण			-44%	डी
	बंगलौर शहरी			-26%	डी
	बेल्लारी	-44%	डी	-33%	डी
	चमराजनगर	-42%	डी	-43%	डी
	चिकमगलूर	-27%	डी	-45%	डी
	चित्रदुर्ग	-30%	डी		
	हसन	-38%	डी	-42%	डी
	कोदागु	-31%	डी	-30%	डी
	कोलार			-31%	डी
	मांडया	-59%	डी	-33%	डी
	मैसूर	-41%	डी	-34%	डी
	शिमोगा			-48%	डी
केरल	कन्नूर			-27%	डी
	कसरगोड			-30%	डी
	कोल्लम			-33%	डी
	कोट्टायम			-25%	डी
	कोजीकोड			-39%	डी
	मलपुरम			-36%	डी

1	2	3	4	5	6
	पलकड			-26%	डी
	पथनमिथट्टा			-30%	डी
	तिरूवनतपुरम			-56%	डी
	त्रिशूर			-29%	डी
	वायनाड			-54%	डी
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप			-41%	डी

डी – कम (सामान्य वर्षा-20% से-59% तक)

एस – छिटपुट (सामान्य वर्षा-60% से-99% तक)

एन आर – वर्षा नहीं हुई (सामान्य वर्षा-100% से)

विवरण-II

पिछले 20 वर्षों (1982-2001) में जल स्तर में गिरावट वाले क्षेत्र

(मानसून पूर्व अवधि)

क्रमांक	राज्य	जल स्तर में गिरावट	
		4-6 मीटर	6 मीटर से अधिक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अदिलाबाद, अनंतपुर, चित्तूर, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, नेल्लोर, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्री काकुलम, वारंगल, विजयानगरम, विशाखापटनम	अदिलाबाद, अनंतपुर, पूर्व गोदावरी, हैदराबाद, करीमनगर, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, प्रकाशम, विजयानगरम, वारंगल, विशाखापटनम, पश्चिम गोदावरी
2.	बिहार	गया, गिरीडीह, लोहारडागा, पलामू	
3.	छत्तीसगढ़	बस्तर, बिलासपुर, जंजगीर, चम्पा, कांकेर	बस्तर, दांतीवाड़ा, दुर्ग, रायगढ़
4.	गुजरात	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर, वलसाद	अहमदाबाद, अमरेली, बनासकांठा, बड़ौदा, भरूच, भावनगर, डांग्स, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, राजकोट, साबरकांठा, सूरत, सुरेन्द्रनगर
5.	हरियाणा	फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा	भिवानी, फरीदाबाद, फतेहबाद, गुड़गांव, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, यमुना नगर

1	2	3	4
6.	दिल्ली	दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, मध्य	दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, नई दिल्ली
7.	कर्नाटक	बंगलौर, बेलगांम, बीदर, बीजापुर, धारवाड़ गदग, गुलबर्गा, कोलार, कौपाला, सिमौगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़	बंगलौर, बेलारी, बेलगांम, बीदर, बीजापुर, चमराजनगर, चित्रदुर्ग, देवनगिरी, गदग, गुलबर्गा, हासन, हावेरी, मांडेया, मैसूर, रायचूर, सिमौगा, तुमकुर, उत्तर कन्नड़
8.	केरल	अरनाकुलम, इदुकी, कन्नूर कसरगोड, कौलम, कोटायम, कोजीकोड	इदुकी, कन्नूर, कौलम, कोटायम, तिरुअनन्तपुरम
9.	मध्य प्रदेश	बेतूल, भिण्ड, छतपुर, छिंदवाड़ा, दामोह, दतिया, देवास, धार, गुना, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, खरगोन, मोरेना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिहोर, साजापुर, शिवपुर, शिवपुरी	बरौनी, बेतूल, भिण्ड, छतपरुप, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, खरगोन, मन्दसौर, मौरेना, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रीवा, साजापुर, विदिशा
10.	महाराष्ट्र	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भण्डारा, बुल्दाना, चन्द्रपुर, धुले, गढ़चिरोली, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नान्देड, नासिक, परभनी, सांग्ली, सतारा, शोलापुर, थाने, वर्धा, यवतमल	अहमदनगर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बीड, भण्डारा, चन्द्रपुर, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नान्देड, पुणे, शोलापुर
11.	पूर्वोत्तर राज्य	जोरहाट, कामरूप, कारबी-अंगलोग, दक्षिण त्रिपुरा, पश्चिम त्रिपुरा	मोरीगांव
12.	उड़ीसा	बालासोर, बोलंगीर, बोध, कटक, देवगढ़, धेनकनाल, गजपति, गंजम, कालाहांडी, क्यौंझर, खुरदा, कोरापुट, मयूरभंज, नयागढ़, नोरंगपुर, फुलबनी, सम्बलपुर, सुवर्णपुर	अंगुल, बालासोर, बोलंगीर, धेनकनाल, गजपति, गंजम, खुरदा, कोरापुट, मल्कानगिरी, फुलबनी, सुन्दरगढ़, सुवर्णपुर
13.	पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालन्धर, कपूरथला, लुधियाना, मनसा, मोगा, पटियाला, संगरूर	अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, जालन्धर, लुधियाना, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर
14.	राजस्थान	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, बूंदी, चितौड़गढ़, चुरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालोर, झालावाढ़, जोधपुर, कोटा, नागोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, टोंक, उदयपुर	अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बरन, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चितौड़गढ़, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, जालोर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, कोटा, नागोर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर
15.	तमिलनाडु	कोयम्बटर, डिंडीगुल, कांचीपुरम, मद्रास, थेनी, तिरुवन्नामलाई, तूतीकोरीन	कोयम्बटूर, कडालोर, धर्मपुरी, एरोड, कन्याकुमारी, नामक्कल, परेमबुलर, पुदुकोट्टई, शिवगंगा, तंजावूर, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लुर, तिरूवरूर

1	2	3	4
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहगढ़, फतेहपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, ललितपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बदायूं, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बुलंदशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहगढ़, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव
17.	पश्चिमी बंगाल	बांकुरा, बीरभूम, कूचबिहार, पुरूलिया	बांकुरा, बर्द्धमान, बीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, पुरूलिया

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों के आगमन में कमी

38. **श्रीमती जस कौर मीणा :**
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी :
श्री ए० ब्रह्मनैया :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 नवंबर, 2002 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''फारेन टूरिस्ट एराइवल्स इस स्टिल बिलो प्री-सेप्ट 11 लेवल्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु क्या उचित कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) प्रकाशित समाचार में जनवरी-अक्तूबर, 2002 के दौरान देश में विदेशी पर्यटक आगमन की तुलना, वर्ष 2000 और 2001 की उसी अवधि के साथ, की गई है। जनवरी से अक्तूबर 2002 के दौरान एवं वर्ष 2000 और 2001 की इसी अवधि के दौरान अनुमानित विदेशी पर्यटक आगमन आंकड़े निम्नानुसार हैं :-

महीना	विदेशी पर्यटक आगमन			% परिवर्तन	
	2000	2001	2002	2002/00	2002/01
जनवरी	253666	283750	228150	-10.1	-19.6
फरवरी	257403	262306	241133	-6.3	-8.1
मार्च	234606	248965	216839	-7.6	-12.9
अप्रैल	188132	185338	155378	-17.4	-16.2
मई	139575	151098	132988	-4.7	-12.0
जून	161613	176716	143100	-11.5	-19.0
जुलाई	212949	224432	186482	-12.4	-16.9
अगस्त	186843	196517	161477	-13.6	-17.8
सितम्बर	180070	162326	151721	-15.7	-6.5
अक्तूबर	230978	181605	212191	-8.1	16.8
कुल	2045835	2073053	1829459	-10.6	-11.8

जनवरी से अक्तूबर, 2002 और जनवरी से अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान पर्यटन के माध्यम से अनुमानित विदेशी मुद्रा आय क्रमशः 2175.94 और 2490.64 मिलियन अमेरिकी डालर रही जो 12.6% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग ने, पर्यटन का आक्रामक संवर्धन एवं भारत को पर्यटन विपणन तथा देश में पर्यटक आगमन में सुधार लाने हेतु हाथ मिलाने के प्रयोजन से यात्रा एवं पर्यटन उद्योग के सभी घटकों को शामिल करते हुए एक विशेष कार्यबल गठित किया है। पर्यटन विभाग के पास पर्यटन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित अल्पावधि और दीर्घावधि योजनाएं हैं, जिससे कि देश में और अधिक विदेशी पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं :-

- पर्यटन विकास कार्य को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में प्रतिष्ठित तथा अनुरक्षित करना।
- एक पर्यटक गंतव्य स्थल के रूप में भारत की स्पर्धात्मकता में वृद्धि करना तथा इसे बनाए रखना।
- भारत के वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार तथा इनका विस्तार करना जिससे कि नई बाजार अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सके।
- विश्व स्तर की अवसंरचना का सृजन।
- सतत् एवं प्रभावी मार्केट योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।
- ग्रामीण और लघु पर्यटन के विकास पर विशेष बल देना; तथा
- सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा शिष्टाचार और नागरिक प्रशासन से संबंधित मुद्दों और बेहतर शासन की ओर ध्यान देना।
- पर्यटन परिपथों का विकास करना और मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार करना ताकि स्वदेशी पर्यटन में वृद्धि को सरल बनाया जा सके।

[अनुवाद]

बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति

39. **श्री के०पी० सिंह देव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं;

(ग) बाल श्रम संबंधी राष्ट्रीय नीति अपनाने के बाद देश में विशेषकर उड़ीसा में कितनी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) ऐसी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं शुरू करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में उल्लिखित कार्ययोजना में निम्नांकित पर बल दिया गया है :-

- विधायी कार्य योजना;
- जहां संभव हो, वहां बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देना; और
- मजदूरी/अर्द्ध-मजदूरी रोजगार से जुड़े बाल श्रम बहुल क्षेत्रों में परियोजना-आधारित कार्य योजना।

(ग) फिलहाल, 13 बाल श्रमिक बहुल राज्यों में 2.11 लाख बच्चों को कवर करने के लिए 100 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उड़ीसा राज्य के लिए अब तक 18 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।

(घ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसित प्रस्ताव जिले से प्राप्त होने के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है। मंजूर किए जाने वाले विद्यालयों/केन्द्रों की संख्या सर्वेक्षण के दौरान पहचान किए गए बाल श्रमिकों की संख्या पर निर्भर करती है।

संविधान की संघ सूची में नदियों को शामिल किया जाना

40. **श्रीमती श्यामा सिंह** :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न जल विवादों के मद्देनजर संविधान की संघ सूची में नदियों को शामिल करने पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी नदियों और संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने हेतु केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) वर्तमान में संविधान की संघ सूची में नदियों को शामिल करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास नहीं

है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का ऐसा कोई निर्देश भी नहीं है।

[हिन्दी]

सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट

41. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अखिलेश यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र ने चालू वित्त वर्ष के दौरान सूखे के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट के संबंध में आशंका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पादन में उक्त गिरावट के कारण सकल घरेलू उत्पाद दर (जी.डी.पी.) में कमी आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गिरावट को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था प्रबोधन केन्द्र (सी.एम.आई.ई.) ने मई, 2002 में वर्ष 2002-03 के लिए कृषि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, 2001-02 में 5.7% की तुलना में 2.0% प्रक्षेपित की है। सी.एम.आई.ई. ने सूखे के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अगस्त, 2002 में वर्ष 2002-03 के लिए कृषि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% की गिरावट दिखाई थी।

(ग) और (घ) सी.एम.आई.ई. का पूर्वानुमान जुलाई माह के अंत तक मानसून के कमजोर रहने पर आधारित था। तथापि, इसके बाद मानसून की स्थिति बेहतर हुई और काफी क्षेत्र खेती के तहत लाया गया। अत: कमजोर मानसून का प्रभाव उतना गंभीर नहीं होगा जितनी कि पहले आशंका थी। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2002-03 की खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त विशेष सूखा राहत मूल्य की घोषणा जैसे विभिन्न राहत उपाय किए हैं। इसके अलावा आपदा राहत कोष का नवंबर, 2002 में देय केन्द्रीय अंश, जो कुल 1150 करोड़ रु० है, अगस्त, 2002 में अग्रिम रूप में जारी करके राज्यों को सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त राहत रोजगार सृजन के लिए 13.25 लाख मी० टन अनाज नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है। प्रभावित राज्यों को 30,000 मी० टन पशु आहार भी आवंटित किया गया है।

[अनुवाद]

गंगा-कावेरी नदियों का जोड़ना

42. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री नरेश पुगलिया :
डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 2002 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेंटर कंसीडरिंग गंगा-कावेरी लिंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार देश में सभी जल समस्याओं के समाधान के रूप में गंगा-कावेरी नदी घाटियों को जोड़ने पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद पिछले कई वर्षों से बिना समाधान हुए लंबित जल-विवादों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गंगा-कावेरी नदी घाटियों को जोड़े जाने के बाद सभी जल विवादों का कब तक समाधान कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (ङ) जल संसाधन मंत्रालय वर्ष 1980 में सिंचाई मंत्रालय के रूप में माना जाता था। इस मंत्रालय में जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी जिसमें जल संसाधनों के उपयुक्त उपयोग हेतु अधिक जल वाले बेसिनों से कम जल वाले बेसिनों में जल का हस्तांतरण करने हेतु प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने का प्रावधान है। हिमालयी-घटक अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान करने और जल विद्युत के सृजन करने के अतिरिक्त गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में काफी हद तक बाढ़ नियंत्रण करेगा। भारत सरकार ने वर्ष 1982 में जल संतुलन तथा अध्ययनों के क्रियान्वयन और व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत 30 संपर्कों की पहचान की है और इसने प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 6 संपर्कों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। प्रायद्वीपीय घटक के

अंतर्गत वर्ष 2004 तक और हिमालयी घटक के अंतर्गत वर्ष 2008 तक पहचानकृत सभी जल हस्तांतरण संपर्क स्कीमों की व्यवहार्यता रिपोर्टें पूरी करने का कार्यक्रम है। जल हस्तांतरण संपर्कों का हस्तांतरण तभी संभव हो पायेगा यदि संबंधित सह-बेसिन राज्य जल संपर्क प्रस्ताव पर सहमत हों तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपयुक्त समर्थन प्रदान करें।

(घ) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी और व्यास जल विवाद और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी के बीच कावेरी जल विवाद क्रमशः अप्रैल, 86 और जून 1990 में अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिकरणों को भेजे गए थे। रावी एवं व्यास जल अधिकरण ने जनवरी, 1987 में तथ्य परक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केन्द्र सरकार एवं पक्षकार राज्यों ने अन्तर्राज्यीय अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत अधिकरण से उनके विचार/निर्देशन की मांग की थी। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25 जून, 1991 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था। कावेरी जल विवाद अधिकरण कावेरी जल विवाद पर निर्णय देने के लिए नियमित रूप से सुनवाई कर रहा है।

[हिन्दी]

रिहंद बांध

43. श्री जय प्रकाश : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रिहंद बांध में दरार के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे असुरक्षित घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) रिहन्द बांध में कोई दरार नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे असुरक्षित घोषित नहीं किया है। इस बांध के अनेकों घटकों तथा आनुषंगिक भागों (वर्क्स) में कुछ दरारें दिखाई दीं थीं। रिहन्द बांध संरचना व्यवहार समिति की सिफारिशों पर बांध का स्तर 880 फुट जलाशय स्तर के स्थान पर 870 फुट जलाशय स्तर तक रखने का निर्णय लिया गया है।

इस्पात संयंत्र

44. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रामद. रुपला गावीत :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में चल रहे इस्पात संयंत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान से आज तक इसमें उत्पादित इस्पात की मात्रा क्या है;

(ग) क्या पिछले छः महीने के दौरान इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(घ) यद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) देश में मध्यम और लघु क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इनके अतिरिक्त, लघु क्षेत्र में काफी संख्या में प्रेरण भट्टी आधारित इस्पात संयंत्र सम्पूर्ण देश में फैले हुए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में अक्तूबर, 2002 तक, उत्पादित परिसज्जित इस्पात की मात्रा नीचे दी गई है :-

(हजार टन)

1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03 (अक्तूबर तक)
28462	30322	31625	18100

(ग) और (घ) 2002-2003 के दौरान अक्तूबर, 2002 तक परिसज्जित इस्पात का उत्पादन 18100 हजार टन हुआ। 2001-2002 में, इसी अवधि के दौरान 17181 हजार टन परिसज्जित इस्पात का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष अक्तूबर तक हुआ उत्पादन 5.3% की वृद्धि दर्शाता है।

विवरण

– सेल के अधीन इस्पात संयंत्र

1. भिलाई इस्पात संयंत्र (छत्तीसगढ़)
2. बोकारो इस्पात संयंत्र (झारखण्ड)
3. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (पश्चिमी बंगाल)
4. राउरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा)
5. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (पश्चिमी बंगाल)

उपरोक्त के अतिरिक्त सेल की दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल), सेलम (तमिलनाडु, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) और भद्रावती (कर्नाटक) में चार विशेष और मिश्र इस्पात तथा फैरो-मिश्र इकाइयां हैं।

— विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र (आर आई एन एल) आंध्र प्रदेश)

सरकारी क्षेत्र में उपरोक्त इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में कार्यवृत्त इस्पात संयंत्र उनकी स्थान स्थिति (राज्य-वार) सहित नीचे दिए गए हैं :-

क्रमांक	नाम	राज्य
1	2	3
1.	टाटा आयरन एंड स्टील कं०	झारखण्ड
2.	मै. टाटा योदागावा लि०	झारखण्ड
3.	मै. ऊषा मार्टिन इंडस्ट्रीज	झारखण्ड
4.	मै. गोन्टरमान पाइपर्स (आई) लि०	पश्चिमी बंगाल
5.	मै. हिन्दुस्तान इंजी० एंड इंड० लि०	पश्चिमी बंगाल
6.	मै. नेशनल आयरन एंड स्टील कं० लि०	पश्चिमी बंगाल
7.	मै. जी के डब्ल्यू लिमिटेड	पश्चिमी बंगाल
8.	मै. टेक्समाको लि०	पश्चिमी बंगाल
9.	भारतीय इलैक्ट्रिक स्टील लि०	पश्चिमी बंगाल
10.	मै. लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लि०	महाराष्ट्र
11.	मै. सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कं० लि०	महाराष्ट्र
12.	मै. कल्याणी कारपेंटर स्पेशल स्टील्स लि०	महाराष्ट्र
13.	मै. इंडियन स्कैमलैस स्टील एंड एलॉयज लि०	महाराष्ट्र
14.	मै. फैरो एलॉयज कारपो० लि०	महाराष्ट्र
15.	मै. महिन्द्रा उजाइन स्टील कं० लि०	महाराष्ट्र
16.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि०	महाराष्ट्र
17.	मै. मुकंद लि०	महाराष्ट्र
18.	मै. टाटा एस एस एल लि०	महाराष्ट्र
19.	मै. आईएसआई बार लि० (फोर्म जैनिथ लि०)	महाराष्ट्र
20.	आई पी आई स्टील लि०	उड़ीसा
21.	मै. एस्सार स्टील लि०	गुजरात
22.	मै. पंचमहल स्टील लि०	गुजरात
23.	मै. हरियाणा स्टील एंड एलॉयज लि०	हरियाणा
24.	मै. स्टार वायर (आई) लि०	हरियाणा
25.	मै. जिंदल स्ट्रिप्स लि०	हरियाणा
26.	मै. भूषण इंडस्ट्रीज लि०	चंडीगढ़
27.	मै. मारमोगोवा स्टील लि०	गोवा
28.	मै. द कैनरा वर्कशॉप लि०	कर्नाटक
29.	मै. जिंदल विजयनगर स्टील लि०	कर्नाटक
30.	मै. होस्पैट स्टील्स लि०	कर्नाटक
31.	मै. स्टील कॉम्पलैक्स लि०	केरल
32.	मै. साउदर्न आयरन एंड स्टील कं० लि०	तमिलनाडु
33.	मै. सिम्पलैक्स कास्टिंग्स लि०	छत्तीसगढ़
34.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि०	छत्तीसगढ़
35.	मै. आरती स्टील्स	पंजाब
36.	मै. मॉडर्न स्टील्स लि०	पंजाब
37.	मै. वर्धमान स्पेशल स्टील लि०	पंजाब
38.	मै. अपर इंडिया स्टील मैनुफैक्चरिंग एंड इंजी० कं० लि०	पंजाब
39.	मै. यू पी स्टील कंपनी	उत्तर प्रदेश
40.	मै. राठी इस्पात लि०	उत्तर प्रदेश

[अनुवाद]

भूजल भंडार पर सूखे का प्रभाव

45. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या जल संसाधन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 2002 के "टाइम्स

आफ इंडिया'' में ''सी०जी०डब्ल्यू०बी० रिग्स अलार्म बेल्स आन वाटर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जलाभाव का सामना करने वाले दिल्ली के भागों को सूखा मुक्त करने हेतु कोई कार्य योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2001-02 के दौरान दिल्ली के कुछ भागों में 0.1 मीटर से 4.5 मीटर के बीच जल स्तर में गिरावट पाई गई है। मई से अगस्त, 2002 के दौरान, दिल्ली के कुछ भागों में 0.1 मीटर से 3 मीटर के बीच भूजल स्तर में दुबारा गिरावट पाई गई। इस अवधि के दौरान, सामान्य मानसून की वर्षा से पुनर्भरण के कारण भूजल स्तर के बढ़ने की संभावना रहती है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन और सूखा रोधी स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण एवं उनके क्रियान्वयन का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि, सूखा को कम करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है :-

(i) वर्ष 2002-03 के दौरान यमुना बाढ़ मैदानी क्षेत्र में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा 42 डिपाजिट कुंओं का निर्माण किया गया है।

(ii) बोर्ड द्वारा 85 अन्वेषणात्मक नलकूपों का निर्माण किया गया है जिसमें से 50 नलकूपों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपयोग के लिए सौंपा गया है।

(iii) भूजल स्थिति से संबंधित आंकड़े उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को मुहैया कराए गए हैं।

(iv) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए भूजल संबंधी पहलुओं पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सहायता प्रदान करने के वास्ते केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा एक दल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

नदी प्रदूषण रोकने हेतु जापानी सहायता

46. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :
श्री ताराचन्द भगोरा :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कई नदियां सतत् प्रदूषित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान ने गंगा सहित कुछ नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहायता प्रदान कराने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में 'जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेंसी' द्वारा तैयार किये गये 'मास्टर प्लान' का ब्यौरा क्या है और सहायता कार्यक्रम को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) देश की कई नदियां प्रदूषित हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 17 राज्यों में गंगा सहित 28 नदियों के प्रदूषित क्षेत्र के किनारे स्थित 153 शहरों में प्रदूषण निवारण कार्य शामिल है। प्रदूषण निवारण कार्यों में सीवरेज, मलजल शोधन संयंत्र, अल्प लागत शौचालय, शवदाह गृह, वनीकरण, नदी तटाग्र विकास एवं जनभागीदारी जैसे कार्य शामिल हैं।

हाल ही में जापान सरकार की जापान इन्टरनेशनल कोपरेशन एजेंसी गंगा नदी के लिए 'जल गुणत्ता प्रबंधन योजना' पर एक अध्ययन कराने हेतु तकनीकी सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। इस अध्ययन का उद्देश्य (1) गंगा बेसिन के लिए तरल अपशिष्ट से संबंधित जल गुणत्ता प्रबंधन हेतु मास्टर प्लान तैयार करना और (2) चार शहर अर्थात् कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ पर केन्द्रित मास्टर प्लान में अभिनिर्धारित उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए सम्भाव्य अध्ययनों को प्रतिपादित करना है। इस अध्ययन को पूरा करने में दो वर्ष का समय लगेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों को स्वीकृति और सहायता

47. श्री के० येरननायडू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विशाखापत्तनम स्थित राष्ट्रीय उद्यानों को स्वीकृति और वित्तपोषण प्रदान करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृति कब तक दे दिए जाने और धनराशि कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को शून्य बिक्री कर का दर्जा दिया जाना

48. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रभावित करने वाले कर को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केंद्र सरकार ने ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ.पी.आई.) जो शीघ्र खराब हो जाने वाले उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं, को शून्य बिक्री कर का दर्जा देने पर विचार करने हेतु राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में खाद्य नियमों को एकीकृत करने के संबंधी मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० चणमुगम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने देश में करों के फ्लोर रेट के बारे में अपने सुझाव दिए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां।

आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेशों जैसे संबंधित कानूनों में संशोधन संबंधी सिफारिश करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए, सरकार ने 9वीं योजना में 235 करोड़ रुपये के आबंटन की तुलना में 10वीं योजना के वास्ते इसे बढ़ाकर 650 करोड़ रुपये कर दिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन, बुनियादी सुविधाओं के विकास, गुणवत्ता आश्वासन आदि के पक्ष में विशेष बल देते हुए विभिन्न योजना स्कीमें बनाई गई हैं।

बीड़ी कामगारों के लिये क्षय रोग उपचार

49. **श्री अबुल हसनत खां** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में बीड़ी कामगारों के लिये किसी एनेस्थेटिस्ट विशेषज्ञों के अभाव और केन्द्रीय अस्पताल में जी.डी.एम. अधिकारियों और कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण क्षय रोग उपचार और महत्वपूर्ण शल्य क्रिया की कोई सुविधा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) तपेदिक के लिए नैदानिक सुविधाएं केन्द्रीय अस्पताल धुलियां में उपलब्ध हैं। तपेदिक के निदान के लिए अपेक्षित पैथालोजिकल परीक्षणों और एक्स-रे वाहिरंग रोगियों को मुहैया कराया जाता है। केन्द्रीय अस्पताल धुलियां को अक्तूबर, 2002 से संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के नेटवर्क के दायरे में लिया गया है जिसके अंतर्गत अस्पताल परिसर में एक माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित किया गया है। मरीज राज्य सरकार के अस्पतालों में अंतरग इलाज के मामले में विस्तर प्रभार, औषधि की लागत, आने जाने का खर्च और निर्वाह भत्ता पाने के हकदार हैं।

धुलिया में एनेएस्थेटिस्ट की तैनाती की गई थी लेकिन उन्होंने कार्य ग्रहण नहीं किया, इसलिए स्थानीय एनेस्थेटिस्ट को लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना

50. **श्रीमती हेमा गमांग** : क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने और पहले से ही स्थापित उद्योगों की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सरकार उड़ीसा राज्य सहित देशभर में कृषि उद्योगों सहित खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) का पहले से ही कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, के.वी.आई.सी. दस लाख रुपए तक परियोजना लागत का 25% की दर से मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है और 10 लाख रु० से अधिक तथा 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु० का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान और पहाड़ी सीमा एवं जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में मार्जिन मनी अनुदान 10 लाख रु० तक की परियोजना लागत का 30% है परन्तु इस राशि से अधिक और 25 लाख रु० तक यह 10 लाख का 30% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी का अंश दान परियोजना लागत का कम से कम 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के मामले में लाभार्थी का अंश दैनिक परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से चलाई जा रही हैं।

उड़ीसा राज्य में, 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, के.वी.आई.सी. के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1467 परियोजनाएं वित्त पोषित की गई जिनके परिणामस्वरूप 12744 रोजगार अवसर सृजित किए गए। चूंकि सरकार अपनी कोई इकाई स्थापित नहीं करती, विद्यमान इकाइयों की क्षमता बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा न लिया जाकर स्वयं उद्यमियों द्वारा लिया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

51. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) कई राज्यों में लघु किसानों और भूमिहीन ग्रामीण कामगारों की मदद करने के लिए आवास परिसर में कुक्कुट पालन हेतु अपना विशाल आधारभूत ढांचा प्रदान कराने के प्रस्ताव की जांच करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सीमांत क्षेत्रों में किसानों की दशा

52. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों किसानों विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में रह रहे किसानों की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनका भाग्य संवारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

53. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय सहायता वाली और केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी सिंचाई योजनाएं लंबित अथवा अधूरी पड़ी हैं; और

(ख) इन योजनाओं को पूरा करने हेतु राज्य-वार कितना व्यय किया गया/किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय सहायता का केन्द्रीय योजना के तहत कोई भी सिंचाई स्कीम/परियोजना शुरू नहीं की गई है। तथापि, ज्ञात 149 निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 1996 से केन्द्रीय ऋण सहायता प्रदान की जा रही है।

बांध के निर्माण पर समझौता

54. **डा० चरणदास महंत** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद बांध के निर्माण/इन्द्रावती या उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर बहने वाली किसी अन्य नदी जल का प्रवाह रोकने के लिये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केन्द्र सरकार के बीच कोई त्रिपक्षीय समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर नदी जल के प्रवाह के संबंध में कोई समझौता इन दोनों राज्यों और केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस विवाद का समाधान करने के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकारों के बीच तीन अंतर्राज्यीय बैठकें हो चुकी हैं लेकिन इंद्रावती नदी के जल प्रवाहों के बटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। केन्द्र सरकार, दोनों सरकारों के सहयोग से इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के सभी प्रयास कर रही है।

विमान दुर्घटनाएं

55. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 2002 से आज की तिथि तक भारत और विदेशों में इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और अन्य निजी विमान कंपनियों के दुर्घटनाग्रस्त हुये विमानों की संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में जान और माल की कितनी क्षति हुई;

(ग) पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया/दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किय गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) 1.6.02 से अब तक दिनांक 22.9.02 को लोनावला (पूणे) के समीप मैसर्स मिलियन एयर इक्वेरियल को हेलीकाप्टर वीटी आरएलए दुर्घटनाग्रस्त हुआ परिणामस्वरूप इसमें सवार सभी पांच व्यक्तियों की मृत्यू हो गई। दुर्घटना में हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया। उपरोक्त अवधि में भारत से बाहर कोई भी भारतीय पंजीकृत विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है।

(ग) मृतक परिवार के आश्रितों को संबंधित प्रचालक ने अपनी बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा प्रदान किया।

(घ) और (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा गठित दुर्घटना निरीक्षक इस घटना की जांच कर रहे हैं। दुर्घटना के कारणों की रिपोर्ट प्राप्त होते ही यथानुसार कार्रवाई की जाएगी।

(च) नागर विमानन महानिदेशालय सुरक्षा जांच के विषय में प्रचालकों, जिसमें हेलोकॉप्टर प्रचालक भी शामिल हैं, सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन सतत् सुनिश्चित करता है। सुरक्षा जांच जिसमें इंजीनियरिंग, प्रचालन, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग इत्यादि क्षेत्र को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुरक्षण गतिविधियों की जांच नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

बर्नपुर स्टीलवर्क्स का उत्पादन

56. श्री बसुदेव आचार्य : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० (सेल) की योजना बर्नपुर स्टीलवर्क्स के उत्पादन में वृद्धि करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल की विचार इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की खनन परिसंपत्तियों में धन निवेश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (प्रचालन एजेंसी) द्वारा जांच किए जा रहे पुनर्वास प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्ताव के कार्यान्वयन के पश्चात् बर्नपुर इस्पात कारखाने में विक्रेय इस्पात का उत्पादन 302 हजार टन वार्षिक (2001-2002) से बढ़ाकर 458 हजार टन वार्षिक होने की संभावना है।

(ग) और (घ) पुनर्वास प्रस्ताव में इस्को की खानों और कोयला खानों में 111 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है जिसे आंशिक ब्याज सहायता सहित सरकारी गारंटी से इस्को द्वारा बैंकों से जुटाया जाएगा।

(ङ) और (च) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक पुनर्वास प्रस्ताव की इस समय जांच कर रहा है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की मंजूरी प्राप्त होने के बाद कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वनों का विकास

57. **डा० जसवंतसिंह यादव :**
श्री राजो सिंह :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान और तत्पश्चात् देश में पर्यावरण और वनों के विकास के लिये सरकार द्वारा तैयार और लागू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) प्रत्येक राज्य ने इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में वनरोपण और वनों की सुरक्षा/संरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पर्यावरण एवं वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वित मुख्य कार्यक्रमों/स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नौवीं योजना के दौरान जारी की गई और उपयोग में लाई गई धनराशियों का राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) दसवीं योजना के दौरान सभी वनीकरण स्कीमों को वन विकास एजेंसियों (एफ.डी.ए.) के विकेन्द्रित ढांचें, जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का महासंघ है, के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने वाले राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत मिला दिया गया है।

विवरण-I

नौवीं योजना के दौरान पर्यावरण एवं वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं

क्रमांक	योजना का नाम
1.	राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का विकास
2.	जैवमण्डलीय रिजर्व
3.	औद्योगिक प्रदूषण निवारण परियोजना
4.	भोगाधिकार सहभागिता आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्भव में ग्रामीण निर्धन तथा अनुसूचित जनजातियों की संस्था
5.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना
6.	राष्ट्रीय नहर संरक्षण योजना
7.	क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजना
8.	एकीकृत वनीकरण व पारिस्थितिकी विकास परियोजना स्कीम
9.	औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी उत्पाद
10.	स्वर्ण जयन्ती कुंज
11.	वृक्ष तथा चरागाह बीज विकास
12.	प्रवालभित्ति और कच्छ वनस्पति का संरक्षण तथा प्रबन्धन
13.	नमभूमियों का संरक्षण तथा प्रबन्धन
14.	दावानल सुरक्षा और प्रबन्धन
15.	हाथी परियोजना
16.	बाघ परियोजना
17.	आदिवासियों के विकास के लाभोन्मुखी योजना (बी.ओ.टी.डी.)
18.	पारिविकास परियोजना

विवरण-II

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-98 से 2001-02) के दौरान राज्यों द्वारा निधियों के आबंटन तथा उपयोगिता

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वनीकरण योजनाएं		पर्यावरण क्षेत्र		वन्यजीव योजनाएं	
		आबंटन	उपयोगिता	आबंटन	उपयोगिता	आबंटन	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2193.00	2068.84	2338.31	2744.19	1072.40	702.18

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	467.16	390.39	50.75	50.75	954.89	457.28
3.	असम	828.36	677.77	189.82	189.62	1316.96	624.92
4.	बिहार	430.47	392.19	1196.77	1354.72	827.15	348.60
5.	गोवा	105.93	102.73	54.18	54.18	314.42	0.00
6.	गुजरात	2259.16	2123.56	9348.30	10940.19	368.07	201.65
7.	हरियाणा	1919.62	2062.44	9726.35	22745.22	166.89	81.83
8.	हिमाचल प्रदेश	998.61	994.11	171.84	171.84	979.65	690.49
9.	जम्मू-कश्मीर	2703.79	2327.58	152.96	152.96	291.14	127.69
10.	कर्नाटक	1807.60	1726.14	5730.39	6113.20	2995.40	1408.44
11.	केरल	2057.91	1677.72	2921.98	2399.80	1540.64	998.61
12.	मध्य प्रदेश	3527.46	3360.75	5206.98	5991.46	4104.14	2004.78
13.	महाराष्ट्र	1164.18	1026.64	4644.45	4676.85	1602.53	716.22
14.	मणिपुर	2138.58	1615.78	430.66	430.66	225.77	94.45
15.	मेघालय	104.77	148.94	66.20	66.20	296.45	114.40
16.	मिजोरम	1699.75	1631.31	22.35	22.35	840.63	389.88
17.	नागालैंड	392.37	223.48	14.35	14.35	344.77	194.61
18.	उड़ीसा	2771.36	2636.31	845.91	504.05	1219.43	541.52
19.	पंजाब	392.61	327.91	4106.11	15701.64	150.65	44.31
20.	राजस्थान	3161.39	2746.25	2434.13	2218.25	1968.16	814.30
21.	सिक्किम	1616.09	1588.08	76.40	58.50	322.80	78.88
22.	तमिलनाडु	848.38	666.11	13749.43	11148.51	970.60	587.29
23.	त्रिपुरा	652.14	586.48	85.00	85.00	305.94	146.83
24.	उत्तर प्रदेश	1203.45	1131.74	39920.00	57337.70	2519.24	1585.90
25.	पश्चिमी बंगाल	1883.46	1549.54	5628.00	4666.69	2040.90	1193.26
26.	पांडिचेरी	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	छत्तीसगढ़	569.61	626.73	0.00	0.00	247.64	0.00
28.	उत्तरांचल	1779.21	1501.62	0.00	0.00	432.86	0.00
29.	झारखंड	427.50	239.89	0.00	0.00	119.36	0.00
30.	दिल्ली	0.00	0.00	7765.76	8078.90	0.00	0.00
31.	चंडीगढ़	0.00	0.00	6.50	6.50	58.40	40.00
32.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	0.00	111.81	116.17	118.15	60.20
	कुल	40124.04	36151.03	116995.69	158040.45	28716.03	14248.52

*आठवीं योजना की निधियों में से अव्ययित शेष से किए गए खर्च के कारण, उपयोगिता आबंटन से अधिक है।

सभी राज्यों से अंतिम प्रगति रिपोर्टें तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वचालित मुद्रा विनिमय मशीन

58. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वचालित मुद्रा विनिमय मशीन स्थापित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन मुद्राओं के नाम क्या हैं जिनका वहां विनिमय किया जा सकता है;

(ग) क्या देश में अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यह सुविधा शुरू किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। ऑटोमेटिक करेंसी एक्सचेंज डिस्पेंसर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (आई०जी०आई०ए०), दिल्ली के कस्टम आगमन हाल में लगाई गई है, जिसका अभी परीक्षण किया जा रहा है तथा इसको दिसम्बर 2002 तक यात्रियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराने की आशा है।

(ख) करेंसी डिस्पेंसर मुद्रा का बदलने का एक तत्काल तथा सुविधाजनक तरीका है। डिस्पेंसर में भिन्न-भिन्न अंकित मूल्यों की 15 मुद्राओं को डाला जा सकता है और भारतीय रुपयों में परिवर्तित करता है।

(ग) और (घ) आई०जी०आई०ए०, दिल्ली में लगाए गए डिस्पेंसर के संतोषजनक पाए जाने पर इसी सुविधा को लगाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उन एजेंसियों से इस विषय पर बातचीत करने की योजना है जो कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर मुद्रा विनिमय काउंटर चला रहे हैं।

[हिन्दी]

पशुपालन और डेयरी क्षेत्र

59. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त तकनीकों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और उक्त क्षेत्र के विस्तार हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सरकार पशुधन के अनुवांशिक उन्नयन, पौष्टिक आहार

और चारे के विकास, पशुधन उत्पादों के संरक्षण आदि के लिए नई प्रौद्योगिकी को शुरू करके पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार जागरूकता बढ़ा रही है और विभिन्न विस्तार क्रियाकलापों के जरिए इन तकनीकियों को लोकप्रिय बना रही है।

बीना नदी परियोजना

60. **श्री वीरेन्द्र कुमार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सागर जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना बीना नदी परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : बीना काम्पलैक्स फेज-I प्रोजेक्ट की वर्ष 1987 में केन्द्रीय जल आयोग में विस्तृत जांच की गई तथा प्रारंभिक टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। वर्ष 1992 में 202.90 करोड़ की लागत से संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। चूंकि केन्द्रीय जल आयोग के दिशानिर्देशों (1989) के अनुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी इसलिए राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया था। यह रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

फलों और सब्जियों की चल प्रसंस्करण इकाइयां

61. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा फलों और सब्जियों की चल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिये चलायी जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए अनुदान, ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं और इनमें राज्य सरकारों का वित्तीय योगदान कितना है; और

(ग) केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में फलों और सब्जियों की चल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु वर्षवार, परियोजनावार और एजेंसीवार कितनी सहायता उपलब्ध करायी गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन०टी० षणमुगम) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इस उद्देश्य से कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राजस्थान में फल एवं सब्जी की चल प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के वास्ते पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता नहीं दी है। राजस्थान सरकार या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जारी सहायता के बारे में सूचना मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के द्वारा बागवानी का विकास

62. **श्री टी०एम० सेल्वागनपति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के द्वारा बागवानी के सतत् विकास संबंधी एक नयी योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी के क्षेत्र में 7 प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी के सतत विकास संबंधी एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम 240.00 करोड़ रु० के परिव्यय से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित की गयी है। यह स्कीम मानव शक्ति विकास हेतु क्षमता निर्माण, अभिनव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, बहु-फसल नर्सरियों की स्थापना, कृषि हेतु प्रौद्योगिकी पहल, अवसरंचना सुविधाओं का सृजन, जोखिम प्रबंधन आदि को कवर करते हुए बागवानी विकास के विभिन्न पहलुओं का समाधान करेगी।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बागवानी में त्वरित वृद्धि दर हासिल करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों में बागवानी विकास कार्यक्रमों हेतु परिव्यय में वृद्धि, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों जैसे क्षमतावान क्षेत्रों में मिशन मोड आधार पर स्कीम का कार्यान्वयन, अच्छी गुणवत्ता की पौध सामग्री की आपूर्ति हेतु अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, उन्नत किस्मों के अधीन क्षेत्र कवरेज, प्रौद्योगिकी प्रसार एवं प्रदर्शन, सूक्ष्म प्ररोहण, फर्टीगेशन जैसी हाई-टेक बागवानी का संवर्धन, संरक्षित कृषि, सूक्ष्म कृषि, क्षेत्रीय आधार पर भिन्न तरीकों में बागवानी विकास के प्रवर्धन हेतु राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देने के अलावा कृषि उत्पादों के कटाई पूर्व तथा पश्चात् प्रबंधन की सुविधा का सृजन किया जाना शामिल है।

एक्सरे मशीन के ठेके में धोखाधड़ी

63. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री रामजी मांझी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निविदा संबंधी मानदण्डों का उल्लंघन करते हुये जर्मनी की एक कंपनी 'हेमन सिस्टम्स' को एक्सरे मशीन का 50 करोड़ रुपए का ठेका दिया है जैसा कि 25 सितम्बर, 2002 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हे या किये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मैसर्स हेलमन सिस्टम को 220 रंगीन एक्सरे मशीनों की सप्लाई के लिए आदेश देने से पूर्व निर्धारित निविदा मानकों तथा उपयुक्त कार्यविधि का अनुपालन करती है। निविदा मानकों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

कपास हेतु प्रीमियम दर की समीक्षा

64. **श्रीमती जयावहन बी० ठक्कर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (आर०के०बी०वाई०) दर का प्रीमियम तय करने की वर्तमान वास्तविक गणना विधि के फलस्वरूप दरों में वर्ष दर वर्ष अत्यधिक उतार-चढ़ाव होता है जिससे किसानों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार आर०के० बी०वाई० के अंतर्गत कपास की प्रीमियम दर की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छक्कमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के कार्यान्वयक अभिकरण भारतीय साधारण बीमा निगम से प्रीमियम की बीमांकिक दरों की गणना हेतु अधिक समुचित और मानकित प्रक्रिया विकसित करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

औद्योगिक श्रमिकों के लिये भूमि

65. **श्री रामदास आठवले :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार राज्य सरकारों द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर विभिन्न राज्यों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु आवास इकाइयों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता

राष्ट्रीय कृषि नीति का क्रियान्वयन

66. **श्री थावरचन्द गेहलोत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि नीति किस तारीख को लागू की गई;

(ख) इस नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) देश में इस नीति को पहली बार लागू किए जाने से लेकर अक्तूबर, 2002 तक इसमें क्या सुधार किए गए हैं; और

(घ) देश में अक्तूबर, 2002 तक इस नीति से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छक्कमदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई, 2000 में की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय कृषि नीति में, भारतीय कृषि की विशाल अप्रयुक्त विकास क्षमता को प्रयोग में लाने, कृषि के द्रुतगामी विकास को सहायता देने के लिए ग्रामीण अवसरंचना को सुदृढ़ बनाने, मूल्य वर्धन, संवर्धन, कृषि व्यापार विकास को तेज करने, किसानों एवं कृषि कर्मियों तथा उनके परिवारों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने, शहरी क्षेत्रों में प्रवास को हतोत्साहित करने तथा आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने का प्रयत्न किया गया है। आगामी दो दशकों में इसका उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:-

– कृषि क्षेत्र में 4% प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि दर।

– संसाधनों के कुशल उपयोग पर आधारित तथा हमारी मृदा, जल और जैव-विविधता को संरक्षित करने वाला विकास।

– साम्यता सहित विकास यानि ऐसा विकास जो क्षेत्रों और किसानों में विस्तृत रूप से हो।

– मांग आधारित तथा घरेलू मंडियों की व्यवस्थापरक और आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमिकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के बावजूद कृषि उत्पादों के निर्यात से लाभों को बढ़ाने वाला विकास।

– प्रौद्योगिकीय रूप से, पर्यावरणीय दृष्टि से तथा आर्थिक रूप से सतत विकास।

(ग) और (घ) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति के कार्यान्वयन तथा विकास की गति को तेज करने के लिए कई पहले की हैं जैसे : क्षेत्रीय रूप से भिन्न प्रस्ताव शुरू करना, पनधारा विकास कार्यक्रमों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश तैयार करना, 200 करोड़ रु० की राशि से पनधारा विकास निधि का सृजन करना, उत्तर-पूर्वी राज्यों में बागवानी के समेकित विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना, पूर्वी राज्यों में खेत पर जल प्रबंध संबंधी स्कीम शुरू करना, बीज फसल बीमा की स्कीम शुरू करना, बीज बैंक स्थापित करना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करना, बागवानी उत्पादों के लिए शीतागारों एवं भंडारों के निर्माण/आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए राजसहायता से जुड़ी ऋण स्कीम शुरू करना, मंडी आसूचना तंत्र शुरू करना और उत्पाद शुल्क में छूट देकर तथा अन्य हस्तक्षेप कार्यों के माध्यम से कृषि में मूल्य वृद्धि का संवर्धन, कृषि जिंसों के निर्यात का सरणीकरण समाप्ति सभी कृषि जिंसों को कवर करने के लिए वायदा व्यापार का विस्तार, स्वयं सहायता समूहों के जरिये सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम, कृषि निर्यात जोन की स्थापना आदि। सरकार ने सहकारी समितियों पर एक राष्ट्रीय नीति तथा राष्ट्रीय बीज नीति की घोषणा की है।

फसलों का औसत वार्षिक उत्पादन

67. **श्री रामानन्द सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में धान, ज्वार, सोयाबीन, उड़द और मूंग जैसी खरीफ फसलों का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उक्त वर्णित राज्यों में उक्त कृषि वस्तुओं का उत्पादन कितना क्विंटल होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल देव नारायण यादव) : (क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों में धान, ज्वार, सोयाबीन, उड़द एवं मूग जैसी खरीफ फसलों संबंधी वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के लिए उत्पादन तथा उपज दर के अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) वर्तमान वर्ष के उत्पादन संबंधी कोई निश्चित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान उपर्युक्त कृषि जिंसों संबंधी 12.11.2002 की स्थिति के अनुसार उत्पादन के अखिल भारत अग्रिम अनुमान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

चुनिन्दा राज्यों में खरीफ के दौरान धान, ज्वार, सोयाबीन, उड़द एवं मूंग का उत्पादन तथा उपज दर

राज्य	फसल	उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)			उपज दर (कि०ग्रा०/हैक्टे०)		
		1998-99	1999-2000	2000-01	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश	धान	7590.9	9564.8	1440.6	1386	1787	861
	ज्वार	740.4	526.6	478.4	970	782	725
	सोयाबीन	4639.1	4743.0	3431.0	1011	1068	767
	उड़द	172.0	172.2	100.2	321	315	245
	मूंग व मोठ	34.6	31.0	23.2	332	309	234

1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश	धान	17079.9	19846.5	17310.2	2904	3264	2964
	ज्वार	248.0	320.6	326.5	701	894	950
	सोयाबीन	22.0	14.0	9.9	416	778	623
	उड़द	77.0	113.0	117.9	268	415	416
	मूंग	5.7	8.0	8.8	217	296	302
बिहार	धान	10154.1	10877.9	8124.9	1997	2175	2213
	ज्वार	2.5	3.3	1.0	962	647	909
	सोयाबीन	—	—	—	—	—	—
	उड़द	48.3	51.0	26.3	691	722	824
	मूंग	3.8	5.6	5.0	427	533	538
राजस्थान	धान	308.3	378.9	233.6	1833	1893	1404
	ज्वार	153.8	173.2	134.5	287	312	200
	सोयाबीन	894.6	604.0	455.9	1316	1221	692
	उड़द	54.7	33.9	32.5	318	283	288
	मूंग	58.5	41.2	79.3	104	99	173
छत्तीसगढ़	धान			4856.7			1350
	ज्वार			6.6			717
	सोयाबीन			9.0			549
	उड़द			32.9			282
	मूंग व मोठ			2.6			265
उड़ीसा	धान	8087.3	7780.5	6920.3	1818	1691	1562
	ज्वार	7.5	8.0	8.0	528	571	615
	सोयाबीन	—	—	—	—	—	—
	उड़द (बोरी)	37.6	29.1	27.0	276	265	250
	मूंग	22.7	25.0	16.2	176	193	164

* नए बनाए गए राज्यों के लिए केवल 2000-01 से अनुमान उपलब्ध हैं। वर्ष 2000-01 में मध्य प्रदेश में धान के मामले में उपज में अत्यधिक गिरावट से इस तथ्य का पता चलता है कि अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ क्षेत्र छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं।

— शून्य/नगण्य।

विवरण-II

खरीफ, 2002 (12.11.2002 की स्थिति के अनुसार) के दौरान धान, ज्वार, सोयाबीन और दालों के उत्पादन के पहले अखिल भारत अग्रिम अनुमान

फसल	उत्पादन (मिलियन क्विंटल)
धान	1002.9
ज्वार	38.6
सोयाबीन	47.6
तुर	22.9
अन्य खरीफ दालें	19.5

टिप्पणी : उड़द और मूंग के उत्पादन के अग्रिम अनुमानों को अलग से संकलित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

लौह और इस्पात उद्योग

68. **श्री वी० वेद्रिसेलवन :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव लौह और इस्पात उद्योग के उन्नयन और आधुनिकीकरण हेतु प्रौद्योगिकी कोष की स्थापना करने का है ताकि उत्पादन लागत में कटौती की जा सके जिससे सस्ते इस्पात उत्पादों के आयात का मुकाबला किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कोष निधि कितनी होगी और इसमें निजी उद्योग का योगदान कितना होगा; और

(घ) उत्पादन के वे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं जहां उत्पादन लागत में कटौती संबंधी उपाय किये जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता

69. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बढ़ती प्रतियोगिता और घटती ब्याज दर की वर्तमान स्थिति में जोखिम मुक्त ऋण सहायता पर ब्याज दर बहुत ज्यादा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर सहकारी संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की ब्याज दरें इसके द्वारा उधार ली गयी निधियों की लागत पर निर्भर करती हैं और समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। चूंकि अब राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की ब्याज दरें कम कर दी गई हैं और अब राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम 11.25% से 12.5% वार्षिक के बीच राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करेगी। ये दरें निश्चय ही प्रतिस्पर्धी हैं।

[अनुवाद]

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पतालों के भुगतान में बकाया

70. **श्री पी० राजेन्द्रन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा अस्पतालों के भुगतान में भारी बकाये की जानकारी है और केरल में अनुमोदित अस्पताल लाभार्थियों द्वारा अग्रिम भुगतान किये जाने पर बल देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में बकाया धनराशि चुकाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के अलावा सभी अस्पतालों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र के अलावा अतिविशिष्ट उपचार के लिए अनुमोदित अस्पतालों में उपचार अग्रिम भुगतान पर किया जाता है।

अतिविशिष्ट उपचार के लिए श्री चित्र तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेकनालोजी, अमृता इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर और केरल के सरकारी मेडिकल कालेजों को अग्रिम भुगतान किया जाता है।

क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र में उपचार के लिए भुगतान बाद में किया जाता है। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र में बहुत महंगी विधियों के लिए ही अग्रिम की जरूरत होती है।

(ग) वित्त वर्ष 2001-2002 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों के उपचार हेतु चक्रीय निधि से 1,52,09,603/-रु० की राशि मंजूर की गई थी। श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेकनालोजी को 19,91,200/- रु० बतौर अग्रिम भुगतान किया गया था।

मक्का की कमी

71. **श्री बी०के० पार्थसारथी :**
श्री गंता श्रीनिवास राव :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुधन उद्योग ने मक्का की कमी से निपटने हेतु तीन लाख टन गेहूं उपलब्ध कराने के सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कया कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुक्कुट पालन क्षेत्र हेतु शुल्क कोटा प्रणाली के अंतर्गत मक्का के आयात में वृद्धि करने की अनुमति देने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अधिक मक्का की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। कुक्कुट उद्योग के प्रतिनिधियों ने यह विचार व्यक्त किया था कि गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के गेहूं की वर्तमान कीमतें अर्थात् 610 रुपए प्रति क्विंटल व्यवहार्य नहीं होगी, यद्यपि गेहूं की आर्थिक लागत की अपेक्षा ये दरें काफी कम हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मक्का के लिए शुल्क दर कोटे में वृद्धि की गई है और 2002-2003 के दौरान इसे 4,50,000 टन पर नियत किया गया है।

(ङ) नौवीं योजना के दौरान कृषि और सहकारिता विभाग ने तिलहन, दलहन और मक्का संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन के तहत 26 राज्यों में "त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की है। इस योजना के तहत नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने, किसानों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देने और अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दसवीं योजना के तहत मक्का के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने संबंधी समेकित योजना तैयार की गई है।

[हिन्दी]

महानगरों में पर्यटन को प्रोत्साहन

72. **श्री रामचन्द्र पासवान :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महानगरों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में घरेलू पर्यटन की कितनी संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यटन निति-2002 की घोषणा की है, जिसमें देश में पर्यटन अवसरंचना के सृजन पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन विभाग ने नई योजनाएं तैयार की है - (i) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास तथा (ii) उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्यस्थल विकास। महानगरों में पर्यटन के सवर्धन के लिए भी ये योजनाएं लागू है।

इन योजनाओं के तहत, पर्यटन विभाग, अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए 100% खर्च वहन करेगा। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी निम्नलिखित होगी :-

- विकास के लिए भूमि उपलब्ध करना।
- पुन: स्थापना पैकेज का कार्यान्वयन, जहां निवास या वाणिज्यिक इकाइयों को स्थानांतरित करना अपेक्षित हो। तथापि, भारत सरकार विस्थापित दुकानें लगाने के लिए शापिंग काम्पलैक्स सहित पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी।
- सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रखरखाव और प्रबंधन।
- जलापूर्ति विद्युत तथा सड़कों जैसी बाह्य अवसंरचना।

(ग) दिल्ली पर्यटकों के लिए निम्नलिखित पेशकश करती है :-

- स्मारकों वाले हैरिटेज गंतव्य स्थल
- सांस्कृतिक गंतव्य स्थल
- संग्रहालय गंतव्य स्थल

– खान-पान गंतव्य स्थल

– हरियाली वाले गंतव्य स्थल

– खरीददारी वाले गंतव्य स्थल

– तीर्थ गंतव्य स्थल, आध्यात्मिक गंतव्य स्थल।

सोन नहर परियोजना का आधुनिकीकरण

73. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोन नहर परियोजना का आधुनिकीकरण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक शुरू किया गया था और इसे किस तिथि तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस परियोजना के आधुनिकीकरण पर अब तक अनुमानत: कितनी धनराशि व्यय हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) बिहार की सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना आठवीं योजना में शुरू की गई थी तथा इसे 2004-2005 में पूरा करने का लक्ष्य था। इस परियोजना में मार्च, 2002 तक 238.606 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

[अनुवाद]

शिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारियों पर हमला

74. **श्री श्रीनिवास पाटील** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अगस्त, 2002 को "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "रेड्स ऑन पोचर्स मिनिस्टर रफडअप" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरांचल सरकार से उक्त हमले को गंभीरता से लेने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित हैं :-

दक्षिण कुमाऊं सर्किल, नैनीताल के वन संरक्षक को कुछ अवैध शिकारियों के पास वन्यजीव उत्पाद होने की सूचना प्राप्त हुई थी जो कि इन उत्पादों की बिक्री की तैयारी कर रहे थे। मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तरांचल को इसकी सूचना दी गई और अपराधियों को पकड़ने के लिए 22 अगस्त, 2002 को जाल बिछाया गया। दो अपराधियों को वन्यजीव वस्तुओं के साथ रुड़की बाईपास पर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने हर की पौड़ी, हरिद्वार में कुछ दुकानों पर वन्यजीव वस्तुओं को बेचे जाने की जानकारी दी। हर की पौड़ी स्थित कुछ संस्थापनाओं पर छापा मारा गया और वन कर्मियों ने वन्यजीव उत्पादों को बरामद करके अपने कब्जे में ले लिया और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समाज-विरोधी तत्व उस स्थान पर एकत्र हो गए और अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध करना शुरू कर दिया। वहां एकत्र भीड़ उग्र हो गई और उसने वन कर्मियों पर आक्रमण कर दिया जिससे उन्हें चोटें आईं। घटना की सूचना प्राप्त होने पर श्री नव प्रभात, माननीय वन मंत्री, उत्तरांचल, जो उस समय हरिद्वार में ठहरे हुए थे, घटना स्थल पर पहुंचे। भीड़ ने मंत्री के साथ आए इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कार्मिकों के साथ दुर्व्यवहार किया।

(ग) और (घ) जी, हां। दो अवैध शिकारियों के खिलाफ राजा जी नेशनल पार्क के हरिद्वार रेंज में वन अपराध संबंधी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और बरामद वन्यजीव उत्पादों को जब्त कर लिया गया है। ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने तथा कार्य में बाधा डालने के आरोप में श्री सोनू पुत्र श्री रामदयाल और श्री बबली तथा अनेक अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

75. **श्री जी० गंगा रेड्डी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस वर्ष घाटे से उबरने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 मार्च, 2002 की तिथि के अनुसार इसके घाटे संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) लाभ और घाटे में चलने वाले इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी इस्पात संयंत्रों को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 2001-2002 के लिए संयंत्र/इकाईवार लाभ/हानि और 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार संचित निवल लाभ (+)/हानि (-) (पी ए टी) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए)

संयंत्र/इकाई	वर्ष 2001-2002 के लिए लाभ/ हानि	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार संचित लाभ/हानि
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	(+) 477	(-) 5437
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	(-) 262	(-) 4103
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	(-) 1036	(-) 3356
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	(-) 459	(+) 3850
मिश्र इस्पात संयंत्र (एएसपी)	(-) 149	(-) 1225
सेलभ इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	(-) 153	(-) 787
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसएल)	(-) 103	(-) 336
अन्य इकाइयां	(-) 22	(-) 1941
सेल	(-) 1707	(-) 2461

(घ) सेल के संयंत्रों/इकाइयों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे मुख्य कदम नीचे दिए गए हैं:-

- गहन लागत नियंत्रण अभियान।
- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) का कार्यान्वयन।
- बाजारोन्मुखी उत्पाद-मिश्र।
- नए निवेश प्रस्तावों पर प्रतिबंध।
- लाभप्रदता में सुधार करने और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में सेल की वित्तीय/कारोबार पुनर्संरचना को मंजूरी दी गई थी।

[हिन्दी]

श्रमिक शिक्षा बोर्ड

76. **श्री रामशकल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यकरण में कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) श्रमिक शिक्षा बोर्ड को उत्तरदायी बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) वर्तमान में असंगठित क्षेत्र के शिक्षा पा रहे श्रमिकों की राज्यवार संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) श्रम मंत्रालय में श्रमिक शिक्षा बोर्ड नामक कोई संस्थान नहीं है। तथापि, 1958 में स्थापित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड श्रम मंत्रालय में एक स्वायत्त संगठन के तौर पर कार्य कर रहा है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्य में किसी भी अनियमितता की जानकारी नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्रियाकलापों की जिम्मेदारी त्रिपक्षीय तंत्र द्वारा सुनिश्चित की जाती है जिसे बोर्ड ने अपने कार्यों के लिए अंगीकार किया है। इस त्रिपक्षीय निकाय में कर्मचारियों, नियोजकों और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।

(घ) अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान असंगठित/ ग्रामीण क्षेत्र में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की राज्यवार संख्या का विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल-सितम्बर, 2002 के दौरान असंगठित/ग्रामीण क्षेत्र में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रतिभागियों की राज्यवार संख्या

क्र०सं०	राज्य	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5804
2.	असम	3438

1	2	3
3.	बिहार	2479
4.	चंडीगढ़	1880
5.	दिल्ली	1318
6.	गोवा	936
7.	गुजरात	5724
8.	हरियाणा	1811
9.	हिमाचल प्रदेश	1040
10.	जम्मू-कश्मीर	1929
11.	झारखंड	5688
12.	कर्नाटक	4162
13.	केरल	4226
14.	मध्य प्रदेश	6510
15.	महाराष्ट्र	8189
16.	मणिपुर	2632
17.	उड़ीसा	3935
18.	पंजाब	2822
19.	राजस्थान	4140
20.	तमिलनाडु	6829
21.	उत्तर प्रदेश	10008
22.	पश्चिमी बंगाल	8622
	कुल	93122

[अनुवाद]

बागवानी उत्पाद संबंधी निर्यात जोन

77. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंजाब में बागवानी उत्पाद के लिए निर्यात जोन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखदेव नारायण यादव) : (क) बागवानी उत्पादों हेतु कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव पंजाब से प्राप्त हुए थे और सरकार द्वारा इन्हें अनुमोदित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने पंजाब में 3 कृषि निर्यात क्षेत्रों की पहले ही संस्वीकृति दे दी है। वित्तीय आबंटन सहित इन कृषि निर्यात क्षेत्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	उत्पाद	निकटवर्ती क्षेत्र	केन्द्रीय/राज्य के अधीन अभिकरणों द्वारा आबंटित निधियां (करोड़ रुपये में)	
			केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार
1.	सब्जियां	फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, रोपर और लुधियाना	11.23	0.60
2.	आलू	सिंहपुरा, जीरकपुर (पटियाला), रामपुर फुल, मुक्तसर, लुधियाना, जालंधर	8.19	0.74
3.	बासमती चावल	गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर जिले	11.85	1.85

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

78. **श्री रामचन्द्र पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में और 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) देश में 4644 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / केन्द्र हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिय गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार हेतु शैक्षिक संस्थानों / पॉलीटेक्नीकों में विद्यमान आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करके नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु एक विशेष अभियान चलाया है। नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का दायित्व राज्य सरकारों का है अत: उनसे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अभियान के तहत स्थापित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण पाठयक्रम 1 जनवरी, 2003 से आरंभ किए जाएंगे।

विवरण

31.10.2002 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सीट क्षमता सहित सरकारी व निजी औ०प्र०सं०/औ०प्र० केंद्रों की क्षेत्रवार संख्या दर्शाती विवरणी।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी औ०प्र०सं० की संख्या	सीट क्षमता (सरकारी)	निजी औ०प्र० केंद्रों की संख्या	सीट क्षमता (निजी)	कुल औ०प्र०सं०/ औ०प्र० केंद्र	कुल सीट क्षमता
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	78	13189	24	1428	102	14617
2.	हिमाचल प्रदेश	48	4913	6	500	54	5413
3.	जम्मू-कश्मीर	38	4156	0	0	38	4156
4.	पंजाब	106	14015	39	2364	145	16379
5.	राजस्थान	89	8784	21	1452	110	10236
6.	उत्तर प्रदेश	181	38324	112	10148	293	48472
7.	चंडीगढ़	2	984	0	0	2	984
8.	दिल्ली	14	9012	41	1748	55	10760
9.	उत्तरांचल	35	5112	15	1544	50	6656
	उप-योग	591	98489	258	19184	849	117673
			दक्षिणी क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	90	23631	479	85546	569	109177
2.	कर्नाटक	106	18636	401	27552	507	46188
3.	केरल	68	14264	467	43689	535	57953
4.	तमिलनाडु	67	21308	605	60320	672	81628
5.	लक्षद्वीप	1	96	0	0	1	96

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पांडिचेरी	7	1256	7	424	14	1680
	उप-योग	339	79191	1959	217531	2298	296722
				पूर्वी क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	368	0	0	2	368
2.	असम	24	4536	3	84	27	4620
3.	बिहार	28	10256	13	2712	41	12968
4.	झारखंड	14	2564	13	1380	27	3944
5.	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
6.	मेघालय	5	622	2	304	7	926
7.	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
8.	नागालैंड	3	404	0	0	3	404
9.	उड़ीसा	27	6384	140	12356	167	18740
10.	सिक्किम	1	140	0	0	1	140
11.	त्रिपुरा	4	400	0	0	4	400
12.	प० बंगाल	48	11660	13	756	61	12416
13.	अंदमान और निकोबार द्वीप	1	204	0	0	1	204
	उप-योग	165	38372	184	17592	349	55964
				पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गोवा	11	2492	4	420	15	2912
2.	गुजरात	133	62156	100	13034	233	75190
3.	मध्य प्रदेश	133	19218	24	1996	157	21214
4.	छत्तीसगढ़	73	8248	54	6072	127	14320
5.	महाराष्ट्र	347	64774	266	28925	613	93699
6.	दादरा और नागर हवेली	1	228	0	0	1	228
7.	दमण और दीव	2	388	0	0	2	388
	उप-योग	700	157504	448	50446	1148	20751
	कुल योग	1795	373556	2849	304753	4644	678310

गेहूं का निर्यात

79. **श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार तलाशने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अब गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में गेहूं के अतिरिक्त भण्डार को देखते हुए सरकार ने नवंबर, 2000 में निर्यात हेतु गेहूं देने का निर्णय लिया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य अभिकरण तथा निजी निर्यातकों को निर्यात के प्रयोजनार्थ गेहूं उपलब्ध कराया गया है। केन्द्रीय पूल से अनाज के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन उपाय किए हैं। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

(i) चावल, गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के निर्यात से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, बशर्ते किसी भी समय केन्द्रीय पूल में इनका स्टॉक गेहूं के एक पूर्व निश्चित स्टॉक से कम न हो।

(ii) गेहूं उत्पादों एवं गैर बासमती चावल के निर्यात के मामले में अपेडा से पंजीकरण जैसे कोई प्रक्रियात्मक प्रतिबंध नहीं है।

(iii) निर्यातकों को अपनी पसंद के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के डिपों से स्टॉक उठाने की अनुमति दे दी गई है।

(iv) अनाज के निर्यात के मामले में नियमित रूप से त्वरित निर्णय लेने के लिए निर्यात संबंधी अधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन किया गया है।

(v) स्थिर मूल्य तंत्र की स्थापना के उद्देश्य से सरकार ने केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के निर्यात के पेशकश मूल्य तीन माह के लिए निर्धारित करने, माल उठाने के लिए एक माह अतिरिक्त देने तथा संबंधित तिमाही की शुरूआत से 45 दिन पूर्व मूल्य घोषित करने का निर्णय लिया है।

(vi) निर्यातकों को माल की सुपुर्दगी के बाद तथा अन्य संबंधित व्यय की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में बंदरों का आतंक

80. **श्री वाई०वी० राव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में, विशेषकर मध्य दिल्ली में, बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें वन क्षेत्रों में भेजने के सबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां। मध्य दिल्ली सहित दिल्ली के विभिन्न भागों से बंदरों के आतंक की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों को शामिल करके बंदरों को पकड़ने और उन्हें प्राकृतिक आश्रय स्थलों में पुन: छोड़ने के संबंध मं कार्रवाई की गई है।

(ग) अब तक लगभग 200 बंदरों को पकड़ा गया है और राजोकरी ट्रांज़िट शेल्टर में रखा गया है।

भूजल की संभावना

81. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई हेतु वर्तमान में भू-जल संभावनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सिंचाई हेतु योजना-वार और राज्य-वार कितने प्रतिशत भूजल का उपयोग किया गया;

(ग) प्रत्येक योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य के सिंचाई वाले इलाकों में लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम (उद्वह सिंचाई कार्यक्रम) के लिए राज्यवार कितना परिव्यय किया गया और कितने विद्युत से और कितने डीजल से चलने वाले पम्पसेट लगाए गए; और

(घ) जिन राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत कम है वहां इसके समुचित उपयोग के लिए दसवीं-योजना अवधि में क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) देश में भूजल से उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता का आकलन इस समय 64 मिनिलयन हेक्टेयर है। नौवीं योजना की समाप्ति तक उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता, विभिन्न योजनाओं के दौरान उपयोग और उनकी प्रतिशतता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) सिंचाई क्षेत्र सहित स्थापित किए गए पम्प सेटों की योजनावार/राज्यवार संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, लघु सिंचाई परियोजनाओं की गणना के आधार पर वर्ष 1986-87 और 1993-94 के लिए पम्प सेटों की संख्या संबंधी सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित रराज्य सरकार का है। केन्द्रीय सहायता राज्य योजना में ब्लाक ऋण और ब्लाक अनुदान के रूप में मुहैया कराई जाती है तथा "विशेष समस्या" मानदण्ड के तहत निर्धारित राशि के अतिरिक्त इसे किसी परियोजना/कार्यक्रम से जोड़ा नहीं जाता है। भूजल के माध्यम से राज्यों में सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए दसवीं योजना लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

भूजल से सृजित राज्य वार सिंचाई क्षमता

(मिलियन हेक्टेयर में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपयोग योग्य सिंचाई क्षमता	योजनावार उपयोग और उनकी प्रतिशतता									
		छठी योजना (1980-85) तक	प्रतिशत उपयोग	सातवीं योजना (1985-90) तक	प्रतिशत उपयोग	वार्षिक योजना (1990-92) तक	प्रतिशत उपयोग	आठवीं योजना (1992-97) तक	प्रतिशत उपयोग	नौवीं योजना (1997-2002) तक (संभावित)	उपयोग प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	3.960	1.229	31.03	1.544	38.99	1.593	40.23	2.936	74.14	3.311	83.61
अरुणाचल प्रदेश	0.018					0.002	11.11			0.001	5.56
असम	0.900	0.083	9.22	0.158	17.56	0.178	19.78	0.136	15.11	0.442	49.11
बिहार	4.947	2.232	45.11	3.07	62.05	3.512	70.98	3.543	71.61	4.033	81.51
गोवा	0.029	0.001	3.42	0.002	6.83	0.002	6.83	0.004	13.66	0.004	13.66
गुजरात	2.756	1.524	55.30	1.669	60.56	1.71	62.05	2.372	86.07	2.418	87.74
हरियाणा	1.462	1.348	92.22	1.449	99.13	1.485	101.59	2.306	157.76	2.379	162.76
हिमाचल प्रदेश	0.068	0.011	16.06	0.013	18.98	0.015	21.90	0.021	30.66	0.027	39.42
जम्मू-कश्मीर	0.708	0.006	0.85	0.007	0.99	0.009	1.27	0.011	1.55	0.013	1.84
कर्नाटक	2.574	0.472	18.35	0.642	24.95	0.713	27.71	1.299	50.49	1.321	51.34
केरल	0.879	0.05	5.69	0.089	10.12	0.106	12.06	0.109	12.40	0.177	20.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश	9.732	1.179	12.11	1.44	14.80	1.488	15.29	3.802	39.07	4.167	42.82
महाराष्ट्र	3.652	1.255	34.37	1.547	42.36	1.57	42.99	3.2	87.62	3.549	97.18
मणिपुर	0.369							0.001	0.27	0.001	0.27
मेघालय	0.063	0.009	14.17	0.009	14.17	0.009	14.17	0.002	3.15	0.002	3.15
मिजोरम	0.005							0.001		0.001	
नागालैंड	0.005			0.001		0.001		0.001		0.001	
उड़ीसा	4.203	0.507	12.06	0.57	13.58	0.61	14.51	0.509	12.11	0.555	13.21
पंजाब	2.917	3.14	107.64	3.21	110.04	3.246	111.27	6.855	234.99	6.925	237.39
राजस्थान	1.778	1.617	90.84	1.854	104.28	1.954	109.91	4.096	230.39	4.511	253.74
सिक्किम					आकलित नहीं						
तमिलनाडु	2.832	1.14	40.25	1.216	42.94	1.247	44.03	2.253	79.55	2.301	81.25
त्रिपुरा	0.081	0.012	14.90	0.017	21.10	0.018	22.34	0.007	8.69	0.013	16.14
उत्तर-प्रदेश	16.799	11.28	67.15	15.651	93.17	17.842	106.21	14.743	87.76	16.349	97.32
पश्चिमी बंगाल	3.318	0.672	20.25	1.4	42.19	1.521	45.84	2.038	61.42	2.239	67.48
कुल राज्य	64.055	27.765	43.35	35.558	55.52	38.831	60.63	50.245	78.45	54.74	85.47
कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.116	0.058		0.061		0.061		0.063		0.066	
कुल जोड़	64.171	27.823	43.44	35.619	55.61	38.892	60.72	50.308	78.54	54.806	85.57

स्रोत : ''दसवीं योजना (2002-2007) प्रस्ताव तैयार करने के लिए लघु सिंचाई पर कार्यकारी दल की रिपोर्ट का मसौदा'' लघु सिंचाई प्रभाग, जल संसाधन मंत्रालय।

विवरण-II

प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई गणना के अनुसार विद्युतीय/ डीजल वाले पम्प सैटों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पम्प सैटों की संख्या	
		1986-87	1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	961475	1476392
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	0
3.	असम	16307	36784
4.	बिहार	560698	763467
5.	गोवा	2373	3395
6.	गुजरात	356043	एन ए

1	2	3	4
7.	हरियाणा	395204	522384
8.	हिमाचल प्रदेश	3221	3786
9.	जम्मू-कश्मीर	1316	2131
10.	कर्नाटक	414805	396178
11.	केरल	51990	107220
12.	मध्य प्रदेश	688989	1337376
13.	महाराष्ट्र	1036155	एन ए
14.	मणिपुर	24	43
15.	मेघालय	440	101
16.	मिजोरम	3	12
17.	नागालैंड	15	219
18.	उड़ीसा	27808	61890
19.	पंजाब	726366	947617
20.	राजस्थान	एन ए	897952
21.	सिक्किम	—	0
22.	तमिलनाडु	1068718	1353461
23.	त्रिपुरा	2331	1014
24.	उत्तर प्रदेश	1679251	2069512
25.	पश्चिमी बंगाल	473168	580892
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप	460	868
27.	चंडीगढ़	215	एन ए
28.	दादरा और नागर हवेली	260	466
29.	दिल्ली	13670	9690
30.	पांडिचेरी	6300	4851
	कुल जोड़	8487621	10577701

एन ए - उपलब्ध नहीं

विवरण-III

दसवीं योजना के दौरान सृजित किए जाने वाले भूमिजल से सिंचाई क्षमता के लिए लक्ष्य

(मिलियन हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दसवीं योजना के लिए लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.4174
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.007
3.	असम	0.3402
4.	बिहार	0.5441
5.	गोवा	0.0001
6.	गुजरात	0.0510
7.	हरियाणा	0.0823
8.	हिमाचल प्रदेश	0.0056
9.	जम्मू-कश्मीर	0.0021
10.	कर्नाटक	0.0243
11.	केरल	0.0756
12.	मध्य प्रदेश	0.4059
13.	महाराष्ट्र	0.3881
14.	मणिपुर	0.0
15.	मेघालय	0.0001
16.	मिजोरम	0.0
17.	नागालैंड	0.0
18.	उड़ीसा	0.0512
19.	पंजाब	0.0778
20.	राजस्थान	0.4612

1	2	3
21.	सिक्किम	0.0
22.	तमिलनाडु	0.0539
23.	त्रिपुरा	0.006
24.	उत्तर प्रदेश	1.7851
25.	पश्चिमी बंगाल	0.2245
	कुल राज्य	4.9972
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.0004
2.	चंडीगढ़	0.0001
3.	दादरा और नागर हवेली	0.0006
4.	दमण और दीव	—
5.	दिल्ली	0.0017
6.	पांडिचेरी	—
7.	लक्षद्वीप	—
	कुल राज्य क्षेत्र	0.0028
	कुल जोड़	5.0000

[हिन्दी]

पर्यटन सर्किट का विकास

82. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट रामायण सर्किट और सूफी सर्किट के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सर्किटों के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान, पर्यटन विभाग प्रतिवर्ष देश में 6 पर्यटन परिपथ अभिनिर्धारित करने और इन परिपथों में सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव करता है। चालू वर्ष के दौरान, राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके विकास के लिए निम्नलिखित 6 परिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं :-

(i) पूर्वी क्षेत्र (बौद्ध परिपथ)-
बोधगया-राजगीर-नालंदा-वाराणसी।

(ii) उत्तरी क्षेत्र (हिमालयी परिपथ)-
मार्ग-I — चंडीगढ़-बिलासपुर-कुल्लू-मनाली-रोहतांगला-केलांग-सर्चु-उप्सी-लेह।
मार्ग-II — शिमला-सांग्ला-काजा-चाम्रू-केलांग-सर्चु-यशी-लेह।

(iii) मध्य परिपथ (हैरिटेज, प्रकृति और वन्य जीव परिपथ)-
ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी-ओरछा-खजुराहो-झांसी-भोपाल-सांची और बौद्ध क्षेत्रों के आस-पास-भीमवेटका-पंचमढ़ि-कान्हा-जबलपुर (भेड़ाघाट)।

(iv) पश्चिमी परिपथ (कोंकण-रिवेरा परिपथ)-
बम्बई-अलीबाग (मांडवा)-मुरूडजंजीरा-गणपतिपुले-विजयदुर्ग-मीठीबाद-कंकेश्वर-मोचेतमाड-सिंधुदुर्ग-तारकरली-शिरोडा-सावंतवाड़ी-अम्बोली-गोवा कोस्टल कर्नाटक-बेकल।

(v) दक्षिणी परिपथ (पश्चजल और समुद्रतट परिपथ)-
कोचीन-कुमारकोम (पश्चजल)।
कोट्टायम-क्वेलन-त्रिवेद्रम (कोवलम)।

(vi) पूर्वोत्तर परिपथ - (परिस्थितिकी परिपथ)-
शिलांग-गुवाहाटी-काजीरंगा-तेजपुर-भालकुपुंग-तवांग-(अरुणाचल प्रदेश)-मजुली-शिवसागर-कोहिमा।

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी

83. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए दसवीं-योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सहित देश के उपरोक्त इलाकों में इस समय बेरोजगारी की क्या स्थिति है; और

(ग) दोनों ही खेत्रों मे रोजगार सृजन की किन-किन प्रमुख योजनाओं पर विचार किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण में अतिरिक्त श्रम बल को लाभप्रद उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार उपलब्ध करवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है तथा इसे 10वीं योजना व इससे आगे के लिए प्रबोधनीय (मानिटरेबल) उद्देश्य माना गया है। 10वीं योजना की विकास नीति में उच्च गुणवत्तात्मक रोजगार अवसरों को सृजित किए जाने तथा रोजगार वृद्धि को हतोत्साहित करने वाले नीतिगत अवरोधों के समाधान की संभावना वाले क्षेत्रों के तीव्र विकास पर बल दिया जाएगा। अत्यधिक रोजगार की संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की वृहद श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(ख) वर्ष 1999-2000 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए नवीनतम रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के आधार पर देश में अनुमानित बेरोजगारी दर 2.23% थी। बेरोजगारी की राज्यवार अनुमानित दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) डा० एस०पी गुप्ता, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित एक विशेष दल ने मई, 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विभिन्न कार्यनीतियों तथा कार्यक्रमों का सुझाव दिया है, जिसके आधार पर 10वीं योजनावधि के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन किया जाएगा।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्यवार बेरोजगारी दर* 1999-2000			
		ग्रामीण		शहरी	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1.2	0.7	4.2	4.2
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.9	0.1	1.4	10.0
3.	असम	4.7	11.9	9.1	22.3
4.	बिहार	2.4	0.6	7.6	9.4
5.	गोवा	7.0	18.7	15.3	35.2
6.	गुजरात	0.8	0.3	2.1	2.6
7.	हरियाणा	1.3	0.5	2.7	4.6
8.	हिमाचल प्रदेश	3.0	1.8	6.3	11.8
9.	जम्मू-कश्मीर	2.6	7.1	4.7	12.8
10.	कर्नाटक	1.0	0.3	3.0	4.7
11.	केरल	7.6	19.7	6.9	26.4
12.	मध्य प्रदेश	0.7	0.2	4.3	1.6
13.	महाराष्ट्र	2.4	1.1	6.1	7.8
14.	मणिपुर	2.4	2.5	7.4	10.3
15.	मेघालय	0.5	0.3	3.4	6.8
16.	मिजोरम	2.1	0.5	4.4	2.6
17.	नागालैंड	3.0	3.8	9.3	10.8
18.	उड़ीसा	3.1	1.6	7.2	6.7
19.	पंजाब	2.3	6.2	3.1	3.5
20.	राजस्थान	0.8	0.2	2.7	3.7
21.	सिक्किम	3.5	2.0	6.7	10.0
22.	तमिलनाडु	3.0	1.2	3.9	5.8
23.	त्रिपुरा	0.8	4.6	5.5	8.8
24.	उत्तर प्रदेश	1.3	0.6	4.5	4.6
25.	पश्चिमी बंगाल	3.4	3.8	7.7	11.1
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप	3.3	7.6	3.8	23.9
27.	चंडीगढ़	1.0	—	3.9	14.4
28.	दादरा और नागर हवेली	1.6	—	1.6	—
29.	दमण और दीव	1.3	—	1.4	8.3
30.	दिल्ली	3.9	26.0	3.2	5.3
31.	लक्षद्वीप	10.9	52.9	8.2	26.3
32.	पांडिचेरी	4.7	2.6	3.5	6.9
	अखिल भारत	2.1	1.5	4.8	7.1

*सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार।

श्रम बल के संदर्भ में बेरोजगारी की दर बेरोजगारों का प्रतिशतता है।

गुजरात की हैरिटेज सम्पत्तियां और रिजॉर्ट

84. **श्री पी०एस० गढ़वी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेरिटेज होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों ने गुजरात के समुद्री तटों पर हेरिटेज संपत्तियों और रिजार्टों के विकास के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो हेरिटेज होटल ऐसोसिएशन और अन्य संगठनों से सरकार को मिले ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में हेरिटेज सम्पत्तियों को बढ़ावा देने हेतु इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला श्रमिकों को मजदूरी

85. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण इलाकों में ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम के तहत अकुशल महिला श्रमिकों को अकुशल पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम जनवरी, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक लागू था। 01 अप्रैल 2002 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को मजदूरी के भाग के रूप में अनाज दिया जाता है। स्कीम के दिशा-निदेशों के अनुसार, राज्य प्राधिकारियों के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कुशल तथा अकुशल दोनों ही श्रमिकों को किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुषों तथा महिला श्रमिकों दोनों को समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद]

कोलकाता हवाई अड्डे से मस्जिद को हटाया जाना

86. **डा० वी० सरोजा :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डों पर सुरक्षा के बढ़ते खतरों को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के नेताजी सुभाषचन्द्र बोस हवाई अड्डे के परिसर में स्थापित पुरानी मस्जिद को हटाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे अन्यत्र स्थापित करने हेतु भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) उपरोक्त मस्जिद दूसरे रनवे की विकासात्मक योजना एवं विस्तार के बीच आ रही है। अत: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस मस्जिद को स्थानांतरित करने के मामले को पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ उठाया है।

(ग) मस्जिद को स्थानांतरित करने के संबंध में निर्णय लिया जाना अभी बाकी है, जिसमें यह मुद्दा भी शामिल है कि क्या मस्जिद को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जमीन पर पुन:स्थापित किया जाएगा अथवा राज्य सरकार की जमीन पर।

गुड़गांव में प्रदूषण के कारण फैलती बीमारियां

87. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** 12 अगस्त, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4259 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्रित और क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) राज्य पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार नई आबादी आवासीय क्षेत्र में कोई प्रदूषक इकाई नहीं है। तथापि, इस क्षेत्र में केवल एक इकाई स्थित है जो गैर-प्रदूषक है। नगरपालिका द्वारा इस इकाई को आवासीय क्षेत्र से और कहीं स्थानांतरित किए जाने संबंधी नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा, राज्य शहरी विकास विभाग के अनुसार ऐसा कोई सरकारी अनुदान नहीं है जो इस क्षेत्र के विकास हेतु लंबित हो। क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से होने वाली रूग्णता की पुष्टि किए जाने संबंधी कोई निर्णायक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि का पुनरुद्धार

88. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम की झूम तथा पूर्वोत्तर राज्यों की अन्य भूमि को वनाच्छादित करने की एक व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की झूम भूमियों में वनों के पुनरुद्धार के संबंध में अलग से कोई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, दसवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार झूम भूमियों में वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान है।

रिक्त पद

89. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम :**
श्री समीक लाहिड़ी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में वन विभाग के बड़ी संख्या में वन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन रक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण वन भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है और साथ ही अवैध शिकार में भी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में वर्तमान में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) राज्यवार सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने पहले ही सभी राज्य सरकारों को वन्यजीव विंग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करके उन्हें वनों में कार्य करने वाले फील्ड स्टाफ की रिक्तियां भरने के लिए कहा है।

खाड़ी देशों के विमान मार्गों से हटाकर न्यूयार्क के विमान मार्गों पर विमान का चलाया जाना

90. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने इंडिया-कुवैत-जेद्दाह और इंडिया-रियाद वाले लाभकारी विमान मार्गों से अपने एक विमान, बोइंग 747-400 को हटाकर उसे न्यूयार्क वाले विमान मार्ग पर चलाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन लाभकारी-विमान मार्गों पर सेवा को जारी रखने के लिए एअर इंडिया द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस लाभकारी विमान क्षेत्र की अनदेखी किए जाने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) एअर इंडिया ने भारत/कुवैत/जेद्दाह रूट पर प्रचालन के ढ़ांचे को नहीं बदला है तथा सभी उड़ानें 747-400 विमान द्वारा प्रचालित की जा रही है। तथापि, भारत/रियाद रूट में परिवर्तन हुआ है, जबकि 3 दिसम्बर 2002 से मंगलवार को जाने वाली उड़ान 747-400 विमान के स्थान पर 747-200 प्रचालित की जाएगी। इस प्रकार से जो 447-400 विमान उपलब्ध होगा वह मंगलवार को मुम्बई/पेरिस/न्यूयार्क तथा वापसी रूट पर प्रचालित किया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में औद्योगिक प्रदूषण को रोका जाना

91. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 सितम्बर, 2002 को कर्नाटक सरकार से केन्द्र सरकार की दो महत्वपूर्ण मुद्दे पर हुई बातचीत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (एनआरसीडी) के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति थी और औद्योगिक प्रदूषण को रोकने में सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग करने में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) को असफलता पर चर्चा की गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत से निकले निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की मदद से इन परियोजनाओं को किस सीमा तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने मण्डल आयुक्त स्तर पर निगरानी समितियां गठित की हैं। कर्नाटक सरकार ने यह भी सूचित किया है कि दावनगेर और शिमोगा में भूमि संबंधी समस्याओं को सुलझाा लिया गया है। जहां तक बंगलौर शहर और उसके आस पास की झीलों के संरक्षण की परियोजनाओं का संबंध है तो इस बारे में यह निर्णय लिया गया था कि कर्नाटक सरकार दो सप्ताह के भीतर सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। लाल बाग झील को छोड़कर अभी तक अन्य झीलों के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इन सभी प्रस्तावों पर झीलों की प्रदूषण स्थिति और योजना के अन्तर्गत राशियों की उपलब्धता के आधार पर एक ही बार विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत नौवीं योजना के दौरान कर्नाटक राज्य की स्वीकृत परियोजनाओं का कार्यान्वयन 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से किया जा रहा है। हालांकि योजना के दौरान 46.27 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत परियोजनाएं अर्थात् बंगलौर की पर्यावरण कार्य योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 70:30 की हिस्सेदारी के अनुपात से किया जाएगा। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 12.32 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत झील संरक्षण की चार परियोजनाओं का कार्यान्वयन भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच 70:30 के अनुपात की हिस्सेदारी से किया जाएगा।

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले ही औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए 4.72 करोड़ रुपये की विश्व बैंक सहायता से सूचना प्रौद्योगिकी/भौगोलिक सूचना प्रणाली की परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 4.61 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है।

विश्व के सतत् विकास में विकसित राष्ट्रों का योगदान

92. **श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 के रियो शिखर सम्मेलन में विश्व के सतत् विकास के लिए एक सहमति बनी थी जिसके तहत विकासशील देशों के सतत् विकास में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों से अपने सकल घरेलू उत्पाद का 7.5 फीसदी योगदान दिए जाने की उम्मीद की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सतत् विकास विषय पर जोहन्सबर्ग में हीाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में इस दशक के दौरान विकासशील देशों के सतत् विकास हेतु विकसित देशों द्वारा दिए गए योगदान की समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस समीक्षा के परिणामस्वरूप यह बात जानकारी में आई है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा इस मद में अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में 1992 के शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा और विकासशील राष्ट्रों द्वारा किए गए योगदान के आलोक में भारत में 1992-2002 के दौरान क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) 1992 में रियो शिखर सम्मेलन के दौरान विकसित देशों ने इस बात की वचनबद्धता को दोहराया कि विकासशील देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ओ डी ए के लिए जी एन पी का 0.7% संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीकृत लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। ओ डी ए संबंधी वचनबद्धता को पूरा न किया जाना कार्यसूची 21 के अंतर्राष्ट्रीय क्रियान्वयन में एक मुख्य बाधा है। यह बात सत्य है कि कार्यसूची 21 की क्रियान्वयन अवधि के दौरान समग्र ओ डी ए सहायता में वास्तविक रूप में कमी आई है। 1992 में औद्योगिकृत राष्ट्र अपनी जी एन पी का 0.35% औसतन प्रदान कर रहे थे जो वर्ष 1997 में औसत का 0.22% कम हो गया। विश्व शिखर सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि यदि विकासशील देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रूप से सम्मत मिलेनियम घोषणा पत्र

में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए ओ डी ए में और अन्य स्रोतों में पर्याप्त वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। विकसित राष्ट्रों से यह कहा गया है कि वे विकास के लिए वित्त मुहैया करने और विकसित देशों को ओ डी ए के रूप में जी एन पी के 0.7 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उनके द्वारा घोषित संवर्धित ओ डी ए वचनबद्धताओं को उपलब्ध कराएं। भारत और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों द्वारा इस संबंध में की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने की जरूरत पर बल दिया है।

(च) यद्यपि, वर्ष 1992 में कार्यसूची 21 और रिओ सिद्धांतों को अंगीकार करने के पूर्व से ही भारत के कई सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम और योजनाएं चल रही हैं जिनमें सतत विकास के मुद्दे पर विचार किया गया है भारत की नियोजन प्रक्रिया में सतत विकास हेतु, हमारी दिलचस्पी प्रतिबिम्बित होती है और प्रारम्भ की गई विभिन्न योजनाओं में इन मुद्दों पर विचार किया गया है। कार्यसूची 21 के विभिन्न घटकों को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सम्बंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। हमारी विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरणीय मुद्दों को समाकलित करने हेतु वर्ष 1992-2002 के दौरान देश में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है।

मुम्बई में विमान यातायात जाम की समस्या

93. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हवाई अड्डा विमान यातायात में जाम होने की समस्या से जूझ रहा है जिससे विमानों की उड़ानों में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान उड़ानों के विलम्ब का ब्यौरा क्या है;

(ग) धावनपट्टी की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां। व्यस्ततम घंटों के दौरान देरियां हो जाती हैं।

(ख) अगस्त 2002 के दौरान कुल 1132 उड़ानों में, सितम्बर, 2002 के दौरान 873 उड़ानों में तथा अक्तूबर 2002 के दौरान 1433 उड़ानों में देरी हुई।

(ग) उड़ानों के जमघट हो जाने तथा धावनपथ की मरम्मत के कारण कुछ समय के लिए प्रातदिन धावनपथ उपलब्ध नहीं होते हैं।

(घ) नवम्बर, 2002 में एक बार धावनपथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद स्थिति में सुधार आ जायेगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की एक समान्तर टैक्सी ट्रैक के निर्माण की योजनाएं हैं जो अन्त:भाग (इन्टरसैक्शन) के निकट मुख्य धावनपथ को धावनपथ 32 के साथ जोड़ेगा।

नागर विमानन सुरक्षा में रक्षाबलों को लगाया जाना

94. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन की सुरक्षा संबंधी प्रबंधन में रक्षा बलों को लगाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कंधार अपहरण घटना जैसे नागर विमानन सुरक्षा संबंधी संकट से निपटने के लिए क्या आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जहां तक रक्षा नियंत्रित हवाई अड्डों का प्रश्न है वहां नागर विमानन सुरक्षा प्रबंधन में रक्षा कार्मिक पहले ही लगे हैं। एयरफोर्स/नेवी/आर्मी का स्टेशन कमांडर हवाई अड्डा कमेटी का अध्यक्ष है। हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है और रक्षा कर्मियों को स्काई मार्शलों तथा बम डिटैक्शन तथा डिस्पोजल के लिए लगाया गया है। नागर विमानन प्रचालन में गैर कानूनी हस्तक्षेप से निपटने के लिए आपातकालीन योजना के साथ भी सुरक्षा बल संबद्ध हैं।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रम

95. **श्री मनसुखभाई डी० वसावा :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे विशेषकर गुजरात के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) में नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में अब तक ऐसे आई टी आई पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) देश भर में फैले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत 1999 से सात नए व्यवसाय अर्थात् (i) प्लेट मेकर-सह-इम्पोजिटर (ii) प्रोसैस कैमरामैन (iii) लिथो-आफसैट मशीन माइंडर (iv) स्टीवार्ड (v) शिल्पकार खाद्य उत्पादन (सामान्य) (vi) शिल्पकार खाद्य उत्पादन (शाकाहार) एवं (vii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम अनुरक्षण, आरंभ किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये व्यवसाय उनकी आवश्यकतानुसार आरंभ किए गए हैं। गुजरात राज्य ने अपने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटेनेंस नामक केवल एक व्यवसाय आरंभ किया है।

झारखंड में कृषि प्रौद्योगिकी-सूचना केन्द्र

96. **प्रो० दुखा भगत :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड के किन-किन क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र स्थापित किये गए हैं;

(ख) इन पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में खर्च किय गया है; और

(ग) आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इन केन्द्रों पर क्या कार्य शुरू किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई, 2001 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड में एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र (ए टी आई सी) की स्थापना करने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) केन्द्र की स्थापना करने के लिए 36.86 लाख रुपये की सम्पूर्ण लागत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा स्वीकृत की गई है।

(ग) इस केन्द्र ने अपनी स्थापना के एक वर्ष के दौरान नैदानिक तथा अन्य फार्म सलाहकार सेवाओं के अतिरिक्त 29 क्विंटल बीज तथा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान डायरी की 2200 प्रतियां और विस्तार साहित्य की 5500 प्रतियां मुहैया कराई हैं, जिससे 4095 किसान लाभान्वित हुए हैं।

गंगा नदी में जल का प्रवाह

97. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय के साथ-साथ गंगा नदी में जल प्रवाह कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) अन्य नदियों की तरह गंगा नदी में प्रवाह हाइड्रोमेटरोलॉजिकल पैरामीटरों पर निर्भर करता है जिसमें समय और अन्तराल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ऊपरी भाग अर्थात् अलकनन्दा और भागीरथी में नदी का प्रवाह गरमी के कारण बर्फ के पिघलने पर निर्भर करता है, जबकि निचले भागों में यह मौसम विज्ञान संबंधी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय जल आयोग के नियंत्रण के अंतर्गत स्थापित जल विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से सरकार गंगा नदी के जल विसर्जन आंकड़े का प्रेक्षण करती है। लम्बी अवधि के महत्वपूर्ण सीरीज आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए विसर्जन की प्रवृत्ति में घट-बढ़ और महत्व, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए नदी के निचले भागों में तीन स्थलों पर गंगा नदी में वास्तविक प्रेक्षिक विसर्जन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से यह पता चला है कि गंगा नदी के विसर्जन में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा कमी नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियाई गैंडों का विलुप्त होना

98. **श्री अनन्त नायक :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एशियाई गैंडे विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस आकर्षक दुर्लभ प्राणी को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा असम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों को जिनमें गैंडा पाया जाता है, आवास सुधार करने, सुरक्षा और संचार अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने, अवैध शिकार हेतु अभियान चलाने, पारिविकास कार्यों आदि जैसे कार्यकलापों के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गैंडा, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में शामिल है और इसलिए इसे सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सीमा के पार वन्यजीवों से बनी वस्तुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने हेतु वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कन्वेंशन (साइटस) का हस्ताक्षरकर्ता भी है।

दिल्ली परिसंघ को भुगतान

99. श्री रामजी मांझी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली परिसंघ को जी.आर./आर.आर. प्रस्तुत करने पर माल के गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले किए जा रहे भुगतान के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पूर्व प्रक्रिया के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली परिसंघ को भुगतान जारी करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मार्च, 1996 के बाद दिल्ली परिसंघ का ए.पी.ओ. हेतु 'नेफेड' का एजेंट न बनने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) एवं दिल्ली परिसंघ के बीच हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार नेफेड ने दिल्ली परिसंघ द्वारा जी०आर०/आर०आर० प्रस्तुत करने पर भुगतान जारी कर दिया है। तथापि, दिल्ली परिसंघ ने ए०पी०ओ० को माल की आपूर्ति किए बगैर ही नेफेड से 5.5 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला दर्ज करके तहकीकात के बाद नेफेड के दो अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी नेफेड ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।

(घ) चूंकि नेफेड को 1996 के बाद ए०पी०ओ० का कोई नया ठेका नहीं मिला है अत:, ए०पी०ओ० को आपूर्ति हेतु दिल्ली परिसंघ की एजेंट के रूप पुनर्नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

वन सम्पदा में कमी

100. श्री सी०के० जाफर शरीफ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भारत में ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली सामाजिक वानिकी की प्रतिशतता से संबंधित कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में भारत की वन सम्पदा में भारी गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे गंभीर पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना के अनुसार हर वर्ष भारत के वनों से 170 लाख टन ईंधन की लकड़ी सतत आधार पर उपलब्ध होती है और लगभग इतनी ही मात्रा में ईंधन की लकड़ी गैर-वन क्षेत्रों से उपलब्ध होती है।

(ग) और (घ) वर्ष 1987 से हर दो वर्ष के बाद देश के वन आवरण का मूल्यांकन किया जाता है और अब तक सात मूल्यांकन किए जा चुके हैं। इस अवधि के दौरान वन/वृक्षावरण में मामूली गिरावट आई है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 19.46% से घटकर 19.39% हो गया है। वन स्थिति रिपोर्ट, 1999 के अनुसार इससे पहले के मूल्यांकन अर्थात् वर्ष 1997 की तुलना में, वन आवरण में 3896 वर्ग कि०मी० वास्तविक वृद्धि हुई है। वर्ष 1987 से पहले के वन आवरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मटर की खेती

101. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले जबलपुर में व्यापक पैमाने पर मटर की खेती होती है;

(ख) क्या सरकार किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु मटर की अच्छी किस्मों की खेती के लिए बीज, उर्वरक अथवा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कोई योजना लागू कर रही है अथवा विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मटर के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन देशों को मटर का निर्यात किया जा रहा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार का कृषि मंत्रालय 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जबलपुर समेत 350 जिलों को कवर करते हुए राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

स्कीम में बीज के उत्पादन तथा वितरण, बीज मिनीकिटों, रिजोबियम कल्चर, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत कृषि उपकरणों आदि के वितरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों को उन्नत उत्पादन व संरक्षण प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए खेत पर प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि देश में मटर सहित दलहनों का उत्पादन बढ़ाया जा सके।

(घ) और (ङ) मटर सहित दलहन के निर्यात को 5 किग्रा० की पैकिंग में अनुमति दी जाती है। भारत द्वारा मटर का निर्यात मुख्यतया आस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, मिस्र, जर्मनी, कुवैत, म्यांमार, पुर्तगाल, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विटजरलैण्ड, संयुक्त अरब अमीरात तथा ब्रिटेन को किया जाता है।

औरंगाबाद विमानपत्तन का उन्नयन

102. **श्री चन्द्रकांत खैरे :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के औरंगाबाद विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य उन्नयन करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए औरंगाबाद विमानपत्तन पर पर्यटकों हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) औरंगाबाद हवाई अड्डे का चरणबद्ध रूप में उन्नयन किया जा रहा है। चरणबद्ध-II के विकास कार्यक्रम के अधीन इस समय नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य, कार पार्क तथा रनवे के विस्तार का कार्य चुना गया है। इस परियोजना की औसत लागत 74 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) इस समय औरंगाबाद हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र राज्य सरकार का पर्यटन सूचना काउन्टर है। केन्द्रीय सरकार की औरंगाबाद हवाई अड्डे पर पर्यटन सूचना तथा सुविधा काउन्टर खोलने की योजना है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइंस द्वारा बिक्री कर का भुगतान

103. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा विभिन्न राज्यों को बिक्री कर के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या ए.टी.एफ. संबंधी बिक्री कर की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) वर्ष 2001-2002 के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एलाइंस एअर द्वारा इंडियन एयरलाइंस के नेटवर्क में विभिन्न राज्यों को 17250.03 लाख रु० बिक्री कर का भुगतान किया गया।

(ख) और (ग) जी, हां। विमानन टरबाईन ईंधन (ए०टी०एफ०) पर बिक्री कर की राशि आंध्रप्रदेश में 4% से लेकर केरल में 39.10% तक है। इंडियन एयरलाइंस के नेटवर्क में राज्यों एवं संघ

राज्य क्षेत्रों द्वारा विमानन टरबाईन ईंधन (ए०टी०एफ०) पर लगाई जाने वाली बिक्री कर की दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

ए०टी०एफ० पर प्रभारित राज्यवार बिक्री कर

राज्य	दर%
दिल्ली	20%
केरल	39.10%
तमिलनाडु	25.20%
महाराष्ट्र	25% *निर्धारित सीमा 20%
मध्य प्रदेश	28.75%
राजस्थान	26.70% निर्धारित सीमा 13.48%
उत्तर प्रदेश	20%
जम्मू-कश्मीर	21%
पंजाब	22%
चंडीगढ़	22%
हिमाचल प्रदेश	20%
मणिपुर	20%
असम	22%
बिहार	26.25%
गोवा	20%
गुजरात	27.60% निर्धारित सीमा 36%
कर्नाटक	28%
त्रिपुरा	25%
उड़ीसा	20%
पश्चिमी बंगाल	25%
आंध्र प्रदेश	4%

*केवल 31.03.2003 तक।

राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम

104. श्री जी०जे० जावीया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वानिकी कार्य कार्यक्रम (एनएफएपी) की संरचना और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) देश में विशेषकर गुजरात में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कुल कितनी भूमि नियत की गई है; और

(ग) मुख्य घटक के अंतर्गत प्रत्येक मुख्य तथा उप-कार्यक्रम हेतु निर्धारित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना संकलन (एन एफ ए पी) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रतिपादित राज्य वानिकी कार्यक्रमों का एक संकलन है। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की तर्ज पर वानिकी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं संबंधी मुद्दों के निराकरण के लिए अगले 20 वर्षों की लम्बी अवधि वाली एक व्यापक कार्यनीति है। एन एफ ए पी का उद्देश्य देश के एक तिहाई भाग को वन/वृक्षावरण के तहत लाना तथा वनों के सतत् विकास की प्राप्ति के लिए वनों की कटाई को रोकना है।

राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम के निम्नलिखित पांच मुख्य घटक हैं :-

1. विद्यमान वन संसाधनों की सुरक्षा
2. वन उत्पादकता में सुधार
3. कुल मांग में कमी
4. नीति एवं संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण
5. वन क्षेत्र का विस्तार करना

(ख) और (ग) गुजरात सहित देश में राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (एन एफ ए पी) के क्रियान्वयन के लिए मुख्य घटकों के तहत प्रत्येक मुख्य और उप कार्यक्रम के लिए अभिनिर्धारित कुल भूमि संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम	वास्तविक लक्ष्य मिलियन हेक्टेयर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. पुनर्वास एवं पुनरुद्भव	1.60
		ख. पुनर्वनीकरण	0.75
		ग. वर्तमान बागानों का सुधार	0.30
		कुल:	2.65
		वनक्षेत्र विस्तार	
		क. सार्वजनिक भूमि रोपण	0.40
		ख. ग्रामीण निजी भूमि रोपण	1.48
		ग. शहरी निजी भूमि रोपण	0.40
		कुल:	0.102
2.	अरुणाचल प्रदेश	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. कृत्रिम रोपण कार्य	0.054
		ख. ए एफ आर/ई एफ आर रोपण काय	0.004
		ग. पुनरूद्भव में बढ़ोतरी	0.044
		कुल:	0.102
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. कार्यक्रम कार्यान्वयन	0.05
3.	असम	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.80
		ख. प्राकृतिक पुनरुद्भव हेतु प्रेरित करना	0.10
		ग. आर्किड औषधीय और अन्य एन डब्ल्यू एफ पी	0.02
		कुल:	0.92

1	2	3	4
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. सीमावर्ती ग्रामीण विकास	0.08
		ख. निजी भूमियों का वनीकरण	0.10
		कुल:	0.18
4.	बिहार	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. वन, 40 प्रतिशत से अधिक सघनता	1.04
		ख. वन, 40 प्रतिशत से अधिक सघनता	0.42
		ग. एन डब्ल्यू एफ पी सुधार	0.04
		कुल:	1.50
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. निजी वानिकी - दक्षिणी बिहार	0.65
		ख. निजी वानिकी - उत्तरी बिहार	0.98
		ग. गैर वन क्षेत्र	1.08
		कुल:	2.71
5.	गोवा	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.012
		ख. अवक्रमित खनिज क्षेत्रों का पुनर्वास	0.001
		ग. बेंत और बांस क्षेत्र का विकास	0.004
		घ. सागौन क्षेत्र का विकास	0.001
		ड. वन क्षेत्र वनीकरण	0.008
		च. कच्छ वनस्पति विकास	0.002
		कुल:	0.028
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. ईंधन की लकड़ी और चारे का विकास	0.0002
		ख. शहरी वानिकी	0.0004

1	2	3	4
		ग. सामुदायिक भूमि का रोपण	0.002
		घ. भूमि अधिग्रहण	0.001
		कुल:	0.0036
6.	गुजरात	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. अवक्रमित वनों की बहाली	0.20
		ख. अनावृत वनों का रिबॉयसमेंट	0.24
		ग. घास के मैदानों का विकास	0.24
		घ. घास भूमि का विकास	0.02
		ड. मरूस्थल को आगे बढ़ने से रोकना	0.02
		च. कच्छ वनस्पिति की बहाली	0.01
		छ. तटवर्ती सीमा की बहाली	0.01
		कुल:	0.74
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. स्ट्रिप प्लांटेशन	0.02
		ख. विलेज वुडलॉट्स	0.03
		ग लवणीय भूमि का विकास	0.01
		घ. वितरण हेतु पौध	1.82
		कुल:	1.88
7.	हरियाणा	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. अवक्रमित वनों का पुनर्वास	0.17
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. स्ट्रिप प्लांटेशन	0.06
		ख. संस्थागत भूमियों की रोपाई	0.05
		ग. फार्म वानिकी हेतु पौधशाला	0.33
		घ. लवण से प्रभावित भूमियों का वनीकरण	0.08

1	2	3	4
		ङ. अरावली क्षेत्रों का वनीकरण	0.07
		च. बालू-टीलों वाले क्षेत्रों का वनीकरण	0.01
		कुल:	0.70
8.	हिमाचल प्रदेश	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. एन डब्ल्यू एफ एफ प्रोपेगेशन	0.09
		ख. प्राकृतिक वनों का प्रबंधन	0.10
		ग. चरागाह भूमि प्रबंधन	0.30
		कुल:	0.49
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. खुले वनों का प्रबंधन	0.39
		ख. झाड़युक्त भूमियों का प्रबंधन	0.02
		कुल:	0.41
9.	जम्मू-कश्मीर	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. चरागाह विकास	0.25
		ख. वनों का प्राकृतिक पुरूद्भव	0.50
		ग. अवक्रमित वनों का पुनर्वास	0.25
		घ. शिवालिक पारिविकास परियोजना	0.75
		ङ. एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना	0.30
		कुल:	2.05
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		क. वन क्षेत्र का विस्तार	3.32
		ख. क्षेत्रोन्मुखी ईंधन और चारा रोपण	0.20
		ग. निजी भूमियों का सर्वेक्षण और रोपाई	0.61
		घ. निजी भूमियों में प्ररोधशाला	0.09
		कुल:	4.22

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. अवक्रमित वन पुनरूद्धार	0.75
		ख. अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.64
		ग. एफोरेस्टेशन ग्रासी ब्लैंक	0.01
		घ. बांस क्षेत्रों का सुधार	0.40
		ड. चन्दन वनों का सुधार	0.14
		च. शीशम की लकड़ी के वनों का सुधार	0.011
		छ. सागौन वन का सुधार	0.23
		ज. वर्तमान बागान सुधार	0.72
		झ. बेंत के वन का सुधार	0.09
		कुल:	3.09
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		क. नदी के किनारे	0.02
		ख. तालाब अग्रतट	0.09
		ग. कृषि वानिकी और परती भूमि विकास	0.01
		कुल:	0.12
11.	केरल	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. बहुविध उपयोग हेतु वृद्धि	0.10
		ख. बांस वाला वन	0.01
		ग. रीड वन	0.003
		घ. सघन वन, पारिस्थितिकीय महत्व	0.025
		ड. सघन वन, एन डब्ल्यू एफ पी	0.005
		कुल:	0.14
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. कुल प्लांटेशन	0.12

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. प्राकृतिक पुनरूद्भव को बढ़ावा देना	4.00
		ख. रिहैबिलिटैशन ऑफ फ्लावर्ड बैम्बू	0.40
		ग. रिहैबिलिटेशन ऑफ डिप्लीटेड बैम्बू	0.11
		घ. अवक्रमित वनों का पुनर्वास	1.50
		कुल:	6.01
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. राजस्व/सामुदायिक भूमियों पर रोपण	0.77
		ख. प्लांटिंग फार्म फॉलोस	0.08
		ग. प्लांटिंग कम्युनिटी स्ट्रिप्स	0.02
		घ. प्लांटिग फार्म बन्ड्स	0.51
		कुल:	1.38
13.	महाराष्ट्र	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. एनरिचमेंट बैम्बू अन्डर प्लांटिंग	1.20
		ख. घास भूमि का विकास	0.08
		ग. अवक्रमित वनों का पुनर्वास	0.90
		घ. कॉमर्शियल प्लांटेशन	0.20
		ड. अवक्रमित वनों में संयुक्त वन प्रबंधन	0.30
		कुल:	2.68
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. सामुदायिक परती भूमि	0.65
		ख. तटवर्ती रोपण	0.004
		ग. कच्छ वनस्पति रोपण	0.004
		घ. ग्रामीण सड़कों के किनारे पर रोपण	0.024
		कुल:	0.682

1	2	3	4
14.	मणिपुर	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. वन परती भूमि का वनीकरण	0.15
		ख. अपसर्जित झूम कृषि	0.12
		ग. बारक नदी कैचमैंट	0.30
		घ. गैर इमारती वनोत्पाद	0.06
		ड. चराई नियंत्रण	0.04
		च. रिस्टॉकिंग रिजर्वड फॉरिस्ट	0.10
		कुल:	0.77
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. अपारम्परिक क्षेत्र रोपण	0.31
15.	मेघालय		
16.	मिजोरम	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. टैंडिंग ओल्ड प्लांटेशन/नेचुरल फॉरिस्ट	0.20
		ख. ए एन आर टिम्बर	0.16
		ग. ए एन आर फॉर फ्यूअलवुड	0.20
		घ. एन डब्ल्यू एफ पी डेवलपमेंट	0.04
		कुल:	0.60
		वन क्षेत्र विस्तार	
		वितरण हेतु पौध	0.02
17.	नागालैंड	**निवेश अनुमानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है**	
18.	उड़ीसा	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. अवक्रमित वन का पुनर्वास	0.16
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. औद्योगिक रोपण	0.10
		ख. निजीभूमियों (पौधशाला) का विकास	0.18
		कुल:	0.28

1	2	3	4
19.	पजांब	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. एनरिचमैंट प्लांटिग फॉरेस्ट्स इन प्लेन्स	0.04
		ख. क्रिएशन ऑफ हाई प्रोडक्शन फॉरेस्ट्स इन प्लेन्स	0.02
		ग. समतल भूमियों में वन वर्धन क्रिया	0.04
		घ. वनों में कृषि के पश्चात् पुन: रोपण	0.04
		ड. संवर्धन रोपण कांडी वनों	0.08
		च. वन वर्धन क्रिया कांडी वनों	0.09
		कुल:	0.31
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. तंरगित कांडी भूमि	0.015
		ख. सार्वजनिक भूमियों में प्लांटिंग	0.20
		ग. प्लान्ट्स फॉर पब्लिक	0.135
		कुल:	0.35
20.	राजस्थान	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. मरूभूमि विकास कार्यक्रम	0.80
		वन क्षेत्र का विस्तार	
		क. एकीकृत जल संभरण का विकास	4.04
		ख. आई जी एन जी कमान्ड विकास	0.1
		ग. आई जी एन पी नॉन कमान्ड विकास	0.02
		कुल:	4.34
21.	सिक्किम	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. चराई में नियंत्रण और चरागाह विकसित करना	0.03
		ख. शंकुधारी वनों का पुनरूद्भव	0.02
		ग. साल वनों का पुनरूद्भव	0.01
		घ. प्राकृतिक वन प्रबन्धन	0.03

1	2	3	4
		ङ. जल संभर प्रबन्धन व मृदा संरक्षण	0.07
		च. बांस, बेंत कृषि	0.03
		छ. गैर काष्ठ वन उत्पाद	0.01
		कुल:	0.20
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. ईंधन, चारा विकास	0.046
		ख. सामुदायिक/निजी वन प्रबंधन	0.002
		ग. सामाजिक वानिकी	0.032
		घ. रेशम उत्पादन का विकास	0.002
		कुल:	0.08
22.	तमिलनाडु	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. जे एफ एम योजना	0.005
		ख. इमारती लकड़ी के लिए वनीकरण	0.005
		ग. बांस वनीकरण	0.041
		घ. चन्दन लकड़ी वनीकरण	0.116
		ङ. साईट सुधार वनीकरण	0.163
		कुल:	0.33
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. सामान्य वनीकरण योजना	0.048
		ख. टीक वनीकरण योजना	0.002
		ग. बांस रोपण योजना	0.036
		घ. चन्दन लकड़ी विकास योजना	0.030
		ङ. अगैव रोपण योजना	0.016
		च. इमारती लकड़ी रोपण योजना	0.020
		छ. ईंधन लकड़ी रोपण योजना	0.085

1	2	3	4
		ज. सफेदा रोपण योजना	0.027
		झ. टीक रोपण योजना	0.006
		ञ. इमली रोपण योजना	0.015
		ट एम एफ पी रोपण योजना	0.070
		ठ वेन्गल रोपण योजना	0.001
		ड. कैशुरिना रोपण योजना	0.002
		ढ शीशम रोपण योजना	0.001
		ण. काजू एस्टेट योजना	0.001
		त. रेडसैन्डर्स एस्टेट योजना	0.019
		कुल:	0.38
23.	त्रिपुरा	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. वन बंजरभूमि का वनीकरण करना	0.04
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. गैर वन बंजर भूमियों का वनीकरण करना	0.03
		ख. सामुदायिक/निजी भूमियों पर चारा	0.01
		कुल:	0.04
24.	उत्तर प्रदेश	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. पंचायती पहाड़ी वन क्षेत्रों में वनीकरण	0.33
		ख. खाली पहाड़ी वनों में वनीकरण	0.60
		ग. अवक्रमित वन समतल भूमियों में वनीकरण	0.33
		घ. विन्ध्य क्षेत्र में अवक्रमित वनों का वनीकरण	0.12
		ड. बीहड़ का विकास	0.11
		च. इस्तेमाल करने वाली भूमि का पुनरूद्धार	0.04
		छ. बांस रोपण सुधार	0.02
		ज. बांस वन सुधार	0.13

1	2	3	4
		झ. तराई क्षेत्र में साल पुररुद्भव	0.03
		ञ. पहाड़ों में चीड़ पाइन पुररुद्भव	0.12
		ट बिन्ध्या क्षेत्र में तेंदु वन	0.45
		कुल:	2.28
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. समतल भूमियों में सामुदायिक बुडलौट्स	0.04
		ख. स्ट्रिप रोपण	0.40
		ग. सिविल सोम पहाड़ी वनों पर वनीकरण	0.35
		घ. तराई में यांत्रिक खैर / शीशम रोपण	0.08
		ड. तराई में साल रोपण	0.03
		च. अरबन स्ट्रिप प्लान्ट, ब्रिक गार्ड	0.002
		छ. अरबन स्ट्रिप प्लान्ट, कांटेदार तार की बाड़	0.003
		ज. अरबन ब्लॉक रोपण	0.06
		कुल:	0.96
25.	पश्चिमी बंगाल	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. इकोनॉमिक प्लान्टेशन	0.002
		ख. क्विक-गोइंग प्लान्टेशन	0.002
		ग. औषधीय पौधे एवं एन उब्ल्यू एफ पी	0.025
		घ. ईंधन चारा परियोजना	0.068
		ड. एकीकृत वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास	0.065
		च. पश्चिमी बंगाल वानिकी परियोजना	0.140
		छ. कृषि, वन-वर्धन	0.002
		कुल:	0.30
		वन क्षेत्र विस्तार	
		क. सुन्दरवन जैव मण्डलीय रिजर्व	0.002
		ख. फार्म वानिकी	0.19

1	2	3	4
		ग. बंजरभूमि रोपण	0.075
		घ. पश्चिमी बंगाल वन परियोजना वांस भूमि	0.018
		ड. पश्चिमी बंगाल वन स्ट्रिप रोपण	0.024
		कुल:	0.309
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप	**वन उत्पादकता सुधार**	
		क. वनों का पुनरूद्भव	0.06
		ख. एनरिचमेंट प्लांटेशन	0.01
		कुल:	0.07

मिर्च का उत्पादन

105. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में उत्पादित मिर्च की किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2002-03 के दौरान देश में और आंध्र प्रदेश में कितनी मात्रा में मिर्च का उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) मिर्च के उत्पादन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में तथा आंध्र प्रदेश में उत्पादित मिर्चों की किस्में निम्नवत हैं :-

देश में उत्पादित किस्में	आंध्र प्रदेश में उत्पादित किस्में
गुन्टूर सन्नम, हिन्दपुर-एस 7 मद्रास परी, एस 9 मुन्डु टाडापल्ली-बिग लौंगा, टोमाटो चिली (बारंगल चपट्टा), वर्ड आई चिली (घानी), ब्याडगी (कड्डी), इलायचलपुर सन्नम-एस 4 टाईप, ज्वाला, खाडारी-ह्वाईट, कश्मीर चिली, मध्य प्रदेश जी टी सन्नम, नागपुर, नालचेट्टी, रामनद मुन्डू, सन्नम-एस 4 टाईप सन्तूर-एस 4 स्कोच बोन्नेट	गुन्टूर सन्नम, हिन्दपुर-एस 7 मद्रास परी, एस 9 मुन्डु टाडापल्ली-बिग लौंग, टोमाटो चिली (बारंगल चपट्टा),

(ख) वर्ष 2002-03 हेतु देश में तथा आंध्र प्रदेश में मिर्च के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, अद्यतन उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2001-02 के दौरान देश में मिर्च के उत्पादन 9.71 लाख मी० टन तथा आंध्र प्रदेश में 4.67 लाख मी० टन रहा।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों में सहयोग/सहायता" में देश में मिर्च के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(i) उच्च उत्पादकता किस्मों के केन्द्रक बीज का उत्पादन,

(ii) प्रदर्शन-सह-बीज-बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना,

(iii) पौध संरक्षण उपायों का प्रदर्शन,

(iv) मिनीकिटों का वितरण, और

(v) निर्योतोन्मुख किस्म की मिर्च की खेती के प्रोत्साहन हेतु क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम।

इस स्कीम में आवश्यकतानुसार फसलों को प्रमुखता देने तथा हस्तक्षेप हेतु राज्य सरकार को लचीलापन प्रदान किया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान, कृषि प्रबंधन स्कीम के अधीन आंध्र प्रदेश हेतु 38.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

[हिन्दी]

जड़ी-बूटियों का उत्पादन

106. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री वाई०जी० महाजन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने क्षेत्रफल पर 'जड़ी-बूटियां' उगाई जाती हैं;

(ख) इन जड़ी-बूटियों की अनुमानित कीमत कितनी है;

(ग) क्या देश में जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ाने की संभावना का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थान-वार और राज्य-वार कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां इन जड़ी-बूटियों का उत्पादन किया जा सकता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार जड़ी-बूटियों संबंधी फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) देश में जड़ी-बूटी उगायी जानेवाली भूमि के कुल क्षेत्र तथा जड़ी-बूटी के मूल्य पर कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है। तथापि, योजना आयोग द्वारा औषधीय पौधे के संरक्षण और सतत उपयोग पर गठित कृतक बल ने उल्लेख किया है कि औषधीय पौधे के निर्यात की आमदनी को मार्च, 2000 में 446.3 करोड़ रु० के स्तर से वर्ष 2005 तक 3000.00 करोड़ रु० तथा वर्ष 2010 तक 10,000 करोड़ रु० के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) और (घ) कृतक बल ने जानकारी दी है कि भारतीय औषधीय पौधों का करीब 70% पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों, विंध्याचल, छोटा नागपुर पठार, अरावली एवं हिमालय में फैले विभिन्न उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है। यद्यपि जड़ी-बूटियों के उत्पादन हेतु उपयुक्त स्थानों के निर्धारण हेतु कोई अध्ययन नहीं किया गया है, फिर भी सरकार ने देश के विभिन्न भागों में विकास हेतु 32 औषधीय पौधों की पहचान की है। इन औषधीय पौधों के नाम दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि में वृहत प्रबंधन-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य के प्रयासों में सहयोग/सहायता पर एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अधीन राज्य अनुभूत जरूरतों एवं आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम में इन पौधों की खेती करने हेतु किसानों को सहायता प्रदान करने के अलावा जड़ी-बूटी उद्यान तथा जड़ी बूटी से जुड़ी नर्सरियो के सृजन द्वारा औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास का घटक शामिल है। औषधीय पौधों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय औषधीय पादप बोर्ड के गठन किये गये हैं। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड भी औषधीय पौधों के विकास हेतु स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

विवरण

प्राथमिकीकृत 32 औषधीय पौधों की सूची

क्रम सं०	सामान्य नाम	वानस्पतिक नाम
1	2	3
1.	अमला	एम्बलिका ओफिसिनालिस गार्टन
2.	अशोक	सराका असोका (ओर०ओ०एक्स०बी) डी वाइल्ड
3.	अस्वगंधा	विथानिया सोमनीफेरा (लिन) डुनाल
4.	एटिस	एकोनिटम हिटरोफिलम वाल एक्स रायॅल
5.	बेल	एगल मारमिलोस (लिन) कोर
6.	भूमि अम्लाकी	फिलेन्थस ऐमेरस शुम एव थोन
7.	बाह्मी	बाकोपा मोन्निएरी (एल) पेन्नल्ल
8.	चन्दन	सोतालम एल्बम लिन्न
9.	चिरैता	स्वेरर्शिया चिराता वुच-हैम
10.	गिलोए	टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया मिअर्स
11.	गुडमढ	जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे आर०बी०आर०
12.	गुड्मर	कोमीफोरा विघटी (आर्न) भंडारी
13.	इसबगोल	प्लाटागो ओवाटा फोस्क
14.	जातामासी	नाडोस्टाचिस जटामासी
15.	कालीहाड़ी	ग्लोरिओसा सुपर्बा लिन्न
16.	कलमेघ	एन्ड्रोग्राफिस पानिक्यूलाटा वाल एक्स नीस
17.	केसर (सेफ्रॉन)	क्रोकस सतीव्यूस लिन्न

1	2	3
18.	कोकुम	ग्रार्सीनिया इंडिका चॉइस
19.	कुथ	सोस्स्यूरिआ कोस्टस सी०बी० क्लार्की (एस० लप्पा)
20.	कुटकी	पिक्रोरिजा कुरोआ बेंथ एक्स रॉयल
21.	मकोए	सोलानम नाइग्रम लित्र
22.	मुलेठी	ग्लीसिरिरिजा गलेब्रा लिन्न
23.	मुसली सफेद	क्लोरोफिटम अरण्डीनेशियम बेकर (सी० बोरीविलानम)
24.	पाषाण भेद (कोलेस)	कोलियस बारबेटस बेंथ
25.	पीपल	पीार लोगम लित्र
26.	रसौत (दारूहल्दी)	बेरबेरिस अरिस्टाटा डी०सी०
27.	सर्पगन्धा	रावोल्फिया सेरपेन्टीना बेन्थ एक्स कुर्ज
28.	सेन्ना	कासिया अगुष्टीफोलिआ वाहल
29.	सतावरी	अस्पारागस रेसमोसस
30.	तुलसी	ओसियम साक्टम लित्र
31.	वाय विडग	एम्बेलिया राइब्स बर्म एफ.
32.	वन्सनाभ	एकोनिटम फेराक्स वाल

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों का विकास

107. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना के दौरान और इसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास हेतु राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि नियत की गई और वास्तव में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा खर्च की गई;

(ख) क्या बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान सहित विभिन्न उद्यानों के विकास हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन राष्ट्रीय उद्यानों के विकास हेतु पर्याप्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत, नौवीं योजना के दौरान और उसके बाद, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए जारी की गई व उपयोग में लायी गई निधियों का राज्य-वार, वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता पर आधारित बजटीय आबंटन मुहैया कराया गया है। इन राष्ट्रीय उद्यानों की मांगों का निर्धारण, प्रचालन की वार्षिक योजना की सावधानी पूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् किया जाता है। कैसी भी आपातिक जरूरतों को, राज्य सरकारों के प्रस्ताव व फील्ड निर्धारण को आधार बनाकर पूरा किया जाता है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद (31.10.2002), "राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास" योजना के अंतर्गत, जारी की गई व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1997-98	उपयोगिता	1998-99	उपयोगिता	1999-2000	उपयोगिता	2000-01	उपयोगिता	2001-02	2002-03 31.10.2002 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	43.39	42.13	50.72	39.18	87.54	95.37	186.07	184.60	88.595	74.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.953	शून्य	57.91	10.94	50.983	95.42	121.12	141.80	160.465	57.93
3.	असम	54.62	शून्य	58.05	77.455	53.44	59.38	317.205	169.14	70.55	127.25
4.	बिहार	6.00	17.15	—	शून्य	27.85	18.90	21.02	24.57	4.52	—
5.	छत्तीसगढ़									36.94	25.45
6.	गोवा	—	4.63	11.07	9.45	21.305	22.80	10.50	14.45	78.43	—
7.	गुजरात	17.005	24.61	13.80	13.00	22.105	26.80	65.27	40.01	127.20	37.92
8.	हरियाणा	14.57	17.76	37.20	17.90	21.55	42.90	28.35	3.27	15.64	18.75
9.	हिमाचल प्रदेश	61.50	60.30	49.80	57.69	47.46	42.20	165.30	164.54	11.235	63.10
10.	जम्मू-कश्मीर	124.70	18.07	70.00	84.60	5.55	25.09	—	—	26.00	99.90
11.	कर्नाटक	78.17	62.04	84.12	84.48	100.319	98.44	307.18	290.298	388.26	473.65
12.	केरल	49.29	53.86	49.35	48.84	59.975	56.795	102.62	82.242	81.50	146.20
13.	मध्य प्रदेश	195.67	120.89	35.93	73.44	152.203	167.12	182.195	194.931	99.38	105.30
14.	महाराष्ट्र	48.845	34.24	27.783	27.99	123.43	131.43	90.96	93.235	153.368	61.19
15.	मणिपुर	13.50	13.50	19.64	1[illegible].64	13.28	16.28	41.784	10.00	26.81	26.00
16.	मेघालय		शून्य	शून्य	12.45	शून्य	शून्य	66.36	44.99	27.95	41.00
17.	मिजोरम	13.48	10.34	8.45	11.04	12.30	8.85	102.31	132.52	128.55	125.50
18.	नागालैंड	15.29	12.67	9.00	11.62	9.70	9.70	31.85	20.00	43.13	76.00
19.	उड़ीसा	34.22	61.72	68.73	10.00	94.74	14.35	3.50	83.93	70.265	57.20
20.	पंजाब	14.03	9.38	8.65	0.56	11.57	17.19	26.39	17.178	29.60	—
21.	राजस्थान	82.34	91.98	89.52	24.93	66.54	65.32	116.00	153.679	73.00	199.68
22.	सिक्किम	12.51	13.12	11.00	6.96	12.00	25.20	97.45	एन०ए०	30.45	87.00
23.	तमिलनाडु	61.284	60.02	74.63	72.20	61.18	68.61	89.83	103.79	75.23	69.75
24.	त्रिपुरा	29.81	8.53	—	21.00	19.97	13.10	21.90	28.60	46.41	49.40
25.	उत्तर प्रदेश	112.11	99.75	89.57	78.93	117.81	127.85	144.60	136.15	79.815	122.55
26.	उत्तरांचल									38.13	68.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	पश्चिमी बंगाल	69.69	58.19	72.96	70.35	55.20	60.29	90.22	102.14	180.945	161.46
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	20.56	शून्य	—	18.02	22.00	9.12	50.00	33.07	25.59	0.47
29.	चंडीगढ़	12.00	शून्य	—	12.00	28.00	20.00	—	8.00	18.40	14.00
30.	दादरा और नागर हवेली									6.01	15.25
31.	दमण										—
32.	लक्षद्वीप										—
	कुल	1212.537		934.883		1298.00		2479.984		2342.068	2404.71

नौवीं योजना के दौरान जारी की गई कुल राशि 8267.472 लाख

नौवीं योजना के दौरान उपयोग में लाई गई कुल राशि 5421.583 लाख

एन.ए. — अनुपलब्ध

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार 'बाघ रिजर्व सहित, राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों में व उनके इर्द गिर्द पारि-विकास' योजना के अंतर्गत जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	निधि जारी की गई 1997-98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998-99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999-2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000-2001	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2001-2002	उपयोग की गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	25.399	10.20	40.020	54.60	44.534	44.13	33.548	33.80	69.595	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.998	12.80	15.229	9.98	13.820	13.61	31.83	39.50	45.153	—
3.	असम	10.250	—	52.34	24.50	32.00	3.50	45.51	94.92	43.81	11.05
4.	बिहार	—	—	15.00	—	38.39	32.00	28.99	—	33.86	—
5.	गुजरात	—	—	—	—	9.64	—	26.22	12.95	32.56	—
6.	हिमाचल प्रदेश	58.40	11.50	—	2.13	86.84	105.49	66	63.70	131.346	104.30
7.	जम्मू-कश्मीर	22.49	—	—	—	13.70	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	34.65	24.19	20.35	—	73.80	77.67	209.02	96.84	339.34	—
9.	केरल	—	60.058	70.55	61.532	36.45	44.327	153.439	64.962	138.27	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	मध्य प्रदेश	51.33	8.00	65.89	44.717	63.277	47.677	126.53	107.54	231.974	247.71
11.	महाराष्ट्र	7.435	7.377	41.880	31.833	96.153	34.558	27	37.81	26.40	57.08
12.	मणिपुर	4.750	4.75	10.400	10.40	10.110	10.11	21.445	12.77	9.15	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	21.52	16.06	17.106	—
14.	मिजोरम	10.500	10.50	2.00	—	64.55	14.77	118.05	110.25	226.83	56.78
15.	नागालैंड	—	—	10.00	—	8.00	13.00	23.25	13.00	28.45	28.45
16.	उड़ीसा	45.775	31.165	22.60	9.094	12.00	20.516	56.16	30.00	42.60	31.04
17.	पंजाब	9.140	—	10.20	—	—	—	—	—	12.272	—
18.	राजस्थान	36.93	31.53	53.44	11.54	16.74	—	—	39.20	80.20	—
19.	सिक्किम	—	—	5.85	—	32.63	—	29.60	30.63	26.225	—
20.	तमिलनाडु	4.12	—	18.10	—	31.96	—	6.30	1.53	6.38	—
21.	त्रिपुरा	—	—	44.40	—	—	29.223	20.00	20.00	44.346	—
22.	उत्तर प्रदेश	41.453	13.95	101.860	10.00	66.51	35.95	113.74	76.91	118.00	—
23.	पश्चिमी बंगाल	66.525	41.725	44.39	39.60	48.889	—	153.00	13.36	121.953	—
24.	झारखण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	12.56	—
25.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	82.00	—
26.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	24.70	—
	कुल	434.145		634.499		799.993		1311.152		1966.07	

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ''लाभोन्मुखी आदिवासी विकास योजना' के अंतर्गत, राज्य-वार जारी की गई उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	निधि जारी की गई 1997-98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998-99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999-2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000-2001	निधि जारी की गई 2001-2002
1.	मध्य प्रदेश	45.00	90.19	350.00	177.84	201.08	130.14	200.00	300.00
2.	कर्नाटक	25.00	—	—	25.00	68.50	68.50	64.65	100.00
3.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—	46.00	—
4.	उड़ीसा	40.00	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	110.00	90.19	350.00	202.84	269.58	198.64	310.65	400.00

नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद "बाघ परियोजना" के अंतर्गत, राज्य-वार जारी व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	निधि जारी की गई 1997-98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998-99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999-2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000-2001	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2001-2002	जारी की गई निधियां 2002-03 (30/10/02 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	10.70	10.51	18.01	16.051	29.036	27.118	45.00	52.538	21.00	10.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	14.94	47.68	22.45	30.590	—	32.607	28.505	82.76	35.875
3.	असम	45.08	29.33	35.00	8.29	87.290	18.115	156.10	81.42	46.00	65.00
4.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	35.00	20.00
5.	बिहार	36.75	32.515	153.99	116.757	165.952	58.749	87.077	109.013	50.00	25.00
6.	झारखण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	75.625	18.00
7.	कर्नाटक	25.00	25.00	69.34	69.34	167.079	116.499	193.36	239.104	181.434	100.00
8.	केरल	34.95	32.62	39.19	35.033	43.665	38.89	50.00	—	50.00	50.00
9.	मध्य प्रदेश	133.778	115.58	225.125	204.89	332.160	207.105	433.567	270.003	472.18	416.00
10.	महाराष्ट्र	60.53	53.79	110.74	89.90	134.765	116.665	167.931	118.72	209.231	153.855
11.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	1.50	—	—	—
12.	मिजोरम	12.45	11.85	9.65	6.80	21.430	10.43	27.58	—	20.495	53.00
13.	उड़ीसा	49.30	40.45	67.65	39.72	84.450	31.34	83.31	—	126.81	—
14.	राजस्थान	149.885	132.035	472.265	123.803	222.595	137.755	299.705	271.671	170.319	119.00
15.	तमिलनाडु	45.60	45.60	32.50	25.19	58.780	39.16	60.315	—	16.00	50.00
16.	उत्तरांचल	—	—	—	—	—	—	—	—	181.825	50.00
17.	उत्तर प्रदेश	125.012	124.56	199.75	180.47	234.23	197.12	181.655	—	67.40	32.75
18.	पश्चिमी बंगाल	58.95	53.92	179.985	142.22	134.140	115.60	98.18	384.2717	142.176	80.00
	कुल	807.985	408.415	1660.875	518.233	1749.162	1114.546	1917.887	—	1948.495	1278.19

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद "भारत पारि विकास परियोजना" के अंतर्गत, राज्य-वार जारी की गई निधियां व व्यय की स्थिति को दर्शाता विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	97-98 के दौरान जारी	97-98 के दौरान व्यय	98-99 के दौरान जारी	98-99 के दौरान व्यय	99-2000 के दौरान जारी	99-2000 के दौरान व्यय	2000-01 के दौरान जारी	2000-01 के दौरान व्यय	2001-02 के दौरान जारी	2001-02 के दौरान व्यय	2002-03 के दौरान जारी (30.11.2001 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	राजस्थान	50.00	17.640	158.000	41.470	150.000	255.820	531.28	437.773	227.50	329.29	400.00
2.	पश्चिमी बंगाल	377.00	174.605	457.700	305.399	512.800	771.060	459.390	560.960	848.63	500.50	150.00
3.	मध्य प्रदेश	50.00	42.840	365.870	217.436	417.720	297.750	322.940	461.440	643.79	477.20	195.45
4.	बिहार/झारखण्ड	50.00	—	89.985	61.145	200.000	126.786	125.00	265.376	325.67	262.00	0
5.	गुजरात	360.00	278.220	161.000	242.900	689.200	557.580	658.73	591.990	300.00	407.74	315.00
6.	केरल	449.50	127.650	378.950	418.730	402.570	441.130	561.81	620.390	704.41	597.00	0
7.	कर्नाटक	50.00	59.990	432.000	377.560	955.15	709.59	425.85	725.850	950.00	867.40	500.00
	कुल	1386.50	700.945	2043.505	1664.94	3327.44	3159.716	3085.00	3489.075	4000.00	3441.49	1560.45

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद "हाथी परियोजना" के अंतर्गत, राज्य-वार जारी व उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	निधि जारी की गई 1997-98	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1998-99	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 1999-2000	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2000-2001	उपयोग की गई	निधि जारी की गई 2001-2002	जारी की गई निधियां 2002-03 (30/10/02 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	18.90	15.30	30.21	20.37	11.86	11.86	46.30	42.666	31.00	35.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	10.08	—	19.303	3.55	89.81	78.00	56.00	35.00
3.	असम	—	—	29.60	29.25	25.15	—	45.00	19.50	94.50	70.00
4.	बिहार/झारखंड	—	—	40.00	40.00	26.00	—	5.00	—	22.69	45.00
5.	कर्नाटक	51.79	45.65	40.00	32.09	85.00	85.00	51.00	26.00	81.00	60.00
6.	केरल	76.87	69.39	143.40	141.75	63.55	51.80	66.05	64.24	82.00	75.00
7.	मेघालय	12.31	—	—	—	20.68	—	35.73	14.90	30.00	35.00
8.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—
9.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
10.	नागालैण्ड	—	—	11.00	11.00	40.00	40.00	35.17	35.17	72.13	35.00
11.	उड़ीसा	48.40	47.18	—	—	25.00	3.64	29.75	0.97	102.03	70.00
12.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	2.00	—
13.	तमिलनाडु	30.60	30.40	69.28	67.61	48.21	22.21	50.00	24.00	40.00	55.00
14.	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	111.95	109.45	95.00	95.00	155.806	99.99	100.00	24.20	125.14	80.00
15.	पश्चिमी बंगाल	84.72	77.42	78.44	48.44	76.011	61.80	79.04	65.317	95.00	50.50
	कुल										645.50

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

108. श्री अनंत गुढे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को शुरू किये जाने के बाद से इस योजना के अन्तर्गत अपने दावे प्राप्त किये हैं; और

(ख) देश के विभिन्न भागों ने हाल के सूखे और बाढ़ की स्थिति के दौरान उक्त योजना से राज्य-वार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रारंभ किए जाने के बाद से

लाभान्वित किसानों की राज्यवार संख्या दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) हाल के सूखे और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति से प्रभावित खरीफ 2002 मौसम के दौरान लाभान्वित किसानों की संख्या संबंधित राज्यों से अपेक्षित उपज आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही चल पायेगी।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन लाभान्वित किसानों की राज्य-वार संख्या

राज्य/सं.रा. क्षेत्र	रबी 1999-00	खरीफ 2000	रबी 2000-01	खरीफ 2001	रबी 2001-02
आंध्र प्रदेश	भाग नहीं लिया	125516	27462	288034	14833
असम	34	52	46	97	361
बिहार	भाग नहीं लिया	15093	3408	5670	6766
छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश का भाग	401705	0	0	702
गोवा	33	58	0	605	0
गुजरात	7907	976569	7934	261779	8430
हिमाचल प्रदेश	2	0	864	0	0
झारखंड	बिहार का भाग	बिहार का भाग	0	0	0
कर्नाटक	भाग नहीं लिया	21734	1407	324588	63399
केरल	2726	9370	722	2117	421
मध्य प्रदेश	4891	570093	176430	259047	135889
महाराष्ट्र	39500	1056682	174371	463912	19960
मेघालय	भाग नहीं लिया	43	150	49	257
उड़ीसा	15	349161	25769	11113	18541
सिक्किम	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	0	0
तमिलनाडु	भाग नहीं लिया	22	3370	5589	63564
त्रिपुरा	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	0
उत्तर प्रदेश	भाग नहीं लिया	108906	82911	28658	61794
पश्चिमी बंगाल	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	20716	423	52034
अण्दमान और निकोबार द्वीप	भाग नहीं लिया	23	उपलब्ध नहीं	33	उपलब्ध नहीं
पांडिचेरी	172	0	900	0	100
उत्तरांचल	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
कुल	55288	3635027	526683	1651712	447051

[हिन्दी]

ई.एस.आई. के लाभार्थियों हेतु कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र

109. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के हाल के आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनेक लाभार्थी 1 सितम्बर, 2002 से 15 दिनों की अनुमानित अवधि के अंदर कंप्यूटरीकृत पहचान पत्र प्राप्त न कर पाने के कारण चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्प्यूटरीकृत पहचान पत्र बनाने वाली अधिकांश मशीने खराब हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को जारी साधारण पहचान भी मान्य हैं। मशीनें भली भांति काम कर रही हैं तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम पहचान पत्रों को तैयार करने के लिए निजी एजेन्सियों की भी मदद ले रहा है। निगम ने फोटो पहचान पत्र न होने पर भी किसी को लाभों से वंचित न करने के निदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

खरीफ मौसम के लिए बोनस की सिफारिश

110. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० बी०बी० रमैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इस खरीफ मौसम के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20 रुपये अधिक प्रति क्विंटल के बोनस की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि का अतिरिक्त खर्च अंतर्ग्रस्त है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा घोषित विशेष सूखा राहत मूल्य का अतिरिक्त व्यय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसमें असिंचित क्षेत्रो में किसानों को हुए नुकसान एवं सिंचित क्षेत्रों के किसानों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का भी ध्यान रखा गया है। इसके कारण चालू खरीफ मौसम के दौरान चावल की खरीद पर अतिरिक्त व्यय 400 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

विषाक्त बादलों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अध्ययन

111. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित अध्ययन, जिसमें तीन किलोमीटर मोटे ऐसे बादल का पता चला है जिसमें राख, अम्ल, एयरोसॉल तथा अन्य गैस जैसे विषैले तत्व मिश्रित थे, की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह जिन क्षेत्रों में फैला हुआ है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पृथ्वी शिखर सम्मेलन और उसमें अंगीकार किये गए अभिसमय के संदर्भ में इन विनाशकारी बादलों को विष मुक्त बनाने और उन्हें नष्ट करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) ''इन्डियन ओशन रिसर्च एक्सपैरीमैंट (इन्डोक्स)'' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अध्ययन से हिन्द महासागर के ऊपर धुन्ध का पता चला है। यह धुन्ध एरोसाल नाम से जाने जाने वाले लघु कणों की सान्द्रता के कारण है जो मुख्यत: कालिख, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, आर्गनिक कणों, उड़न राख एवं खनिज पदार्थों की धूल का मिश्रण है। एशियाई क्षेत्र एवं इसके चारों ओर के समुद्रों के ऊपर यह धुन्ध वायुमंडल का स्थायी भाग नहीं है। यह केवल जनवरी-मार्च की अवधि में ही होती है अर्थात् ऐसे मौसम में जब वर्ष 1999 में इन्डोक्स द्वारा प्रेक्षण किए गए थे। हमारे देश की वर्षा और/या कृषि पर इस धुन्ध के प्रभाव को देखने के लिए निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने इन्डोक्स पर आधारित ''दि एशियन ब्राऊन क्लाऊड : क्लाईमेंट एंड अदर एनवायरमैंटल इम्पैक्ट्स'' शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली है। यू एन ई पी द्वारा उक्त रिपोर्ट को जारी किए जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में क्षेत्रीय एवं विश्व दोनों स्तरों पर इस धुन्ध के प्रभावों की एक खतरनाक तस्वीर पेश की

है। तथापि इसमें पेश की गई अधिकतर चिन्ताओं को विश्वसनीय माडलिंग अध्ययनों या प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सका है। विद्यमान कानून और नीतिगत ढांचे के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के संबंध में उठाए गए अनेक उपाय देश में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त हैं।

[हिन्दी]

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

112. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 42 सिंचाई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ख) और (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा वित्त पोषण राज्यों द्वारा स्वयं किया जाता है, तथापि सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 3444 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से योजना आयोग और राज्य योजना बोर्ड द्वारा 16 सिंचाई परियोजनाएं अनुमोदित की गई और नौवीं योजना में विभिन्न राज्यों द्वारा शुरू की गई। ये सारी परियोजनाएं इस समय निर्माणाधीन हैं और नौवीं योजना में इन पर होने वाला अनुमानित व्यय 531 करोड़ रुपए आंका गया है।

[अनुवाद]

यूरोप के साथ विमान संपर्क

113. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रकुल देशों के साथ विमान संपर्क बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं;

(ख) गत 12 महीनों के दौरान राष्ट्रकुल देशों के कितने अधिक धनराशि खर्च करने वाले पर्यटकों ने भारत का दौरा किया है; और

(ग) सरकार द्वारा भारत के लिए उड़ान क्षमता को बढ़ाने हेतु यूरोपीय देशों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और गत दो वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) ऐसे 13 देशों के साथ वायु सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो पूर्व सोवियत यूनियन के भाग थे तथा द्विपक्षीय नागर विमानन विचार-विमर्श के दौरान इनमें से प्रत्येक देश के साथ क्षमता हकदारी पर सहमति दी गई। वर्तमान में, सी आई एस देशों के साथ मौजूदा पात्रता दोनों ओर को मिलाकर प्रति वर्ष 2.5 मिलियन सीटों की है।

(ख) वर्ष 2001 के दौरान सी आई एस देशों से 24831 पर्यटक भारत में आए।

(ग) 2000 एवं 2001 के दौरान यूरोपीय तथा सी आई एस देशों के साथ कुल हकदारी क्रमश: 1.24 मिलियन तथा 0.82 मिलियन सीट प्रतिवर्ष तक बढ़ा दी थी।

वर्ष 2001 के दौरान यूरोपीय देशों से आए पर्यटकों की संख्या वर्ष 2000 की तुलना में लगभग 6.3 प्रतिशत कम हो गयी।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन में कमी का मुख्य कारण विश्वभर में आर्थिक मंदी तथा 11 सितम्बर, 2001 की दुखद घटनाएं थी।

गुवाहाटी-बैंकाक उड़ानों को रद्द किया जाना

114. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री पी०आर० किन्डिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गुवाहाटी-बैंकाक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वायु मार्ग को पुन: चालू करने हेतु सरकार के विचाराधीन कोई अन्य प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमृतसर में स्थित क्षेत्रीय संयंत्र संगरोध केन्द्र में अनियमितताएं

115. **श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर स्थित क्षेत्रीय संयंत्र संगरोध केन्द्र (रीजनल प्लांट क्वारटाइन स्टेशन) में नियुक्त अधिकारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं का एक मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) क्षेत्रीय पौध संगरोध केन्द्र, अमृतसर में कुछ कर्मचारियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई थी। पौध संरक्षण, संगरोध एवं भण्डारण निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों की जांच की गई थी। जांच के आधार पर दो अधिकारियों को केन्द्र से स्थानान्तरित कर दिया गया है और केन्द्र को हवाई अड्डें तथा बाघा बार्डर पर बारी-बारी से कर्मचारी नियुक्त करने हेतु निर्देश दिया गया है।

[अनुवाद]

पेटेंट करने योग्य पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी

116. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सतत् विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन में पेटेंट करने योग्य वस्तुओं के अधिकार क्षेत्र से पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अलग रखने की वकालत की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने में विकासशील देशों के समक्ष क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं; और

(घ) भारत को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजी करने में कितनी सफलता हासिल हुई?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) सतत् विकास संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों ने पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों का रियायती दरों पर हस्तांतरण किए जाने के लिए जोरदार दलील दी थी। शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण संबंधी एजेंडा 21 पर आम सहमति होने की बात को दोहराया गया।

(ग) और (घ) विकसित देशों में अधिकतर पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का स्वामित्व निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। विकासशील देशों को ये प्रौद्योगिकियां रियायती दरों पर उपलब्ध नहीं है जैसाकि एजेंडा 21 में परिकल्पित है। भारत सहित विकासशील देश विकसित देशों में सरकारों के हस्तक्षेप के माध्यम से इन प्रौद्योगिकियों के स्थानांतरण संबंधी अपनी मांग को पुन: बल प्रदान करने में सक्षम थे।

पंजाब में बी.टी. कॉटन फसल को नुकसान

117. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री नवल किशोर राय :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के निकट आनंदवन कृषि महाविद्यालय फार्म में बी.टी. कॉटन फसल को अमेरिकी 'बालवर्म' से अत्यधिक नुकसान पहुंचा है जिसे जैविक रूप से सुरक्षित समझा जाता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) किन-किन संस्थानों ने उक्त फसल के बीज की खरीद की है और किन-किन संस्थानों ने इसका उत्पादन किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने अपने वैज्ञानिकों द्वारा आनन्दवन कृषि महाविद्यालय, वरोरा के क्षेत्र दौरे के आधार पर रिपोर्ट दी है कि अमेरिकन बॉलवर्म से आनन्दवन में बी. टी. कपास फसल को अत्यधिक नुकसान नहीं पहुंचा है।

(ग) बी.टी. कपास बीज का उत्पादन मैसर्स सहायको द्वारा किया गया, मैसर्स सहायको मनसेंटो बायोटेक (इण्डिया) लि., मुम्बई द्वारा विपणित किया गया तथा जांच के उद्देश्य से आनन्दवन कृषि महाविद्यालय, वरोरा को नि:शुल्क आपूर्त किया गया।

[हिन्दी]

रोजगार सृजन

118. **श्री रामपाल सिंह :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक करोड़ रोजगार के सृजन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इस मंत्रालय का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा अब तक कितने रोजगार प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में प्रगति की रफ्तार काफी धीमी और सुस्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार के.वी.आई.सी. के माध्यम से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन सारे देश में कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(ख) 31.3.2002 की स्थिति अनुसार आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत देश भर में कुल 1442128 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तिलहनों का उत्पादन

119. **श्री सुनील खां :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-2001 के दौरान देश में विभिन्न तिलहनों का उत्पादन और मूल्य (प्रति क्विंटल) का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में आयात किये गए खाद्य तेलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान तिलहनों की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या क्यू.आर.एस. के उठाए जाने से कीमतों में कमी आई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) देश में वर्ष 1991 से 2001 तक देश में महत्वपूर्ण मण्डियों में मुख्य तिलहनों का उत्पादन और मास के अंत में थोक मूल्यों का वार्षिक औसत क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) देश में वर्ष 1991 से 2001 के दौरान खाद्य तेलों के आयात का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :-

(लाख मी. टन)

वर्ष	खाद्य तेलों का आयात
1991-92	2.26
1992-93	1.03
1993-94	1.14
1994-95	3.47
1995-96	10.62
1996-97	14.16
1997-98	12.66
1998-99	26.22
1999-2000	41.96
2000-2001	39.75

(ग) जी, नहीं। विचाराधीन अवधि के दौरान तिलहन के मास के अंत में थोक मूल्य उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

(घ) और (ङ) खाद्य तेल आयात खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है और इसके आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। पिछले दो वर्षों के दौरान कम आयात शुल्क के कारण खाद्य तेलों के आयात में वृद्धि रही है जिसके फलस्वरूप कुसुम, तोरिया, सरसों, नारियल आदि जैसे कुछ स्वदेशी तिलहनों के मूल्यों में कमी आई है।

विवरण-I

वर्ष 1990-91 से 2000-01 की अवधि में तिलहन उत्पादन का आकलन

(लाख मी. टन)

फसल	मौसम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999 2000	2000 2001
मूंगफली	(खरीफ)	51.2	49.9	66.6	57.1	60.5	60.6	69.4	59.0	69.1	38.0	47.1
	(रबी)	23.9	21.0	19.0	21.2	20.0	15.3	17.0	14.7	20.7	14.5	15.1
	(कुल)	75.1	70.9	85.6	78.3	80.6	75.8	86.4	73.7	89.8	52.5	62.2
कुसुम	(खरीफ)	8.4	7.1	7.6	5.6	5.9	5.3	6.4	5.7	5.3	4.8	5.9
रामतिल	(खरीफ)	1.9	1.8	1.6	2.0	1.9	1.9	1.5	1.4	1.4	1.5	1.2
तौरिया व सरसों	(रबी)	52.3	58.7	48.0	53.3	57.6	60.0	66.6	47.0	56.6	57.9	42.1
कुसुम	(रबी)	3.2	2.0	3.5	5.2	4.2	3.8	4.5	1.2	2.4	2.6	2.0
सूरजमुखी	(रबी)	3.3	3.6	4.3	5.0	3.3	4.5	3.9	2.4	2.4	2.0	2.5
	(खरीफ)	5.4	8.3	7.5	8.5	8.9	8.1	8.6	6.5	7.1	4.9	4.8
	(कुल)	8.7	11.9	11.8	13.5	12.2	12.6	12.5	8.9	9.5	6.9	7.3
सोयाबीन	(खरीफ)	26.0	24.9	33.9	47.5	39.3	50.9	53.8	64.6	71.4	70.8	52.7
कोपरा		5.8	6.0	6.7	7.1	7.9	8.3	7.8	7.6	10.5	10.5	11.0

विवरण-II

तिलहन के माह अंत के थोक मूल्यों का वार्षिक औसत

(रु. प्रति क्विंटल)

वर्ष	छिल्के सहित मूंगफली राजकोट (गुजरात)	तोरिया व सरसों कानुपर (उ.प्र.)	तिल के बीज हैदराबाद (आं.प्र.)	कोपरा कोझीकोड (केरल)	सूरजमुखी के बीज खानगांव (महाराष्ट्र)	सोयाबीन (पीला) देवास (म.प्र.)	रामतिल (रांची) (झारखण्ड)	कुसुम बीज जालना (महाराष्ट्र)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1991	1034	1043	1135	2641	1088	650	1187	1054
1992	902	950	1152	3078	955	821	1092	939
1993	933	960	1297	2475	930	670	1261	819
1994	1057	1094	1501	2185	1129	917	1528	962

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1995	1322	1217	1772	2385	1224	927	1492	1080
1996	1279	1162	2010	3104	1168	955	1391	1046
1997	1214	1178	1313	3675	1145	1077	1146	1060
1998	1368	1795	1513	3146	1345	1001	1421	1579
1999	1331	1616	1942	3833	1107	880	2050	1332
2000	1378	1221	1817	2525	1079	940	1870	1040
2001	1218	1250	1526	2335	1314	998	1459	1182

राष्ट्रीय कृषि नीति संबंधी प्रस्ताव

120. **श्री चन्द्र भूषण सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कृषि नीति के संबंध में 20 प्रतिशत की बजटीय सहायता और इस क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल ऋण में से 25 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने के साथ कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

121. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 सितम्बर, 2002 के दैनिक ''पंजाब केसरी'' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार को यह जानकारी है कि देश में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग अब भी चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा शिकायतें प्राप्त किए जाने के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) सिविल रिट याचिका संख्या 2677/85 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नोडल एजेंसी की निगरानी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार (एन सी टी), दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) को अनुपालन न करने वाले/आवासीय क्षेत्रों अथवा मण्डलों में काम करने वाली सभी प्रदूषक इकाइयों को बन्द करने के निदेश दिए गए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में न्यायालय द्वारा गठित नोडल एजेंसी द्वारा ''एफ'' श्रेणी के 27 औद्योगिक कार्यकलाप अभि-निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा ''एफ'' श्रेणी के 33 औद्योगिक कार्यकलाप अभिनिर्धारित किए गए। दिल्ली के अनुपालन न करने वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही सभी अभि-निर्धारित औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया गया है।

वर्ष 1996 में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली के अनुपालन न किए जाने वाले क्षेत्रों में ''एफ'' श्रेणी की 38,936 औद्योगिक इकाइयां चल रही थी। इन इकाइयों में से एफ/27 और एफ/33 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली इकाइयों को दिल्ली में बंद कर दिया गया है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर अनुपालन न करने वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही एफ 27/33 श्रेणी के अंतर्गत 506 औद्योगिक इकाइयों को बंद कर दिया गया है।

टाटा द्वारा ताज का रखरखाव

122. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री जय प्रकाश :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'', नई दिल्ली के ''हल्ला खूब पर ताजमहल पर एक कौड़ी खर्च नहीं की टाटा समूह ने'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) टाटा समूह के साथ किये गये समझौते के नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है और उन्होंने ताजमहल के उचित रखरखाव पर कितनी धनराशि खर्च करने का वचन दिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय संस्कृति निधि के जरिये सार्वजनिक – निजी भागीदारी के अंग के रूप में, इण्डियन होटल कंपनी लिमिटेड (टाटा समूह) ने स्मारक के आस-पास पर्यावरण का विकास करने के अलावा वहां पर्यटक सुविधाओं और स्मारक के संरक्षण के लिए लगभग 1.87 करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा संस्कृति विभाग के साथ एक समझौता किया है। समझौता के अंग के रूप में, सहयोगी स्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्रों के संरक्षण, सौंदर्यकरण, जीर्णोद्धार एवं उन्नयन पर एक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक व्यावसायिक एजेन्सी बनाएंगे। इस परियोजना का कार्य महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन समिति (पी आई सी) के अनुमोदन तथा मार्गदर्शन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया जाएगा।

[अनुवाद]

कीटनाशकों की मांग/आपूर्ति

123. **श्री सी० श्रीनिवासन :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी की कीटनाशकों की राज्यवार/वर्षवार कितनी मांग और आपूर्ति रही;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में आयात किये गये कीटनाशकों का वर्षवार/कीटनाशकवार/देशवार ब्यौरा क्या है और इनका कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) क्या स्वदेशी कीटनाशकों की तुलना में आयात किये गये कीटनाशकों में अधिक मात्रा में विषैले रसायन पाये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में कीटनाशकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) महोदय, पिछले तीन वर्षों के दौरान कृमिनाशियों की मांग एवं आपूर्ति (खपत) (राज्य-वार तथा श्रेणीवार) का ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कृमिनाशियों का ब्यौरा उनकी आयातित मात्रा सहित (वर्ष-वार/कृमिनाशी-वार/देश-वार) विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक के लिए
कृमिनाशियों की राज्य-वार मांग

(मी० टन तकनीकी ग्रेड)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7000	4054	4000
2.	असम	260	260	260
3.	अरुणाचल प्रदेश	19	17	16
4.	बिहार	924	919	945
5.	गुजरात	5000	4361	4116
6.	गोवा	4	6	5
7.	हरियाणा	5030	5025	5020
8.	हिमाचल प्रदेश	205	239	330

1	2	3	4	5
9.	जम्मू-कश्मीर	115	100	86
10.	झारखंड	0	0	0
11.	कर्नाटक	2600	2600	2800
12.	केरल	1168	1096	1178
13.	मध्य प्रदेश	1299	1679	1486
14.	महाराष्ट्र	3942	3886	3701
15.	मणिपुर	21	21	15
16.	मेघालय	18	9	8
17.	मिजोरम	13	13	12
18.	नागालैंड	10	9	12
19.	उड़ीसा	1006	1005	1060
20.	पंजाब	7100	7400	7400
21.	राजस्थान	3300	3250	3225
22.	सिक्किम	5	5	5
23.	तमिलनाडु	2882	2733	2676
24.	त्रिपुरा	30	30	25
25.	उत्तर प्रदेश	7400	7200	7100
26.	उत्तरांचल	0	0	0
27.	पश्चिमी बंगाल	4626	4409	4400
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	6	6	4
29.	चंडीगढ़	3	4	2
30.	दिल्ली	64	60	62
31.	दादरा और नागर हवेली	4	4	5
32.	दमण और दीव	1	1	1
33.	लक्षद्वीप	2	2	2
34.	पांडिचेरी	78	61	65
	कुल	54135	50464	50022

स्रोत :- 1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

2. आदान संबंधी अंचलीय सम्मेलन

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक के दौरान विभिन्न राज्यों में कृमिनाशियों की आपूर्ति/खपत

(मी० टन तकनीकी ग्रेड)

क्रम सं०	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4054	4000	3850
2.	असम	260	245	237
3.	अरुणाचल प्रदेश	17	13	17
4.	बिहार	832	853	890
5.	गुजरात	3646	2822	4100
6.	गोवा	4	6	5
7.	हरियाणा	5025	5025	5020
8.	हिमाचल प्रदेश	385	302	311
9.	जम्मू-कश्मीर	26	1	4
10.	झारखंड	0	150	36
11.	कर्नाटक	2484	2020	2500
12	केरल	1069	754	1345
13.	मध्य प्रदेश	1528	871	714

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	3614	3239	3135
15.	मणिपुर	21	20	14
16.	मेघालय	8	6	6
17.	मिजोरम	19	8	26
18.	नागालैंड	10	8	7
19.	उड़ीसा	998	1006	1018
20.	पंजाब	6972	7005	7200
21.	राजस्थान	2547	3040	4628
22.	सिक्किम	0	4	2
23.	तमिलनाडु	1685	1668	1576
24.	त्रिपुरा	17	11	16
25.	उत्तर प्रदेश	7459	7023	6951
26.	उत्तरांचल	0	99	105
27.	पश्चिमी बंगाल	3370	3250	3180
28.	अंदमान और निकोबार द्वीप	5	3	2
29.	चंडीगढ़	4	2	1
30.	दिल्ली	62	55	58
31.	दादरा और नागर हवेली	2	6	4
32.	दमण और दीव	1	2	2
33.	लक्षद्वीप	1	2	2
34.	पांडिचेरी	70	65	58
	कुल	46195	43584	47020

स्रोत :- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (अंचलीय सम्मेलन)

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों (1999-2002) के दौरान मांग व आपूर्ति (खपत) (श्रेणी-वार)

(मी० टन तकनीकी ग्रेड)

क्र०सं०	कृमिनाशी श्रेणी	1999-2000		2000-01		2001-02	
		मांग	आपूर्ति (खपत)	मांग	आपूर्ति (खपत)	मांग	आपूर्ति (खपत)
1.	कीटनाशी	33,215	28,926	30,593	26,756	30,485	28,500*
2.	फफूंदनाशी	10,927	8,435	10,710	8,307	10,104	8,500*
3.	खर पतवार नाशी	7,546	7,369	7,318	7,299	7,528	7,500*
4.	अन्य	2,445	1,465	1,843	1,222	1,905	2,520*
	कुल :	54,133	46,195	50,464	43,584	50,022	47,020

*अनुमानित

विवरण-IV

वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक के दौरान कृमिनाशियों का आयात

(कृमिनाशी-वार, वर्ष वार, देश-वार)

(मी० टन तकनीकी ग्रेड)

क्रमांक	कृमिनाशी	1999-2000	2000-01	2001-02	देश का नाम जिससे आयात किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	एल्ड्रिन	496	1043	864	चीन, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यू०के०, यू०एस०ए०, रशिया, थाइलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, आस्ट्रिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात आदि
2.	एलीथ्रिन	110	50	26	फ्रांस, इटली, जापान, नेपाल, सिंगापुर, यू०के०, यू०एस०ए०
3.	क्लोर्डेन	–	–	–	यू०एस०ए०, चीन
4.	क्लोरबैन्जीलेट	20	–	–	इन्डोनेशिया
5.	साइपरमीथ्रिन	–	35	33	यू०एस०ए०, बेल्जियम, जर्मनी
6.	डी०डी०टी०	–	–	–	जर्मनी
7.	डाइमेथोएट	–	1	6	यू०के०, चीन, फ्रांस, इन्डोनेशिया, स्विटजरलैण्ड,
8.	एण्डोस्यूलफेन	62	–	–	यू०के०
9.	मैलाथायान	–	–	–	डेनमार्क
10.	मैथिल पैराथायान	361	335	755	चीन, डेनमार्क, स्विटजरलैण्ड, हांग कांग, जापान, दक्षिण कोरिया
11.	सिनथेटिक पैराथ्रॉग	4	1	0.39	जापान, फ्रांस, सिंगापुर
12.	अन्य	1977	731	2270	चीन, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नेपाल, रशिया, यू०के०, यू०एस०ए०, इज्राइल, जिम्बाबवे, नीदरलैण्ड
13.	मानेब	18	63	322	ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यू०के०, यू०एस०ए०, जापान, कोरिया, स्वीडन
14.	सोडियम पैंदा क्लॉरोफिनेट	–	3	–	फ्रांस
15.	थाहरैम	–	–	2	चीन
16.	जिनेव	11	–	–	यू०के०
17.	अन्य	230	157	431	चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, स्पेन, यू०के०, यू०एस०ए०, वियतनाम, हंगरी

1	2	3	4	5	6
18.	जिबरैलिक ऐसिड	4	4	3	चीन, यू०एस०ए०, हंगरी, हांग कांग, स्विटजरलैण्ड
19.	आइसोप्रोट्यूरोन	–	–	–	फ्रांस
20.	एम०सी०पी०ए०	230	357	432	चीन, फ्रांस, जर्मनी, यू०के०, यू०एस०ए०, इटली, आस्ट्रेलिया
21.	2, 4-डी	–	–	–	इटली, नार्वे
22.	अन्य	1416	2600	1241	चीन, फ्रांस, इटली, जार्डन, यू०एस०ए०, यू०के०, जापान, इज्राइल, जर्मनी, बेल्जियम आदि
23.	एल्यूमिनियम फास्फाइट	–	–	2	इटली
24.	कैल्सियग साइनाइट	11	–	–	जापान
25.	मैथिल ब्रोमाइड	76	229	195	फ्रांस, इज्राइल, कोरिया, यू०के०, यू०एस०ए०, इन्डोनेशिया
26.	अन्य	354	326	658	चीन, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, यू०के०, यू०एस०ए०, मोरक्को, ग्रीस
	कुल :	5380	5935	7240	

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में भारत और अफ्रीका के बीच समझौता

124. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने कृषि क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए निजी एयरलाइनों की उड़ानें

125. श्री पी०आर० किन्डिया :
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निजी घरेलू एयरलाइनों को उड़ान भरने की अनुमति प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालन घाटा

126. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 12 अगस्त, 2002 के "द स्टेट्समेन" में "ए०आई०, आई०ए० इनकर आपरेटिंग लासिज आन एयरक्राफ्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार इंडियन एयरलाइंस (आईए)

और एअर इंडिया (एआई) अपने अधिकांश मार्गों पर संचालित घाटे उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने इन घाटों से निपटने की कोई रणनीति अपनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जबकि एअर इंडिया को इसके अधिकांश मार्गों पर प्रचालन हानियां हो रही है। तथापि, अंतर्देशीय हब और स्पोक सम्पर्क को छोड़कर सभी मार्गों पर कैश सरप्लस हो रहा है। इंडियन एयरलाइंस के मामले में, कुल 157 सेवाओं में से 101 सेवाओं पर वर्ष 2001-2002 में रोकड़ लाभ अर्जित हुआ है।

(ग) और (घ) एयरलाइनों के कार्य-निष्पादन की संवीक्षा इसके सम्पूर्ण नेटवर्क के संदर्भ में की जाती है जिसमें अधिकांश मार्गों पर लाभ होना चाहिए तथा कुछ मार्गों पर हानि उठानी पड़ सकती है। तथापि, दोनों एयरलाइनों का लगातार यह प्रयास रहता है कि वह अपने संसाधनों के इष्टतम उपयोगिता से अपने वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन में सुधार करे। दोनों एयरलाइनों द्वारा उठाए जाने वाले कुछ कदमों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

एअर इंडिया (1) ड्राईलीज के माध्यम से अतिरिक्त ए 310 विमान क्षमता लगाई जा रही है; (2) खाड़ी के लिए कम दूरी की उड़ानों पर 747 विमान के स्थान पर ए 310 विमान प्रचालित किया जा रहा है; (3) लोड फैक्टर को बढ़ाने के लिए सेक्टरों को जोड़ा जा रहा है जिससे लागत में कमी तथा राजस्व में वृद्धि हो रही है; (4) पुराने एबी 4 विमानों को हटा दिया गया है तथा इनके स्थान पर ए 310 विमानों को लगाया गया है तथा (5) अधिक ईंधन की खपत वाले तीन पुराने 747-200 विमानों को प्रचालन से हटा लिया गया है।

इंडियन एयरलाइंस (1) कम्परीहैंसिव बजटीय नियंत्रण प्रणाली; (2) लागत लाभ विश्लेषण; (3) "फ्लैक्सी फेयर पॉलिसी" को लागू करना; (4) किराया वृद्धि; (5) बेहतर विमान बेड़ा तथा अन्य संसाधन उपयोगिता; (6) कारोबार/ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार; (7) विपणन पहल; और (8) लागत नियंत्रण तथा आर्थिक उपाय।

सुपारी के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना

127. **श्री पी०सी० थामस : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सुपारी के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुपारी किसान अपनी उपज के बहुत कम मूल्य के कारण संकट का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान सुपारी के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुपारी के संबंध में बाजार हस्तक्षेप हेतु वित्तीय सहायता के लिए इस योजना पर की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने जनवरी से जून, 2003 मौसम के लिए सुपारी (चाली) के लिए मण्डी हस्तक्षेप की स्कीम प्रस्तुत की है। केरल सरकार ने इस मौसम के दौरान 65 रुपये प्रति कि०ग्रा० के मण्डी हस्तक्षेप मूल्य पर 9000 मीटरी टन सुपारी की खरीद का प्रस्ताव किया है। स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन पर होने वाले नुकसान की 50 प्रतिशत राशि का वहन करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) प्रस्ताव के अनुसार मई/जून, 2002 के मास में केरल में सुपारी (चाली) के साम्प्रतिक मण्डी मूल्य, 6500 रुपये प्रति क्विंटल सुपारी (चाली) की उत्पादन लागत के मुकाबले, लगभग 3905-3779 रुपये प्रति क्विंटल के थे। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 के दौरान सुपारी के औसत मूल्य क्रमश: 6016, 6408, 8116, 11826 तथा 6512 रुपये रहे हैं।

(ङ) राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव में वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन के आंकड़े तथा प्रतिशत उत्पादन तथा 2003 मौसम के लिए अनुमानित मूल्य नहीं भेजे हैं स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य में मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के कार्यान्वयन पर निर्णय लेने के लिए यह सूचना अपेक्षित है। राज्य सरकार से यह सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

समवर्ती सूची में पर्यटन

128. **श्री अशोक ना० मोहोल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा पर्यटन को समवर्ती सूची में लाने के प्रस्ताव के एक वर्ष बाद भी कुछ राज्य इस पर अब तक सहमत नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य कौन-कौन से हैं और इसके लिए राज्यवार कौन-कौन से कारण प्रस्तुत किए गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में इस संबंध में राज्य पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें चर्चा किये गये मुद्दों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) संविधान की समवर्ती सूची में "पर्यटन" को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त न करने के कारणों सहित राज्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) 5 सितम्बर, 2002 को नई दिल्ली में हुए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किए गए मुद्दों में से एक मुद्दा "पर्यटन" को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जाना था। ऐसे सभी राज्य, जो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं, से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निर्णय पर पुन: विचार करें।

विवरण

उन राज्यों के नाम, जो प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए हैं

क्रमांक	राज्य का नाम	प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त न करने का कारण
1.	आन्ध्र प्रदेश	राज्य सरकार को और अधिक स्वायत्ता की आवश्यकता है और इसीलिए सुझाव का विरोध किया गया है।
2.	हरियाणा, कर्नाटक और पंजाब	राज्य सरकारों ने "पर्यटन" को भारतीय संविधान की राज्य सूची में स्थान दिए जाने का निर्णय लिया है।
3.	जम्मू-कश्मीर	राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है।
4.	केरल	केरल सरकार का मत है कि यथाप्रस्तावित "पर्यटन" को यदि समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है तो, राज्य सरकार, राज्य विषयों की अपनी मुख्य हिस्सेदारी से अपना कानूनी अधिकार खो देगी।
5.	मध्य प्रदेश	राज्य सरकार कानूनी मामले यथा आतिथ्य उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, परिवहन क्षेत्र में लगाए जाने वाले कर, राज्य पुरातत्व स्मारकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों/नियमों, होटल, रिजार्ट इत्यादि के निर्माण से संबंधित कानून/नियमों, पर से अपना कानूनी अधिकार खो देगी इसका विरोध किया गया है।
6.	तमिलनाडु	राज्य सरकार का मत है कि चूंकि राज्य सूची में पर्यटन से संबंधित बड़ी संख्या में योजनाएं हैं, अत: समवर्ती सूची में पर्यटन को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी जा सकती।
7.	महाराष्ट्र	आज की तारीख तक कोई उत्तर नहीं।
8.	राजस्थान	आज की तारीख तक कोई उत्तर नहीं।

वन भूमि का गैर वन-भूमि में परिवर्तन

129. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अब तक गैर वन-भूमि के रूप में परिवर्तित वन-भूमि का कोई लेखा जोखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का रवैया क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) वनभूमि के किसी गैर-वानिकी प्रयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना अपेक्षित है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए 31.10.2002 तक 576090 हैक्टेयर वनभूमि के वनेतर प्रयोग के कुल 8015 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। इसमें आंध्र प्रदेश के 22626 हैक्टेयर वनभूमि के 184 प्रस्ताव शामिल हैं। अनुमोदित प्रस्तावों की राज्यवार सूची और गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए दी गई वनभूमि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए दी गई गई वनभूमि (हैक्टेयर)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	184	22626
2.	अरुणाचल प्रदेश	64	2491
3.	असम	119	1653
4.	बिहार	102	5979
5.	छत्तीसगढ़	176	15929
6.	गोवा	50	389
7.	गुजरात	583	52657
8.	हरियाणा	312	1582
9.	हिमाचल प्रदेश	356	4905
10.	जम्मू-कश्मीर	8	1286
11.	कर्नाटक	296	32408
12.	केरल	134	30993
13.	मध्य प्रदेश	518	228019
14.	महाराष्ट्र	1185	75650
15.	मणिपुर	9	247
16.	मेघालय	61	356
17.	मिजोरम	42	8528
18.	उड़ीसा	265	27055
19.	पंजाब	437	2532
20.	राजस्थान	268	12707
21.	सिक्किम	48	623
22.	तमिलनाडु	225	4138
23.	त्रिपुरा	91	2315
24.	उत्तर प्रदेश	180	6484
25.	उत्तरांचल	2087	22930
26.	पश्चिमी बंगाल	77	9217
27.	अंदमान और निकोबार द्वीप	51	2223
28.	दादरा और नागर हवेली	87	168
	योग	8015	576090

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन

130. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लोगों से पूशओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने हेतु पशुओं के प्रति अच्छा व्यवहार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। पशुओं के प्रति नैतिक व्यवहार के लिए लोगों ने पशुओं

के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने का सुझाव दिया है ताकि पशुओं के प्रति क्रूरता के लिए दंड को बढ़ाया जा सके।

(ग) और (घ) वर्तमान में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

131. **श्री के० येरननायडू :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश खनिज विकास निगम की भिमिली समुद्र तट परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर मैसर्स इण्डियन रेयर अर्थस लि० की भिमिली बीच सैन्ड खनन परियोजना पर पुनः विचार किया गया था और इस पर परियोजना प्राधिकारियों से बात-चीत की गई थी। परियोजना प्राधिकारियों से जून, 2002 में मांगी गई अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) को सुचारू बनाया जाना

132. **श्री अधीर चौधरी :** क्या नागर **विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए०ए०आई०) में अध्यक्ष का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त पद को कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद 1 जनवरी, 2002 से रिक्त है। अध्यक्ष पद के लिए चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया समय पर आरंभ हो गई थी, परन्तु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की लेटर पेटेंट अपील संख्या 234/2001 में दिए गए आदेशों के अनुपालन के लिए कुछ अपेक्षाओं के कारण इसमें विलंब हुआ।

(ग) और (घ) माननीय न्यायालय के आदेशों के तहत अपेक्षाओं के मद्देनजर, इस पद को भरने में लगने वाले समय का अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सबसे वरिष्ठतम सदस्य को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष पद का कार्य एवं दायित्व सौंपा गया है तथा प्राधिकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

वरीयता क्षेत्र में पर्यटन को शामिल किया जाना

133. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राथमिकता क्षेत्र में पर्यटन को शामिल करने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र की परिभाषा का विस्तार करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटन क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान करने के प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिया जायेगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, पर्यटन विभाग ने वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि पर्यटन उद्योग को, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण हेतु, पात्र बनाया जाए।

[हिन्दी]

गंगा नदी में पानी की उपलब्धता

134. **डा० मदन प्रसाद जायसवाल :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी के बह रहे जल की अनुमानित मात्रा क्या है;

(ख) सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अलग-अलग कितनी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है;

(ग) समुद्र में कितनी मात्रा में अप्रयुक्त जल बह जाता है; और

(घ) जल के लाभकारी उपयोग के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा लगाए गए आकलन के अनुसार, गंगा बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह 525 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है। यह आकलन किया गया है कि इसमें से 250 बिलियन क्यूबिक मीटर इस्तेमाल किए जाने योग्य है।

वर्ष 2000 के लिए विभिन्न प्रयोजनों के वास्ते उपयोग का आकलन इस प्रकार है:-

(i) सिंचाई : 150764 मिलियन क्यूबिक मीटर

(ii) पेय : 7900 मिलियन क्यूबिक मीटर

(iii) उद्योग : 5870 मिलियन क्यूबिक मीटर

(तापीय व नाभिकीय विद्युत केन्द्रों सहित)

(घ) गंगा नदी के जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कई जल संसाधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उनका प्रस्ताव किया गया है। इसे अलावा भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों को जल का हस्तांतरण करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है।

[अनुवाद]

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की घोषणा में विलंब

135. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम०एस०पी०) की घोषणा विलंब से किए जाने के कारण किसानों की दयनीय दशा ने बुआई मौसम से पहले ही इसकी घोषणा किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई निर्धारित की गयी है; और

(ग) फसलों की परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम यदि कोई है, उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बुवाई मौसम से पहले घोषित करना सरकार की जिम्मेदारी है ताकि किसान निवेश निर्णय ले सकें। तथापि, कुछ वर्षों में मूल्यों की घोषणा में प्रशासनिक कारणों से कुछ देरी हुई है।

(ग) सरकार फसल विविधीकरण की आवश्यकता को समझती है तथा इस मामले पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। फसलों के विविधीकरण का अर्थ केवल फसल बदलना ही नहीं है। वरन इसमें बागवानी फसल, पशुधन, डेयरी तथा मात्स्यिकी भी शामिल है। फसल विविधीकरण की प्राप्ति हेतु समर्थनकारी उपायों में विपणन में सुधार, विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बीच संतुलन, फसल बीमा, वन/कृषि वानिकी, अधिक उत्पादकता देनेवाली तथा रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास, और विभिन्न स्कीमों का दीर्घावधिक समेकन करके मृदा एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है।

[हिन्दी]

नदियों के स्रोतों का सूखना

136. **डा० चरणदास महंत :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नदियों के स्रोतों के सूखने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त कारणों से कौन-कौन से राज्यों के बीच विवाद है;

(ग) उड़ीसा द्वारा बस्तर की इन्द्रावती नदी के जल प्रवाह को रोकने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप बस्तर में स्रोत सूखते जा रहे हैं;

(घ) क्या कोई पारिस्थितिकीय अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) नदियों का सूख जाना विभिन्न कारकों जैसे पिछले मानसून के दौरान जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा की स्थिति पर निर्भर करता है। जो नदियां बारहमासी अथवा हिमाच्छादित नहीं हैं। और जो भूजल, जल भृतों के द्वारा पुनर्भरित नहीं होती हैं, उनमें जल की कमी अथवा शुष्क मौसम में सूख जाने की संभावना होती है। तथापि, भूजल के अतिदोहन/कम पुनर्भरण के परिणामस्वरूप जल स्तर कम होने से भी नदियां सूख जाती हैं। जलाशय में शुष्क मौसम के जल प्रवाहों को भरने के लिए बांधों का निर्माण करना भी इन कारणों में से एक कारण है। राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में यह व्यवस्था है कि पारिस्थितिकी और सामाजिक महत्व को बनाए रखने के लिए बारहमासी नदियों में न्यूनतम जल प्रवाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ख) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी राज्यों के बीच जल विवाद है।

(ग) उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच इस समझौते के अनुसार, उड़ीसा, इन्द्रवती उप-बेसिन में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सीमा में 45 हजार मिलियन क्यूबिक फुट के निचले जल बहाव को सुनिश्चित करेगा। चूंकि मासिक मात्रा का निर्धारण नहीं किया गया है इसलिए वार्षिक प्रवाहों के मासिक वितरण और जुरानल्ला और मुख्य इन्द्रावती संरचना के निर्माण के संबंध में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के बीच मतभेद रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए पूरे प्रयास कर रही है।

[अनुवाद]

आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन०सी०सी०एफ०) से होने वाले खर्च में संशोधन

137. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों विशेषकर केरल सरकार को आपदा राहत कोष (सी०आर०एफ०) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एन०सी०सी०एफ०) से होने वाले खर्च में संशोधन करने संबंधी कोई निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय में, केन्द्रीय सरकार से आपदा राहत कोष तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से सहायता के लिए व्यय की मदें तथा प्रतिमान निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है, जो सभी राज्यों में लागू होंगे। इसमें यह भी व्यवस्था है कि विशेष मामलों में, सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्य विशिष्ट प्रतिमान भी निर्धारित किए जा सकते हैं। तदनुसार, राज्य सरकार के अनुरोध पर ''छोटे और सीमान्त किसानों के लिए विशिष्ट कुट्टानाड और कोले-लैण्ड में बांधों की तत्काल मरम्मत'' को 2000-05 की अवधि के लिए पर केरल में राज्य विशिष्ट प्रतिमानों के तहत शामिल किया गया है।

भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड (इस्को) की नये सिरे से संरचना करने संबंधी योजना

138. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड (इस्को) की नये सिरे से संरचना करने की व्यवहार्यता का आंकलन करने हेतु एम०एन० दस्तूर एंड कंपनी को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के साथ इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटैड (इस्को) के लिए पुनर्स्थापना प्रस्ताव के संबंध में बातचीत कर रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने प्रस्ताव का आकलन करने के लिए मैसर्स एम०एन० दस्तूर एंड कंपनी को एक स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख भाड़ा दर योजना (एपेक्स स्कीम) पर प्रतिक्रिया

139. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :**
श्री ए० ब्रह्मनैया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा लागू की गई ''एपेक्स फेअर स्पेशल प्रमोशनल स्कीम'' को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस एपेक्स योजना को जारी रखने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य कौन-कौन से कदमों का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस ने एक अगस्त से 31 अक्तूबर, 2002 के बीच इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए चुनिंदा घरेलू क्षेत्रों में एडवांस परचेज योजना, एपेक्स फेयर्स शुरू की गई थी। बाजार सकारात्मक रूझान को देखते हुए इस स्कीम को 1 नवम्बर, 2002 से 31 मार्च, 2003 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) योजना को और अधिक ग्राहक-सुलभ बनाने तथा इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए इंडियन एयरलाइंस ने एपेक्स फेयर्स योजना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। ब्यौरा इस प्रकार हैं :-

(i) योजना के शुरू होने के समय में, यात्री को अपने प्रस्थान के समय से कम से कम 21 दिन पहले पुष्टिकृत टिकट खरीदना पड़ता था। यद्यपि, स्कीम की बढ़ाई गई अवधि अर्थात् 1 नवम्बर, 2002 से शर्त में परिवर्तन किया गया है और अब यात्री प्रस्थान करने से कम से कम 15 दिन पहले पुष्टिकृत टिकट खरीद सकते हैं।

(ii) अब यात्रियों को प्रस्थान करने की तारीख से 15 दिन पहले तक एपेक्स फेयर्स पर जारी किए गए टिकट की बुकिंग/सेक्टर में अपनी इच्छानुसार बदलाव करने अथवा निरस्त/रद्द कराने की अनुमति है।

(iii) एपेक्स फेयर टिकट धारक यात्रियों को यात्रा की तारीख को प्रस्थान करने से एक घंटा पहले तक एपेक्स फेयर को सामान्य किराए में परिवर्तित करने की अनुमति है बशर्ते कि यात्री को उसी सेक्टर के लिए इंडियन एयरलाइंस की पहली उड़ान में फिर से बुकिंग दिया गया हो और सामान्य किराए के दर से फिर से टिकट जारी किया गया हो।

[हिन्दी]

पशुपालन केन्द्र

140. श्री लक्ष्मण गिलुवा :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय राज्यवार कौन-कौन से स्थानों पर पशुपालन केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन के वैज्ञानिक विकास के लिए देशभर में पशुपालन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है और इसके सम्मुख आने वाली समस्याएं क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्न उपज का परीक्षण

141. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जैव खाद, उर्वरकों, कीटनाशकों और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित खाद्यान्नों के परीक्षण के लिए कोई मानदंड निर्धारित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मानदंडों को कब तक अधिसूचित किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित खाद्यान्नों के परीक्षण के लिए विश्वसनीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो प्रयोगशालाओं द्वारा कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। खाद्य उत्पादों (खाद्यान्नों सहित) की गुणवत्ता "एगमार्क एक्ट" के तहत स्वास्थ्य विभाग, स्वाथ्य मंत्रालय में खाद्य मिलावट निरोध एक्ट के अधीन नियंत्रित की जाती हैं। इसे विपणन निरीक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अभी तक इस एक्ट के तहत खाद्यान्नों सहित 163 कृषि तथा सम्बद्ध जिंसों के गुणवत्ता मानाकों को तैयार किया जा चुका है। भारतीय मानक ब्यूरो ने सं० 4333 (भाग-I से V तक) के अनुसार खाद्यान्न परीक्षण के लिए मानकों को प्रकाशित भी किया है, जो खाद्यान्नों के विश्लेषण की विधि पर राष्ट्रीय मानक के रूप में पहले से मौजूद हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सामान्यत: उत्पादित खाद्यान्नों के लिए प्रयोगशालाएं एवं परीक्षण ढांचा पहले से ही उपलब्ध हैं। तथापि, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने भा०कृ०अ०प० के साथ संयुक्त रूप से राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, भा०कृ०अ०सं०, नई दिल्ली में पराजीनी रोपण सामग्री के लिए राष्ट्रीय कन्टेन्मेंट एवं संगरोध सुविधा

की व्यवस्था में आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य तथा उनसे बने उत्पादों में पराजीनी विशेषताओं का जल्दी पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक तकनीकों का विकास करने हेतु अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है;

(1) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर;

(2) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद;

(3) भारतीय विष विज्ञान संबंधी अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ;

(4) डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र हैदराबाद; और

(5) राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली।

उपर्युक्त बताई गई सभी प्रयोगशालाएं सुव्यवस्थित हैं तथा ये जैव-प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित खाद्यान्नों का परीक्षण करने में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।

[अनुवाद]

विशेष जमा योजना में कर्मचारी भविष्य निधि का निवेश

142. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने अपनी 1,04,000/- करोड़ रुपये की कुल परिसम्पति के 80 प्रतिशत भाग का निवेश एक विशेष जमा योजना (एस.डी.एस.) में किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कोष में 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर भी नहीं आ पायेगी क्योंकि इसकी 400 करोड़ की अधिशेष राशि समाप्त हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय (ई.पी.एफ. ओ.) द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि की कुल संग्रह निधि में से, 78.46 प्रतिशत का निवेश जमा योजना (एस०डी०एस०) में किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) के अनुसार, वर्ष 2002-2003 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर बनाई रखी जा सकती है।

सरदार सरोवर परियोजना

143. श्री रामदास आठवले : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके निर्माण पर अभी तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) उन कार्यों तथा योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :-

बांध : सरदार सरोवर बांध के स्पिलवे ब्लाकों (ब्लाक सं० 30 से 46) को 95 मीटर तक ऊपर उठाया गया है। 31 से 45 ब्लाकों पर 3 मीटर ऊंचे हम्पों का निर्माण भी किया गया है। अन्य ब्लाक 95 मीटर से अधिक की ऊंचाई के विभिन्न स्तरों पर हैं।

विद्युत गृह : नहर शीर्ष विद्युत गृह (सी एच पी एच) पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है और यूनिट के विद्युत प्रवाह का परीक्षण कर लिया गया है। नदी तल विद्युत गृह का कार्य चल रहा है तथा इसकी प्रथम यूनिट को सितम्बर, 2004 तक तैयार होने की संभावना है।

नहरें : नर्मदा मुख्य नहर के 0 से 263 कि०मी० के खण्ड में नहर कार्य लगभग पूरे कर लिए गए हैं। 263 से 357 कि०मी० के खण्ड में कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं और इसके अंतिम सिरे के संपूर्ण मुख्य नहर को जून, 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) 30.8.2002 तक सरदार परियोजना के निर्माण पर 13,232.66 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर दी गई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार को व्यय के लिए क्रमशः 9911.00 करोड़ रुपये, 1879.80 करोड़ रुपये, 890.44 करोड़ रुपये और 553.66 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार पिछले तीन वर्षों से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत और सरदार सरोवर परियोजना के विद्युत घटक के लिए संसाधन अंतराल के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है जो इस प्रकार है:-

(सी एल ए की राशि करोड़ में)

वर्ष	गुजरात सरकार (ए आई बी पी के तहत)	मध्य प्रदेश सरकार (विद्युत घटक के लिए संसाधन अंतराल)
1999-2000	267.00	18.73
2000-2001	400.00	5.05
2001-2002	480.00	—

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पारम्परिक ग्रामीण उद्योगों का पुनरुद्धार

144. **श्री रामानन्द सिंह :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में पारम्परिक ग्रामीण व्यवसायों यथा बुनाई और कताई, लोहार, बढ़ईगिरी, तेल-पिराई में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से ग्रामीण उद्योगों का पुनरुद्धार करने तथा मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के निर्गमन को रोकने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (ग) सरकार, ग्रामीण युवकों के बेहतर अवसरों की तलाश में, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रवजन को रोकने के लिए, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से, मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों में 1.4.1995 से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत के०वी०आई०सी० 10 लाख रु० तक की लागत की परियोजना के लिए 25% की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करता है। 10 लाख रु० से अधिक और 25 लाख रु० तक की परियोजना हेतु, मार्जिन मनी की दर, 10 लाख रु० का 25% जमा परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी/संस्थान तथा पहाड़ी सीमा और जनजातीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के लिए मार्जिन मनी अनुदान, 10 लाख रु० तक की परियोजना लागत का 30% है। इस राशि से अधिक और 25 लाख रु० तक यह 10 लाख रु० का 30% जमा परियोजना की शेष लागत का 10% है। इस योजना के अन्तर्गत, लाभार्थी का अंशदान, परियोजना लागत का कम से कम 10% है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के लिए, लाभार्थी का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में के.वी.आई.सी. के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत, 16779 परियोजनाएं वित्तपोषित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 165741 रोजगार अवसर सृजित हुए।

इसके अतिरिक्त सरकार ने खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए 14.5.2001 को एक पैकेज की घोषणा की थी, जोकि कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अन्तर्गत है। इस पैकेज में, पांच वर्षों के लिए छूट नीति, छूट एवं विपणन विकास सहायता का विकल्प, खादी कारीगरों को बीमा सुरक्षा, खादी उत्पादों के सुधार पर बल, पैकेजिंग एवं डिज़ाइन सुविधाओं का सृजन, विपणन संवर्धन के उपाय, ब्रांड बिल्डिंग, कलस्टर विकास आदि शामिल हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती

145. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कटौती से भविष्य निधि से बहुत अधिक अग्रिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ गयी है और निधि के प्रति आकर्षण में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निधि की सुरक्षा हेतु और इसका आकर्षण बनाये रखने के लिए कोई ठोस योजना तैयार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में बृहद्प्रबंधन अनुपूरक योजना हेतु सहायता

146. **श्री कांतिलाल भूरिया :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान मध्य प्रदेश सहकारी संस्थानों की वृहद्प्रबंधन अनुपूरक योजना के अंतर्गत अशंपूजी नान ओवर ड्यू कवर प्रदान करने के उद्देश्य से वार्षिक योजना में 12.92 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश सरकार को अपने अंश के रूप में 11.62 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करनी पड़ेगी;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अभी तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष राशि राज्य सरकार को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (घ) राज्य सरकार द्वारा तैयार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई कार्य योजना के अनुसार वृहत् प्रबन्ध योजना के तहत वित्तीय सहायता एकमुश्त निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 2002-03 के लिए 50.00 करोड़ रुपये की राशि से मध्य प्रदेश की कार्य योजना अनुमोदित की गई थी। इस कार्य योजना के अनुसार सहकारिता विभाग को 0.070 लाख रुपये के परिव्यय का आबंटन किया गया है जिसमें गैर-अतिदेय कवर स्कीन के लिए सी०सी०बी० को दीर्घावधिक ऋण सम्बन्धी घटक के लिए 0.010 लाख रुपये की राशि शामिल है।

बृहत प्रबन्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को धन वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्मुक्त किया जाता है।

कृषि एवं सहकारिता विभाग ने, कृषि प्रबन्ध योजना के वृहत प्रबन्ध के तहत वर्ष 2002-03 के लिए मध्य प्रदेश सरकार को पहली किश्त के रूप में 22.50 करोड़ रुपये तथा दूसरी एवं अन्तिम किश्त के रूप में 21.00 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निर्मुक्त कर दी है।

बिहार में पशुपालन और डेयरी विकास योजनाएं

147. **श्री सुबोध राय :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पशुपालन तथा डेयरी विकास मे संबंधित लागू की गई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं कौन सी हैं; और

(ख) 2001-2002 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में पशु नस्लों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास और पशु रोगों के उन्मूलन हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग ने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को निधियां जारी की हैं। ये निधियां जिलेवार जारी नहीं की गई हैं परन्तु राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के अनुसार हैं। पशुपालन और डेयरी विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत 2001-02 के दौरान बिहार राज्य को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	योजनाओं के नाम	2001-02 के दौरान केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि
I.	**पशुपालन क्षेत्र**	
1.	कुक्कुट/बतख फार्म के लिए राज्यों को सहायता	31.20
2.	पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	35.73
3.	व्यावसायिक दक्षता विकास	0.39
4.	पशुधन उत्पादन के लिए समेकित नमूना सर्वेक्षण	12.00
II.	**डेयरी विकास क्षेत्र**	
5.	समेकित डेयरी विकास	64.47
	कुल	143.79

[अनुवाद]

उन्नत किस्म के बीजों का आयात

148. **श्री बी०के० पार्थसारथी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीजों की कमी को पूरा करने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बीजों की कुल कितनी उन्नत किस्मों का आयात किया गया और उनके आयात पर वर्ष-वार अलग-अलग कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन बीजों के वितरण का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

द्विपक्षीय विमानसेवा समझौता संबधी नीति

149. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव राष्ट्रीय विमान सेवाओं के हितों की रक्षा के लिए द्विपक्षीय विमान सेवा नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के साथ बातचीत न करने का निर्णय लिया है;

(घ) यद हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार के पास लंबित पड़े द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा क्या है और संबंधित देश तथा विमान सेवा का नाम क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) विमान यातायात अधिकारों का, स्वाभाविक रूप से पूर्ण होने के कारण द्विपक्षीय विमान सेवा करार के माध्यम से पारस्परिकता और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए दो देशों के बीच आदान-प्रदान किया जाता है।

हाल ही में पर्यटन, आर्थिक, राजनयिक तथा रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय से परामर्श कर एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया हे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) क्षमता में बढ़ोत्तरी, नए प्वाइंटस ऑफ कॉल तथा नए विमान सेवा करार आदि पर विचार करने के लिए टर्की, पोलैंड, ट्युनिशिया, यू०के०, रूस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, केन्या, थाइलैंड, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, लीबिया, यूएई (दुबई), ओमान, बहरीन आदि जैसे अनेक देशों से द्विपक्षीय विमान सेवा पर बातचीत करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

स्क्रैप की बिक्री

150. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र तथा अन्य इस्पात संयंत्रों में कितनी मात्रा में स्क्रैप का भंडारण किया गया है;

(ख) स्क्रैप की बिक्री हेतु दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड विद्यमान है;

(ग) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में भंडारण किया गया लाखों टन स्क्रैप बिना बिका पड़ा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्क्रैप को बेचने और इस्पात संयंत्रों के लिए लाभार्जन करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

घरेलू उड़ानों में अचार लेकर जाने पर प्रतिबंध

151. **श्री श्रीनिवास पाटील :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सुरक्षा उपायों के तहत् घरेलू उड़ानों में हाथ में अचार लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया की उड़ानों में जैम, जैली और चटनी तथा शहद लेकर चलने की अभी भी अनुमति है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) हाथ में ले जाने वाले केवल उन्हीं सामानों पर प्रतिबंध लगाया गया है जिसमें हथियार/विस्फोटक छुपा कर ले जाए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

तिलहनों/दालों की फसल

152. **प्रो० रासासिंह रावत : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तिलहनों और दालों की फसल के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और उससे प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है;

(ख) क्या तिलहनों तथा दालों का उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में तिलहनों और दालों की फसल को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) तिलहन एवं दलहन के क्षेत्र तथा उत्पादन में देश में प्रचलित मौसम की स्थितियों के अनुसार वर्ष प्रति वर्ष उतार-चढ़ाव आता है। तथापि वर्ष 2001-02 के दौरान तिलहन के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 22.85 मिलियन हे० और पैदावार अनुमान 907 किलोग्राम/हेक्टेयर रहा, जबकि उक्त वर्ष के दौरान दलहन के अंतर्गत अनुमानित क्षेत्र 22.63 मिलियन हेक्टेयर और पैदावार अनुमान 598 किलोग्राम/हेक्टेयर रहा।

(ख) से (घ) तिलहन एवं दलहन का उत्पादन बढ़ती जनसंख्या और लोगों के जीवन-यापन के उच्च स्तर के अनुरूप नहीं रह पाया है। तथापि, देश में तिलहन एवं दलहन का उत्पादन बढ़ाना और उनकी मांग की पूर्ति करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं—तिलहन उत्पादन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही हैं। इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न आदानों जैसे बीजों के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनिकिटों के वितरण, उन्नत कृषि उपस्करों, छिड़काव यंत्रों, राइजोबियम कल्चर तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि के वितरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों में उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा फ्रंटलाइन प्रदर्शनों तथा राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रखण्ड प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में जल की बढ़ती आवश्यकता

153. **श्री अम्बरीश : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव जल की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्नाटक को नई प्रौद्योगिकी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) कर्नाटक सहित पूरे देश में जल की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वर्षा जल संचयन की पारम्परिक विधियां, बांधों एवं लघु टैंकों का निर्माण, पुराने टैंकों का पुनरुद्धार, वाटरशैड प्रबंधन आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। संशोधित राष्ट्रीय जल नीति, 2002 में यह भी प्रावधान है कि जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाकर, प्रदूषण कम करके तथा जल की क्षति को कम करके संसाधनों को सुरक्षित किया जाए तथा जल की उपलब्धता को बढ़ाया जाए। जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना और निष्पादन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना अर्थात कर्नाटक कम्यूनिटी बैस्ड टैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में इस प्रकार के जल संरक्षण उपायों का प्रावधान है।

कृषि क्षेत्र में पंजाब को सहायता

154. **श्री भान सिंह भौरा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब को कृषि क्षेत्र में कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या पंजाब को दी गई राशि का राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र द्वारा दी गई अप्रयुक्त निधियों का वर्ष-वार/राशि-वार विस्तृत ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन पंजाब सरकार को प्रदत्त तथा उनके द्वारा प्रयुक्त केन्द्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार था :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्मुक्त निधियां	प्रयुक्त निधियां
1999-2000	12.07	3.30
2000-2001	8.50	4.38
2001-2002	10.63	4.04

एक मुख्य स्कीम वृहत प्रबंधन स्कीम के अधीन, निधियों का उपयोग न होने का कारण वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य कृषि विभाग के लिए कार्य योजना स्कीमों को प्रशासनिक तथा वित्तीय मंजूरी न मिलना तथा वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्वीकृति निर्गत करने में देरी था।

नदियों का निजीकरण

155. **श्री सुरेश रामराव आधव :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में नदी जल का निजीकरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या किसानों के हितों की रक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) जल, राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रबन्धन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

वैशाली तथा केसरिया को बौद्ध सर्किट से जोड़ना

156. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैशाली तथा केसरिया को बौद्ध सर्किट के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) वर्ष 2002-2003 के दौरान बोधगया-राजगीर-नालंदा-वाराणसी बौद्ध परिपथ को एकीकृत विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस समय, इस परिपथ में अन्य पर्यटक स्थलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, वैशाली और केसरिया की पर्यटन संभाव्यता का ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड से इन स्थलों के लिए रेल लाइनों के निर्माण पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

रबी फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर राहत

157. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग रबी फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर राहत प्रदान करने पर विचार कर रहा है जैसा कि खरीफ फसल के मामले में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) वर्ष 2003-04 में विपणन की जानेवाली वर्ष 2002-03 की रबी-फसलों हेतु मूल्य नीति सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

पोखरण परमाणु परीक्षणों का प्रभाव

158. **श्री सईदुज्जमा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मृदा, जीव-जन्तु, मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन पर पोखरण परमाणु परीक्षणों के दीर्घावधि हानिकारक प्रभावों के संबंध में अभी तक कोई अध्ययन नहीं कराया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय स्रोतों द्वारा विश्व भर में पहले परिचालित की गई कुछ रिपोर्टों में खराब तस्वीर प्रस्तुत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की वर्तमान नीति का ब्यौरा क्या है और ऐसा अध्ययन, यदि कोई होगा तो इसे कब तक कराये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) परीक्षणों के दौरान और परीक्षणों के बाद परीक्षण स्थलों और उससे अधिक दूर तक के क्षेत्रों में भी मृदा, वनस्पतिजात और प्राणिजात के नमूनों पर रेडियो-धर्मिता को मापा गया था। सभी स्थलों पर विकिरण स्तर सामान्य स्वाभाविक स्तर के बराबर था और रेडियो-धर्मिता में कोई वृद्धि नहीं हुई थी इसलिए यह मान लिया गया कि परीक्षणों के कारण किसी प्रकार का संदूषण नहीं हुआ है। तथाकथित पड़ने वाले कुप्रभावों के लिए डाक्टरों के एक दल ने ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की भी जांच की । दल ने पाया कि विकिरणों के कारण क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ा।

काजीरंगा अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देना

159. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम पर्यटन विकास निगम ने पूर्वोत्तर रेलवे के सहयोग से काजीरंगा अभयारण्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कोई पैकेज प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है; और

(ग) काजीरंगा में प्रतिवर्ष वर्तमान पर्यटक-यातायात कितना है और पैकेज योजना के अंतर्गत कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान काजीरंगा में आए पर्यटक निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	पर्यटक आगमन	
	भारतीय	विदेशी
1999-2000	37696	1623
2000-2001	50498	1838
2001-2002	44162	2144

पैकेज योजना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में रोजगार-अनुपात

160. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996 से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में रोजगार-अनुपात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दोनों क्षेत्रों में रोजगार का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान जनसंख्या में वृद्धि के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) 1996 से बाद के वर्षों के दौरान सार्वजनिक तथा निजी संगठित क्षेत्र के रोजगार अनुपात में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्ज नहीं किए गए हैं। 1998-2000 (नवीनतम उपलब्ध) की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों का रोजगार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्षेत्र	निम्न के दौरान रोजगार (लाख में)		
	1998	1999	2000
सार्वजनिक	193.67	194.15	193.14
निजी	87.84	86.98	86.46
कुल संगठित क्षेत्र	281.50	281.13	279.60

(ग) 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 1991-2001 के दौरान जनसंख्या में वार्षिक औसत वृद्धि दर 2.13% के लगभग थी।

भारत में अवतरण और नौ-संचालन लागत

161. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती प्रभा राव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तनों पर अवतरण और नौ-संचालन की लागत विकसित देशों के अधिकतर विमानपत्तनों की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या इस ऊंची लागत से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया की संचालन लागत पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है;

(ग) कुछ अन्य विमानपत्तनों पर अवतरण और नौ-संचालन लागत के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(घ) इस लागत को अन्य विमानपत्तनों के समान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) जहां तक अवतरण और उड़ान भरने का संबंध है, बी-747 विमान के लिए प्रभारों के रूप में, भारत का रैंक 224 हवाई अड्डों में से 115 है। भारतीय हवाई अड्डों पर प्रभार 2,285 अमरीकी डालर है जबकि फ्रकफर्ट हवाई अड्डे जर्मनी पर उच्चतम प्रभार 10,292 अमरीकी डालर है जबकि 101 अमरीकी डालर का न्यूनतम प्रभार बी-747 विमान के लिए ग्यूनिया बिसाऊ हवाई अड्डे के लिए है। भारत द्वारा 100 से 2000 नॉटिकल मील की दूरी के आधार पर मार्ग दिक्चालनात्मक सुविधाप्रभार के रूप में 8040 रु० से लेकर 27451 रुपए वसूले जाते हैं जबकि बी-747 विमान के लिए आस्ट्रेलिया में (5258 रुपए से 105162 रुपए), ब्राजील में (11141 रुपए से 222824 रुपए), कनाडा में (3824 रुपए से 76472 रु०) तथा यूरो कंट्रोल में (11876 रु० से 237520 रुपए) तक वसूले जाते हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार कम हैं। तथापि, यातायात के स्तर तथा गैर यातायात राजस्व स्रोतों से अर्जन के अनुसार प्रभारों में अंतर (भिन्नता) रहता है।

अक्तूबर, 2002 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ से परामर्श करके तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके अपने दिक्चालनात्मक प्रभारों के ढांचे में परिवर्तन करके इसे भार के आधार के स्थान पर भार-व-दूरी के आधार पर तैयार किया है जिससे अंतर्देशीय विमान कम्पनियों को लगभग 20 प्रतिशत तक का लाभ हुआ है।

कर्नाटक द्वारा काबिनी जलाशय के जल का उपयोग

162. **श्री इंकबाल अहमद सरडगी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने खड़ी फसलों को बचाने के लिए काबिनी जलाशय में न्यूनतम स्तर से नीचे जल का उपयोग करने हेतु कोई आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कोई सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कर्नाटक राज्य काबिनी जलाशय में न्यूनतम ड्रा डाऊन स्तर तथा डेड भण्डारण स्तर के बीच उपलब्ध भण्डारण से गर्मी के महीनों में सिंचाई कार्यों के लिए नियमित रूप से जल निकालता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

झारखंड में अधिसूचित वन क्षेत्र

163. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में कोई अधिसूचित वन क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन कारणों को दूर करने हेतु कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) झारखण्ड में अधिसूचित वन क्षेत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

आरक्षित वन	–	4,387.20 वर्ग कि०मी०
सुरक्षित वन	–	19,184.78 वर्ग कि०मी०
अवर्गीकृत वन	–	33.49 वर्ग कि०मी०
कुल	–	23,605.47 वर्ग कि०मी०

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन नक्शे पर भेड़ाघाट

164. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी :** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेड़ाघाट, संगमरमर की खानों के लिए विश्वविख्यात, की पर्यटक महत्ता के मद्देनजर, इसे खजुराहो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और मोंगली लैंड पेंच अभयारण्य के साथ पैकेज यात्रा में रखने पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को भेड़ाघाट की ओर आकर्षित करने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) और (ख) स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मांग पर, यात्रा प्रचालकों/यात्रा अभिकर्ताओं द्वारा पैकेज टूअर संवर्धित/बेचे जाते हैं। वर्तमान में, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, खजुराहो, कान्हा राष्ट्रीय पार्क और जबलपुर के निकट भेड़ाघाट (मार्बल रॉक) के पर्यटक गंतव्य स्थल सहित, मध्य प्रदेश से बाहर स्थित अपने सेटेलाइट कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न पैकेज टूअरों का प्रचालन कर रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली विमानपत्तन को बंद किया जाना

165. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर 2002 के दौरान सुबह के समय दिल्ली विमानपत्तन को भारतीय वायु सेना के समारोह को सुगम बनाने के लिए बंद किया गया था;

(ख) क्या इसे बंद करने के कारण हजारों यात्रियों को असुविधा हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) प्रत्येक वर्ष अक्तूबर में मनाये जाने वाले वायु सेना दिवस के अवसर पर भारतीय वायु सेना द्वारा सैरीमोनियल फ्लाई पास्ट निकाली जाती है। इसके कारण दिल्ली हवाई अड्डे के वैमानिक क्षेत्र को 3-4 दिन के लिए प्रात:काल में बंद कर दिया जाता है। अक्तूबर 2002 में इस वर्ष भी इस कारण से कुछ दिनों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे को बन्द कर दिया गया था।

(ख) और (ग) इस अवधि के दौरान प्रचालनों के लिए अनुसूचित कुछ उड़ानें इसे बंद करने के कारण प्रभावित होती है। तथापि चूंकि इस संबंध में अग्रिम रूप से अनुदेश जारी कर दिए जाते हैं, उड़ानों को तदनुसार पुन:निर्धारण किया जाता है। इसलिए यात्रियों को बहुत कम असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

[हिन्दी]

पशु पालन

166. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि क्षेत्र में लगे अधिकांश किसान और अन्य लोग पशुपालन के जरिए अपनी आजीविका जुटाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सकल राष्ट्रीय आय में पशुपालन की हिस्सेदारी 6.5 प्रतिशत आंकी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अन्य तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र के विकास के लिए नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अलग-अलग औसतन कितना वार्षिक आबंटन किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा कराए गए आदान सर्वेक्षण (1991-92) के अनुसार देश में कृषि प्रचालनात्मक जोतों के पास कुल 438 मिलियन पशुधन था।

पशुधन संगणना, 1992 के अनुसार देश में 15.10.1992 तक कुल पशुधन संख्या 471 मिलियन थी जिसमें वह पशुधन भी शामिल था जो कृषि कार्य में नहीं लगे हुए लोगों द्वारा रखा गया था।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के अनुसार 2000-01 में चालू कीमत पर पशुधन क्षेत्र का हिस्सा कुल सकल घरेलू उत्पाद में 6.17 प्रतिशत था।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए किया गया कुल औसत वार्षिक आबंटन 309 करोड़ रुपए था जो दसवीं योजना में 347 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

बागवानी का विकास

167. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में प्लास्टिक के जरिये बागवानी के विकास हेतु कोई योजना चलाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की योजना किन-किन राज्यों में चलाई गई है;

(ग) क्या कर्नाटक में इस प्रकार की कोई योजना चलाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब से चलाई गई है और गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत बागवानी के विकास के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार ने सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम आठवीं योजना के दौरान शुरू की। यह स्कीम प्लास्टिकल्चर हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी का विकास नामक शीर्षक के अधीन अक्तूबर 2000 से नौवीं योजना के दौरान भी चालू रही। इस स्कीम को कृषि में वृहत् प्रबंधन – कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों में सहयोग/सहायता पर केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विलय कर दी गयी। इस स्कीम के अधीन राज्य सरकार अपनी अनुभूत जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यक्रम की प्राथमिकता तय कर सकती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। यह स्कीम कर्नाटक में आठवीं एवं नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वित की गई। राज्यों और कर्नाटक को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	प्रदत्त राशि (लाख रु०)		अभ्युक्ति
	सभी राज्य एवं संघशासित क्षेत्र	कर्नाटक	
1999-2000	9510.0	2372.45	प्लास्टिकल्चर स्कीम के अधीन
2000-01	1820.0	248.98	-तदैव-
	37888.0	42222.0	वृहत् प्रबंधन स्कीम के अधीन
2001-02	63123.0	5850.00	वृहत् प्रबंधन स्कीम के अधीन

श्रम सुधार

168. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

श्री सी० कुप्पुसामी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक श्रम सुधारों के संबंध में अनिर्णय की स्थिति को दूर करने में असफल रही जैसा कि दिनांक 19 अक्तूबर, 2002 के 'पायनियर' में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) श्रमिक संघ के नेताओं के साथ हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री की श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ 18 अक्तूबर को हुई बैठक विभिन्न पणधारियें के विचार जानने एवं उनका मूल्यांकन करने और द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु शुरू की गई कार्रवाई की स्थिति का जायजा लेने के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में, श्रमिक संघों ने श्रम कानूनों में संशोधन, श्रम सुधारों, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट, आर्थिक नीति की समीक्षा, विनिवेश नीति, बोनस की उच्चतम सीमा, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, बेरोजगारी आदि जैसे मुद्दे उठाये।

श्रम कानूनों की मौजूदा स्थिति और अर्थ व्यवस्था की उभर रही जरूरतों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से श्रम कानूनों की समीक्षा/इन्हें अद्यतन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कानूनों की समीक्षा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल श्रम, कौशल विकास, श्रम प्रशासन, असंगठित क्षेत्र आदि को शामिल किया है। सरकार ने त्रिपक्षीय परामर्शों की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर व्यवहार्य सहमति बनाने के लिए सामाजिक भागीदारों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है।

मुम्बई के निकट नया विमानपत्तन

169. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के निकट नया विमानपत्तन विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसके वित्त-पोषण का स्रोत क्या है; और

(ङ) इससे कितना लाभ होने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ङ) 3230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नवी मुम्बई में दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के निर्माण के लिए महाराष्ट्र के शहर तथा औद्योगिक विकास निगम (सिडको) द्वारा तैयार की गई तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

स्थायी विकास पर विवाद

170. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पृथ्वी के स्थायी विकास के संबंध में दस्तावेज को अंतिम रूप दिए जाने के बाद भी पुन: प्रयोज्य स्रोतों से उत्पादित विद्युत के उत्पादन में वृद्धि जैसे लक्ष्यों वाले अनेक मुद्दे बगैर सुलझे रह गए और विवाद का विषय बने रहे;

(ख) यदि हां, तो उन विषयों एवं मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर बराबर विवाद बना रहा; और

(ग) विकासशील राष्ट्रों के लाभ और विश्व के स्थायी विकास को सुनिश्चित करने हेतु इन मुद्दों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) उन्नत एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करके ऊर्जा आपूर्ति के विविधिकरण और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एक लक्ष्य रखे जाने संबंधी प्रश्न पर विस्तार से बहस की गई थी। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2000 को आधार मान कर 2010 तक नवीकरणीय ऊर्जा का विश्वव्यापी लक्ष्य 2% रखे जाने पर जोर दिया। अपने ऊर्जा प्रदाता संसाधनों के आधार पर समूह 77 तथा कुछ अन्य विकसित देश उनकी समस्त ऊर्जा आवश्यकता में नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी के संबंध में स्पष्ट वचनबद्धता स्वीकार करने के प्रति सतर्क थे। इस मुद्दे को विश्व, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने संबंधी मजबूत और स्पष्ट प्रमाण देकर सुलझाया गया। भारत, विकसित देशों को एक चरणबद्ध ढंग से नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाने के लिए विकासशील देशों की आवश्यक वित्तीय एवं तकनीकी संसाधनों के साथ सहायता करने के लिए सहमत करने में सफल रहा।

आई०सी०जे०एफ० द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण की मांग

171. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया क्लाइमेट जस्टिस फोरम (आई०सी०जे०एफ०) के कार्यकर्ताओं जिसमें विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, ने जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए भूमि, वन एवं मागरों पर जनता के नियंत्रण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो आई०सी०जे०एफ० द्वारा की गई मांगों एवं लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले पर ध्यान देने और मैत्रीपूर्ण ढंग से मुद्दों को हल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) क्लाइमेट जस्टिस फोरम (सी०जे०एफ०) ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ताएं मुख्यतया तकनीकी क्षेत्र पर ही केन्द्रित रही हैं और अपना विशेष हित चाहने वाले समूहों जैसे बड़ी-बड़ी तेल, कोयला और युटिलिटी कम्पनियों के कारण ये वार्ताएं अवरूद्ध हुई हैं। इसके साथ ही फोरम ने मांग की है कि जलवायु परिवर्तन द्वारा अत्यधिक प्रभावित लोगों की बात पर अधिक से अधिक सुनवाई की जाए।

(ग) और (घ) भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का एक पक्षकार है जो कि समानता, साझा किन्तु अलग-अलग दायित्व के सिद्धांतों तथा संबंधित क्षमताओं के अनुसार जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना चाहता है। भारत ने भी अगस्त, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया जिसमें जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे विश्वव्यापी प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पुन: दोहराया गया है।

कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी छोड़ा जाना

172. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री सी० कुप्पुसामी :
डा० एस० जगतरक्षकन :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कावेरी नदी प्राधिकरण/निगरानी समिति द्वारा अक्तूबर एवं नवम्बर माह में आज तक की गई निगरानी के अनुसार कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को कावेरी नदी से प्रतिदिन कितना पानी छोड़ा गया;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार कर्नाटक आवश्यकता पूरी कर रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) अक्तूबर और नवम्बर, 2002 से आज तक कर्नाटक के कबिनी और के०आर० सागर जलाशयों के बहिर्प्रवाहों और मेत्तूर जलाशय के अंतर्वाहां का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) कर्नाटक द्वारा उच्चतम न्यायाल की अनुपालना न किए जाने से, तमिलनाडु ने सितम्बर और अक्तूबर, 2002 में अवमानना याचिकाएं दायर की हैं। ये याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में हैं। केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन) द्वारा 18 सितम्बर, 2002 को कर्नाटक के मुख्य मंत्री को लिखे पत्र के माध्यम से केन्द्र सरकार ने कावेरी नदी प्राधिकरण के आदेश की अनुपालना करने के लिए कर्नाटक सरकार से कहा था।

विवरण

दिनांक	काबिनी और के०आर० सागर से कुल बहिर्प्रवाह (टी०एम०सी०)	मेत्तूर में अन्तर्वाह (टी०एम०सी०)
1	2	3
01.10.02	0.109	0.543
02.10.02	0.110	0.421
03.10.02	0.116	0.374
04.10.02	0.119	0.373
05.10.02	0.123	0.250
06.10.02	0.126	0.237
07.10.02	0.123	0.373
18.10.02	0.120	0.282
09.10.02	0.119	0.185
10.10.02	0.082	0.351
11.10.02	0.047	0.477
12.10.02	0.026	0.993
13.10.02	0.026	0.881
14.10.02	0.027	0.639
15.10.02	0.028	0.502
16.10.02	0.032	0.400
17.10.02	0.036	0.630
18.10.02	0.038	0.557
19.10.02	0.040	0.463
20.10.02	0.041	0.364
21.10.02	0.042	0.404
22.10.02	0.104	0.602
23.10.02	0.167	0.803
24.10.02	0.167	0.574
25.10.02	0.167	0.373
26.10.02	0.167	0.258
27.10.02	0.167	0.295
28.10.02	0.286	0.664
29.10.02	1.021	1.062
30.10.02	1.744	1.109
31.10.02	1.258	2.293
01.11.02	0.918	3.307
02.11.02	0.594	2.021
03.11.02	0.392	1.464
04.11.02	0.387	1.222

1	2	3
05.11.02	0.456	0.991
06.11.02	0.524	0.840
07.11.02	0.528	0.743
08.11.02	0.393	0.857
09.11.02	0.347	0.782
10.11.02	0.337	0.816
11.11.02	0.334	0.730
12.11.02	0.332	0.640
13.11.02	0.329	0.489

सहकारी समितियों का पुनरुद्धार

173. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी सहकारी समितियों के पुनरुद्धार हेतु 500 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य-वार कितनी समितियों का चयन किया गया है, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से सहकारी समितियों का लाभ बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, वर्ष 2002-03 के केन्द्रीय बजट में देश में सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार हेतु 100 करोड़ रु० का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि सहकारिता राज्य का विषय है फिर भी भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को सहकारी क्षेत्र में सुधार लाने की सलाह देती रही है ताकि उनके कार्य निष्पादन और व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

इंडियन एयरलाइंस की बेड़ा विस्तार योजना पर आपत्ति

174. **श्री अजय चक्रवर्ती** :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने इंडियन एयरलाइंस की बेड़ा विस्तार योजना पर आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस से जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसे विभिन्न निर्धारित एजेंसियों जैसे योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय आदि को पारिचालित कर दिया गया है। उनके कमैंट्स जब भी प्राप्त हो जाएंगे, उन पर प्री-पी०आई०बी० मीटिंग में चर्चा की जाएगी।

केन्द्र और राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की संख्या

175. **श्री सुनील खां** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्र और राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन इकाइयों में अनु०जा०/अनु०ज०जा० की प्रतिशतता कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुम्बई विमानपत्तन पर सुरक्षा में खामी

176. **श्री सी० श्रीनिवासन** :
श्री अम्बरीश :
श्री रामशेठ ठाकुर :
प्रो० ए०के० प्रेमाजम :
श्री समीक लाहिड़ी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 10 सितम्बर 2002 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स'' में ''हाइजैक बिड एक्सपोजिज लैक्स सेक्युरिटी'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुरक्षा की खामी थी;

(घ) क्या सुरक्षा का कार्य सी०आई०एस०एफ० को सौंपने के बाद से मुम्बई विमानपत्तन पर सुरक्षा में इस प्रकार की खामी संबंधी मामले का पता चला है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(छ) मुम्बई विमानपत्तन पर सुरक्षा कड़ी करने हेतु और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 9/9/2002 को एयर सैशल्ज की उड़ान संख्या एचएम 017 मुम्बई से निर्धारित समय पर माले तथा सैशल्ज के लिए उड़ान भरी। माले हवाई अड्डे पर पहुंचने से 30 मिनिट पहले श्री चन्द्रबाबू शशि राज नामक एक यात्री ने एक चाकू दिखाते हुए एक विमान परिचारिका को धमकाया तथा वह जबरन कॉकपिट में प्रवेश करना चाहता था। विमान के कर्मीदल ने उस पर काबू पा लिया तथा माले हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उसे माले प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) घटना वाले दिन मुम्बई पुलिस तथा सी०आई०एस०एफ० दोनों ड्यूटी पर थे जबकि सी०आई०एस०एफ० कार्य प्रशिक्षण पर थे। सी०आई०एस०एफ० ने 30/9/2002 से सुरक्षा ड्यूटी संभाली है तथा सी०आई०एस०एफ० के ड्यूटी संभालने के बाद सुरक्षा के संबंध में कोई चूक नहीं हुई है।

(ङ) से (छ) जांच से पता चलता है कि यह गलती हवाई अड्डा सुरक्षा यूनिट की ओर से हुई थी जो चाकू का पता लगाने में असफल रही तथा उसकी यदि सैकेण्डरी/लेडर प्वाइंट जांच की जाती तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था। सुरक्षा को और कड़ा करने के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी एयरलाइनों को सैकण्डरी लेडर प्वाइंट जांच करने के संबंध में अनुदेशों को पुन: दोहराया है।

एयर इंडिया के यात्रियों को स्मार्ट कार्ड

177. **श्री पी०आर० किन्डिया :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के यात्रियों को स्मार्ट कार्ड देने हेतु एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक ठोस रूप दिए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्राइवेट हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

178. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 सितम्बर, 2002 को मुम्बई के निकट लोनावाला गांव में एक प्राइवेट कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या महानिदेशक, नागर विमानन ने इस दुर्घटना के कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गए और क्या व्यक्ति विशेष/कंपनियों के स्वामित्व वाले हेलीकॉप्टरों में उपयुक्त सुरक्षा मानकों का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो हेलीकॉप्टर के मालिकों द्वारा उपयुक्त सुरक्षा मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) जी, हां। मिलियन एयर का हेलीकॉप्टर 22.9.02 को लोनावाला के नजदीक पेटशापुर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें क्रू सदस्यों सहित सभी पांच लोग मारे गए। नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी०ए०), द्वारा नियुक्त दुर्घटना निरीक्षक द्वारा इस दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(घ) डी०जी०सी०ए० द्वारा सुरक्षा जांच करके निरंतर यह सुनिश्चित किया जाता है कि हेलीकॉप्टर प्रचालकों सहित प्रचालकों

द्वारा सुरक्षा नियमों का कडाई से पालन किया जाए। सुरक्षा जांच में इंजीनियरी, प्रचालन, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग आदि सहित सभी परिचालन क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, डी०जी०सी०ए० द्वारा अनुरक्षण प्रक्रियाओं की आकस्मिक जांच भी की जाती है।

दुग्ध का उत्पादन

179. **श्री अशोक ना० मोहोल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल 15 प्रतिशत दुग्ध मानव द्वारा सेवन किए जाने के योग्य है और शेष दुग्ध पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारी होने के कारण पीने योग्य नहीं होता है;

(ग) क्या इससे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भी बाधा पड़ी है जिससे 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सालाना नुकसान हो रहा है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 2001-2002 में अनुमानित दुग्ध उत्पादन 84.6 मिलियन टन था।

(ख) भारत सरकार को ऐसी कोई प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं मिली है कि केवल 15 प्रतिशत दूध ही मानव खपत के लिए उपयुक्त है और शेष दूध बहुत से रुग्ण गोपशु के कारण असुरक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों के पेय जल में अधिक फ्लोराइड

180. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 सितम्बर, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रिस्क आफ फ्लयूरोसिस इन 170 गवर्नमेंट स्कूल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) जल में फ्लोराइड को कम करने/निम्नतम स्तर तक लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 3000 नमूनों में से लगभग 560 नमूनों में 1 मिलिग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड पाया गया था। ये नमूने दिल्ली के दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिम में 173 स्कूलों के स्कूली बच्चों की रिहायशी इलाकों में स्थित पेय जल स्रोत से एकत्र किए गए थे। वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण से दिल्ली के नजफगढ़, कंझावला, अलीपुर और शहरी ब्लाकों में फ्लोराइड की उच्च सान्द्रता का पता चला है।

(ग) सुरक्षित पेय जल के प्रावधान का उत्तर दायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड इस प्रयास में राज्य सरकारों को तकनीकी सेवाएं मुहैया कराता है। केन्द्रीय भूमि बोर्ड ने जल गुणवत्ता की आवधिक मानीटरी की है। इस प्रकार एकत्र किए गए आकड़े संबंधित राज्य अभिकरणों को उपलब्ध कराये जाते हैं। बोर्ड ने भू जल प्रदूषण और अधिक निकासी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

पुराने हैदराबाद विमानपत्तन पर खाली पड़े हैंगर का आवंटन

181. **श्री के० येरननायडू** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से पुराने हैदराबाद विमानपत्तन पर खाली पड़े हैंगर को आन्ध्र प्रदेश सरकार के हेलीकाप्टरों के प्रयोग हेतु आवंटित किए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है और हैंगर को कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) 30 जनवरी 2002 को आंध्र प्रदेश सरकार को अपने हेलीकॉप्टर्स को खड़े करने के लिए हैंगर आवंटित किया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

प्लास्टिक बैगों के पुनः प्रयोग पर प्रतिबंध

182. **श्री पवन कुमार बंसल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्लास्टिक बैगों के पुनः प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने इस संबंध में कानून बनाए हैं या आदेश जारी किए हैं; और

(ग) पैकिंग के लिए पोलीथीन के बिना सोचे समझे प्रयोग करने से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उठाए गए अन्य कदमों, यदि कोई हों, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 'पुनः चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग नियम 1999' जारी किए हैं। ये नियम खाद्य पदार्थों के भंडारण, लाने ले जाने, वितरण अथवा पैकेजिंग के लिए पुनः चक्रित प्लास्टिक बैगों के उपयोग को रोकते हैं। ये नियम यह भी विनिर्दिष्ट करते हैं कि शुद्ध प्लास्टिक अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक से निर्मित लाने-ले-जाने के बैगों की न्यूनतम मोटाई 20 माइक्रोन से कम नहीं होगी।

तकनीकी उन्नयन हेतु निधियां

183. **श्री वसुदेव आचार्य : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस०ए० आई०एल०) अपनी तकनीकी के उन्नयन हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में 5000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एस०ए०आई०एल० की चल रही परियोजनाओं और सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृत परियोजनाओं और भविष्य के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितनी निधियां आबंटित की गई/आबंटित की जायेगी और खर्च की गई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान सेल की परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए०एम०आर०) योजनाएं, जो मुख्य रूप से संयंत्रों को अच्छी हालत में रखने के लिए हैं, के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की योजना है। 10वीं योजना की मुख्य परियोजनाओं में मुख्य रूप से भिलाई इस्पात संयंत्र (बी०एस०पी०) में लांग रेल सुविधाएं तथा बिलेट कास्टर, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी०एस०पी०) में फिनिशिंग मिल तथा ब्लूम कास्टर, बोकारो इस्पात संयंत्र (बी०एस०एल०) में सतत् ढलाई सुविधाएं, राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर०एस०पी०) में ई०आर०डब्ल्यू० पाइप प्लांट का उन्नयन, बी०एस०एल० और आर०एस०पी० में शीत बेलन मिल की री-वैम्पिंग तथा कोक ओवन बैटरियों का पुनर्निर्माण शामिल है।

(ग) इस समय लगभग 629 करोड़ रुपए की 20 चल रही परियोजनाएं हैं जो प्रगति पर हैं। चल रही मुख्य परियोजनाओं में आर०एस०पी० में इलैक्ट्रिकल रेसिस्टेंट वैल्डिड (ई०आर०डब्ल्यू०) पाइप प्लांट, बी०एस०पी० में लांग रेल की सुविधाएं तथा बी०एस०एल० में पुनर्तापन भट्टी संख्या 2 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस समय 13 ऐसी परियोजनाएं हैं जो "सिद्धान्ततः" मंजूर हैं। इस प्रकार की मुख्य परियोजनाओं में आर०एस०पी० में कोक ओवन बैटरी नं० 1 का पुनर्निर्माण तथा बी०एस०एल० में कोक ओवन बैटरी नं० 5 का पुनर्निर्माण शामिल है। इसके अतिरिक्त, निधि की उपलब्धता और प्रौद्योगिक-आर्थिक पर निर्भर करते हुए अन्य प्रमुख ए०एम०आर० परियोजनाओं पर मुख्य रूप से 10वीं योजना के अनुसार भविष्य में विचार किए जाने की योजना है।

(घ) 2002-2003 के दौरान अक्तूबर, 2002 तक (अर्थात् 10वीं योजना का प्रथम वर्ष) खर्च हुई राशि 107 करोड़ रुपए है जबकि संशोधित अनुमान (आर०ई० 2002-03 350 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

झारखंड में सिंचाई परियोजनाओं की देखभाल

184. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की देखभाल और मरम्मत हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत सहित उनकी आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन तथा रख रखाव राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है।

बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

185. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

(ग) मध्य प्रदेश के सागर जिले एवं देश के अन्य भागों में बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल कब तक बन कर तैयार हो जाएंगे; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान सागर जिले में बीड़ी कामगारों के लिए कुल कितने मकान आवंटित किए गए ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। ऐसी योजनाओं की सूची विवरण-I पर संलग्न है।

(ख) इन योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) वर्तमान में 3 अस्पतालों अर्थात् सागर (मध्य प्रदेश), बिहार शरीफ (बिहार) और मुक्कुदल (तमिलनाडु) में एक-एक अस्पताल का निमार्ण कार्य चल रहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को इन अस्पतालों का निर्माण 2004 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सागर जिले में बीड़ी कामगारों के लिए 21 मकान संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण-I

बीड़ी कर्मकारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की सूची

(क) स्वास्थ्य :

1. स्थिर-सह-सचल/स्थिर एलोपैथिक एवं स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय,
2. टी०बी० (तपेदिक) अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण हेतु योजना,
3. तपेदिक से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों हेतु घर पर रोग-निदान (इलाज) योजना,
4. कैंसर ग्रस्त बीड़ी कर्मकारों के इलाज हेतु योजना,
5. मानसिक रोगों से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों के इलाज हेतु योजना,
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी कर्मकारों (घरखाता श्रमिकों सहित) के इलाज हेतु योजना,
7. बीड़ी कर्मकारों को चश्मे खरीदने के लिए आर्थिक सहायता हेतु अनुदान,
8. महिला बीड़ी कर्मकारों के लिए मातृत्व-लाभ योजना,
9. बीड़ी कर्मकारों को बंध्याकरण के लिए आर्थिक प्रतिपूर्ति भुगतान योजना,
10. हृदय-रोग से ग्रस्त बीड़ी कर्मकारों के लिए वित्तीय सहायता हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति,
11. बीड़ी कर्मकारों के लिए गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

(ख) सामाजिक सुरक्षा

1. समूह बीमा योजना

(ग) आवासीय योजना

1. एकीकृत आवासीय योजना।
2. बीड़ी-उद्योग की सहकारी समितियों को वर्क शेड्स एवं गोदामों के विनिर्माण हेतु सहायता अनुदान।

(घ) शिक्षा :

1. बीड़ी कर्मकारों (घरखाता बीड़ी कर्मकारों सहित) के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
2. बीड़ी कर्मकारों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए एक जोड़ी ड्रेस, स्लेटों, कापियों तथा किताबों हेतु आर्थिक सहायता के लिए एक मिश्रित योजना
3. हाई स्कूल से आगे की विश्वविद्यालय/बोर्ड परीक्षा को अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहनों का भुगतान करना।

4. बीड़ी कर्मकारों की बालिकाओं के लिए स्कूल में उपस्थिति के आधार पर 2/रु० प्रतिदिन का प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजना।

(ङ) मनोरंजन :

1. बीड़ी कर्मकारों के लिए ऑडियो-विजुअल सेट्स/सिनेमा-वैन्स/फिल्मों की प्रदर्शनी की व्यवस्था करना।

2. बीड़ी कर्मकारों के लिए खेल-कूद, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन।

3. बीड़ी कर्मकारों के लिए होलीडे होम की व्यवस्था सम्बन्धी योजना।

4. बीड़ी कर्मकार-औद्योगिक सहकारिता समितियों हेतु टी०वी० सेटों की आपूर्ति।

5. बीड़ी कर्मकारों की आवासीय कॉलोनी में रंगीन टी०वी० सहित सामुदायिक भवनों की स्थापना।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाओं में व्यय की गई राशि

(हजार रु० में)

क्षेत्र	योजना	वर्ष-वार व्यय		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
इलाहाबाद				
(उ०प्र०, पंजाब, हि०प्र०, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तरांचल)	स्वास्थ्य	11655	17088	14668
	शिक्षा	2238	4278	5483
	मनोरंजन	0	0	0
	आवास	542	873	1117
	कुल	14435	22239	21268
बंगलौर				
(कर्नाटक, केरल एवं लक्षद्वीप)	स्वास्थ्य	32124	39114	36607
	शिक्षा	16063	31788	52374
	मनोरंजन	0	10	100
	आवास	4478	7140	11021
	कुल	52665	78052	100102

1	2	3	4	5
भीलवाड़ा				
(राजस्थान, गुजरात एवं हरियाणा)	स्वास्थ्य	9155	9970	10963
	शिक्षा	4457	7156	8237
	मनोरंजन	375	1390	487
	आवास	5	3	0
	कुल	13992	18519	19687
भुवनेश्वर				
(उड़ीसा)	स्वास्थ्य	14436	18374	15401
	शिक्षा	8963	15786	14588
	मनोरंजन	695	605	900
	आवास	19603	35008	36500
	कुल	43697	69773	67389
हैदराबाद				
(आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं अडंमान और	स्वास्थ्य	29260	35810	40103
निकोबार द्वीप)	शिक्षा	60401	91054	40480
	मनोरंजन	105	110	40
	आवास	16959	18087	995
	कुल	106725	145061	81618
जबलपुर				
(मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़)	स्वास्थ्य	19459	21466	22900
	शिक्षा	3339	8973	9923
	मनोरंजन	1	40	307
	आवास	23	14	3600
	कुल	22822	30493	36730

1	2	3	4	5
करमा				
(बिहार एवं झारखंड)	स्वास्थ्य	23189	27096	28045
	शिक्षा	1007	1323	3036
	मनोरंजन	344	376	476
	आवास	0	0	0
	कुल	24540	28795	31557
कोलकाता				
(प० बंगाल एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र)	स्वास्थ्य	27112	29126	29949
	शिक्षा	12252	17422	26349
	मनोरंजन	189	106	350
	आवास	2938	1471	3902
	कुल	42491	48125	60550
नागपुर				
(महाराष्ट्र एवं गोवा)	स्वास्थ्य	12646	15436	15172
	शिक्षा	19283	20434	37076
	मनोरंजन	25	25	215
	आवास	196	17848	34930
	कुल	32150	53743	87393
कुल योग		353517	494800	506294

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन

186. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ढांचे में पुनर्गठन करके इसमें असंगठित श्रमिकों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लिपिक संवर्ग में अनेक पद रिक्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध, 1952 के तहत बनी योजनाओं का दायरा और कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसमें कुछेक संशोधनों का प्रस्ताव किया है ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इसमें शामिल हो सकें।

(ग) और (घ) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में लिपिकीय संवर्ग (अवर श्रेणी लिपिक) के 552 पद रिक्त हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध कराने हेतु कर्मचारी चयन आयोग को लिखा है।

दिल्ली में विमान यातायात नियंत्रण सेवा का आधुनिकीकरण

187. श्री रामदास आठवले : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विमानपत्तन स्थित विमान यातायात नियंत्रण सेवा के आधुनिकीकरण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आनेवाली एवं जाने वाली उड़ानों के लिए दो पृथक एयर कॉरीडोर का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण पहले ही पूरा किया जा चुका है।

(ख) और (ग) विमान यातायात के उच्चघनत्व वाले एयर कोरीडोर्स की एक बड़ी संख्या को पहले ही दो भागों में बांटा गया है। दिल्ली में सहारनपुर की ओर से उत्तरी सेक्टर को छोड़कर जहां यह वायु क्षेत्र बाध्यताओं के कारण यह व्यवहार्य नहीं है। सभी एयर कोरीडोर्स को दो भागों में बांटा गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन

188. श्री रामानन्द सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कितने टन धान का उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों की अपनी औसत उत्पादन की तुलना में प्रतिशतता के हिसाब से धान के उत्पादन में कितनी कमी आने की संभावना है; और

(ग) धान के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए रबी फसल के उत्पादन के संबंध में इन राज्य सरकारों द्वारा क्या रणनीति बनाई गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) धान उत्पादन के संबंध में राज्यवार निश्चित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, उपलब्ध प्रारंभिक सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चालू वर्ष के दौरान धान उत्पादन 7.82 मिलियन मी०टन (वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-01 का औसत) के सामान्य उत्पादन के मुकाबले 20-25% कम होने की संभावना है।

(ग) जलाशयों में पानी की उपलब्धता कम होने के कारण किसानों को पानी की कम आवश्यकता वाली फसलों जैसे चना, मसूर, अलसी आदि की खेती करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा यह सुझाव दिया गया है कि गेहूं की नन्हीं किस्म के स्थान पर लम्बी तथा दुरूप किस्म की खेती की जाए।

[अनुवाद]

पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि

189. श्री वी० वेत्रिसेलवन :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्त पोषित करने हेतु एक नई क्रियाविधि विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में प्रत्येक वर्ष पर्यटन सर्किटों की पहचान करने हेतु एक नई योजना चलाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (घ) दसवीं योजना के दौरान, पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु त्वरित और पर्याप्त प्रभाव डालने के लिए पर्यटन विभाग ने नई योजनाएं तैयार की है – (i) पर्यटक परिपथों का एकीकृत विकास और (ii) उत्पाद/ अवसंरचना और गंतव्य विकास। प्रत्येक राज्य में एक गंतव्य स्थल को विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। पर्यटक परिपथों के

एकीकृत विकास की योजना के तहत, दसवीं योजना में प्रत्येक वर्ष विकास के लिए 6 परिपथ लिए जाएंगे।

पर्यटन विभाग इन योजनाओं के तहत, अभिनिर्धारित परियोजनाओं का 100% ख़र्च वहन करेगा। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी निम्नानुसार होगी :–

* विकास के लिए भूमि उपलब्ध करना।

* पुन: स्थापना पैकेज का कार्यान्वयन जहां आवासीय या वाणिज्यिक इकाइयों को स्थानांतरित करना अपेक्षित हो। तथापि, भारत सरकार विस्थापित दुकानें लगाने के लिए शापिंग कम्प्लैक्स सहित पर्यटक स्वागत केन्द्रों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगी।

* सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव और प्रबंधन।

* जलापूर्ति, विद्युत तथा सड़कों जैसी बाह्य अवसरंचना।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

190. **श्री बी०के० पार्थसारथी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना संबंधी राजसहायता को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रीमियम में 50% राजसहायता अनुमत्य है जिसे 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से खत्म किया जाना है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

दुग्ध गुणवत्ता मानकों में संशोधन

191. **श्री सुबोध मोहिते** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रसंस्करण एवं निर्यात के लिए संक्रमण मुक्त एवं शुद्ध गुणवत्ता वाले दुग्ध को सुनिश्चित करने हेतु दुग्ध गुणवत्ता मानकों में और निचले स्तर पर अनिवार्य जांच-परख में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो को दुग्ध के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानदंड निर्धारित करने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त ब्यूरो द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आम माफी योजना

192. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि के समक्ष लंबित पड़े लगभग 80,000 लंबित मामलों को निपटाने हेतु एक आम माफी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पुन: चालू करना

193. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पुनः चालू करने हेतु कोई पैकेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) गत वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और अक्तूबर, 2002 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कुल कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए और उनमें से कितनों ने श्रेणी-वार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना;

(छ) उक्त अवधि के दौरान कितने पेंशनरों को पेंशन एवं अन्य लाभ दिए गए और कितनों को अभी पेंशन लाभों का भुगतान किया जाना शेष है और

(ज) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1999 में सरकार ने संलग्न विवरण में दर्शाए गए प्रस्तावों सहित हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० (एच०एस०सी०एल०) के लिए पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया।

(ग) और (घ) एच०एस०सी०एल० की अनेक इकाइयों में कर्मचारियों को वेतन मिलने में विलब हो रहा है क्योंकि एच०एस०सी०एल० अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य बकाया देयताओं के भुगतान संबंधी दायित्व अपने आप पूरा करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित नहीं कर पा रही है।

(ङ) मार्च, 2002 में सरकार ने एच०एस०सी०एल० को अपने कर्मचारियों के प्रति बकाया मजदूरी/वेतन का भुगतान करने में मदद करने के लिए 89.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई है।

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2002 तक एच०एस०सी०एल० की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) के जरिए तथा अन्य प्रकार से अलग हुए कुल कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है;

वर्ष	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना				अन्य			
	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कामगार	योग	कार्यपालक	गैर कार्यपालक	कामगार	योग
1999-00	203	235	1446	1884	14	8	16	38
2000-01	274	588	3388	4250	43	53	06	102
2001-02	61	373	805	1239	32	19	25	76
अप्रैल, 02-अक्तू, 02	189	260	359	808	6	8	12	26

(छ) और (ज) एच०एस०सी०एल० में पेंशन की सुविधा नहीं है।

विवरण

जुलाई, 1999 में अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज की प्रमुख बातें

(i) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार योजना ऋण का साम्या में परिवर्तन: 97.10 करोड़ रुपए।

(ii) 31.3.1999 तक के सभी ऋणों (भारत सरकार) की अदायगी के संबंध में 10 वर्ष के लिए ऋण स्थगन और ब्याज संबंधी छूट।

(iii) 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार 975.17 करोड़ रुपए के भारत सरकार के सभी ऋणों पर प्रोद्भूत और बकाया ब्याज माफ करना।

(iv) 1999-2000 के दौरान ऋण अदायगी के संबंध में 5

वर्ष के लिए ऋण स्थगन और ब्याज संबंधी छूट सहित 79.33 करोड़ रुपए का गैर-योजना ऋण।

(v) 1999-2000 ऋणों पर ब्याज को माफ करने से हुए अप्रत्याशित लाभ कारण निगमित कर माफ करना।

(vi) 1% गारंटी कमीशन को माफ करने सहित 12 करोड़ रुपए की नकद साख और 80 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी सुविधाओं के लिए सरकारी गारंटी को जारी रखना।

सरकार ने एच०एस०सी०एल० को 1999-2000 से प्रारंभ करके तीन वर्ष में 6000 कर्मचारियों को पृथक करने हेतु बैंक से 318.36 करोड़ रुपए का ऋण जुटाने के लिए ब्याज इमदाद सहित गारंटी भी उपलब्ध करवाई है।

मुम्बई एवं दिल्ली विमानपत्तनों के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण

194. **श्री श्रीनिवास पाटील :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपराधियों एवं आतंकवादियों का पता लगाने हेतु मुम्बई एवं दिल्ली विमानपत्तनों पर अत्याधुनिक 'आई स्कैनर' और अन्य उपकरण लगाने की एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या नई परियोजना/प्रौद्योगिकी नकली पारपत्रों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने में प्राधिकारियों के लिए सहायक होगी; और

(ग) क्या विदेशों में बायो-मेट्रिक्स का प्रयोग धड़ल्ले से सफलतापूर्वक किया जा रहा है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशों में कुछ हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक आधार पर सीमित स्तर पर नियंत्रण प्रणाली लगा दी गई है।

हज सब्सिडी में कमी

195. **श्री अम्बरीश :**
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज सब्सिडी में कमी लाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे कितनी धनराशि की बचत होने की संभावना है;

(घ) इस समय हज यात्रियों को कुल कितनी सब्सिडी दी जा रही है;

(ङ) क्या हज यात्रियों को लाने-ले-जाने का कार्य चार्टर्ड उड़ानों से करने के बजाय एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (ग) अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

(घ) वर्ष 2002 के दौरान, हज प्रचालनों के लिए 168.71 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी।

(ङ) और (च) हज 2002 के दौरान हज यात्रियों को लाने-ले-जाने का कार्य एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था तथा हज 2003 के दौरान भी यही कार्य इनको सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त, सऊदी अरबिया की नामित एयरलाइन, सऊदी अरबियन एयरलाइन ने भी हज 2002 के दौरान हज यात्रियों को लाने-ले-जाने का कार्य किया था तथा हज 2003 के दौरान भी यही कार्य करेगी।

उड़ीसा में मत्स्यन बंदरगाह स्थापित करना

196. **श्री अनन्त नायक :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक उड़ीसा में स्थापित किए गए मत्स्यन बंदरगाहों का स्थानकर ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास राज्य में और मत्स्यन बंदरगाह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) केन्द्रीय सहायता से उड़ीसा में पारादीप पोर्ट पर एक बड़ा मत्स्यन बंदरगाह तथा नौगढ़ (अस्तरंग), धरमा और गोपालपुर में तीन छोटे मत्स्यन बंदरगाह स्थापित किए गए हैं।

(ख) उड़ीसा सरकार ने बालासोर जिले के चांदीपुर तथा बहाबलपुर में दो मत्स्यन बंदरगाह स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय तटवर्ती इंजीनियरी मात्स्यिकी संस्थान, बंगलौर से बालासोर जिले के बहाबलपुर तथा चांदीपुर में मत्स्यन बंदरगाहों के निर्माण के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। संस्थान ने बहाबलपुर में आवश्यक जांच-पड़ताल कर ली है और टी०ई०एफ०आर० को तैयार करने को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार को अंतरिम प्रारूप प्रस्तुत कर दिया है। जहां तक चांदीपुर का संबंध है, सी०आई०सी०ई०एफ० आवश्यक जांच-पड़ताल शुरू करने की प्रक्रिया में है। चूंकि ये प्रस्ताव इस समय एकदम प्रारंभिक चरण में हैं, अत: इस स्तर पर वह निश्चित समय नहीं बताया जा सकता जब तक ये स्थापित कर लिए जाएंगे।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

197. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय योजनाएं एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) उक्त योजनाओं हेतु किए गए बजट प्रावधानों का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को आबंटित किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु आबंटित धन का उपयोग करने वाले और आंशिक रूप से उपयोग करने वाले राज्य कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या उक्त योजनाओं की समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की एक सूची तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन राज्य-वार आबंटन योजना आयोग से अनुमोदित परिव्यय की सूचना प्राप्त होने पर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ग) वर्ष 2002 03 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को आवंटित निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) से (च) कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन नौवीं योजना के दौरान राज्यों ने 3882 करोड़ रु० की निर्मुक्ति के मुकाबले 3521 करोड़ रु० की राशि का उपयोग कर लिया है। कुछ राज्यों अर्थात बिहार, झारखण्ड, गुजरात, छत्तीसगढ़ तथा पंजाब को छोड़कर जहां अन्य राज्यों की तुलना में उपयोग सापेक्ष रूप से कम है, सभी राज्यों ने उन्हें निर्मुक्त निधियों का कमोबेश उपयोग कर लिया है। सरकार द्वारा स्कीमों का निकट से मानीटरन किया जाता है।

विवरण-I

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की एक सूची

(लाख रु० में)

क्र० सं०	प्रभाग/स्कीम का नाम	परिव्यय दसवीं योजना
1	2	3
I.	**फसल**	**85000.00**
1.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन-आई०सी०डी०पी०-कपास	30000.00
2.	आन फार्म जल प्रबंध (सी०सी०एस०)	50000.00
3.	हाल ही में विकसित प्रौद्योगिकियों का उपजातीय विविधिकरण तथा लोकप्रियकरण	5000.00
II.	**टी०एम०ओ०पी०**	**95000.00**
4.	मुख्यालयों समेत तिलहन, दलहन व मक्का संबंधी फसल कटाई पश्चात प्रौद्योगिकी	8500.00
5.	वृक्ष मूल के तिलहन सहित राष्ट्रीय तिलहन एवं वानस्पतिक तेल विकास बोर्ड	3000.00
6.	तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का की समेकित स्कीम	83500.00
III.	**बागवानी**	**194500.00**
7.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	60000.00
8.	नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड	15000.00

1	2	3
9.	पहाड़ी/जनजातिय क्षेत्रों में बागवानी का समेकित विकास	4500.00
10.	सिक्किम व जम्मू एवं कश्मीर सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन	55000.00
	नई स्कीम	
11.	बारहमासी कृषि के माध्यम से संसाधनों के कुशल उपयोग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी की बागवानी	35000.00
12.	प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप और अपनाने के माध्यम से बागवानी का सतत विकास	2500.00
*	**जम्मू एवं कश्मीर में बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन एक नया घटक है**	
IV.	**उर्वरक**	**11000.00**
13.	समेकित पोषक तत्व प्रबंध, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	1750.00
	नई स्कीम	
14.	जैव कृषि के संवर्धन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना	9250.00
V.	**बीज**	**27500.00**
15.	पौध किस्म तथा कृषक अधिकार विधान का कार्यान्वयन व संरक्षण	5200.00
16.	राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम का पुन: ढ़ाचां निर्माण	7500.00
17.	गुणवत्ता बीजों के उत्पादन व वितरण हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	14800.00
VI.	**पौध संरक्षण**	**22000.00**
18.	देश में कीट प्रबंध का सुदृढ़ीकरण तथा लोक-प्रियकरण	12395.00
19.	भारत में पौध संगरोध सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण व लोकप्रियकरण	9605.00
VII.	**कृषि उपस्कर एवं मशीनरी**	**7500.00**
20.	फार्म मशीनरी संस्थान का सुदृढ़ीकरण तथा उपकरणों का प्रदर्शन	6000.00
	नई स्कीम	
21.	राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण तथा समुचित प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	1500.00
VIII.	**वर्षा सिंचित कृषि प्रणाली**	**1200.00**
22.	पनधारा विकास परिषद	1200.00
IX.	**राष्ट्रीय संसाधन प्रबंध**	**4000.00**
23.	अखिल भारत मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण	3200.00
24.	राष्ट्रीय भू-उपयोग एवं संरक्षण बार्ड	800.00
X.	**ऋण**	**199996.00**
25.	राज्य भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में निवेश	49996.00
26.	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	150000.00
XI.	**सहकारिता**	**50004.00**
27.	सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (सी०आई०सी० टी०ए०बी० स्कीम सहित)	23104.00
28.	सहकारी समितियों के विकास के लिए एन० सी०डी०सी० को सहायता	26900.00
XII.	**विस्तार**	**55000.00**
29	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-I	748.00
30.	केन्द्रीय संस्थान/विस्तार निदेशालय को विस्तार सहायता	8650.00
31.	राज्य विस्तार सेवाओं को समर्थन	19175.00
32.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना	
	(i) विश्व बैंक द्वारा समर्थित एन०ए०टी०पी० का आई०टी०डी० घटक	239.27
	(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी यू०एन०डी०पी० परियोजना	2500.00
XIII.	**अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय**	**36500.00**
33.	कृषि आर्थिक नीति एवं विकास में अध्ययन	12700.00
34.	फसल पालन में पूर्वानुमान तथा दूर संवेदी प्रणाली शुरू करना	1874.00

1	2	3
35.	कृषि सांख्यिकी का सुधार	11826.00
36.	पशुधन संगणना के आयोजन में राज्यों/के०शा० प्रदेशों को सहायता	600.00
	नई स्कीम	
37.	स्पेस, एग्रो-मैट्रोलोजी तथा भूमि आधारित प्रेक्षण का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान	9500.00
XIV.	**कृषि संगणना**	**6000.00**
38.	कृषि संगणना	6000.00
XV.	**कृषि विपणन**	**60000.00**
39.	विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण तथा विपणन सूचना नेटवर्क	3500.00
40.	राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को सहायता अनुदान	1500.00
	नई स्कीम	
41.	मण्डी अवसंरचना, श्रेणीकरण तथा मानकीकरण का विकास	19000.00
42.	ग्रामीण गोदामों का विकास	36000.00
XVI.	**सूचना प्रौद्योगिकी**	**10000.00**
43.	कृषि सूचना प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण/संवर्धन	9500.00
	नई स्कीम	
44.	राज्यों/के०शा० प्रदेशों हेतु कृषि एवं सहकारिता में सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण	500.00
XVII.	**आपदा प्रबंध**	**500.00**
45.	प्राकृतिक आपदा प्रबंध	500.00
XVIII.	**व्यापार**	**19000.00**
46.	लघु कृषक कृषि-व्यवसाय संकाय	1500.00
47.	कृषि क्लीनिक	17500.00
XIX.	**सचिवालयी आर्थिक सेवा**	**4000.00**
48.	सचीवालयी आर्थिक सेवा	4000.00
XX.	**वृहत प्रबंधन**	**431300.00**
49.	कृषि में वृहत प्रबंधन	431300.00
	कुल	1320000.00

विवरण-II

वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अधीन राज्यों को आबंटित निधियों का ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	वृहत प्रबंधन	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	आयॅल पाम विकास कार्यक्रम	कपास प्रौद्योगिकी मिशन	पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन	ऑन फॉर्म जल प्रबंध	कृषि सांख्यिकी का सुधार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3800.00	50.00	420.00	12.05	210.00	174.00	0.00	0.00	50.50	4716.55
2.	अरूणाचल प्रदेश	440.00	10.00	21.00	11.15	0.00	0.00	1735.00	173.00	0.00	2390.15
3.	असम	700.00	12.00	57.00	8.20	2.00	0.00	1400.00	897.00	15.00	3091.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	बिहार	2500.00	30.00	15.00	0.95	0.00	0.00	0.00	4140.00	19.00	6704.95
5.	छत्तीसगढ़	1400.00	30.00	40.00	14.91	0.00	0.00	0.00	537.00	9.00	2030.91
6.	गोवा	200.00	1.00	3.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
7.	गुजरात	3200.00	60.00	425.00	1.15	20.00	244.00	0.00	0.00	49.50	3999.65
8.	हरियाणा	1600.00	20.00	50.00	0.57	0.00	77.00	0.00	0.00	15.75	1763.32
9.	हिमाचल प्रदेश	1600.00	6.00	10.00	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	1670.02
10.	झारखण्ड	1200.00	5.00	10.00	11.72	0.00	0.00	0.00	1225.00	11.00	2462.72
11.	जम्मू-कश्मीर	1600.00	9.00	10.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1630.05
12.	कर्नाटक	5800.00	66.00	284.00	19.85	45.00	166.00	0.00	0.00	79.00	6459.85
13.	केरल	3000.00	3.00	18.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	170.00	3201.00
14.	मध्य प्रदेश	4500.00	132.00	500.00	10.40	0.00	170.00	0.00	0.00	21.50	5333.90
15.	महाराष्ट्र	8200.00	134.00	485.00	31.88	0.00	410.00	0.00	0.00	50.00	9310.88
16.	मणिपुर	600.00	20.00	36.00	3.09	0.00	0.00	1220.00	173.00	0.00	2052.09
17.	मेघालय	600.00	9.00	12.00	2.79	0.00	0.00	1470.00	0.00	0.00	2093.79
18.	मिजोरम	800.00	9.00	24.00	7.96	0.00	0.00	1590.00	138.00	0.00	2568.96
19.	नागालैण्ड	1000.00	20.00	45.00	7.96	0.00	0.00	1575.00	0.00	0.00	2647.96
20.	उड़ीसा	2500.00	20.00	30.00	1.15	7.00	64.00	0.00	1380.00	12.50	4014.65
21.	पंजाब	1700.00	5.00	5.00	1.05	0.00	50.00	0.00	0.00	17.00	1778.05
22.	राजस्थान	6700.00	162.00	500.00	8.18	0.00	163.00	0.00	0.00	35.00	7568.18
23.	सिक्किम	500.00	5.00	25.00	8.01	0.00	0.00	1420.00	0.00	1.00	1959.01
24.	तमिलनाडु	4200.00	63.00	300.00	10.75	50.00	138.00	0.00	0.00	33.00	4794.75
25.	त्रिपुरा	800.00	20.00	30.00	3.84	3.00	13.00	1365.25	0.00	0.00	2235.09
26.	उत्तर प्रदेश	6885.00	30.00	50.00	29.77	0.00	16.00	0.00	1917.00	93.00	9020.77
27.	उत्तरांचल	1400.00	9.00	15.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	1438.21
28.	प० बंगाल	2400.00	9.00	80.00	10.65	0.00	15.00	0.00	920.00	60.00	3494.65
	कुल	69825.00	948.00	3500.00	262.00	352.00	1700.00	11775.25	11500.00	778.06	100640.31

[अनुवाद]

गया विमानपत्तन में पेरिशेबल कार्गो सेन्टर स्थापित करना

198. श्री रामजी मांझी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 नवम्बर, 2002 से गया विमानपत्तन का उन्नयन करके इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में फलों, सब्जियों एवं फूलों का उत्पादन होता है जो कि पड़ोसी देशों को निर्यात करने पर विदेशी मुद्रा का एक स्रोत हो सकता है;

(ग) क्या इस तथ्य के मद्देनजर विमानपत्तन पर 'पेरिशेबल कार्गो वेयरहाउस' स्थापित किए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) गया हवाई अड्डे पर 50 आने वाले तथा 50 जाने वाले अंतर्देशीय/अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालने के लिए मौजूदा टर्मिनल भवन का विस्तार एवं रूपान्तरण किया गया है। दिनांक 12 नवम्बर, 2002 को श्रीलंका एयरलाइंस ने गया हवाई अड्डे के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान आरंभ की।

(ख) और (ग) इस समय गया हवाई अड्डे पर नष्ट होने वाले कार्गो गोदाम के लिए कोई मांग नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विषैले पारे का पाटन एवं आयात

199. श्री सईदुज्जमा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पारे जैसे विषैले अवशिष्ट का पाटन करने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि गुजरात में अलंग तटीय पोतों पर अभी भी प्रतिबंधित अवशिष्ट का आयात भंजन हेतु एवं बेरोजगार कामगारों एवं उनके परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सिंगापुर सरकार द्वारा अलंग स्क्रैप याड्र्स पर किए गए अध्ययन सकल धात्विक संदूषण को दर्शाते हैं जिनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कामगारों एवं परिवारों की मौतें होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस घातक गतिविधि को रोकने एवं कोई वैकल्पिक आजीविका ढूंढ़ने की मंशा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) वर्ष 2000 में यथा संशोधित परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1999 के अनुसार, देश में डम्पिंग, निपटान अथवा पुन: चक्रण के लिए अविषालु अपशिष्ट, जिसमें मरक्यूरी अपशिष्ट शामिल हैं, किसी भी अविषालु अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। तथापि, बेसल कनवेंशन की सूची ख (अनुबंध IX) में विहित पुन: चक्रणीय अपशिष्टों के आयात को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ पंजीकृत इकाईयों के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर पुन: चक्रण के लिए अनुमति दी जाती है।

(घ) गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (जी०एम०बी०) और इस्पात मंत्रालय के अनुसार, अलंग स्क्रैप याडों पर सिंगापुर सरकार द्वारा ऐसे कोई अध्ययन कराए जाने का मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व वन्य जीव कोष द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हेतु सहायता

200. श्री एम०के० सुब्बा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व वन्य जीव कोष ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में एक सींग वाले गेंडे और हाथियों के लिए प्राकृतिक वास में सुधार लाने एवं उसका विस्तार करने हेतु सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और लागत क्या है;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस हेतु मांगी गई एवं अनुमोदित यदि कोई हो, तो केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्यान्नों का उत्पादन

201. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों के अनुसर अगले 20 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन पूर्व के अनुमानों से कम होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2020 तक खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 60 मिलियन टन तक की कमी आने की संभावना है जो कि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में भी पर्याप्त नहीं होगा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) दक्ष और टिकाऊ खाद्य उत्पादन के लिए बहुत विषयी प्रयासों वाली कृषि प्रणाली संकल्पना अनिवार्य होगी। दक्षता, टिकाऊपन, विविधिकता, उत्पादनोत्तर प्रबंधन, छोटी जोतों के यंत्रीकरण पर जोर देते हुए अधिक उपज देने वाली किस्मों/संकरों का विकास शुरू किया जा रहा है। अग्रवर्ती क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम और नवीन संकल्पनाओं को किसानों की कुशलता बढ़ाने के लिए तथा खेतिहर महिलाओं के प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण के लिए अपनाना होगा। जननद्रव्य संग्रहण, संरक्षण, अधिकतम उपयोग और जननद्रव्य वृद्धि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रमुख नाशीजीवों और रोगों की प्रतिरोधी, उच्च पौषणिक गुणवत्ता वाली किस्मों/संकरों तथा पादपों के आनुवंशिक रूप से तैयार नये प्रभेदों का विकास करने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

गोदावरी नदी के साथ-साथ पर्यवेक्षण पोस्टें

202. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के साथ-साथ अनेक पर्यवेक्षण पोस्टें बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने यह पाया है कि पिछले दस वर्षों से नदी में लगातार बालू की मात्रा में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल आयोग ने उक्त अवधि के दौरान गोदावरी नदी के तल में जमा हो रही बालू की मात्रा का कोई अनुमान लगाया है; और

(ङ) गोदावरी नदी में बालू का जल प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे चार गेज और डिस्चार्ज मापन स्थलों की स्थापना की है, इसके ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1.	मनचेरियल	गेज, डिस्चार्ज, अवसाद और जल गुणवत्ता के मापन के लिए
2.	पेरूर	
3.	पोलावरम	
4.	कोइडा	गेज और डिस्चार्ज के मापन के लिए

इन प्रेक्षणों का उद्देश्य गोदावरी नदी के जल वैज्ञानिक आंकड़ों को एकत्र करना है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इन स्थलों पर किए जा रहे प्रेक्षण किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। तथापि, उपरोक्त चार स्थलों पर पिछले दस वर्षों के लिए नदी क्रास सेक्शनों के विश्लेषण से यह देखने में आया है कि नदी तल स्तर में कोई निश्चित उतार-चढ़ाव नहीं आया है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में अतिरिक्त जल

203. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में अतिरिक्त जल प्रवाह की जानकारी है जिनसे प्राय: बाढ़ की स्थिति पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय घाटियों में प्रवाहित अतिरिक्त जल की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(घ) अतिरिक्त जल के उपयोग से कितने अतिरिक्त भूमि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों सहित नदियों में बाढ़ के कारण अत्यधिक जल प्रवाह होना प्राकृतिक घटना है।

बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबन्धन स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन तथा प्रचालन का दायित्व मूल रूप से संबंधित राज्य सरकार का होता है।

(ग) और (घ) गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कुल जल संसाधन लगभग 1110 बिलियन क्यूबिक आंका गया है। जल वैज्ञानिक एवं स्थलाकृतिक समस्याओं और पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय कारणों से इन बेसिनों का उपयोग योग्य जल प्रवाह 274 बी०सी०एस० आंका गया है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार उपरोक्त बेसिनों में आने वाले राज्यों में चरम सिंचाई क्षमता को ध्यान में रखते हुए लगभग 37% निवल सिंचित क्षेत्र है। इन बेसिनों में उपलब्ध जल प्रवाह का पेय जल, औद्योगिक आदि जैसे अन्य उपयोगों के अलावा अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के वास्ते उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

बौद्ध पर्यटक केन्द्रों का विकास

204. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बौद्ध पर्यटक स्थलों का विकास करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु संबंधित राज्यों को वर्ष-वार कितना धन आबंटित किया गया; और

(घ) इस संबंध में दसवीं योजना हेतु कौन-सा विशेष प्रस्ताव रखा गया है ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके साथ परामर्श करके प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नौवीं योजना के दौरान बौद्ध पर्यटक केन्द्रों सहित पर्यटन के विकास के लिए देश के सभी राज्यों के लिए 372 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके अलावा, ओ०ई०सी०एफ०, जिसे अब जापानीज बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन (जे०बी०आई०सी०) के नाम से जाना जाता है, की सहायता से उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा, श्रावस्ती और बिहार में बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली को कवर करते हुए 251.05 करोड़ रुपए राशि की एक परियोजना पूरी हो गई है। 127.50 करोड़ रुपए की अन्य परियोजना, जिसमें अजंता-एलौरा संरक्षण तथा पर्यटन विकास परियोजना शामिल है, भी महाराष्ट्र राज्य में पूरी कर ली गई है।

(घ) दसवीं योजना के दौरान, पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष बोधगया-राजगीर-नालंदा-वाराणसी को कवर करते हुए एक बौद्ध परिपथ के विकास का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन

205. श्री राम मोहन गाड्डे :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में दो-दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सम्मेलन में क्या विचार विमर्श हुआ और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता एवं जोखिम प्रबंधन के अलावा प्रौद्योगिकी के प्रभावी प्रयोग हेतु कार्यान्वयन किए जाने के लिए हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी के सतत विकास संबंधी एक नई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) जी, हां। बागवानी विकास तथा केन्द्रीय सहायता से बागवानी संबंधी विकासात्मक स्कीमों की प्रगति पर विचार करने

के लिए 18-19 अक्तूबर, 2002 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों, बागवानी फसलों संबंधी विभिन्न जिंस संघों के प्रधानों सहित प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय एवं विषय संबंधी महत्व के मामले, फसल से संबंधित मामले, राज्यों के अनुभव और दसवीं योजना हेतु नए हस्तक्षेप को कवर करते हुए विषय सुविज्ञ वक्ताओं द्वारा प्रस्तुति की गई। तत्पश्चात् विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बागवानी पर अलग-अलग चालू स्कीमों पर चर्चा हुई। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) 240.00 करोड़ रु० के परिव्यय से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी के सतत् विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई स्कीम दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई है। यह स्कीम मानव शक्ति विकास हेतु क्षमता निर्माण, अभिनव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, बहु-फसल नर्सरियों की स्थापना, कृषि हेतु प्रौद्योगिकी पहल, अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, जोखिम प्रबंध आदि को कवर करते हुए बागवानी विकास के विभिन्न पहलुओं का समाधान करेगी।

विवरण

दिनांक 18-19 नवम्बर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें

1. बागवानी क्षेत्र में हस्तक्षेप उच्च लाभ देने वाला रहा है और कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी का योगदान 24.5% से बढ़कर 29.65% हो गया है। इससे दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु बागवानी पर कृतक दल की सिफारिशों द्वारा बागवानी क्षेत्र के लिए वर्द्धित आबंटन की आवश्यकता को समर्थन मिला है।

2. अधिकतर राज्यों ने वर्ष 2002-03 हेतु कार्य योजना में बागवानी विकास कार्यक्रमों को शामिल किया है। तथापि, कई राज्यों में बागवानी हेतु परिव्यय वृहत् प्रबंधन स्कीम के अधीन निर्धारण कुल परिव्यय के 30% से काफी कम है। अत: राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि बागवानी विकास कार्यक्रमों हेतु कम से कम से 30% परिव्यय निर्धारित हो।

3. बागवानी पर नौ जिंस संघों की स्थापना एक स्वागतयोग्य कदम है। अन्य फसलों हेतु ऐसे संघों के गठन को प्रवर्धित किए जाने की जरूरत है।

4. बागवानी उत्पादन जल्दी खराब होने वाले तथा मौसमी होते हैं, अत: किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु मूल्य स्थायीत्व निधि के रूप में एक मशीनरी की जरूरत है। इसी प्रकार, बागवानी फसल फसल बीमा स्कीम के अधीन कवर नहीं है। अत: बागवानी उत्पादों हेतु बीमा लागत को वहन करने हेतु साधारण बीमा निगम जैसी किसी मशीनरी की जरूरत है।

5. बागवानी क्षेत्र में ऋण का प्रवाह कम रहा है। नाबार्ड पर यह जोर देने की जरूरत है कि वह बागवानी विकास परियोजनाओं हेतु ऋणों पर ब्याज दर कम करे।

6. विभिन्न अभिकरणों यथा एन०एच०बी०, एम०एफ०पी०आई०, एस०एफ०ए०सी०, एम०ओ०आर०डी०, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि द्वारा कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों में समन्वय की जरूरत है। उचित समन्वय सुनिश्चित करने हेतु सचिव (कृ० एवं सह०) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाये।

मुम्बई में मैरिन मैंग्रोव पार्क

206. श्री किरीट सोमैया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई में भारत-कनाडा पर्यावरण परियोजना के माध्यम से वित्तीय एवं प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु किसी जन प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य अभिकरण से कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैरीन मैंग्रोव पार्क हेतु कोई प्रस्ताव भारत-कनाडा पर्यावरण परियोजना के अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किस प्रकार उपलब्ध कराई जाएगी और कितनी कराई जाएगी; और

(च) क्या इस संबंध में कोई विशेषज्ञ सलाह मांगी गई है और यदि हां, तो प्राधिकारी के दृष्टिकोणों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) मुम्बई में 1000 हैक्टेयर भूमि पर समुद्री कच्छ वनस्पति उद्यान की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें कच्छ वनस्पति शिक्षा केन्द्र, निगरानी मीनारों (वाच टावर) की श्रृंखला, पर्यटकों के लिए निर्देशित समुद्री पर्यटन, सूचना केन्द्र, समुद्री मछलीघर, पुस्तकालय और आगन्तुकों के लिए अन्य सुविधाएं शामिल हैं ताकि इसे पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सके।

(ग) से (च) प्रस्ताव को भारत – कनाडा एनवायरमेंट फेसिलिटी के पास वित्त पोषण के लिए विचारार्थ भेज दिया गया था। निधियों की कमी को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि

भारत-कनाडा एनवायरमेंट फेसिलिटी देश के पूर्वी पश्चिमी और पश्चिमी तटों पर पहले ही दो कच्छ वनस्पति संरक्षण परियोजनाओं को वित्त प्रदान कर रही है इसलिए अभी एक और परियोजना को सहायता देना उन्होंने व्यावहारिक नहीं पाया है।

क्योटो प्रोटोकोल

207. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तापमान बढ़ने एवं जलवायु संबंधी परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाऊस गैसों में समयबद्ध रूप से कमी लाने हेतु 1997 के क्योटो प्रोटोकोल का अनुमोदन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार एवं अन्य विकासशील देशों का क्या मत है; और

(घ) वर्ष 1997 से अब तक ग्रीन हाऊस गैसों में कमी लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) अगस्त 2002 में आयोजित जलवायु संबंधी परिवर्तनों पर यूनाईटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर क्योटो प्रोटोकोल के प्रति भारत ने सहमति व्यक्त की। क्योटो प्रोटोकोल, 2008-2012 की अवधि के दौरान, विकसित देशों को, ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में, 1990 के उत्सर्जन स्तरों के संदर्भ में, औसत 5.2% तक की कमी लाने के लिए वचनबद्ध करता है। यह विकासशील देशों को उत्सर्जन में इतनी ही कमी लाने के लिए वचनबद्ध नहीं करता है।

(घ) ग्रीन हाऊस उत्सर्जनों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में उर्जा क्षमता, उर्जा संरक्षण, पावर सेक्टर में सुधार, ऊर्जा नवीनीकरण कार्यक्रम, स्वच्छतर ईंधन का उपयोग प्रारंभ करना, वनीकरण और वनों का संरक्षण, कोयले का कुशलतापूर्वक उपयोग, गैस फ्लेयरिंग में कमी, तेल तथा विद्युत सेक्टर में हीट रिकवरी सिस्टम की संस्थापना, ईंधन की बचत कराने वाले सिंचाई पम्प सेटों का मानकीकरण तथा बेहतर कृषि प्रणालियां शामिल है।

[हिन्दी]

ह्रास हो रहे वन क्षेत्र हेतु वानिकीकरण अभियान

208. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में वन क्षेत्र के घटते प्रतिशत की रोकथाम करने हेतु वानिकीकरण अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पंचायतों को वनरोपण कार्य सौंपने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार किस सीमा तक सफल हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) दसवीं योजना में देश में पहले ही एक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरूआत की जा चुकी है। अत: सरकार का अलग से अभियान चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन वन विकास एजेंसियों (एफ०डी०ए०) के विकेन्द्रित ढांचे के माध्यम से किया जा रहा है जो संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का एक महासंघ है जिसमें पंचायतों का भी प्रतिनिधित्व है।

[अनुवाद]

क्योटो प्रोटोकॉल पर आपत्तियां

209. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदस्य देशों ने "क्योटो प्रोटोकॉल" के संबंध में भारत के प्रस्तावित मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र से प्रोटोकॉल का कोई उल्लेख न करने पर नई दिल्ली के प्रति आपत्ति जताई है;

(ख) यदि हां, तो सदस्य देशों ने क्या-क्या प्रमुख आपत्तियां उठाई हैं;

(ग) क्या ऐसा किसी देश के दबाव में आकर किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) पक्षकारों के सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक अनौपचारिक प्रस्ताव दिनांक 28 अक्तूबर, 2002 में बर्लिन अधिदेश के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित किया गया है। बर्लिन अधिदेश द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन के विकसित देशों के पक्षकारों की वचनबद्धताओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक प्रक्रिया को शुरू किया गया जो 2000 से आगे की अवधि के लिए प्रोटोकॉल को अथवा अन्य विधिक दस्तावेज को अंगीकृत करने के माध्यम से था जिसके फलस्वरूप 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल का अंगीकरण किया गया। चूंकि बर्लिन अधिदेश क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल है, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में उल्लेख न किए जाने संबंधी किसी दबाव का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ पक्षकार क्योटो प्रोटोकॉल का विशिष्ट उल्लेख चाहते थे, जिसे अंतिम घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। सभी पक्षकारों द्वारा एक नवम्बर, 2002 को सर्वसम्मति से अंतिम घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया जिसमें उन पक्षकारों को, जिन्होंने क्योटो

प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन नहीं किया था, जोर देकर आग्रह किया गया कि वे क्योटो प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करें।

विमानपत्तन में सुरक्षा खामियां

210. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 सितम्बर, 2002 के *दि हिन्दुस्तान टाइम्स में राने , गार्ड टुक आई०ए० फ्लाइट विद गन* शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें मामले के क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) क्या इससे पहले वर्ष 2001 और 2002 के दौरान भी इसी तरह के मामले जानकारी में आये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करवाई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या इंडियन एयरलाइंस के कुछ अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं किया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए उत्तरदायी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) श्री नारायण राणे, पूर्व मुख्य मंत्री महाराष्ट्र दिनांक 16.8.2002 को चेन्नई से मुम्बई तक जेट एयरवेज उड़ान द्वारा यात्रा करना चाहते थे। क्योंकि उन के पी०एस०ओ० के पास सर्विस रिवाल्वर था, जेट एयरवेज के स्टाफ को उनके हथियार ले जाने की प्रक्रिया में काफी समल लग गया। जिसके परिणाम स्वरूप श्री राणे और उनके पी०एस०ओ० उड़ान में सवार नहीं हो सके। इसलिए उन्होंने अपने टिकटें को इंडियन एयरलाइंस से पृष्ठांकित कराया। इंडियन एयरलाइंस के सुरक्षा कार्मिकों ने पी०एस०ओ० के परिचय पत्र की जांच करने के बाद घोषणा प्रपत्र भरवाया और श्री राणे और उनके पी०एस०ओ० को मुम्बई तक यात्रा करने की अनुमति दे दी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) और (च) इंडियन एयरलाइंस ने इस घटना की जांच की। जांच रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एयरलाइंस ने पी०एस०ओ० से घोषणा प्रपत्र भरवाया तथा हथियारों को रजिस्टर्ड बैगेज में ले जाने की अनुमति दी। एयरक्राफ्ट रूल, 1937 के अनुसार पुलिस या सेना द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के प्राधिकार के तहत् या द्वारा हथियार ले जाया जा सकता है। पुलिस अधिकारी के लिए, रजिस्टर्ड बैगेज में सर्विस रिवाल्वर ले जाने के लिए अलग से प्राधिकार की जरूरत नहीं है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

विमानपत्तनों को पट्टे पर दिए जाने में विलम्ब

211. **श्री अजय चक्रवर्ती :**
श्री प्रबोध पण्डा :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री सुबोध मोहिते :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्रो विमानपत्तनों को पट्टे पर दिए जाने की प्रक्रिया निर्धारित तिथि मार्च, 2003 तक पूरी नहीं की जा सकती है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें पट्टे पर दिए जाने के बजाय संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उनके विकास पर कितनी राशि व्यय करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार मेट्रो विमानपत्तनों के पश्चात् छोटे विमानपत्तनों में निजी निवेश की अनुमति देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संयुक्त उद्यम रूट के माध्यम से चार मेट्रो हवाईअड्डों को विकसित करने के विकल्प की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) निजी भागीदारी के माध्यम से कुछ चुने हुए गैर-मेट्रो हवाईअड्डों को विकसित करने का प्रस्ताव अभी प्रारंभिक स्तर पर है।

सिंचाई के लिए समुद्री जल

212. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई हेतु समुद्री जल को उपयोगी बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) सिंचाई प्रयोजन के लिए काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और जल का खारापन दूर करने के लिए प्रति यूनिट लागत काफी अधिक है। इस प्रकार सिंचाई प्रयोजन के लिए समुद्री जल का खारापन दूर करने में आने वाली लागत काफी अधिक होगी जोकि आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। तथापि पेयजल प्रयोजनों के लिए विशेष मामलों में समुद्री जल का खारापन दूर करने संबंधी विकल्प को प्रयोग में लाया गया है।

घरेलू मार्गों पर और अधिक निजी विमान सेवायें

213. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री नरेश पुगलिया :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और निजी विमान सेवाओं ने सरकार से घरेलू क्षेत्र में परिचालन आरंभ करने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या और अधिक निजी विमान सेवाओं के प्रवेश से इंडियन एयरलाइंस का बाजार हिस्सा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) हवाई प्रचालन आरंभ करने के लिए निजी एयरलाइनों के प्रस्तावों पर विचार किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में निजी एयरलाइनों द्वारा निर्धारित प्रचालन आरंभ करने के 4 प्रस्तावों, अ-निर्धारित प्रचालन आरंभ करने के 10 प्रस्तावों तथा अ-निर्धारित एयर कार्गो प्रचालन आरंभ करने के 2 प्रस्तावों पर मंत्रालय में कार्रवाई चल रही है।

(ग) और (घ) घरेलू सेक्टर में और अधिक निजी एयरलाइनों के आगमन से, निजी एयरलाइनों तथा इंडियन एयरलाइन्स की क्षमता और अधिक बढ़ने की आशा है तथा परिणामस्वरूप उनका मार्किट शेयर भी बढ़ेगा। तथापि, इनमें से कुछ एयरलाइनों ने उन फीडर रूटों पर प्रचालन का प्रस्ताव रखा है, जहां इंडियन एयरलाइंस प्रचालन नहीं करती।

धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन

214. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने वर्ष 2002-03 विपणन सत्र के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संशोधन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वस्तुवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं। फिर भी, सरकार ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर खरीफ विपणन मौसम 2002-03 के लिए विशेष सूखा राहत मूल्यों की घोषणा की है, जिसमें असिंचित क्षेत्रों में किसानों को हुए नुकसान तथा सिंचित क्षेत्रों में किसानों द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय को ध्यान में रखा गया है।

(ख) और (ग) सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में किसानों को लाभ पहुंचाने के आशय से सरकार द्वारा घोषित विशेष सूखा राहत मूल्यों का जिंस-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :–

	जिंस	किस्म	विशेष सूखा राहत मूल्य (रु० प्रति क्विंटल)
	1	2	3
1.	धान	सामान्य	20
		ग्रेड ''ए''	20
2.	ज्वार		5
3.	बाजार		10
4.	मक्का		5
5.	रागी		5
6.	तुर (अरहर)		5
7.	मूंग		5
8.	उड़द		5
9.	मूगंफली (छिलके सहित)		20
10.	सोयाबीन	काली	10
		पीली	10
11.	सूरजमुखी के बीज		15

1	2	3
12. तिल		5
13. रामतिल		—
14. कपास	एफ-414/जे०-34/ एच०-777	20
	एच०-4	20

नई नागर विमानन नीति

215. **श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई विमानन नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) मे (ग) विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के साथ विचार विमर्श करके, नागर विमानन नीति के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नदी जल प्रदूषण के नियंत्रण पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्ग-निर्देश

216. **श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अत्यधिक प्रदूषित नदियों के मद्देनजर, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मूर्ति विसर्जन के संबंध में मार्ग-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मार्ग-निर्देशों के उल्लंघन के मामलों में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मूर्तियों को विसर्जित करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए हैं। तथापि त्यौहारों के दौरान मूर्तियों को विसर्जित करने के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कुछ सुझाव दिए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेष जूट विकास कार्यक्रम के लिए अनुदान

217. **श्री बी०के० पार्थसारथी :**
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विशेष जूट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय अनुदान जारी किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में जूट के उत्पादन में वर्षवार क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) मेस्ता के विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वर्ष 2000-01 तक विशेष पटसन विकास कार्यक्रम (एस०जे०डी०पी०) के तहत केन्द्रीय अनुदान की निर्मुक्ति कर दी गई है। तथापि, अक्तूबर, 2000 से, एस०जे०डी०पी० को 26 अन्य स्कीमों सहित कृषि की वृहत-प्रबंध प्रणाली के तहत समाहित कर दिया गया है। ताकि राज्यों को अधिक लचीलापन प्रदान किया जा सके और राज्यों की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। कृषि की वृहत-प्रबंध प्रणाली के लिए राज्यों को एकमुश्त धन आबंटित एवं निर्मुक्ति किया जाता है न कि किसी एक फसल के आधार पर।

एस०जे०डी०पी० के तहत आंध्र प्रदेश की सरकार को धन की निर्मुक्ति के संबंध में वर्ष-वार स्थिति निम्नलिखित है:-

वर्ष	निर्मुक्ति (लाख रुपये में)
1999-2000	23.24
2000-2001	9.00
2001-2002	स्कीम को वृहत प्रबंधन के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है।

(ग) चूंकि इस स्कीम में मेस्ता के विकास के लिए धन प्रदान किया गया है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण में पारे को छोड़ा जाना

218. **श्री श्रीनिवास पाटील : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कास्टिक सोडा और क्लोरीन उत्पादक कम्पनियों द्वारा अत्यधिक पारे के उपयोग से इसके पर्यावरण में फैलने का खतरा

बन गया है; जैसा कि दिनांक 3 सितम्बर, 2002 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पर्यावरण हितैषी कंपनी के रूप में स्थान प्राप्त कंपनी सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष पर्यावरण में आश्चर्यजनक ढंग से 60-70 टन पारा छोड़ा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सी०एस०ई०), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 1997-98 से 1999-2000 के मध्य भारत में कॉस्टिक क्लोरीन सेक्टर द्वारा ओसतन 60-70 टन पारा पर्यावरण में छोड़ा गया था। सी०एस०ई० द्वारा दी गई रेंटिंग के अनुसार कास्टिक क्लोरीन सेक्टर में कैमफैब एल्कलिस लि० पर्यावरण हितैषी कम्पनी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारा आधारित अपशिष्ट जल उत्पन्न (बहाव) और हाइड्रोजन गैस होल्डर से पारा उत्सर्जन के लिए मानक अधिसूचित किए हैं।

पर्यावरणीय अनुकूल शहर

219. **श्री अम्बरीश :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बंगलौर और हैदराबाद सहित सात अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों को पर्यावरणीय अनुकूल शहर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को इन शहरों के लिए पर्यावरण संबंधी प्रबंधन तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्य सरकारों ने उक्त योजनाओं को प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शहरों को पर्यावरणीय अनुकूल शहर बनाने पर केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कुल कितना व्यय किए जाने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ङ) सरकार ने देश के लघु और मध्यम आकार के कस्बों के पर्यावरण में सुधार व संरक्षण करने के उद्देश्य से, दसवीं योजना के दौरान पर्यावरणीय अनुकूल शहर योजना के दौरान पर्यावरणीय अनुकूल शहर योजना को आरम्भ किया है। पहले चरण में, कुछ शहरों की पहचान की गई है, जिनमें बंगलौर और हैदराबाद शामिल नहीं है। संबंधित राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयार में शामिल किया गया है। दसवीं योजना में, पर्यावरणीय अनुकूल शहर स्कीम के लिए 30.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

[हिन्दी]

गंडक और कोसी सिंचाई परियोजनाएं

220. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गंडक चरण-II और कोसी चरण-II सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) दिसंबर, 1990 में प्राप्त हुई गंडक चरण II और कोसी चरण II सिंचाई परियोजनाओं की रिपोर्टों का मूल्यांकन किया गया था और केन्द्रीय जल आयोग की प्रेक्षण/टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। राज्य सरकार द्वारा इस पर अनुपालन न करने के कारण परियोजना रिपोर्टें फरवरी, 1996 में राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ वापस भेज दी गई थीं कि वे उन्हें भेजी गई टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित परियोजना प्रस्ताव पुन: प्रस्तुत करें। तब से बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश को विशेष पैकेज

221. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश को पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्यन के तीव्र विकास हेतु विशेष पैकेज देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) सरकार पशुपालन, कुक्कुट पालन और मात्स्यिकी विकास के लिए मध्य प्रदेश को कोई विशेष पैकेज प्रदान नहीं कर रही है। तथापि, मध्य प्रदेश राज्य में विभाग की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

गोल्डन काउ प्रोजेक्ट

222. **श्री एम०के० सुब्बा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा असम के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त ''गोल्डन काउ प्रोजेक्ट'' स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए विश्व बैंक ने कितनी सहायता स्वीकृत की है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस विभाग में विश्व बैंक सहायता के तहत गोल्डन काउ परियोजना पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, असम सरकार ने केन्द्रीय अनुदान के लिए राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना के तहत 37.37 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है जो योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है और इसमें कुछ कमियां हैं। इस पर राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विमानपत्तनों में खराब ग्राउंड सुविधाएं

223. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली के विमानपत्तन सहित प्रमुख विमानपत्तनों पर खराब योजना और अभिकल्पन के कारण पार्किंग स्थल प्रवेश और निकास मार्ग अवरूद्ध रहते हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से उनके पुन: अभिकल्पन हेतु परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन परामर्शों के क्या परिणाम निकले और इससे पूर्व विशेषज्ञों से परामर्श न किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) नई दिल्ली सहित सभी बड़े हवाई अड्डों पर कार पार्किंग क्षेत्र की डिज़ायनिंग करते समय पूरा ध्यान दिया जाता है। तथापि शहर में पड़ने वाली पहुच सड़क तथा बाहरी सड़क की डिज़ायनिंग स्थानीय निकायों के अधिकार-क्षेत्र में आती है जो सभी सड़कों की डिज़ायनिंग और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होते हैं। कभी-कभी हवाई अड्डों की आधार संरचना के विस्तार के कारण कुछ हवाई अड्डों पर पार्किंग लोट्स को जाने वाली पहुंच सड़कों पर अस्थायी रूप से जमघट हो सकता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर विमान दुर्घटना पर समिति की रिपोर्ट

224. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के निकट 30 सितम्बर 2001 को हुई विमान दुर्घटना के संदर्भ में छोटे विमानों के अर्जन, अनुरक्षण और संचालन की पद्धति और प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कृतिक बल ने अपनी की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में मानव त्रुटि से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) और (ख) छोटे विमानों की प्राप्ति, अनुरक्षण तथा प्रचालन के लिए प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा हेतु गठित समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक कार्य दल का गठन किया गया। कार्य दल द्वारा सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। कुल 55 सिफारिशों में से 24 सिफारिशें लागू हो चुकी हैं तथा शेष सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय (डी०जी०सी०ए०) ने, मानवीय गलती से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :–

(i) राज्य सरकारों तथा गैर-अनुसूचित प्रचालकों सहित सामान्य विमानन में पायलटों के प्रशिक्षण को, डी०जी०सी०ए० द्वारा अनुमोदित अनुदेशकों/परीक्षकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन्हें परीक्षक के रूप में भेजने से पहले डी०जी०सी०ए० उड़ान प्रचालक निरीक्षक (एफ०ओ०आई०) द्वारा इनका रीलीज चैक किया जाता है। इन चैकिंग के दौरान, एफ०ओ०आई०, अनुदेशात्मक तकनीकों में इनकी योग्यता की जांच करते हैं। जिसमें कॉकपिट रिसारस मैनेजमैंट (सी०आर०एम०) ह्यूमैन फैक्टर से संबंधित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(ii) एयरक्राप्ट टाईप रेटिंग/री-करेंसी प्रशिक्षण के प्रारंभिक प्रमाणीकरण, तथा विस्तार के लिए प्रशिक्षण देने के लिए अनुमोदित परीक्षकों/अनुदेशकों को डी०जी०सी०ए० के दिनांक 8.11.01 को जारी प्रचालन परिपत्र सं० 3 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करने का परामर्श दिया गया है।

(iii) सभी प्रचालकों को क्रू के लिए मार्गदर्शन सामग्री तथा मानक प्रचालन प्रक्रियाओं से युक्त एक प्रचालन मैनुअल तैयार करना

अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, सभी क्रू सदस्यों के लिए प्रचालन मैनुअल में समाविष्ट अपेक्षानुसार मानव घटक तथा सी०आर०एम० प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

[हिन्दी]

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन

225. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री मनसुखभाई डी० वसावा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सहायक नहीं रहा; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) चूंकि यह अधिनियम स्वरूप में नियामककारी है न कि निषेधात्मक, इसलिए वन भूमियों पर महत्वपूर्ण विकासात्मक गति-विधियां करने के लिए इसमें पर्याप्त लचीलापन है और इसी के कारण इस अधिनियम में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) और (ङ) खाद्य और पारिस्थितिकी सुरक्षा सहित आदिवासियों की आहार और जीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन अनेक भोगाधिकार मुहैया कराते हैं। गैर खानिकी कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग के विनियम दीर्घावधि में आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के ही हित में हैं। अधिनियम में आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास की दिशा में कार्यों को करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है।

[अनुवाद]

कर्नाटक द्वारा अल्माटी जलाशय में जल का भंडारण

226. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री जी० गंगा रेड्डी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक सरकार ने कृष्णा नदी पर अल्माटी जलाशय से जल स्तर को 515 मीटर से 519.6 मीटर तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जल का भंडारण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष सिंचाई क्षमता 4.80 लाख हेक्टेयर तक बढ़ सकेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य आरम्भ किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया/प्रत्युत्तर क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचना दी है कि उसने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित स्तर-519.6 मीटर तक अलमट्टी बांध में पानी भरा है।

(ख) भरे गए इस जल का उपयोग गत वर्ष के दौरान चरण-I में सृजित 3.55 लाख हेक्टेयर क्षमता की सिंचाई के लिए किया जाएगा तथा यह प्रस्ताव है कि वर्ष 2002-03 में चरण-II के तहत 1.11 लाख हेक्टेयर क्षमता (कुल 4.67 लाख हेक्टेयर) सृजित होगी।

(ग) प्रभावित लोगों का पुनर्वास 521 मीटर स्तर तक पूरा हो गया है। यह अलमट्टी बांध के लिए 519.6 मीटर पर प्रभावी स्तर है।

(घ) और (ङ) राज्यों ने इस कार्य के लिए अतिरिक्त सहायता का अनुरोध नहीं किया है। तथापि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत, ऊपरी कृष्णा परियोजना को केन्द्रीय ऋण सहायता दी जा रही है। इस सहायता का एक भाग राज्य द्वारा परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2001-2002 में पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना पर किए गए व्यय का ब्यौरा तथा वर्ष 2002-2003 के लिए प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	ए०आई०बी०पी० के तहत जारी सी०एल०ए० (करोड़ रुपये में)	आर० एण्ड आर० पर किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
2001-2002	450.00	334.73
2002-2003	115.45 (पहली किस्त)	244.74 (प्रस्तावित)

भारतीय श्रम सम्मेलन, 2002

227. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 2002 में नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है और जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए बने विधान जैसे भारतीय श्रम कानूनों पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों पर आगे कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी हां, भारतीय श्रम सम्मेलन का 38वां सत्र 28-29 सितम्बर, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों (भारतीय मजदूर संघ, इंटक, सीटू हिंद मजदूर सभा, एटक (एल०एस०), यूनाइटेड श्रमिक संघ कांग्रेस तथा नेशनल फ्रंट आफ इंडियन ट्रेड यूनियन), केन्द्रीय नियोक्ता संगठनों (भारतीय नियोक्ता परिषद्, भारतीय उद्योग परिसंघ, अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन, लघु उद्योग भारती, फिक्की, एसोचैम), केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में निम्नांकित मुद्दों पर चर्चा हुई :

1. भारतीय अर्थव्यवस्था और खासकर रोजगार पर वैश्वीकरण का प्रभाव तथा इन चुनौतियों से निपटने के उपाय
2. सामाजिक सुरक्षा संजाल
3. सरकार की विनिवेश नीति
4. लघु उद्योगों के समक्ष समस्याएं और चुनौतियां तथा उनके समाधान
5. द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार समुचित ध्यान देगी।

इंडियन एयरलाइंस/एअर इंडिया में आमूल-चूल सुधार

228. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी स्वामित्व वाले इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया में आमूल-चूल सुधार की महत्वपूर्ण कार्रवाई में, दोनों ही विमान सेवाओं के लिए 15 वर्षीय व्यवसाय योजना तैयार करने के लिए एक एयरलाइन परामर्शदाता नियुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो निविदादाताओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : (क) से (घ) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस ने दोनों एयरलाइनों के लिए एक दीर्घावधिक कारोबार योजना बनाने के लिए संयुक्त रूप से एक सलाहकार नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सलाहकार एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के प्रचालनों में संभावित सिनरजी, दोनों एयरलाइनों के संबंध में विमान बेड़ा की अधिकतम उपयोगिता के बारे में भी अध्ययन करेगा। खुली प्रतियोगी बोलियों के आधार पर, मैसर्स ए०टी० किअरनी लिमिटेड को सलाहकार के रूप में चुना गया है।

मूंगफली के बीजों की अपर्याप्त आपूर्ति

229. **श्री बी०के० पार्थसारथी :**
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के किसानों के बीच मूंगफली के बीजों की अपर्याप्त आपूर्ति किए जाने के कारण असंतोष है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक किसान को मात्र 30 कि०ग्रा० के थैले दिए जा रहे हैं जो कि डेढ़ एकड़ में भी बोये जाने हेतु पर्याप्त नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो किसानों को पर्याप्त अपेक्षित मात्रा में मूंगफली के बीज उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। प्रत्येक किसान को प्रत्येक 30 किलो की 5 बोरियां दी गई हैं जो एक हेक्टेअर को कवर करता है।

(ग) राज्य सरकार ने राजसहायता पर 2,50,000 क्विंटल मूंगफली बीज की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। अंततः खरीफ 2002 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लि० और आंध्र प्रदेश सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि० के माध्यम से राजसहायता पर 400 रु० प्रति क्विंटल की दर से 2,00,277 क्विंटल मूंगफली बीज का वितरण किया गया।

कामगारों को प्रोत्साहन

230. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कार्य स्थापनाओं में परिहार्य व्ययों की बचत के उद्देश्य से कामगारों द्वारा अभिनव परिवर्तन को समुचित रूप से पुरस्कृत करने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मित्रो, मुझे सभा को सूचित करना है कि गुजरात में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाए गए साम्प्रदायिक तनाव, जो कि राज्य में आसन्न विधान सभा चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग के निदेशों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है, के बारे में मुझे निम्नलिखित सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की छः सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री रामजीलाल सुमन
2. श्री प्रबोध पण्डा
3. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह
4. श्री अजय चक्रवर्ती
5. श्री रूपचन्द पाल; और
6. श्री सुबोध राय।

श्री सुबोध राय को बैलट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है अतः, मैं उन्हें निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं :

"देश में, विशेषकर गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता पैदा करने वाले साम्प्रदायिक तत्वों को रोकने में सरकार की असफलता।"

अब श्री सुबोध राय प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांग सकते हैं।

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, अब मैं देश में, विशेषकर गुजरात में साम्प्रदायिक तनाव और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता पैदा करने वाले सम्प्रदायिक तत्वों को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति का किसी ने विरोध किया है ? यदि इस अनुमति का सभा के किसी वर्ग से विरोध नहीं हो रहा है, तो इसपर अनुमति प्रदान की जाती है। नियम 61 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर विचार अपराह्न 04.00 बजे अथवा इससे पहले किसी समय शुरू किया जायेगा। नियम 62 के अंतर्गत इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे और 30 मिनट से अधिक समय आवंटित किया जाता है।

यदि सभा की सहमति हो, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा सभापटल पर रखे गए पत्र आदि के तुरन्त बाद शुरू की जा सकती है। अतः, मैं, मंत्रियों से सभापटल पर पत्र रखने का अनुरोध करता हूं। अब श्री जसवंत सिंह।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द राव विठोबा अडसुल) : महोदय, मैं श्री जसवंत सिंह की ओर से लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 71 (2) के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 द्वारा तत्काल कानून बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल०टी० 5987/2002]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 21 अगस्त, 2002 को प्रख्यापित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (दूसरा) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 3)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल०टी० 5988/2002]

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 24 अगस्त, 2002 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्याक 4) तथा उसके बारे में एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5989/2002]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2002 को प्रख्यापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 5)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5990/2002]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2002 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्याक 6) तथा उसके बारे में एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5991/2002]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2002 को प्रख्यापित दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अध्यादेश, 2002 (2002 का संख्यांक 7) तथा उसके बारे में एक शुद्धिपत्र।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5992/2002]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(क) (एक) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(तीन) एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल०टी० 5993/2002]

(ख) (एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल०टी० 5994/2002]

(3) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5995/2002]

(4) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (भवनों और वृक्षों, आदि द्वारा उत्पन्न बाधाओं का उन्मूलन) संशोधन नियम, 2002 जो 9 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 267(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल०टी० 5996/2002]

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(एक) नारायण दत्त तिवारी, संसद सदस्य का लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि उत्तरांचल के नैनीताल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण दत्त तिवारी का 14 अगस्त, 2002 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने के बारे में दिनांक 13 अगस्त, 2002 का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है।

मैंने उनका त्यागपत्र 14 अगस्त, 2002 से स्वीकार कर लिया है।

(दो) संसद अधिकारी और संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक का पुर:स्थापन स्थगित करना

अध्यक्ष महोदय : मुझे संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रमोद महाजन की ओर से आज की कार्य सूची में क्रमांक 6 पर सूचीबद्ध संसद्

अधिकारी और संसद् में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 के पुर:स्थापन को स्थगित करने के बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है। मेरे विचार से सभा इससे सहमत है।

अपराह्न 12.05 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय नियम 377 के अधीन मामले भी सभा पटल पर रखे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सभा की सहमति से नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य के लोगों को अत्यधिक रियायती दर पर गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : महोदय, राजस्थान चौथे भयंकर अकाल की विभीषिका को झेल रहा है। काम के अभाव में ग्रामीण जनता पलायन को मजबूर है। नाम मात्र के राहत कार्य चल रहे हैं। काम के अभाव में जनता की क्रय शक्ति खत्म हो गयी है।

वर्तमान में गरीबी रेखा (बी०पी०एल०) से नीचे जीवन-यापन करने वालों को दिए जाने वाले गेहूं का रेट कम है व गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये जाने वाले गेहूं का रेट ज्यादा है। क्रय शक्ति के अभाव में आम आदमी इस रेट पर गेहूं खरीदने में अक्षम है। क्योंकि आज जो वर्तमान राजस्थान के हालात हैं, सभी लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

अत: मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सूखाग्रस्त क्षेत्र गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को जिस रेट पर गेहूं दिया जा रहा है, उसी रेट से समस्त उपभोक्ताओं से गेहूं की कीमत वसूली जाये।

[अनुवाद]

(दो) मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : रक्षा कारखानों के कारण जबलपुर प्रथम श्रेणी के शहर के दर्जे में आता है। परन्तु यहां औद्योगिक विकास का अभाव है और उद्योगों को सरकार से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। अत: मैं केन्द्र सरकार से जबलपुर शहर की श्रेणी को बदलने का अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

(तीन) महाराष्ट्र के बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आष्टी तहसील में सेना द्वारा ग्रामीणों की भूमि के अधिग्रहण करने के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील (बीड) : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र, बीड-महाराष्ट्र के आष्टी तहसील से 40 गांव की जमीन, अहमदनगर-महाराष्ट्र की सेना छावनी अपने तकनीकी प्रयोग व अन्य गतिविधियों के लिये संपादित करना चाहती है। इस तरह की अफवायें सारे जिले में फैल चुकी हैं, जिसके कारण उक्त 40 गांव का किसान समुदाय भयतीत होकर अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। इसका परिणाम इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री व्यवहार पर पड़ा है व निर्माण कार्य बंद हो चुके हैं। इन 40 गांवों की जमीन सिंचन क्षमता युक्त व उपजाऊ है।

सेना की ओर से इन 40 गांव की जमीन के बरामदी का कोई आधार या सत्यता कहीं प्राप्त नहीं हो रही है अपितु यह पूर्व प्राथमिक सर्वे है, इसकी चर्चा मात्र है।

अत: मेरा आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस अफवाह का तत्काल स्पष्टीकरण दें और इस उपजाऊ जमीन के संपादन का प्रस्ताव नामंजूर कर किसानों को भयमुक्त करने का कष्ट करें।

(चार) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर रानी अवंती बाई सागर बांध में जमा मिट्टी को निकाले जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग नर्मदा नदी के कछार के रूप में जाना जाता है, जिसमें रानी अवंती बाई सागर जैसा बांध बना है। लेकिन बांध में मिट्टी जमा होने से जल क्षमता प्रभावित हुयी है, वहीं दूसरी ओर इस बांध से बिजली उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है।

नरसिंहपुर एवं जबलपुर जिला पुरानी बँधान प्रणाली का सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट नमूना रहा है, परिणामस्वरूप एक तरफ उन्नत समृद्ध खेती वहीं दूसरी ओर जल स्तर को शताब्दियों तक 10 फुट से 20 फुट के बीच स्थिर बनाये रखने में सफल रहा है। लेकिन रानी अवंती बाई सागर के निर्माण के बाद जहां जलस्तर बढ़ने के बजाय 80 से 100 फीट नीचे चला गया है। उसका मुख्य कारण बँधान वाली खेती में वर्षाकाल की फसलों के कारण खेतों में जल भराव बंद किया जाना है तथा गर्मी की फसलों के लिए भूमि जल का अधिकाधिक उपयोग रहा है।

अत: मैं केन्द्र सरकार के जल संसाधन विभाग एवं भूसर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग से मांग करता हूं कि सम्मिलित प्रयास से इस अति महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर ध्यान दें ताकि देश के अन्य क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियों से निपटा जा सके।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

[अनुवाद]

(पांच) पूर्वी मुम्बई के मुलुन्द में कम्पोजिट सिमेंट्री तक सम्पर्क सड़क के निर्माण को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तरपूर्व) : मुलुंद पूर्व, मुम्बई में कम्पोजिट सिमेंट्री तक सम्पर्क मार्ग को पूरा करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन० ओ०सी०) की तत्काल आवश्यकता है। हिन्दू, मुसलमान-ईसाइयों के लिए कम्पोजिट सिमेंट्री को शुरू करने हेतु सम्पर्क मार्ग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई नगर निगम द्वारा दी गई वचनबद्धता की बजाय शहरी विकास मंत्रालय प्रक्रिया में देरी कर रहा है।

मैं केन्द्र सरकार से इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र सरकार को एन०ओ०सी० प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) कर्नाटक में मैसूर-मंगलौर और मैसूर-तेलीचेरी रेल लाइनों के निर्माण के लिए पर्याप्त धन आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार (मैसूर) : मैसूर में मंगलौर तक रेल लाइन और मैसूर से तेलीचेरी तक एक अन्य लाइन बिछाने हेतु प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है। ये दोनों लाइनें दक्षिणी कर्नाटक को तीन जिलों मैसूर; मडीकेरी और मंगलौर को जोड़ती हैं। इन जिलों में समृद्धवन उत्पाद और काफी, कालीमिर्च, इलायची, सुपारी आदि जैसे वाणिज्यिक उत्पाद व्यापक रूप से उगाये जाते हैं। परन्तु इन फसलों के उत्पादकों को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन क्षेत्रों में पर्याप्त परिवहन सुविधाएं नहीं हैं। इन लाइनों के बिछाए जाने का काम पूरा होने के बाद इन फसलों की ढुलाई आसान हो जाएगी और इससे इन फसलों को बढ़ावा मिलेगा।

मैं केन्द्र सरकार से मैसूर-मंगलौर और मैसूर-टेलीचेरी लाइन बिछाए जाने हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। इन लाइनों का निर्माण कार्य दसवीं योजना के दौरान पूरा किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(सात) मध्य प्रदेश में रीवा में बाईपास का निर्माण शीघ्र कराए जाने की आवश्यकता

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बाईपास की समस्या के बारे में काफी लम्बे समय से केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है, किन्तु मंत्रालय द्वारा इस ओर त्वरित कोई सार्थक और ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। नेशनल हाईवे नं० 7 रीवा शहर के मध्य से निकलता है, जिसके कारण भारी वाहन बड़ी संख्या में शहर में होकर गुजरते हैं। शहर की व्यस्तता के कारण आने वाले इन भारी वाहनों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शहर के बीच जहां से नेशनल हाईवे निकलता है, वहां बाजार, कालेज और अनेक महत्वपूर्ण संस्थाएं खुली हुयी हैं। दुर्घटनाओं की वजह से आम नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है। यातायात भी अवरूद्ध होता है और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्थानीय लोगों की जान-माल की रक्षा के लिए रीवा बाईपास अविलम्ब बनाया जाये।

[अनुवाद]

(आठ) पश्चिमी बंगाल में उत्तर दिनाजपुर जिले में करनदिघी में नया सब डिवीजन बनाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : पश्चिमी बंगाल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर दिनाजपुर जिले में करनदिघी में एक उप मण्डल बनाए जाने की आवश्यकता है। करनदिघी कृषि उत्पादों और बिहार तथा बंगलादेश की सीमा, दलखोला कस्बा, रासाखोआ, कान्की, चकुलिया, तुंगी दिघी, बिलासपुर आदि मुख्य मंडियों मे जुड़ी आवश्यक व्यापारिक वस्तुओं के लिए एक घड़े व्यापारिक केन्द्र के रूप में उभर रहा है। इस्लामपुर उप-मण्डल में कुछ ब्लॉक रह सकते हैं; अन्य ब्लाकों को करनदिघी उप-मण्डल में शामिल किये जाने की योजना बनाई जायेगी। यह कुशल प्रशासनिक प्रबन्धन और विकास हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। भारत सरकार के योजना मंत्रालय के संबंधित डेस्क द्वारा इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(नौ) बिहार में भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 80 अति संकीर्ण एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में होने के कारण विशाल वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। 4-5 वर्ष पूर्व इस पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग-80 में परिवर्तित किया गया है, लेकिन न तो इसका विस्तार किया गया है और न ही इस मार्ग में पुराने पुलों की जगह नए पुलों का निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। आम लोगों को परेशानी काफी बढ़ रही है।

अतएव मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि भागलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-80 तथा इसके पुलों का निर्माण शीघ्र किया जाए तथा इस संबंध में की गयी कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाये।

(दस) तम्बाकू उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिए जाने की आवश्यकता

श्री वाई०वी० राव (गुंटूर) : तम्बाकू का मूल्य निर्धारण कुछ हद तक उपज की लागत, उत्पादन की मात्रा और प्रति वर्ष हुई फसल पर निर्भर करती है। तम्बाकू की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसल की मात्रा का निर्धारण करती है। तथापि, मुझे यह जानकर परेशानी हुई कि वर्ष दर वर्ष अधिक व अनधिकृत फसल की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। गत 10

वर्षों से 250 मिलियन किलोग्राम अतिरिक्त फसल पैदा हुई है। वर्ष 2001-02 के दौरान कर्नाटक में 38000 मिलियन किलोग्राम उत्पादन की अनुमति दी गई थी जबकि वास्तविक उत्पादन 58,000 मिलियन किलोग्राम हुआ। इस कारणवश इस वर्ष तम्बाकू का मूल्य तेजी से गिरकर 38 रुपये प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचा जबकि 2001 में यह औसतन 58 रुपये था।

अतिरिक्त और अनधिकृत फसल के कारण तम्बाकू के भंडार में वृद्धि हो रही है और इससे व्यापारियों और अधिकृत किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है।

अत:, मैं, माननीय वाणिज्य मंत्री जी से अतिरिक्त और अनधिकृत फसल उगाने को रोकने और अधिकृत व्यापारियों और किसानों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

(ग्यारह) इटावा और बेवर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92 और गाजियाबाद और कानपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का विशेष रूप से बिल्हौर कस्बे में समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रूखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, इटावा और बेवर के बीच राज्य राजमार्ग जो कुछ समय पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में ले लिया था, राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच की सड़क की स्थिति इतनी अधिक खराब है कि 66 कि०मी० जाने के लिए 5 घंटे या अधिक का समय लगता है। अत: इसके मरम्मत और रखरखाव की अत्यधिक जरूरत है। इसी प्रकार गाजियाबाद और कानपुर के बीच सड़क राज्य राजमार्ग भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत ने कुछ समय पहले अपने अधिकार में ले लिया है। इस सड़क की स्थिति कस्बा बिल्हौर में बहुत ही खराब है एवं इसके अलावा मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इस स्थान पर पीले रंग के साईन बोर्ड पर यह लिख करके कि भारत सरकार से धन प्राप्त होने पर सड़क की मरम्मत का कार्य किया जायेगा।

अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए जैसा कि उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुभागों को विकसित करने के लिए किया गया है, उसी प्रकार इन सड़कों को भी विकसित करने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये।

(बारह) पूर्वोत्तर रेलवे की इन्दारा दोहरीघाट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वर्ष 2002-2003 के रेल बजट में पूर्वोत्तर रेलवे के इन्दारा-दोहरीघाट छोटी लाइन के रेल मार्ग के ट्रैक नवीनीकरण हेतु लगभग 18 करोड़ रु० केन्द्रीय रेल सुरक्षा निधि से आबंटित किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं।

मात्र 35 कि०मी० इन्दारा-दोहरीघाट रेल मार्ग ही छोटी लाइन का मार्ग शेष रह गया है, जिस पर मात्र एक डिब्बे की रेल बस चलती है। प्रस्तावित 18 करोड़ की धनराशि में कुछ और धनराशि जोड़कर उक्त रेल मार्ग बड़ी लाइन में बदल कर उपयोगी बनाया जा सकता है और क्षेत्रीय जनता के आवागमन को देश के बड़े नगरों से जोड़ा जा सकता है। उक्त मार्ग को बड़ी लाइन में बदलने की मांग क्षेत्रीय जनता कई वर्षों से कर रही है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि रेल बजट 2002-2003 में इन्दारा-दोहरीकरण रेल मार्ग हेतु प्रस्तावित ट्रैक नवीनीकरण के कार्य को संशोधित करके बड़ी लाइन में बदलने हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था करें।

(तेरह) उड़ीसा में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल किए गए एक शपथपत्र में यह कहा है कि वह प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य 2035 तक और हिमालयी नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य 2043 तक पूरा कर पायेगी। भारत सरकार द्वारा गठित एक निकाय राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1962 में की गई थी। इसने एक नहर के माध्यम से महारानी को गोदावरी नदी से जोड़ने हेतु एक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इससे काफी हद तक महानदी घाटी में बाढ़ की समस्या और अतिरिक्त जल को स्थानान्तरित कर आन्ध्र प्रदेश में सूखे की संभावना वाले क्षेत्र की समस्या को हल किया जा सकता है।

यह लिंक नहर मणिभद्र और सतपुड़ा की पहाड़ियों से महानदी के साथ गुजरकर ऋषिकुल्या और वंसधारा से जुड़ेगी और तत्पश्चात गोदावरी से जाकर मिलेगी। एन०डब्ल्यू०डी०ए० के पूर्वानुमान के अनुसार इस लिंक नहर की लागत लगभग 3616 करोड़ रुपये आयेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह बिना अतिरिक्त समय गवाएं उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्या हल करने हेतु प्राय-द्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाए और इस संबंध में पूर्ण सहायता करें।

(चौदह) देश के विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से बिहार में गावों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाली परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, भारत जैसे देश का विकास ग्रामों के विकास से ही जुड़ा है। ग्रामों के पिछड़ेपन की अनदेखी कर देश के विकास का स्वप्न निराधार है। देश में भौगोलिकीकरण व उदारीकरण की औद्योगिक नीति की घोषणा के विकास के लिए सड़क मार्ग की अहम भूमिका बन गई है। इसी कारण सरकार ने देश के महानगरों को आपस में जोड़ने तथा देश के उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम को परस्पर जोड़ने के लिए

[श्री नवल किशोर राय]

सड़क मार्गों के विकास की योजना क्रियान्वयन का गत वर्षों में निर्णय लिया था, उसका मैं स्वागत करता हूं। किन्तु, उपरोक्त योजनाएं देश के विकास के लिए तब तक अधूरी ही साबित होगी जब तक देश के ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का काम पूरा नहीं होता। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, किन्तु योजना क्रियान्वयन समयबद्ध नहीं है। मेरे राज्य बिहार में तो इस योजना के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि देश में ग्राम सड़क योजना को क्रियान्वयन करने के लिए देश के प्रत्येक राज्य के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें और इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को वचनबद्ध करे।

(पन्द्रह) हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारत सरकार मुद्रणालय बंद करने के सरकार के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य (शिमला) : महोदय, अंग्रेजों ने 1872 में ऐतिहासिक ग्रीष्म कालीन राजधानी शिमला में भारत सरकार मुद्रणालय की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के समय से ही यह मुद्रणालय बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है और यह मुद्रणालय उद्योग में एक प्राचीनतम मुद्रणालय में से एक है। हालांकि, इसकी मशीनरी एक शताब्दी पुरानी है परंतु उत्पादन के संबंध में यह नंबर एक पर है। अपनी कार्यकुशलता और कार्य के शानदार रिकॉर्ड के लिए प्रसिद्ध इस मुद्रणालय को पिछले वर्ष में कार्यनिष्पादन के लिए ''बैस्ट ट्रॉफी'' से पुरस्कृत किया गया है।

महोदय, भाग्य की विडंबना यह है कि सरकार के अध्यादेश से यह मुद्रणालय अगले वर्ष अप्रैल में बंद हो रही है। इस निर्णय से इस मुद्रणालय के 351 कर्मचारियों की जीविका समाप्त हो जाऐगी और उनके आश्रित भी बेसहारा हो जाऐंगे।

अध्यक्ष महोदय, शिमला में धूल रहित और शांत वातावरण जो ऐसे उद्योग के लिए बहुत उपयुक्त है के साथ-साथ इस मुद्रणालय का अपना इतिहास, विरासत और उपलब्धियां हैं।

मैं भारत सरकार से कर्मचारियों के हित और इस ऐतिहासिक शहर की इस मुद्रणालय को एक विरासत के रूप में संरक्षित करने हेतु अपने निर्णय को बदलने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव

देश में विशेष रूप से गुजरात में साम्प्रदायिक तत्वों को रोकने में सरकार की विफलता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''कि सभा अब स्थगित हो।''

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर, जिसके बारे में पूरा राष्ट्र इस सदन की ओर देख रहा है, पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। आपने इस विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करके बहुत बड़ा काम किया है। जैसा कि हम इधर कई दिनों से देखते आ रहे हैं और गुजरात में लगातार जो घटनायें घट रही हैं, उनके बारे में एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इन घटनाओं के कारण पूरे राष्ट्र के माथे पर बड़ा भारी कलंक लगा है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं किस मुंह को लेकर देश से बाहर जाऊंगा। उसके बाद वहां की सरकार चलाने वाले श्री मोदी, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग, संघ परिवार के लोग, जिनका पूरा धर्म और आस्था साम्प्रदायिक हिंसा, तनाव में है और भाईचारा खत्म करने में उन लोगों ने माननीय प्रधान मंत्री जी की बातों की भी कोई परवाह नहीं की। उसके बाद भी जिस तरह से लगातार घटनायें हुई, बड़े पैमाने पर महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक वर्ग के लागों के साथ बर्बरतापूर्ण और क्रूरतापूर्ण व्यवहार इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक पहलू है जिसकी किसी भी तरह से निन्दा की जाये, वह कम है।

अध्यक्ष महोदय, जब वहां संवैधानिक व्यवस्था की बात आई, जब चुनाव का सवाल आया तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम रहे, संवैधानिक व्यवस्था कायम रहे, लोग निष्पक्ष होकर, स्वतंत्र होकर, निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिये ऐसा वातावरण तैयार किया जाये जिससे कि लोकतांत्रिक अधिकार और मर्यादा, उसकी गरिमा और ज्यादा मजबूत हो ताकि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हों लेकिन वहां की सरकार ने चुनाव टालने और उसे और आगे बढ़ाने की बात कही थी। इसके लिये राज्य के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार ने चुनाव आयोग पर जितना हमला किया, जितनी उसकी तौहीन करने और उसे लांछित करने का प्रयास किया, उससे ज़ाहिर हो गया कि इनके राज में संवैधानिक व्यवस्था, संविधान और उसकी मर्यादा जैसे सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं और देश में लोकतंत्र की जगह फासीवाद और बर्बरता जगह लेने के लिये पूरी तरह से एक साजिश चल रही है, एक कार्यवाही हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में गौरव यात्रा की बात की गई या जिस तरह की बातें की गईं, उसके लिये वहां की सरकार ने जो परिस्थिति पैदा की, उससे दंगाइयों को पूरा मौका मिल गया और उनका मनोबल ऊंचा हुआ। उससे कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गईं और कानून-व्यवस्था जंगल राज में परिणीत हो गई। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में इस तरह की पाशविकता, बर्बरता और हैवानियत देखने को नहीं मिली। इसलिये, आज जब चुनाव का मौका आया, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वह अपना असर खोती जा रही है।

चूंकि हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। हमारे किसान बर्बाद हो रहे हैं। हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकारपूर्ण है। देश में

जिस तरह से विनिवेश की प्रक्रिया चलाई जा रही है, वह घोटाले, भ्रष्टाचार, लूट और देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जर्जर बनाने का काम कर रही है। इसलिए ऐसी हालत में जब चुनाव हो रहे हैं और जहां भी चुनाव हुए हैं, वहां भाजपा के हाथ से शासन निकलता गया है। आम जनता ने बहुत आशा और उम्मीद से प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व पर भरोसा रखते हुए बड़े पैमाने पर वोट देने का काम किया था। जिन लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठ-बंधन बनाने और सरकार चलाने का काम किया था, आज वे सभी लोग निराश हैं, घोर हताशा के शिकार हैं और अधंकार में जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे तमाम लोगों को जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका मिल रहा है तो वे भाजपा के खिलाफ अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और सारे देश के एक-एक राज्य में चाहे म्युनिसिपैलिटी हो, नगर निगम हो और चाहे राज्य की विधान सभा हो, लोगों को जहां भी मौका मिल रहा है, वहां से भाजपा का नामो-निशान खत्म होता जा रहा है। ऐसी हालत में जब उन्होंने देखा के गुजरात के चुनाव में भी उनकी डूबती नैया का आज कोई भविष्य नहीं है तो उन्होंने आज फिर से एक यात्रा का नाटक शुरू किया। श्री प्रवीण तोगड़िया, आचार्य धर्मेन्द्र जैसे लोगों ने जिस तरह से हिंसक भाषण दिये, वे बहुत शर्मनाक हैं। हमारा देश जिन परम्पराओं का देश है, गौरवशाली परम्पराओं और संत-महात्माओं का देश है, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों, अपनी संत वाणी से हमारे भारत की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन क्या प्रवीन तोगड़िया, आचार्य धर्मेन्द्र और महंत गिरिराज किशोर की बातों को सुनकर क्या कोई कह सकता है कि ये उसी भारतीय संस्कृति की परम्पराओं की श्रृंखला के लोग हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण और अनेकों संत-महात्माओं, जिनके ऊपर भारत को गर्व है, क्या उनकी श्रेणी में ऐसे लोग आ सकते हैं। रात-दिन सम्प्रदाय विशेष के खिलाफ, संविधान के खिलाफ और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसक भाषण दिये गये, उन्होंने जाहिर कर दिया कि इनकी संविधान में कोई आस्था नहीं है, इनको देश की परम्पराओं में कोई आस्था नहीं है। इन्हें देश की गरिमा और मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं है। इंसानियत के खिलाफ, नग्नता के साथ, क्रूरता के साथ बड़े पैमाने पर गुजरात में हिंसा भड़के, सारे देश में हिंसा भड़के और सम्प्रदायों के आधार पर लोग आपस में बंट जाएं, इसके लिए इन्होंने साजिश रचने का काम किया है। आज भी उनके भाषण बंद नहीं है। उनके भाषणों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और चार घंटे के बाद छोड़ दिया गया। प्रधान मंत्री ने बयान दिया, अपील की, उसके बाद भी कोई असर नहीं है। प्रधान मंत्री जी आज भाजपा के नेताओं के साथ पूरी मिलीभगत के चलते ये सारी बातें हुई हैं। पाखंडता की भी कोई हद होती है। पाखंडता और पाशविकता आज लोगों को सामने दिखाई पड़ रही है। देश की करोड़ों जनता जिस तरह से देख रही है और प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं। जो जेटली जी ने कहा और जो दूसरे लोगों ने कहा और मैंने जो कहा, घुमा-फिराकर बात वही है। इसका क्या मतलब है। हम प्रधान मंत्री जी से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं करते हैं।

प्रधान मंत्री जी के बारे में हमारी यह धारणा थी कि प्रधान मंत्री जी कम से कम इस बार जबकि पूरा राष्ट्र एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है कि जहां देश की धर्मनिरपेक्षता, देश का जनतंत्र, देश में भाईचारा, देश में इंसानियत दाँव पर लगी हुई है तो प्रधान मंत्री जी दूरदर्शिता और दृढ़-संकल्प का परिचय देंगे, लेकिन अफसोस है कि प्रधान मंत्री ने मज़ाक किया और चुटकी लेते हुए जिस तरह से बातें कहीं, उससे ज़ाहिर हो गया कि प्रवीण तोगड़िया और आचार्य धर्मेन्द्र जैसे लोगों के हिंसक भाषणों और बयानों पर उनको ज़रा भी अफसोस नहीं है। उसकी निन्दा प्रधान मंत्री जी को करनी चाहिए थी जो नहीं हुई।

आज पूरा देश इनकी हरकतों से, कारनामों से ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां हम किसानों की समस्या के बारे में, बेकारी की समस्या के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की और तमाम जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनके बारे में गंभीर नहीं हैं। हमारे लाखों बुनकर देश में जहां-तहां भटक रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में आज हम बहस नहीं कर सकते। इसलिए सदन के अंदर और सदन के बाहर हमारा अधिकांश समय इन बातों में निकल जाता है कि सांप्रदायिक तनाव को कैसे रोका जाए, भाई-चारे को कैसे कायम किया जाए, किस तरह से जनतंत्र को कायम रखा जाए या फासीवाद ताकतों की साजिश को कैसे नाकाम किया जाए और पूरे राष्ट्र में इंसानियत का माहौल कैसे कायम रखा जाए, अपने देश की परंपराओं और मर्यादा को कैसे कायम रखा जाए।

आज हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि सदन में ऐसी परिस्थिति लानी चाहिए जिससे कि सभी लोग खुलकर अपनी बात कह सकें। देश में कहीं भी सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से विश्व हिन्दू परिषद् कर रही है, बजरंग दल के लोग कर रहे हैं, उन सारी बातों को रोकने की एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई के बारे में सरकार को दृढ़-संकल्प होना चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी आडवाणी जी यहां मौजूद हैं। आज देखा जाए कि किस तरह से बजरंग दल वालों ने क्या किया एक सिनेमा को रोकने के नाम पर। मध्य प्रदेश में क्यों वैसी हरकतें हो रही हैं ? चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, आपका असर आम जनता से उतरता जा रहा है। उसके लिए आप सांप्रदायिक तनाव का वातावरण तैयार करने के लिए अपने संघ परिवार के लोगों को उकसाने की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा निर्देश देने का काम कर रहे हैं कि जिससे देश में ऐसा वातावरण फैले जिससे हिन्दुत्व के नाम पर आपके पक्ष में वातावरण हो जाए। लेकिन इस बात को याद रखिये कि अब जनता आपकी सारी करतूतों को समझ चुकी है। मौका आ रहा है और गुजरात में भी आपको पता चल जाएगा कि जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाली जनता है जिसका विश्वास मानवतावादी मूल्यों में है, वह आपके झांसे में आने वाली नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का झंडा, जनतंत्र का झंडा वहां लहराता रहेगा। किसी भी हालत में आप उसको गलत दिशा देने में कामयाब नहीं होंगे। देश में जो वातावरण बन रहा है, आज हमने देखा है कि किस तरह से आज भी हजारों लोग जिनको कैम्पों में शरण लेनी पड़ी थी, हमारी माँ-बहनों को आज भी अपने घरों की ओर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही है।

[श्री सुबोध राय]

उनको भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि आपने वहां प्रशासन, जिला प्रशासन, सिविल प्रशासन और पुलिस को इतना ज्यादा जहर पिला दिया है। वहां आज भी कई इलाकों में क्रिमिनल्स जिन पर साम्प्रदायिक दंगा भड़काने, आग लगाने या हत्या करने का आरोप हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

आज आप कैम्पों को उठाने की बात कर रहे हैं, बंद करने की बात कर रहे हैं। यह बात बहुत ही गलत है। मेरा कहना है कि जब तक उनके पुनर्वास की पूरी गारंटी नहीं हो जाती, जब तक लोगों को आतंक से मुक्त होकर जीने की गारंटी नहीं हो जाती तब तक किसी को भी कैम्पों से नहीं जाने देना चाहिए। वहां इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति दंगाई केस में इन्वाल्व है, उनको गिरफ्तार किया जायेगा और उनके ऊपर मुकदमा चलेगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के परिवार में लोग मारे गये हैं या जिसकी सम्पत्ति नष्ट हुई है, उनको पूरा मुआवजा मिले। गोधरा के लोगों को आपने मुआवजा दिया, बहुत अच्छा काम किया लेकिन गोधरा के लोगों को आप यदि उनके परिवार वालों के लिए मुआवजा दे सकते हैं तो जिस भी इलाके में चाहे अहमदाबाद में हो या गुजरात के अन्य हिस्सों में लोग मारे गये हैं, उनको वही मुआवजा देने में आपको हिचक क्यों है ? मैं जिस क्षेत्र भागलपुर से आता हूं वहां के नाथ नगर, चम्पानगर के हमारे मुस्लिम भाइयों ने हैंडलूम कार्पोरेशन के निर्देश पर एक एग्जीबिशन लगाने का काम किया था। 27 फरवरी को गोधरा की घटना के बाद 28 तारीख को जब भारत बंद हुआ, तो हमारे नौजवान जो उस एग्जीबिशन में दुकानें लगाते थे, वे मोहम्मद हाजी सज्जाद के लड़के थे, उन्होंने जब देखा कि उनकी कोई सुरक्षा नहीं है तो जब वे गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन जा रहे थे तो उनकी हत्या कर दी गयी। वहां तीन नौजवानों की हत्या की गयी। मैं वहां खुद गया था। मैंने वहां की परिस्थिति को देखा कि किस तरह से पुलिस ने उस घटना को दबाने की कोशिश की। उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया जबकि देश में पूरी तरह से जाहिर हो चुका है।

इन सब बातों को मैं कहने के लिए आज मजबूर हूं। कई बार मैंने आपको पत्र लिखकर बताने का काम किया लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं हो सकी। इसलिए मैं चाहूंगा कि ऐसे कई लोग जो गुजरात कांड में हिंसा के शिकार हुए हैं, उनको पूरा मुआवजा दिया जाये और उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था हो। इसके साथ-साथ वहां जितने जान-माल का नुकसान हुआ है, उसकी पूरी भरपाई की जाये। गुजरात में ऐसा वातावरण तैयार किया जाये ताकि गुजरात का जो आगमी चुनाव है, वह शांत और पूरी तरह से भाईचारे और सद्भाव के वातावरण में हो। इसके साथ-साथ किसी भी क्रिमिनल को किसी तरह की छूट या आजादी नहीं मिलनी चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि श्री प्रवीण तोगड़िया और आचार्य धर्मेन्द जैसे लोगों को तब तक जेल में बंद रखना चाहिए जब तक गुजरात का चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाता।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में गुजरात के विषय में ऐडजर्नमैंट मोशन पेश किया गया। इस सदन को गुजरात की सरकार को बधाई देनी चाहिए कि वहां इस समय शांतिपूर्ण माहौल है, वहां शान्ति व्याप्त है, वहां ऐसी एक भी घटना नहीं हो रही है। गुजरात में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा सांकेतिक तौर पर यात्रा निकालने के बाद कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस, समाजवादी दल और दूसरे लोग जो इंतजार कर रहे थे कि वहां कोई खूनखराबा हो जाए, कोई हत्याकांड हो जाए, कोई साम्प्रदायिक दंगा हो जाए, उस सबको नाकाम करते हुए वहां शान्ति स्थापित की। इसके लिए गुजरात सरकार और विश्व हिन्दू परिषद को बधाई देनी चाहिए। *(व्यवधान)* गुजरात पर बहुत बार बहस हुई। *(व्यवधान)* जिस तरह कहा गया कि गुजरात में हत्याएं हुईं, यह हुआ इत्यादि, मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता था परन्तु क्योंकि आरोप लगाए गए, इसलिए मैं दुबारा कुछ बातों का उल्लेख जरूर करना चाहता हूं। मैं फिर पूरी तत्परता और जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूं कि गुजरात में जितनी तेजी से सेना को तैनात किया गया, जितनी तेजी से वहां सेना को भेजा गया, 24 घंटे के अंदर वहां सेना लगा दी गई और दो सौ आदमी पुलिस और सेना की गोली से मारे गए। गुजरात और पूरे हिन्दुस्तान में दंगों को फैलने से रोका गया। इसके बावजूद गुजरात पर आरोप लगाना कहां तक ठीक है। *(व्यवधान)* इसलिए कि आरोप लगाया जा रहा है। *(व्यवधान)* यह बात जो इन्होंने बार-बार की, इससे पहले कि दंगों का जिक्र छेड़ दें, ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं तो यहां क्या नए मुर्दे लाए जा रहे हैं। गुजरात की पुरानी बातों को ही दोहराया जा रहा है। वही फासीवाद, वही जीनोसाइड, वही सब बातें। क्या यह सच्चाई नहीं है ? *(व्यवधान)* सच्चाई यह है कि जब दिल्ली में दंगा हुआ, चार हजार सिख मारे गए, एक लाठी चार्ज नहीं हुआ, एक गोली नहीं चली, किसी ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। चार हजार लोग मारे जाएं, एक गोली नहीं चले, एक लाठी चार्ज नहीं हो, एक आदमी गिरफ्तार नहीं हो। सारी जांच दलों ने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स के हाथ खून से रंगे हुए थे। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ (फरीदकोट) : यह गलत बात है। स्वर्गीय राजीव गांधी सड़कों पर घूमे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब आप भाषण देंगे, तब बोलिए।

(व्यवधान)

श्री जे०एस० बराड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल उनकी गलती सुधारना चाहता हूं *(व्यवधान)* श्री राजीव गांधी ने खुद सारे दंगा पीड़ित इलाकों का दौरा किया था। इस देश के प्रधान मंत्री के नाते वे खुद गए थे। *(व्यवधान)* मेरे विचार से, लगभग 400 लोगों

को गिरफ्तार किया गया था। *(व्यवधान)* यह बिल्कुल गलत बात है जो बयान की गई है। यह भी गलत बात है कि कोई अरैस्ट नहीं की गई। लोग अरैस्ट किए गए थे और आपको याद होगा कि उन्होंने खुद सारी दिल्ली का दौरा किया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा हो गया, आप बैठ जाइए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : चाहे वह नानावती कमीशन हो या उससे पहले की कमीशन हो, सबने साबित किया कि कांग्रेस के जिन नेताओं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : महोदय, मैं उन्हें टोकना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइये।

क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है ?

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : हां, वे समाप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप प्वाइंट ऑफ आर्डर में हैं तो रूल बताइए कि कौन से रूल के अंतर्गत बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। ऐसे प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं हो सकता।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, वे समाप्त कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप बोलिए। इनके पास प्वाइंट ऑफ आर्डर के लिए कोई रूल नहीं है।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कह रहा था कि गुजरात में जो इतनी कड़ी कार्यवाही की गई, उसकी सराहना करने के बजाए, जिनका अपना रिकार्ड इतना टेन्टेड है, यहां इन्हीं के नेता ने, जो उस समय प्रधान मंत्री बन गए थे। उन्होंने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस तरह तब जो कुछ भी हुआ, उन्होंने उसको जस्टिफाई करने का काम किया। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : राजीव गांधी जी ने यह कहा था, "यह पागलपन बंद होना ही चाहिए।"

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : जो कुछ हुआ, वह खराब बात है। गोधरा की घटना थी, वह भी खराब बात थी और उसके बाद की घटनाएं भी खराब हैं। परंतु उस पर जो सरकार ने कार्रवाई की, उस पर इस तरह का लांछन लगाना, इस प्रकार के आरोप लगाना, यह कहां तक उचित है ? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि आपने गांधी के गुजरात को गोडसे का गुजरात बना दिया। आप कांग्रेस का एक लीडर बताएं या एक कांग्रेसी म्यूनिसिपल काउंसलर बताएं, जिस समय यह सारा कांड हो रहा था, जिसको तथाकथित जेनोसाइड कहा जा रहा है, नृशंसता कहा जा रहा है, फासीवाद कहा जा रहा है, एक भी कांग्रेसी वहां सीना तानकर खड़ा हुआ हो, उसको कोई चोट लगी हो। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं यह कहने हेतु खड़ा हुआ हूं कि जब पूरा अहमदाबाद लपटों से घिरा था, तब और कोई नहीं अपितु कांग्रेस के नेता अहमदाबाद के लोगों को सहायता और समर्थन दे रहे थे। उन्हें यहां कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए कि हमारे नेता दिन और रात अपनी जान पर खेलकर एक के बाद एक पीड़ित व्यक्ति को बचाते रहे। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, वे जानबूझकर कुछ बातों को भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आप एक भी आदमी का नाम लें जो इन घटनाओं में शामिल था।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : आपके यहां से दस आदमी बोलेंगे तो मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी मुश्किल है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे।

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा) : आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे सांसद के एक रिश्तेदार को इन दंगों में मार दिया गया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : विजय कुमार जी आप बोलिए।

श्री जे०एस० बराड़ : गृह मंत्री जी का वहां निर्वाचन क्षेत्र है, ये क्यों नहीं उस वक्त गए, सिर्फ एक भूतपूर्व सांसद गए थे। आप इतना अच्छा बोल रहे थे, ऐसे क्यों बोलने लगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन में शांति बनाए रखें।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : इन्होंने कहा कि पचास हजार की भीड़ ने हमला कर दिया और इनके किसी व्यक्ति के घर को जला दिया, यह बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या उस पचास हजार की भीड़ में कोई कांग्रेसी नहीं था, मैंने पूछा तो बताया गया कि इनके एक भी आदमी को चोट नहीं लगी, लाठी नहीं लगी, गोली नहीं मारी गई। कांग्रेस में क्यों नहीं कोई गणेश शंकर विद्यार्थी पैदा हुआ। जब दंगे हो रहे थे कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे, ये सब उस भीड़ में शामिल थे। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : यह एक बहुत गैरजिम्मेदाराना आरोप है और यह अच्छी बात नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, भा०ज०पा० के एक जिम्मेदार नेता, डा० मल्होत्रा ने यह आरोप लगाया है और उन्हें गृह मंत्री के सामने यह सिद्ध करना होगा कि उसमें कांग्रेसी शामिल थे। अन्यथा, कृपया उनसे अपना आरोप वापस लेने को कहें। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : यह एक बहुत दुर्भावनापूर्ण और गैर जिम्मेदाराना आरोप हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें बताने दो कि किन-किन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और किन-किन के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। क्या किसी भी प्राथमिकी में किसी कांग्रेसी का नाम दर्ज है ? वह क्या कह रहे हैं ? वह एक जिम्मेदार नेता हैं, लेकिन वे झूठे बयान दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : उन्होंने झूठा आरोप लगाया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने हत्याकांड किया था और वे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : हत्याकांड के षड़यंत्रकारी दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : इनके शब्दों पर लगाम लगाइए *(व्यवधान)* मेरे पर आरोप लगाए गए हैं। *(व्यवधान)* मैं भी ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता हूं। मैं भी ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं असंसदीय शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, जो आप यहां अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोलते हैं, मैं उनको रिमूव करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर चर्चा अच्छी तरह से हो। महत्वपूर्ण विषय पर इस हाउस में चर्चा हो रही है और जो चर्चा हो रही है, उसको गुजरात के लोग भी सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि यहां चर्चा करते समय एक डिगनिटी बनाए रखें और चर्चा डिगनिटी से हो जाएगी तो उसका असर अच्छा होगा। मैं आप सभी को कह रहा हूं। जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आपने आरोप लगाया है तो

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपका जो आरोप है, उसको अगर आप सब्सटेनशिएट कर सकते हैं तो करिए – इतना मेरा कहना है। आप सब्सटेनशिएट करिए नहीं तो आरोप नहीं लगाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, हत्याकांड के षडयंत्रकारी ही हम पर आरोप लगा रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इनको यहां कहने का अधिकार है कि ये जेनोसाइड करने वाले हैं, इनको यह कहने का अधिकार है कि ये फासीवादी हैं, इनको यह कहने का अधिकार है कि ये नाजीवादी हैं और इनको यह कहने का अधिकार है कि ये हत्यारे हैं। लेकिन जब हम जवाब देते हैं तो इनको सहन भी नहीं होता। *(व्यवधान)* ऐसी कलुषित भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इन्होंने हत्याकांड की साजिश रची थी ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : वे आर०एस०एस० के मैम्बर रहे हैं तो यह तो इतिहास बता रहा है। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : इतिहास हम भी आपको बता रहे हैं। आप इतिहास सुनें तब न। आप इतिहास सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : किसने गांधी को मारा ? *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : आप लोगों ने। कांग्रेस वालों ने गांधी की आत्मा की हत्या कर दी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया चुप रहें। श्री मल्होत्रा, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह कह रहा था कि वहां पर सब लोगों ने उसकी आलोचना की। जो घटना हुई या उसके बाद

की जो घटनाएं हुई, उनके बारे में सबने आलोचना की और गोधरा का विषय चुनाव का विषय न बनाया जाए, यह बात बार-बार कही गई। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब शांत रहें।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, ऐसे बोलना तो बहुत मुश्किल है। ये लोग बीच में बोल रहे हैं। जब ये बोल रहे थे, तो हमने बीच में टोकाटोकी नहीं की।

अध्यक्ष महोदय : आप अब इस पर अपना भाषण मत करिए। आप अपनी बात कहिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक बात कही थी कि गोधरा को चुनाव का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। परंतु जैसे कि प्रधान मंत्री जी ने यह बात कही तो कांग्रेस के गुजरात के अध्यक्ष का उसी दिन बयान छपा कि गोधरा में विश्व हिन्दू परिषद वालों ने खुद ही आग लगाकर सबको मार डाला और यह बात यहां नहीं कही बल्कि विदेशों में जाकर कही। *(व्यवधान)* अब इतनी घृणित बातें अगर वे कहेंगे तो क्या गोधरा का सच लोगों को नहीं बताया जाएगा ? क्या लोगों को यह नहीं बताया जाए कि गोधरा में क्या हुआ था ? क्या लोगों को यह नहीं बताया जाए कि गोधरा में लोगों को कैसे मारा गया था ? *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : जो इस बारे में रिपोर्ट है, वह भी लोगों को बताएं। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : वह भी बता रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : वह नहीं बता रहे हैं क्योंकि यह जानते हैं कि यह कैसे हुआ ? *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अगर ये यह चाहते हैं कि केवल ये बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा तो आप कहिए। यह कोई तरीका नहीं है। मैं इस तरह से नहीं बोल सकता। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : आप बोलें तो सच बोलें। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं सच बोल रहा हूं। आपकी अध्यक्षा से पूछ रहा हूं कि जो गोधरा में पकड़े गये और साबित भी हो गए, क्या वे कांग्रेस के काउंसिलर नहीं हैं ? *(व्यवधान)* आपने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ? वे कांग्रेस के लीडर थे और कांग्रेस के लीडर जो आग में शामिल हुए, लेकिन आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे चलेगा ? हमें सदन चलाना है।

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, आप इन चीजों को कार्यवाही वृत्तान्त में कैसे जाने दे रहे हैं ? *(व्यवधान)* वे यहां जो कह रहे हैं वह ठीक होना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : यहां जो कुछ कहा जा रहा है वह सही नहीं है। माननीय सदस्य बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जिन्हें वे सिद्ध नहीं कर सकते हैं। *(व्यवधान)* यदि हम इन चीजों को गंभीरता से लें और विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऐं तो उन्हें इन्हें साबित करना पड़ेगा। वे कहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाकर कहा था कि यह गोवा है *(व्यवधान)* ऐसा नहीं कहा गया है। इसे इस सदन में कई बार स्पष्ट किया जा चुका है। माननीय संसद सदस्य ने कुछ तथ्य और आंकड़े दिये हैं जो कि पूर्णतया गलत हैं, वे कहते हैं कि कांग्रेसी पार्षद शामिल हैं, यह भी गलत है। *(व्यवधान)* यहां ऐसी तस्वीरें हैं तो उन्हें उनके साथ दिखा रही है। ये सभी तथ्य इस सदन में इस प्रकार प्रस्तुत किए गए हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इसका विरोध न करें। गुजरात में यह महत्वपूर्ण है कि वहां भय का प्रसार न हो। यदि यह बातें यहां और बाहर भी नहीं जाती हैं तो लोग भयभीत होंगे। यदि माननीय संसद सदस्य बोल रहे हैं तो हम उन्हें हर बात पर टोकते नहीं रहेंगे। तथापि, यदि वे जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वे गलत हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं कर करते और यहां शांति से बैठे नहीं रह सकते।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : आपको उत्तर देने का अधिकार है। आपके माननीय सदस्य जब बोलेंगे, वे जवाब दे देंगे।

श्री शिवराज वि० पाटील : उत्तर देने का हमें अधिकार है और सदन में आपके द्वारा गलत सूचना दिए जाने के खिलाफ प्रस्ताव लाने का भी अधिकार है, जिसे हम लाना नहीं चाहते। लेकिन आपको गलत सूचना नहीं देते रहना चाहिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने जो भी कहा है सत्य कहा है और उस पर कायम हूं।

[हिन्दी]

मैं आपको वघेला साहब की टीवी रिपोर्ट दिखा सकता हूं, वघेला साहब के भाषण की कटिंग्स आपके सामने पेश कर सकता हूं और वघेला साहब द्वारा न्यूयार्क में दिया हुआ भाषण दिखा सकता हूं, जिसमें कहा गया है कि विश्व हिन्दू परिषद ने गोधरा कांड किया है। अगर आप यह कहेंगे कि वी०एच०पी० ने किया है, तो क्या हम सच्चाई नहीं बतायेंगे। वहां पर नहीं बतायेंगे कि गोधरा में क्या हुआ था और 65 आदमी कैसे जलाए गए। आप कुछ भी चार्ज लगा दें, लेकिन जब हम उसका जवाब देना चाहें, तो जवाब नहीं दे सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोल रहे हैं या विश्व हिन्दू परिषद की ओर से।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सचेतक हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

कहा गया कि गोधरा में क्या हुआ, लेकिन सवाल यह है कि आग क्यों लगाई जाती है और कोशिश की जाती है कि इसको चुनाव में भुनाया जाए। यहां पर चुनाव आयोग के बारे में कहा गया कि चुनाव आयोग ने गुजरात के बारे में कुछ आदेश निकाले हैं। चुनाव आयोग ने जो आदेश निकाले हैं, वे हमारी राय में ठीक नहीं है, अनुचित थे। उन्होंने वहां के चीफ सैक्रेटरी और अन्य लोगों को बुलाकर कहा है कि ये जोकर हैं। चुनाव आयोग ने सबको जोकर कहा और कहा कि जो चुनाव जल्दी चाहते हैं वे पागल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए और चुनाव जल्दी कराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेज पागल हैं ? चुनाव आयोग ने फारूख अब्दुल्ला पर भी इल्जाम लगा दिया। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका उल्लेख जिस तरह माननीय सदस्य कर रहे हैं नहीं किया जा सकता। वे भारत के चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं जो वह नहीं कर सकते। वे मुख्य चुनाव आयोग के भाषण से निष्कर्ष निकाल रहे हैं तथा कह रहे हैं कि 'वह उच्चतम न्यायालय के जजों पर भी आरोप लगा रहे हैं,' लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका समर्थन ही किया है।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : विश्व हिन्दू परिषद् और संघ परिवार का कोई भी यहां नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी चार्ज लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव जल्दी होने चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल : आप सुप्रीम कोर्ट का आर्डर पढ़िए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने पढ़ा है। कहा गया कि विश्व हिन्दू परिषद् को यात्रा समाप्त कर देनी चाहिए, नहीं निकालनी चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि उसको मान लेना चाहिए। विश्व हिन्दु परिषद् ने सांकेतिक यात्रा निकाली, मामला खत्म हो गया। मैं यह कहता हूं, क्या उनको यह नहीं करना चाहिए था कि कोई धार्मिक यात्रा नहीं निकलेगी या मज़हबी यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। शुक्रवार की नमाज़ के बाद पोलिटिकल भाषण दिए गए। उनमें ज़हर नहीं उगलना चाहिए था। यहां पर जो यात्रा निकली और उन्होंने जो यात्रा निकाली, वे सब यात्रायें ठीक हैं, परन्तु इस यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। आपके कृष्णा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ पदयात्रा निकाली। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानता। सारी जगह यात्रा निकाल दी। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, यह फिर गलत बोलते जा रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : सुप्रीम कोर्ट ने क्या बयान दिया, उसका भी जिक्र करिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : यह उचित नहीं है *(व्यवधान)* कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री, श्री एस०एम० कृष्णा ने कभी ऐसा नहीं कहा। *(व्यवधान)*

श्री कोलूर बसवनागौड़ (बेल्लारी) : यह सही नहीं है, उन्होंने कभी भी उच्चतम न्यायालय की आलोचना नहीं की। *(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : यह गलत है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : कृष्णा साहब की यात्रा निकली, सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर माफी मांगी। ग्लोरीफाई करने के लिए पद यात्रा निकाल दी, कि मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा। *(व्यवधान)* मुझे कह रहे हैं कि आप इलैक्शन कमीशन को क्यों क्रिटिसाइस कर रहे हैं और वे सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइस करते हुए सारे कर्नाटक में पद यात्रा निकाल रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे०एस० बराड़ : यह तथ्यों पर आधारित नहीं है। हमने कभी भी सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं की। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस समय जो खेल खेल रही है, जिस तरीके से वहां हो रहा है, वह उनके कारण नहीं हो रहा कि कांग्रेस पार्टी वहां पोलोराइजेशन कर रही है। *(व्यवधान)* यह हंसने की बात नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : उनका एक भी शब्द आपत्तिजनक नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें क्या गलत बात है। इन्हें बोलने दीजिए। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, गुजरात के अंदर इस समय जो परिस्थिति है, शांतिपूर्वक चुनाव में इनकी हार निश्चित है। वहां के सारे सर्वे इसी तरह के आ गए हैं। *(व्यवधान)*

श्री जे०एस० बराड़ : लोगों को आना होगा। ऐसा कहने वाले वे कौन होते हैं ? *(व्यवधान)* इनका फतवा आना है, उस पर पहले टिप्पणी करनी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह सर्वे की बात कर रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। पेपर में जो सर्वे आया है, वही बोल रहे हैं। इसमें क्या गलत बातें बोल रहे हैं ?

श्री जे०एस० बराड़ : ये पहले ही हार चुके हैं। *(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : इनकी कौन सी बात आपत्तिजनक थी ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने यही कहा है।

श्री किरीट सोमैया : वहां से कांग्रेस के माननीय सदस्य बार-बार खड़े हो जाते हैं। महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विजय जी जो बोल रहे थे, उसमें क्या आपत्तिजनक बात थी, जो ये इस तरह बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन्हें रोका है, आप बैठिए।

श्री जे०एस० बराड़ : क्या गुजरात का फैसला आप कर रहे हैं ? *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, अब क्या हो रहा है कि कोई न कोई ऐसा विषय बनाया जाए, जिससे चुनाव न हों। साम्प्रदायिक हिंसा एवं बाकी चीजें हो जाएं। उसके लिए कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के कई नेता वही भाषा बोलते हैं, जो मुशर्रफ बोलते हैं। जिस प्रकार से मुशर्रफ वहां गुजरात के बारे में जिन घटनाओं का जिक्र करते हैं, अक्षरधाम और दूसरों के बारे में करता है, वही सारी बातें कांग्रेस के लीडर बोलते हैं। क्या वहां जो मुशर्रफ चाहता है और जो यहां स्थिति पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो योजना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : मुशर्रफ का दूसरा चेहरा मोदी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शांति बनाये रखेंगे ? कृपया उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : मल्होत्रा जी, जब कहते हैं कि मुशर्रफ की तरफ चलिए, तब तो आप अमेरिका की तरफ चल देते हैं। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मुशर्रफ की तरफ क्या जाना है, ये कह रहे हैं कि हम अपने किसी राज्य में पोटो नहीं लगाएंगे। ईश्वर न करे, जिसकी गलती से भी संभावना नहीं है कि गुजरात में इनकी सरकार बन जाए तो वहां भी ये पोटो नहीं लगाएंगे और जो सारे लागे पकड़े हुए हैं – जैसे काश्मीर में सब आतंकवादियों को छोड़ दिया, ये गोधरा कांड वालों को भी छोड़ देंगे और बाकियों को भी छोड़ देंगे। महोदय, देश की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि अगर ये पोटो नहीं लगाएंगे। *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : पंजाब में सिचुएशन पोटो के बिना ही सुधरी थी। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : हम लोग बैंकों की जेल से रिहाई चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : विजय जी, आप बोलिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, इनका जो गेम प्लान गुजरात के अंदर है, उसे देश की जनता समझे। मुझे आश्चर्य होता है कि ये कैसे-कैसे आरोप लगाते हैं। यह जिन्होंने प्रपोज़ किया, मोशन रखा, वे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदमी ने, शिवसेना के किसी व्यक्ति ने सिनेमा को रोक दिया, यह कैसा फासीवाद है। जिन्होंने प्रदर्शन किया। उन तीनों ने मान लिया कि कांग्रेस के लीडर्स को बुलाकर, पैसा देकर प्रदर्शन कराया है। करने वालों ने मान लिया कि हम कांग्रेसी हैं और हमको यहां पर लाया गया था। बुंदेला ने भी मान लिया कि मैंने ही यह सब प्लान किया था और ये आरोप लगा रहे हैं कि बी०जे०पी० वाले फासीवादी हैं जबकि ये ही वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसी-कैसी बातें यहां की जा रही हैं। ये कहते हैं कि गुजरात में गोधरा को विषय न बनाओ। मेरा कहना है कि अगर गोधरा विषय नहीं है तो अहमदाबाद के दंगे भी विषय नहीं होने चाहिए। अगर गोधरा की जली हुई बोगी के अंदर जले हुए शव दिखाने पर बैन लगाया जाता है तो अहमदाबाद के दंगों की झूठी और मनगढ़ंत तस्वीरें, पेट-चीरकर बच्चा निकालने की घटना की जो तस्वीरें और किताबें बांटी जा रही हैं उन पर भी रोक लगानी चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि आप हिंदुओं के खिलाफ एक तरफा झूठा और जहरीला प्रचार करते चले जाएं और पांच करोड़ गुजरात के लोगों को कातिल कहते रहें और दूसरी तरफ कहें कि गोधरा की बोगी को मत दिखलाओ। वहां पर किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक प्रचार न हो इस बात का निर्णय होना चाहिए। वहां पर गलत प्रचार किया जा रहा है, झूठी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, किताबें बांटी जा रही हैं, मनगढ़ंत किताबें और चीजें वहां बांटी जा रही हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि गोधरा की तस्वीर को रोक दो। ऐसा भी उन्होंने कहा है कि जब तक चुनाव है इन सबको जेल में डाल दो। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक ही मांग करे कि वहां पर कोई भी बीजेपी का आदमी प्रचार नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग से सिफारिश करें कि केवल कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ही प्रचार करेंगी। इसके अतिरिक्त तो इनकी कोई इच्छा नहीं लगती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात के गौरव के साथ मत खेलिये, गुजरात के लोगों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइये। गुजरात के नतीजे सामने आयेंगे तो सच्चाई बता देंगे। इसलिए यह जो एडजर्नमेंट मोशन रखा गया है मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात पर चर्चा में फिर से भाग लेने पर मुझे बेहद अफसोस है। मैं बहुत दुखी हूं,

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

इसलिए नहीं कि मैं गुजरात से और कांग्रेस पार्टी से हूं बल्कि इसलिए कि मैं भारतीय हूं और गुजरात में पैदा हुआ हूं और गुजरात से चुना गया हूं।

गुजरात में क्या हुआ था ? मेरे परिवार में भी व्यक्तिगत नुकसान हुआ। गुजरात में हिंसा के दौरान एक 20 वर्षीय युवक को शादी के तुरंत बाद मार दिया गया। वह मेरे भतीजे का बेटा था। मेरा परिवार भी अशान्त था क्योंकि मैं संसदीय क्षेत्र के शाहपुर जगह पर रुका हुआ था जहां से देश के माननीय उप-प्रधान मंत्री जी चुने गये हैं। महीनों के कर्फ़्यू का हमें अनुभव है। गुजरात में जो कुछ हुआ उससे मैं बहुत चिंतत हूं लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। गुजरात में क्या हुआ था, इस संबंध में मैं आजमी साहेब की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूंगा :–

[हिन्दी]

"हमीं पे जुल्म ढाया जाता है, हमीं को मुजरिम बनाया जाता है,
जिनको मरकर भी नहीं जलना था, उनको जिंदा जलाया जाता है,
हम घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं
ये लोग चंद घंटों में बस्तियां उजाड़ देते हैं,
अरे उनसे तो परिंदे अच्छे हैं जो कभी मंदिर पे, कभी मस्जिद पे,
कभी गिरजाघर पे और कभी गुरूद्वारे पर बैठ लेते हैं।"

गुजरात में इंसानियत की हार हुई है। यह केवल हिंदू-मुसलमान का मसला नहीं है बल्कि देश के संविधान का वहां पर उन्मूलन हुआ है, उसको उखाड़कर फैंक दिया है।

[अनुवाद]

हमें सिखाया गया है और हम जानते हैं कि इस देश में कानून का शासन है। साथ ही यह भी सिखाया गया है और हम जानते हैं कि केन्द्र तथा राज्यों में चुनी हुई, कल्याणकारी और लोकतांत्रिक सरकारें हैं। लेकिन गुजरात में क्या हुआ ? वहां जो भी हुआ पुलिस की मिलीभगत से हुआ। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। 1947 से ही हमने गुजरात में अनेक साम्प्रदायिक दंगे देखे हैं। 1980 में दंगे हुये, फिर 1985 में तथा 1992 में भी दंगे हुये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? मैं गोधरा के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन बाद की घटनाएं पुलिस तथा राज्य की मिलीभगत से हुई। ये घटनाएं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुईं। यह अत्यंत गम्भीर मामला है और उन पर हमारा विश्वास नहीं रहा। मैं उस महिला की व्यथा का वर्णन नहीं करना चाहता जिसका बलात्कार 11 लोगों द्वारा किया गया और वह भी सरदार पटेल की जन्मस्थली में और जिनका नाम अब वर्तमान मुख्य मंत्री ने छोटा सरदार के रूप में अपना लिया है। मुझे खेद है। जब भी उन्हें सुविधा होती है वे कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हैं। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, बल्कि वे राष्ट्रीय नेता थे। वे सरदार पटेल का नाम लेते हैं। ये लोग नेहरू परिवार और सरदार परिवार के बीच प्रतिद्वन्द्विता की बात करते हैं। गुजरात के मुख्य मंत्री एक छोटे से गांव में जाते हैं, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था और उनकी पुत्र-वधू के पैरों में गिर जाते हैं।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : उन्होंने आदरणीय सरदार पटेल और उनके परिवार का सम्मान किया। *(व्यवधान)* क्या इसमें भी आपको आपत्ति है ? माननीय मुख्यमंत्री सम्मान के रूप में उन्हें नमस्कार करते हैं। *(व्यवधान)* सरदार पटेल राष्ट्र के नेता थे। वह ऐसा करके उनकी पूजा करते हैं। क्या इसमें भी आपको आपत्ति है ? *(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : वह सम्मान नहीं, उनका अपमान कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : जो मैं कह रहा था, उसे मैंने पूरा नहीं किया है। इससे साबित होता है कि मुख्य मंत्री जी स्त्री का आदर करते हैं। अन्यथा वह एक युवा स्त्री हैं। सरदार पटेल की पुत्र-वधू एक युवा स्त्री है और मुख्य मंत्री एक बुजुर्ग व्यक्ति। लेकिन इससे साबित होता है कि वे स्त्री का सम्मान करते हैं। यह अच्छा प्रतित होता है। लेकिन श्री किरीट सोमैया जी, मैं चाहूंगा कि आप शबनम हाशमी द्वारा लिखा हुआ लेख जो देश के जाने-माने समाचार-पत्र 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा था, पढ़ें। मुख्य मंत्री तब कहां थे जब उसी तालुका की पुत्री का बलात्कार 11 लोगों ने किया था। यही मेरा प्रश्न है। अगर आप एक स्त्री को सम्मान देते हैं, तो दूसरी स्त्री के लिए भी सम्मान होना चाहिए जो आप लोगों की मिलीभगत के कारण भुगत रही है। इसी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, प्रवीण तोगड़िया और खुद मुख्य मंत्री ने जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। मुख्य मंत्री जी विपक्ष के नेता को नहीं भूल पा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे डरते हैं। मुख्य मंत्री का एक भी भाषण ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने इटली का उल्लेख नहीं किया हो।

अपराह्न 12.59 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

वे गुजरात के मुख्य मंत्री हैं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि गुजरात का इटली से क्या संबंध है ? जब भी उनका भाषण होता है वह जानना चाहते हैं कि श्री राम बोलने के लिए क्या वे इटली जाएं ? ऐसे-ऐसे प्रश्न वह पूछते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता गुजरात का विकास है। गुजरात में विद्युत आपूर्ति की समस्या मेरी चिंता का विषय है।

अपराह्न 1.00 बजे

मेरी मुख्य चिन्ता गुजरात में पेयजल उपलब्ध कराने की है। गुजरात में बेरोजगारी की समस्या मेरी चिंता है। गुजरात के विभिन्न जिलों में आये सूखे की समस्या मेरी चिंता का कारण है। गुजरात में केवल

पद्रंह दिन पहले घोषणा की गई जबकि उत्तर प्रदेश में सूखे की घोषणा भारत सरकार ने जुलाई माह में ही कर दी थी। यही मेरी चिंता है।

सभापति महोदय : चूंकि यह एक गम्भीर और विकट समस्या है, जिसपर हम चर्चा कर रहे हैं और अनेक सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं इसलिए भोजनावकाश को हम टाल सकते हैं।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : हम भी चिंतत हैं। लेकिन गुजरात की सरकार और गुजरात के मुख्य मंत्री को इसकी चिंता नहीं। गुजरात में चुनाव जनवरी 2003 में होने वाले थे। उससे पहले चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 'ध्रुवीकरण' शब्द का उल्लेख जब श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने कांग्रेस के संबंध में किया, तब मुख्य मंत्री के मन में राज्य में पहले चुनाव कराने का विचार आया।

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ही अब धर्म के नाम पर मतों का ध्रुवीकरण कर रही है। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती और न ही कांग्रेस ऐसा कर रही है। पंद्रह राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी केवल गुजरात तथा एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में शासन कर रही है। वह केवल एक और आधे राज्य में शासन कर रही है। हम जम्मू और कश्मीर सहित पंद्रह राज्यों में शासन कर रहे हैं। श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जी कांग्रेस तथा सहयोगी जम्मू और कश्मीर में शासन कर रहे हैं न की भारतीय जनता पार्टी तथा सहयोगी।

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : इसलिये ये उग्रवादियों को छोड़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उग्रवाद के लिए आप हमें दोष नहीं दे सकते क्योंकि यह श्री जसवंत सिंह ही थे जो उग्रवादियों को अपने साथ कंधार ले गये थे जहां कौरवों की मां का जन्म हुआ था। कौरवों की मां कंधार की थी। यह तो श्री जसवंत सिंह ही थे जो उग्रवादियों के साथ कंधार गये थे न की कोई कांग्रेसी। इसलिए कांग्रेस पर आरोप मत लगाइये – कांग्रेस ने किसी उग्रवादी को नहीं छोड़ा। दो वर्षों के पश्चात जब हम सत्ता में आ जायेंगे, तो कांग्रेस किसी उग्रवादी को नहीं छोड़ेगी, साथ ही उग्रवादियों से भी खतरनाक, जो लोग धर्म के नाम पर राष्ट्र को बांटना चाहते हैं, उनको कांग्रेस नहीं छोड़ेगी जब हम सत्ता में आयेंगे तो आप में से कुछ लोग जेल के अंदर होंगे।

मेरी मुख्य चिंता गुजरात में चुनाव के बारे में है। जब आपको शासन के लिए पांच वर्ष की अनुमति दी गयी थी तो जल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी ? लेकिन ध्रुवीकरण के तुरंत बाद मुख्य मंत्री ने विचार किया कि विधान सभा भंग करने का यही उचित समय है, और विधान सभा को भंग कर दिया गया। यही नहीं, मुख्य मंत्री ने चुनाव आयोग को भी लिखा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कोई चुनाव आयुक्त नहीं है केवल चुनाव आयोग है जिसके तीन सदस्य हैं। वर्तमान में इसके तीन सदस्य हैं; श्री जे०एम० लिंग्दोह, श्री टण्डन और श्री कृष्णमूर्ति। श्री कृष्णमूर्ति तो मेरे अपने विभाग से हैं, जहां मैंने 37 वर्षों तक कार्य किया। सभी निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिये जाते हैं। इन तीन सदस्यों में, दो हिन्दू हैं – ऐसा कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। चुनाव आयोग में दो सदस्य हिन्दू हैं और एक इसाई है। राज्य के मुख्य मंत्री तथा राज्य के ही एक अन्य नेता ने जो कहा है कि श्री लिंग्दोह मुख्य चुनाव आयुक्त, वेटिकन के आदेशों के अधीन कार्य कर रहे हैं, इससे मुझे बेहद दुख हुआ है।

आप प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य का अपमान कर रहे हैं। *(व्यवधान)* मुझे यह नहीं मालूम कि माननीय गृह मंत्री ने इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। एक राज्य के मुख्य मंत्री कहते हैं कि इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वैटीकन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य करते हैं। आपको दूसरे देश का सम्मान करना चाहिए। दरअसल, वैटीकन न केवल इसाईयों का धार्मिक केन्द्र है बल्कि वह धार्मिक देश भी है। पोप, संपूर्ण विश्व में करोड़ों इसाईयों के प्रमुख धर्मगुरू हैं। यह संयोग ही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसाई समुदाय के हैं और उनकी नियुक्ति आपकी सरकार ने ही की थी *(व्यवधान)* किन्तु इसी ओर, कर्म बार मुख्य मंत्री कहते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। इसका अर्थ तो यह है कि प्रधान मंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं, गृह मंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं। बेचारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 10 जनपथ पर निर्देश लेने क्यों आएगा और आपकी इस सूचना का स्रोत क्या है ? संसद को इस बारे में सूचित किया जाए कि इस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वैटीकन अथवा 10 जनपथ से कौन से निर्देश जारी किए गए हैं। इस सभा को भाजपा से यह जानने का अधिकार है क्योंकि यह आरोप उन्होंने ही लगाए हैं। हर हालत में मुख्य मंत्री 5 सितम्बर को चुनाव कराना चाहते हैं। वे चुनाव 5 सितम्बर को ही क्यों कराना चाहते हैं ? वे ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि चुनाव विधान सभा भंग होने की तिथि के छः माह के भीतर होंगें। वे ऐसा समझते हैं।

अब श्री राजनाथ सिंह द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपना मत प्रस्तुत करते समय, उसी भाजपा ने श्री राजनाथ सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय में एक अलग ही तर्क दिया है। प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव की तिथि का निर्धारण निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। एक बार चुनाव घोषित होने पर और सभा भंग होने पर, देश में केवल निर्वाचन आयोग ही तिथियों के बारे में निर्णय ले सकता है।

आपको मालूम होगा कि संविधान ने कुछ प्राधिकरणों का गठन किया है। संसद एक संस्था है। देश का राष्ट्रपति एक माननीय संस्था है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी एक अन्य संस्था है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग की एक संस्था है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी एक संस्था है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक संस्था है। ये सब संस्थाएं हैं और यदि आप इन संवैधानिक संस्थायें का

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

सम्मान नहीं करेंगे तो आपको इस देश के महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सरकारी पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। किन्तु वे चुनाव चाहते हैं। मंत्री परिषद ने यह मामला राष्ट्रपति को भेजा। गुजरात चुनावों में देश का सर्वोच्च प्राधिकारी शामिल था। राष्ट्रपति ने इसे वापिस भेज दिया। इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति ने इसे कभी भी अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की। किन्तु इस मामले को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए पुन: भेजा गया और संवैधानिक उपबंधों के अनुसार दूसरी बार अनुरोध भेजे जाने पर, राष्ट्रपति को उस पर अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया और अब, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। मुझे विश्वास है कि इस सभा में हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है? हम उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और हम विधिसत्ता में विश्वास रखते हैं। हम शिवाजी या रावण या कौरवों अथवा भगवान राम के शासन में भी विश्वास नहीं रखते। हम भगवान राम का सम्मान करते हैं और हम अन्य सभी भगवानों का भी आदर करते हैं। हमारे मन में शिवाजी के लिए भी आदर भाव है।

अब, आपको हिन्दू पाद-पादशाही को हटाने का क्या अधिकार है? इसमें विवाद है। मेरा सुझाव है कि आप गुजरात में अपने मित्रों से कहिए कि वे 'हिन्दू' शब्द के मूल अर्थ का पता करें। मैं इस सभा में यह कहना नहीं चाहता कि 'हिन्दू' संस्कृत का शब्द नहीं है। यह हिन्दी शब्द नहीं है। हिन्दू शब्द फारसी भाषा का शब्द है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इसका अर्थ बताऊंगा और आप गुजरात में अपने लोगों को बता सकते हैं कि 'हिन्दू' शब्द का वास्तविक अर्थ यह है और जिस समय उन्हें इसका अर्थ पता चलेगा तो वे इस शब्द का प्रयोग करना बंद कर देंगें।

अत:, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यह समस्या है। चुनाव के लिए अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो गई है। हम संपूर्ण शांति चाहते हैं। प्रो० वी०के० मल्होत्रा ने 'गौरव' शब्द का संदर्भ दिया है। मुख्य मंत्री पांच करोड़ गुजरातियों के गौरव की बात करते हैं। मैं, माननीय उप प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात की जनगणना पूरी है। मैं संसद के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में आपको, यह कहता हूं कि गुजरात की जनगणना पूरी नहीं है। भूकंप के कारण कच्छ और भुज में जनगणना नहीं हुई। सुरेन्द्र नगर और अहमदाबाद जिलो के भागों में जगणना नहीं हुई। 20 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई थीं। हमारे पास जनगणना के अंतिम आंकड़े नहीं है। अब भी, हम अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर कार्य कर रहे हैं और उनके अनुसार गुजरात की जनसंख्या गरीब चार करोड़ पचास लाख है। पांच करोड़ गुजरातियों के गौरव के नाम पर उन्होंने एक यात्रा निकाली। उन्होंने यह यात्रा एक धार्मिक स्थल से निकाली। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई भी स्थान चुन सकते हैं। गुजरात में सभी अम्बाजी का आदर करते हैं। सभी धार्मिक स्थलों का आदर करते हैं। गुजरात में पूजा के ऐसे स्थल भी हैं जहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। श्री शाह नवाज़ हुसैन, मीरा दातार दरगाह के बारे में तो जानते ही होंगें। यहां केवल मुस्लिम ही पूजा नहीं करते। यहां हिन्दू भी पूजा करते हैं। गुजरात में आधा दर्जन दरगाह ऐसे हैं जहां सभी हिन्दू और मुसलमान पूजा करते हैं। अहमदाबाद ज़िले में 'काका साहिब' नामक एक दरगाह है जहां का पूर्ण प्रबंधन हिन्दू पंडित के पास है। बड़ौदा की एक दरगाह का प्रभारी भी हिन्दू है। आप यह परंपरा क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आप सांप्रदायिक-एकता में रूचि नहीं रखते? आप एक वर्ग विशेष के विरुद्ध क्यों हैं?

पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और एक शत्रु देश भी है। पाकिस्तान के साथ हमारे राजनयिक संबंध हैं। अब भी मुझे विश्वास है कि हमारे राजनयिक संबंध खत्म नहीं हुए हैं। मैं उप प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कई बार, जब उप प्रधान मंत्री को बोलना चाहिए, तब वे नहीं बोलते और वे प्रधान मंत्री से कहते हैं कि वे बोलें। दरअसल, गुजरात के मुद्दे पर, हम चाहते हैं कि उप प्रधान मंत्री बोलें। गुजरात के मुख्य मंत्री जब भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति का हवाला देते हैं तो वे 'मियां मुशर्रफ' शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि यह आपत्तिजनक है। उन्हें 'मियां मुशर्रफ' संबोधित कर वे गुजरात के सारे मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं। वे एक अन्य राष्ट्र के तानाशाह की तुलना भारतीय मुसलमानों से कर रहे हैं। कई बार उन्हें यह निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। श्री वैंकयानायडू ने भी एक बार गुजरात के मुख्य मंत्री को यह निर्देश जारी किए थे कि उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : वह तो मियां हैं ही, इसलिए बोलेंगे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : अगर मैं आपका नाम लूंगा तो उसके बाद मैं हिन्दू नहीं बोलूंगा। अगर हम बाल ठाकरे बोलते हैं तो हम 'हिन्दू बाल ठाकरे' नहीं बोलते हैं। वह गाली हो जाएगी।

सभापति महोदय : खैरे जी, आप बैठिये।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : टाइगर का फोटो पीछे रखने से कोई आदमी टाइगर नहीं बन जाता। उसके लिए टाइगर बनना पड़ता है। *(व्यवधान)* बकरी का शरीर लेकर पीछे शेर का फोटो रखने से कोई शेर नहीं बन जाता। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : हिन्दू शक्ति जागृत हो रही है, इसलिए इनको दुख हो रहा है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राष्ट्रपाल जी, आप बैठिये।

प्रो० रासासिंह रावत (अजमेर) : जो महानुभाव सदन के सदस्य नहीं है उनके नाम न लिए जाएं। जिस तरह से नाम लिये जा रहे हैं, वह आपत्तिजनक है। इस [illegible] गंभीरता का परिचय दिया

जाना चाहिए, वह नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग तो हँस रहे हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रामदास जी, आप बैठिये। खैरे जी, जब आप बोलेंगे तब इन सब बातों को कहिये। अभी आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : हमें वहां की स्थिति पर चिंतित हैं। मुख्य मंत्री ने "गौरव यात्रा' प्रारंभ की। पार्टी के एक अन्य स्कंध ने हिन्दू पाद-पादशाही यात्रा प्रारंभ की।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : आपने इन चार स्थलों में क्या किया है ? *(व्यवधान)*

प्रो० रासासिंह रावत : आप लोगों ने कौन सी यात्रा निकाली थी ? *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : हमने कोई यात्रा नहीं निकाली थी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राष्ट्रपाल, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : ये मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने कितनी यात्राएं निकाली हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने कोई यात्रा नहीं निकाली है। हमने 'फगदील' में केवल एक समारोह आयोजित किया था। यह श्री शंकर सिंह वाघेला का निर्वाचन क्षेत्र था जहां उन्होंने केवल एक समारोह आयोजित किया था। कांग्रेस पार्टी ने कोई यात्रा नहीं निकाली है। कांग्रेस पार्टी 1 दिसम्बर को भाजपा की अंतिम यात्रा निकालेगी और उसे 12 दिसम्बर तक समाप्त भी कर देगी। 15 दिसम्बर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगें। यही कारण है कि माननीय प्रधान मंत्री विहिप और भाजपा को पिछले दो दिनों से सच्चाई बता रहे हैं। किन्तु आप अपने प्रधान मंत्री से सहमत नहीं हैं। मैं उनसे कुछ हद तक तो सहमत हूं कि हमें विकास की बात करनी चाहिए। दंगों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा न करो। यहां तक कि गोधरा की बात भी न करो। इसलिए, मैं गोधरा की बात नहीं करना चाहता किन्तु फिर भी वहां चुनाव तो हैं ही।

मेरे मित्रो, आपको कांग्रेस दल की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। इसी प्रकार कांग्रेस को भी भाजपा की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, जिसे सभी जानते हैं। भाजपा की नीति क्या है ? ये पहले एक ढांचे को गिराते हैं और फिर उसे विवादास्पद स्थल में बदल देते हैं। उसके पश्चात् वे कहेंगे कि जो ढांचा ध्वस्त किया गया है, वह व्यवस्थात्मक ढांचा था। कभी-कभी ये मनुष्यों को भी विवादास्पद बना देते हैं और फिर ये, ऐसे लोगों को समाप्त कर देते हैं। यह जातीय संहार है। हमें इसे हटाना होगा क्योंकि समाज में इसकी आवश्यकता नहीं है।

अंतत: मैं इसके अंतिम भाग पर आते हुए यह कहना चाहूंगा कि चुनाव घोषित हो गए हैं। हम चाहते हैं कि गुजरात में सभी को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया जाना चाहिए। डा० विजय कुमार मल्होत्रा ने अप्रत्यक्ष रूप से इस तथ्य का उल्लेख किया कि गुजरात में 'शांति' है। किन्तु शांति केवल कब्रिस्तान में है। आप किसी भी कब्रिस्तान में जाए, आपको वहां शांति ही शांति मिलेगी। आप किसी भी अंत्येस्टी-स्थल पर जाईए, वहां आपको हमेशा शांति मिलेगी। हमें ऐसी शांति नहीं चाहिए। हमें वास्तविक शांति चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : सभापति महोदय, इन्होंने गुजरात को कब्रिस्तान बना दिया है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिये। खैरे जी, आपको अभी बोलना है इसलिए आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० रासासिंह रावत : सभापति महोदय, इनको कब्रिस्तान ही नजर आता है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : रासासिंह जी, आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : मैं वास्तविक शांति चाहता हूं। *(व्यवधान)* मैं सिर्फ शांति चाहता हूं जहां लोग एक साथ मिलजुलकर रह सकें जैसा कि हम रहते आए हैं।

गुजरात के मुख्य मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 45 वर्षों के दौरान कुछ नहीं किया है। मैं इस प्रश्न को रखता हूं। ओ०एन०जी०सी० क्या है ? आई०पी०सी०एल० क्या है ? 'इफको' क्या है ? कोयाली रिफाइनरी क्या है ? सागर डेयरी क्या है ? ये विश्वविद्यालय क्या हैं ? मैं सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूं। मैं देश के बारे में बात करना नहीं चाहता हूं। गुजरात में सबकुछ कांग्रेस का किया हुआ है। सरदार सरोवर बांध को अनुमति, पर्यावरण संबंधी अनुमति किसने दी ? इसकी आधारशिला किसने रखी ? इसकी शुरूआत पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही हो गयी थी। पर्यावरण संबंधी अनुमति स्व० श्री राजीव गांधी ने दी थी। इसका कार्यान्वयन हमारे सत्ताकाल में हुआ। *(व्यवधान)* अभी डा० कथीरिया मंत्री है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आज बांध की ऊंचाई मात्र 93 मीटर है। यह सरकारी आंकड़ा है। 93 मीटर में से 80 मीटर का निर्माण तब हुआ था जब हम सत्ता में थे। आप बांध के मात्र 13 मीटर हिस्से के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मैं इस पहलू के बारे में आपको सूचित करना चाहता हूं।

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

अब क्या हो रहा है। पिछले दिन, नर्मदा का जल प्राप्त करने के उपलक्ष्य में अहमदाबाद में एक समारोह आयोजित हुआ। वास्तविकता यह थी कि यह वर्षा का जल था जो मध्य प्रदेश से आया था। यह जल कांग्रेस शासित राज्य से होकर साबरमती आया था। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की वजह से यह जल बहकर आया था। *(व्यवधान)* डा० मल्होत्रा हँस रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वह मुझसे सहमत हैं।

मध्य प्रदेश में जो कि एक कांग्रेस शासित राज्य है। भारी वर्षा होने के कारण बांध जल से भर गया था। परन्तु चूंकि वर्तमान सरकार ने नहरें नहीं बनायी है, यदि जल को गांधी नगर तक नहीं छोड़ा जाता तो बांध के टूट जाने का डर था। परिणामत: अभियन्ताओं ने सलाह दी कि जल को शीघ्र छोड़ा जाए।

महोदय, वे नहरों का निर्माण करवाने में विफल रहे हैं क्योंकि वे पैसा कमाने में व्यस्त थे। इसलिए, उन्होंने गांधी नगर तक जल छोड़ा। गांधी नगर से साबरमती नदी में एक उप-नहर है। इस प्रकार, नर्मदा नदी के जल को साबरमती नदी में फेंका गया। किन्तु गुजरात के वर्तमान मुख्य मंत्री द्वारा नर्मदा नदी के पूजन हेतु एक समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने दावा किया कि वह नर्मदा के जल को गुजरात लाए तथा श्री केशुभाई पटेल ने भी दावा किया कि वह नर्मदा के जल को गुजरात लाए। उन्हें लोगों को ढगना नहीं चाहिए। गुजरात में 65 से 70 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। वे सभी पीने व सिंचाई हेतु नर्मदा के जल का इंतजार कर रहे हैं। नर्मदा नहर से अधिकतम लाभ सुरेन्द्र-नगर जिला और पाटन को होगा जो कि मेरा क्षेत्र है। इसलिए मैं इसके बारे में चिन्तित हूं। परन्तु यह किसी एक दल की परियोजना नहीं है। सुबह में, जल संसाधन मंत्री एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जाएगा। यदि ऐसा है तो फिर यह क्षेत्रवाद क्यों ? वर्तमान मुख्य मंत्री ने नर्मदा परियोजना शुरू नहीं की थी। देश में हो रहा खास विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए हम सभी को श्रेय लेना चाहिए। यदि यह श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाना चाहिए तो वह श्री एच०एम० पटेल और उनके नेता सरदार पटेल को जाना चाहिए। वस्तुत: पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही वहां जाकर इस परियोजना के लिए शिलान्यास किया। परन्तु गुजरात की वर्तमान सरकार ने 'वाटर टैप' खोलने का उद्घाटन करने हेतु एक समारोह आयोजित किया और जब उन्होंने 'टैप' खोला तो जल ही नहीं था। *(व्यवधान)* मैं इसके बारे मे चिन्तित हूं।

हम मुद्दों पर बात करें। गुजरात को आज काम के बदले अनाज की आवश्यकता है। सुरेन्द्रनगर, राजकोट और बनासकांठा जिले भीषणतम सूखे का सामना कर रहे हैं। इन जिलों में सिंचाई तो बहुत दूर की बात है यहां तक कि पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को उठा रही है और चुनाव के दौरान उठाएगी। हम जनता को धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र और जिला के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते। मैं दूसरी ओर बैठे अपने मित्रों से भी कहूंगा कि वे ऐसा न करें। मैं श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए उनका गंभीर विरोध करता हूं। यदि उनके पास सरदार पटेल की पौत्री के प्रति आदर का भाव है तो उनके पास श्रीमती इन्दिरा गांधी की बहू और पूर्व प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी की विधवा के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। मैं इस सदन से उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपने मित्र श्री प्रवीण तोगड़िया से कहें कि वह अपनी भाषा का ध्यान रखें। अन्यथा, गुजरात में कुछ घटित हो जाएगा जिसके लिए भाजपा और उसके मूकदर्शक राजग सहयोगी जिम्मेदार होंगे। उन्हें भारतीय संसद के विपक्ष की नेता के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने और उनका अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कैबिनेट मंत्री के स्तर के पद पर आसीन हैं। मैं उन शब्दों का प्रयोग यहां नहीं कर सकता। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूं। मैं संसद सदस्य हूं और उन शब्दों का अर्थ जानता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरी मां के लिए उन शब्दों का प्रयोग करे तो मैं उस व्यक्ति की हत्या कर दूंगा। मुझे ऐसा कहते हुए खेद हो रहा है। इसलिए हम अपना आचरण ठीक रखें। हम राजनीतिज्ञ चुनावी लड़ाई लड़ सकते हैं। व्यक्ति विशेष चुनाव जीतने की कोशिश कर सकता है। हमें इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें खेद है कि गुजरात के सर्वोच्च सत्तासीन व्यक्ति, वहां के मुख्य मंत्री तथा भाजपा के एक सहयोगी संगठन के सर्वोच्च प्राधिकारी श्रीमती सोनिया गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उनका अपमान कर रहे हैं। भाजपा के सभी सहयोगी संगठन भाजपा से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं।

आप विहिप और बजरंग दल के व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि वे भाजपा से वेतन प्राप्त करते हैं। वे आपके नौकर हैं। आप उन्हें वेतन दे रहे हैं। हमें इस बात के प्रमाण मिले हैं कि वे भाजपा के वेतनभोगी नौकर हैं। परन्तु आप उन लोगों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं।

अहमदाबाद में कल अथवा परसों क्या हुआ ? समाचार पत्रों ने इसके बारे में लिखा है। अहमदाबाद में इस सभा को अनुमति क्यों दी गयी ? मैं उप प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं। निर्वाचन आयोग ने धर्म यात्रा पर रोक लगायी है। किसी ने कहा, ''गुजरात में धर्म यात्राओं की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है ?'' परसों, सिखों ने अहमदाबाद में शाहपुर के एक गुरूद्वारे से यात्रा निकाली। शहर पुलिस आयुक्त ने स्वयं इसका उद्घाटन किया। यात्राओं पर रोक नहीं है। आप एक धार्मिक यात्रा निकाल सकते हैं। परन्तु यह यात्रा गुरूनानक जयंती के पूर्व संध्या पर निकाली गयी थी। वे इस यात्रा को प्रति वर्ष निकालते हैं। यह कल शुरू हुई। कल, यह अहमदाबाद में एक दूसरे गुरूद्वारा पर पहुंच जाएगी।

जैन अहमदाबाद में अपने उत्सव पर यात्रा निकालते हैं। किसी ने इस पर रोक नहीं लगायी है। वैसी यात्रा पर रोक लगायी गयी है जो धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गुजरात में किसी विशेष दल का प्रचार करती है। कल की सभा में भी अपील की

गई कि प्रत्येक हिन्दू को भाजपा के पक्ष में मतदान करना चाहिए। इसका अभिप्राय यही था कि यह यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी। तब इसके खर्च का क्या ब्यौरा है ? इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने सही कदम उठाया है। अब, कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश के सर्वोच्च प्राधिकारी, माननीय प्रधान मंत्री ने निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को स्वीकृति दे दी है।

मैं इन शब्दों के माध्यम से यहां यह बताना चाहता हूं कि यह सभा इस बात को भी सुनिश्चित करे कि गुजरात में शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न हों। कोई भी दल जीत सकता है। हम जम्मू और कश्मीर में जीते परन्तु हमारे दल का व्यक्ति वहां का मुख्य मंत्री नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। वस्तुत: हम बहुमत में थे, परन्तु हम मुफ्ती साहेब के लिए राजी हुए और उनसे कहा, "आइए, और राज्य का नेतृत्व कीजिए।" हमने इस बात की अनुमति दी हालांकि कि हम बहुमत में थे।

अब, आपको पता है कि आपका मंत्रिमंडल कैसे बना है। हम इस संबंध में बात न करें कि कौन क्या बनेगा। हम सम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में चिन्तित हैं। कांग्रेस ने कभी भी किसी खास समुदाय अथवा धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि वह पूरे देश के लिए है। यह देश के सबसे पुराने दलों में से एक है। यह पिछले 118 वर्षों से अस्तित्व में है। बी०जे०पी० को तो अभी 13-14 साल ही हुए हैं। इसलिए कोई भी हमें राजनीति अथवा चुनाव लड़ने का पाठ नहीं पढ़ा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए अनुमति देने हेतु अपने दल, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभापति को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, गुजरात का मतलब देश का है। पिछले साल गुजरात में जो लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, उसके लिए विपक्ष जो यहां स्थगन प्रस्ताव लाया है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

यहां बहुत कुछ कहा गया। गुजरात की शांत भूमि में, सरदार वल्लभभाई पटेल जी की, महात्मा जी की भूमि में पूरी तरह से जो भी हो रहा है, वह कहां से चालू हुआ, अभी तक किसी ने इसके बारे में नहीं कहा। मैं आपके माध्यम से सभी विपक्ष के सांसदों को यह बोलने वाला हूं कि 27 फरवरी को जो गोधरा में 7.45 बजे हत्याकाण्ड किया गया। जब साबरमती एक्सप्रैस 7.43 बजे गोधरा में आई, उसके पांच मिनट के बाद जब वहां से मूव हुई तो एक किलोमीटर के बाद रास्ते में उसकी चैन खींची गई। वहां पांच हजार लोगों की भीड़ ने उस गाड़ी के दो डिब्बों को जला दिया। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप उनको डिस्टर्ब न करें। उन्हें अपनी बात कहने दें।

श्री चन्द्रकांत खैरे : वहां का इंचार्ज कौन था और कौन अधिकारी थे, यह सब जानते हैं, मैं किसी जाति की बात नहीं करूंगा। पांच हजार की भीड़ के वे समर्थक थे, उन्होंने यह किया। जो राम सेवक अयोध्या में आहूति डालकर आ रहे थे, सौभाग्य से काफी लोग बच गए, क्योंकि उनकी ट्रेन का समय सवेरे ढाई बजे था। यह सारी घटना पूर्व नियोजित थी कि कैसे पेट्रोल डालकर व्यक्तियों को जलाना है। ट्रेन लेट आई इसलिए दो बोगियों में आग लगी और 58 लोगों को मारा गया। मैं यहां इस बात को कहने के लिए शर्मिंदा हूं कि 27 फरवरी को जब यह कांड हुआ, 28 फरवरी को यहां बजट पेश होना था तो हमने, शिव सेना ने 12 मिनट तक सदन की कार्यवाही को रोका था, लेकिन विपक्ष के नेता सोनिया जी और दूसरे सांसद जो यहां थे, किसी ने एक भी शब्द गोधरा की घटना के बारे में नहीं कहा। उस घटना में बच्चे और महिलाओं को भी जिंदा जला दिया गया था। लेकिन यहां एक भी शब्द उनके प्रति नहीं कहा गया। *(व्यवधान)* गुजरात में इस प्रकार की घटना हुई और ये लोग चुप रहे। दुर्भाग्य से अगले दिन कुछ अल्पसंख्यक मारे गए तो इन्होंने सदन में बहुत शोरगुल किया। *(व्यवधान)* मैं यह बताना चाहता हूं कि जब किसी हिन्दू पर अत्याचार होता है, तो विपक्ष के लोग क्यों नही आगे आते *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : ये असत्य कह रहे हैं। उस वक्त हमने भी कहा था और हमारी नेता ने भी बोला था। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : ये असत्य कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। आप लोक सभा की कार्यवाही का अध्ययन कर लें, उस दिन गोधरा की घटना पर मैंने और रामजी लाल सुमन ने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री चन्द्रकांत खैरे : उससे क्या होता है।

प्रो० रासासिंह रावत : विपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी।

सभापति महोदय : रासा सिंह जी आप बैठिए और अखिलेश जी आप भी बैठिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह शिवसेना की ओर से बोल रहे हैं जो सदन में राजग का एक घटक है। वह कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रथम दृष्टया इसकी निन्दा नहीं की। क्या वे इन सभी आरोपों को स्वीकार करते हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें अपने आरोपों को वापस ले लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो० रासासिंह रावत : आप क्यों बोल रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लिया है, इसीलिए मुझे यह कहना पड़ रहा है। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : आपने एक भी शब्द नहीं कहा था। उस घटना में कई बच्चे और महिलाओं को भी जलाया गया था। *(व्यवधान)* मेरे भाषण को डिस्टर्ब न किया जाए। उस समय मैं यहां वैल तक आया था और सोनिया जी तथा आप लोग कुछ नहीं बोले थे। आप कैसेट देख लें। उसके बाद प्रमोद महाजन जी हमारे पास अउए थे और उन्होंने कहा था कि आज बजट पेश होना है इसलिए व्यवधान न डालें।

सभापति महोदय : आप विषय पर बोलें।

श्री चन्द्रकांत खैरे : दूसरे दिन जब दुर्भाग्य से मुस्लिम समुदाय के लोगों की हत्या हुई तब इन्होंने यहां शोर किया। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो। अगर किसी की भी हत्या हो, उसकी हम निंदा करते हैं। गोधरा में जो घटना घटित हुई मैंने रामजी लाल सुमन ने यहां स्थगन प्रस्ताव दिया था। आप कार्यवाही को निकालकर देख लें, सब स्पष्ट हो जाएगा। चन्द्रकांत जी असत्य बात कह रहे हैं। इसलिए वे अपनी बात को वापस लें।

सभापति महोदय : आप बैठिए। खैरे जी, आप विषय पर बोलिए।

(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : क्या हिन्दू का खून है, वह अलग तरह का दिखाई देता है ? क्या मुसलमान का जो खून है, वह अलग तरह का दिखाई देता है और ईसाई का खून है, वह अलग तरह का दिखाई देता है ? *(व्यवधान)* आप गलत बयानी यहां न करें। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : जो यह घटना हुई, गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ गया जिसके लिए इनको स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा ? इसका मूल कारण यह रहा है कि जो गोधरा हत्याकांड हुआ, उसके बारे में मैंने कहा तो आपको दुख हुआ। दूसरे दिन एक पूर्व सांसद की हत्या हुई तो इन्होंने हंगामा किया। मैं यह कहूंगा कि जिस वक्त महिलाएं या राम भक्तों को जलाया गया तो इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं यह कहूंगा कि जो गुजरात शांति पूर्वक चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ ? जब अयोध्या में बाबरी का विवादित ढांचा गिर गया तो उसके बाद मुम्बई में बारह बम विस्फोट हुए तो वे क्यों हुए ? क्या मुम्बई के लोगों ने कुछ किया था ? बाबरी का विवादित ढांचा गिरने के बाद पूरे देश में इन्होंने बहुत कुछ किया। *(व्यवधान)* इस समय चूंकि मोदी जी वहां के मुख्य मंत्री हैं, तो वहां के हिन्दू बच गये। मैं वहां गया था। मैं जमालपुरा के पुराने गांव में गया था तो वहां ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। हमें पुलिस ने रोक लिया था कि आगे मत जाइए। मगर हम भी बाला साहेब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, हम जाएंगे। वहां हम गए तो वहां के हिन्दू बोले कि हमें मार रहे हैं और यहां कोई कुछ नहीं कहता। मैं सोनिया जी की बहुत इज्जत करता हूं। जब सोनिया जी ने गुजरात में दौरा किया तो जमालपुरा जनतापुरा में ये लोग क्यों नहीं गए ? वहां जनतापुरा में पूरे पांचाल परिवार में सिर्फ दो लड़कियां बची थीं। उनके मां-बाप सब गुजर गये। अगर वे आहूति पूजा के लिए गए थे तो उसमें उनका क्या कुसूर था ? लेकिन उनको मार दिया गया, जलाया गया। जनतापुरा में इतनी दहशत थी। वहां के लोग और सोनिया जी भी विजिट करने नहीं गये। जहां गुजरात सरकार ने 5000 मुस्लिम फैमिलीज को बचाया और जो एरियाज हैं, वहां एक पुरानी मस्जिद थी, वहां चार-पांच हजार लोगों को बचाया। बल्कि मैं तो कहूंगा कि रिफ्यूजीज की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई। लेकिन जहां-जहां हिन्दू मारे गए, वहां के लिये ये नहीं बोलेंगे। मैं प्रवीण तोगड़िया जी का यहां समर्थन नहीं करूंगा लेकिन यह कहूंगा कि वह और बाकी विश्व हिन्दू परिषद् जो कर रही है, वह हिन्दुओं के लिए कर रही है, वह ठीक है। हम लोग भी कहेंगे कि हिन्दुओं का पक्ष कोई रखने वाला नहीं है। हिन्दुओं की भूमिका रखने के लिए शिव सेना और बी०एच०पी० के सिवाय कोई नहीं है। 75 प्रतिशत हिन्दुओं की भूमिका आप नहीं रखते लेकिन जो 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए बोलते हैं। आप वोट के लालच के लिए करते हैं। *(व्यवधान)*

गुजरात में इलेक्शन के लिए यह हो रहा है। गुजरात के बारे में कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपका राज है और उसके बाद कांग्रेस का राज है। वहां महाराष्ट्र में इनका राज आने के बाद अभी तक 58 रायट्स हुए। *(व्यवधान)* 58 रायट्स होने के बाद कई लोग मारे गये लेकिन उसके बारे में ये नहीं कहते। मैंने पहले भी जीरो ऑवर में प्रश्न उठाया था। हमारे सांगली जिले में जो गन्ने की खेती करने वाले किसान हैं, उन लोगों ने चूंकि गन्ने के दाम कम हैं, इसके लिए उन्होंने एजीटेशन किया था तो वहां की सरकार ने एजीटेशन दबाने के लिए पुलिस को भेजा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, बहुत मारा।

गुजरात के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। पूरे देश के बारे में कहा जा रहा है कि पूरे देश में ला-एंड-आर्डर की स्थिति खराब है। मैं कहूंगा कि वहां मोदी सरकार ने गुजरात में सहायता की है। मैं यह किताब दिखाना चाहता हूं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। *(व्यवधान)*

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : इनके अध्यक्ष की हत्या भी की गई है।

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र में आर०पी०आई० के अध्यक्ष की हत्या क्यों हुई, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि क्यों हत्या हुई। मैं तो कहूंगा कि महाराष्ट्र के बारे में भी ला-एंड-आर्डर की स्थिति के बारे में इस सदन में चर्चा होनी चाहिए। महाराष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तो गुजरात के बारे में क्यों करनी चाहिए। मुझसे पहले गुजरात के माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के 14 राज्यों में उनकी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं, इन 14 राज्यों में ला-एंड-आर्डर की क्या स्थिति है ? वहां की स्थिति अच्छी नहीं

है। कांग्रेस शासित राज्यों में तो स्थिति का समर्थन करते हैं, लेकिन गुजरात में मोदी सरकार ने कन्ट्रोल किया है। गुजरात में शांति का माहौल होने के बाद चुनाव घोषित हो गए हैं। वहां चुनाव का माहौल तैयार हो गया है। विधान सभा वहां पहले से ही बर्खास्त है। मुझे एक बात का दुख होता है। विपक्ष में हिन्दुओं की भूमिका रखने के लिए कई लीडर्स हैं, लेकिन वे बोलते नहीं है। हिन्दुओं की रखेंगे, तो मुसलमानों के वोट का क्या होगा। चुनाव आयोग ने हिन्दुओं की भूमिका की यात्रा पर प्रतिबन्ध लगा दिया, यह बहुत दुख की बात है। हमारे हिन्दुओं की भूमिका कौन रखेगा ? हमारे नेता श्री बालासाहिब ठाकरे जी के बोलने के बाद श्री राष्ट्रपाल जी कह रहे हैं कि जो हिन्दुओं की भूमिका रखने के लिए आगे आएगा, उसको क्रिमिनल कह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अक्षरधाम में तीन आतंकवादी कैसे आ गए। जो मंदिर में भक्तगण थे, उनका कोई दोष नहीं था। पाकिस्तान पूरे देश में अराजकता का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : ये आतंकवादी कैसे आए। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : कशमीर में आतंकवादियों का समर्थन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कश्मीर में आतंकवादी आते हैं। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि गुजरात में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार का दोष न होते हुए भी, हमारी सरकार को विपक्ष दोष देना चाहते हैं। इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मैं कहूंगा कि इलैक्ट्रोनिक मीडिया में यह कहा गया है कि मोदी सरकार ही जीतेगी, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो गया है और इसीलिए यहां पर यह प्रश्न उठाया गया है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : सभापति महोदय, पूरे देश में साम्प्रदायिक आधार पर देश की जनता को बांटने का जो षडयंत्र चल रहा है वह हमारे देशवासियों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। परन्तु पिछले कई महीनों के दौरान घटित, गुजरात की घटनाएं हमारे देशवासियों के लिए सिर्फ गम्भीर चिन्ता का विषय ही नहीं बनी हुई है बल्कि हमारी लोकतांत्रिक संस्था के लिए भी गम्भीर खतरा पैदा कर रही है।

जिस तरीके से सांविधिक व संवैधानिक निकायों की अवमानना की जा रही है और उन पर हमले किए जा रहे हैं उससे इस देश का प्रत्येक सही सोच वाला नागरिक चिन्तित हुए वगैर नहीं रह सकता।

मुझे याद है, जब हम अपने गणतंत्र की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे थे तो इस बात पर चर्चा हो रही थी कि इस राष्ट्र की क्या-क्या उपलब्धियां रही हैं जिनका संकल्प में उल्लेख किया जाए। हमने उल्लेख किया कि तब जबकि हमारे कुछ पड़ोसी देशों सहित अनेक अन्य देशों में लोकतंत्र बुरी तरह विफल रहा है, हम लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने तथा लोकतंत्र को विकसित करने में सफल रहे हैं। परन्तु आज हम पाते हैं कि एक राज्य का निर्वाचित मुख्य मंत्री जिसे केन्द्र सरकार के मंत्रियों का संरक्षण मिल रहा है और सत्ताधारी दल का एक अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय स्वयं संघ के अग्रणी संगठन सार्वजनिक रूप से निकृष्टतम भाषा में निर्वाचन आयोग की अवमानना कर रहे हैं। हम इस बात से चिन्तित हुए वगैर नहीं रह सकते कि यह सरकार इस देश के उन लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सांविधिक निकायों को नष्ट करने पर आमादा है जिन्हें हमने अरसे से एक एक करके बनाया है।

मैं इस तथ्य में नहीं जा रहा हूं कि कल जो कुछ भी घटित हुआ वह ''मैच फिक्सिंग'' था अथवा एक तरह का नाटक, परन्तु इससे एक सीख मिलती है। यदि प्रधान मंत्री इसी प्रकार से पहले पेश आए होते तो नरसंहार नहीं हुआ होता। यदि प्रधान मंत्री गुजरात गए होते, हालांकि वह कई हफ्तों नहीं जा सके और यह संवाद भेजे होते कि इस देश के प्रधान मंत्री और सरकार यह घोषणा कर रहे हैं कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो नरसंहार नहीं हुआ होता। ऐसा कभी नहीं किया गया। उपप्रधान मंत्री सहित और अधिक महत्वपूर्ण मंत्रियों ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित और प्रायोजित नरसंहार को बेशर्मी से संरक्षण दिया है। यह एक सबक है। यदि भाजपा के महत्वपूर्ण नेता और उनके कुछ सहयोगी दल उस समय ऐसा बर्ताव नहीं करते तो यह नरसंहार नहीं हुआ होता। प्रधान मंत्री ने उस समय कहा था : ''मैं बाहरी दुनिया का सामना किस प्रकार से करूंगा ? यह घटना शर्मनाक है। हमारा सिर शर्म से झुक गया है।'' परन्तु फिर भी दूसरे शब्दों में उन्होंने मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी के कृत्यों का समर्थन किया है और उसे संरक्षण प्रदान किया है।

जब राजग (एन०डी०ए०) सरकार बनी थी तो उस समय भाजपा ने कहा था कि वे हिन्दू राष्ट्र, राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 को हटाने जैसे मुद्दों और समान सिविल संहिता पर उनके विचार को कार्यसूची से अलग रखेंगें परन्तु हम यह पाते हैं कि वे बहुत ही प्रच्छन्न रूप से अन्य शब्दों में बोल रहे हैं। उन्होंने यही रणनीति अपनाई है। प्रधान मंत्री एक समय कोई अन्य बात कहेंगे परन्तु आर०एस०एस० गुजरात में 'हिन्दुत्व' के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का दायित्व विहिप को सौंपेगा। ये सभी आर०एस०एस० के अग्रणी संगठन है। हिन्दू राष्ट्र की स्थापना का मुद्दा आर०एस०एस० की कार्यसूची में है। प्रधान मंत्री ने किसी अन्य देश में यह घोषणा की थी कि वह पहले तो आर०एस०एस० के प्रचारक हैं और प्रधान मंत्री तो बाद में हैं जब आर०एस०एस० की एक अन्य शाखा सांविधिक निकायों पर आक्रमण करती है और निर्वाचन आयोग की बातों को नहीं मानती है तो क्या उन्होंने इसकी भर्त्सना की है ? मेरा पहला प्रश्न है कि

[श्री रूपचन्द पाल]

क्या प्रधान मंत्री ने वि०हि०प० द्वारा कही गई बातों की निंदा की है ? क्या प्रधान मंत्री ने 'गौरव यात्रा' और 'विजय यात्रा' के नाम से श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकलापों की निंदा की है ?

जब 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था तो उस समय प्रधान मंत्री जी विपक्ष में थे।

उस समय उन्होंने क्या कहा ? उस समय वे खेदपूर्ण भाषा में बोल रहे थे। परन्तु अब वह क्षोभ और खेद हट गया है। जिस बेशर्मी से वि०हि०प० और आर०एस०एस० के कुछ अग्रणी संगठन हिन्दुत्व की कार्यसूची को शिक्षा के क्षेत्र में, सभी संस्थाओं में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वे गुप्त कार्य सूची को बहुत ही कुशलतापूर्वक बढावा दे रहे हैं। जबकि माननीय प्रधान मंत्री को 'उन्हें रोकने, उन्हें मना करने, इससे और आगे न बढ़ने' के लिए कहने का दायित्व सौंपा गया है। अन्यथा वि०हि०प० के नेता यह कैसे कह सकते हैं कि –

[हिन्दी]

हम संघर्ष जारी रखेंगे। किसके लिए संघर्ष जारी रखेंगें – हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए।

[अनुवाद]

उन्होंने सार्वजनिक रूप ये यह कहा है कि यदि आवश्यक हुआ तो वे सभी मुख्य मंत्रियों के खिलाफ अभियान चलायेंगे, सभी मुख्य मंत्रियों और सभी निर्वाचित प्रधान मंत्रियों को हटाएंगे। हम यह नहीं मानते कि संविधान हमारे धर्म अथवा आस्था से ऊपर है। यदि ऐसी बात है तो हमने तो संविधान के नाम पर शपथ ली है। कुछ लोग, जो आर०एस०एस० से जुड़े हुए हैं, जिससे प्रधान मंत्री भी जुड़े हुए हैं, सार्वजनिक रूप से यह कह रहे हैं कि हमें भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है। प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। इसकी वे ऐसे ही लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। *(व्यवधान)* इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है ? राष्ट्र इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

जनता अपने फैसले दे रही है। जनता ने अधिकांश राज्यों में, जहां चुनाव हुए हैं फैसला दिया है। जनता ने जम्मू-कश्मीर में भी फैसला दिया है। चुनाव के बाद अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। माननीय प्रधान मंत्री और उनकी सरकार इस स्थगन के प्रति जवाब देह है और इस सभा के माध्यम से वह राष्ट्र के प्रति जवाबदेह हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी बात बर्दाश्त न करनी पड़े। अब ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का नाटक किया जा रहा है जो साम्प्रदायिक भाषण देकर लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाये जैसाकि आपराधिक मामलों में किया जाता है, जैसाकि संविधान का विरोध करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में किया जाता है। ऐसे लोगों पर वही कानून लागू किया जाये जैसाकि कानून, संविधान और निर्वाचन आयोग का विरोध करने वाले के खिलाफ लागू किया जाता है।

महोदय, हमें इस पर चर्चा करने हेतु इस स्थगन प्रस्ताव के रूप में आज अवसर दिया गया है। परन्तु चिंता का विषय यह है कि गुजरात में भाजपा, आर०एस०एस० के अन्य अग्रणी संगठनों द्वारा, चुनाव से पहले, किए जा रहे सुनियोजित आक्रमण के पूरे वातावरण में साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि वे एक रेलगाड़ी की प्रतिकृति को 200 कि०मी० की यात्रा के लिए ले जाएं ?

महोदय, मुख्य मंत्री ने 'गौरव यात्रा' पहले ही शुरू कर दी है। अब वे यह चाहते हैं कि 6 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाये। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में ऐसे कार्यकलापों की अनुमति कैसे दी जा सकती है ? मैं इस सरकार, इस प्रधान मंत्री, इस उप प्रधान मंत्री और ऐसे अन्य लोगों पर इसका आरोप लगाता हूं जो केवल इसे बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी एक अथवा अन्य प्रकार से इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं और कभी-कभी यह कहकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कि हम इनसे अलग हैं, हम कानून और निर्वाचन आयोग और अन्यों के निर्देशों का पालन करते हैं।

परन्तु, दूसरी ओर, यदि हम इसका निहितार्थ देखेंगे तो यह पाएंगे कि वे इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वे इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और सांकेतिकता का यह दर्शन चल पड़ा है। शिलादान के मामले में यह हुआ है। हमने यह देखा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक सरकारी अधिकारी 'शिला' ले गया है। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में यह कैसे सम्भव है कि एक सरकारी अधिकारी को ऐसा कार्य सौंपा गया है ? क्या ऐसा किया जा सकता है ? परन्तु वे यह सब कर रहे हैं। इस देश में ऐसे कार्यकलापों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके लिए यह सरकार संसद और इस देश के प्रति जवाबदेह है। मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूं। क्या आपने इसकी निंदा की है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? हम यह देख रहे हैं कि यदि जनता में यह दृढ़तापूर्वक संदेश पहुंचाया जाये तो शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखा जा सकता है। इसका खामियाजा अल्पसंख्यकों को भुगतना पड रहा है। यदि बहुसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति की अनुचित ढंग से हत्या कर दी जाती है। तो ऐसी घटना की भी निंदा की जानी चाहिए। गोधरा की घटना के बाद हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले आगे आकर इस घटना की निंदा की थी, परन्तु हम अब तक यह नहीं जानते हैं कि वहां वास्तव में क्या हुआ। यह अब तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पाकिस्तान और सीमापार आतंकवाद का षडयंत्र था और कुछ लोग यह कहते हैं कि यह स्थानीय लोगों की साजिश थी। बार-बार स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कुछ विशिष्ट पार्टियों और उनके प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया गया है।

गोधरा में क्या घटनाएं हुई थी ? फार्टेसिक रिपोर्ट और ऐसी अन्य सभी बातें कुछ और ही संकेत दे रही हैं और सरकार चुप-चाप बैठकर

यह सोच रही है कि चुनाव के लिए इसे भुलाया जाये। परन्तु ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि भाजपा नेतृत्व पहले से ही परेशान है और किसी को यह भरोसा नहीं है कि अपने सीटों के परिवर्तन से उन्हें कोई लाभ होने वाला है। यहां तक कि मुख्य मंत्री गौरव यात्रा के बावजूद, उप प्रधान मंत्री और अन्यों द्वारा आदर्श मुख्य मंत्री का प्रमाण पत्र दिए जाने के बावजूद, भी अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर किसी हिन्दू बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। यहां तक कि हिन्दू लोग भी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई हिन्दू यह स्वीकार नहीं कर सकता है क्योंकि इसे तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राजनीतिक हिन्दुत्व के उस स्वरूप जिसे वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, को अच्छे हिन्दू लोगों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया है। अत:, गुजरात में जो कुछ हुआ और देश के विभिन्न भागों में जो हो रहा है वह केवल इस भाजपा सरकार के खेल का एक हिस्सा है।

मैं यह नहीं जानता कि उनके सहयोगी उनके साथ क्यों हैं। सरकार में ऐसी धर्मनिरपेक्ष सहयोगी पार्टियां हैं जो साम्प्रदायिक कार्यसेची में विश्वास नहीं रखती हैं, जो भा०ज०पा०, आर०एस०एस० और वि०हि०प० की साम्प्रदायिक कार्यसूची को स्वीकार नहीं करती हैं परन्तु फिर भी वे उनके साथ कैसे हैं ? क्या वे सत्ता में भागीदारी, एकवार, कार्यालय, एक मंत्रालय प्राप्त करने हेतु उनके साथ हैं ? वे उनके साथ किस लिए हैं ? यह बहुत ही विचित्र बात है। हम यह देखते हैं कि उनके कुछ सहयोगी जिनका इतिहास धर्मनिरपेक्षता की विरासत से गौरवपूर्ण रहा है परन्तु वे दुर्भाग्यवश भाजपा और उसकी हिन्दुत्व कार्यसूची से जुड़े रहे परन्तु लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे और वे इसे गुजरात में भी स्वीकार नहीं करेंगे।

अपराह्न 02.00 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

महोदय, मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। सांविधिक निकायों पर जिस प्रकार आक्रमण किया गया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनकी धार्मिक पहचान को देखते हुए और विपक्ष के नेता के लिए जैसी भाषा का प्रयोग किया गया, वह उचित नहीं था। यह बहुत ही खराब बात है, कि यह सरकार और अन्य नेतागण जो इस सभा के सभी वर्गों, हमारे देशवासियों द्वारा सम्मानित हैं, इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि वे इसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री यह कहते हुए उदारवादी मुखौटा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे इन सभी बातों को स्वीकार नहीं करते हैं और कोई अन्य लोग अलग ही मुखौटा प्रस्तुत कर रहे हैं। वे हमेशा ही दो तरह की बातें करके भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही वे अपने चुनावी हितों को बढ़ाने और साम्प्रदायिक आधार पर लोगों को विभाजित करने हेतु अपनी गुप्त कार्यसूची को आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे गलत बात यह है कि वे जहां कहीं भी है, चाहे वह शिक्षाप्रणाली, पाठ्यक्रम और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जैसे संस्थान ही उसमें भी साम्प्रदायिकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुले आम मुसलमानों और ईसाईयों को निशाना बना रहे हैं।

ऐसी स्थिति में, यह संसद कम से कम प्रधान मंत्री से यह मांग कर सकती है कि वे वि०हि०प० और उसके कुछ सहयोगियों द्वारा किए जा रहे बर्ताव की और उनके द्वारा किसी संवैधानिक निकाय और कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के लिए प्रयोग की जा रही भाषा की भी निंदा करें। वे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धावा बोल रहे हैं। और चुनाव से पहले माहौल को दूषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम यह सोचते हैं कि निर्वाचन आयोग ने कतिपय सही कदम उठाए हैं ताकि बाहर रहने वाले लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल सके। लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यक, जो आक्रमण के लक्ष्य रहे, को सम्पत्ति और जानमाल की भारी क्षति उठानी पड़ी। अत:, ऐसा समुचित परिवेक्ष बनाया जाये और केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग को समुचित, सही और पर्याप्त समर्थन दिया जाये। उप प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। सभा में उनका यह दायित्व बनता है कि वे राष्ट्र को यह आश्वासन दें कि वे वहां शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करेंगे और वे किसी को भी साम्प्रदायिकता फैलाने की अनुमति नहीं देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : सभापति महोदया, यह बड़े दुख की बात है कि इस हाउस में लगभग चौथी या पांचवीं बार गुजरात ईश्यू पर चर्चा हो रही है। यह सदन हिन्दुस्तान की सर्वोच्च संस्था है और यहां और भी इतने महत्व के विषय है जिन पर चर्चा करने के लिये हम लोग इस सदन में आये हैं।

यह कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री सुबोध रॉय द्वारा लाया गया है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध न केवल गुजरात की सदस्या के रूप में कर रही हूं बल्कि इस देश की एक जागरूक नारी के रूप में कर रही हूं। गुजरात की 5 करोड़ जनता हमेशा शान्तिप्रिय रही है। गुजरात का यही गौरव है जिसे पूरे विश्व के लोग मानते हैं। मुझे अभी हाल ही में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यू०एन०ओ० जाने का मौका मिला था। मुझे यह कहते हुये खेद हो रहा है कि गुजरात प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष श्री शंकर सिंह वाघेला समाचार-पत्रों में बड़े-बड़े शीर्षक में कहते हैं कि बी०जे०पी० सरकार गुजरात में फेल हो गई है। सैकुलरिज्म को लेकर श्री वाघेला ने विश्व में गुजरात की बड़ी बदनामी की है। वहां के लोगों ने बताया कि अध्यक्ष के रूप में एक संयम की भाषा होनी चाहिये, गुजराती के रूप में सौहार्दपूर्ण 'रवैया होना चाहिये लेकिन वह नहीं किया।

मैं कहना चाहती हूं कि गौरव यात्रा का विरोध करने वाले वहां डालर यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। शंकर सिंह जी को वहां किसने बुलाया था और वहां श्री मुशर्रफ जी की मीटिंग में जाने वाले लोग शंकर सिंह जी की मीटिंग में हाजिर थे। ये लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। ये गुजरात को किस दिशा में ले जाना चाहते

[श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया]

हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात को पूरे विश्व में बदनाम करने के लिए कांग्रेस के लोग साजिश कर रहे हैं। इसके कारण गुजरात की पांच करोड़ जनता के हृदय में बहुत दुख है। हमेशा से गुजरात को बदनाम करने की निरंतर साजिश हो रही है, निरंतर षड्यंत्र हो रहे हैं। गुजरात महात्मा गांधी जी का गुजरात है, लौह पुरूष सरदार वल्लभभाई पटेल का गुजरात है। गुजराती में एक कहावत है – जहां-जहां एक गुजराती, सदाकाल गुजरात।

आपको पता होगा न्यूजर्सी में अल्बर्ट नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने हाल ही में सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा की वहां स्थापना की है। मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला और मैं वहां अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके आई हूं। देश को गौरव बढ़ाने में गुजरात ने सदैव एक दिशा दी है और इस देश के महापुरुषों का जन्मस्थान गुजरात है। लेकिन इस सदन में हमेशा गुजरात को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मुझे लगता है कि यह गुजरात की पांच करोड़ जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

सभापति महोदया, अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। वहां हर सुबह-शाम को एक साथ नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन वहां कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। गुजरात शांतिपूर्ण है। लोग वहां शांति चाहते हैं और हमेशा वहां लोगों ने शांति को महत्व दिया है।

अभी जब वैस्ट इंडीज के साथ भारत के क्रिकेट मैच की बात हो रही थी तो ये लोग हंगामा कर रहे थे। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटरों से कहा गया कि आप गुजरात में कैसे जायेंगे, वहां दंगा हो रहा है, वहां अशांति है। आप लोग वहां जायेंगे तो परेशान हो जायेंगे। इस क्रिकेट मैच को रोकने के लिए वहां साजिश हो रही थी। लेकिन आपको पता है कि इसी मैच में भारत ने एक महत्वपूर्ण विजय हासिल की है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : महोदया, मैं इस बारे में स्पष्ट जानकारी चाहता हूं। श्री नरहरि अमीन कांग्रेसी है और वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : वैस्ट इंडीज के साथ खेले गये इस मैच में भारत ने शानदार विजय हासिल की और इस मैच में गुजरात की शांतिप्रिय जनता इतनी बड़ी संख्या में वहां के मोटेरा स्टेडियम में हाजिर रही। इससे यह साबित होता है कि गुजरात शांतिप्रिय है और गुजरात में शांति है। इस क्रिकेट मैच के दौरान वहां पूरे दिन ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कि जिसके कारण कोई कह सके कि गुजरात में अशांति है, गुजरात में कोई दंगा है।

सभापति महोदया, यह बहुत दुख की बात है कि गोधरा कांड हुआ, जिसमें निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। महिलाएं, बच्चे, युवा तथा बुजुर्ग लोग उसमें जिंदा जलाये गये। जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रियास्वरूप जो दंगा हुआ, वह गलत था, वह हम मान रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शनार्थियों को जब दो टैरेरिस्ट्स ने मारा तो उसके बाद गुजरात में कुछ भी नहीं हुआ। यह साबित करता है कि गुजरात की जनता शांतिप्रिय है। यदि कोई कहता है कि नरेन्द्र मोदी ने गौरव यात्रा क्यों निकाली और कोई गौरव यात्रा का विरोध करता है तो हम उससे कहना चाहते हैं कि भाजपा ने जो काम किये थे, उन्हें गली-गली में ले जाने की हमारी बात थी और हम लोगों ने 225 तहसीलों में गौरव यात्रा निकाली, जहां कोई दंगा नहीं हुआ, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने गौरव यात्रा का स्वागत किया।

आपको पता होगा कि जो गौरव यात्रा सात बजे आने वाली थी वह रात को एक बजे पहुंची। उस गांव में रात को एक बजे भी लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे। यह क्या साबित करता है ? यह साबित करता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और वह शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता मानता है। अभी हमारे राष्ट्रपाल जी कह रहे थे कि मैं भी भुक्तभोगी हूं क्योंकि गोधरा कांड के बाद जो दंगे हुए उसमें मेरे भतीजे की भी मृत्यु हो गई। मैं राष्ट्रपाल जी से पूछना चाहती हूं कि जिसने आपके भतीजे को मारा, वे कौन थे ?

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : पुलिस को पूछिये।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : जब एक बहुत बड़ा मानव समूह निकलता है तो पता नहीं चलता है कि वह हिन्दू है या मुसलमान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वह जो मानव समूह था वह कौन था। मैं आपसे पूछना चाहती हूं मगर आप नहीं कहेंगे क्योंकि वह जो मानव समूह निकला था, वे हिन्दू नहीं थे।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : एक को मारने वाला मुसलमान था तो जो 800 को मारा, वे कौन थे ? *(व्यवधान)*

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : अभी वे लोग अरैस्ट हुए हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्हीं लोगों ने गोधरा कांड में हत्याएं की हैं। यह साबित हुआ है और मैं यह कहना चाहूंगी कि इस गोधरा कांड के बाद जगन्नाथ यात्रा निकली जो हमारे यहां बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलती है। उस समय भी यही हुआ था कि जगन्नाथ यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि आषाढ़ दूज के दिन वह यात्रा निकलती है और वह एक जगह नहीं, 78 जगह निकली और कोई भी दंगा नहीं हुआ और शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकली। उसी तरीके से जो गणेश उत्सव हुआ, उसमें भी सार्वजनिक उत्सव एक लाख जगहों पर मनाया गया। गुजरात में कभी कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कि उसी समय के बाद जब हज यात्री निकले, 7000 हाजी जो यात्रा करके आए थे, उनका सम्मान

1000 गांवों में हुआ। कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। सिर्फ राजनीति करने और भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में जब अच्छी तरह से चल रहा है तो उसको बदनाम करने की कांग्रेस के लोगों ने ठान रखी है कि हम लोग गुजरात में फिर से भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं आने देंगे और इसी आधार पर ये लोग साजिश कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात की प्रजा 12 दिसंबर की राह देख रही है और 15 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेंगे तो पता चलेगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण बहुमत के साथ आएगी और शासन करेगी। गुजरात की प्रजा कभी भी अशांति को नहीं मानती। ऋग्वेद का अंतिम श्लोक है :

''समान् मंत्रः समिति समानी, समान् आकूति सह चित्तमेषाम्।''

''एक मन, एक प्रार्थना और एक समुदाय'' हम मानकर चलते हैं और पूरे हिन्दुस्तान के लोग मानकर चलते हैं कि हम लोग एक कम्यूनिटी के हैं, हम लोग भारतीय हैं, हम हिन्दुस्तानी हैं और हिन्दुस्तानी होने के नाते हमें गौरव करना है हम हिन्दू हैं और मुझे इसका गौरव है तो क्या गलत बात है ?

हमें हिन्दू होने का गौरव है तो इसमें क्या गलत बात है ? मैं कहना चाहती हूं कि गौरव यात्रा में हमारा गौरव है। इस देश के 55 साल के शासन में 47 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। मेरा कहना है कि इतना काम उस शासन में नहीं हुआ जितना हमने इन पांच सालों में गुजरात में करके दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि गुजरात को बदनाम करने, गुजरात की पांच करोड़ जनता को गोडसे कहना कांग्रेस की साजिश है। मैं दावे के साथ कहती हूं कि जब भी इस देश में आतंकवादियों ने हमला किया है, जहां तक मुझे याद है कि पहला जो हादसा हुआ, वह श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद जो अभी कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी बेटी रूबिया को आतंकवादियों ने किडनैप किया था। उसको छुड़ाने के लिए सबसे पहले पांच आतंकवादियों को छोड़ा गया था। वे कांग्रेस के नहीं थे तो और कौन थे ? उन्होंने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए पांच आतंकवादियों को छोड़ दिया। हमको भी दुख है कि जब नेपाल में हमारा विमान हाईजैक किया गया तो हमारे ऊपर विश्व भर से एक प्रैशर था, मानवाधिकार आयोग का प्रैशर था जिसके कारण आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : उन्हें परोल पर रिहा किया गया है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : आप जब बोल रहे थे तब मैंने आपको बीच में कभी नहीं टोका था। अब आप क्यों बोल रहे हैं ? *(व्यवधान)* उस समय नौ आतंकवादियों को छोड़ दिया गया जिसके कारण आतंकवादियों ने फ़िर से हमारे देश में आतंकवाद को पनाह दी। हमारे यहां जब कांग्रेस का शासन था और श्री नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे तब उनको सोने की थाली में खाना परोसकर दिया गया। 35 दिन तक उनको रखा गया और सेफ रास्ते से बाहर निकाला गया। हमको इस देश का क्या करना है ? कांग्रेस ने हमेशा इस साजिश को बढ़ावा दिया है तथा इस देश में आतंकवाद को कभी भी रोकने की चिन्ता नहीं की।

आज क्रॉस बार्डर टैरोरिज्म इतना बढ़ गया है कि जिसके कारण आज गुजरात भी कश्मीर की तरफ जा रहा है, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। हमको जब चुनाव आयोग ने कहा कि गुजरात में अच्छी परिस्थिति नहीं है इसलिए हम वहां इलैक्शन बाद में करायेंगे तो मेरा कहना है कि कश्मीर में इलैक्शन हो सकता है लेकिन गुजरात में नहीं हो सकता। हम इसे क्या मानकर चलते हैं ? गुजरात के बारे जब भी इस हाउस में चर्चा हुई है, हमारे विपक्षी भाइयों ने जो भी बातें कहीं हैं। वे गलत कही हैं उसके कारण हम गुजराती लोगों को बहुत ही दुख होता है कि सच्ची बात कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप सच्ची बात तो कहिये जिसके कारण गुजराती होने का आप लोगों को भी गौरव हो। इस हाउस में कांग्रेस के गुजराती एम०पीज० ने कभी भी गुजरात के लोगों को गौरव देने की कोशिश नहीं की। हमेशा अपनी पार्टी पोलिटिक्स करते रहे। लगता है कि राष्ट्रपाल जी को चिन्ता थी कि शायद उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी। आप यह चिन्ता मत कीजिए। आपको गुजरात की प्रजा को जवाब देना होगा। *(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : लोक सभा का चुनाव नहीं आया है।

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया : गुजरात में जो भी इलैक्शन है, वह हमारा इलैक्शन है। *(व्यवधान)* इसका मतलब यह है कि आप स्वार्थी राजनीति कर रहे हैं। गुजरात में जो गौरव यात्रा निकली, वह शांति पूर्ण ढंग से निकली। गुजरात में जो जगन्नाथ यात्रा निकली, वह भी शांतिपूर्ण ढंग से निकली। अभी रमजान का महीना चल रहा है, वह भी शांति पूर्ण ढंग से चल रहा है। मेरा कहना है कि गुजरात को इस तरह से चर्चा में लाकर फिर से उसको डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है ? मैं गुजराती होने के नाते, गुजरात की संसद सदस्या होने के नाते यह जरूर कहना चाहूंगी कि इस तरह से गुजरात के किसी भी विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए ताकि गुजराती ऐसा फील न करें कि संसद में सिर्फ गुजरात इश्यू के अलावा और कोई काम नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। मैं इस एडजर्नमैंट मोशन का पुरजोर विरोध करके अपनी गुजरात की जनता को न्याय देने की कोशिश कर रही हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, इस सम्मानित सदन में एक बार नहीं, अनेक बार गुजरात के संबंध में चर्चा हुई है। अगर सरकार का रवैया ठीक हो, जो साम्प्रदायिक तत्व हैं, सरकार उनसे सख्ती के साथ निपटे तो मैं नहीं समझता कि बार-बार इस सवाल पर सदन में चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है। लेकिन बार-बार चर्चा होने के बावजूद साम्प्रदायिक ताकतों को हवा देने का काम, गुजरात में दहशत पैदा करने का काम, लगातार सरकारी साइड से किया जा रहा है। साम्प्रदायिक शक्तियों को खुली छूट है और सबसे गंभीर सवाल यह है कि कुछ ताकतें ऐसा समझने लगी हैं कि उनकी हैसियत संविधान, कानून और अदालत से भी ज्यादा है। यही एक बड़ा सवाल है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

चुनाव आयोग ने धर्म यात्रा पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया। उस संवैधानिक संस्था के बारे में क्या-क्या नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया। ये लोग ऐसे हैं जिनकी कानून में कोई आस्था नहीं है। बहुत अफसोस तब होता है, जब कभी भी इस पक्ष के लोग गुजरात पर चर्चा करते हैं तो उनका रोना एक ही होता है कि गोधरा की घटना को कन्डैम नहीं किया, उसकी निन्दा नहीं की। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा असत्य बात कोई दूसरी हो सकती है। इस देश में चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी बेगुनाह मारा जाता है तो उसके लिए बराबर की तकलीफ होती है।

बड़ा जिक्र होता है गौरव यात्रा का। एक बार गौरव यात्रा स्थगित हो गई थी। माननीय उप प्रधान मंत्री जी उसको हरी झंडी दिखाने वाले थे। किस बात का गौरव – गुजरात में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम – इस बात का गौरव, दहशत पैदा की – इस बात का गौरव, कानून में विश्वास नहीं किया – इस बात का गौरव। किस बात का गौरव ? मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि यह सरकार और उसके सहयोगी लोग जानते हैं कि भूख, प्यास, बेबसी, लाचारी, जो आम जनता की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, वे सब सवाल इस सरकार के काबू से बाहर के सवाल हैं। अब इस देश में धार्मिक भावनाओं को भड़का कर ही जिन्दा रहा जा सकता है, ऐसा मन इन लोगों ने बना लिया। प्रधान मंत्री जी और आडवाणी जी जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि गुजरात में जो कुछ हुआ, वह शर्मनाक है और यही उप प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को, शाबाशी देते हैं। आप लोग गुजरात में चुनाव की बात कर रहे हैं। आडवाणी जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, गुजरात में किसकी सरकार है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है, यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इस देश में एकता कायम रह पाएगी या नहीं। ऐसा लगने लगा है कि जो तांडव नृत्य साम्प्रदायिक शक्तियां कर रही हैं, उनसे इस देश की एकता को खतरा है। समाजवादी आन्दोलन के लोग हिन्दुस्तान के बंटवारे के खिलाफ थे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जब गौरव यात्रा निकालते हैं, दहशत पैदा करने का काम करते हैं, मुझे माफ करें, दुनिया में ऐसी कोई तोप और तलवार नहीं बनी जो हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ दे। जब आप लोगों की नीयत पर बार-बार शक करेंगे, उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बताएंगे, उनको यह कहेंगे कि देश में रहना है तो हमारे रहमो-कर्म पर रह सकते हैं, अगर आप नीयत पर शक करना बंद नहीं करेंगे तो माफ करना, दुनिया की कोई ताकत इस देश में एकता कायम नहीं रख सकती और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे।

यह काम आज हमारे देश में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन ताकतों पर आप पाबन्दी क्यों नहीं लगाते ? आपने पोटा किसलिए बनाया था ? यह प्रवीण तोगड़िया कौन है, यह क्या है ? बार-बार एक आदमी पूरे देश में घूमकर पूरे वातावरण को विषाक्त बना रहा है। आडवाणी जी, इस तोगड़िया के खिलाफ पोटा इस्तेमाल करिये। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ अगर आप पोटा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसलिए यह कानून बनाया गया था ? इन साम्प्रदायिक शक्तियों पर आप पाबन्दी लगाइये, बंदिश लगाइये और पोटा का इस्तेमाल करिये।

जैसा मैंने आपसे बड़ी विनम्रता से कहा कि गुजरात की धर्मयात्रा को रोकने के साथ साथ इनकी जो बात होती है, ये अयोध्या के सवाल पर क्या कहते हैं, अयोध्या के सवाल पर ये कहते हैं कि भावनाओं के सामने, आस्था के सामने हम अदालत के फैसले को नहीं मानेंगे। इनके सामने अदालत के फैसले का कोई अर्थ नहीं है। इनके सामने कोर्ट-कचहरी, अदालत, संविधान, कानून से अधिक हैसियत आर०एस०एस०, विश्व हिन्दू परिषद् और शिव सेना की हो गई। जो आज पूरे देश में हो रहा है, चन्द्रकान्त खैरे जी कहां चले गये, अयोध्या के सवाल पर, गुजरात के सवाल पर इनके लीडर बाल ठाकरे क्या कहते हैं, हिन्दुओं को आत्मघाती दस्ते बनाने चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं सुना है कि जो बहुमत के लोग हैं, वे आत्मघाती दस्ते बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं ? हर दृष्टि से हिन्दुस्तान की अक्लियत में दहशत पैदा करने का काम, उन्हें डराने का काम, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बताने का काम, ये सारे काम हमारे देश में आज हो रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि चुनाव एक अलग सवाल है। आज सबसे पहला सवाल देश की एकता का है।

हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में तिरंगे झंडे के नीचे यह कौम बनी थी, जिसमें हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना लहू बहाया था। यह किसी की बपौती नहीं है, यह किसी की ठेकेदारी नहीं है। शिव सेना की वजह से हम आजाद नहीं हुए, विश्व हिन्दू परिषद की वजह से हम आजाद नहीं हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से हम आजाद नहीं हुए। हिन्दुस्तान के हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में तिरंगे झंडे के नीचे अपना बलिदान किया। आप जो ठेकेदार बनते हैं, इस देश की सरजमीं पर सब लोगों का बराबर का अधिकार है और आप अक्लियत के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, यह सबसे अहम और बुनियादी सवाल है।

यह सरकार जानबूझकर उन तत्वों को हवा देने का काम कर रही है। कभी कोई भी बात होती है तो प्रधान मंत्री जी आर०एस०एस० के प्रमुख को बुलाकर उनसे पंचायत करते हैं। इन तत्वों के खिलाफ कभी सख्ती से कार्रवाई करने की बात इन लोगों न नहीं कही। आज जो गुजरात में हो रहा है, वह नरेन्द्र मोदी करा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। नरेन्द्र मोदी वही कर रहे हैं, जो आडवाणी जी और वाजपेयी जी गुजरात में करा रहे हैं।

सभापति महोदय, यह जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में ये लोग, जो अपने को संविधान से और कानून से ज्यादा हैसियत रखने वाले

बताते हैं, इन तत्वों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो, ये पोटा के तहत बन्द हों और साम्प्रदायिक संगठनों पर बैन लगाया जाये। मुझे यही निवेदन करना था।

[अनुवाद]

डा० बी०बी० रमैया (एलूरू) : सभापति महोदया, अब हम गुजरात की घटना पर चर्चा कर रहे हैं। गुजरात ऐसा राज्य है जिसके प्रति हमें सहानुभूति है। गुजरात की जनता को देश के सभी भागों से प्रचुर सहायता की आवश्यकता है। भूकंप के बाद मैंने गुजरात का दौरा किया था और मुझे पता है कि वहां की जनता को कितनी क्षति उठानी पड़ी है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें ऐसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा है। इसके फलस्वरूप, हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की जनता का पुनर्वास और सहायता किस तरह की जा सकती है तथा स्थिति को किस तरह सामान्य बनाया जा सकता है।

इसके बाद, गोधरा घटना ने एक अन्य बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अब हम पुन: यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें सभी ओर से उचित सहायता देकर किस तरह स्थापित कर सकते हैं। मेरे विचार से गुजरात की घटना के लिए कुछ बाहरी ताकते भी जिम्मेदार हैं। हम देख सकते हैं कि अक्षरधाम मंदिर में क्या हुआ और आतंकवादियों ने किस तरह वहां हमला किया। भारत के राष्ट्रपति श्री ए०पी०जी० अब्दुल कलाम ने भी राज्य की जनता के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए गुजरात का दौरा किया। अब चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि चाहे जैसे भी परिस्थितियां रहें, वहां शांतिपूर्ण चुनाव होने चाहिए। चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों ने गुजरात का दौरा किया है।

उन्होंने पूरी स्थिति की भी पुनरीक्षा की है और अंत में निर्णय लिया है कि यात्रा करने के लिए यह सही समय नहीं है। और ऐसा हुआ भी। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा उप प्रधान मंत्री को वास्तव में बधाई देता हूं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने हेतु सही निर्णय लिया है कि देश की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उन्होंने यह दिखाया कि उनके लिए किसी अन्य बात से यह अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें चुनाव आयोग के आदेशों का अनुपालन करना चाहिए। इसलिए वे दृढ़ता से इस बात पर अडिग रहे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि यात्रा करके आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस तरह आज भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु सही निर्णय लिया है कि संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

मैं महसूस करता हूं कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने सही कदम उठाकर कार्यवाही की है, उसे देखते हुए राज्य में और अधिक विवाद पैदा करना ठीक नहीं है जब सभी कुछ सही दिशा में सुचारू रूप से चल रहा है। आज हमें आवश्यकता है कि गुजरात में शांतिपूर्ण और बहुत व्यवस्थित ढंग से चुनाव हो जिससे सभी को अपने तरीके से मतदान करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री का निर्णय सही है और इसके लिए मैं उन्हें बधाई तथा धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : आदरणीय सभापति महोदया, आज सुबह स्पीकर साहब ने इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिए स्वीकृत किया, मैं इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि गुजरात की स्थिति के लिए जितनी भी पार्टियां हैं, सभी जिम्मेदार हैं। गुजरात में शांति बरकरार रखने के लिए, चुनाव में माहौल ठीक रहे और चुनाव जनता के सहयोग से हों, इसमें सभी पार्टियों का योगदान जरूरी है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए गैरजिम्मेदारी की बातें करके वोटों के बक्सों पर नजर रखकर हम एक-दो चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन देश के सामने जो स्थिति आ रही है, शायद उसको हम बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं जो कुछ कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक दृष्टिकोण से कहूंगा, एक सांसद की हैसियत से कहूंगा और सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए कहूंगा।

गुजरात का गौरव सिर्फ गुजरात का ही नहीं है, पूरे भारत का है। यही गुजरात हमारे पौराणिक इतिहास महाभारत पर खोज करें तो भगवान श्रीकृष्ण की द्वारका नगरी की कहानी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। यही वह गुजरात है, जहां सोमनाथ मंदिर है, जो हिन्दू सभ्यता का ही नहीं, भारत की प्राचीन सभ्यता का भी परिचायक है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महामहिम राजेन्द्र बाबू जी ने उसका पुनर्निर्माण कराया था। उस समय न कोई लड़ाई हुई और न कोई विवाद हुआ। इसी गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान ने बापू जी को जन्म दिया। उन्हीं बापू जी ने पूरे हिन्दुस्तान को ही नहीं, दक्षिण अफ्रीका को भी मुक्ति की दीक्षा दी। बापू जी किसी पार्टी के नहीं थे। हम नहीं चाहते कि महात्मा गांधी कांग्रेस की पूंजी बने, वे तो पूरी दुनिया की पूंजी हैं। जहां भी शांति का नाम लिया जाता है, वहां बापू जी का भी नाम लिया जाता है। यह सबसे बड़े गौरव की बात है। पोरबंदर सिर्फ गुजरात की ही मां नहीं, भारत की मां है।

मैं थोड़ा गुजरातियों से छीनकर हिन्दुस्तानी होने के नाते बहन चीखलीया जी से कहना चाहता हूं कि यह गौरव पूरे भारतवासियों के लिए है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भोला भाई देसाई, महादेव देसाई जी से लेकर आधुनिक भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और हमारे सबसे गरिमामई स्पीकर मावलंकर जी, जिनको हम सब संसदीय परम्परा के लिए याद करते हैं, सभी गुजरात के गौरव हैं। इस गौरव से पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करिए। भगवान श्रीकृष्ण की कहानी केवल गुजरात की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में जब हम लोग जाते हैं, भगवान कृष्ण को अंग्रेज लोग भी गीता पाठन के द्वारा याद करते हैं इसीलिए भारतीय होने के नाते मुझे गौरव होता है। श्रीकृष्ण की कहानी गुजरात के द्वारिका में छिपी हुई है। इसीलिए गुजरात का गौरव किस ढंग से होना चाहिए, यह एक प्रकार है और राजनीतिक फायदा

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

उठाने के लिए अगर कोई यात्रा करे तो वह दूसरा प्रकार है। हमें सोचना चाहिए कि गुजरात के गौरव में कौन लोग भागीदार थे और वे कहां गए ? आडवाणी जी ने ठीक कहा है कि सरदार पटेल के साथ मेरा नाम जोड़कर आप सरदार पटेल को नीचा कर रहे हैं और हमें भी नीचा कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। मैं इसलिए उनका आदर करता हूं। हमारे देश को आज क्या हो गया है ? कभी मेघा पाटेकर नहीं कहती कि मेरी तुलना कस्तूरबा से करो। कभी सम्पूर्ण बहुगुणा जी भी नहीं कहते हैं कि मेरी तुलना गांधी जी से करो। कभी विनोबा जी ने नहीं कहा कि मैं महात्मा गांधी के समतुल्य हूं। लेकिन राजनीति को इतना नीचे पहुंचा दिया गया है। इस देश की गरिमा को इस तरह से मलीन करना शोभा नहीं देता।

अटल जी सदन के नेता हैं। राजनीति में लड़ाई होती है। मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन अटल जी सदन के नेता हैं। अगर वह देश के बारे में कुछ कहते हैं तो उस पर कुछ टिप्पणी करने के लिए मैं सदन में तैयार हूं लेकिन उसको धुलीमलिन करने के लिए कोई कुछ कह दें तो क्या यह देश की राजनीति के गौरव को, हमारी संसदीय परम्परा के गौरव को बढ़ाएगा ? एक भी आप ऐसा उदाहरण दे दीजिए कि विपक्ष की तरफ से चाहे सोनिया जी हो, चाहे हम लोग कोई सांसद हो, आज तक कभी ऐसी बात कही कि जब सरकार की तरफ से कोई कदम उठा हो और वह चाहे आतंकवाद को रोकने के लिए हो, चाहे दंगा रोकने के लिए हो और चाहे किसी मामले पर नियंत्रण करने के लिए हो, हम लोगों ने आडवाणी जी का नाम लेकर या अटल जी का नाम लेकर, उनके बयान के लिए उन पर इस ढंग से अटैक किया हो ताकि परम्परा या मर्यादा टूट जाए ? अगर इस सरकार के ऊपर कोई चोट आज आई है तो इसके लिए आडवाणी जी खुद जिम्मेदार हैं।

आज माधवराज सिंधिया जी स्वर्गवासी हो गए। मुझे मालूम हुआ कि जब सचेतक होने के नाते मैंने अयोध्या में मस्जिद गिरने पर हुई चर्चा में भाग लेने के लिए मोशन मूव किया था और सोचा था कि मैं किस-किस का नाम लू, चार्ज शीट में है तो उन्होंने हमें बुलाकर, दुखी होकर कहा कि इसमें हमें भाग लेने के लिए मत बोलो। मैं डिप्टी लीडर हूं। मैं राजनीति की प्रतिष्ठा के साथ संकल्पबद्ध हूं, मैं कांग्रेस के साथ संकल्पबद्ध हूं। मैंने पूरा चार्ट पढ़ा है और पढ़कर देखा कि उसमें मेरी पूज्य माताजी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनका भी नाम है, तो मुझे इन परेशानियों से बचाओं। मैंने कहा कि आपको भाग नहीं लेना होगा। मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी सोमनाथ से जो यात्रा निकली और चाहे जिस भावना से निकली, वह दूसरी बात है। जो सोमनाथ से यात्रा निकालकर अयोध्या तक पहुंचने का इरादा बीजेपी के अध्यक्ष होने के नाते बनाया गया, वह आपका राजनीतिक कंविक्शन था और उसके परिणामस्वरूप जो हो रहा था, इसलिए आपको खुद अटल जी को कहना चाहिए था कि मुझे और कोई सरकार की जिम्मेदारी दीजिए, मैं संभाल लूंगा लेकिन इसकी जिम्मेदारी मत दीजिए जिससे मैं इन लोगों पर कंट्रोल करूं क्योंकि मैंने यही भावना जागृत करने के लिए इन लोगों को सिखाया।

[अनुवाद]

इसे मनोदशा कहते हैं। इसे स्थिति की वास्तविक सूझबूझ कहते हैं। आप ऐसा नहीं कर पाये, शायद, कोई और ऐसा करता।

[हिन्दी]

कांस्टीट्यूशन असेम्बली में अम्बेडकर जी का नाम लेकर पंडित जी महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे और उनसे कहा कि अम्बेडकर जी का नाम लेकर बहुत सवालात किये गए, क्या इस पर आप सहमत हैं तो उन्होंने कहा कि सवालात कुछ भी करें, अगर पिछड़े, गरीब लोगों के लिए कोई सोच सकता है तो अम्बेडकर जी सोचते हैं और उनका काम सम्पन्न हो।

[अनुवाद]

इसे स्तर कहते हैं, इसे गुणवत्ता कहते हैं। आप भारत के सर्वोत्तम रक्षा मंत्री हो सकते थे। मुझे इस बात पर संदेह नहीं है। आप भारत के सर्वोत्तम वित्त मंत्री हो सकते थे। लेकिन जहां स्थिति इतनी जटिल हो और जहां मुसलमानों तथा हिन्दुओं का धार्मिक कट्टरवाद अपना सिर उठा रहा हो, श्री आडवाणी के लिए गृह मंत्रालय को संभालना बहुत कठिन है। जिस पद पर आप आसीन है उससे संभवत: आपकी नींद उड़ जाती होगी।

[हिन्दी]

हम अनुशासन की कार्रवाई करते हैं, तो संविधान बच जाएगा और अगर हम अपने दिल की कार्यवाही करते हैं, तो हमें सोमनाथ की यात्रा याद आती है और मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा।

[अनुवाद]

आप दुविधा में हैं। अत:, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन ईमानदारी से मैं महसूस करता हूं कि भावनात्मक तथा राजनैतिक रूप से जिस पद पर आप आसीन हैं वह इस समय की स्थिति से निपटने हेतु, आपके अनुकूल नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सक्षम नहीं है। मैं आपका आत्यधिक सम्मान करता हूं।

[हिन्दी]

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि गुजरात में घटना गोधरा से शुरू हुई। उस घटना को देखकर अटल जी ने कहा कि यह देश के लिए कलंक है। आडवाणी जी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की मदद मिल रही है। आपने सही कहा है।

[अनुवाद]

आने वाले वर्षों में सभी संसदविद् आपकी तथा प्रधानमंत्री की टिप्पणी संसद में उद्धृत करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सही समय में

सही बात कही है। आपने महसूस किया कि देश सीमापार से आतंकवाद का सामना कर रहा है। आपने ईमानदारी से यह महसूस किया कि पाकिस्तान हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। इस समय यदि ऐसा ही चलता रहा तो ऐसे भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय राय कायम हो जाएगी जो अपने धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, संवैधानिक वचनबद्धता तथा महात्मा गांधी की विरासत के लिए जाना जाता है और जिसे अब कम से कम आप स्वीकार करेंगे।

[हिन्दी]

हम लोगों ने क्या कहा कि इस कलंक के लिए जिम्मेदार कौन हैं ? हम यह नहीं कहेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार अकेले श्री नरेन्द्र मोदी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं यह कहूंगा, उस दिन गोधरा की ट्रेन में जो अग लगाई, उससे कलंक जब शुरू हुआ, तो उसमें पूर्ण आहुति मोदी साहब ने दी। इसलिए यात्रा में गौरव नहीं है। इसमें श्रीकृष्ण की याद नहीं आती है। सोमनाथ मंदिर में भभूति नहीं गिरती है। यह बात गांधी जी के शरण में भी नहीं जाती है। इसमें गौरव नहीं होता है, कलंक होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह गौरव यात्रा ठीक नहीं है। इसलिए अटल जी ने कहा कि यह यात्रा बन्द करो। अटल जी ने कहा कि यह कलंक की बात है और आडवाणी जी ने कहा कि पाकिस्तान से मदद मिल रही है – ये दोनों जस्टिफाई नहीं करेंगे कि यह यात्रा कैसे गौरव यात्रा है। लेकिन मुश्किल यह हो गई कि

[अनुवाद]

यदि आप बाघ पर सवारी करते हैं तो आप एक, दो या तीन जंगल पार कर जाते हैं। लेकिन आप बाघ के ऊपर से गिर गए हैं। आपने सोमनाथ मंदिर से बाघ पर सवारी शुरू की। अब वह आपके नियंत्रण में नहीं है। वह आपको मार रहा है। लेकिन आप सच नहीं बोल सकते हैं। यह आपकी समस्या है। हम इस बात को समझते हैं। यह समस्या संसद में विपक्ष द्वारा सरकार के विरुद्ध पैदा नहीं की गई है। यह समस्या विपक्ष द्वारा संविधान के विरुद्ध पैदा नहीं की गई है। जब प्रधानंत्री विदेश का दौरा करते हैं तब उनकी विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न पूछने की समस्या विपक्ष ने पैदा नहीं की है। यह समस्या आपके बीच में से पैदा हुई है। ऐसा क्यों है ? आप बेहतर जानते हैं। मैं और अधिक उद्धृत नहीं करना चाहता।

[हिन्दी]

आदरणीय महोदया, मैं आपके सामने दो-तीन खास बातें रखना चाहता हूं। गुजरात में ये कहते हैं कि दंगे नहीं हुए, लेकिन अपोजीशन कहती है कि गुजरात में दंगे हुए हैं। हम लोगों ने इस देश में राज किया, हम कैसे इन्कार करेंगे कि कांग्रेस के राज में रायट्स नहीं हुए। हम कैसे इन्कार करेंगे कि हमारे समय में दंगे नहीं हुए – दंगे हुए हैं। मुसलमानों के घर जलाए गए और हिन्दुओं के घर जलाए गए। मैं बहुत छोटा था, जब कलकता में मैंने खुद देखा है कि रायट्स क्या चीज होती है। उस समय नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, उसके बाद इंदिरा जी प्रधान मंत्री थीं, फिर कुछ समय के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे और उनके बाद राजीव गांधी जी प्रधान बनें। भागलपुर में दंगे हुए, हम क्यों नहीं कहेंगे कि दंगे हुए हैं। जिम्मेदारी निर्धारित करना एक बात है। इसे अपने अनुकूल बनाना और बचाव करना अलग बात है। माधवसिंह सोलंकी जी के पास पूरा बहुमत था। हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरा विरोध किया कि माधवसिंह सोलंकी जी को नहीं हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि माधवसिंह सोलंकी जी रायट्स को कन्ट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

[अनुवाद]

यह बात आंध्र प्रदेश के मामले में हुई है। क्या आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं ? क्या तेलुगु देशम दल के मित्र इस बात से इंकार कर सकते हैं ? हमारी मेजोरिटी थी। हम चीफ मिनिस्टर को बदलें – किस लिए। इसलिए नहीं कि मुख्य मंत्री दोषी है। लोकतंत्र का सार यह हे कि आपको यह कहकर लोगों को सम्बोधित करना चाहिए कि व्यक्ति द्वारा संविधान के अंतर्गत ली गई शपथ और जिम्मेदारी कठिन समय में कायम नहीं रह सकती और इसलिए उसे शासन करने का अधिकार नहीं है। यह संदेश जाना चाहिए। कांग्रेस दल इस देश में पहले दिन से ही यह संदेश देता रहा है।

[हिन्दी]

चाहे डिफेंस का मसला हो, डा० कृष्ण मेनन, के०डी० मालवीय जी, ललित नारायण मिश्रा जी या हमारे चीफ मिनिस्टर के त्याग-पत्र का मामला हो – यह जवाबदेही है। डेमोक्रेसी में गलती हो सकती है। हमारे शासन में गलती नहीं हुई, सब कुछ ठीक हुआ, हम यह कहने के लिए खड़े नहीं हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि एकाउंटेबिल्टी करके कुछ चीजें डेमोक्रेसी में होती हैं। सदन में उसके बारे में जिक्र करते हैं।

आज हम लोग साम्प्रदायिक भावना की बात करते हैं। यह सही है कि पाकिस्तान लगातार आई०एस०आई०, टेरेरिस्ट और अल कायदा के द्वारा, अफगानिस्तान के खेल की तरह, हिन्दुस्तान को खेल खिलाने के लिए उनकी साजिश शुरू हुई थी। इसलिए हम लोगों को कभी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, चाहे गुजरात में हम जीते या हारें – हमारा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ इतना तेज होना चाहिए, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम या कोई अन्य हो। हमारी दुश्मन को पहचानने में कोई गलती न हो, इसमें कोई दो राय नहीं हैं।

[अनुवाद]

इसलिए, आपने जब भी आतंकवाद के संकट से निपटने हेतु संकल्प प्रस्तुत किया, इस सभा में कोई विभाजन नहीं देखा गया। यह भारत की एकता का प्रश्न है। संकट की इस घड़ी में यह भारत की एकता का प्रश्न है। यह जारी रहना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गुजरात में चुनाव जीतें या हारें। यह प्रवृत्ति जारी रहेगी क्योंकि हमारा लक्ष्य पाकिस्तान द्वारा रचे जा रहे षड्यंत्र के विरुद्ध भारत की

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

एकता को सुरक्षित रखना है। मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन मुझे कृपया यह बताइए कि दंगे किस तरह भड़के। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

[हिन्दी]

मुझे मालूम है कि इमर्जेंसी के समय कुछ लोग जेल में थे। आडवाणी जी, आप सब लोग मिल गए। आपने सही मायनों में सोचा कि लोकतंत्र का उद्धार करना है। आपने ठीक कहा। जनता ने हम लोगों को वोट नहीं दिया। उस समय इंदिरा गांधी जी हार गईं। उस समय एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसका जिक्र सब लोग करते हैं। उस प्रोग्राम का नाम फैमिली प्लानिंग था। संजय जी ने कहा था कि पांच सूची कार्यक्रम में फैमिली प्लानिंग भी होना चाहिए। हो सकता है कि उस समय 40 ऑपरेशन के अंदर चार ऑपरेशन गलत हो गए हों। डाक्टर कभी गारंटी नहीं देता कि हर ऑपरेशन सफल होगा। उस समय नसबंदी का कार्यक्रम चला था। चार या पांच केस शायद गलत निकले। उस गलत केस को उठा कर क्या उस दिन आप लोग एक ही मंच पर बैठ कर जामा मस्जिद को, शाही इमाम द्वारा जनता को यह बताया कि मुसलमानों के धर्म के ऊपर इंदिरा गांधी ने हाथ लगाया और नसबंदी का प्रोग्राम करके मुसलमानों को बर्बाद किया, इसलिए मुसलमानों वोट मत दो। उस दिन आप लोग एक थे। उस दिन तालियां बज रही थीं। सब वामपंथी साथियों ने देखा। उस दिन देश के कुछ लोगों ने इशारा किया। अगर शाही इमाम के एक भाषण से, मुसलमान की तालियों से तख्ता पलट जाता है तो शायद सोमनाथ यात्रा के कार्यक्रम से, एक दफा हिन्दुओं की तालीम से दुबारा तख्ता पलट सकता है।

[अनुवाद]

इस तरह से कट्टरवादियों ने इस देश में अपनी जड़े जमा दी। जब आप किसी कार्यक्रम की आलोचना करना चाहते हैं तो आप राजनैतिक और आर्थिक रूप से इसकी आलोचना करें। कृपया इसमें धर्म मत लाइए। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे में कभी भी धर्म को नहीं लाई। आप आपातकाल का यह कह कर विरोध कर सकते थे कि यह देश के लिए ठीक नहीं है। आप सीधे ये कहकर लड़ सकते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको नजरबंद किया है और संवैधानिक प्राधिकार को दबाया गया है। मैं इसका बुरा नहीं मानता। लेकिन यह मुद्दा नहीं था। मैंने अपनी डायरी से यह जांच कर ली है। जब बहुत सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, शाही इमाम बोल रहे थे। 'मुसलमानों, कांग्रेस को वोट मत दो। नसबंदी करके इंदिरा गांधी ने सत्यनाश कर दिया ? यह परिवार नियोजन के बारे में था। कितने मामलों में यह गलत हुआ ? मैं माननीय गृह मंत्री को ब्यौरा नहीं दे सकता हूं। मंत्री महोदय, आपको रिकार्ड मिल सकता है क्योंकि आप गृहमंत्री हैं। कितने मामले गलत हुए थे ? शायद तीस या चालीस मामले। समग्र परिवार नियोजन को यह रंग दे दिया गया मानो कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम गढ़ में धार्मिक घुसपैठ हो। इस तरह से शुरूआत हुई। इस तरह से बात इस स्तर तक पहुंच गई। अब, इस समय हम पश्चाताप कर रहे हैं। इस देश में मुसलमानों पर किसी भी राजनैतिक दल का एकाधिकार नहीं है। दो नामित सदस्यों को छोड़कर इस सभा में 543 सदस्य हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय, 10 12 केस निकाल दीजिए, इनके अलावा क्या कोई ऐसा क्षेत्र हैं जहां हिन्दुओं के वोट के बिना कोई पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। अगर कोई हिन्दू धर्म का सबसे बड़ा गौरव है तो वह उसका भाईचारा और सहिष्णुता की भावना है। दुनिया को एक मानने और अपनाने की भावना के साथ हिन्दू धर्म जुड़ा हुआ है और जब तक वह इस ढंग से जुड़ा रहेगा, तब तक उसका गौरव रहेगा। हिन्दू के नाम पर उग्रवाद हिन्दू के नाम पर संघर्ष करने के लिए क्या कोई संत कहता है। कोई संत कहता है कि मेरा काम संघर्ष करना है।

[अनुवाद]

तो फिर पिछले 52 वर्षों से लोकसभा के अधिकांश सदस्य जो केवल मुसलमानों के ही नहीं अपितु हिन्दुओं के समर्थन से निर्वाचित हुए, गुरू गोलवालकर द्वारा प्रतिपादित दर्शन अथवा विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा प्रचार की जा रही नई संस्कृति और विरासत का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते हैं ? ऐसा क्यों है ? क्या उन्हें अपना हृदय टटोल कर नहीं देखना चाहिए ? क्या हम हिन्दू नहीं हैं ? क्या में हिन्दू नहीं हूं ?

[हिन्दी]

हिंदू का सबसे पहला मंत्र जिससे वे सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान करते हैं "ओम भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो योन: प्रचोदयात्"। उसमें गुजरात, बंगाल की बात नहीं है वे दुनिया के साथ देव को प्रणाम करते हैं। अंजलि के समय उनका अंतिम मंत्र क्या है ? "ओउम निर्मला, निषकलंक पूर्ण देव बुद्धि विमर्दकम"। आखिर में सारे अहंकार को नष्ट करने की बात मंत्र में वे करते हैं। वे कहते हैं कि "सर्वा महामिकम तता:"। क्या यह बात आचार्य धर्मेन्द्र जी कह रहे हैं या गिरिराज किशोर जी कर रहे हैं। आडवाणी जी, मैंने आपके नाम एक पत्र 5 सितम्बर को लिखा था। बड़े दु:ख के साथ उस खत का जि करना चाहता हूं। आपने पेटा का कानून पास किया और बताया कि पोटा आपको क्यों चाहिए। आपने 5 सितम्बर के पत्र में लिखा :

[अनुवाद]

"प्रिय आडवाणी जी,

मैं इस पत्र के साथ श्री विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष अशोक सिंघल के भाषण से संबंधित 3 सितम्बर, 2002 के समाचार पत्र 'दि इंडियन एक्सप्रेस" की कतरन संलग्न कर रहा हूं जिसमें उन्होंने अमृतसर में कहा "गोधरा की घटना 27 फरवरी को घटित हुई और अगले दिन 50 लाख हिन्दू सड़कों पर आ गए थे। हम हिन्दू चेतना जगाने के प्रयोग में सफल रहे जो अब पूरे देश में

दोहराया जाएगा। सिंघल ने बहुत प्रसन्नता से यह भी बताया कि किस तरह पूरे गांव में इस्लाम समाप्त हो गया है और कैसे पूरे मुस्लिम समुदायों को शरणार्थी शिविरों में भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हिन्दू समाज और इससे पहले धर्म की जीत है। लोग कहते हैं कि मैं गजरात की प्रशंसा करता हूं। जी हां, मैं प्रशंसा करता हूं।''

मेरे विचार से श्री अशोक सिंघल की इस अभिव्यक्ति से ही 'पोटा' लागू हो जाता है। 'पोटा' के खण्ड 3(1) (क) में कहा गया है :

''भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा अथवा प्रभुसत्ता को खतरा उत्पन्न करने अथवा जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने के उद्देश्य से कोई कार्यवाही की जाती है ।''

''पोटा'' के खण्ड 3 में कहा गया है :

''जो भी षड्यंत्र रचता है अथवा करने का प्रयास अथवा समर्थन करता है, भडकाऊ सलाह देता है अथवा भड़काता है अथवा जानबूझ कर चूक करता है ।''

ऐसे मामलों में 'पोटा' लागू होना चाहिए। गृह मंत्री प्रतिदिन आतंकवाद से लड़ने तथा देश के विभाजन को रोकने हेतु 'पोटा' की शक्ति के बारे में कह रहे हैं। अब विश्व हिन्दू परिषद् के अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से यह वक्तव्य दिया है। श्री वैको के एक भाषण ने सेल्वी जयललिता को 'पोटा' के अंतर्गत गिरफ्तार करवाया लेकिन इस तरह के भाषण लगातार दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद वे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। नि:संदेह, मैं समझ सकता हूं कि वे क्यों कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूं। उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए। यदि मैं गलत हूं तो वे मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। वे मेरे विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जब वे कार्यवाही करने के बारे में सोचते हैं तो वहां श्री अशोक सिंघल और श्री आचार्य गिरिराज किशोर हैं लेकिन जब वे घर वापस जाते हैं तो उन्हें वह रथ यात्रा याद रहेगी जिसमें उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या तक हिन्दू जागरण के नारे लगाए थे। तो, अब वे किस तरह कार्यवाही कर सकते हैं ? यह होने अथवा न होने की सुविधा को शेक्सपीयर के हेमलेट में स्वीकार किया जा सकता है लेकिन मंत्रिपरिषद् अथवा भारत के संविधान के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें अंतर्गत श्री आडवाणी ने गृह मंत्री के रूप में शपथ ली है।

आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप केवल कार्यवाही ही नहीं कर सकते अपितु यह बताते हुए मेरे पत्र की पावती भी नहीं भेज सकते हैं कि आप इस मामले में क्या विचार कर रहे हैं। मेरा पत्र 5 सितम्बर का है। श्री आडवाणी, सरकार इस तरह से सामना कर रही है। आप शासन नहीं कर सकते हैं। आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं लेकिन हर बार आपकी ओर से भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जब श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब आपको दोहरी सदस्यता के मामले पर इस्तीफा देना पड़ा था। अब लोग कहते हैं कि आपको दोहरी सदस्यता नहीं वरन् दोहरे नेतृत्व के एक अन्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मीडिया इस तरह से लिख रहा है। यह मत सोचिए कि कांग्रेस दल आलोचना कर रहा है।

मैं मीडिया की बात कर रहा हूं। यदि प्रधान मंत्री निंदा कर सकते हैं, गलत या सही में इसपर प्रश्न नहीं कर रहा हूं – क्या आप यह नहीं सोचते कि आपकी जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि आप गांधीनगर से गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं ? क्या आप यह नहीं सोचते कि यह आप हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख उप-प्रधान मंत्री पद पर आसीन हैं ? क्या आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है ? इस बारे में कोई वाक्य नहीं है। लेकिन हां, आपने कहा है : ''मैं जम्मू-कश्मीर की घटनाओं पर नजर रख रहा हूं।'' आपको जारी रखना चाहिए। हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। लेकिन आपने यात्राओं के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। संसद सत्र शुरू होने से पूर्व प्रधानमंत्री को दल देना पड़ा था। इस मामले में आपकी संदेहास्पद चुप्पी से हमें यह अहसास होता है कि : ''आपको ऐसा भय है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी कल या परसों अपनी गद्दी से वंचित होने वाले हैं। मैं परवाह नहीं करता। लेकिन अपनी कुर्सी और भविष्य में प्रधान मंत्री का ताज बचाने के लिए यदि हिन्दुत्व मुझे त्यागता है तो मैं कठिनाई में पड़ जाऊंगा।'' इसलिए आचार्य धमेन्द्र ने ठीक ही कहा है कि : ''हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी का वक्तव्य सुनने के पश्चात उनके नाम का अपने कम्प्यूटर से लोप कर दिया है।'' उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने आपके नाम का लोप किया है।

आज, देश में ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपको न केवल सामूहिक रूप से कार्य करना है अपितु आपकी जिम्मेदारी गृह मंत्री होने के नाते प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अधिक है क्योंकि आप गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि जैसे हम आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर लड़े हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि : ''मैं, लाल कृष्ण आडवाणी, उप-प्रधान मंत्री, जिसे भारत के राष्ट्रपति महोदय ने संविधान के नाम पर शपथ दिलाई है, संसद में ऐसा कहता हूं। जैसे आप हर संभव तरीके से इस्लामी कट्टरवादी आतंकवादियों से लड़ते हैं उसी प्रकार हम संसद में सारे विपक्ष के सहयोग से उन हिन्दु धार्मिक कट्टरपंथियों से, जो संविधान के मूल तत्व और महात्मा गांधी की विरासत और सदन के नेता की घोषणा पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, लड़ेंगे।'' आप ऐसा क्यों नहीं कह सकते आप स्पष्टतया यह क्यों नहीं कह सकते कि – हम स्वयं को विश्व हिन्दु परिषद् से पूर्णतया अलग करते हैं ?'' यदि कोई राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार का सदस्य है और यही वह भा०ज०पा० का भी सदस्य है। तो उसे यह घोषणा करनी चाहिए कि इसका विश्व हिन्दु परिषद से कोई सम्बन्ध नहीं है?'' क्या आपमें इतनी शक्ति है ? आपमें वह शक्ति नहीं है। क्योंकि आपमें वह शक्ति नहीं है, इसी से संदेह उत्पन्न होता है। इसीलिए आज सदन में यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है।

इसलिए, उप-प्रधान मंत्री महोदय, मैं अपनी ओर से पूरा जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि आप स्वयं अपने प्राधिकार और अपने पद की गरिमा कम न करें। एक ओर आपने कहा है। कि ''गुजरात पूरे घटनाक्रम

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

की जांच एक न्यायिक जांच समिति द्वारा की जायेगी।" आपने ठीक कहा। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने कहा था कि एक न्यायिक जांच समिति यह जांच करेगी। अब उसको उद्धृत करता हूं जो आपने अपने भाषण में कहा था। यह मेरा भाषण नहीं है :

[हिन्दी]

> "गोधरा में क्या हुआ ? गोधरा के बाद सरकार ने कदम उठाए या नहीं – गोधरा के संदर्भ में मैं उन सब बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी-अभी श्री बनातवाला और पहले कुछ सदस्यों ने फॉरेंसिक रिपोर्ट की चर्चा की। मैं उससे अलग कहूंगा। वैसे मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट पूरी नहीं देखी। उसके कुछ अंश देखे हैं जो कुछ अखबारों में छपे हैं। गुजरात सरकार ने हम को जानकारी दी और गुजरात सरकार का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच आयोग को दी गई है जो उस मामले में पूरी छानबीन करके जुडिशियल कमीशन के नाते रिपोर्ट देने वाली है। वह ठीक था।"

बाद में आपने कहा कि उनके कहने से शायद उसमें से ब्रेक-थ्रू भी हो सकता है। आपने भी एडमिट किया कि जुडिशियल कमेटी की फाइंडिंग्स ऐंड फॉरेंसिक रिपोर्ट से ब्रेक-थ्रू भी आ सकता है। फिर आप पुन: अपनी बात पर आ गये : "मैं सोमनाथ मंदिर में रथ पर चल रहा हूं।"

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन में आप से पूछूंगा कि आप में से कुछ लोग गोधरा गये हैं, मैं भी गया हूं जिन्होंने कम्पार्टमेंट देखा है जिसे जलाया गया था, उसके फोरनैसिक रिपोर्ट की जरूरत है। वह गृह मंत्री हैं। उनकी भावनाएं उनके दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं। यह हम कह सकते हैं, बी०जे०पी० के सदस्य कह सकते हैं। मैं मानने के लिये तैयार हूं कि आप नहीं कहेंगे क्योंकि आप कह चुके हैं कि फोरेन्सिक रिपोर्ट ज्युडिशियल कमीशन को दी गई है, उससे शायद कुछ ब्रेक थ्रू आ सकता है। हम रिपोर्ट की इंतजार में हैं, रिपोर्ट हमें फांसी देगी, जेल जायेंगे लेकिन फिर उनकी बात कह रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री आडवाणी जी का कार्य करने का ढंग यही है। गृह मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) और उप-प्रधान मंत्री के तौर पर श्री आडवाणी सीधे-सीधे नॉर्थ ब्लाक के निदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। जब वे यह महसूस करते हैं कि वे सोमनाथ रथ यात्रा के जनक हैं तो वे बदल जाते हैं। ये दो बातें होने या न होने की समस्या पैदा कर रही हैं और इसीलिए भ्रम की स्थिति है। मेरे विचार से गृह मंत्री महोदय जो समस्या बताई गई है, उससे अधिक समस्या तो आपसे है। अब, मैं आपको बता दूं, आपने यह भी कहा है। जो कि मेरे लिए एक बड़ा आयात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे कहेंगे कि बाहर का ठेका नहीं, इसके लिए लेबोरेट्री की फोरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वे गृह मंत्री हैं और वे बता रहे हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। फोरेंसिक विभाग कौन हैं ? इस विभाग का गठन भी इसी संस्था द्वारा किया गया है। गुजरात का फोरेंसिक विभाग, दिल्ली का फोरेंसिक विभाग, हैदराबाद का फोरेंसिक विभाग आदि ऐसे संस्थागत एकन्ध हैं जहां गृह मंत्रालय का स्पष्ट पर्यवेक्षण है। वहां कौन लोग हैं ? वहां वैज्ञानिक हैं, पुलिस अधिकारी हैं। एक ओर वे विध्वंस करते हैं और दूसरी ओर बचाव करते हैं। इसी तरह से सारी समस्या शुरू हुई। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने यह किया है वे आजाद घूमें । मैंने पहले कहा था और मैं फिर दोहराता हूं।

[हिन्दी]

जिन लोगों ने गोधरा कांड शुरू किया, उनकी न केवल निन्दा करनी चाहिये बल्कि जब तक उन्हें मौत की सजा ज्युडिशियल डिपार्टमेंट नहीं सुनायेगा, तब तक हिन्दुस्तान का हर एक वह नागरिक जिसे इस देश से प्यार है, मोहब्बत है, वह चैन की नींद नहीं सो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है।

अक्षरधाम मंदिर में एन०एस० गार्ड्स ने जो काम किया, वह बधाइ का नहीं बल्कि हमें इस बात का संकेत देता है कि पाकिस्तान देश में कुछ नहीं कर सकता, हमारी फौज तैयार है लेकिन आप लोगों ने हमें गाली दी। शिव सेना के लोगों ने कहा कि अक्षरधाम पर टैरेरिस्ट अटेक हुआ, पार्लियामेंट पर टैरेरिस्ट अटैक हुआ। हम हिन्दू-मुस्लिम की बात नहीं कहेंगे लेकिन आडवाणी जी चैन की नींद में रहेंगे। आज गुजरात में छेटा सा बच्चा आडवाणी जी से सवाल करेगा कि वह गांधीनगर से सदस्य हैं। जब सोमनाथ यात्रा हुई, उस समय अपने पिता के साथ था, आज भी है लेकिन आज इन्दिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं, श्री पी०वी० नरसिंह राव नहीं है लेकिन जिस दिन से आडवाणी जी होम मिनिस्टर हुये हैं, तब से अमरनाथ यात्रा, डोडा, अक्षरधाम, पार्लियामेंट पर हमला हुआ है। एक के बाद एक – कश्मीर में, जम्मू में सबसे ज्यादा हिन्दुओं का नाश होता रहा है और आडवाणी जी का हर रोज यह बयान आता है कि मैं कुछ करूंगा, कुछ करूंगा जबकि सबसे ज्यादा नाश इनके नेतृत्व में हुआ है। जब इन से सवाल पूछा जायेगा तो ये क्या जवाब देंगे ? ये कहेंगे कि होम मिनिस्ट्री छोड़ रहा हूं। हमारा जवाब देने के लिये एक ही रास्ता है, यह पद छोड़ दें। इसीलिए वे दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। कौन मारे गए हैं ? मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे बी०जे०पी० के सदस्य हैं जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम बोलते हैं, अगर इंन्दिरा जी आज होती तो सबक सिखा देती। यह कोई लौजिक नहीं, ये भावना की बात करते हैं। आपके साथी लोग 4-5 नहीं, एक दर्जन से ज्यादा लोग कहते हैं कि यदि इन्दिरा गांधी होती लेकिन उन्हें समझाइये कि इन्दिरा जी नहीं हैं, उस समय न्युक्लीयर डाइमेंशन नहीं था लेकिन आज नेयुक्लीयर डाइमेंशन है, कहने और करने में एक से नहीं हो सकते। हम लोग सरकार की मजबूरी समझते हैं, इसलिये सरकार के साथ कभी लड़ाई नहीं की। हम लोग भी कहते हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान

पर अटैक किया ? यह धारणा बनी है कि गृह मंत्री महोदय आप आतंकवादियों से लड़ने में असफल रहे हैं और आपकी आसूचना एजेंसियां एक भी बात साबित नहीं कर सकीं।

एक क्लू आपको मिल गया है, ठीक है आप सक्सेसफल हो गये हैं। लेकिन मैं आपको मिसाल दे सकता हूं कि दस क्लूज हैं, जिसमें एक क्लू में आप सक्सेसफुल हैं और बाकी में फेल हैं। इसके लिए मैं आपको इसलिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूं।

[अनुवाद]

क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं ? क्या मैं दिल्ली के पुलिस आयुक्त या गुजरात के पुलिस महानिदेशक को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकता हूं ? नहीं। आप आंतरिक सुरक्षा का अर्थ देख रहे हैं और आप इसे करने में सक्षम नहीं हैं।

कश्मीर के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। अदालत के आदेश के बिना पहले आतंकवादी को किसने रिहा किया ? वह अजहर मसूद था। अब कश्मीर में क्या हो रहा है ? श्री आडवाणी जी, यदि मैं गलत हूं तो आप मेरी गलती सुधार सकते हैं और मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा मुझे बताया गया है कि कश्मीर में जिन्हें छोड़ा गया है। उनमें से कई को अदालती आदेश के आधार पर छोड़ा गया है और कुछ मामलों में केन्द्रीय आसूचना एजेंसी से भी परामर्श किया गया था। इस जांच समिति की नियुक्ति श्री फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा की गई थी और उसने इन सभी की जांच की थी।

[हिन्दी]

यह इलजाम की बात नहीं है। यह सोचने का सवाल है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गुजरात की जनता से, आडवाणी जी और सदन से कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की कोई मंशा नहीं है कि गुजरात में चुनाव के मसले को लेकर सामाजिक भेदभाव या विभाजन की नीति चालू हो। हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही है कि चाहे गोधरा हो, चाहे नाडिया हो, चाहे मेहसाणा हो, किसी इश्यु को लेकर हम ऐसा मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण चुनाव चाहते हैं। लेकिन कोई पदाधिकारी चाहे वह इलैक्शन कमीशन में हो, चाहे सरकार में हो, उनका नाम लेकर जाति या धर्म का जो माहौल बनाया जा रहा है, उन लोगों को कड़ी सजा देने की जिम्मेदारी आडवाणी जी आपकी है। अगर आप विफल होते हैं तो संविधान का भाषा कमजोर हो जायेगी। महात्मा गांधी जी को हम लोग याद करते रहेंगे। लेकिन तब तक इतनी देर हो जायेगी कि हम लोग कुछ नहीं कर पायेंगे।

[अनुवाद]

गुजरात का गौरव और भारत का गौरव सार्वजनिक जीवन के लिए महात्मा गांधी की विरासत और शासन के लिए भगवान श्री कृष्ण की विरासत में अन्तर्निहित है। कृपया मोदी की यात्रा के नाम पर उस गौरव को नष्ट न करें।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन) : सभापति महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। *(व्यवधान)* हम लोग वहां से चुनकर आये हैं, जहां आठ लाख मुस्लिम रहते हैं। हम वहां से कांग्रेस की जमानत जब्त कराकर आये हैं।

अपराह्न 3.08 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए]*

सभापति महोदय, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और मैं रोजे से हूं। रोजे में हमें यह बताया जाता है कि सब कुछ सच बोलना है। इसलिए मैं यहां पर *(व्यवधान)* इसलिए आपको कभी मौका नहीं देते हैं। जब भी अक्लियतों का इश्यु होता है तो अक्लियत के किसी सांसद को बोलने का मौका नहीं देते हैं, सारा टाइम प्रियदा ले जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा अन्याय कांग्रेस पार्टी अक्लियतों के साथ करती है।

सभापति महोदय, यह हमारी बदकिस्मती है कि आजादी के बाद से जब से इस मुल्क का वजूद खड़ा हुआ है, दंगे हमने आज से नहीं देखे हैं। दंगे 15 अगस्त, 1947 से हमने इस मुल्क में देखे हैं और आज जिस तरह की स्पीचेज की गई हैं, उनसे ऐसा लगता है कि अगर प्रियदा को स्पीच का कांटैक्स्ट किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को पढ़ा दिया जाए तो उसे लगेगा कि उनका हिन्दुस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यह सही है कि पिछले चार साल से हमारी सरकार है और अभी ऐसी स्पीचेज दी गई हैं कि जैसे पिछले चार सालों से ही दंगे हो रहे हैं। आपने यह भी कहा है कि कांग्रेस के राज में भी दंगे हुए हैं। मैं कुछ मिसाल देकर फिर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी और जिस तरह से आप इधर से उधर गये हैं। जब श्री नरसिंहराव जी की सरकार थी, उस जमाने के कुछ आंकड़े मैं प्रियदा और सभापति महोदय के समाने रखना चाहता हूं। 1991 से 1995 तक कांग्रेस के राज में 6040 दंगे हुए, जिसमें 4665 लोग मारे गये। मैं गुजरात की घटना पर बाद में आऊंगा। अगर मैं अपनी सरकार का 1998 से अभी तक का हिसाब दूं तो अब तक हुए दंगों में कुल 806 लोग मारे गये। आंकड़ों के हिसाब से आजादी के बाद यदि किसी सरकार को सबसे अधिक सेक्युलर और किसी प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को सबसे अधिक सेक्युलर कहा जायेगा तो वह मेरे नेता उप-प्रधान मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी और प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। यह मैं आंकड़ों के हिसाब से कहना चाहता हूं।

मैं इसे सभापटल पर रखने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हूं क्योंकि आपके नरसिंह राव और यशवंत राव चव्हाण जी का जमाना मैंने देखा है। उस समय मैं बहुत छोटा था। मैं कहता हूं कि गुजरात की घटना से आप पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों को डरा नहीं सकते। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि गुजरात में हम हिन्दू समाज का वोट लेना चाहते हैं। हम आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप गुजरात की

[श्री मैयद शाहनवाज हुसैन]

आड़ में भारत के मुसलमानों को डराकर उनसे वोट लेना चाहते हैं। आप फिर से वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं।

आपने गुजरात के दंगों को मिसाल बनाया है। आपने गोवा में भी इस बात की चर्चा की थी। *(व्यवधान)*

सभापति जी, यह मेरा तीसरा भाषण है। मैं जानता हूं कि जब जब मैं बोलता हूं तो मेरी ऊर्जा तभी बढ़ती है जब उधर से लोग मुझे टोकते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है। जब आप टोकते हैं तो मेरी ऊर्जा बढ़ती है और मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है।

गुजरात के दंगे हुए। 8 महीने से बैठकर मैं यह चर्चा सुन रहा हूं। जब मैं खड़ा हुआ तो ये कहते हैं कि ये शोपीस है। मैं जहां से चुनकर आया हूं, वहां देश में सर्वाधिक मुस्लिम आबाद मेरे चुनाव क्षेत्र किशनगंज में रहती हैं। वहां कांग्रेस का नामोनिशन नहीं है। वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी जीतकर आ गया है तो आपकी नज़र में मैं खटकता रहता हूं। जब राष्ट्रपाल जी बोल रहे थे तो मैं चुपचाप मुसकराकर उनको देख रहा था। उन्होंने बार-बार मेरा नाम लिया। मैं उस समय भी खड़ा होकर कुछ कह सकता था। प्रवीण राष्ट्रपाल जी ने कुछ बातें कही हैं कि धर्म की राजनीति हम लोगों ने शुरू की है। कांग्रेस के लोगों ने वहां बहुत दिनों तक हुकूमत की है। सत्ता में रहने के बाद आपकी याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा आप मिनिस्टर थे, गाड़ी थी, कोठी थी, बंगला था, आपने भी हुकूमत की। आपने यह किया, वह किया, आपको सब याद होगा। जब आप सब बातें याद करते हैं तो एक बात कैसे भूल गए ? आपने नरेन्द्र मोदी जी की यात्रा की बात शुरू की कि उन्होंने एक धर्म स्थान से यात्रा शुरू की, क्या आप भूल गए कि भारत की राजनीति में स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहले व्यक्ति थे, कांग्रेस के पहले नेता थे जिन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरूआत 6 दिसंबर, 1989 को अयोध्या से शुरू की थी। क्या उसको भूल गए ? अगर नरेन्द्र मोदी जी किसी मंदिर से आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करते हैं तो वह बहुत बुरी बात हो गई ? यह मैं पूरी तरह से रिकार्ड पर बोल रहा हूं। अगर आपको एतराज़ है तो खड़े होकर बोलें। *(व्यवधान)* क्या आप भूल गए कि जब आप चुनाव अभियान में जाते हैं तो मंदिर में पूजा करके या घर में किसी बड़े के आगे माथा टेककर जाते हैं ? मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा, लेकिन जब चुनाव अभियान में नॉमिनेशन करने गया तो बड़े बुजुर्ग की मज़ार पर जाकर फातिया पढ़कर मैंने अगर यात्रा की शुरूआत की तो यह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आप इस तरह के जो सवाल उठा रहे हैं यह सवाल उठाने का अधिकार आपको तब है जब यह काम आपने नहीं किया होता।

अभी प्रियरंजन दा कह रहे थे कि 10-12 सीटों को छोड़कर सब लोग हिन्दू वोट से जीतकर आते हैं और ज्यादातर हिन्दू वोट हैं। यही सलाह आप जैसे लोगों ने राजीव गांधी जी को दी थी, इसलिए आपने अपनी नीति 1989 में बदली थी और वहां अयोध्या आंदोलन के समय हिन्दू कार्ड खेलना चाहा था। आपने शिलान्यास करवाया था। गृह मंत्री बूटा सिंह जी थे। उस वक्त आपने पूरा सहयोग किया था। लेकिन आपका वह हिन्दू कार्ड नहीं चला। अब आपका खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। आप हिन्दुओं में अनपॉपुलर हो गए और मुस्लिम समाज में अनपॉपलुर क्यों हुए ? बिहार में आप पूरी 50 सीटों से जीतकर आते थे, बिहार में आज आपके कितने एम०पी० हैं ? वहां मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी तादाद में रहती है। 54 लोक सभा के सदस्य दोनों बिहार को मिलाकर थे। अभी वहां से तीन मुस्लिम सदस्य चुने गए। उसमें एक आर०जे०डी० के हैं, एक और आर०जे०डी० के चुने गए थे लेकिन वह हमारे साथ आ गए और एक मैं चुना गया हूं। आपकी पार्टी का तो खाता भी मुसलमानों ने बिहार में नहीं खुलने दिया है और आप हमें शोपीस कहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि दंगे फसाद आज से नहीं हुए हैं, ये बहुत पहले से हुए हैं। दंगों के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार आपको नहीं है। आप आडवाणी जी को ब्लेम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उनको हैंग कर दीजिए जो गोधरा कांड में दोषी पाए जाते हैं। जरूर हैंग कीजिए लेकिन क्या यह परंपरा आपने खड़ी की ? क्या आप जवाब दे सकते हैं कि अब तक आपने कितने लोगों को दंगों के इल्ज़ाम में हैंग किया है ? फसाद में हिन्दू हों या मुसलमान, अगर किसी मुस्लिम आदमी का कोई खून करते हुए पकड़ा गया और आपने 40 सालों की हुकूमत में एक भी आदमी को फांसी पर चढ़ाया होता तो आज दंगों की बात करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। सारी गलतियां आपने की हैं। मैं आज भी कह सकता हूं कि अगर मुल्क में शांति और अमन है तो क्या इसलिए है कि 14 स्टेट्स में आपकी हुकूमत है ? मैंने आंकड़े दिये कि अगर आप सब सरकारों के आंकड़े एक कंप्यूटर में डालेंगे और हमारी सरकार के डालेंगे और पूछा जाए कि सबसे सैक्यूलर प्रधान मंत्री कौन है तो जवाब निकलेगा – अटल बिहारी वाजपेयी।

सबसे सेक्युलर गृह मंत्री कौन है तो श्री चव्हाण साहब का नाम नहीं निकलेगा। हम आंकड़ों के हिसाब से कह रहे हैं। आपको इल्जामों के हिसाब से कहने का पूरा अधिकार है और आप कुछ भी कह सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से आदरणीय गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम निकलेगा।

आपको मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब हम यहां से सुनते हैं, हमारे साथी भी बोलते हैं और आप भी बोलते हैं, तो मुझे लगता है, अब समाजवादी पार्टी की भी आदत है कि मुस्लिम इश्यू पर कभी किसी मुसलमान को बोलने नहीं देते। आप यहां पर भी उनके अधिकार का शोषण करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी हम देखते हैं चाहे अयोध्या का आंदोलन हो या कोई और कांड हो, यहां मुजफ्फरपुर के पूर्व गृह मंत्री बैठे हैं, ये एक काबिल सासंद हैं। इतनी अच्छी अच्छी शेरवानी पहनकर बैठे हैं। आप शो-पीस भी दिखाना भूल गये हैं क्योंकि आपको डर लगता है। अभी कल मैंने देखा अखबार में पढ़ा कि आपने इफ्तार की दावत भी कैंसिल कर दी। यह आपने गुजरात के चुनावों की वजह से की है। माउंट आबू में इतना खर्चा हुआ तब कुछ नहीं हुआ। उस वक्त क्या आपको सूखा याद नहीं आया ?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : हमने प्रधान मंत्री जी को फालो किया है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैं बता रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा। यदि आप हमें फालो करते रहिये तो आप अच्छे विपक्ष के तौर पर स्थापित हो जायेंगे। आपने हमें कभी फालो नहीं किया। अब आपने कहा कि प्रधान मंत्री जी नहीं दे रहे। मैं उनकी सरकार में मंत्री हूं लेकिन मैं इफ्तार की दावत 22 तारीख को दे रहा हूं। प्रधान मंत्री जी उस दावत में शामिल होने वाले हैं। मैंने आपको भी आने की दावत दी है। आप खुद ही डर रहे हैं क्योंकि आपको अब यह लगता है कि यदि इफ्तार की दावत दे दी और थोड़े से मुसलमानों को बुलाकर चना और कचौड़ी खिला दी तो उससे आपका गुजरात का वोट चला जाता। इसलिए आपने उसे कैंसिल किया है और नाम आप सूखे का दे रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि हम प्रधान मंत्री जी को फलो कर रहे हैं। मैं इस सरकार में हूं। यह सब परम्परा आपने ही शुरू की है। इफ्तार की दावत की जो बात है, वह परम्परा भी आपने ही शुरू की।

अब मैं प्रिय दा की बात पर आऊंगा। उन्होंने जो कहा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि आपने जो परम्परा शुरू की है, यदि उसे हम नहीं करे तब भी आप इल्जाम लगाते हैं कि आप यह परम्परा तोड़ रहे हैं। आपने दावत दी, कोई बात नहीं। मैं तो दावत दे रहा हूं। उसमें प्रधान मंत्री जी आयेंगे। आपकी अध्यक्ष नहीं दे रही तो श्री संतोष मोहन देव जी दे सकते हैं या कोई और दे सकता है। मेरा कहना है कि यह होड़ किसने शुरू की ? यह इफ्तार की दावत देना, जामा मस्जिद का राजनीतिकरण करना आदि किसने किया ? यहां प्रिय दा बोल रहे थे कि हम लोग गये थे और हमने इमाम बुखारी को नसबंदी के संबंध में यह कहा कि यह मुसलमान विरोधी कदम है। क्या आपको याद है कि इमाम बुखारी वक्फ बोर्ड के इम्प्लाईज थे। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का पांच साल का सदस्य रहा हूं। वक्फ बोर्ड के सदस्य के नाते मैं ही तन्ख्वाह पर साइन करता था। उस समय 75 रुपये तन्ख्वाह मिलती थी। उसका भाव किसने बढ़ाया, आपने ही बढ़ाया। श्री हेमवंती नंदन बहुगुणा आपके ही नेता थे। आप उनके पास गये। वे नमाज पढ़ा रहे थे, आप उनको उठाकर राजनीति में ले आये। जामा मस्जिद का राजनीतिकरण किसने किया, वह भी आपने ही किया। जब आप आग से खेलते हैं यानी जिस तरह आप इमाम बुखारी से खेले उसी तरह पंजाब के अंदर आप भिंडरवाले से खेले। आप जब उसको बढ़ा नहीं पाते और जब वे आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप कहते हैं कि यह इनकी वजह से है। आपने ही जामा मस्जिद का राजनीतिकरण किया, यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

अभी प्रिय दा यहां से बोलकर चले गये हैं। मैं उनकी इस बात का जवाब जरूर देना चाहता था। आप एकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। आपने आडवाणी जी पर तरह-तरह के इल्जाम लगाये थे कि आप तो गृह मंत्री हैं इसलिए आप यह नहीं कर सकते थे या आप वह नहीं कर सकते थे। दो तरह की बातें कांग्रेस के लोग हरदम करते हैं। जब अच्छी बातें होती हैं तो कहते हैं कि इनकी वजह से हुई और जब खराब बातें होती हैं तो कहते हैं कि इनकी वजह से हुई हैं। आप हम पर इल्जाम लगाते हैं तो मेरा कहना है कि पूरी सरकार पर इल्जाम लगाइये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एकाउंटेबिलिटी क्या होती है ? आपने कहा कि गोधरा कांड के बाद, मैं गुजरात पर बाद में बात में आता हूं, सबसे पहले मैं छोटी-छोटी बातों का जबाव आपको दे रहे हैं। आप क्या भूल गये कि हमारे प्रधान मंत्री या गृह मंत्री ने गुजरात के दंगों के बाद ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आपने 1984 के दंगों के बाद बयान दिया था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसके बारे में कभी किसी ने माफी मांगी ? क्या यह कहा कि इस बात से कितना नुकसान हुआ और कैसी यह परम्परा शुरू हुई ?

आपको अच्छी तरह से याद है कि हिन्दुस्तान में जिंदा जलाने की परम्परा कब शुरू हुई ? अभी प्रवीण राष्ट्रपाल जी यहां से चले गये हैं। वे कह रहे थे कि मरने के बाद भी जो नहीं जलते, उनको अपने जिंदा जला दिया। दंगों में जिंदा जलाने के ज्यादा रिकार्ड नहीं है। मेरी उम्र कम जरूर है लेकिन मैं पूरी तरह से पढ़कर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदा जलाने की परम्परा 1984 में आपकी हुकूमत में शुरू हुई थी। आपकी हुकूमत में यहां सरदारों को जिंदा जलाया गया। बच्चों के गले में टायर रखकर नये-नये प्रयोग आपकी हुकूमत में शुरू किये गये। आज तक 1984 के दंगाइयों को सजा नहीं हुई।

मैं बिहार से आता हूं। यहां पर श्री रघुवंश बाबू जी बैठे हैं। श्री रघुवंश सिंह जी को अच्छी तरह से याद होगा, वे कांग्रेस में थे लेकिन गुस्से में कांग्रेस को छोड़कर हम लोगों के साथ आ गए। वहां जिस तरह मुसलमानों पर अन्याय हुआ, आप कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, आप आडवाणी जी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वे गांधीनगर के हैं, गुजरात के हैं और उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। क्या आप भूल गए कि भागलपुर के दंगे के वक्त 1984 में भारत के प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी भागलपुर गए थे ? 1984 में राजीव गांधी जी के एक एस०पी० का ट्रांसफर हुआ। मुसलमानों ने कहा कि इस एस०पी० की वजह से, श्री दूबे का ट्रांसफर करवा दिया गया, उस एस०पी० ने दंगा करवाया था। वह हिन्दू-मुसलमान का दंगा नहीं था, पुलिस की शह पर दंगा था। राजीव गांधी जी को वहां लोगों ने बड़ी तादाद में घेर लिया और राजीव गांधी जी ने उस एस०पी० का तबादला रोक दिया। उसका तबादला रोकने के बाद हजारो मुसलमान वहां मारे गए और उसी कांग्रेस की हुकूमत में बिहार में मुसलमानों को मार कर गोभी का फूल पैदा करने वाली कांग्रेस आज कमल के फूल की पार्टी पर साम्प्रदायिकता का इल्ज़ाम लगा रही है। आप भूल गए, अपने गोभी के फूल की रिपोर्ट आपने देखी थी या नहीं जिसके अंदर यह था कि मुसलमानों को मार कर उस पर गोभी की खेती कर दी गई थी। क्या उस बात को भूल गए ? उसकी मजा आपको वहां के मुसलमानों ने दी है। बी०जे०पी० के लोगों को तो दरवाजे पर बुला कर कह भी देते हैं कि हम वोट देंगे या नहीं देंगे लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

अगर कांग्रेस का कोई आदमी बिहार में मुसलमानों के दरवाजे में चला जाए तो उसे डर लगता है कि कहीं मेरे घर में झगड़ा न करवा दे। इसलिए आज लालू जी वहां हुकुमत में हैं क्योंकि आपने जो गलतियां की हैं, इसलिए मुसलमानों ने आप पर भरोसा करना बंद कर दिया है।

मैं बहुत दंगों की बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि 1956 में जबलपुर का दंगा, 1963-64 का राउरकेला, भिलाई का दंगा, 1967 में रांची का दंगा, 1969 में अहमदाबाद का दंगा, 1973 में जमशेदपुर का दंगा, 1989 में बिहार शरीफ का दंगा, 1980 में मुरादाबाद का दंगा, मुरादाबाद में क्या कसूर था। मुरादाबाद में भी उस वक्त कांग्रेस के मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे जो बाद में विपक्ष में चले गए। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : गुजरात के दंगे ने सब दंगों को फेल कर दिया।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैं गुजरात के दंगों पर आऊंगा। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप भूल गए कि मुरादाबाद की ईदगाह में लोग नमाज पढ़ने गए थे, छोटे-छोटे मासूम बच्चे, एक रूमाल और जब में टोपी के अलावा कुछ नहीं होता, इत्र लगा कर जाते हैं जिस तरह आप लोग सफेद कपड़े में जाते हैं। आपने आज कहा कि पूरा गुजरात कब्रिस्तान हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुरादाबाद की ईदगाह को कब्रिस्तान बना दिया था। जिस तरह जनरल डायर ने जलियांवाला बाग से गोली चलवाई थी, आपने ईदगाह के गेट पर गोलियां चलवाई थीं और छोटे-छोटे मासूम बच्चे मारे गए थे। आपको इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1987 में, रघुवंश बाबू बहुत सैकुलर आदमी हैं, हम इनकी बहुत इज्जत करते हैं, हमारी बात की ताईद करेंगे क्योंकि ये उस वक्त विपक्ष में थे, हम लोगों का ऐलायंस रहा है, भले ही आजकल ये बी०जे०पी० से रूठे हुए हैं लेकिन हम लोगों की भी सांठ-गांठ रही है, हम लोग 1989 का चुनाव साथ लड़े हैं, 1987 में हम एक ही मुद्दे पर लड़े थे। 1987 में मेरठ में मलियाना में हिंडन नदी के किनारे 25, 30, 32 साल के मुस्लिम नौजवानों को खड़ा करके गोली मारने वाली कौन सी सरकार थी – क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप इस तरह का इम्प्रैशन दे रहे हैं जैसे भारत का मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है, उसके पास कोठी नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, वह डिफैंस में नहीं है, रोजगार में नहीं है। क्या वह अटल जी, आडवाणी जी की वजह से नहीं है ? वह आपकी वजह से नहीं है क्योंकि चालीस साल में आपने उसकी कोई फिक्र नहीं की, मुसलमानों को डराते रहे। मैं मदरसे में पढ़ा। मुझे मेरे टीचर ने बताया कि किसी से नहीं डरना, खुदा से डरना है। इस्लाम में यह सिखाया जाता है कि खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरना है और आप भारत के मुसलमानों को उसके धर्म के खिलाफ भड़का रहे हैं, आप भारत के मुसलमानों को बी०जे०पी०, आर०एस०एस० से डरा रहे हैं, जिन मुसलमानों को कहा गया कि खुदा से डरें। मैं आपकी धमकी में नहीं आया, आपके डराने में नहीं आया, मैं निडर मुसलमान था इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जो डरपोक लोग थे *(व्यवधान)* मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों का दर्द यह है कि उनको ऐसे दोस्त मिल गए हैं। आपने सुना होगा कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा। आप पार्लियामैंट में इतना बोलते हैं जहां दंगे का सवाल ही नहीं है। आपने इस पर इतना हल्ला किया। आप रिलीफ कैम्प में गए। मैं दंगे में गया था, मेरी कहीं फोटो नहीं छपी, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था, मेरी फोटो छपनी चाहिए थी लेकिन मेरी फोटो नहीं छपी। मैं आडवाणी जी के साथ दूसरे दिन आग की लपटों में गया था, मैं अस्पताल भी गया था, मैंने खुद अपनी आंखों से दंगे देखे, मैंने धुंए देखे। आप धुंआ देखने नहीं गए थे, आप प्रैस कान्फ्रैंस करने गए थे। आपको वहां की सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। आप वहां गए, फोटो खिंचवाई, बयान दिया। क्या आपने रिलीफ कैम्प चलाया ? क्या कांग्रेस के दफ्तर में आपने कोई रिलीफ कैम्प शुरू किया, आपने कोई बस्ती बसाई है ? क्या आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से कह सकें कि पचास मुसलमानों के घर कांग्रेस पार्टी ने बनवा दिए ? अर्थक्वेक आया, उसमें काम किया, दंगे की वजह से आपने काम क्यों नहीं किया।

आपने कौन सा काम किया, उसका रिकार्ड बताइये। आपने कब काम किया है ? कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ बयानबाजी की है। आप भारत के मुसलमानों के आंसू नहीं पोंछना चाहते। आप भारत के मुसलमानों पर *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया स्थान ग्रहण करिये। आप बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आपने कितने मुसलमानों के घर बनाये, एक भी नहीं बनाया। आपने कुछ नहीं किया। मुझे पूरी जानकारी है, मैं उस कम्युनिटी से आता हूं, मैं अपना दर्द रख रहा हूं। मुझे आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कुछ नहीं किया। जब अर्थक्वेक आया, साहिब सिंह वर्मा जी लेबर मिनिस्टर यहां बैठे हैं, इन्होंने वहां एक मुस्लिम बस्ती बनाई, ये मुझे वहां ले जाने वाले हैं। वहां पर इन्होंने 100 मुसलमानों के घर बनवाये और वहां एक मस्जिद भी बनवाई है, जिसका नाम जाकिर नगर रखा है। आप भी ऐसा काम करते कि आप एक बस्ती को एडॉप्ट कर लेते। आपने वैसा नहीं किया, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया। पार्लियामेंट के हंगामे की वजह से आप यह सोचते हैं कि आप हंगामा करेंगे तो मुसलमान यकीन कर लेगा।

आप यहां पर गुजरात के दंगे की बात करते हैं, मैं अभी गुजरात के दंगे पर आ रहा हूं, आप तब मुझे टोकिये। अभी मैं गुजरात के दंगे पर नहीं आया। अभी तो मैं सिर्फ आपके बारे में बोल रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसकी वजह से आप यह कहते कि आपने मुसलमानों के लिए कोई बड़ा काम किया है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया।

कांग्रेस पार्टी ने तो छः दिसम्बर के लिए माफी मांगी थी, फिर आपने कहा कि नहीं मांगी है। जितने दंगे आपकी हुकूमत में हुए, उसकी आपकी कोई एकाउण्टेबिलिटी है ? आप एकाउण्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर है तो आप लाइये, मैं सरकार में मंत्री हूं। आप रिपोर्ट लाइये कि आपने मुरादाबाद के दंगे के लिए क्या किया, भागलपुर के दंगे के लिए क्या किया। आपने जो काम किया, मैं आपसे वायदा करता हूं कि इस सरकार से वही काम कांग्रेस के नक्शेकदम पर हम इम्प्लीमेंट करा देंगे, जो आपने मुसलमानों के लिए भला किया होगा। आपको याद है कि कभी दंगा हुआ और आपने कोई पैकेज दिया, आपने कोई पैकेज नहीं दिया। यह हमारी सरकार है, जिसने आजादी के बाद पहली बार पैकेज दिया। इससे पहले गुजरात में जब दंगा हुआ, कभी पैकेज नहीं दिया। यह हमारी सरकार है, जिसमें 150 करोड़ रुपये का पैकेज जाकर प्रधान मंत्री जी ने गुजरात में एनाउंस किया, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपने 1984 में कोई पैकेज दिया, आपने मुरादाबाद के दंगे का पैकेज दिया, आपने मलियाना के दंगे का पैकेज दिया ? आपकी हुकूमत में 1984 के दंगे हुए, उसमें कितनी गोलियां चलाई थीं, कितनी लाठियां चलाई थी ? गुजरात के दंगे में हम रिकार्ड आपके सामने रखना चाहते हैं।

मुलायम सिंह यादव जी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, जब अयोध्या में सरयू नदी के ऊपर पुल पर गोली चली थी, उसके अन्दर लोग मारे गये थे जिससे पूरे हिन्दुस्तान में हिन्दू समाज में गुस्सा आया था, क्योंकि उसमें कारसेवक मारे गये थे, क्या आपको याद है कि गोधरा काण्ड के बाद जो पुलिस की फायरिंग में इतने लोग कभी मरे, उसमें आपको मालूम है कि हिन्दू मरे कि मुसलमान मरे। उसमें ज्यादातर हिन्दू समाज के लोग मारे गये। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने कोई कदम नहीं उठाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज इस दंगे पर चर्चा करने की जगह अगर आप यह सोच रहे हैं कि दंगे की चर्चा करके आप मुसलमानों से अपनी गलती की माफी मांग सकते हैं, तो यह सही हो सकता है। अगर हमारी हुकूमत में दंगे हो गये, तब आप सरकार में थे, तब तो आप बोल नहीं पाये थे, क्योंकि दंगा आपकी सरकार के जमाने में हुआ, उसकी भड़ास आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि गुजरात के अंदर जो कुछ हुआ, मैं सैयद शाहनवाज हुसैन उसकी घोर निन्दा करता हूं। मैं मानता हूं कि गुजरात के अन्दर जो कुछ हुआ, पहली बार किसी देश के प्रधान मंत्री ने, गृह मंत्री ने अपनी सरकार के विरोध में बोलने का काम किया और यह कहा कि गुजरात के अन्दर जो कुछ हुआ, उससे हमारे यहां कोई खुश नहीं हुआ। हम खुद दंगामुक्त शासन की बात कहा करते थे, आप क्या बात करते हैं कि गुजरात के दंगे हमारे लिए कोई हर्ष का विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के दंगे को कभी अपने लिए हर्ष का विषय नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी में हमें इस बात का अफसोस रहता है कि हम और ज्यादा प्रो-एक्टिव हो सकते थे। हमें इतना पता नहीं था कि इतना ज्यादा बवंडर होगा। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गुजरात में जो लोग भी मारे गये, मजहब के आधार पर उसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हमने बहुत सारे अच्छे काम किये हैं। आपको तो अच्छे काम याद ही नहीं आते हैं। हमारी कोई छोटी सी बात होती है, उसकी ही आप चर्चा करते रहते हैं। यह सही है कि :

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।

क्योंकि आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर तो सैकुलर पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, क्योंकि 15 अगस्त, 1947 को आपकी इमेज ऐसी थी, क्या आपने अपनी इमेज के बारे में पढ़ा है, आप कहेंगे कि जितनी मेरी उम्र है, उससे ज्यादा पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि आजादी के पहले मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी थीं और ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ थे। बहुत कम लोग कांग्रेस के साथ थे और आपकी पार्टी की इमेज भी हिन्दू पार्टी की थी, लेकिन जब आप सरकार में आये तो मुसलमानों को लगा कि जो सरकार में होगा, वही उसकी रक्षा कर पायेगा, क्योंकि जो माइनोरिटी में होता है, उसे सबसे पहले रोजगार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए।

आपने बढ़िया फार्मूला निकाल लिया कि जब भी कुछ होता तो कहते थे कि बी०जे०पी० या आर०एस०एस० ने किया है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती थी। उसके एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं भी गया और नजमा हेपतुल्ला जी भी थीं। वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उनका जन्म दिन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नहीं मनाया गया। आप कहते हैं कि हम सरदार पटेल से अपने को जोड़ रहे हैं या किसी और से जोड़ रहे हैं। मैंने तो अपने आफिस में, जब से मैं मंत्री बना हूं, तब से मौलाना आजाद की तस्वीर लगा रखी है। यह तस्वीर गोधरा कांड के बाद नहीं, बल्कि पहले से लगी हुई है। यह सही है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता को आप अपनी जागीर नहीं मान सकते। आप कहते हैं कि बड़े सरदार से इस सरदार को नहीं जोड़ना चाहिए। हम किसी को भी आइडियल मान सकते हैं। मैं मौलाना आजाद को अपना आइडियल मानता हूं तो इसमें आपको क्या एतराज हो सकता है और आपको क्यों प्राब्लम हो रही है कि उनसे अपने को जोड़ रहा हूं। लेकिन आप मौलाना आजाद को भूल गए।

आज हिन्दुस्तान में इस पर बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। यहां हम लोग संसद में बैठे हुए हैं। हम लोगों में बहुत काबलियत है। आप चाहे तो उसको शोपीस मानें या कुछ और मानें। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी यहां चुनकर आता है, उसको डाक्टर, प्रोफेसर, हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब वोट देते हैं। वह 12-14 लाख लोगों में से चुनकर आता है इसलिए वह सबसे काबिल आदमी है। हर आदमी लम्बी बहस कर सकता है। मैं कोई बहुत लम्बी बहस नहीं करने नहीं आया। आपको इत्तेमाद है जितना पार्लियामेंट में चीख लें, आप हिन्दुस्तान के मुसलमानों को डरा नहीं सकते, क्योंकि दंगों की लपटों में हमने तय किया था कि हमारा मुल्क, हमारा मादरे वतन

[श्री सैयद शाहनवाज हुसैन]

यह है। 15 अगस्त, 1947 को हमने तय किया था। जिनको हिन्दुस्तान से मोहब्बत नहीं थी, वे लोग हिन्दुस्तान को बॉय-बॉय, टाटा करके चले गए। 15 अगस्त, 1947 के समय जो गुजरात में दंगे हुए, उस समय माहौल आज से भी ज्यादा खराब था। आपको याद होगा कि 15 अगस्त, 1947 को मुसलमान जत्थे के जत्थे बनाकर जा रहे थे। तब मौलाना आजाद ने कहा था कि यह तुम्हारा मादरे वतन है, तुम चले जाओगे तो इन कब्रिस्तानों में तुम्हारे बाप-दादाओं की मजारें हैं, वहां कौन आएगा और जामा मस्जिद की मीनारें रो-रोकर तुम्हें बुला रही हैं कि तुम मत जाओ, इस मुल्क को अपना मादरे वतन मानो। मेरे बाप-दादा ने तय किया कि यह हमारा मादरे वतन है। हमें देशभक्ति का कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो एक बात कह दूं कि जितनी आडवाणी जी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, सैयद शाहनवाज भी उससे कम नहीं करता। यह हमारा मुल्क है। भारत के मुसलमानों को आप दंगों से नहीं डरा सकते और न ही वे डरने वाले हैं। गुजरात का नाम लेकर आपने यहां के मुसलमानों को और हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया है।

गुजरात के चार जिलों में दंगे हुए। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। मैं अरब कंट्रीज में गया था। उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में क्या हालत है। मुझे प्रधान मंत्री जी ने एक डेलीगेशन में भेजा था। मेरे साथ कांग्रेस के नेता छगन भुजबल जी भी थे और कई राज्यों के पर्यटन मंत्री भी थे। हमने उनको पूरे इत्तेमाद से कहा था कि मैं भारत से आया हूं, जहां इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया में रहते हैं। मैं इस पार्लियामेंट के फ्लोर से कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह मुसलमानों के लिए कहीं है तो वह मेरे देश हिन्दुस्तान में है। यह संदेश पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान के मुसलमान दूसरे समुदायों के साथ कैसे रह सकते हैं, यह सबक दुनिया के मुसलमानों को यहां के मुसलमानों से सीखना चाहिए। यहां ज्यू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। आप देखें कि दुनिया के अन्य देशों में मुसलमानों की क्या हालत है। फिलीस्तीन में क्या हालत है, यह सबको पता है। यहां इसलिए मुसलमान सुरक्षित हैं, क्योंकि वे सेक्यूलर हैं। यह सरकार की वजह से नहीं, पुलिस की वजह से नहीं, सेना की वजह से नहीं, यह हमारी गंगा-जमुनी तहजीब की वजह से है। हम सब मिलजुलकर यहां रहते आए हैं। जिस प्रकार से गांव में एक आदमी अपने पुराने मकान में रहता है और उसके चार बेटे हैं, वे सब शहरों में जाकर अलग-अलग अपना मकान बना लेते हैं तो इससे गांव के मकान से उनका रिश्ता टूटता नहीं है। मैं जहाज मंत्री हं, लेकिन उस समय फ्लाइट नहीं चलती थी। मुसलमान उस वक्त यहां आए थे, जब वास्को-डी-गामा भी नहीं आया था। सबसे पहले यहां ख्वाजा गरीब नवाज भी चार मुसलमानों के साथ आए थे, अब 14 करोड़ हो गए हैं। यह कोई इम्पोर्टेड नहीं हैं, सब यहीं के हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि हिन्दुस्तान से अच्छा दोस्त और हिन्दुओं से अच्छा पड़ौसी नहीं मिल सकता, आप इस बात को मानकर चलें। हमारी मिलीजुली संस्कृति है। हम मिलजुलकर काम करते हैं।

सभापति जी, मैं इस डिबेट को बहुत लम्बा नहीं ले जाना चाहता और तल्खी पैदा नहीं करना चाहता। मेरी इस पर जबर्दस्त तैयारी थी। आज सुबह प्रश्न काल से पहले हमारे विप मल्होत्रा जी ने और आडवाणी जी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं भी इस पर बोलूं।

इसलिए मैं आप लोगों से विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं कैबिनेट के अंदर हूं, मुस्लिम समाज में पैदा हुआ हूं और मॉइनोरिटी का हूं। कई बार हमने मॉइनोरिटी की समस्याओं को हल किया है। गुजरात में दंगों के वक्त मेरे घर मुस्लिमों के सारे डेलीगेशंस आए थे। इमाम बुखारी जी भी मेरे घर आए थे। मैंने गुजरात के एस०डी०एम० को फोन किया था, गुजरात के मुख्य मंत्री जी को भी मैंने फोन किया था, मैंने आडवाणी जी को और माननीय प्रधान मंत्री जी को मैंने फोन किया था। जहां-जहां मेरे सम्पर्क थे, मैंने वहां फोन किया और हमारी सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो कुछ हो सकता था, वह हमने किया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आपको हमारा वोट चाहिए, आपको वोट मिलेगा लेकिन हमारा नाम मिसयूज मत करिए। हमारे कंधे पर हथियार रखकर मत चलाइए। आप कोई और तरीका अपनाइए। विकास की आपने बात कही। आप बताइए कि आप मुस्लिमों के लिए क्या करना चाहते हैं, इसको इश्यू बनाइए। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी बनाइए।

जब-जब आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं, आप असम में भी कह रहे हैं, अभी दादा को देखकर मुझे याद आ रहा है, वह कह रहे है कि कुछ रिजर्वेशन देने वाले हैं। पचास सालों में जब आपने कुछ नहीं किया तो अब क्या खाक करेंगे ? इतने दिनों से आप मुसलमानों का कुछ भला नहीं कर पाए जब आपकी हुकूमत थी। अटल जी और आडवाणी जी ने आपको कब रोक लिया था ? उस समय दो ही सांसद थे। 1984 में आपका पूरा बहुमत था। आप मुसलमानों के लिए सब कुछ कर देते। उनको नौकरी, रोजगार जो देना था, सब कुछ दे देते। उस समय तो कोई बोलने वाला ही नहीं था। एडजर्नमेंट भी नहीं होता, ज्यादा लोग हल्ला नहीं करते थे, वैल में भी लोग नहीं आते थे। जब आपको मौका मिला तो आपने कुछ नहीं किया और जब बाहर आ गये तो आपको अफसोस हो रहा है और अब कह रहे हैं कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे। आज आपकी बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज के लोग खुलकर वोट करने के लिए नहीं आने वाले हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि आप सिर्फ उनका वोट लेना चाहते हैं।

आपने हमारी ही पार्टी से निकले हुए व्यक्ति को आज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है और जब वह पहले खराब थे तो आज अच्छे कैसे हो गए ? पता नहीं, आपकी नजर बदलती रहती है। अपनी नजर की जांच कराइए क्योंकि दो साल पहले जो व्यक्ति आपको खराब लगता था, आज दो साल बाद वह आपको अच्छा लगने लगता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि और कोई मुद्दा उठाइए। अभी कांग्रेस पार्टी ने सूखे का मुद्दा लिया था। ऐसे मुद्दों पर चर्चा करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मुसलमान का घड़ा उलटा हो चुका है। आज आपकी इस चर्चा से एक बूंद पानी

भी उसके मटके में जाने वाला नहीं है क्योंकि आज आप पर यकीन कोई नहीं करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि, आपको खुश करने के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, हिन्दुस्तान की सरकार को यह यकीन है कि जब तक हम सरकार में हैं, हम हर व्यक्ति की अकलियत की जान और माल की हिफाजत करने की अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए।

श्री पूर्णो ए० संगमा (तुरा) : सभापति महोदय, मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने पर मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं गत कुछ वर्षों से इस सदन की कार्यवाहियों का अध्ययन करने का प्रयास कर रहा था और मैंने यह पाया कि इस संसद, बल्कि राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकार के इस कार्यलय के दौरान इस सदन में देश में साम्प्रदायिकता की स्थिति पर सर्वाधिक बार चर्चा हुई है। अब से पहले इस सदन में कभी भी देश में साम्प्रदायिकता की स्थिति पर इस तरह बार-बार चर्चा नहीं हुई जैसी की अब हो रही है। मेरे विचार से, सदन को याद होगा कि हम गुजरात की स्थिति पर कितनी बार चर्चा कर चुके हैं। हमने इसपर गत बजट सत्र और गत मानसून सत्र में भी चर्चा की थी। हमें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए। कि ऐसा क्यों हो रहा है। विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री को यह पता लगाना चाहिए कि इस सदन को बार-बार बिना किसी परिणाम के इस देश में साम्प्रदायिकता की स्थिति पर चर्चा करने में इतना समय क्यों व्यतीत करना पड़ता है ?

महोदय, वास्तव में मैं इस चर्चा में भाग लेने में हिचकिचा रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाकर समय नष्ट कर रहे हैं और गुजरात में सब कुछ बे-रोक टोक चल रहा है। मेरे विचार से माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री को इसपर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

यह सत्य नहीं है कि इससे पहले साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए अथवा साम्प्रदायिक समस्या पैदा नहीं हुई। नि:संदेह, ऐसा हुआ है। लेकिन जो कुछ गुजरात में हुआ उसका इतिहास में कोई सानी नहीं है। यह सर्वाधिक चिंता का कारण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, न्यायमूर्ति वर्मा के शब्दों में, गुजरात में पीडितों की व्यथा और कष्टों को देखते हुए साम्प्रदायिक हिंसा की आग किसी युद्ध मे कम नहीं है। ''अत: यह एक बहुत गंभीर स्थिति है। इसलिए, जिस प्रकार से यह हुआ है मैं व्यक्तिगत रूप से उससे दुखी हूं। गुजरात में जिस प्रकार साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं वह वास्तव में बहुत चिंता का कारण है।

मैं सदन का समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहता। मैं तीन बातों के प्रति चिंतित हूं। गुजरात में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर, मुझे लगता है कि भा०ज०पा० द्वारा सत्ता में लौटने हेतु साम्प्रदायिक विभाजन को मुख्य रणनीति के रूप में अपनाया गया है। यह बहुत खतरनाक बात है। यह सत्य है कि विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव के संबंध में ये आश्वासन दिये जाने के बावजूद चुनाव के समय कभी भी साम्प्रदायिकता का उपयोग नहीं किया जायेगा, प्रत्येक राजनैतिक दल किसी न किसी रूप में धार्मिक भावनाओं को भुनाता है। हम सभी वायदे करते हैं इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन आज जो गुजरात में हो रहा है वह यह है कि भा०ज०पा० की पूरी चुनावी रणनीति साम्प्रदायिक विभाजन पर ही टिकी हुई दिखाई देती है। मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। केवल गुजरात के लिए ही नहीं अपितु यह भारत के भविष्य, भारत की एकता और अखण्डता और इससे भी अधिक इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए बहुत खतरनाक है।

दूसरी बात मैं संस्थाओं के प्रति दर्शाये जा रहे अन्तर के बारे में कहना चाहूंगा। जिस प्रकार से गुजरात के मुख्य मंत्री ने निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकरण की अवहेलना की है और उसपर टिप्पणियां की हैं, वह एक बहुत खतरनाक संकेत है। यहां तक कि कुछ मुख्यमंत्रियों द्वारा उच्चतम न्यायालय को भी चुनौती दी जा रही है। मैं किसी 'क', 'ख' या 'ग' पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण करने, उनकी अवहेलना करने, उनकी अवमानना करने की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक बात है। अंतत: यदि किसी राष्ट्र को बने रहना है – मैं इस मुद्दे पर एक बार इस सदन में बहुत ही स्पष्ट रूप से बोल चुका हूं – तो हमें इन व्यवस्थाओं को, जो हमने इस देश में स्थापित की हैं, बनाए रखना सुनिश्चित करना पड़ेगा। जब आप व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो अच्छे शासन का प्रश्न ही नहीं उठता। अत: अच्छे शासन हेतु हमें अपनी उन व्यवस्थाओं को संरक्षित करना पड़ेगा, उन्हें सुदृढ़ बनाना पड़ेगा और उनका पालन करना पड़ेगा। जो हमने स्थापित की हैं। हम उनसे अलग नहीं जा सकते। हमें अपनी संस्थाओं को बनाए रखना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा और उन्हें सुदृढ़ करना पड़ेगा। अत: मैं सभी सवैंधानिक प्राधिकारियों – चाहे वे राज्यपाल हों, चाहे वे मुख्य मंत्री हों, चाहे वे संसद सदस्य हों, चाहे वह नौकरशाही हो – से अपील करूंगा कि इस देश में एक जिम्मेदार नागरिक का प्रथम कर्त्तव्य अपनी संस्थाओं का आदर करना होना चाहिए।

जिस तरह से श्री मोदी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की आलोचना की है उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। श्री लिंग्दोह मेरे राज्य से हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। श्री लिंग्दोह जैसा खरा और ईमानदार व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है जो वचनबद्धता और निष्ठा में विश्वास रखता है।

मेघालय के इस सज्जन व्यक्ति पर हम गर्व करते हैं। वे निष्पक्ष और संविधान और अपने कार्यों के प्रति वचनबद्ध हैं। यह कहना कि श्री, लिंग्दोह का विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ है – इस सज्जन व्यक्ति के विरुद्ध बेतुके आरोप लगाना है।

यह उचित नहीं है। यह बहुत ही अनुचित है। वास्तव में, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं और मेघालय के लोग भी महसूस करते हैं कि यह उनका, जनजातिय लोगों मेघालय के लोगों, पूर्वोत्तर क्षेत्र

[श्री पूर्णो ए० संगमा]

के लोगों का अपमान है। भगववान के लिए ऐसा न करें। ऐसा करना ठीक नहीं और मैं ऐसा पसंद नहीं करता। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

एक ऐसे व्यक्ति की आलोचना करना जो संस्थाओं की गरिमा को बनाये रखने के अलावा इस देश का जिम्मेदार नागरिक भी है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया ऐसा करना बंद करें।

आखिरकार, श्री मोदी कौन हैं ? संवैधानिक तौर पर उन्हें मुख्य मंत्री के रूप में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं नहीं जानता कि गृह मंत्री ने वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू किया और वहां अनुच्छेद 356 क्यों नहीं लागू किया गया ?

मैं फिर से अपने पहले मुद्दे पर आता हूं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य चुनाव नीति साम्प्रदायिक विभाजन है। ऐसा करने के लिए उन्हें श्री मोदी ही सही व्यक्ति मिलें हैं। इसलिए उन्हें हटाया नहीं जा रहा है, और उन्हें अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी जा रही है।

महोदय, सविनय अनुरोध है कि आप कृपया एक चुनाव जीतने के बारे में न सोचें। आप पांच चुनाव जीत सकते हैं, आप दो चुनाव हार भी सकते हैं। चुनावों में जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता। जो महत्वपूर्ण है वह है भारत का भविष्य, पीढ़ियों का भविष्य, भारत का संविधान तथा वे प्रणाली जिन्हें हमने स्थापित किया है। और वे संवैधानिक सस्थाएं जिन्हें हमने विकसित किया है। इन सभी को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन सब बातों को ध्यान में रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।'

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : महोदय, भगवान श्रीकृष्ण, महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी महान हस्तियों वाले गुजरात को पता नहीं लोग क्यों बदनाम करने पर तुले हुए हैं। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि गुजरात, द्वारका का श्रीकृष्ण, जिन्होंने कुरूक्षेत्र आकर कौरवों का संहार किया और पांडवों का राज स्थापित किया, सत्य, न्याय और अहिंसा का राज स्थापित किया, उन्हीं का यह देश गुजरात है। कंस जैसे आततायी को मारा। मैं कम ही शब्दों में कहना चाहूंगी कि महात्मा गांधी को पूरे विश्व में कौन नहीं जानता। बापू जी ने ऐसे अंग्रेजों से लोहा लिया, जिनका पूरे विश्व में कभी सूरज नहीं डूबता था और अपनी सत्ता को हासिल किया। ऐसे ही बापू का देश गुजरात है। सरदार पटेल ऐसे ही महापुरुष गुजरात के हुए, जिन्होंने भारत के छोटे-छोटे खंडों को जोड़ने का काम किया।

महोदय, गुजरात के मुख्य मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जीरो थे, उन्हें विपक्ष और मीडिया वालों ने हीरो बनाने का काम किया। उन्होंने इतना नरेन्द्र मोदी-नरेन्द्र मोदी रटा है, इतनी हाय-तौबा मचाई कि पूरे विश्व के लोग उन्हें जानने लगे हैं और वे हीरो बन गए हैं। हमारे लिए यह सोचने का विषय है, हम हमेशा कहते हैं कि नरेन्द्र मोदी जी ने दंगे करवाए, लेकिन क्या हम लोगों ने कभी लोक सभा में यह चिंतन करने का काम किया है कि गोधरा की घटना क्यों घटी। वहां निर्दोष लोगों को आग में क्यों जलाया गया ? अगर गोधरा की घटन न होती तो गुजरात में दंगे भी न होते, क्या यह किसी ने सोचने का काम किया है। लोग सिर्फ यह कहते हैं कि दंगे हुए, लेकिन गोधरा की घटना को अंजाम किस ने दिया, यह चर्चा नहीं होती। इस सदन में गुजरात पर कई बार चर्चा हो चुकी है और आज भी जो चर्चा का विषय रखा है, वह ऐसे ही है। इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है, इस चर्चा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि संसद पर हमला करने वाले कौन थे। लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर पर किसने हमला किया, जम्मू-कश्मीर विधान सभा पर किसने हमला किया, सोमनाथ को लूटने का काम किसने किया, अक्षरधाम पर हमला किसने किया, बाली जैसे द्वीप पर हमला किसने किया ? इस संबंध में मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमलावर न तो हिन्दू थे, न मुसलमान थे बल्कि ये आतंकवादी इंसानियत के दुश्मन थे जो हिन्दू और मुसलमानों के बीच लड़ाई करवाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वह तो गुजरात में कुछ होता है तो कह देते हैं कि नरेन्द्र मोदी का हाथ है। लेकिन मेरा कहना है कि आतंकवादी कार्यवाही जो भी हुई हैं वे देश के दुश्मनों ने की है। लेकिन हम लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं करते हैं। जम्मू-कश्मीर के हिन्दू जो आज दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है पुनर्वास की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। लोक सभा में इस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए था कि लोक सभा में इस पर चर्चा हो कि हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सब मिलकर रहें, सब में भाई-चारा रहे। सारे मानव एक हैं और उनका हाड़-मांस-खून एक हैं। किसी का खून सफेद नहीं है, सबका लाल खून है। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि सभी धर्मों के बीच रोटी-बेटी का संबंध कैसे बनाकर रखें।

सभापति महोदय, ये लोग आग में घी डालने का काम करते हैं सद्भावना बनाने का काम नहीं करते हैं। हमें तो शक होता है कि बार-बार मुस्लिमों की तरफदारी करके ये क्या दिखाना चाहते हैं। क्या इन्हें अपने वोट बैंक के खिसकने का डर तो नहीं है। भाई शाहनवाज हुसैन ने ठीक ही कहा था कि इनका मुस्लिम वोट खिसकता जा रहा है। मेरा कहना है कि आज जो मुस्लिम भाई अशिक्षित हैं, गरीब हैं उनके वोट बटोरने का काम ये करना चाहते हैं इसलिए उनका एक-तरफा पक्ष लेते हैं। एन०डी०ए० की सरकार ने मुस्लिम भाइयों के लिए जितना किया है पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। हज-यात्रा के लिए मुस्लिम भाइयों के लिए जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं किसी सरकार ने पहले नहीं दीं। एन०डी०ए० सरकार ने ही सबसे ज्यादा उनके लिए सुविधाएं और व्यवस्था की है। कांग्रेस वाले साम्प्रदायिकता का हौवा इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि अब ये सत्ता में नहीं हैं और वे सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं। केन्द्र में वे सत्ता में नहीं है इसलिए मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों को न्याय दिलवाने के लिए नहीं बल्कि उनको विनाश के कगार पर खड़ा करने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान भाइयों को इनसे सावधान रहना होगा।

लोक सभा में हम लोग आये थे कि यहां देश के विकास के लिए अच्छी-अच्छी बातें होती होंगी। चालीस साल से तो कांग्रेस का शासन था। बड़े-बड़े नीति-नियम देश के विकास के लिए उन्हें निर्धारित करने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमारे देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, महिलाओं के विकास के लिए चर्चा यहां क्यों नहीं होती है। चर्चा यहां होती है कि किस तरह से जाति-धर्म को लड़ाया जाए।

आज हमें सोचना होगा कि आतंकवाद कहां से आता है। यह पापी पेट के कारण होता है। तो भूख को मिटाने के लिए लोक सभा में चर्चा होनी चाहिए। यहां पर बड़े-बड़े दिग्गज नेता बैठे हुए हैं। वे इस पर क्यों नहीं सोचते हैं। वे सोचते हैं कि यह तो सरकार का काम है। वे यह नहीं सोचते हैं कि 10-12 लाख लोग जो उन्हें चुनकर भेजते हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए यहां चर्चा की जाए। उनकी समस्याओं के बारे में, उनको सही निदान के बारे में, ये नहीं सोचते हैं। लोक सभा में सार्थक बातों पर, सिद्धांतों पर मूल्यों पर, विकास पर, जनसंख्या नियंत्रण पर, बाढ़ सुखाड़ और किसानों तथा नौजवानों के विकास पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता पर चर्चा होनी चाहिए। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए और वोट बैंक के लिए चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। यदि केवल सत्ता छोड़ने से, कुर्सी छोड़ने से अमन, चैन बहाल हो जाए, उद्योग-धंधों को बढ़ावा मिले, बेरोजगारी दूर हो जाए और देश प्रदेश आर्थिक रूप से उन्नत हो जाए, लोगों को भूखा न मरना पड़े और बाप-भाई के सामने बहन-बेटी का बलात्कार न हो, भाई-भाई की हत्या न हो तो मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले कांग्रेसियों को बिहार सरकार को समर्थन देना बंद करना चाहिए। वह बिहार में ऐसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं जहां रोज व्यवसायी लोगों का अपहरण और हत्या होती है। घर के सामने, भाई और बाप के सामने बेटी, बहन का बलात्कार होता है, भाई की हत्या होती है। क्या आपको ऐसी खबरें नहीं मिलती हैं ? क्या इनकी आंख नहीं खुलती है ? शाहनवाज जी ने ठीक कहा कि इनकी नजर खराब हो गई है और इन्हें नजर की जांच करानी चाहिए। शाहनवाज जी ने भागलपुर के दंगों की बात उठायी। वह एक बात कहना भूल गए। भागलपुर के दंगाइयों को लाल बत्ती वाली गाड़ी देकर सम्मानित किया गया था। क्या आप ऐसे लोगों को समर्थन देना चाहेंगे ? क्या ये लोग मुसलमानों की रक्षा की बात करेंगे ? आज बिहार में सत्ता के लिए जो कुछ हो रहा है, क्या इन को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ? इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। वोट बैंक की खातिर, कुर्सी की खातिर ये सब करना पसन्द नहीं करते हैं।

लोक सभा में हिन्दू, मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन लोगों के कल्याण की बातों पर चर्चा होनी चाहिए। यहां आपस में बेटी रोटी करने के लिए, नाते रिश्तेदारी करने के लिए चर्चा होनी चाहिए। यह तभी होगा जब धर्म और मजहब से ऊपर उठ कर विकास की बात होगी, सब के लिए समान कानून बनेंगे, सब के लिए समान शिक्षा होगी। आज अमेरिका और दूसरे देश इसलिए विकसित हैं क्योंकि वहां कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है। सभी लोग जाति और मजहब से ऊपर उठ कर बात करते हैं और आर्थिक विकास तथा कल्याण की बात सोचते हैं। चुनावों का मुद्दा, गौरव का मुद्दा देश के विकास के लिए होना चाहिए, न कि जाति, धर्म के विकास के लिए होना चाहिए। प्रजातंत्र में किसी पर छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी की पवित्र धरती पर नैतिकता और मर्यादा का पालन होना चाहिए। यहां महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। महिलाओं पर किसी की छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। जातपात और धर्म से ऊपर उठ कर सब लोगों को एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए जहां न कोई हिन्दू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इन्सान बन कर भारत के स्वर्ण युग को लौटाया जा सकता है। भारत कभी सोने की चिड़िया था, उस सोने की चिड़िया को लौटाया जा सकता है। जिन्होंने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है, वे नरेन्द्र मोदी जी को विश्व प्रसिद्ध नेता न बना दें, उन्हें हीरो न बना दें, उन्हें अपनी औकात में रहने दें। आप लोग इतनी हाय तोबा न मचाएं। जो कोई अच्छा काम करेगा वह सत्ता में आएगा। वह सत्ता से क्यों हटे ? यदि आपने अच्छा काम नहीं किया तो आप अवश्य सत्ता से हटेंगे। जो भी अच्छा काम नहीं करेगा वह निश्चित रूप से सत्ता से हटेगा। जाति और धर्म की आड़ लेकर खून खराबा न फैले, इस बात को ध्यान में रखा जाए। अंत में मैं इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, आज काम रोको प्रस्ताव पर बहस हो रही है। जब सरकार जवाबदेह होते हुए घोर विफल हो तो उस पर बहस करने के लिए आसन से मंजूरी मिलती है। आज प्रश्न काल से हम सब लोगों में यह भावना थी कि आज शोर-शराबा होगा और सदन नहीं चलेगा। हम बार-बार यह कहते हैं कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहेगी तो सदन ठीक चलेगा और सरकार नहीं चाहेगी तो सदन नहीं चलेगा। आज इसका प्रमाण मिल गया। हम लोगों ने एडजर्नमैंट मोशन दिया। सरकार ने उस पर बहस स्वीकार कर ली। इसलिए सदन शांतिपूर्वक चल रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

आज भांडा फूट गया और यह मिथक समाप्त हो गया कि विपक्ष के लोग हाउस नहीं चलने देते। जब गुजरात में आर०एस०एस० शाखा लगाने की बात को इस सदन में उठाया गया कि गुजरात सरकार ने इसकी इजाजत क्यों दी, तब आठ दिन सदन की कार्यवाही बाधित हुई लेकिन जब सरकार ने आदेश वापस ले लिया तो सदन की कार्यवाही ठीक से चलने लगी। इसलिये सरकार ठीक चले, देश भी ठीक से चले और सदन की कार्यवाही भी ठीक से चले, यह सरकार पर निर्भर करता है। हम लोग तो जनता के सवाल उठाते हैं। आज सरकार की विफलता पर बहस हो रही है। जब कश्मीर में चुनाव की बात आई तो दुनिया की नजरे हिन्दुस्तान पर लगी हुई थी कि बाहर से कोई पर्यवेक्षक आयेगा। वे लोग यह दुष्प्रचार कर रहे थे कि भारत के लिये लोकतंत्र ठीक नहीं क्योंकि आतंकवादी भारत की इम्मेज खराब करने पर तुले हुये हैं। इसलिये हम लोग दावा कर रहे थे कि चुनाव आयोग ठीक से चुनाव कराते हैं और वे करा रहे हैं। उस समय स्वार्थ में आकार भाजपा, उनके नेताओं और मंत्रियों ने चुनाव

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

आयोग पर हमला करके अवैधानिक, असंवैधानिक और अमर्यादित टिप्पणी की, लगभग उसी समय विश्व की नजरें कश्मीर के अलावा गुजरात पर लगी हुई थीं। मैं देख रहा हूं कि इन लोगों का आचरण दोहरा हो रहा है। जिस समय गुजरात की घटनाओं के लिये लोग निन्दा कर रहे थे, उस समय प्रधान मंत्री और श्री आडवाणी ब्रिटेन में गुजरात की घटनाओं के लिये माफी मांग रहे हैं और गुजरात के मुख्य मंत्री श्री मोदी को सर्टिफिकेट देते हैं। यहां श्रीमती भावना चीखलिया भाषण देते हुये कहती हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि इस विषय पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है। मैंने उनके भाषण को ध्यान से सुना। हालांकि मैं फिल्में कम देखता हूं लेकिन फिल्म की एक पंक्ति मुझे याद है : 'मुझको बरबादी का कोई गम नहीं, कम है बरबादी पे क्यों चर्चा हुआ।'

सभापति जी, गुजरात में जो कलंकित घटनायें हुई, हिंसा हुई, लोग मारे गये, उससे विश्व की नजरों में भारत की छवि खराब हुई है। हमारा देश अमन-चैन और शान्तिप्रिय देश है जिसका हम लोग दावा करते हैं लेकिन उस घटित घटना के लिये हिन्दुस्तान के माथे पर लगे कलंक के टीका को खुद प्रधान मंत्री जी और श्री आडवाणी जी ने स्वीकार किया। ये श्री नरेन्द्र मोदी को सर्टिफिकेट देते चले जा रहे हैं। एक तरफ घटना की निन्दा करते हैं कि अगर गोधरा कांड नहीं होता तो गुजरात में और मार-पीट नहीं होती। यह सबसे बड़ी कम्युनल भाषा है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहूंगा कि अगर राज्य में श्री मोदी और केन्द्र में श्री आडवाणी नहीं होते तो यह घटना नहीं होती, गुजरात में दंगा नहीं होता। यह किसकी विफलता है। पाकिस्तान, आतंकवाद और अक्षरधाम की विफलता है जो सरकार पर आती है। इस सरकार में केन्द्र में होम मिनिस्टर कौन है, गुजरात में काम चलाऊ मुख्यमंत्री कौन है और केन्द्र में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी हैं। फिर भी अक्षरधाम हो गया। क्या अक्षरधाम के नाम पर इन लोगों को वोट डाल दिये जायेंगे ? यह एक खतरनाक साजिश हो रही है। इसमें सरकार की विफलता है। इनके खुफिया विभाग, इसका प्रशासन और सीमा पर आतंकवाद रोकने में विफलता है जिससे घर में दुश्मन घुस गया। इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? आई०एस०आई० को रोकने की जिम्मेदारी किस पर है, आडवाणी जी पर है। मैं नहीं जानता श्री आडवाणी का क्या मापदंड है कि कितने लोग मारे जायेंगे, कितना आतंकवाद होगा, कितने देश में घुसेंगे, यह देखना चाहिये। हां, उनका प्रमोशन हो रहा है, वे उप प्रधान मंत्री जरूर हो गये हैं, उनका तो डिमोशन होना चाहिये। यदि कोई अफसर इनकी जगह होता जिसके राज्य में इतनी हिंसा हुई होती, इतनी साम्प्रदायिक घटनायें हुई होती या इतनी आतंकवादी कार्यवाहियां हुई होती तो उस अफसर को बर्खास्त कर देते लेकिन इनका तो प्रमोशन हो रहा है।

इसलिए हम सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर डालते हैं, क्योंकि यह दंगाइयों को पाल-पोसकर कायम रखे हुए हैं। विश्व हिन्दू परिषद क्या वोटों से चुना गया है। विश्व हिन्दू परिषद कौन है। इसने अपना नाम हिन्दुओं की परिषद रख लिया और वह तरह-तरह के बयान करती रहती है। यह चुनाव आयोग पर अनाप-शनाप, अनर्गल टीका-टिप्पणी करती है। आयोग एक कांस्टीट्यूशनल बॉडी है, इन्हें मर्यादा में रहना चाहिए। आप पोटो कानून बना रहे थे, उस वक्त हम लोगों ने उसकी खिलाफत की थी। आपने पोटो कानून किसलिए बनाया। उसमें आपने कौन से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दंगा फैलाने वाले आतंकवादियों से कम खतरनाक नहीं है। आप इन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं करते हैं। तोगड़िया, धर्मेन्द्र आदि विभिन्न नाम इन लोगों ने रखे हुए हैं। इन लोगों को आप एक तरफ तरजीह दे देते हैं और दूसरी तरफ नकली कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया। इस तरह से दंगें रोकने में सरकार की विफलता रही है। क्या आज भी वहां पर दंगे नहीं हो रहे हैं। गुजरात में बराबर दो-चार दिन में कुछ हत्याएं हो जाती हैं, दंगों की घटनाएं अब भी वहां हो रही है।

सभापति महोदय, वहां लोग मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ गौरव यात्रा हो रही है। गुजरात की हिंसक घटनाओं से हिन्दुस्तान के माथे पर कलंक लगा और इनका गौरव बढ़ गया। ये गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। यहां से बयान दे देते हैं कि गौरव यात्रा रोकी जाए और वहां यात्रा निकाली जा रही है। इनका दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा और दोहरा मापदंड है। एक तरफ उन्हें उकसा देते हैं कि करो और दूसरी तरफ रोकने का बयान दे देते हैं। ये सहयोगी दलों से समर्थन लेने के लिए और राज में बने रहने के लिए कहते हैं कि हम उनके बयान से असहमत हैं और हम उनके ब्यू को समर्थन नहीं देते हैं। गुजरात को ये लोग प्रयोगशाला कहते हैं। वहां ये दंगा कार्ड, कम्युनल कार्ड खेलकर देश भर में दंगे फैलाने वाले हैं।

सभापति महोदय, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही चुनाव होने वाला था। चुनाव के तीन-चार दिन पहले इन्होंने वहां रख दिया कि शिलादान होगा, मंदिर बनेगा। उसमें सारे दंगाई विभिन्न नामों से लग गये। लगे-लगे वहां क्या हाल हुआ, यह देख रहे हैं। हिन्दुस्तान इन दंगाइयों को बर्दशत करने वाला नहीं है। किसी खास कारण से आप राज में बने हुए हैं और वहां भी राज में बने हुए हैं। यह आपको भी समझ में आता है कि आप सारी बातों में विफल हो गये हैं। अब आपको कोई सहारा नहीं है। आप वहां दंगा कार्ड चला रहे हैं और असली ताश आप अंत में खोलेंगे। गुजरात में साजिश करके आप कम्युनल लाइन चला रहे हैं। गुजरात में त्यागपत्र करके विधान सभा भंग करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। क्या इसका कोई जवाब दे सकता है। इसका कोई जवाब नहीं है। सिवाय इसके कि सभी लोगों में खलबली है, अभी वहां कम्युनल लाइन पर लोगों को विभाजित करके वोट ले लिये जाएं। इसके अलावा आपका दूसरा क्या स्वार्थ हो सकता है। क्या आपके पास इस बात का कोई जवाब है। गुजरात में विधान सभा भंग करके केयरटेकर बने रहकर समय से पहले चुनाव कराने की आपकी क्या मजबूरी थी। सिवाय इसके कि कहीं वहां दंगों का वातावरण शांत न हो जाए। कहीं वहां सेक्युलरिज्म का वातावरण न बन जाए और हम वोटों से वंचित हो जाएं। इसलिए कम्युनल लाइन पर दंगाइयों को आगे बढ़ाकर

वहां वोट ले लिये जाएं और वहां से चुनाव जीतकर फिर से अपना राज बना लिया जाए। इसका आपके पास यदि कोई जवाब है तो बताइये।

सभापति महोदय, वहां आतकंवादी कार्रवाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान आई०एस०आई० के द्वारा वहां आतंकवादी कारवाईयां करा रहा है। इन सबको कौन ठीक करेगा। इन्हें आप ठीक करेंगे। यहां जो गृह मंत्री जी बैठे हैं इन्हें आपको ही ठीक करना है। देश में आतंकवादी न आयें, आई०एस०आई० की गतिविधियां न चलें। सीमा के अंदर दुश्मन कैसे प्रवेश कर जाते हैं। आतंकवादी कैसे अक्षरधाम में प्रवेश कर गए ? गोधरा कांड हो गया तो गुजरात में दंगा हो गया। एक बार लोग कह देते हैं कि अक्षरधाम हो गया तो वोट इनको दे दो। बार-बार एक छल और प्रपंच नहीं चलने वाला है। लोग जानते हैं और गुजरात की महिमा का लोगों ने गान किया है। महात्मा गांधी का संदेश — साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, यह गौरव है गुजरात का। सरदार वल्लभभाई पटेल और वहां के महान लोग जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर अभी तक, जो पौराणिक काल से अभी तक आदर्श थे, अब इनके आदर्श कौन हो रहे हैं जो मार-काट कराने वाले लोग हैं। इसलिए आप विफल हो रहे हैं, लेकिन यह विफल नहीं, खराब काम करने में सहयोगी हैं। इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। एक तरफ माफी मांग रहे हैं, माथे पर कलंक कह रहे हैं और दूसरी तरफ सर्टिफिकेट दे दिया कि नरेन्द्र मोदी बड़ा ठीक चीफ मिनिस्टर है और आगे भी यही रहेगा। क्या दोहरा चरित्र है ? क्या छल है क्या धोखा है ? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। सहयोगी दलों को ठगने के लिए कलंक कह रहे हैं और दूसरी तरफ मुख्य मंत्री को तरजीह दे रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कि वे सही हैं। इसलिए जो एडजर्नमेंट मोशन है यह निन्दा प्रस्ताव के बराबर है इसको स्वीकार किया गया है चर्चा के लिए और इस पर वोट भी होगा। इसलिए ऐसे मौके पर जो सही मायने में सैक्यूलर लोग हैं वरना चाटुकारिता के लिए तो लोग हैं ही कि विकल्प नहीं है इसलिए लाल बत्ती और सत्ता के धोखे में सहयोगी लोग पड़े हुए हैं। सैक्यूलर भी रहना चाहते हैं और चाटुकारिता भी करना चाहते हैं, इसलिए सारी गड़बड़ हो रही है। देश को बचाने के लिए इस एडजर्नमेंट मोशन को पास करना चाहिए। सदन से मेरी प्रार्थना है कि निन्दा प्रस्ताव पास हो और गृह मंत्री आडवाणी जी त्यागपत्र दें क्योंकि यह सभी जगह विफल रहे हैं, उल्टे इनकी प्रमोशन हो रही है, यह ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री जी भी दिखाना चाहते हैं कि उदारवादी हैं, लेकिन भीतर से वह मुख्य मंत्री को तरजीह दे रहे हैं, सब भेद खुल गया है, जनता के सामने ये बातें आ रही हैं। इसीलिए दंगाइयों को सत्ता से भगाना है, देश को बचाना है, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

अभी माननीय सदस्य आदरणीय रघुवंश बाबू बोल रहे थे। कार्य स्थगन प्रस्ताव के बारे में उन्होंने प्रारंभ किया। लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली की पुस्तक हमारे हाथ में है। यह कार्य स्थगन प्रस्ताव नियम 56 के तहत आया है और नियम 56 के बाद नियम 58 में जो निर्बंधन है, व्याख्या की गई है, उसके तीसरे नंबर में लिखा है कि 'प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा।'

मैं इसको उद्धृत करते हुए आपके समक्ष यह कहना चाहता हूं कि जो अभी वहां पर विश्व हिन्दू परिषद् के द्वारा धर्म यात्रा की व्यवस्था की गई थी, उस धर्म यात्रा के बारे में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ने कहा कि उसको रोका जाए और देश के माननीय प्रधान मंत्री, माननीय उप प्रधान मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्था की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, कानून का पालन करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया और गुजरात की सरकार ने उस यात्रा पर प्रतिबंध लगाया और यात्रा पर निकलने वाले जो यात्री थे, उन्हें गिरफ्तार करके उसको रोकने का काम किया। इसलिए इस नियम पुस्तक को उद्धृत करते हुए मैं इस प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। यह कार्य संचालन नियमावली के नियम 56 और 58 के विपरीत है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है।

अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य श्री नवल किशोर राय अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि नियम 56 के मुताबिक कार्य स्थगन के प्रस्ताव आते हैं और नियम 58 में उसकी व्याख्या है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव कैसे जायज होगा। जिसकी चर्चा हमने की है कि प्रस्ताव हाल ही में घटित हो।

सभापति महोदय : आपको इस विषय पर जो बोलना है, वह बोलिये क्योंकि स्पीकर साहब की तरफ से यह नियम 56 के अन्तर्गत नियमन हो चुका है इसलिए सदन में कार्य स्थगन का प्रस्ताव नियमित माना गया है। आप इसे री-ओपन न करके अपनी बात करें।

श्री नवल किशोर राय : नियमों के हवाले से माननीय सदस्य ने चर्चा की थी, उसी आधार पर हमने इसे यहां मैंशन करना उचित समझा। मैंने सरकार को धन्यवाद देने के लिए इसे यहां उद्धृत किया है। इस चर्चा में भाग लेते हुए सरकार ने जो तत्काल घटित घटना है, उस घटना को रोका और नियमों का पालन कराया इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से इस विषय पर यह मैंशन करना चाहता हूं कि जो

[श्री नवल किशोर राय]

भी संस्था या संगठन देश में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करती हो, चाहे विश्व हिन्दू परिषद हो, जमाते इस्लाम हो या सिमी हो, उनकी जितनी भी निंदा की जाये, वह कम होगी। आज के दिन जो चर्चा यहां हुई है या बाहर भी हुई है कि संवैधानिक संस्थाओं पर कोई कुछ भी बोल दे तो इससे संवैधानिक संस्थाओं का महत्व गिरता जा रहा है, डेमोक्रेटिक संस्थाओं का ह्रास होता जा रहा है। यहां पर उप प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके लिए चाहे कोई भी पक्ष जिम्मेदार हो, चाहे कितनी भी हस्ती हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं यह कहती हों कि चुनाव आयोग के आदेशों के बारे में तरह-तरह के गलत आरोप लगते हों, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बारे में कोई भी संस्था यह कहती हो कि यह भावना का सवाल है इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं तो यह बात ठीक नहीं है।

उधर से प्रिय दा तथा अन्य लोग भी बोल रहे थे। हम इसे भी जायज नहीं ठहरा सकते कि जब सिमी पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है तो कुछ नेता सिमी के पक्ष में खड़े होते हैं जो कि उग्रवाद को बढ़ाने की कार्यवाही होती है। जब पोखरण का प्रयोग देश की ओर से होता है तो कुछ नेता, मैं किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाना चाहता, पाकिस्तान को डालर में मुआवजा देने के बयान दे देते हैं।

हम यह भी कहना चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना और संविधान को न मानने की कार्यवाही – चाहे कोई भी पक्ष करता हो, चाहे विश्व हिन्दू परिषद के बयानात से यहां उद्धृत हो रहे हों, चाहे उत्तर प्रदेश के महामहिम गवर्नर पर कोई आदमी खुलेआम आरोप लगाते हो या बिहार से बैठे हुए गुजरात के राज्यपाल सुन्दर सिंह भंडारी जी पर कोई लांछन लगाते हों, सब एक समान हैं। चाहे इस प्रकार के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करे, चाहे उस पक्ष के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर चोट करें, यदि इस सदन में हम बोलने के लिए खड़े होते हैं, इस पक्ष से कोई बात है तो उसे उद्धृत करते हैं और दूसरी तरफ की बात को हम ढकने का काम करते हैं तो यहीं पर परिस्थितियां बिगड़ती हैं। भूख, भ्रष्टाचार और इन सवालों पर यहां चर्चा नहीं हो पाती या एकपक्षीय चर्चा होकर रह जाती है। हम इसकी आलोचना करते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, चाहे वह कोई भी ताकत हो, जो गवर्नर पर हमला करे, जो चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त पर हमला करे, जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने से इंकार करे, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, चाहे किसी से जुड़ा हुआ वह संगठन हो, उस पर निश्चित कार्यवाही होनी चाहिए, सामयिक होनी चाहिए, सब पर समान कार्यवाही होनी चाहिए।

हमारे वरिष्ठ नेता, आंदोलन के नेता, वंशवाद के खिलाफ जब हम लोग आंदोलन में थे तो बिहार में डा० रघुवंश प्रसाद सिंह अगुवाई कर रहे थे। हमने अभी उनका भाषण भी सुना। तीन-चार दिन पहले अखबारों में भी उनका भाषण आया है। उनका अखबार में भाषण आया, इस सदन के भाषण के कभी मेल नहीं खाता। आडवाणी साहब के बारे में इनका कहना था, मैं कहना चाहता हूं कि आडवाणी जी पर हवाला का आरोप लगा था तो उन्होंने सदस्यता भी छोड़ दी थी। जब न्यायालय ने उनको बरी कर दिया तब वे चुनाव जीत कर आए और अब उप-प्रधान मंत्री हैं। रघुवंश बाबू इस सदन में जिस पार्टी के नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनकी पार्टी के अध्यक्ष को जब चार्जशीट हो गई थी तो उन्होंने लोकतंत्र की पद्धति को नहीं अपनाया, अपनी पत्नी को मुख्य मंत्री बनाया। सभापति महोदय, आप नजदीक से जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें भी अपने नेता को उसी प्रकार सलाह देनी चाहिए, दोमुखी बात नहीं करनी चाहिए। वे केवल एक तरफ आरोप लगाते हैं तो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, दोनों पक्ष पर आरोप लगाना चाहिए। जहां तक दंगों का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय प्रियरंजन दास मुंशी बहुत गंभीरता से बोल रहे थे। उन्होंने हमें समझाने की चेष्टा की है। कांग्रेस के राज में भागलपुर में दंगे हुए। उन्होंने उद्धृत किया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। राजीव जी वहां गए थे, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। उसके बाद एस०पी० के तबादले को रोका गया और तीन महीने तक दंगा जारी रहा। उस समय के बिहार के मुख्य मंत्री भागलपुर जाने की हिम्मत छः महीने तक नहीं कर सके। उसके बाद वहां सरकार बदल गई। आज बिहार में जो सरकार चल रही है, वह श्री दासमुंशी जी के सहयोग से चल रही है। मैं आपके माध्यम से दासमुंशी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भागलपुर के दंगों की जांच रिपोर्ट प्रकाशित हुई। क्या उस दंगे में शामिल लोगों का दस साल की अवधि में कुछ हुआ ? मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले अपने गिरहबान में झांकना चाहिए तब आगे बात करनी चाहिए।

मैंने श्री राष्ट्रपाल का भाषण भी बड़े गौर से सुना। वे नर्मदा और सरदार सरोवर बांध की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने नर्मदा बांध की 93 फीट की लंबाई में से 80 फीट की लंबाई को कांग्रेस के खाते में रख लिया और 13 फीट भाजपा के खाते में दी। मैं कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रपाल जी को सलाह देना चाहता हूं कि 55 साल में से 47 साल उन्होंने शासन किया। गुजरात के दंगों को भी वे उसी प्रकार बांट लें, विकास को भी बांट लें, वहां हुए कत्लेआम को भी बांट लें, तब आप न्याय कर पाएंगे, केवल एक बार 93 फीट की लंबाई को यदि दो भागों में बांटते हैं तो वह उचित नहीं है। अपनी कविता में उनका यह इशारा था कि एक मुसलमान को जला दिया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके सहयोग से बिहार में जो सरकार चल रही है, 1998 में पुलिस की गोली से पांच लोग वहां मारे गए थे। मुनीस बगास पुलिस की गोली से मारी गई थी और उसे सरेआम डंके की चोट पर जला दिया गया। उस पर आज तक कोई बोलने वाला नहीं है। आपको स्मरण होगा, आपने भी उस पर आन्दोलन किया था, आपने भी उस पर यात्रा की थी। मैं सिर्फ उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस सदन से, विजय चौक से और टी०वी० से गुजरात का चुनाव न भारतीय

जनता पार्टी लड़े और न कांग्रेस पार्टी लड़े तो गुजरात की जनता के साथ बड़ा भारी न्याय होगा।

इस सदन में पांचवीं बार गुजरात के बारे में चर्चा हो रही है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, पांच राज्यों में भूख से मौतें हुई हैं, उसे आप नजरअंदाज करते हैं तो यह जनता के साथ न्याय नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और महसूस करता हूं कि चाहे यह पक्ष हो या वह पक्ष हो, गुजरात का चुनाव कोई भी संसद के माध्यम से, विजय चौक से या टी०वी० से लड़ना चाहेगा तो यह अच्छी बात नहीं होगी और इतिहास इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा।

इसलिए इस एडजर्नमेंट मोशन का मैं विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुजरात में इन दिनों जो हुआ, मैं उस पर भारत सरकार के ढुलमुल, लापरवाहीपूर्ण और असंवेदनशील दृष्टिकोण पर अपनी वेदना और रोष व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के बाद वहां अनेक साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं और अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत कठिनाई हुई हैं ? यह सब कार्यवाही वृत्तांत में है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो कुछ हाल के दिनों में गुजरात में हुआ है उसके समान न केवल भारत के इतिहास बल्कि अन्य देशों के इतिहास में भी नहीं हुआ होगा कि कैसे एक राज्य, जिसमें इस देश का संविधान लागू है, में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर अत्याचार किया गया और उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया गया। मेरा कहना है कि गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से प्रहार किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समझते हैं कि यह सब भारत सरकार की मिलीभगत से हुआ है। संविधान के अंतर्गत जिस तहर का न्याय अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए था, वह भारत सरकार ने नहीं किया।

महोदय, वहां मुख्य मंत्री बिना विधान सभा के राज्य में शासन कर रहा है। क्या यह भारतीय लोकतंत्र में एक नयी घटना नहीं है ? गुजरात में संविधान के उपबंधों का पालन करते हुए भी उसकी भावना की उपेक्षा की गई है। एक विशेष वर्ग, समुदाय के लोगों पर मुख्य मंत्री ने आरोप लगाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है तथा उनका अपमान किया है। हम पांच, हमारे पच्चीस, यह क्या है ? ऐसा कौन कह रहा है ? ऐसा एक राज्य के मुख्य मंत्री उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिन पर वे शासन कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से हमदर्दी का एक भी शब्द नहीं कहा गया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग क्या भारत के नागरिक नहीं हैं ? क्या उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ? क्या उन्हें भारत सरकार से आश्वासन और सहायता नहीं दी गई है ? ऐसा नहीं था। वहां क्या हुआ ?

मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमला करने के बाद वाजपेयी सरकार ने कूटनीतिक युद्ध छेड़ा है। युद्ध लड़े बिना भारतीय कूटनीति ने यह युद्ध जीत लिया है। लेकिन गुजरात की घटनाओं के बाद भारतीय कूटनीति ने भारत की छवि बचाने के लिए युद्ध लड़ा। लेकिन वह इसमे बुरी तरह हारा और असफल रहा। अतंर-राष्ट्रीय समुदाय में भारत की क्या प्रतिष्ठा है ? विशेषकर मुस्लिम देशों में हमारी छवि को कितना धूमिल किया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी एक विशेष समुदाय को लक्ष्य बनाया गया है ? उनके धर्म का अपमान किया गया। उनके पाक ग्रंथ को न केवल अपवित्र किया गया, बल्कि उसके लिए अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया।

विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल या ऐसे किसी अन्य दल के किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी गयी। जब उन्होनें इस्लाम के पाक पैगम्बर, इस्लाम के पाक ग्रंथ कुरान और मुस्लिम समुदाय के लोगों का अपमान किया तो उन्होंने एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी ओर मैं एस०आई०एम०आई० की विचार धारा का समर्थन नहीं कर रहा। मैं न केवल उनका बल्कि सभी तरह के उग्रवाद का विरोध करता हूं। उन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया ? केवल नारा लगाने के लिए उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जब लोगों, जिन्हें भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल का समर्थन था ने सार्वजनिक रूप से मुस्लिम समुदाय, उनके धर्म, उनके पाक ग्रंथ तथा उनके पैगम्बर का अपमान किया तो क्या सरकार ने कोई कार्यावाही की ? इसी पर मैं अपनी वेदना और गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदय, 5 मार्च की रात को मैं श्री नरेन्द्र मोदी से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मुख्य मंत्री जी सिविल हस्पताल में 226 शव हैं। जिनमें से केवल 100 शवों की पहचान हो सकी है और 126 शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पायी है।'' उन्होंने मुझसे क्या कहा ? उन्होंने कहा ''क्या आप जानते हैं कि वे सभी मुस्लिम हैं'' ? मैंने कहा ''माननीय मुख्य मंत्री जी, मैंने हिन्दू या मुस्लिम का उल्लेख नहीं किया है, मैंने केवल शवों का उल्लेख किया है।'' मैंने उन्हें बताया कि मुख्य मंत्री जी गोधरा हादसे में मारे गये लोगों के परिवारों को आपने दो लाख रुपये दिये, लेकिन गुजरात में हुए साम्प्रादायिक दंगों में मारे गये लोगों के परिवारों को आपने केवल एक लाख रुपये दिये।'' उन्होंने कहा ''कि वह एक आतंकवादी हमला था और ये साम्प्रादायिक दंगे हैं।'' धर्म के आधार पर आप लोगों को क्यों बांट रहे हैं ? क्या यह संविधान के विरुद्ध नहीं है ? एक बार आप लोगों को बांट देते हैं तो आप उनके दिलों में दीवार पैदा कर देते हैं। यह इस देश की मर्यादा के विपरीत है।

महोदय, गुजरात भारत का हिस्सा है। शांतिपूर्ण जिंदगी वहां का इतिहास रहा है। लेकिन श्री नरेन्द्र मोदी पूरे भारत को गुजरात का हिस्सा बना देना चाहते हैं। भारत सरकार के सुस्पष्ट समर्थन से वह इस विचारधारा का पालन कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन का मैं और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जानता हूं कि समय की कमी है। इसलिए मैं यहां

[श्री ई० अहमद]

अपनी सभी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जन संघ के लोगों तथा ऐसी ही विचारधारा के लोगों ने साम्प्रादायिकता फैलाने की हर कोशिश की, लेकिन इस देश के लोगों ने उन्हें करारी हार दी। इसलिए गुजरात में जो भी हुआ, उसका माकूल जवाब देने के लिए लोग इस देश में लोकतंत्र, साम्प्रादायिक एकता और शांति स्थापित करने के लिए लडेंगे और विजयी होंगे। मैं आशा करता हूं कि वे लोग इन चुनावों में ऐसा कर दिखा देंगें।

श्री लिंग्दोह और चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, वह न केवल भारत के लोगों बल्कि सरकार में लोगों का भी अपमान है। संवैधानिक प्राधिकरण के विरुद्ध बोलना संविधान के विरुद्ध बोलना है। श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में बिना विधान सभा के शासन कर रहे हैं और वे निर्वाचन आयोग की आलोचना कर रहे हैं। यह बड़े खेद की बात है। कृपया इसे बंद कीजिए।

डा० वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : सभापति महोदय, मैं आज इस स्थगन प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विडम्बना यह है कि आज ही गुजरात में चुनाव के लिए सही मायने में प्रक्रिया शुरू हुई है और फार्म भरने का पहला दिन है, उसी समय यहां पर पांचवी बार गुजरात पर चर्चा हो रही है। मुझे पता नहीं चलता कि बार-बार क्यों गुजरात और गुजरात पर ही चर्चा होती है। श्री दासमुंशी जी ने भी कहा और अन्य साथियों ने भी कहा कि गुजरात कृष्ण का गुजरात है, महात्मा गांधी का गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है। गुजरात की जनता शांति चाहती है, क्योंकि वह शांति प्रिय है। पूरे विश्व में जहां भी आप देखें, आपको गुजरात के लोग मिल जाएंगे, चाहे व्यापार में हों या अन्य किसी रोजगार में हों। अमेरिका में होटल, और मोटल अधिकतर गुजरातियों के हैं। पूरी दुनिया में गुजराती प्रजा शांति से रहती है।

अपराह्न 4.35 बजे

[**श्री पी०एच० पांडियन** *पीठासीन हुए*]

लेकिन गुजरात पर आज बार-बार आरोप लगाया जा रहा है। मैं कहूंगा कि गुजरात के बारे में जो कहा गया है, यहां जो बोला जा रहा है, वह वास्तव में सच नहीं है। गोधरा कांड हुआ, इसके बारे में हम भी निंदा करते हैं। बाद में जो हुआ, उसकी भी हम निंदा करते हैं। गुजरात की फिलासफी के खिलाफ यह कैसे हुआ, यह आज तक किसी को पता नहीं है। कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर कोई खराब काम करे तो पूरी मेडिकल कम्युनिटी की निंदा की जाती है और उन पर आरोप लगाया जाता है! यदि कोई व्यवसाय कुछ ऐसा वैसा करता है तो उसकी निंदा की जाती है। इसी प्रकार से कोई अच्छा काम होता है तो पूरी कम्युनिटी को अच्छे काम के लिए बधाई दी जाती है। मेरे पुराने बुजुर्ग मित्र हैं, वह पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में यदि कोई भी सरकार होती चाहे कांग्रेस की होती या किसी की होती, गोधरा के बाद जो हुआ, वह होना ही था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो आंदोलन किया, वह चाहे मियां मुशर्रफ के खिलाफ हो, चाहे वी०एच०पी० के हुए हों, वहां 150-200 से ज्यादा आदमी कभी इकट्ठा नहीं होते थे लेकिन गोधरा की घटना के बाद मैंने देखा कि अहमदाबाद और बड़ोदरा का पौश से पौश इलाका हो, पढ़े-लिखे लोगों की वेदना साफ दिखाई पड़ती थी और लगता था कि पूरे गुजरात को क्या हो गया ? उन्होंने कहा कि वहां किसी भी दल की सरकार होती लेकिन गोधरा के बाद जो हुआ, वह कम नहीं कर पाती और इसलिए मुझे कहना है कि जो हुआ, सो हुआ। अभी मास्को में क्या हुआ ? सिनेमाघर में क्या हुआ ? लेकिन प्रैस में आया कि 130 लोगों को बचाया गया। जबकि कितने लोग मर गये थे और जो सिनेमा देखने आए थे, वे भी मर गये लेकिन हम क्या करते हैं कि, इतने-इतने लोग मर गये। केवल नैगेटिव साइड ही दिखाते हैं। पूरे देश को बदनाम करने का षडयंत्र विश्व भर में हो रहा है। गुजरात में भी जो नहीं हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है। जो सच नहीं है, उसे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। गोधरा के बाद जब यहां डिसकशन हुआ था और मैं कहने जा रहा हूं कि पहले चार साल में भाजपा की सरकार जब गुजरात में थी तो उन्होंने मुस्लिमों के लिए कितना काम किया था, वह मैं आपको बताता हूं। पूरे देश में हज करने जाने के लिए कोटा सिस्टम है कि हमारी स्टेट से 1000, या दो 2000 या 500 लोग जाएंगे। लेकिन गुजरात में बी०जे०पी० की जो सरकार बनी तो उसने इस कोटा को खत्म किया और कहा कि जितने लोग हज करने के लिए जाना चाहते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। मुझे गौरव है कि सबसे बड़ा यू०पी० स्टेट है जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है यू०पी० के बाद गुजरात से हज करने के लिए सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, यह गुजरात का गौरव है और यहां कहते हैं कि गुजरात में मुस्लिमों का हम ध्यान नहीं रखते। पहले वहां मॉइनोरिटी-बोर्ड था जब कांग्रेस की सरकार थी लेकिन भाजपा की सरकार के आने के बाद इस बोर्ड को हमने कॉरपोरेशन में बदल दिया और पहले केवल पचास लाख रुपया का बजट था लेकिन हमारी सरकार ने पचास करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया। मुझे याद है कि मेरे इलाके में मैंने खुद 4-5 करोड़ रुपये मुस्लिम बंधुओं को अलग-अलग रोजगार के साधन देने के लिए खुद दिये और हम पर आरोप लगता है कि हम मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करते। जब ईदगाह का त्यौहार, ताजिया और मोहर्रम का समय होता है तो सब लोग हिन्दू-मुस्लिम साथ मिलकर मनाते हैं।

कहा जा रहा है कि गुजरात में शान्ति नहीं है और गुजरात में इलैक्शन के लिए अच्छा माहौल नहीं है। गुजरात में अभी नया साल शुरू हुआ है और दीपावली के अवसर पर गुजरात में लोग रात को दो बजे तक, चार बजे तक घूमते रहे हैं। उस समय दूसरे राज्यों के लोग जो गुजरात में घूम रहे थे, उनको आश्चर्य होता था और अचरज होता था। आप अहमदाबाद में आइए, राजकोट में आइए, रात को दो बजे तक बहनें, लड़कियां और कपल्स आइस क्रीम खाने के लिए बैठे हुए पाए जाते हैं। वहां कोई अप्रिय घटना नहीं होती है। अक्षर-

धाम की घटना के बाद नवरात्री के महोत्सव पर हाईकोर्ट ने प्रतिबन्ध लगाया कि रात दस बजे के बाद नवरात्री महोत्सव नहीं मनाया जाएगा, लेकिन लोगों की भावनाओं को देखते हुए, गुजरात में शांति है, वहां ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हाईकोर्ट को भी मानना पड़ा कि दस बजे के बजाए रात एक बजे तक गुजरात में दांडिया रास करने के लिए छूट दी गई। फिर भी यह कार्यक्रम रात दो-तीन बजे तक चला और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हमारे मित्र कहते हैं कि गुजरात में शांति नहीं है, इलैक्शन के लिए अच्छा समय नहीं है और यह भी कहा गया कि श्री मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर यह सदन भी नहीं चलने दिया गया। मोदी साहब ने रिजाइन कर दिया, लेकिन फिर कहने लगे कि वहां इलैक्शन का माहौल नहीं है। मोदी जी ने रिजाइन करके कहा कि हम जनता की अदालत में चलते हैं। लोगों के बीच जाते हैं, ताकि लोकशाही में प्रजा अपनी लोकप्रिय सरकार को चुन सके। गौरव यात्रा निकालने की बात आई, तो कहा गया कि गौरव यात्रा कैसी ? हमने कहा कि गौरव यात्रा इसलिए कि गुजरात में हमने जो पिछले चार सालों में काम किये हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। मैं यहां एक और बात कहना चाहता हूं, गुजरात में जो पिछले चार सालों में काम हुए हैं, वे पिछले पचास सालों में भी नहीं हुए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई शहर ऐसा नहीं है, जहां विकास नहीं हुआ हो।

यहां पर सर्वशिक्षा अभियान की बात कही गई। पहले स्कूलों में दो, तीन या चार टीचर ही हुआ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने विद्या सहायक योजना के अन्तर्गत दो हजार रुपए में दो साल के लिए टीचर्स को रखा, जिनको दो साल के बाद फुल पेमेंट दिया जाएगा। इस प्रकार 62 हजार टीचर्स इन पिछले दो-तीन सालों में नियुक्त किए गए हैं। आज एक भी ऐसा प्राइमरी स्कूल नहीं है, जहां टीचर्स न हों यह अभूतपूर्व काम हमारी सरकार ने किया है। सदन में यहां पानी की समस्या के बारे में भी कहा गया है। हमारी सरकार पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात कहती है। हमारी सरकार ने पीपल्स पार्टिसिपेशन के आधार पर वाटर को कन्जर्व करने का काम किया है। लोगों को समझाया गया, पानी की समस्या के समाधान के बिना हमारी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले पचास सालों से नदियों पर जो छोटे-छोटे डैम्स बनाने की बात चली आ रही थी, हमने डेढ़ साल में 22 हजार से भी ज्यादा छोटे डैम्स बनाकर पानी को संग्रह करने का काम किया है। इतना ही नहीं, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री तक यह देखने के लिए आए कि यह काम किस प्रकार किया गया है और गुजरात के लोगों ने कैसे मेहनत की है। मेरे जिला क्षेत्र में उन्होंने आकर देखा और कहा कि हमें भी अपने यहां इस प्रकार पानी को संग्रह करने की आवश्यकता है। यह स्थिति जो गुजरात ने पैदा की है, यह गुजरात का गौरव है।

महोदय, इससे आगे नर्मदा के बारे में भी सदन में कहा गया है। कोई व्यक्ति मंत्री होता है, प्रधान मंत्री होता है और जब नींव डाली जाती है, तो उनको यश मिलता है।

नर्मदा के प्रश्न को सौल्व करने के लिए पिछले चार सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयत्न किया। इससे पहले किसी भी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा नहीं किया। चार-पांच साल से सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ था, लेकिन आगे चलता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि केस लगातार चले। एक बार चले, फिर तारीख पड़ जाए, ऐसा नहीं हो, लगातार केस चले और जो भी जजमेंट आना हो, वह आए। गुजरात के फेवर में जजमेंट आया और सबसे अच्छा रिहेबिलिटेशन का काम आज गुजरात में हो रहा है। गुजरात में 35 से 40 लाख रुपए एक-एक परिवार को मिलते हैं, उससे पहले कभी नहीं मिले थे। इसी तरह रिहेबिलिटेशन का ध्यान रखते हुए वहां नर्मदा का पानी मिला। हमारे एक मित्र ने कहा कि साबरमती में एक्स्ट्रा पानी डाल दिया। ऐसा नहीं है, पानी एक्स्ट्रा नहीं था। पानी जब आता है और ऊपर से बाढ़ आई तो पानी नर्मदा से ओवरफ्लो होकर आगे चला जाता है, लेकिन जब कैनाल चालू है, उसका काम पूरा हो गया है, दूसरे इलाकों में वर्षा नहीं हुई थी, वहां अकाल था, वहां पानी आए तो वह पानी कहीं नदियों में, तालाबों में जाए ताकि जलस्तर ऊपर आ जाए, इसलिए हमने साबरमती में बहाया। इतना अच्छा काम कैनाल का हुआ है कि जहां-जहां नदियां आती हैं वहां-वहां हमने गेटस किया। जो रीवर कनेक्टीविटी की बात करते हैं, सचमुच में नर्मदा सरोवर है, कैनाल है और इसके कारण आज गुजरात के करीब-करीब दो हजार से ज्यादा गांवों में पाइप लाईन द्वारा पानी जा रहा है। वहां 700 किलोमीटर की पाइप लाईन डाली। जहां-जहां अकालग्रस्त इलाके हैं, पीने का पानी नहीं था, सभी डेम एवं नदियां खाली थीं वहां पानी लाकर हमने एक-एक गांव में पहुंचाया।

महोदय, हमारे मित्र कह रहे थे कि गुजरात में पानी नहीं मिलता है। पहले भी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब कम से कम दो-तीन हजार गांवों में पानी आने लगा है। वहां आज भी पानी की अच्छी व्यवस्था है। यह वहां का गौरव है। गुजरात के लोग कहते हैं, गुजरात डेवलपड् स्टेट है, यह अव्वल नम्बर पर है। इंडस्ट्री एवं व्यापार आदि में भी अव्वल नम्बर पर है। इसकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए, गुजरात को सुरक्षित रखने के लिए गौरव यात्रा का आयोजन किया था। हमारे एक मित्र जो आजकल कांग्रेस में चले गए, वे अभी अमेरिका गए थे। वहां उन्होंने डॉलर यात्रा की। हमें भी वहां से मैसेज आया, क्योंकि इलैक्शन आ रहा है और हमें डालर की बहुत आवश्यकता है, इसलिए वहां डालर इकट्ठा करने गए थे। हम गुजरात का गौरव बनाए रखने की बात कहते हैं और वह डालर यात्रा की बात करते हैं।

अक्षरधाम की जो घटना हुई, वह पूरे देश और समाज के लिए एक बहुत दुखद घटना है। आतंकवाद काश्मीर से लेकर यहां तक आ गया है। फिर भी हम आतंकवाद की बात करते हैं, अपने देश के दुश्मन की बात करते हैं। रेणु जी ने सही कहा कि आज हमारे सामने जो प्रोब्लम है, उसे देखने की बजाए हम केवल वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। हमारे मित्र ने गलत इन्फोर्मेशन दी कि गुजरात में बिलो पावर्टी लाईन लोग ज्यादा हैं। वे कहते हैं कि लगभग 60-70 प्रतिशत बिलो पावर्टी लाईन लोग हैं। पूरे देश में बी०पी०एल० 26% लोग हैं, वो गुजरात में उनसे भी कम होंगे। पहली बार हमारी सरकार ने ट्राइबल ऐरिया में लोगों को जमीन दी, उन्हें उनके हक

[डा० वल्लभभाई कथीरिया]

मिले हैं। यही कारण है कि आज हमें गुजरात में इतनी सीटें मिली हैं।

हम विकास और डैवलेपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल डैवलेपमेंट की बात करते हैं। गुजरात में हमारे द्वारा पोर्ट डैवलेप हुआ है। ये कहते हैं कि गुजरात में दंगे हो रहे हैं हत्याएं हो रही हैं। यह कहकर ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचने की बात है कि हमें देश का नुकसान तो नहीं करना चाहिए। हमें देश का विकास करना है, देश को सुरक्षित रखना है और अगर हम छोटे-छोटे मामलों में इस तरह की बातों में फिसल जाएंगे तो हम अपने देश के लोगों को क्या सुख दे पाएंगे। क्या हम अपने मुस्लिम भाइयों का सुख नहीं चाहते हैं, क्या उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो छोटी-छोटी बातों से हमें देश का नुकसान नहीं करना चाहिए।

यहां पर माननीय डा० प्रवीण तोगड़िया जी की बात किसी बंधु ने की। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से, अच्छी तरह से जानता हूं। वह बहुत ही इंटलैक्चुअल आदमी हैं और उनके दो परम-मित्र मुस्लिम हैं और वे उनसे मिलने जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश के हमारे मुस्लिम बंधु देश-प्रेमी हों। भाई शाहनवाजी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वे मादरे-वतन के लिए हैं, उनको राष्ट्र की परवाह है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उन्हें भी राष्ट्र के प्रवाह में शामिल करने की आज बहुत आवश्यकता है। लेकिन जो लोग देशद्रोही हैं उन्हें अलग-थलग करने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। मुस्लिम बंधु राष्ट्र के साथ रहेंगे तो हिन्दू-मुस्लिम का कोई झगड़ा होने वाला नहीं

आज गुजरात में आप देखेंगे तो पायेंगे कि गुजरात में हिन्दू-मुस्लिम एक-साथ रहते हैं, एक साथ बिजनैस करते हैं, साथ काम करते हैं, होटलों में साथ-साथ खाना खाते हैं लेकिन हम यहां गुजरात पर डिस्कस कर रहे हैं लेकिन वहां लोगों में जो भाई-चारा है उसे कोई नहीं देखता है। हम तो वहां रहते हैं, इसलिए आपसे विनती करते हैं कि आप वहां आइये और बाद में गुजरात के बारे में बोलिये। गुजरात के बारे में जो बातें हो रही हैं कि गुजरात सरकार वाइर्लेस के कारण फेल हो गयी है वह बोलने से पहले लोगों को गुजरात जाना चाहिए। अभी वहां गौरव यात्रा चली लेकिन एक भी घटना वाइर्लेस की नहीं हुई। जहां-जहां जुलूस होते हैं वहां एक भी घटना वाइर्लेस की नहीं हुई। वहां एस०एस०सी० की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से हुई हैं लेकिन कांग्रेस के हमारे मित्रों ने वहां लोगों को बहकाने के लिए कहा कि आप परीक्षाएं मत दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां लोगों को बहकाने का काम किसने किया ?

सभापति जी, आज जो यह प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मेरे कहना है कि आज गुजरात शांति की राह पर है। गोधरा के बाद गुजरात में जो कुछ हुआ वह हमारे सबके लिए कलंक है लेकिन अब शांति की बात नहीं करेंगे तो गुजरात तरक्की कैसे करेगा। शांति का रास्ता बनाने के लिए हम लोगों को वहां अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय दिलवाना चाहते हैं और इसके लिए हम वहां कटिबद्ध हैं। इन्हीं बातों के साथ में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और गुजरात में हम जो नया वर्ष मनाते हैं उसकी शुभकामनाएं सभी को देते हुए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम कम्युनल बातें करना बंद करके हिन्दू-मुस्लिम एकता की बात करें और इस देश को महान बनाने का संकल्प करें। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने दूसरे पक्ष के सदस्यों द्वारा दिये गये भाषण और व्यक्त की गई भावनाओं को सुना है। गुजरात सरकार की बहुत प्रशंसा की गयी है। उनकी जानकारी के लिए ही मैं आज गुजरात की स्थिति का दूसरा पहलू पस्तुत कर रहा हूं। मुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि विश्व हिन्दु परिषद या कोई भाजपा से जुड़ा कोई अन्य समतुल्य संगठन, कोई यात्रा निकालता है तो वहां हिंसा क्यों होती है। जब उन्होंने सोमनाथ से आयोध्या की यात्रा शुरू की तो उस समय हिंसा क्यों हुई ? लेकिन ऐसा क्यों है कि जब भी जैन, स्वामीनारायण तथा अन्य लोग यात्रा निकालते हैं तो हिंसा नहीं होती ? आपके ही मामले में ही ऐसा क्यों होता है, अन्यों के मामले में क्यों नहीं ? क्या ऐसा है कि इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कुछ तत्व नकारात्मक रवैया अपनाने का प्रयास कर रहे हैं ? मैंने पूर्णत: दोहरा व्यवहार पाया है। जो वे सदन में कहते हैं बाहर जा कर, ठीक उसके विपरीत कहते हैं। मुख्य मंत्री जी को मैंने मीडिया, टेलीविजन पर कुछ और हकीकत में कुछ और कहते हुए सुना है। वे सार्वजनिक रैली में क्यों कहते हैं कि हम एक, हमारे पांच।" वे क्यों कहते हैं कि रमजान के दौरान वे नर्मदा में पानी नहीं छोड़ना चाहते थे इसलिए उन्होंने अब अब पानी छोड़ा है ? गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ऐसा भड़काऊ दृष्टिकोण क्यों अपनाया जा रहा है। इसका एक ही कारण है कि वे सत्ता में आना चाहते हैं। केवल यही एक रणनीति है। उनके पास कोई अन्य मुद्दा नहीं है जिसे लेकर वे मतदाताओं के पास जा सके। पिछले साढ़े चार वर्ष में आपने क्या किया ? अगर आपने इतना कार्य किया है, जिसका आप बखान यहां कर रहे हैं तो आप अपने अभियान में उन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे है ? आप अपनी गौरव यात्रा के दौरान विकास की बात क्यों नहीं करो ? केवल अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर ही आप अपना ध्यान क्यों केन्द्रित कर रहें हैं ?

दंगे आपके शासन के दौरान नहीं हुये, आप ऐसा नहीं कह सकते। सत्ता में आने के एक हफ्ते के अंदर ही विहारा, बारडोली, नलसद, भावनगर, रणधारपुर, संजोली तथा राज्य के अन्य भागों में दंगे हुये थे। इसलिए आप यह न कहें कि दंगे आपके शासन में नहीं हुये।

यदि आप 1992 से 1995 तक हुए दंगों की कुल संख्या को देखें तो गुजरात में अधिकतम दंगे इस अवधि के दौरान ही हुए। रणनीति यह थी कि आपने दंगों की स्थिति बनाएंगें और फिर सत्ता में आने के लिए समुदाय का उपहास उड़ाओ। इस नीति पर अमल किया गया और इसलिए, वर्तमान मुख्य मंत्री को यह देखने के लिए यहां से भेजा

गया था कि आपके दल की जीत हो। वह यह समझ सकते थे कि आपका दल सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न कर ही चुनाव जीत सकता है न कि विकास के किसी मुद्दे को लेकर।

गुजरात में श्री मोदी के शासन काल में क्या हुआ ? प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं में 26 हजार लोग मारे गए। प्राकृतिक आपदाओं को आप छोड़ दीजिए। वे समुचित कदम उठाकर कई लोगों को बचा सकते थे। स्वयं आपकी सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में उनके जीवन को बचाने के लिए कदम नहीं उठाए। अभी आपने एक पैकेज की बात कही है एक हजार लोगों के मारे जाने के बाद, प्रधान मंत्री ने 150 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की किन्तु कई माह बीत जाने के बाद भी आपने गोधरा कांड में मारे गए 17-18 लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया। इसे भूल जाईए। आपने मात्र 80 करोड़ रुपये ही खर्च किए। गुजरात सरकार के पास अभी भी काफी धन बचा हुआ है। गुजरात सरकार वह धन खर्च क्यों नहीं कर रही है ? दरअसल, गुजरात सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों के दौरान कोई न कोई आपदा झेली ही है और उसने केन्द्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आपने 28,000 करोड़ रुपये की मांग की किन्तु गुजरात को केवल 2,600 करोड़ रुपये ही दिए गए। आपने 1998 में भूख से हुई मौतों के बारे में क्या किया ? सौराष्ट्र के खेदब्रह्म क्षेत्र में पंद्रह लोग भूख से मारे गए। जब प्पल्ला, भावनगर और अन्य क्षेत्रों में जल कोलेकर दंगें हुए तब सरकार ने कौन से कदम उठाए ? मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैं जो भी आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं वे सब सरकारी आंकड़े हैं। मैंने अभी "भाजपा के साढ़े चार वर्ष (गुजरात में कुशासन)" पर अपना प्रारूप समाप्त किया। मैंने नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, स्वयं आपकी सरकार को आंकड़ों और घोषणाओं को ध्यान में रखा है। आपने 1,863 घोषणाएं की। मौजूदा मुख्य मंत्री ने 413 घोषणाएं की जिनमें से 48 प्रतिशत घोषणाओं पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गई है। जो की घोषणाएं पूरी की गई वे भी आधे अधूरे मन से की गई हैं और यह केवल 15-17 प्रतिशत ही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इस प्रकार, गुजरात सरकार द्वारा की गई अधिकांश घोषणाएं केवल घोषणाएं बनकर ही रह गईं और गुजरात सरकार घोषणाओं की सरकार बनकर रह गई। गुजरात सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान जनता के लिए घोषणाएं करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया।

औद्योगिक मोर्चे पर क्या हुआ ? इस सरकार के शासन काल में लगभग 44,000 कारखाने बंद हो गए हैं। करीब 10,44,000 लोग बेरोजगार हो गए। मैं आपको वे ये आंकड़े दे रहा हूं और आप इन्हें जांच सकते हैं। ये आंकड़े अफवाहों पर आधारित नहीं हैं। ये आंकड़े गुजरात सरकार के रिकार्ड से लिए गए हैं। इस अवधि के दौरान राज्य में बेरोजगारी 30 प्रतिशत बढ़ गई। गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री ने जनता से प्रतिवर्ष एक लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। यह वायदा किया गया था कि दो-तीन वर्षों के भीतर गुजरात के लोगों के माथे पर लगे बेरोजगारी के धब्बे को मिटा दिया जाएग। सरकार ने एक लाख नौकरियां देने का वायदा किया था। इसकी उपलब्धि क्या है ? राज्य में इस सरकार के साढ़े चार वर्ष के शासन काल के दौरान मात्र 25,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

जल समस्या का क्या हुआ ? सरकार ने कहा था कि जल उपलब्ध है किन्तु सच तो यह है कि राज्य के एक तिहाई गांवों को प्रतिदिन केवल दस लीटर जल ही उपलब्ध हो पाता है। किन्तु जल को अधिकाधिक 14 लीटर तक उपलब्ध कराया जा सकता है। आवश्यकतानुसार जल को उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया ? इस सरकार ने एक और असत्य को मुखरित किया। अब उन्होंने कहा है कि नर्मदा से साबरमती में जल छोड़ा गया है। पिछले वर्ष क्या हुआ ? दरअसल, सरकार ने माही नदी के जल को पंप द्वारा नहरों की मदद से विभिन्न भागों तक पहुंचाकर यह घोषणा कर दी कि यह जल नर्मदा का है। सरकारी तौर पर यह कहा गया था और सरकार ने यह प्रचार

(व्यवधान) मैं सहमत नहीं हूं। *(व्यवधान)* यह सरकारी रिकॉर्ड से लिए गए आंकड़ें हैं और मैं केवल तथ्य सदन के सम्मुख रख रहा हूं।

महोदय, विद्युत उत्पादन का क्या हुआ ? सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में 10,000 मे०वा० बिजली के उत्पादन का वायदा किया था किन्तु क्या उन्होंने अपने इस साढ़े चार साल के शासन काल के दौरान एक मेघावाट बिजली का भी उत्पादन किया ? गुजरात में गांवों को प्रतिदिन केवल साढ़े चार घण्टे ही बिजली प्राप्त हो जाती है। गुजरात में सरकार का यह रिकॉर्ड रहा है।

महोदय, इस शासन के दौरान राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है ? इन साढ़े चार वर्षों में राज्य पर 47,000 करोड़ रुपये का ऋण है। सरकार को कुल ऋण पर 5,000 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में देना है जिस पर 18 प्रतिशत राजस्व लग जाएगा। इस ऋण को चुकाने के लिए हमें 22 बार ओवर ड्राफ्ट लेना पड़ेगा। हमें न केवल बाहर के बल्कि खुले बाजार से भी उधार लेना पड़ेगा। सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे पा रही है। मैं जानता हूं कि यह सत्य पचाना उनके लिए बहुत कठिन है। गुजरात सरकार को आरक्षित पद भरे जाने के उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित करीब 28,000 पद रिक्त पड़े हैं। विद्यालयों के लिए करीब 46,000 कमरों का निर्माण किया जाना है। यह अभी तक नहीं किया गया है। अध्यापकों के पद भी खाली पड़े हैं।

सरकार आदिवासी और वन क्षेत्र की बात करती है। इन आदिवासियों की भूमि को अधिगृहित कर लिया गया था जिस पर वे 19890 से पहले से खेती करते आ रहे थे और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा दायर याचिका के कारण पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। सरकार दलितों के हित की बात करती है। गुजरात में इस सरकार के साढ़े चार वर्षों के शासन काल के दौरान 6,000 से अधिक दलितों की हत्या कर दी गई है। मैं आपको, गुजरात में पिछले साढ़े चार वर्षों में भाजपा सरकार के कुशासन के दौरान हुई घटनाओं

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

के आंकड़े दे रहा हूं। दलितों के खिलाफ अपराधों को देखते हुए राज्य का देश में चौथा स्थान है और आदिवासियों के विरुद्ध अपराधो में इसका स्थान सातवां है। यदि आप राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि इस सरकार के साढ़े चार वर्षों के शासन काल के दौरान राज्य में क्या क्या हुआ।

अब मैं भ्रष्टाचार पर आता हूं। सर्तकता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में भ्रष्टाचार की दर बढ़कर 45 प्रतिशत हो चुकी है। एक मामले में, सी०ए०जी० की रिपोर्ट में बताया गया कि घटिया किस्म के तिरपाल खरीदे गए। यह सरकार जापान से प्राप्त विदेशी सहायता के संबंध में उन्हें उचित खाते भी प्रस्तुत नहीं कर सकी। उन्होंने इस संबंध में भी खाते प्रस्तुत नहीं किए कि सहायता का वितरण किस प्रकार किया गया। मैं उनको केवल तथ्यों का स्मरण करा रहा हूं।

महोदय, आप किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए हम विकास के मुद्दों पर उनसे बहस करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने नौ किलो चावल 2 रुपये प्रति किलो की दर से वितरित करने की घोषणा की थी। अब इस मात्रा को घटाकर न केवल सात किलो ही कर दिया गया है बल्कि इसका आदिवासी क्षेत्रों में वितरण भी नहीं किया गया है।

आप आदिवासियों की बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपने आदिवासियों के लिए घोषणा-पत्र निकाला। आदिवासी क्षेत्रों में 20 वर्षों तक काम करने के बाद, उस समय मैंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए। इस क्षेत्र के साथ क्या हो रहा है ? आपने भूमि का वितरण भी नहीं किया। कांग्रेस के शासन के दौरान, गुजरात सरकार ने आदिवासियों को 50 हजार हैक्टेयर वन भूमि प्रदान की। आपने 32 हजार लोगों को भी भूमि वितरित नहीं की। 30 हजार हैक्टेयर भूमि की उन्हें वितरित नहीं की गई। आदिवासी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पलापन कर रहे हैं क्योंकि आपने उन क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न नहीं किया है।

गुजरात सरकार ने सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को यह सोचकर सूखा-ग्रस्त घोषित नहीं किया कि इससे उनके जल्द चुनाव कराने के अवसरों में बाधा पहुंचेगी। यदि आप आज दिए गए उत्तर को पढ़े तो आप पाएंगें कि गुजरात सरकार ने भारत सरकार से एक नये पैसे की मांग नहीं की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें भय था कि यदि वे गुजरात में सूखा घोषित करेंगें तो वे चुनाव नहीं करा पाएंगें। इसके परिणामस्वरूप, आदिवासी क्षेत्रों में सूखा राहत कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया *(व्यवधान)* मैं जानता हूं, कि यह सब सुनना बहुत कठिन हैं। यदि आप उतने विश्वास हैं तो आपने गुजरात में विकास के मुद्दों को क्यों नहीं उठाया ? आप नफरत और सांप्रदायिक हिंसा ही क्यों फैलाने में लगे रहे ? आपके मुख्य मंत्री ने आज तक अल्पसंख्याकों के एक भी शिविर का दौरा क्यों नहीं किया ? आपके किसी भी विधायक ने उन शिविरों का दौरा क्यों नहीं किया ? संसद में व्यक्त भावना के अनुसार आप जाकर उनसे क्यों नहीं मिलते और मातृभाव के संदेश को क्यों नहीं फैलाते ? आप इनमें से कुछ भी क्यों नहीं करते ? इसीलिए गौरव यात्रा का विरोध किया गया है। आपने गुजरात के उन लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जो स्थिति को शांत बना रहे हैं। गुजरात के लोग शांति चाहते हैं। आप ही नफरत को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि आप उन लोगों को अपने साथ लाकर सत्ता में आना चाहते हैं। उनमें से वहां कोई जा नहीं सका है क्योंकि वे जानते हैं कि वहां उनका स्वागत नहीं होगा। यह स्थिति है। इसलिए गुजरात के मुख्य मंत्री उन क्षेत्रों में जाने के इच्छुक नहीं हैं। क्या आपने यह पाया है कि उन्होंने नर्मदा से पेयजल की आपूर्ति करने के अलावा किसी भी अन्य विकास मुद्दे का समाधान किया है ? नर्मदा जल आप नहीं लाए। जैसा कि कोई कह रहा था कि बांध की ऊंचाई आपने केवल आठ मीटर बढ़ाई थी। दरअसल यह कार्य कांग्रेस ने किया था। पिछले चार सालों के दौरान इस परियोजना में देरी हुई क्योंकि आपकी सरकार, सरदार सरोवर बांध के कारण उजड़े लोगों का पुर्नवास नहीं कर सकी। *(व्यवधान)* ईश्वर के लिए रूक जाईए। थोड़ी देर रूकिए।

सभापति महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं यही करना चाह रहा हूं।

आप प्रभावित लोगों के घर जाइए। गुजरात राज्य के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक वहां के लोगों ने ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। इसके परिणामस्वरूप, आगामी चुनावों में जनता, इन लोगों को अस्वीकृत कर देगी। इनका कोई भी प्रयास इन्हें आगामी चुनावों में जीता नहीं सकता।

हमारे दल द्वारा सभापटल पर रखे गए प्रस्ताव का मैं समर्थन कर, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर सदन में चर्चा चल रही है, वह विषय कई बार इस सदन में दोहराया जा चुका है। पक्ष और प्रतिपक्ष में अपनी-अपनी बातें कहीं हैं, लेकिन नतीजा आज तक कुछ भी नहीं निकला है। गुजरात राज्य इन दिनों लगता है कि भंवर में फंसा हुआ है। वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि पिछले दो-तीन वर्ष पहले वहां तूफान आया, फिर भूकम्प आया और उसके बाद वहां साम्प्रदायिक दंगे हुए। तूफान का आना, भूकम्प का आना मैं मान सकता हूं कि वह प्राकृतिक या दैवी शक्तियों के कारण हो सकता है, लेकिन साम्प्रदायिक दंगे मानव निर्मित हैं।

स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि लोगों की भावनाएं भड़काकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए या सत्ता हथियाने के लिए ऐसे कदम उठाकर कि जिनसे लोगों का आकर्षण अपनी तरफ बढ़े, ऐसी बातें करके जो गुजरात में घटा है, किसी भी कट्टरपंथी को या धार्मिक उन्माद में

मस्त आदमी को इस बात की कोई परवाह नहीं कि प्रदेश प्रगति के पथ पर नहीं जाएगा, देश की छवि न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में बिगड़ेगी। उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है और वोट बटोरने होते हैं।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा कि चुनाव लड़े जाने चाहिए और मुद्दों के आधार पर वोट मांगे जाने चाहिए। समाज की समस्याओं का समाधान हो, उसके आधार पर चुनाव लड़े जाने चाहिए। देश या प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ेगा, वह संकल्प लेकर चुनाव में जाना चाहिए और वोट मांगे जाने चाहिए लेकिन आज की परिस्थिति भिन्न है। गत कई वर्षों से इस देश में जात-पांत की राजनीति को आधार बनाकर चुनाव लड़े जाते हैं, राजनीति की जाती है लेकिन जब यह महसूस किया गया कि जात-पांत की राजनीति अब काम नहीं आ रही है तो जात-पांत की राजनीति के शस्त्र को धर्म की राजनीति के ब्रह्मास्त्र में बदलकर अपनाया गया और इसे चुनावी मुद्दा बनाकर कभी मुसलमानों की भावनाओं को तरजीह देकर और कभी हिन्दुत्व का नारा देकर जो आज राजनीति का कुचक्र चल रहा है, मैं समझता हूं कि गुजरात उसी का शिकार है। गुजरात में आज भी लोग प्रेम, प्यार और भाईचारे से रहना चाहते हैं। गुजरात के लोग चाहते हैं कि न केवल गुजरात हिन्दुस्तान में बल्कि विश्व में ख्याति प्राप्त करे। लेकिन जो राजनीतिक कुचक्र चल रहा है, उसका शिकार होकर वहां भूकंप के बाद लोगों के सिर पर मकान नहीं थे, सरपरस्ती नहीं थी, रोटी के लिए रोजी नहीं थी, विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो शिक्षा का तंत्र है, वह अव्यवस्थित था, ऐसे माहौल में यह चाहिए था कि वहां मजबूत हाथों में प्रशासन हो और वह मजबूती से इन विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो काम होना चाहिए था, विकास की विफलता ने, राहत कार्यों की असफलता ने जो बदलाव किया, सोचकर तो यह किया गया था कि बदली हुई परिस्थितियों में बदलाव राहत को गति प्रदान करेगा, प्रदेश को विकास देगा। लेकिन जो नये चेहरों से आशा थी, वे चेहरे उसे नहीं कर पाये। पुरानी विफलताओं और अकर्मण्यता को काबू में न करके, प्रदेश के विकास को आगे न बढ़ाकर उन्होंने राजनीति में बने रहने के लिए नयी चालें चलनी शुरू कर दीं। हमने उधर के बोलने वाले माननीय सदस्यों को भी सुना है और यहां के बोलने वाले माननीय सदस्यों को भी सुना है। हमें अक्सर चौधरी देवी लाल जी ने सिखाया है कि मौके पर सही और हक की बात कहनी चाहिए। आज हम भी उस हक की बात को कहेंगे कि गुजरात राजनीति के कुचक्र के भंवर में फंसा है, उसे हमें निकालना है। हमें उसे तभी निकाल सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। हमें अपनी राजनीति के स्वार्थ से ऊपर उठना है। हमें यह नहीं देखना कि यह हथियार चाहे वह जात-पात का हो या धर्म का हो, उसे हम इस्तेमाल करके वोट प्राप्त करें। हमें यह देखना है कि वाकई वहां के लोगों की क्या भावना है। तभी वहां के लोगों के दुख-दर्द पर मरहम लगाया जा सकता है। जिस त्रासदी से वे गुजरे हैं, जिस नरसंहार से वे गुजरे हैं, उस नरसंहार को भुलाकर उनको कैसे अपना बनाया जा सकता है। जो छवि हमारे देश की धूमिल हुई है चाहे वह देश में हुई है या विदेश में हुई है, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि माननीय प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी से जब विदेशों की धरती पर यह सवाल किया गया तो इस मुद्दे पर उन्हें भी अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ा। उनके पास भी इसके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था।

मान्यवर, 50 वर्षों में देश ने किस पार्टी के शासन में, किस प्रदेश ने किस पार्टी के शासन में प्रगति की, यह हम सभी जानते हैं। यह हमसे छिपा हुआ नहीं है। गुजरात की घटनाओं पर आयें तो न केवल इस देश के बल्कि दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय लोग जब इसके बारे में हमसे पूछते हैं कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है तो हम जवाब नहीं दे पाते। जो कलंक हमारे माथे पर है, उसको हम धो नहीं पाते। जिन घटनाओं को देश और विदेशों में गलत ठहराया जा रहा है और जिसने हमारे देश की प्रतिष्ठा को कम किया है, हैरानी की बात है कि उन्हीं को हम लोग अपने स्वार्थ के लिए कई बार न्यायोचित ठहराते हैं। जिस नेतृत्व की सरकार में गुजरात में यह साम्प्रदायिक घटनायें घटी हैं, 50 साल के इतिहास के मुख्यमंत्रियों में उन्हें ही सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है। उन्हें ही सबसे ज्यादा युग पुरूष कहा जाता है और सबसे ज्यादा अग्रणी नेता कहकर चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। जबकि होना यह चाहिए था कि चाहे वह किसी भी दल का नेता हो, अगर उससे गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए था और उस गलती को स्वीकार करते हुए उसमें सुधार किया जाना चाहिए था। पुनर्वास की जो कमियां वहां रही हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए था।

मान्यवर, देश के बड़े बड़े नेताओं ने यह बात खुलेआम कही कि गुजरात में संविधान को अपनाने की और मानने की बात है। बड़े-बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जब खुलेआम कहा कि वहां के नेता निर्वाचन आयोग के संवैधानिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो यह हम सबके लिए शर्म की बात है। आज हमारे देश के स्वरूप को कट्टरपंथी लोग बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में प्रशासन ने बड़ी ढिलाई बरती है, प्रशासन मूकदर्शक बन कर देखता रहा। इस बात की झलक मिलती है कि प्रशासन और शासन में शायद मिलीभगत न हो और यह खेल मिल कर न खेला जा रहा हो। हमें इन बातों से सजग रहना है कि किसी प्रदेश में प्रशासन और शासन मिल कर कहीं समाज के अहित की बात न कर रहे हों। जो लोग समाज में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात धीरे-धीरे रख रहे हैं। आपको जल्दी करनी चाहिए। हालांकि यहां व्यवधान भी उत्पन्न नहीं हो रहे हैं किन्तु फिर भी आप धीरे-धीरे बोल रहे हैं। जब व्यवधान नहीं है तो आप जल्दी-जल्दी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : कुछ लोग समाज के स्वरूप को बिगाड़ने पर उतर आए हैं और प्रशासन मूकदर्शक बन कर देख रहा है। कट्टरपंथी खासकर गुजरात में बहुतक खुलकर घोषणा करते हैं। पिछले दिनों की बात ले लीजिए। कोई उसे गौरव यात्रा कहता है, कोई कुछ और यात्रा का नाम लेता है लेकिन उससे एक बात साफ पता लगती है कि समाज के कुछ लोग भावनाएं भड़काते हैं जिससे तनाव पैदा होता है। प्रधान मंत्री जी ने भी यह महसूस किया और कहा कि राष्ट्रीय धर्म निभाने की बात है। राष्ट्रीय धर्म निभाने की बात है लेकिन फिर भी कट्टरपंथी लोग बहुत खुल कर घोषणा कर रहे थे कि हमारे दिल में जो है, वह हम करेंगे। यह बहुत अफसोस की बात है। ऐसी अफसोसनाक बातें इस देश के हर प्रदेश के कोने में न हों, ऐसी मैं सरकार और सारे सदन से गुजारिश करूंगा। चाहे किसी भी प्रदेश में ऐसा हो, हम सब मिल कर ऐसे हालात पर काबू पाएं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको पांच मिनट का समय दिया गया था किन्तु आप पहले ही 18 मिनट ले चुके हैं।

[हिन्दी]

डॉ० सुशील कुमार इन्दौरा : आखिर में यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमें महाभारत के इतिहास को याद रखना चाहिए कि हम कहीं भीष्म पितामह की तरह अपने देश को बर्बाद होते न देखें। इसलिए हम मिल कर अपनी ताकत झोंक दें ताकि लोगों में भाईचारा बढ़ा सकें।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का सगय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बार-बार यह साबित करने की कोशिश की कि गुजरात में अमन-चैन है, शान्ति है।

लेकिन माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि जिस विषय पर बहस चल रही है, इस विषय पर चर्चा इसके पहले भी हुई है, एक बार नहीं, बल्कि बहुत बार हो चुकी है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज फिर उसी बहस में मुझे हिस्सा लेना पड़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गुजरात जैसे प्रदेश में, जो सरदार पटेल का प्रदेश कहा जाता है, जिसे हम महात्मा गांधी जी का प्रदेश कहते हैं और जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व हमारे उप-प्रधान मंत्री, गृह मंत्री माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी करते हैं। ऐसे प्रदेश में अगर शान्ति बनी रहती तो आज इस बहस की आवश्यकता थी, ऐसा मुझे नहीं लगता।

इसका मतलब है कि आप भी वहां की स्थिति सामान्य नहीं मानते और इसीलिए हम आज सदन में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के लोकतंत्र पर किसी तरह का कलंक न लगे। लेकिन जिस तरह की घटनाएं गुजरात में हुई हैं, उन घटनाओं के कारण सिर्फ गुजरात प्रदेश ही कलंकित नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश कलंकित हुआ है। लोकतंत्र पर खतरा आने वाला है, ऐसा मुझे एहसास होने लगा है। यह शुभ संकेत नहीं है, यह अशुभ संकेत सिर्फ एक प्रदेश के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए यह अशुभ संकेत के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि आइये, हम सब मिलकर पूरे देश में साम्प्रदायिक सद्भावना की वाणी को फिर से आगे बढ़ायें।

आज गुजरात में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इस तरह की घटनाओं की निन्दा करने के बजाय आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, वहां की प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, उन्हें शाबासी देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, केन्द्र में जो सरकार है, इस सरकार के मंत्रिमंडल के सीनियर सदस्यों ने भी यह बात कही है कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह के दंगे तो होते ही रहते हैं। यह तो हमारे देश में आम बात है। यह कैसी अशुभ बात है, कैसी चिन्ता की बात है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि यह हमारे देश के लिए एक कलंक है। अगर हम देश के बाहर जाते हैं तो किस तरह से अपना मुख दिखाएंगे। मुझे तो अखबारों में पढ़ने से लगता है कि प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि वहां के प्रदेश के मुखिया को, मुख्य मंत्री को हटाने की बात हुई थी, लेकिन किसी अशुभ शक्ति का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, इसीलिए उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सका। यह भी हमारे देश के लिए कम खतरे की बात नहीं है। इस तरह से अगर हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रदेश के मुखिया का व्यवहार रहेगा, वे अगर अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश और भी कलंकित हो जायेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की साम्प्रदायिक जो हत्याएं हुई हैं और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किये गये हैं, जिस तरह से वहां के गरीब लोगों को, अज्पसंख्यक लोगों को मौत के घाट उतारा गया, इसकी चर्चा भविष्य में बार-बार न हो, ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए हम लोगों को संकल्प करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। हमारे देश में विकास की बातें होनी चाहिए। इस सभा में विकास की बातें होती हैं। हमारे देश के गरीब लोगों को रहने को घर चाहिए। हमारी आम जनता को, किसान, मजदूर को, खेत में काम करने वाले किसानों को, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए, उन्हें रहने को अच्छे घर मिलने चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलनी चाहिए।

अपराह्न 5.30 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

लेकिन इन विकास के कामों को छोड़कर हम लोग जिस तरह की वाणी गौरव यात्रा के माध्यम से बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वह सही नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है कि किस बात के लिए गौरव

और गौरव यात्रा। क्या गौरव यात्रा के माध्यम से उन्होंने उन्नति की बात कहने की कोशिश की है ? क्या गौरव यात्रा इसलिए करेंगे कि गुजरात मे हत्याएं हुई हैं ? क्या गौरव या.ा इसलिए होनी चाहिए कि गुजरात के लोगों को जिंदा जला दिया गया ? क्या गौरव यात्रा इसलिए होनी चाहिए कि वहां के अल्पसंख्यकों को घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, शिविरों में रहना पड़ा ? यह कैसी गौरव यात्रा और कैसे समय का चयन! मैं इसकी निंदा करता हूं। संवैधानिक संस्था पर आक्रमण किये जाने का काम किया जा रहा है। यह व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्था के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर आक्रमण हुआ है। वहां लिंग्दोह साहब ही नहीं हैं, चुनाव आयोग में दो और सदस्य भी हैं। इसलिए बड़े खेद की बात है कि चुनकर एक आयुक्त पर आक्रमण किया जा रहा है। यह भी कोई शुभ संकेत नहीं है, बल्कि अशुभ संकेत हमारे समाने दिखाई दे रहा है। ऐसे कारनामों से हमें अलग हटना चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा।

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पाद और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में कहते हैं, 'एनीथिंग इन एक्सेस इज डेन्जरस' अति सर्वत्र वर्जयते। हर चीज की जब अति हो जाती है तो वह विनाश की ओर ले जाती है। मैं दोपहर को आया। मुझे लगता था कि आज जिस तरह से समाचार पत्रों में, प्रचार-प्रसार के माध्यमों में, आपके सुझाव से आदरणीय प्रति पक्ष की नेता एवम् हमारी पार्टियों के नेताओं की तरफ से यह तय हुआ था कि सदन ठीक ढंग से चलेगा। अलग विषयों पर चर्चा होगी। मगर फिर वही बात। उस वक्त भी, जब मैंने 11 मार्च को पहली बार चर्चा में भाग लिया था, मुझे तब कहा गया था कि आपको बोलना है तो मैंने कहा कि क्या बोलूंगा। बार-बार क्यों इस मुद्दे को लेकर हम सदन में चर्चा करके इसका समाधान निकालने के बजाय इसको और जटिल बनाए रखना चाहते हैं। हम पर आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जीवित रखना चाहती है। आज क्या हो रहा है। यह विंटर सैशन का आज पहला दिन है। मुझे लगता था कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। मैं अभी राजस्थान गया था। राजस्थान में लोग भूख से मर रहे हैं। दीपावली के दूसरे दिन मैं वहां गया था। इसलिए मैंने कहा था कि इस चर्चा को मत छेड़ो। *(व्यवधान)* आप आग से खेल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हाउस में शांति बनाए रखें।

श्री हरिन पाठक : आइए देखते हैं कि चुनाव में क्या होता है। *(व्यवधान)* मैं दीपावली के दूसरे दिन राजस्थान गया था।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे स्थिति को सही करना पड़ेगा। जब आपके समक्ष स्थगन प्रस्ताव लाया गया तो आपने जानना चाहा था कि क्या सभा में इस पर कोई आपत्ति है। सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमने चर्चा थोपी है।

श्री हरिन पाठक : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं सभा को सिर्फ याद दिला रहा हूं। मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप बार-बार यात्रा निकालेंगे, दंगा करोगे, *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं तो सदन में क्यों उठाते हैं ? आपकी इच्छा के अनुसार अब चुनाव 12 दिसम्बर को घोषित हो गया है। जो कुछ बात करनी है, चुनाव के मैदान में करो। लोगों से क्यों डरते हो ? वहां कहने की हिम्मत नहीं है। अब आपको पता चल गया है कि वहां कया परिणाम आने वाला है। ''इंडिया टुडे'' का परिणाम आ गया है। 125 से भी ज्यादा सीटें लेकर भाजपा वहां जीतने वाली है। *(व्यवधान)* अब आप संसद को हथियार बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें छेड़ो। आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छेड़ेंगे। *(व्यवधान)* मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन विषय आपने ऐसा रखा है। *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जम्मू-कश्मीर में क्या हुआ ? *(व्यवधान)* आप बहुत बोलते थे।

श्री हरिन पाठक : सच्चाई बहुत कड़वी होती है। मैं पहले भी कहता था कि कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए जिससे गुजरात में शांति हो। लेकिन जब आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ता है। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं इस शीतकालीन अधिवेशन में हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज से हमारे यहां नामांकन पत्र भरना शुरू हो जाएगा। जो मिस्त्री जी कहते हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूं, वह अलग बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां जाकर कोई नई बात करिए। एक ही बात को बार-बार दोहराया जाता है। आपको अपील करनी चाहिए थी, 30 तारीख की रात को भी मैंने यही कहा था। मधुसूदन जी मेरे मित्र हैं। वह कह रहे थे कि 1995 के बाद इस तरह की यह घटना हुई। मैंने 11 मार्च के अपने भाषण की शुरूआत में ही कहा था और मैं आज भी कहता हूं तथा मैं किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। अभी 12 दिसम्बर को फैसला हो जाएगा। अभी 24 दिन बाकी हैं। सब पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : यह बात आपने सही कही कि 12 तारीख को सब पता चल जाएगा। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : आप शंकर सिंह जी के साथ मत चलिए। आपकी इतनी अच्छी पार्टी है और कम से कम उनके कहने के इशारे

[श्री हरिन पाठक]

यहां पर कामकाज मत करिए। तीस साल वह हमारे साथ में रहे हैं और तीस साल रहने के बाद हमसे इतना विश्वासघात किया है। अब तीस महीने में आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा, वह बाद में आप देखिएगा। इसीलिए मैं तो आपको आगाह करना चाहता हूं कि उनके कहने के अनुसार गुजरात में राजनीति मत शुरू करिए। वह आपको वहां ले डूबेंगे। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सकारात्मक सोच वाला कोई व्यक्ति वहां बहुत दिन नहीं रह सकता। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : वह हमारे साथ तीस साल रहे हैं। अभी तीस महीने में आप भी देख लीजिएगा और चुनाव के बाद आपको भी पता चल जाएगा। हम पर आरोप लगाया गया था कि हमने साम्प्रदायिक दंगे करवाए हैं। महोदय, मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह गिनाने की चीज नहीं है कि किस साल में क्या हुआ ?

जब श्री मधुसूदन मिस्त्री जी ने कहा कि पांच साल में इतने दंगे हुए, तो मुझे भी हकीकत सदन में रखनी चाहिए। मेरे पास एक सर्वे हैं – 'पॉलीटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म – हिन्दू-मुस्लिम रायट्स : अ सर्वे वाई मिस जानेब बानू, अपेन्डिक्स-II, पेज न० 174-193, हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ सम मेज़र कम्यूनल रायट्स' श्री मधुसूदन जी बोलकर चले गए हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उनके विचारों से सहमत नहीं हूं। दंगों की शुरूआत अहमदाबाद में 1713 ई० में हुई थी। तब से लेकर आजादी तक करीब 120 बार दंगे हुए। आप यह कहेंगे कि 1995 के बाद जो दंगे हुए, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। 1713 ई० में जब दंगे हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी थी ? 1719 ई० से 1720 ई० कश्मीर में जब दंगे हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी थी ? उसके बाद सितम्बर, 1927 में अहमदाबाद में जब दंगे हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी शासन में थी ? इसी प्रकार 1929 में बम्बई में और 1930 में बनारस में हुए *(व्यवधान)* हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 350 बार दंगे देश में हुए और आजादी के बाद 120 बार दंगे हुए तथा गुजरात में गुजरात की स्थापना के बाद कुल सात बड़े दंगे हुए, जिनमें से 6 दंगे कांग्रेस के शासन में हुए थे। उन दंगों के कारण मैं दे चुका हूं, मैं उनको अब दोहराना नहीं चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : आर०एस०एस० के कारण दंगे हुए।

श्री हरिन पाठक : उस समय गुजरात में आर०एस०एस० नहीं थी। 11 तारीख को जो मैंने भाषण दिया था, *(व्यवधान)* आप हम पर आरोप लगायेंगे, एक उंगली उठायेंगे, तो तीन उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। आप् हम पर दबाव डालते हैं कि क्या बोलना चाहिए, कया नहीं बोलना चाहिए। 1984 के बाद, जब दिल्ली में हत्याकांड हो गया, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उस हत्या की हर प्रकार से निन्दा करनी चाहिए, लेकिन उस हत्या के बाद चुनाव कराए गए *(व्यवधान)* चुनावों में बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए गए और एक सिक्ख को दिखाया गया, एक स्त्री पर छुरे से हमला करते हुए। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : एल०जी० को बदला गया। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : चेज करके उसका उपयोग किया गया और 405 सीट्स लेकर कांग्रेस आई थी। हम ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि 11 अगस्त, 2002 को "द वीक" पत्रिका के श्री गंगाधरन लेखक ने लिखा है, मैं उसका एक पैरा कोट करना चाहता हूं –

[अनुवाद]

"जो बातें हिन्दुओं और सिखों पर लागू होती हैं, वे मुसलमानों पर लागू नहीं होतीं। हम उन पर हो रहे अत्याचारों को आसानी से भूल सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता से लेकर आज तक हुए साम्प्रदायिक दंगों में सबसे भीषण दंगे 1986 के दंगे नहीं थे बल्कि 1969 में अहमदाबाद और गुजरात में हुए दंगे थे।"

[हिन्दी]

उस समय हमारी सरकार नहीं थी। हमारी पार्टी नहीं थी, पंचायत हमारी नहीं थी। बजरंग दल नहीं था, विश्व हिन्दू परिषद् नहीं था। *(व्यवधान)* आफिशियल रिपोर्ट है, 1969 में हितेन्द्र देसाई की सरकार थी। गुजरात की पंचायतों में कांग्रेस का कब्जा था। अहमदाबाद कार्पोरेशन में कांग्रेस थी, म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस के लोग थे।

[अनुवाद]

सरकारी आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या 5,000 के करीब बतायी गयी थी।

"फायर की घटना दो अथवा तीन बार हुई थी।" *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : मोदी वाला रूप किस ने अपनाया था ? *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : इसके आगे हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखते हैं :–

[अनुवाद]

"अहमदाबाद के दंगों को याद करें। लोग सदियों पुराने मुगल आक्रमण अथवा 1984 के सिक्ख विरोधी दंगों को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हम 1969 के अहमदाबाद के नरसंहार को कैसे भूल सकते हैं। एक खास मामले में, करीब 120 मुस्लिमों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया और दंगाई भीड़ द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी।"

[हिन्दी]

मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता, मैंने पहले भी कहा।

श्री बसुदेव आचार्य : वह आर०एस०एस० का था।

श्री हरिन पाठक : वहां आर०एस०एस० कहां था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमारे गुरू और शिष्य कहते थे कि जब तक हिन्दू राष्ट्र की सीमा पर हम लोग नहीं पहुंचेगे तो देश के हिस्से होते रहेंगे।

[अनुवाद]

यह आर०एस०एस० के क्रियाकलापों के बारे में गुरू गोलवालकर का प्रवचन था :

''जब तक यह देश हिन्दू राष्ट्र नहीं बन जाता तब तक ऐसी चीजें जारी रहेंगी।''

और आपकी मंशा यही है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं इतना मान सकता हूं, जो सच्चाई है कि शंकर सिंह जी आर०एस०एस० के हैं। *(व्यवधान)* कांग्रेस के बहुत से नेता आर०एस०एस० के थे। *(व्यवधान)* मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाहता था, मगर मधुसूदन भाई ने इस बात को छोड़ने की कोशिश की। आप बार-बार इस सदन में क्यों चर्चा करते हैं। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। आज मुझे आक्रोष के साथ कहना है, उस समय मेरे में इतना आक्रोष नहीं था, करूणा थी। मैं चाहता था कि हम सब मिल कर कोई प्रस्ताव पारित करें और गुजरात में शांति स्थापित हो। गुजरात में शांति हो गई। मेरे पूर्वक्ता कठेरिया जी ने इस बात का जिक्र किया, नवरात्रि के त्यौहार मनाए गए। पहले कहा गया कि दस बजे के बाद नवरात्रि नहीं मनाई जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय ने तय किया। रात को चार-चार, छः-छः बजे तक पूरे अहमदाबाद, गुजरात में लड़कियां नाच-गाने के साथ नवरात्रि का त्यौहार मनाती रहीं। छेड़खानी की एक भी घटना किसी के साथ नहीं हुई, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। रायट्स के दरम्यान दीवाली मनाई गई। मुझे आशंका होती है जब बार-बार इस मुद्दे को सदन में लाया जाता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। *(व्यवधान)* आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। *(व्यवधान)* उस समय अखबार में आया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : क्या आप कृपया एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति देंगे ?

श्री हरिन पाठक : अनुमति मैं क्यों दूं ?

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं इसके लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

श्री हरिन पाठक : नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाद में बोल सकते हैं। आप पिछले सात महीनों से गुजरात की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हम आहत हैं। आप गुजरातियों के बारे में क्या सोचते हैं ? *(व्यवधान)* आप यह स्थापित करना चाहते हैं कि हम हत्यारे हैं। हर समय आप यही सोचते हैं कि गुजरातवासी हत्यारे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, अगर कोई मुख्य मंत्री गालियां देता है, धमकाता है और हिन्दू एवं मुसलमानों के अंदर झगड़ा कराता है, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अनुमति नहीं दी है।

श्री शिवराज वि० पाटील : मुझे नहीं मालूम कि हम यहां किस प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं। *(व्यवधान)* मैं उन्हें अपशब्द नहीं कह रहा हूं। मैं उनसे अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं उनसे कह रहा हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को क्यों उठाया ? यदि वे जवाब दे सकते हैं तो उन्हें जवाब देने दें। *(व्यवधान)* आप अनेक बार यह पूछ चुके हैं कि आपने इस मुद्दे को क्यों उठाया। मैं आपको यह बता रहा हूं कि हमने यह मुद्दा क्यों उठाया।

श्री हरिन पाठक : आप अपनी बारी आने पर इसके बारे में बताएं। *(व्यवधान)* मैं सहमत नहीं हूं। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : आपके मुख्य मंत्री सबको गाली दे रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : नहीं, बिल्कुल नहीं। *(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि० पाटील : क्या हम इस मुद्दे को इस सभा में उठाने के हकदार नहीं है ?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इस सरकार के प्रधान मंत्री और इस सदन के नेता को उनकी सहयोगी विहिप और अन्य नेताओं द्वारा अपशब्द कहे गए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रोकने का आग्रह हमने नहीं किया *(व्यवधान)* किसी रिपोर्टर ने नहीं किया *(व्यवधान)* आपके प्रधान मंत्री ने किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक : इनकी मंशा ठीक नहीं है। हमें इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि पिछले 7 महीनों से आरोप हम सहते आ रहे हैं। हमारा आरोप किसी पार्टी पर नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री हरिन पाठक : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। *(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : प्रधान मंत्री को किसने सार्वजनिक रूप से अपमानित किया ? ऐसा कांग्रेस ने नहीं बल्कि विहिप ने किया। उन्हें उत्तर देने दें। *(व्यवधान)* महोदय यह सच है कि श्री मोदी ने श्री जे०एम० लिंग्दोह पर उनके धर्म को लेकर दोषारोपण किया। यह सच है कि विहिप ने प्रधान मंत्री तथा सम्पूर्ण धर्मनिरपेक्ष ताकतों को अपना दुश्मन बताते हुए उन पर दोषारोपण किया। यह सब क्या है ? क्या वे इन सभी बातों को नहीं जानते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसे दूरदर्शन पर दिखाया गया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक सभा को सम्बोधित कर रहे हैं, उन्हें बोलने दें।

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : वे 45 मिनट तक बोले हैं, हमने उनके बोलते समय बाधा नहीं डाली। जब कभी हम बोलते हैं वे हमेशा व्यवधान उत्पन्न करते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाठक, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, हम पर इतना बड़ा आरोप लगे, विदेशों में जाकर हम पर आरोप लगें, सदन में ऐसा माहौल बनाया जाए कि गुजरात के लोग इसमें इन्वोल्व हैं *(व्यवधान)* एक घटना का उल्लेख मैं सदन में करना चाहता हूं। मेरे मित्र अहसान जाफरी साहब लोक सभा के सदस्य थे। उनकी निर्मम हत्या हुई और सभी ने उसकी निंदा की। देश के एक बड़े अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसको लेकर यहां वहां उदाहरण दिये गये। उस आर्टिकल में यह लिखा था कि अहसान जाफरी की बेटी पर लोगों ने मिलकर बलात्कार किया। सब जगह इसकी चर्चा हुई। दुनिया भर में गुजरात की बेइज्जती हुई। चार-पांच दिन बाद उसकी बेटी ने लंदन से कहा कि मैं नहीं थी, मैं तो अहमदाबाद में रहती ही नहीं हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमने ऐसा कभी नहीं कहा। यह बात कार्यवाही-वृत्तांत में है। हम इस आरोप को चुनौती देते हैं। यदि वे यह तथ्य सामने ला देते हैं कि कांग्रेस के किसी संसद सदस्य ने ऐसा कहा है तो हम सदन से त्याग पत्र दे देंगे। *(व्यवधान)* हम कार्यवाही वृत्तांत की जांच करें। किसी कांग्रेस सदस्य ने ऐसा नहीं कहा है। उन्हें इसे प्रस्तुत करने दें। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : यह आरोप कांग्रेस की तरफ से किसी ने नहीं लगाया। ये इनकी मनगढ़ंत बात है। अहसान जाफरी जी की हत्या की बात हमने की है लेकिन उनकी बेटी के साथ बलात्कार की किसी भी कांग्रेसी ने बात नहीं की।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं पुनः यह मांग करता हूं कि कार्यवाही वृत्तांत की जाचं की जाए। यदि कांग्रेस के किसी संसद सदस्य ने यह बात कही है तो हम अभी क्षमा मांगेंगे तथा यदि ऐसा नहीं हुआ है तो उन्हें क्षमता मांगनी होगी। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। मैंने किसी कांग्रेसी का नाम नहीं लिया है। यह तो "चोर की दाढ़ी में तिनका" वाली कहावत हुई।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह बहुत गंभीर आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप उनसे पूछें कि किस दल के किस सदस्य ने यह कहा है। *(व्यवधान)* किसने कहा कि अहसान जाफरी की बेटी का बलात्कार हुआ था ? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके सूचनार्थ, माननीय मंत्री ने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है कि यह बात कांग्रेस पार्टी अथवा उसके किसी सदस्य द्वारा कही गयी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम कभी नहीं लिया। उन्होंने इसके बारे में सिर्फ उल्लेख किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : किस माननीय सदस्य ने यह बात कही है। *(व्यवधान)* वह मंत्रिपरिषद के एक सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है ? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : माननीय सदस्य ने कहा कि मीडिया में आर्टिकल छपा था जिस में इस प्रकार कहा गया। आप यह बात अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं ? *(व्यावधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, हम पर एलिगेशन लगाया गया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री हरिन पाठक से पूछ रहा हूं कि क्या वे सभा के किसी सदस्य का नाम लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दें।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, आप मेरे भाषण को देखिए। मैंने यह कहा कि मुझे यह बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि इस चर्चा के दरम्यान कई ऐसी घटनाएं देश में बनती हैं जो हुई नहीं थीं जिन का जिक्र बार-बार अखबारों में हुआ और इसे लेकर हमें बदनाम किया जाता है। मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वह मीडिया पर दोषारोपण करें, सदन पर नहीं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वह विशेषाधिकार भंग कर रहे हैं। वह सब कुछ किनारा करके विशेषाधिकार भंग कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक, आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना वक्तव्य समाप्त करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मै आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। पाठक जी, आप मेरी तरफ देखिए और भाषण करिए।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह मनगढ़ंत आरोप क्या लगा रहे हैं ? मेरी यह इच्छा और प्रार्थना है जैसा कि मैंने अपने 11 मार्च के वक्तव्य में और 30 अप्रैल की रात को 11 बज कर 40 मिनट पर कहा था कि इसको मुद्दा मत बनाइए। अब शांति और साम्प्रदायिक सौहार्द बना है। साम्प्रदायिक तनाव जिस से बढ़े, ऐसा कोई इशू हम यहां डिसकस करके बात न करें, यही मेरी प्रार्थना है लेकिन जब सुबह से हमारे ऊपर आरोप लगाए गए तब मुझे कुछ बातें कहनी पड़ीं।

अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुजरात में जो कुछ घटनाएं हुई, हमने पिछले सात महीनों में कई बार उनकी निन्दा की। हम सब मिल कर सोचें कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। चुनावों में भी हम इसको मुद्दा न बनाएं। हम अपने गवर्नेन्स पर, अपनी कार्य पद्धति के आधार पर मत मांगे। मैं चाहूंगा कि सदन आखिरी बार इस चर्चा को समाप्त करें। एक प्रश्न को बार-बार जीवित रखने से हम किसी का कल्याण नहीं करते हैं।

उदाहरण के तौर पर मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे पिताजी का 10 महीने पहले देहान्त हो गया। बचपन में मेरी माताजी का देहान्त हुआ था। 80 साल के बाद मेरे पिताजी का देहान्त हो गया। वह मुझे बड़े प्यारे थे। उन्होंने मुझे पाल कर बढ़ा किया। समय बीतता गया। इन 10 महीनों के बीच मैं कभी-कभी अपने कार्य में व्यस्त होकर इस बात को भूल भी जाता था लेकिन अगर कोई मुझे अपने पिताजी के गुणों के बारे में बताता था तो मेरी आंखें भर जाती थी। उन्होंने मेरे लिए और हम सब भाइयों के लिए जो कुछ किया उसे मैं भूल नहीं सकता। उन्हें याद करके मेरे घाव आंसू से उभर जाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो भावनाओं से जुड़ी होती हैं।

गुजरात में 27 तारीख को जो कुछ हुआ और उसके बाद 28 तारीख को जो कुछ हुआ, ऐसी घटनाओं को भूलना पड़ेगा। बार-बार राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए कभी एक नियम के अंतर्गत और कभी दूसरे नियम के अंतर्गत संसद इस चर्चा को जीवित रखना चाहेगी तो उन गरीबों और निर्दोषों, जिन की हत्या हुई उनके घावों पर मरहम नहीं लगेगी, उनके घाव ताजा होंगे जो सब के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इनको सब लोग भूल जाएं। आज इस बात को यहां पूरा कर लीजिए और चुनाव के मैदान में आइए। गुजरात में 12 तारीख को चुनाव हैं। चुनावों में जिन विषयों को लेकर जो कहना है, कहिए। आखिरी बार इस चर्चा को समाप्त करके साम्प्रदायिक सौहार्द्र का वातावरण बनाइए। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, आपको बोलने के लिए सिर्फ तीन मिनट का समय दिया गया है।

सायं 6.00 बजे

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण बहुत कम समय में समाप्त करूंगा ताकि आपको घंटी बजाने की आवश्यकता न पड़े।

सर्वप्रथम, मैं आपको अपनी हार्दिक बधाई देता हूं और गुजरात मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय चक्रवर्ती, मैं एक मिनट के लिए आपको रोकता हूं। इस प्रस्ताव के लिए सायं छः बजे तक का समय दिया गया था। मैं इस समय को माननीय मंत्री के उत्तर देने तक बढ़ा रहा हूं। इस मुद्दे को उठाने वाले सदस्य भी उत्तर देंगे। तत्पश्चात्, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा समाप्त होगी।

श्री अजय चक्रवर्ती : अभी-अभी श्री हरिन पाठक ने सभा को बताया कि 'मालूम नहीं, गुजरात के लिए बार-बार चर्चा क्यों होती है ?' मैं उन्हें याद दिलाता हूं कि इस चर्चा के लिए आप जिम्मेवार हैं। गुजरात की स्थिति ने हमें गुजरात मुद्दे पर अनेक बार चर्चा करने हेतु मजबूर किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने गुजरात में स्थिति की गम्भीरता और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थगन प्रस्ताव की सही अनुमति दी है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभभाई पटेल दोनों का ही जन्म गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरे विश्व में शांति, राष्ट्रीय अखण्डता और साम्प्रदायिक सौहार्द के अग्रदूत के रूप में आदर किया जाता है। यही कारण है कि उन्होंने अपना जीवनोत्सर्ग कर दिया तथा वह नाथूराम गोडसे द्वारा मारे गए। सबको पता है कि गोडसे कौन था। सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया। एक भारतीय होने के नाते मुझे काफी गर्व है कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं। हमें अपने धर्मनिरपेक्ष ढांचे, संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा, विरासत और देश की संस्कृति पर गर्व है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि गुजरात में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उस दल, जिस दल के हमारे प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री हैं, के शासन में हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे, हमारी धर्मनिरपेक्ष चेतना, संस्कृति और विरासत को बार-बार नष्ट किया गया है।

सत्ता पक्ष की ओर से एक सदस्य ने विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि हमने गोधरा कांड की कभी निंदा नहीं की। यह सच नहीं है। यह गलत है। समूचे विपक्ष ने गोधरा कांड की भर्त्सना की थी। ज्यों ही यह घटना हुई, भारतीय कम्यु-पार्टी, मेरी पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के सदस्य ने गोधरा कांड की भर्त्सना करते हुए एक बयान जारी किया था। माननीय उप-प्रधान मंत्री जी ने इस सभा को बताया

[हिन्दी]

कि गोधरा कांड के बाद 'प्रतिक्रिया होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी, कितनी हुई, यह आपने

[अनुवाद]

देख लिया'। गोधरा कांड के बाद हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर और निराश्रित हो गए। उन्हें भोजन अथवा किसी प्रकार की राहत सामग्री के बिना ही मजबूरन शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा। उस दु:खद स्थिति को देखते हुए, गुजरात के मुख्य मंत्री के अनुरोध पर विधान सभा भंग कर दी गई और श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने सितम्बर माह के शुरू में ही चुनाव कराने का प्रयास किया। हमने, यानि कि विपक्ष ने कहा था कि चुनाव कराने का यह कोई सही समय नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराये जा सकते। समूचे चुनाव आयोग ने गुजरात का दौरा किया। वे गुजरात के विभिन्न भागों से अलग-अलग लोगों से मिले। वे गुजरात में विभिन्न वर्गों के लोगों से भी मिले। उनका यह विचार था कि गुजरात में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए यह सही अथवा उचित समय नहीं है। इस निर्णय के बाद गुजरात के भाजपा के मुख्य मंत्री ने संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद जैसे अन्य संगठनों के साथ प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त, श्री लिंग्दोह को निशाना बनाया। यहां तक कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने उन्हें यह अपशब्द तक कह दिए कि उन्होंने बैटीकेन से निदेश मिलने के बाद ही यह निर्णय लिया था।

उन्होंने हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है, उसका अपमान किया है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और मर्यादा को आघात पहुंचाया है।

उन्होंने गौरव यात्रा निकालने का निर्णय लिया। हजारों शवों को लेकर वे कौन सी गौरव यात्रा अथवा शानदार यात्रा निकालना चाहते थे ? अभी दो दिन पहले ही विश्व हिन्दू परिषद ने यह निर्णय लिया कि वे गोधरा से विजय यात्रा शुरू करेंगे। श्री प्रवीण तोगड़िया, श्री अशोक सिंघल और विश्व हिन्दू परिषद के सभी नेताओं ने देश के सांप्रदायिकीकरण के लिए विजय यात्रा शुरू करने और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने का निर्णय लिया। मैं इस सम्मान्य सभा में अब यह कहूंगा कि हमें श्री अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर अथवा श्री प्रवीण तोगड़िया जी से हिन्दुत्व अथवा हिन्दू धर्म के बारे में कुछ नहीं सीखना। हमें स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमाहंस जी से हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व का ज्ञान मिल चुका है और हमें उस पर गर्व भी है।

गुजरात में 12 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से हों ताकि जनता बेधड़क होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। चुनाव में भले ही किसी भी दल की विजय हो लेकिन हमारा देश तो एक ही रहेगा। मैं माननीय उप-प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह अपने दल के सदस्यों और संघ परिवार को निर्देश दें कि वे देश में फूट न डालें और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा न करें। देश का साम्प्रदायिकीकरण न करें। हमें अपने धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर गर्व है। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। इसलिए मैं उप-प्रधान मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सत्ता हथियाने की खातिर विवाद खड़े न करें। मैं आग्रह करता हूं कि वह अपने दल के सदस्यों को विवाद खड़ा करने की बजाय राजनीति करने का निदेश दें। कृपया देश का सांप्रदायिकीकरण करें, चुनाव जीतने के लिए धर्म के आधार पर देश का बंटवारा न करें।

श्री बीर सिंह महतो (पुरूलिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के संबंध में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

हमें गुजरात पर गर्व है। यही राज्य है जिसने हमें गांधी जी और वल्लभभाई पटेल जैसे महापुरूष दिये। यह राज्य भगवान कृष्ण का स्थल है और सोमनाथ मंदिर भी इसी राज्य में है।

गोधरा कांड के अवसर पर ही इस वर्ष फरवरी माह में अशांति भड़की थी। यह बताया गया है कि अशांति उत्पन्न की गई है और जनता में सुनियोजित ढंग से फूट डाली गयी है।

गुजरात में चुनावों की घोषणा के बाद धर्म के नाम पर संवैधानिक निकायों पर प्रहार किया गया है। धर्म और अल्पसंख्यकों के नाम पर विपक्ष की माननीय नेता पर भी टीका-टिप्पणी की जा रही हैं मुसलमानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यह बताया गया है कि चुनाव आयोग का मार्गदर्शन विपक्ष की माननीय नेता कर रही

हैं और वह उनके मार्गदर्शन के तहत कार्य कर रहा है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।

चुनावों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। और उसकी अधिसूचना जारी की जा रही है। हम आशा करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएंगें। सभी राजनीतिक दलों को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मैं विशेष रूप से भाजपा से अनुरोध करूंगा कि वह अपने समतुल्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाये ताकि और आगे हिंसा न भड़के।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महोदय, सरकारी पक्ष का यही काम है कि भारत की एकात्मता और अखंडता बनी रहे और विरोधी पक्ष का यह काम है कि वह देखे कि सरकारी पक्ष ठीक से काम करे।

महोदय, यह सच है कि यह सरकार देश की एकात्मता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ठीक ढंग से काम नहीं करती है। आडवाणी साहब के प्रति मेरा बहुत आदर है, वे बुजुर्ग आदमी हैं। अक्षरधाम मंदिर में 40 लोगों को मार दिया गया, तो उसके प्रति हमारा रोष है लेकिन जहां हजारों लोग मर जाते हैं, बरबाद हो जाते हैं, उसकी चिन्ता उन्हें नहीं है। ये लोग हमेशा मंदिर की बात करते हैं। क्या है मंदिर में ? यह पार्टी अध्यक्ष थे तो इन्होंने सोमनाथ से यात्रा निकाली। वह ठीक है लेकिन अभी आप पार्टी अध्यक्ष नहीं हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उप प्रधान मंत्री हैं यह समझना चाहिए। यह इस बात को नहीं समझते, जो ठीक नहीं है। सांप्रदायिकता की बात देश में नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कितनी बार हमारे पंथ प्रधान को हिन्दू लोगों को बोलना पड़ा। वे सभ्य आदमी हैं, वरना कहीं बजरंग दल है, शिवसेना है, अन्य लोग हैं, वे ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं और मंदिर की ही बात करते हैं – यह ठीक नहीं है। हमारे पंथ प्रधान ने इस वक्त ठीक से काम किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और देश को ठीक से चलाना उनकी जिम्मेदारी है, यही मेरी उनसे प्रार्थना है।

उपप्रधान मंत्री तथा गृह मंत्रालय के प्रभारी (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात प्रियरंजन दास मुंशी जी से अलग कही, अगर उनको आपत्ति न हो तो मैं सार्वजनिक रूप से कहूं क्योंकि अभी-अभी एक चुनाव जम्मू-कश्मीर में हुआ जिसके बारे में सारा देश चिन्तित था। हम लोग सरकार में भी चिन्तित थे कि वह चुनाव शांति के वातावरण में होना चाहिए। यह ठीक है कि जम्मू-कश्मीर में हमारी चिन्ता का एक कारण यह भी था कि पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में जो चुनाव वहां पर हुए, उनकी प्रामाणिकता के बारे में कभी-कभी संदेह उठाया जाता था और इसीलिए पूरा ध्यान इस बात पर केन्द्रित था कि वहां पर चुनाव शांति के वातावरण में हों और वहां चुनाव निष्पक्ष हों, मुक्त हों। जब ऐसा हो गया, तब सबको संतोष हुआ। सरकार में हमको तो हुआ ही, देश को भी संतोष हुआ, विश्व में भी उसकी साख बनी और सबसे बढ़कर जम्मू-कश्मीर की जनता को इस बात की खुशी हुई कि जो आशंकाएं उनमें से भी कुछ लोगों के मन में थीं, वे भी निर्मूल साबित हुईं और चुनाव हो गए।

आज का सत्र जब आरंभ हो रहा था तो हमारे मन में था कि आज ही के दिन एक महत्वपूर्ण चुनाव का नोटिफिकेशन निकलेगा।

गुजरात का नोटीफिकेशन आज निकलेगा, शायद निकल भी गया हो – वह निकल गया है। 12 दिसम्बर, 2002 को सत्र के चलते हुए मतदान हो जायेगा और 15 दिसम्बर, 2002 को सत्र के चलते हुए परिणाम भी आ जायेंगे। 20 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा, उससे पहले शायद वहां नयी सरकार भी बन जायेगी।

मैं स्वीकार करूंगा और मेरे मन में था कि आज की चर्चा ऐसी न हो जिसके कारण वहां के वातावरण में किसी भी प्रकार का तनाव बढ़े। इसलिए जब विपक्ष के नेता की ओर से प्रस्ताव रखा गया या उनकी तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया, वह सूखे के बारे में था। मैं तो सोचता था कि सूखे की चर्चा को ही स्वीकार कर लेंगे क्योंकि यह बात सही है कि आज जो चर्चा यहां हुई है, उस विषय पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने उस पर आखिरी बार जुलाई में चर्चा की थी। जुलाई के बाद से देखा जाये तो वहां कोई साम्प्रदायिकता या साम्प्रदायिक हिंसा बढ़ी है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वहां पर कुल मिलाकर शांति रही है लेकिन कुछ घटनाएं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई हैं लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार की घटनायें 27 और 28 फरवरी या उसके बाद के तीन महीनों में हुई वैसी घटनायें कोई नहीं हुईं। उन घटनाओं पर हमने बहुत विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। उन तीन महीनों की घटनाओं की चर्चा अनेक बार की है। बहुत सारी बातें आज जो कही गयीं चाहे वे उधर से कहीं गयीं या इधर से कहीं गयी, वे उनकी पुनरावृत्ति थीं। मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, दोषारोपण नहीं करूंगा क्योंकि उससे मुझे लगता है कि हम गुजरात की स्थिति को लाभ नहीं पहुंचायेंगे। अगर प्रधान मंत्री जी ने भी कह दिया कि अच्छा होगा, इस बार हम वहां पर चर्चा करें, बाकी चर्चाएं तो होंगी लेकिन अच्छा शासन कैसे देंगे, यह बताओ। हमारे लोगों को एक प्रकार से कहा गया था कि आप अच्छे शासक की बात करो। हम तो यह भूल ही नहीं सकते क्योंकि वर्षों तक, मैंने 1952 से लेकर आज तक लोक सभा का हर चुनाव देखा है, प्राय: कोई न कोई एक राजनीतिक मुद्दा प्रमुख बन जाता था, जिसके आधार पर हम चुनाव लड़ते थे। अब हारते थे या जीतते थे, वह अलग है। 1999 का पहला चुनाव हुए था जिसमें नेगेटिविज्म भी नहीं थी। 1998 में भी कुछ मात्रा में था लेनिक 1998-99 के जो दोनों चुनाव थे, उनमें वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल कहते थे कि हम स्वराज्य को सुराज्य में बदलेंगे। यह हमारा कथन था। स्वराज्य की भी व्याख्या करते थे कि स्वराज्य का अर्थ यह है या स्वराज्य का अर्थ वह है। मैं समझता हूं कि इस बार, प्रधान मंत्री जी ने अभी अभी कहा कि गोधरा की चर्चा न हो, उसकी चर्चा न हो। स्वराज्य की चर्चा हो तो बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि उन्होंने ठीक कहा।

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

आज सुबह-सुबह यहां आते हुए जिनकी गुजरात के संदर्भ में सबसे अधिक व्यक्तिगत रूप से चर्चा होती है–श्री नरेन्द्र मोदी, उनका मैं बयान पढ़ रहा था। मेरे पास आज का इकॉनोमिक्स टाइम्स है, उसमें उन्होंने क्या कहा है ? किसी माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि तन्ख्वाह देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है, ऐसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि –

[अनुवाद]

"हमने अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए एक पैसा भी उधार नहीं लिया है। हमें प्राकृतिक आपदाओं, चाहे वह तूफान हो, बाढ़ हो या भूकंप हो, से उत्पन्न चुनौतियों को सामना करने के लिए उधार लेना पड़ा था।"

[हिन्दी]

यह इसलिए मैंने जिक्र किया है क्योंकि इस संदर्भ में माननीय सदस्य ने जिक्र किया था। फिर कहा कि उनकी कल्पना क्या है ?

[अनुवाद]

"भावी गुजरात की तीन मुख्य विशेषताएं होंगी : यह राज्य शिक्षित, सिंचित और पूर्णत: विद्युतीकृत होगा। हम इक्कीसवीं शती के लिए मानव संसाधन चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि गुजरात में भारतीय डिजाइन संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसी और अधिक संस्थाएं हों।"

[हिन्दी]

दोनों की हिन्दुस्तान भर में बड़ी रेपुटेशन है। वे प्रैस्टीजियस इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं।

[अनुवाद]

"हम राज्य में अपने सभी खेतों की सिंचाई करने का प्रयास करेंगे ताकि एक भी खेत बिना पानी के न रह जाए। हम अगले 45 महीनों में सभी भूमिगत जलकूपों का जल स्तर बढ़ाने जा रहे हैं। इन सबसे न केवल पानी को बचाकर रखा जाएगा अपितु इससे हमें काफी मात्रा में बिजली की भी बचत करने में सहायता मिलेगी। इससे कृषि उद्योग को भी अनिवार्य रूप से बढ़ावा मिलेगा।"

[हिन्दी]

मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पहले जो दो चर्चाएं हुई थीं, उनमें मुझे सहमति प्रकट करने का अवसर मिला। मैंने कहा, मैं आपकी वेदना से सहमत हूं कि किसी भी प्रदेश में अगर इस प्रकार बेगुनाहों की हत्या हो, वह चाहे गोधरा में हो, चाहे नरोरा में हो, चाहे बड़ौदा में हो, यह हमारे लिए शर्म की बात है। यह बात मैंने लंदन जाकर कही जिसे बहुत लोगों ने लिखा। सच बात यह है कि मेरा 3 तारीख का भाषण – यह हमारे लिए, विशेष रूप से मेरी सरकार के लिए कलंक है क्योंकि हम जब सरकार में आए थे, तब हमारे बारे में आशंकाएं प्रकट की गई थीं कि इनके शासन में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं होंगे और 4-5 साल का हमारा जो ट्रैक रिकार्ड रहा, गोधरा की घटना से पहले, वह ऐसा था जिसके आधार पर हम तुलना करके कह सकते थे। आज हमारे शाहनवाज जी ने पुराना-पुराना रिकार्ड खोजकर उन सबका जिक्र किया कि किस-किस दंगे में कितने लोग मरे थे और तब किस-किसका शासन था। मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर अगर आज वाली चर्चा न होती तो शायद ज्यादा अच्छा होता और हम गुजरात के प्रति अधिक न्याय कर पाते। जब मेरे गुजरात के सदस्यों की प्रतिक्रिया होती, मेरी समझ में आती थी। हरिन पाठक जी के पहले के दो भाषण सुनिए और आज का भाषण सुनिए, उसमें जो अंतर था, उनको लगता था कि बार-बार केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं हो रही है, विश्वभर में यह इम्प्रैशन पैदा किया जाता है कि जैसे गुजरात में जो हिन्दू हैं, उनके रहते हुए मुसलमान वहां सुरक्षित नहीं हैं। यह जो धारणा पैदा की जाती है, वह गुजरात के प्रति भारी अन्याय है और हमारे देश के प्रति भी अन्याय है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह फिर भी भारी-भरकम बयान दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह कोई भारी-भरकम ब्यान नहीं है। आप चतुराई कर सकते हैं कि वाजपेयी जी ने यह कहा, आडवाणी जी ने वह कहा। यहां जो चतुराई चली है, वह हमारे विरोधियों ने पिछले पांच सालों में चली है। उसका कोई असर नहीं होता। हम दोनों मिल कर चले हैं और दोनों मिल कर चलेंगे। मै आपको कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान अगर आज सैकुलर है तो वह किसी पार्टी के कारण नहीं है, हिन्दुस्तान 1947 में सैकुलर बना, यह एक असाधारण इतिहास में माना जाएगा। जिस समय भारत का विभाजन हुआ इस आधार पर कि हिन्दुओं का बहुमत कहां है, मुसलमानों का बहुमत कहां है और पाकिस्तान ने यह कहा कि जितने मुसलमान हैं, उनका अलग राष्ट्र है, उन्हें अलग राज्य चाहिए तभी पाकिस्तान बना। शाहनवाज जी ने सही कहा कि जिनको जाना था, वे वहां चले गए लेकिन जो लोग यहां पर रहे, वे भारत माता के पुत्र बन कर रहे और भारत माता के पुत्र हैं, यह मान कर चले। किसी संविधान सभा का सारा इतिहास आप पढ़ लीजिए। किसी ने नहीं कहा कि हिन्दुस्तान को हिन्दू स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। हिन्दुस्तान को अगर सैकुलर राज्य माना गया। *(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : हिन्दू परिषद, आर०एस०एस०, नरेंद्र मोदी रोज कह रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं 1947 की बात कर रहा हूं। मैं उसका भी जिक्र करता हूं। मैं उस पर भी आ जाऊंगा कि आज

1947 से लेकर 1950 तक भारत का संविधान बना। पाकिस्तान ने उस समय अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया। भारत ने अगर यह संविधान स्वीकार किया जिसमें सैकुलर शब्द न होते हुए भी सैकुलर का कनसैप्ट हो सकता है कि सब मजहबों का आदर हरेक नागरिक – चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, सबको समान अधिकार, सबको बराबरी, यह जो कल्पनाएं हैं जिनको सैकुलरवाद माना जा सकता है, वह स्वीकार इसलिए हुई, सर्वसम्मति से हुई क्योंकि हिन्दुस्तान के इथोज, हिन्दुस्तान की संस्कृति में मजहबी राज्य की कल्पना कभी स्वीकार नहीं हुई। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि जब बहुत सारे लोग कभी-कभी हिन्दुइज्म के बारे में, हिन्दुत्व के बारे में इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे मानो यह कोई साम्प्रदायिक बात है, यह कोई गलत बात है। मैं उनसे कहूंगा, हमारे मित्र ने, जिसने आखिर में बोला कि हमारी हिन्दुत्व की कल्पना, हमारी हिन्दुइज्म की कल्पना स्वामी विवेकानन्द जी की कल्पना है, रामकृष्ण परमहंस की कल्पना है, स्वामी दयानन्द जी की कल्पना है, यह तो हमारे पूर्व संत हुए, लेकिन अगर मैं आधुनिक काल की बात कहूं तो मैं कहूंगा कि हमारी कल्पना वही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है। जस्टिस वर्मा के जजमेंट में उन्होंने कहा है कि :

[अनुवाद]

> "हिन्दू धर्म अथवा हिन्दुत्व भारतीय लोगों के रहन-सहन के ढंग का वर्णन करते हुए भारत की जनता की संस्कृति और लोकाचार से असंबद्ध हिन्दू धर्म संबंधी कड़ी प्रथाओं तक ही सीमित नहीं है। ये शब्द भारतीय लोगों के रहन-सहन के ढंग से कहीं अधिक बताते हैं और ये केवल हिन्दु धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की आस्था के रूप में बताने तक ही सीमित नहीं है।"

[हिन्दी]

हम इस सरकार में मानते हैं कि हिन्दुत्व का अर्थ वही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है और जिसे स्वामी विवेकानन्द जी आदि ने माना है। लेकिन यहां जिस प्रकार से बोला जाता है, आप आज के सारे भाषण उठाकर देखिये, कोई माननीय सदस्य अभी-अभी बता रहे थे कि हिन्दू कभी संस्कृत में प्रयोग नहीं हुआ और हिन्दू का अगर मैं अर्थ बताऊंगा तो आपको शर्म आयेगी कि हिन्दू का अर्थ कितना गलत है। ये जो बातें कही जाती हैं, यह वहां से कहा गया, राष्ट्रपाल जी ने कहा या किसी और ने कहा। इस प्रकार की भाषा के कारण हमें फिर से समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान की जनता साम्प्रदायिक हिंसा को कभी कण्डोन नहीं करेगी, चाहे कोई करे, हिन्दू करे कि मुसलमान करे, लेकिन सामूहिक साम्प्रदायिक हिंसा को कण्डोन नहीं किया जायेगा। लेकिन हिन्दुस्तान की जनता शूडो सैकुलरिज्म को भी स्वीकार नहीं करेगी। अगर यह न होता तो *(व्यवधान)* क्योंकि आपने मेरी रथयात्रा का जिक्र किया तो इस सरकार के सारे कार्यक्रम में, जो एग्रीड प्रोग्राम है, उसमें कहीं राम मंदिर का निर्माण करना नहीं है। इसीलिए मैंने संसद में उसके बारे मे कभी नहीं बोला। लेकिन आपने जिक्र किया है तो मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने पिछले दिनों लिब्रहान कमीशन में जाकर उस रथयात्रा के बारे में, अयोध्या आन्दोलन के बारे में विस्तार से अपने विचार रखे और अगर मैं उन्हें संक्षेप में कहूं तो मैं कहूंगा कि अयोध्या का आन्दोलन एक श्रेष्ठ आन्दोलन था। अयोध्या में जो 6 दिसम्बर, 1992 को हुआ, वह सर्वथा गलत था, वह नहीं होना चाहिए था और उसके लिए मैंने उसी समय कहा था कि मेरे जीवन का आज का दिन सबसे दुखद रहा है।

मैं इन बातों को कहकर इतना ही और कहना चाहूंगा कि हमारा उद्देश्य होगा कि गुजरात के चुनाव निष्पक्ष रूप से हों और हमारी अपनी पार्टी भी और हमारे सारे साथी भी लोगों को यह विश्वास दिलायें कि हम न केवल अच्छा शासन वहां पर देंगे, बल्कि ऐसी व्यवस्था वहां पर करेंगे, जिससे सारी जनता, चाहे वे अल्पसंख्यक हों, चाहे बहुसंख्यक हों, वे सुरक्षा के साथ रह सकें, यह हमें उनको आश्वासन देना होगा। मुझे इतना ही कहना है, बाकी अच्छा होता कि आज इस मुद्दे पर चर्चा न करके वास्तव में किसी ज्यादा सार्थक इश्यू के ऊपर हम चर्चा करते। टैक्नीकली तो जो बात मेरे मित्र नवल किशोर राय जी ने कही, वह बिल्कुल सही है कि यह कोई रीसेण्ट बात नहीं है, क्योंकि इसमें कहा है :

[अनुवाद]

हाल ही की घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाना होगा। स्थगन प्रस्ताव के मामले में, सांप्रदायिकता की चल रही घटनाओं को देखते हुए इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

पर यह बात भी सही है *(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : बहुत रीसेण्ट बात है। कमीशन के बारे में जा कुछ कहा *(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो कहा, सही कहा कि सरकार ने स्वीकार किया। हां, स्वीकार किया। सरकार ने इसलिए स्वीकार किया, बिना यह कहे हुए कि जो इसके पक्ष में हों खड़े हो जायें, क्योंकि हम समझते हैं कि आज देश भर में संदेश यह जाना चाहिए कि सब लोग मिलकर विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं और कोई हाउस एडजर्न नहीं करना चाहता, यह प्रमुख कंसीडरेशन था, जिसके आधार पर हमने इसे स्वीकार किया।

मुझे और कुछ नहीं कहना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के प्रस्तावक, श्री सुबोध राय अब उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव रखते हुए यह बात कही थी कि सरकार साम्प्रदायिक तत्वों का लगाम लगाने में और उनकी कारगुजारियों से जो देश का वातावरण, खासकर गुजरात का वातावरण खराब हो रहा है, पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि पूरा इतिहास इस पर हो और इस पर विस्तृत चर्चा की भी जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुजरात के चुनाव के संदर्भ में अभी जो घटनाएं हुई हैं, उसके सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि गुजरात के गृह सचिव ने यह रिपोर्ट चुनाव आयोग को दी थी कि विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से जो यात्रा निकालने का काम हो रहा है, उससे उत्तेजना का वातावरण बढ़ेगा, साम्प्रदायिक तनाव बढ़ेगा। उसको रोकना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इसी के आधार पर अपनी बात कही थी। फिर इनके खिलाफ नरेन्द्र मोदी का या और किसी को वक्तव्य देने का कहां से अधिकार बनता है। यह घोर निंदनीय और आपत्तिजनक काम है या नहीं ? इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अधिकार भारत का संविधान, भारत का विधान देता है या नहीं ? यह सरकार की विफलता है या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि किस तरह से वी०एच०पी० के लोग जो वातावरण फैला रहे हैं, उससे पूरा वातावरण विषाक्त हो रहा है ? इसलिए मैंने तोगड़िया जी का नाम, धर्मेन्द्र जी का नाम और दूसरों का नाम लिया था। उनके रोज भाषण हो रहे हैं। क्या उनसे शांति और सद्भाव की बातें हो रही हैं ? क्या उस पर लगाम लगाने के लिए आप कोई जरूरी कदम उठाएंगे ? क्या उनके खिलाफ पोटा के तहत कार्रवाई करना जरूरी नहीं है ? अगर यह बात नहीं है तो फिर क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधान मंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी इस संगठन से अपने को अलग रखने की बात कहेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि वी०एच०पी० के लोगों ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी की है, हमारे कई मित्रों ने भी कहा है, संगमा जी ने भी कहा है कि उनके बयानों से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बातें हुए हैं, उसको क्यों नहीं रोका गया ? उसकी इजाजत नहीं देना, उसको रोकने का काम करना हमारे देश में जनतंत्र की नींव मजबूत रहे, सारे लोगों को निष्पक्ष होकर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का वातावरण तैयार करने के लिए सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए।

गुजरात के बारे में जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़कर उनके सहयोगी दलों को भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से बातें कही हैं, लगता है सरकार दंगों का इतिहास बताकर गुजरात के इन दंगों को जो उनका बर्बर अपराध है, जस्टिफाई करना चाहती है। इस बात को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसको स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार नहीं हैं। सरदार सरोवर का निर्माण और अन्य विकास के काम वहां इस कारण नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह से मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने की आदत भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के लोगों की बन गई है इसलिए सरकार के जवाब से हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं।

सरकार ने जो जवाब दिया है, वह पूरी तरह से धोखाधड़ी का जवाब है, जो पूरी तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ है। अपने अपराधों को पूरी तरह से उचित ठहराने का काम हुआ है और जो हत्यारे हैं, जो नर-संहार के दोषी हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने का काम है। हम इस तरह के जवाब को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (जौनपुर) : मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जैसे माननीय उप-प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि ये जितनी घटनाएं हुई है, जिनकी चर्चा यहां हुई है, ये जुलाई के पहले की हैं, जुलाई के बाद की जो एक घटना महत्वपूर्ण घटना है। क्या उस घटना में जिसमें आतंकवादियों ने अक्षरधाम मंदिर की पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश की थी और अपने एक कमांडो ने उस पवित्रता की रक्षा करने के लिए शहादत दी, उसकी श्रद्धांजलि को क्या ये शामिल करना चाहेंगे कि इस तरह की श्रद्धांजलि यहां होनी चाहिए ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 6.37 बजे

पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, प्रक्रियानुसार एक और मुद्दे पर विचार करना होगा। इसलिए अब हम आज की कार्यसूची की मद सं० 8 पर विचार करेंगे। श्री राम नाईक यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) अधिनियम, 1937 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, यह पुराना कानून व्यवहार में नहीं था और सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी। उन्होंने कहा कि इसको निकालना

चाहिए। सबकी मान्यता है और राज्य सभा ने भी इसको पास किया है। मेरी प्रार्थना रहेगी कि सदन उसे पास करे और उसके लिए मैं पहले ही धन्यवाद देता हूं और अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चूंकि विधेयक पर बोलने वाला कोई सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं अब इसे सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि पेट्रोलियम (बरार में विस्तार) अधिनियम, 1937 का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधेयक पर खंडवार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री राम नाईक : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा बुधवार, 20 नवम्बर, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.40 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 नवम्बर, 2002/29 कार्तिक, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।